



औरगजेबकालीन मुगल अमीर-वर्ग



# श्रीरंगजेबकालीन मुगल अमीर-वर्ग

एम० अतहर अली

अनुवाद  
डॉ० राधेश्याम



राधाकृष्ण प्रकाशन

1977



भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्  
नई दिल्ली

प्रथम दिल्ली सम्मेलन 1977

मूल्य

42 रुपये

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित

प्रकाशक

राधाकृष्ण प्रकाशक

2 अमरी रोड दरियागढ़

नई दिल्ली 110002

मुद्रक

कमल प्रग गोपीनाथर द्वारा

गोपाल प्रिन्टिंग प्रग

विन्वागनगर, राहत्याग 110032

---

M Athar Ali

Aurangzebki ilm Mughal Ameer Varg

## विषय सूची

	मुखबन्द	7
	सकेताक्षर	9
	प्राक्कथन	11
	भूमिका	13
1	अमीर वग की सहाय्य और उसकी सरचना	19-58
	मनसबदारा की सहाय्य, अमीर वग की सरचना, अग्य राज्यों से आने वाले अमीर, जातीय एवं धार्मिक गुट, विदहरी अमीर वग—तूरानी व ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान, राजपूत, दख्खनी, मराठे, हिन्दू, तामिकाएँ ।	
2	अमीर-वग का संगठन—मनसब, वेतन तथा सेवा की गतें	59-112
	मनसबदारी प्रथा का विकास, जात और सवार पद, प्रतिवर्षित (मशरूत) पद, दो अस्था सह अस्था पद, पदा के लिए वेतन, भासिक अनुमाप, वेतन में स कटौतियाँ, मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व, भर्ती एवं पत्नानति, राजसात, परिशिष्ट अ—जात पद से अधिक सवार पद वाले मनसबदार, परिशिष्ट ब—जात पद के वेतन की तालिका ।	
3	जागीरदारी प्रथा एवं अमीर-वग	113-141
	जागीरों का अम्यपण, जागीरों का अंतरण, वेतन जागीरें, जागीरदारों के वित्तीय अधिकार, जागीरों का प्रशासन, जागीरदार और जमींदार, जागीरदारों पर गाही नियंत्रण, जागीरदार और वृषक, जागीरदारी प्रथा में सकट ।	

- 4 **झमीर-बग तथा राजनीति** 142-192  
 झोरगजेब झोर झमीर बग—प्रथम चरण (1658 66), झोरगजेब  
 झोर झमीर-बग—द्वितीय चरण (1666-89), दरबान की समस्या  
 तथा झमीर-बग—1658 89 दरबान की समस्या तथा झमीर-बग—  
 1689 1707, परिशिष्ट—उत्तराधिकार के युद्ध में दास शिरोह  
 झोरगजेब शाह गुजा एव मुराद बरग के समर्थन की सूचियाँ ।
- 5 **झमीर-बग तथा प्रशासन** 193-216  
 झमीर-बग—दरबार में दरबार का शिष्टाचार, उपाधियाँ झोर  
 विशिष्ट सम्मान, उपहारों की प्रथा मनसबदार एव साबजनिक  
 सेवा, प्रशासन में झमीरा का व्यवहार ।
- 6 **झमीर-बग एव आर्थिक जीवन** 217-225  
 झमीरा की व्यापार में भूमिका ।
- 7 **झमीरों के प्रतिष्ठान** 226-239  
 झमीर-बग की सरकार झमीरा की सैनिक टुकड़ियाँ साबजनिक  
 कल्याण काय एव धर्माथ, हरम एव कुटुम्ब, झमीर बग में वित्तीय  
 संकट ।
- उपसंहार 240-243  
 परिशिष्ट (झमीरा की सूची) 244-360
- झोरगजेब के 1 000 जात झोर उगम अधिव के मनसबदारों की सूची—  
 अ—1658 1678 के मनसबदारों का 1 000 जात झोर उसस  
 अधिव के मनसब पर पहुँचे ।  
 ब—1679 1707 के मनसबदार जो 1 000 जात झोर उगम  
 अधिव के मनसब पर पहुँचे ।
- सर्वाभवा 361  
 अनुक्रमणिका 373

## मुखबन्ध

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत उद्देश्यो म एक है शोध की उपलब्धियाँ को उस पाठक-वर्ग तक पहुँचाना जा हमस यह अपक्षा रखते हैं कि हम भारतीय भाषाओं म इतिहास सम्बन्धी रचनाएँ तयार तथा प्रकाशित करें। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद् अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे पहुँच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किन्तु भारतीय पाठक वर्ग का एक छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षक और अनुसंधान के माध्यम के रूप म हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। एसी स्थिति मे इतिहास की स्तरीय पुस्तक की बनी गम्भीर रूप स अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमे भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भा० इ० अ० प० ने कुछ गौरवप्रथा (क्लासिकम) तथा इतिहास विषयक शोध की पद्धतियों को प्रतिबिम्बित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

इस पुस्तक म औरगजेब के राज्यकाल म शासक-वर्ग की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न काल मे अमीरा की सरथा, इस सख्या म हुई वृद्धि की दर तथा इस वृद्धि का अमीर वर्ग की आय और उनके आन्तरिक मेल-जाल का विश्लेषण विवेचन करने के पश्चात् लखक न औरगजेब के राज्यकाल म 'मासबदारी' प्रथा के वास्तविक वाय-बलाप पर प्रकाश डाला है। क्या यह प्रथा औरगजेब के राज्यकाल म वसी ही थी जस कि उसके पूर्ववर्ती शासकों के अंतगत क्या मुगल अमीर-वर्ग शासन को दशतापूर्वक चलाने म सक्षम था, तथा, अमीर-वर्ग अपने व्यय, निवेश अथवा अपने व्यवहार द्वारा आर्थिक विकास म बाधक था या सहायक—य कुछ समस्याएँ हैं जिनका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक म किया गया है। विविध स्रोतों का सहारा लन तथा उनस निष्कर्ष निकालने म लेखक सचेत और सावधान रहा है। इस पुस्तक की अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशेषता औरगजेब के अमीरों की सूची है जिसका सफल लखक ने तत्कालीन विविध आलखों से किया है। यह पुस्तक मध्यकालीन भारत म अज्ञात-तंत्र (एरिस्टाक्रेसी)



के बारे में अध्ययन करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए अनुवादक डा० राधदयाम तथा डा० नगेन्द्रप्रसाद वर्मा और अन्य सभी सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

नई दिल्ली  
17 मई, 1977

रामगण शर्मा  
अध्यक्ष  
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

## सकेताक्षर

साधारणतः निम्न सकेताक्षरों का प्रयोग तालिकाओं और परिशिष्ट में किया गया है

अक्ष०	अलबारात ए-दरवार ए मुअल्ला
अ० मा० त०	अरकान ए माअसीर ए-तैमूरिया
आ०	आलमगीरनामा, लेखक मुहम्मद काज़िम
आदाब	आदाब ए आलमगीरी
ईसरदास	फतुहात ए आलमगीरी
मामवार	तजविरात उस-सलातीन ए चागता
ज० आ०	जवाबित ए आलमगीरी
त० उ०	तजविरात उल-उमरा
ता० मु०	तारीख ए-मुहम्मदी
फरहात	फरहात-ए-नाजरीन
ब० रा०	बसातीन उम-सलातीन
मा० आ०	माअसीर ए आलमगीरी
मा० उ०	माअसीर-उल-उमरा
मामूरी	तारीख ए औरगज़ेब
रन०	रक्कात ए आलमगीर
स० डा० प्रो०	सेलेक्टेड डाक्यूमेंट्स ऑफ औरगज़ेब रेन
हाकिम ख़ाँ	आलमगीरनामा



## प्राक्कथन

यह पुस्तक, इमी शीपक के अन्तगत अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1961 में पी एच० डी० के लिए प्रस्तुत किये गये शोध प्रबंध पर आधारित है। प्रस्तुत शोध प्रबंध इतिहास विभाग की एक शोध-योजना के अन्तगत तैयार किया गया, जिससे मेरे लिए अनेक वर्षों तक शोध-कार्य करना सम्भव हो सका।

विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति, श्री बद्र-उद-दीन तय्यब जी का मैं इस पुस्तक की टकित प्रति पढ़ने एवं उसके प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सुभाव देने के लिए आभारी हूँ।

इसी अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों एवं साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ जिनका मैं अत्यधिक ऋणी हूँ।

मैं, अपने निदेशक डॉ० सतीश चन्द्र का अत्यन्त आभारी हूँ जो सदैव मेरे प्रति समय एवं मनोयोग दोनों ही दृष्टि से, उदार रहें। अनेक विषयों पर प्राफ़सर मुहम्मद हबीब न मरा माम दर्शन किया है और वस्तुतः वेबल व ही जिन्होंने उनके स्फूर्तिदायक प्रवचनों से लाभ उठाया है, मूल समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी यापन सुझावों की सराहना कर सकते हैं कि कोई उनसे किस सीमा तक लाभान्वित हो सकता है। प्राफ़सर एस० ए० रशीद की मर काय के प्रति जो महानुभूतिपूर्ण रचि रही वह निरन्तर मर लिए प्रेरणा स्रोत बनी। प्राफ़सर एस० नुरल हसन से मुझे सदैव सहायता प्राप्त होती रही, और उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए जो यथासम्भव कार्य किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने में मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता हो रही है। मर परम मित्र एवं साथी, डा० इरफ़ान हबीब ने भी विभिन्न प्रकार से मेरी सहायता की।

मैं महाराजकुमार रघुवीरसिंह एम० पी० का अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ जिन्होंने अपनी सीतामऊ स्थित लाइब्रेरी की बहुमूल्य पाण्डुलिपियाँ के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। मैं मौलाना आज्ञाद लाइब्रेरी के कर्मचारीगण तथा इतिहास विभाग की लाइब्रेरी की श्रीमती सईदा अंसारी का उनके सहयोग के लिए बहुत ही आभारी हूँ।

मैं अपने साथिया, सबथी इकिनार आलम खा अहसान जान बैसर, रिफावत धली खाँ, अहमान रजा खाँ, सतीगुमार तथा वृमारी अजीजा हसन को भी धायवात् नेना चाहेंगा जि हान टवन प्रति म सशोधन एव प्रूफ देखने तथा अय पायों मे मरी सहायता की है ।

अन्त म, मैं अपनी पत्नी फिरोजा खातून का आभारी हूँ जो इस ग्रन्थ के नेपथ्य-काल मे आन वाली परधानियो तनावा तथा पग्त्रिम म सदव मेरी सह-भागिनी रही ।

जनवरी, 1966

—एम० अतहर धली

## भूमिका

यह बात बार-बार दोहरायी जाती रही है कि भारतीय ऐतिहासिक लेखन में शासक वर्ग की अधिकांशतः उपेक्षा की गयी है। इसके साथ यह भी सत्य है कि शासकों की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निम्नोक्त भारतीय शासकों के प्रभावशाली जीवन चरित एवं गाँधी वंशा से सम्बंधित अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। किंतु राजा चाह व कितन ही निरंकुश रह हा और उनके दाव भी चाहे कितने ही भव्य क्या न रहे ना केवल एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे—यद्यपि वे शासक वर्ग का एक आवश्यक अंग थे। शासक वर्ग के ऐसे सदस्या जो साधारणतः यद्यपि निरपवाद रूप में नहीं अमीर-वर्ग या राजाओं के अधिकारियों के रूप में सामने आते हैं, की ओर भी गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस बात पर तक ध्यान की तनिव भी आवश्यकता नहीं है कि इस वर्ग की या उसमें सम्निहित विभिन्न श्रेणिया की संरचना परम्पराओं एवं प्राथमिकताओं आदि का उत्पन्न ही महत्त्व है जितना कि व्यक्तिगत राजाओं के चरित्र एवं उनकी नीतिया का।

जसा कि इसके शीर्षक से विदित होता है, प्रस्तुत ग्रंथ संपूर्ण मध्यकाल या संपूर्ण मुगलकाल को समाविष्ट करने का दावा नहीं करता वरन अतिम भारतीय साम्राज्य के महान सम्राटों में से केवल अतिम सम्राट के अमीर वर्ग से सम्बंधित है। प्रस्तुत ग्रंथ एक अधिकांशतः अनवरचित क्षेत्र में पवश वरन का प्रयास है। अतः सम्भवतः सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य यह था कि इस विज्ञान क्षेत्र के केवल छोट म भाग का ही सर्वेक्षण किया जाय। इसी सीमा के अन्दर रह कर भी प्रस्तुत विषय का बहुत-से कारणों से महत्त्वहीन नहीं समझा जा सकता। औरगजेव की आँखा के सामने ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो चुका था और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विघटन किया बहुत ही तीव्र एवं चक्रेत हो गयी थी। दूसरे पक्ष में ऐम समय में जब कि पश्चिम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आग की ओर बढ़ रहा था, भारतीय समाज केवल स्थिर ही नहीं वरन अप्रगतिशील भी था। यही नहीं, उसका राजनीतिक अर्थ पतन भी हो रहा था और यहाँ तक कि उसने उन प्रतिमानों से भी पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया जहाँ वह इससे पूर्व

पहुँच चुरा था। भारतीय इतिहास के परवर्ती काल के लिए इतने अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक पतन के कारण वहाँ राज जायें? निगन्हेह उग राजनीतिक पतन के लिए कोई भी त्वसगत कारण अटकलवाजी या पूर्वानुमाना या पाठ्य पुस्तका में दिए गये नुस्खा (जैसे—सम्राटों का निजी अथ पतन, दरबार के विलासी जीवन प्रशासन की अक्षमता) पर आधारित नहीं हो सकती। ये कारण सन्धि महत्व के हैं तथा यह किसी भी राजवग या सम्राट के पतन के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सम्भवतया मुगल साम्राज्य व्यवस्था के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन एक उत्तम गृहभूमि उपलब्ध कर सकता है। इन तत्वों में मुगल शासन वग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मुगल शासन वग की प्रकृति और भूमिका का विस्तृत विवरण वास्तविक प्रतीत होता है। अतः यहाँ श्रीरगजेव व रायदान (1658-1707 ई०) के विनिष्ट सत्ता में मुगल अमीर वग का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य इस वग की समस्याओं और परम्पराओं का जिनसे मुगल साम्राज्य के गठन और नीतियों का पारिभाषित किया तथा उन बटिनाइयाँ और दवावों का विवरण देना है जिनका मुगल साम्राज्य को सामना करना पड़ा अथवा जो उसने स्वयं अपने लिए उत्पन्न की।

किसी भी प्रकार की भ्रान्ति को रोकने के लिए यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि शीपक में अमीर वग शब्द का प्रयोग करते समय मुगल शासन-वग की वास्तविक प्रकृति एवं उगकी स्थिति के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में निकाले गये निष्कर्षों की किसी प्रकार से पूरक कल्पना नहीं की गयी है। नखक का मन्तव्य यह कभी भी नहीं रहा है कि मुगल अमीर वग के स्वरूप की तुलना रामन साम्राज्य के अमीरों से या यूरोप के सामन्ती अमीर वग से की जाये। इस प्रकार का गलत अर्थ लगाये जाने की आशंका के बावजूद भी अमीर-वग शब्द का प्रयोग सुविधाजनक है क्योंकि साधारणतः यह शब्द उन व्यक्तियों के वग की ओर संकेत करता है जो सम्राट के अधिकारी थे तथा साथ ही साथ जो राजनीतिक क्षेत्र में एक उत्कृष्ट वग के रूप में प्रतिस्थापित थे और इस ग्रन्थ में इसी अर्थ में इस शब्द का पूर्णरूपण प्रयोग हुआ है। मुगलकाल में 1000 या उससे अधिक के मनसबदारों अर्थात् अधिकारियों में उच्च श्रेणी के सभी व्यक्तियों के लिए उमरा (अमीर का बहुवचन) शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप उमरा के स्थान पर अमीर वग का प्रयोग किया गया है। यह अंग्रेजी शब्द नानिलिटी का समानाधिक भी है। साथ ही यह कहना आवश्यक है कि प्रस्तुत पुस्तक अपने विषय क्षेत्र में सभी मनसबदारों या पदाधिकारियों या अधिकारियों वग का मुख्य भाग थे का सम्मिलित करने का मित्या दावा नहीं करती प्रस्तुत इसमें केवल उन्हीं मनसबदारों का लिया गया है जो वास्त

विकल्प से अपना गकिन एवं आय के आधार पर शासक वर्ग में घात हैं। इस कारण विशेषतः औरंगजेब के काल के अध्ययन के लिए, उन लोगों के मध्य जो अधिकारी मात्र थे तथा जो इसके साथ ही इस बात का भी दावा करते थे कि साम्राज्य के प्रशासन में उनका महत्त्व है 1 000 जात-पत्र को विभाजन रेखा अपनाता लाभप्रद समझा गया है।

मुगल भूमि-वर्ग के प्रकार प्रकार एवं संरचना की कुछ सीमा तक विवेचना की जा चुकी है किन्तु दुर्भाग्यवश यह न तो बहुत ही है और न ही कुछ विषय में त्रुटि मुक्त। विशेषतः, विभिन्न जातों में भूमि-वर्ग की संख्या में सम्बन्धित प्रश्नों का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि किस दर से उनकी संख्या में वृद्धि हुई तथा भूमि-वर्ग की आय एवं आन्तरिक ससक्ति पर उस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा? जहाँ तक आन्तरिक ससक्ति का प्रश्न है, हमें उन वर्गों एवं जातियाँ जिनमें मुगल भूमि-वर्ग निहित था—विशेष रूप से विद्वानों (और उनके वंशजों) एवं भारतीयों व इसी प्रकार का मुख्य धार्मिक समुदाय—मुसलमानों एवं हिन्दुओं के अनुयायियों—की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। इन प्रश्नों का—विशेषकर अन्तिम दो प्रश्नों का उत्तर देने में न केवल बत मान मनोभाव वर्ग वर्तमान चेतनाविचार भी बुरे परामर्शदाता सिद्ध होंगे। इसीलिए इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मगकालीन व्यक्तियों द्वारा दिया गया विवरण एवं तथ्यों के आधार पर तथा औरंगजेब के मरण के 1 000 व उसके ऊपर व मनसब के सभी भूमि-वर्गों के जीवन में सम्बन्धित सभी स्रोतों से एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर देने की चपटा का गया है। इन जानकारियों को जब सांख्यिकी रूप में प्रस्तुत किया गया तो अनेक राक्षस सत्य सामने आये जो अध्ययन इस विषय के विद्वानों के सम्मुख कदापि नहीं आ सकते थे। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्यिकी प्रस्तुतीकरण की अपनी स्वयं की दुर्बलताएँ भी हैं। जिन जानकारियों पर यह आधारित है उन्हें न केवल व्यापक ही होना चाहिए वरन् तुलना के लिए जब भी यह जानकारी एक आधाररूप में परिवर्तित की जाय तो उसके लिए विभिन्न प्रतिबंध भी सदैव आवश्यक हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के विषय में सांख्यिक प्रस्तुतीकरण उतना अधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता कि उस ऐतिहासिक माध्यम में अन्तिम प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय किन्तु इसके बावजूद अपने ऐतिहासिक स्रोतों या आधुनिक ऐतिहासिक ग्रन्थकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्याकरणों को रोकने में इसकी महत्ता के साथ-साथ माध्यम के अतिरिक्त माध्यमों के बारे में मुझसे देने के लिए भी इसकी उपयोगिता में शक नही किया जा सकता।

मुगल भूमि-वर्ग का, जमा कि ससक्ति है मनसबदारी प्रथा के ढाँचे में ही समझित किया गया। 'मनसब' प्रथा के अनेक मुख्य तत्वों की आधुनिक शोध



काय द्वारा प्रकाश में लाया जा चुका है। हम जानते हैं कि प्रत्येक अधिकारी के लिए दो मक्यायें निर्दिष्ट की जाती थीं जिन्हें जंगल में गवार कहते थे तथा ये सरकारी श्रेणी में उगता स्थान नियत करती थी। अगर परिश्रम बट भी पाता है (विषयन मोरनण्ड तथा घल्लुन घड़ीज द्वारा) कि 'जंगल-ग' अधिकारी के अतिरिक्त घोड़े के गाय-गाध घनुमोदिता ताजिवाघा व घनुमाग उगत व्यक्तिका वेतन का सागर था धौर जो मनिव टुकटी उग रगनी पट्टी थी सवार' प' उगता निर्धारण करता था धौर 'ग वान का 'गित करता था कि 'ग मनिव टुकटी का रगन व लिए उग रित्तः था रान रूप में लिया जायगा। तर्जि 'गवे परिश्रम धौर भी बहू-कुए यानें घग्गट रग गया है। 'ग घध्य यत का एव महत्वपूर्ण पङ्क्तु यह है कि 'गन घग्गट बागः को अधिव-ग अधिव दूर किया जाय ताकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाय कि वास्तव में धौरगढ़ब के समय में 'गनगवारी प्रथा रित्त प्रकार काय करती थी। मुझ दृग बात का भय है कि दृगम पाठक कनी कनेगलायन मूग्ग विवरणा एव उसभना में न पढ़ जायें। किन्तु 'सकी उगेभा नहीं की जा गानी कथानि घाम'नी तथा धमीर बग के उत्तरत्वायित्य में सम्बन्धित विषय त्रिारी कथा की गया है धारस्मिक नहीं हैं वरन के सम्पूर्ण रूप से हमारे विषय व लिए प्रमुग्ग मन्त्य के हैं।

मुगल धमीर बग घपना वतन या ता नर' या विभिन्न प्रग्गा में नियत निय गय क्षेत्रा जो कि जागीर कहनात थ ग वमूल निय गय राजस्व के रूप में प्राप्त किया करते थे। घनुमाग दन की दृग प्रथा के मू'न तत्त्वा की स्पष्ट व्याख्या के लिए हम मोरनण्ड के श्रेणी हैं। किन्तु जिन गमस्याघा का सामना 'जागीरदारों का राजस्व वमूल वरन तथा प्रदासन में विरोधत सप्रहवी दाना'नी में, करना पडता था उनकी विम्बृत दृग से विवधना की आवश्यकता है। माय ही, किस दृग से सम्राट जागीरदारों की शक्ति का कम करन का प्रयत्न करते थ तथा किस सीमा तक उन्हें दृगम सफलता प्राप्त हुई उसका भी सतवतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हम विरोध रूप में यह देगना है कि धौरगढ़ब के घन्तगत यह प्रणानी घपन गभी मुख्य तत्त्वा में वसी ही थी जसी कि यह उसके पूर्वजा व घन्तगत थी या उसमें कुछ परिवर्तन हुए घथवा उसमें किसी प्रकार के तनाव व लिचाव व विह्व तो श्लिगाचर नहीं हो रहे थ ? वनियर के सुप्रसिद्ध कथन का कि जागीरों के स्थानांतरण करने की प्रणाली से बहुत अत्याधार हो रहा था तथा यह किताना का बर्जाद कर रही थी, जोरदार समघन आजकल के कुछ लेखका ने किया है, धौर धौरगढ़ब के राज्यवाल के साक्ष्य के प्रकाश में इस कथन के परीक्षण करने की आवश्यकता है।

जमादार बग के अस्तित्व का चाह थ सरदारों अथवा भूमि या उसके उत्पादन पर विद्वेष अधिवार धारक के रूप में हा, उम काल के राजनीतिक

समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस वग तथा मुगल अमीर-वर्ग के मध्य सम्बन्धों की छानबीन करने की आवश्यकता है। जमींदारी वग से उत्पन्न होने वाले तत्त्वा का मुगल प्रशासन वग में स्थान एवं प्रशासन-वग का सम्पूर्ण जमींदार वग के प्रति दृष्टिकोण रोचक प्रश्न है जिसके स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है। औरंगजेब के काल में, जमींदारों के नेतृत्व में साम्राज्य के विरुद्ध चतुर्गुण विद्रोहों की व्यापक स्थिति में इन प्रश्नों के उत्तर और भी अधिक महत्ता ग्रहण कर लेते हैं।

औरंगजेब का राज्यकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा। अपने राज्यकाल की अवधि में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के सम्बन्ध में सम्राट ने जो नीतियाँ बनायीं उन्होंने अमीर वग को गहन रूप से प्रभावित किया। वस्तुतः अमीर वग के विभिन्न समुदायों के प्रति सम्राट का दृष्टिकोण असाधारण महत्त्व का है। निःसन्देह राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति, जो कि उसकी धार्मिक नीति के साथ जोड़ दी गयी है अत्यधिक सचिपूण विषय है। प्रस्तुत पुस्तक में इस नीति के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने, उसके विभिन्न साधनों में अन्तर दिखाने एवं उसे उचित ढंग से सामने रखने की चेष्टा की गयी है।

औरंगजेब के अन्तर्गत मुगल राजनीति पर दखल अत्यधिक छाया रहा, तथा दखल में अनुसरण की गयी नीति के प्रति विभिन्न अमीरों का दृष्टिकोण एक अत्यधिक रोचक विषय है। अपने राज्यकाल के अन्तिम पच्चीस वर्षों में औरंगजेब के दखल में उलझे रहने के कारण जबकि उमने स्वयं सम्पूर्ण प्रायद्वीप का व्यावहारिक रूप से विलयित करने का निणय कर लिया था, अमीर-वग के लिए नयी कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं एवं नये अवसर उत्पन्न किये। इनका अध्ययन हमें यह समझने में सहायक हो सकता है कि औरंगजेब के समय ही किस प्रकार अमीर-वग के अन्दर विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

अन्त में, अमीरों के रहन-सहन के ढंग एवं प्रशासन तथा धार्मिक जीवन में उनकी भूमिका का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम स्वीकार करते हैं कि यहाँ व्यक्तिगत उदाहरणों के कारण अनुचित सामाजिकरण होने का खतरा है। समकालीन व्यक्तियों का विस्लेषणात्मक परीक्षण करते समय सन्तुलन बनाये रखने की चेष्टा की गयी है तथा अमीर-वग से सम्बद्ध किसी भी साध्य को केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया गया है कि आज हमारी दृष्टि में वह साध्य पूणतः अनिष्ट या अश्लील है। मुख्यतः दो प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जानी चाहिए—हम किस प्रकार मुगल अमीरों का एक मुगल प्रशासन के अनुमानों के रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं तथा किस सीमा तक अमीर-वग ने अपने श्रेय, पुँजी निवेश या व्यवहार द्वारा धार्मिक विकास में योगदान दिया या बाधा पहुँचायी ?

सोभाग्यवत्, हमारे अध्ययन के लिए मूल ऐतिहासिक सामग्री का भण्डार बहुत ही विशाल है। यह सत्य है कि श्रीरगजेब के प्रथम दस वर्षों के काल को छोड़कर हमारे पास उस प्रकार के राजकीय फारसी ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव है जिनमें हम अक्सर श्रीर शाहजहाँ के राज्यकाल के सम्बन्ध में अत्यधिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। किन्तु प्राथमिक स्रोत, जैसे प्रशासनिक नियमावलियाँ राजकीय अभिलेखा, अथवा वारसत (दरबारा समाचारपत्र) अथवा प्रपत्रों पत्रों आदि के लिए श्रीरगजेब का राज्यकाल बहुत ही धनी है। महत्त्वपूर्ण अतिवृत्त ऐतिहासिक ग्रन्थों श्रीर जीवनचरितात्मन योगों में भी इस काल का वर्णन उपलब्ध है। इनमें से कुछ फारसी स्रोत प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर अधिकांश सामग्री केवल पाण्डुलिपियों के रूप में ही उपलब्ध है। अपनी बहुत एव चिरस्थायी पुस्तक—हिस्ट्री ऑफ़ श्रीरगजेब (मुख्यतः फारसी स्रोतों पर आधारित) में सर ज़दुनाथ सरदार यह दिखा सकने में समर्थ हुए कि किस प्रकार इन प्रपत्रों से अति महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किन्तु उनके बाद से अनेक अनेक अतिरिक्त अभिलेखा का पता लग चुका है तथा ऐतिहासिक विषय के अनेक ग्रन्थों की खोज हो चुकी है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सभी पहलुओं पर अब जानकारी प्राप्त कर सकना सम्भव है।

फारसी साक्ष्य का यूरोपीय पयटकों द्वारा छोड़े गये विवरणों व्यापारिक अभिलेखों अथवा अथवा यूरोपीय व्यापारियों के व्यक्तिगत कागज़ों द्वारा अनुपूरित कर दिया गया है। अंग्रेज़ों के बहुत से महत्त्वपूर्ण विवरण प्रकाशित हो चुके हैं, श्रीर अनेक यूरोपीय पयटकों के विवरण अंग्रेज़ी अनुवादों में उपलब्ध हैं। इससे अतिरिक्त अत्यधिक सख्या में अंग्रेज़ी व्यापारिक तथा व्यक्तिगत प्रपत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। हालाँकि उनके आधारों को देखते हुए इस प्रकार के प्रपत्रों में साधारणतः हमारे विषय से सम्बन्धित प्रासंगिक बातें नहीं मिलती। आजकल यूरोपीय साक्ष्य की महत्ता को कम करने की प्रवृत्ति चल रही है। वस्तुतः, यह सत्य ही है कि विदेशी यात्रियों ने अपने विवरणों या तो जनश्रुतियों के अथवा अपनी निजी जानकारी के आधार पर लिखे हैं अतः हम इन विवरणों का उपयोग करते समय इन ज्ञान प्रकारों के विवरणों में तथा लोनापवाएँ एव तथ्य के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। किन्तु हम इन विदेशी लेखकों का आभारी भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे विषयों का विवरण दिया है जो भारतीय लेखकों के विचारों में सभी को मालूम था या वे उन विषयों को बहुत ही तुच्छ या ध्यान देने योग्य नहीं समझते थे। निःसन्देह हम सत्य के निकट सभी पहुँच सकते हैं जब हम भारत के फारसी स्रोतों और यूरोपीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी को समुक्त करके उनको जाचने परखने तथा उनमें तदात्म्य स्थापित कर सकने में समर्थ हों।

## अमीर-वर्ग की संख्या और उसकी संरचना

(यूमेरिकल स्ट्रेन्थ एंड कम्पोजीशन ऑफ द नोबिलिटी)

### मनसबदारों की संख्या

'मनसबदार' मुगल साम्राज्य का शासक-वर्ग था। लगभग सभी अमीर, प्रशासक तथा सैनिक अधिकारी 'मनसब' धारी ही होते थे। परिणामस्वरूप मनसबदारों का संख्या और विभिन्न कालों में उनकी संरचना न केवल राजनीति तथा शासन को ही प्रभावित करती थी, प्रत्युत साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी उसका गहन प्रभाव पड़ता था। अतः, औरंगज़ेब के राज्यकाल में अमीर वर्ग की स्थिति का उचित मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ग के आकार और संरचना का परीक्षण किया जाये। उस सम्बन्ध में 1,000 और उनके ऊपर के मनसबदारों पर ही बात दिया गया है क्योंकि केवल यही लोग 'अमीर' की उपाधि के अधिकारी थे।

मनसबदारों का कुल योग संभवित केवल दो ही समकालीन विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं। प्रथम विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार शाहजहाँ के राज्यकाल के बीसवें वर्ष में 8,000 मनसबदार थे और 7,000 ग्रहदी और सुसज्जित तापची थे (वे जो सम्राट को प्रत्यक्ष सेवा में थे, अर्थात् सम्राट स्वयं उनकी वेतन देता था)।<sup>1</sup> औरंगज़ेब के राज्यकाल में—सम्भवतः 1690 ई० का कुछ समय पूर्व—मनसबदारों की संख्या (दास-सेवा सहित), तोपचियों और अन्य सेवकों की संख्या 14,449 थी। यद्यपि यह संख्या लाहौरी द्वारा प्रस्तुत संख्या में मिलती-जुलती तो है परन्तु इसमें मनसबदारों की संख्या का उल्लेख पृथक् रूप में नहीं किया गया है। किन्तु इस संभावना की प्रासंगिक पूर्ति सम्राट के सेवकों के वर्गीकरण से हो जाती है, जो इस प्रकार है—नवनी मनसबदारों (अर्थात् जो नवद वेतन पाते थे) की संख्या 7,457 थी और 6,992 जागीरदार थे।<sup>2</sup> यह लगभग निश्चित है कि ग्रहदिया प्राप्ति को नवद वेतन मिलता था और कुछ ही मनसबदारों का नाम नवदी पाने वालों की सूची में था। इसमें यह निष्पत्ति निश्चित हो सकती है कि उक्त संख्या

म वास्तविक मनसबदारों की संख्या (ग्रहणिया आदि के अतिरिक्त) 8000 से अधिक नहीं थी। यदि इस निष्कर्ष का सही मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि मनसबदारों की जायदाद गणना गाहजहाँ व राज्यपाल के बीमबे वष में थी उससे अनुपात में ज्यादाित में उल्लिखित संख्या में कोई विशेष वृद्धि दिखायी नहीं पड़ती। किन्तु चूँकि ज्यादाित में वष का उल्लेख सुस्पष्ट रूप में नहीं किया गया है इस कारण इस तुलना को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। यह बहुत ही सम्भव है कि उसमें प्रस्तुत अतिरिक्त औरंगजेब व राज्यपाल के प्रारम्भिक भाग में नियत गया है।

अतः इस तुलना की अनिश्चित प्रकृति के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम अर्थ सामग्री का महारा लें। इनमें सबसे प्रमुख वह तालिकाएँ हैं जो कि आईन में 200 और उससे उच्च जात तथा लाहौरी एवं वारिस के आदेशों में 500 और उससे उच्च जात के मनसबदारों से सम्बन्धित हैं।<sup>1</sup> आईन की तालिका में अक्टूबर के समय के उन सभी मनसबदारों का उल्लेख है जो उनके राज्यपाल के चालीसवें वष तक (अर्थात् जब आईन की रचना हुई) 200 या उससे उच्च मनसबा पर आसीन थे। लाहौरी न दा तालिकाएँ प्रस्तुत की हैं एक शाहजहाँ के राज्यपाल व प्रथम दराज की और दूसरी द्वितीय दराज की, तथा वारिस की तालिका तीसरे दराज से सम्बन्धित है। इन तीनों तालिकाओं में मनसबदारों के नाम निर्दिष्ट वषों में उनके पदों के अनुसार हैं परन्तु इन तालिकाओं में एम मनसबदारों के नाम भी अंकित हैं जो कि भूतपूर्व दराज में या ता परलोक सिंघार चुके थे या पदच्युत कर दिये गये थे और उनके मनसब भी वही स्थिर रखे जा उनका मृत्यु या पद से हटने के समय थे। अन्तिम तालिका मुहम्मद सादह की है जिसमें शाहजहाँ के दासनवाल के सभी मनसबदारों के नाम उनके द्वारा उच्चतम पद की प्राप्ति के आधार पर दिये गये हैं। प्रत्यक्षत सादह की तालिका लाहौरी और वारिस की तालिकाओं पर आधारित है किन्तु उसने उन मनसबदारों के नाम भी जोड़ दिये हैं जिनकी शाहजहाँ के राज्यपाल के अन्तिम तीन (चन्द्र) वषों में या तो नयी नियुक्ति हुई या पदोन्नति हुई।<sup>2</sup>

दुर्भाग्यवश औरंगजेब के राज्यपाल से सम्बन्धित इस प्रकार की वार्ड भी तालिकाएँ प्राप्त नहीं हैं। इस अभाव की पूर्ति का केवल एक ही उपाय है कि अविशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री में अंकित मनसबदारों और उनके पदों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर ली जाय। सन 1658-78 ई० और 1678-1707 ई० की दो अवधियाँ से सम्बन्धित जो सामग्री में अंकित कर सवा हू वह मैंने एक परिशिष्ट में प्रस्तुत कर दी है। प्रत्येक तालिका में 1,000 या उससे उच्च मनसब के समस्त मनसबदारों के नाम तथा जिस अवधि में उनकी

जो उच्चतम मनसब प्राप्त हुए, अर्थात् वर दिये गये हैं। अतः, दोना तालिकाओं में कई नाम समान रूप में आय हैं। मैं यथाशक्ति तालिकाओं को परिपूर्ण करने का प्रयास किया है और इसके लिए मैं न केवल ऐतिहासिक ग्रन्थों और चरित्तात्मक काशा का सहारा लिया है वरन् अखबारों, पत्र-संग्रहों और अन्य दस्तावेजों की भी छानबीन की है। उच्चतम वर्ग, अर्थात् 5,000 या उससे उच्च जात वाले अमीरों का तालिकाएँ तो सम्भवतः पूर्ण हैं। किन्तु दो निम्न वर्गों अर्थात् 1,000 से 2,700 जात के मनसबदारों की सख्या सन् 1658-78 ई० की तालिका में सन् 1679-1707 ई० की तालिका की अपेक्षा सम्भवतः अधिक पूर्ण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मुहम्मद काजिम द्वारा रचित राजकीय इतिहास आलमगीरनामा में औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम दशक के 1,000 जात और उसके ऊपर के मनसबदारों की पदी-नति का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त हमारे पास कोई भी तुलनात्मक स्रोत नहीं है, और यह भी सम्भव है कि आधारभूत ग्रन्थों में निम्न श्रेणी के मनसबों का उल्लेख ही नहीं किया गया हो। अतः, सन् 1679-1707 ई० की तालिका में 3,000 से लेकर 4,500 जात के मनसबदारों की सख्या में कुछ वृद्धि की तो अवश्य आवश्यकता हो सकती है किन्तु 1,000 से 2,700 जात के मनसबदारों की सख्या वास्तविक सख्या से सम्भवतः बहुत ही कम है।

उपरोक्त तालिकाओं की रूपरेखा की लाहौरी और चारिस की तालिकाओं से प्रत्यक्ष तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित अवधि से सम्बंधित हैं। अधिकांशतः यह आईन और सालेह की तालिकाओं के ही समान हैं। मनसबदारों की एक तुलनात्मक तालिका, जो आईन व सालेह की तालिकाओं पर आधारित है, मैं बनाई है, और यह तालिका नीचे दी गयी है—

	आईन	सालेह	1658-78	1679-1707
सम्राट व पुत्र व पौत्रों के अलावा मनसबदार	अखबार के राज्यकाल के 40 वर्ष	शाहजहाँ के राज्यकाल के 30 और वर्ष	(21 वर्ष)	(29 वर्ष)
5,000 और उससे उच्च	29	49	51	79
3,000 से 4,500	30	88	90	133
1,000 से 2,700	74	300	345	363
योग	133	437	486	575

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अकबर के राज्यकाल के चालीसवें वर्ष और शाहजहाँ के राज्यकाल के तीसवें वर्ष के मध्य मनसबदारा की सभी श्रेणियाँ की सख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी।<sup>6</sup> परन्तु यहाँ हमारा सम्बन्ध विशेष रूप से सालह की तालिका तथा औरंगज़ेब के मनसबदारा की दो तालिकाओं के मध्य अन्तर से है।

यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जहाँ शाहजहाँ के राज्यकाल के तीस वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में 5 000 जात व उससे उच्च के मनसबदारा की सख्या केवल 49 ही थी, औरंगज़ेब के राज्यकाल के प्रथम बीस (सौर) वर्षों में यही सख्या 51 हो गयी। औरंगज़ेब के राज्यकाल के प्रथम बीस वर्षों में, मनसबदारों की अर्ध दो श्रेणियाँ अर्थात् 3 000 से 4 500 और 1 000 से 2,700 की सख्या अपेक्षाकृत अधिक तो है परन्तु दोनों की दशाओं में यह अन्तर प्रचुर नहीं है।<sup>7</sup> सम्भवतः यह वृद्धि औरंगज़ेब द्वारा उत्तराधिकार के युद्ध के मध्य और तत्पश्चात् अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियों के कारण हुई। शाहजहाँ की स्थिति सिंहासनारोपण के समय अपेक्षाकृत अच्छी थी और उसका मनमवा में अपेक्षाकृत कम वृद्धियाँ करनी पड़ी जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है—

#### प्रदत्त अतिरिक्त मनसब

(यह आँकड़े जात व सवार मनसबा में कुल मिला कर की गयी वृद्धि इंगित करते हैं।)

	शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रथम दश वर्ष	औरंगज़ेब के राज्यकाल के प्रथम दो वर्ष
जात	43 500	89 000
सवार (दो अस्पा सह अस्पा का दुगना करके गणना की गयी है)	44 420	54 000 <sup>8</sup>

तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगज़ेब ने अपने राज्यकाल के अगले आठ वर्षों में पदोन्नतियाँ करने में रोक लगा देने की चेष्टा की जैसा कि आलमगीरनामा पर आधारित नीचे दी गयी तालिका द्वारा स्पष्ट है।

प्रदत्त मनसदो का योगफल

वष	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
जात	89 000	17 700	10 900	5 000	7 200	1 100	10 500	20 500	10 000
सवार	54 000	16 450	7,550	5,230	8 700	17 550	2 400	1 400	5 770

सम्भवत जो रोक प्रति वष पदानति पर लगनी रही उसी के फलस्वरूप हम सम्पूर्ण अवधि मे, शाहजहाँ के समय के मनसबदारो की सख्या की तुलना मे अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके विपरीत, मनसबदारो, अहमदिया इत्यादि के जो आँकड़े जवाबित ए आलमगोरी मे उल्लिखित हैं सम्भवत वह औरंगजेब के राज्यकाल की प्रथम अवधि (1658 78 ई०) के अन्तिम वर्षों मे से किसी एक वष के ही हैं।

परन्तु आगामी अवधि (1679 1707 ई०) मे मनसबदारो की कुल सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई। यद्यपि यह अवधि पूर्व अवधि से आठ वष अधिक है, परन्तु केवल यही तथ्य मनसबदारो की सख्या मे वृद्धि का एकमात्र कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जबकि शाहजहाँ के समस्त ततीस वष के राज्यकाल मे 5 000 और उसके ऊपर के मनसबदारो की सख्या प्रथम बीस-वर्षीय राज्य काल की अवधि—जिसमे यह सख्या 47 थी—की तुलना मे 49 थी,<sup>9</sup> यह अन्तर औरंगजेब के प्रथम इक्कीस वर्षीय अवधि मे 51 से बढ़ कर आगामी उनतीस वर्षीय अवधि मे 79 हो गयी जो 56 प्रतिशत वृद्धि दिसलाता है। इसी प्रकार 3 000 से लेकर 4 500 के मनसबदारो की सख्या 90 से 133 हो गयी, अर्थात् उसमे 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तृतीय श्रेणी—अर्थात् 1,000 से 2,700 के मनसबदारो मे कम वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इनकी सख्या 345 से बढ़ कर 363 हो गयी, सम्भवत इसका कारण यह हो सकता है कि आधारभूत ग्रन्थकारो ने इस श्रेणी के सभी मनसबदारो का उल्लेख नहीं किया है।

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनसबदारो की सख्या मे वास्तविक वृद्धि, विशेषकर उच्च श्रेणी मे, औरंगजेब के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों मे उस समय हुई जब उसने समस्त दखन को बिलय करने की योजना कार्यावित कर दी थी और मराठा के विरुद्ध अनन्त युद्ध भी उस आरम्भ करना था। ऐसी दशा मे अधिकाधिक सख्या मे न केवल मराठा और दखनी अमीरो की भर्ती ही हुई वरन् उनमे से अनेक की पदोन्नति भी हुई, कभी तो सत्तोप जनक सेवा के कारण परन्तु मुख्यतः दल बदलन के लिए लालच के रूप में। इस प्रकार मनसबदारो की सख्या इतनी बढ़ गयी कि उनको जागीरें प्रदान करना भी कठिन हो गया।<sup>10</sup> दशा इतनी नाजुक हो गयी कि सम्राट और उसके



मन्त्री कभी कभी यह भी विचार करने लगे थे कि नयी भर्ती एकदम बन्द कर दी जाय,<sup>11</sup> परन्तु परिस्थितिवश यह इस विचार को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहे।

### अमीर-वर्ग की संरचना

सद्दान्तिक रूप में मुगल अमीर-वर्ग सम्राट की ही रचना थी। केवल उसको ही अपनी प्रजा को मनसब प्रदान करने उसमें उन्नति करने या भ्रवणति करने या उसको ज्वल करने का एकाधिकार प्राप्त था। परन्तु यह धारणा कि मुगल अमीर वर्ग में कोई व्यक्ति योग्यता के किसी निधारित मापदण्ड की पूर्ति करके अमीर सम्राट को सन्तुष्ट करके सम्मिलित हो सकता था, भ्रामक है। मनसबदार केवल जनसेवक ही न थे वरन् साम्राज्य के सम्पन्नतम एवं कुलीन-वर्ग के सदस्य होते थे तथा इस विशिष्ट वर्ग में साधारण व्यक्ति, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो, सामान्य रूप से प्रवेश पाने का अधिकारी न था।

### खानाज़ाद

अमीरों की नियुक्ति के समय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विचारणीय तथ्य वंश की कुलीनता थी। खानाज़ाद अर्थात् मनसबदारों की सत्तानें या उनके वंशज<sup>12</sup> ही इस वर्ग में प्रविष्ट होने के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी समझे जाते थे। यह कथन इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 1658-78 की अवधि में 486 एक हजारों या उससे उच्च पद के मनसबदारों में से 213 या तो मनसबदारों की सन्तान थी या वंश द्वारा निकट सम्बन्धी (केवल विवाह द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को छोड़ कर) ही थे। इसी प्रकार सन 1679-1707 की अवधि में एम मनसबदारों की संख्या 575 में से 272 थी। नीचे विवरण निम्नांकित सारिणी में प्रस्तुत है—

अ—1658-78

जात	मनसबदारों की कुल संख्या	खानाज़ाद	प्रतिशत
5000 जात और उससे उच्च	51	25	49
3000 जात से 4500	90	61	68
1000 जात से 2700	345	127	37
योग	486	213	44

व—1679-1707

जात	मनसबदारा की कुल सख्या	खानाजाद	प्रनिशान
5000 जात और उससे उच्च	79	24	30
3000 से 4500	133	70	53
1,000 म 2,700	363 <sup>13</sup>	178	49
योग	575	272	47

उपयुक्त आँकड़ा को देखने से यह स्पष्ट है कि दाना ही अवधिया में अमीर वर्ग में खानाजादा की सख्या आधे से कुछ ही कम थी। परन्तु 1679-1707 की अवधि में सम्भवतः उनकी सख्या का अनुपात भ्रमात्मक है। यह स्मरणीय है कि उच्चतम श्रेणी (5000 और उससे उच्च) के मनसबदारों की कुल सख्या में, जिसके बारे में हमारी जानकारी अधिक पूर्ण है उनका अनुपात गिर कर 51 में से 25 और 79 में से 24 हो गया था। जब हम निम्न श्रेणियों पर आते हैं तो उनका अनुपात बढ़ जाता है, किन्तु निम्न श्रेणियों की हमारी सूचियाँ उतनी पूर्ण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे इतिहासकारों का ध्यान उन समान श्रेणी वाले मनसबदारों, जिनका सम्बन्ध किसी सुप्रसिद्ध परिवार से न था, की अपेक्षा उन मनसबदारों की ओर अधिक गया जो विभिन्न अमीरों के वंशज थे। एक सम्बन्धीन लेखक ने तो एक विस्तृत उद्धरण में इस बात पर ध्यान भी प्रकट किया है कि इस अवधि में नयी नियुक्तियों की बाढ़ ने, विशेषतः से दक्खिनिया की नियुक्तियों ने खानाजादा को एक ओर धकेल दिया है।<sup>14</sup>

### जमींदार

कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अमीर-वर्ग का अधिकांश भाग वंशानुगत अधिकार के आधार पर भर्ती किया जाता था, परन्तु उससे कुछ अधिक सख्या उन लोगों की थी जिनका कोई भी सम्बन्ध उन व्यक्तियों के परिवारों में न था जिनके पास मनसब थे। इस प्रकार के व्यक्ति विभिन्न वर्गों से सम्बद्ध थे। उनमें से अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो भू-सम्पदा की दृष्टि से श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली थे। इस वर्ग में साम्राज्य के सामन्त या जमींदार थे। यद्यपि जमींदारों का राज्य ने अधिकारियाँ की श्रेणी में सम्मिलित कर मुगलों ने कोई नयी बात नहीं की,<sup>15</sup> परन्तु यह सत्य है कि अक्सर न अधिकारिक जमींदारों

और उनके सम्बन्धिया को मनसब प्रदान कर इस वर्ग को अधिक महत्त्व प्रदान किया। उनकी पैतृक सम्पदा उनके पास ही रहने दी गयी, जिस उनकी 'वतन जागीरों' समझा गया, परन्तु सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में साधारण जागीरों प्रदान की गयी।<sup>16</sup> औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम भाग (1658-78) में 486 उच्च अधिकारियां कम-संख्य में 68 अधिकारी ऐसे थे जो जमींदार भी थे। 1679-1707 में 575 मनसबदारों में से 81 जमींदार भी थे। परन्तु इनमें से प्रथम अर्ध में 29 जमींदारों और द्वितीय अर्ध में भी इतने ही ऐसे जमींदारों को नये मनसब दिये गये जिनके पूर्वज किसी मनसब पर नहीं रहे थे। निम्नलिखित सारिणी<sup>17</sup> में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है—

## अ—1658-78

	कुल मनसबदार	कुल जमींदार	जमींदार जिनके पिता या निवृत्तम सम्बन्धी पहले से ही मनसबदार थे	अन्य जमींदार
5 000 जात और उससे ऊपर	51	7	5	2
3,000 जात से 4 500	90	11	10	1
1,000 जात से 2 700	345	50	24	26
योग	486	68	39	29

## ब—1679 1707

5 000 जात और उससे ऊपर	79	15	6	9
3 000 जात से 4 500	133	20	13	7
1 000 जात से 2,700	363	46	33	13
योग	575	81	52	29

### अथ राज्यों से आने वाले अमीर

इनके अनिश्चित अथ राज्यों के अमीर एव उच्च अधिकारी भी थे, जिन्हें उनके अनुभव, स्तर एव प्रभाव के कारण या इसलिए कि उनके नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियाँ थीं तथा उनके नियंत्रण में प्रदेश थे उन्हें मुगल अमीर वगैरे में स्थान दिया गया। बसरा के आदामन गवर्नर, हुसैन पाशा, जिस हिन्दुस्तान में आने के पश्चात् शीघ्र ही मनसब प्रदान किया गया इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण था। ईरानिया, चंगताइया तथा उज्बेग अमीरों के लिए हिन्दुस्तान सदैव ही स्वर्ण-देश था, जहाँ शीघ्रतापूर्वक भाग्योदय हो सकता था। दक्खन में सैनिक गति-विधियों के कारण आवश्यकता इस बात की थी कि शान्ति एव युद्ध दोनों ही में स्वतंत्र राज्यों के अमीरों तथा अधिकारियों को अधिकधिक सख्या में मुगल के पक्ष में कर लिया जाये। उन्हें अपने राज्यों के साथ विद्रोहप्रसक्त करने के लिए ऊँचे-स-ऊँचा मनसब देना अति आवश्यक था। इस प्रसंग का अत्युत्तम उदाहरण मीर जुमला है, वैसे लगभग सभी दक्खनी मनसबदार, चाहे वे बीजापुरी, हैदराबादी या मराठे ही क्या न हों, इसी श्रेणी में आते हैं।<sup>12</sup>

मुगल अमीर-वगैरे में बहुत ही थोड़े एम लागो की भर्ती की गयी थी जिनका कोई भी सम्बन्ध कुलीन वगैरे से न था, लेकिन वे विशेषतया या तो प्रशासक थे या लेखापाल थे। यह लोग लेखापाल जातियाँ—खनी, कायस्थ आदि के सदस्य होते थे। साधारणतया इन लोगों की नियुक्तियाँ वित्तीय विभागों में अधिकारियों या लिपिकों के पदा पर हुआ करती थी और उन्हें निम्न श्रेणी के मनसब मिलते थे।<sup>13</sup> परन्तु उनमें से कुछ न उच्च पदा पर भी उन्नति की। अकबर के काल में ऐसा एक उदाहरण राजा टोडरमल का है। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में दीवान राजा रघुनाथ ने मुख्यतः वित्त विभाग में ही कार्य करके 3 000/700 के मनसब तक उन्नति की। औरंगजेब के अमीरों की हमारी सूचियाँ में मनसबदारों का यह वर्ग 'अथ हिन्दुआ'—अर्थात् राजपूतों तथा मराठों के अनिश्चित हिन्दुआ—में सम्मिलित किया गया है। 1658-78 की अवधि में 1,000 और उससे उच्च जात के 486 मनसबदारों में से केवल 7 अन्य हिन्दू थे। 1679 से 1707 की अवधि में 575 में उनकी सख्या बढ़ कर 13 हो गयी।

अन्त में, मनसब की विभिन्न श्रेणियों की शिक्षाविदा धार्मिक व्यक्तिगत, विद्वानों आदि को भी प्रदान की जाती थी। अकबर के समय में अरुन फजल तथा ग्राह जहाँ के समय में सादुल्लाह खाँ और दानिगमद खाँ को अपनी विद्वत्ता के कारण उच्च मनसब प्राप्त हुए थे। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में मन्त्री फजिल खाँ भी 5 000/2,000 का मनसबदार था। शाहजहाँ द्वारा पदवी प्राप्त होने के पूर्व उसका नाम हकीम-उल मुल्क सूती था तथा वह एक चिकित्सक व

विद्वान था। स्वयं औरगज़ेब न जिन व्यक्तियों की नियुक्ति विभिन्न सेवाओं के लिए अमीर वर्ग में की, उनमें से मुग़ी नाविल खाँ (1000/70) तथा इनायत उल्लाह खाँ बश्मीरी (2,000/250) थे। कुछ धर्मशास्त्रियों एवं पुनीत विद्वानों को भी मनसब दिये गये थे।<sup>9</sup>

### जातीय एवं धार्मिक वर्ग

मुगल अमीर वर्ग में, बाबर और हुमायूँ के शासनकाल तथा अकबर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में अपने विकास के प्रथम चरण समाप्त होने के उपरान्त कुछ विशेष मायता प्राप्त जातीय-वर्ग थे। उनमें तूरानी (मध्य एशिया के निवासी), ईरानी (फारस के निवासी) अफगान, शेखजादे (भारतीय मुसलमान जिसमें अनेक उप वर्ग भी सम्मिलित थे) तथा राजपूत इत्यादि सम्मिलित थे। बाद में सत्रहवीं शताब्दी में मुगल शक्ति के दखन में बढ़ने के साथ-ही साथ दखनियों, अर्थात् बीजापुरियों, हैदरावादियों तथा मराठानों भी उसमें प्रवेश करना प्रारम्भ किया। चन्द्रगण ब्राह्मणों ने, जिसने शाहजहाँ के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में अपने ग्रन्थ की रचना की, मुगल अमीर वर्ग की मिथित प्रकृति का बहुत ही रोचक विवरण दिया है—

अरब, ईरानी, तुर्क, ताजिक, कुद, लारी, तातार, रूसी इत्यादि विभिन्न जातियाँ तथा रुम (तुर्की), मिस्र सीरिया ईराक, अरब, फारस, गिलान, मजदरान खुरासान सीस्तान ट्रांसऑक्सियाना, खारिज़म, किपचक की महभूमि, तुर्किस्तान गरीजिस्तान कुरदिस्तान जस देगा के विभिन्न वर्गों एवं प्रत्येक जाति के लोगों में शाही दरबार में शरण ली है तथा हिन्दुस्तानिया के विभिन्न वर्गों के विद्वान एवं कुशल मनिका उदाहरणार्थ बुखारी और भक्करी, समुचित वंश के सैयद कुलीनवर्ग के शेखजादे अफगान कबीले (उलूसत) जैसे लोदी, रोहिला स्वदेशी मुसुफजई अफगान तथा राजपूतों के कुल (सम्बाधित) राना राजा, राव और रायान जस राठौर सिसोदिया कछवाहा, हारा, गौड़, चौहान भाला चन्द्रावत, जादीन तोवर बघला बश्य, बडगूजर पनवार, भदौरिया, सोनकी बुन्देला भेखावत और हिन्दुस्तान के अग्र लोग जस कि धक्कर बगाह खाखर बलूच जातियाँ तथा अन्य जातियाँ, कलम तथा तलवार के धनी 7000 से 1000 तथा 1000 से 100 तथा 100 से अर्हदी पदों पर आसीन हैं तथा रंगिस्तान एवं पहाड़ों के जमींदार तथा साम्राज्याधीन कर्नाटक बगाल आसाम उदयपुर, श्रीनगर, कृमाय, बाघा निब्रत, और किस्तावर अफगान प्रदेशों से उनके सम्पूर्ण समूह एवं वर्ग न शाही दरबार की चौखट चूमने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया है।<sup>1</sup>

यह सभी तत्त्व ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप, किन्तु कुछ सीमा

तक (विशेषतः राजपूत) योजनाबद्ध शाही नीति के परिणामस्वरूप मुगल सेवा में सम्मिलित कर लिए गए थे। ऐसा ज्ञात होता है कि अकबर की नीति इन सभी तत्वों को शाही सेवा में लेकर उनका समाकलन करना था। अकबर वह विभिन्न वर्गों के अधिकारियों को एक उच्च अधिकारी के अन्तर्गत सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया करता था। लेकिन साथ-ही-साथ प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत अथवा उसकी पृथक् प्रवृत्ति का ध्यान रखा जाता था। प्रशासन ही विनियमित किया करता था कि जिस अनुपात में अमुक मनसबदार अपनी ही जाति अथवा कुल के लोगों का भर्ती करेगा।

इस प्रकार बड़ा विविधता में एकता थी, और विविधता में तनाव उत्पन्न करने की क्षमता थी। इसी तनाव पर 1581 ई० में मिर्जा हकीम ने अपनी आशाएँ बेदिली की थी। उसे यह आशा थी कि अकबर की सेना के ईरानी व तूरानी लोग उसका पक्ष में हो जायेंगे तथा राजपूतों व अफगानों को भीत के घाट उतार दिया जायेगा तथा अरब हिन्दुस्तानी पकड़ लिए जायेंगे।<sup>2</sup> अकबर की सुलह कुल की नीति, कुछ सीमा तक, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, सुन्नियो (तूरानिया तथा अफगानों के शेरजाद), शिया (अरब ईरानियों को मिला कर) और हिन्दू (राजपूत) तत्वों को शाही सेवा में लेने और उनके धार्मिक मतभेदों का सिंहासन के प्रति उनकी स्वामिभक्ति में हस्तक्षेप करने की इच्छा से प्रेरित थी।<sup>3</sup> जहाँगीर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में, कम-से-कम मिर्जा अजीज कोका ने तो ऐसा साक्षात् किया कि सम्राट चंगताइया (तूरानिया) और राजपूतों व विरुद्ध था तथा वह आवश्यकता में अधिक खुरासानिया (ईरानिया) और शेरजादों<sup>4</sup> के प्रति दृष्टान्त था। परन्तु इस बात के लिए कोई भी विश्वासोत्पत्तिक माध्य उपलब्ध नहीं है।<sup>5</sup>

कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि अमीर वर्ग के विभिन्न वर्गों में कुछ सीमा तक पारस्परिक द्वेष भावना विद्यमान थी। औरगजेब के अमीर वर्ग ने इन दोनों ही परम्पराओं के अतिरिक्त बमनस्य एक अविश्वास तथा सिंहासन के प्रति सामान्य निष्ठा से उत्पन्न प्रबल एकता की भावना को पूर्ववर्ती अमीर वर्ग से प्राप्त किया होगा। अगले पृष्ठों में इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि औरगजेब के अन्तर्गत इन सभी तत्वों में प्रत्येक की क्या स्थिति रही? हम यह बात करने की चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार सम्राट ने अमीरों के भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रति सतततापूर्वक योजनाबद्ध नीति का अनुसरण किया और उनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य में परिवर्तन से अमीर वर्ग की एकात्मकता एवं समृद्धता तथा सम्पूर्ण साम्राज्य पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई?

### विदेही अमीर-बग

फाईन म ही ली गयी मनसबदारा की सूची पर टिप्पणी करते हुए मोरलण्ड ने कहा है कि लगभग 70 प्रतिशत अमीर, जिनके बग के बारे में बात है विदेही में और उनका सम्बन्ध उन परिवारों से था जो जाया तो हुमायूँ के साथ हिन्दुस्तान आये थे या अकबर के मिहाननारोहण के पश्चात् दरबार में आये।<sup>27</sup> बाह्य दंगों से आये हुए परिवारों में सम्बन्धित मनसबदारों का यह उच्च अनुपात अकबर के उत्तराधिकारियों में अन्तर्गत भी बना रहा। इस प्रकार घोरगजेब के राज्यपाल के प्रारम्भिक वर्षों में अमीर बग का विवरण दत्त हुए बर्नियर ने लिखा है कि यह 'उज्ज्वला ईरानिया अरबा तथा तुर्कों या उनके बगजा का समूह है। अन्यत्र उमन निम्ना है कि अमीर विभिन्न दंगों के महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो एब-दुमरे को दरबार में आने के लिए प्रलोभित करते हैं।<sup>28</sup> किन्तु सही अर्थों में विदेही में आने वाले उन आप्रवासियों के बगजा का जो कई पीढ़ियाँ पूर्व यहाँ आ चुके थे तथा जिनका अब अपन दंग से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया था हम विदेही नहीं मान सकते।<sup>29</sup> किन्तु हम यदि उन्हें विदेही मान भी लें तो भी बर्नियर का कथन घोरगजेब के राज्यपाल के प्रारम्भिक वर्षों के लिए केवल कुछ ही अंग तक सत्य सिद्ध होगा। घोरगजेब के राज्यपाल के अमीरों की सूची के आधार पर बनायी गयी तालिकाओं से यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 1658-1678 में 1000 जात तथा उसके ऊपर के मनसबदारों की कुल संख्या 417 में से जिनके बग का निर्धारण किया जा सकता है 202 अर्थात् आधे से भी कुछ कम विदेही थे, और उनमें से 55 ऐसे थे जिनके बारे में यह मालूम है कि उनका जन्म हिन्दुस्तान के बाहर ही हुआ था। 1679-1707 में 1000 जात और उसके ऊपर के 482 मनसबदारों में से जिनके बग का निर्धारण किया जा सकता है 197 विदेही थे और इसमें से 46 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुआ था।<sup>30</sup> इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि अकबर के काल से ही विदेही से सीधे आने वाले अमीरों की संख्या में सुस्पष्ट गिरावट हुई और घोरगजेब के दीर्घकालीन राज्यपाल के विद्वानों की प्रत्यक्ष नियुक्तियों में और भी तीव्र गति से ह्रास हुआ जसा कि प्रथम अवधि की अपेक्षा द्वितीय अवधि में विद्वानों में जन्म लेने वाले अमीरों की कम आनुपातिक संख्या से स्पष्ट प्रतीत होता था। यदि केवल उच्च मनसबों के सम्बन्ध ही में विचार किया जाय तो यह ह्रास और भी अधिक असाधारण प्रतीत होता है। 1658-78 में 5000 और उसके ऊपर के 51 मनसबदारों में से कम से कम 32 विदेही थे जिनमें से 15 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुआ था जबकि लो के बग का निर्धारण नहीं किया जा सका है। 1679-1707 में 5000 और उसके ऊपर के 66 मनसबदारों जिनके बग का निर्धारण किया जा

सकता है, मे से 20 विदेशी थे तथा इनमे से केवल 6 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुआ था।<sup>21</sup>

इस ह्रास के विभिन्न कारणों को इंगित किया जा सकता है। उज्ज्वेग व सफवी साम्राज्य पहले की अपेक्षा अब उतने शक्तिशाली नहीं रह गये थे, परिणाम स्वरूप उन देशों से प्रशासनिक अनुभव रखने वाले एक प्रतिष्ठा प्राप्त अमीरों ने पहले की सी सख्या में मुगल अमीर वग में नियुक्ति के लिए आना बन्द कर दिया। इसके अतिरिक्त अपने राज्यकाल में औरगजेब की शक्ति अधिकांशतः पखन पर ही लगी रही। अतएव अपने पिता एक प्रपितामह की भाँति उसकी कभी भी यह अभिलाषा न रही कि वह उत्तर पश्चिम में अग्रवर्ती या सयवादी नीति का अनुसरण करे। उसके लिए सम्भावनीय न था कि वह तूरानी तथा ईरानी अमीरों को विशिष्ट प्रयोगों द्वारा अपने स्वामियों को छोड़ने के लिए आलायित करता।

इसके विपरीत ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि औरगजेब ने कभी भी जाब बूम्बर अमीर वग का 'भारतीयकरण' करने का प्रयास किया हो। यह 'भारतीयकरण' किसी सकल्पित नीति के कारण नहीं बरत केवल ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ही हुआ। वास्तव में कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि औरगजेब के समय में भी अमीर वग में विदेशी एवं स्थानीय तत्वों में भेद बनाये रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बना ली गयी थी कि उन कुला की अपेक्षा जो कि हिन्दुस्तान ही के निवासी थे, ईरानिया व तूरानिया को ही प्रतिष्ठित पदों पर होना चाहिए। इस प्रकार मिर्जा राजा जय सिंह ने जो कि स्वयं एक राजपूत अमीर था इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि औरगजेब न दखन के दुर्गों के दुर्गाध्यक्षों के पदों पर उसके द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों जो अपने नामों में ईरानी व तूरानी प्रतीत होते थे, को नियुक्त करने की अपेक्षा उक्त पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त करना पसन्द किया जो हिन्दुस्तान ही में उत्पन्न कुला से सम्बंधित (हिन्दुस्तानी जात) सैय्यन्, मुगल तथा शकजादे (हिन्दुस्तानी मुसलमान) और राजपूत थे।<sup>22</sup> इस प्रकार के चेतोविकार की भनक मुगल अधिकारियों की उस परम्परा में मिलती है जिसका उल्लेख बनियर न किया है कि वे कश्मीरी स्त्रियों में विवाह करते थे ताकि 'उनके बच्चा का रंग हिन्दुस्तानिया से भी खुला हो और वे पूल भणोल ही समझे जा सकें।'<sup>23</sup> परन्तु इस प्रकार के चेतोविकार के बारे में अभय सकेता के अभाव में यह अभिधारणा बना लेना आपदापन होगी कि केवल जन्मभूमि के आधार पर विदेशिया और हिन्दुस्तानियों में गहन ईर्ष्या थी अथवा सघष था।



## तूरानी व ईरानी

तथाकथित विदेशियों में अधिकांश तूरानी व ईरानी सम्मिलित थे। 'तूरानी' शब्द का प्रयोग मध्य एशिया जहाँ तुर्की भाषा वाली जाती थी, से ग्रहण वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता था। इस तथ्य के बावजूद भी, कि श्रीरगजेव के अधिकारियों के मध्य को पूर्णतया ईरानियों एवं तूरानियों के मध्य की मना नहीं दी जा सकती इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय इरानी-तूरानी गुट भावना विद्यमान थी या उसका उपयोग सकीण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अतएव ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी वगैरह ईरानियों व तूरानियों के अनुपात का परीक्षण करना आवश्यक होगा। शासक परिवार के स्वयं तूरानी हान के कारण कोई भी व्यक्ति यह सहज ही साच सकता है कि विदेशी अमीर वगैरह तूरानियों का गुट प्रबल रहा होगा किन्तु बात ऐसी नहीं थी। बर्नियर ने लिखा है कि दरबार में पूर्वकाल की भाँति मूल मुगल नहीं रहे हैं तथा श्रीरगजेव के अमीरों की सूचियाँ उसके कथन की पुष्टि करती हैं। 1658-78 में 1000 और उसके ऊपर के 486 मनसबदारों में से 67 तूरानी थे जबकि 1679-1707 में 575 में उनकी संख्या केवल 72 ही थी।<sup>34</sup> अर्थात् पहली अवधि में कुल अमीरों में 13.7 प्रतिशत और दूसरी अवधि में 12.5 प्रतिशत तूरानी थे। सम्भवतः श्रीरगजेव के राज्यकाल के बहुत पूर्व तूरानियों की संख्या में ह्रास हो चुका था। हम पहले ही देख चुके हैं कि जहाँगीर पर तूरानियों के विरुद्ध होने का आरोप लगाया जा चुका था। यह बात ध्यान में रखने की है कि उजबेक साम्राज्य का पतन सफ़रियों के पतन से बहुत पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। इसके अनिश्चित तूरानी विरोध बढ़ते-बढ़ते, हिंदुस्तान में असम्य और गवार समझे जाते थे।<sup>35</sup> श्रीरगजेव के दरबार के एक अमीर ने तो सम्राट की उपस्थिति में यहाँ तक कह दिया था कि एक तूरानी की बात पर सभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता जिस पर उस मामूली सी भ्रमना के साथ यह बताया गया कि उस पर यहाँ रखना चाहिए कि उसका सम्राट भी एक तूरानी ही है।<sup>36</sup>

## ईरानी

हिरात से लेकर बगदाद तक फारसी बोलने वाले लोग अर्थात् आधुनिक फारस की सीमा में रहने वाले सभी निवासी तथा अफगानिस्तान एवं ईराक के उन भागों के निवासी जहाँ फारसी बोली जाती है ईरानी कहे जाते थे इन्हें ईराकी तथा खुरासानी भी कहा जाता था। अजीज कोका के पत्र जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है से पता होता है कि तूरानियों और ईरानियों में अनेकों पीढ़ियों में पारस्परिक वमनस्थ था। यह सत्य है कि तूरानी साधारणतः

सुनी तथा ईरानी अधिकांशतः शिया<sup>37</sup> हुआ करता थे, लेकिन उनके पारस्परिक वमनस्य को कभी-कभी धार्मिक रंग प्रदान कर दिया जाता था। ईरानी औरों से अधिक सुसंस्कृत व सम्य समझे जाते थे तथा उन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के ही अन्तर्गत विगिष्ट कृपा प्राप्त की थी। यह कहा गया है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने सुनियों को शियाओं के विरुद्ध खड़ा किया,<sup>38</sup> किन्तु यह कथन आधाररहित है। 1,000 तथा उससे ऊपर के 124 अमीरों में से, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने सामूहिक के युद्ध तक औरंगजेब का साथ दिया, 27 ईरानी थे, और उनमें से चार 5,000 जात व उसके ऊपर के मनसबदार थे। इसके विपरीत दाराशिकोह के 87 समयका म म 23 ईरानी थे।<sup>39</sup> कुछ भी हो, प्रमुख ईरानी अमीरों में से भीर जुमला तथा शायस्ता या औरंगजेब के ही समयक थे। इसी प्रकार बनियर का कथन कि शाहजादा शुजा को ईरानिया का समयन प्राप्त था सारहीन है।<sup>40</sup> 1,000 जात व उससे ऊपर के उसके 90 समयका में से केवल एक ही ईरानी था।<sup>41</sup>

इस प्रकार, औरंगजेब की विजय का ईरानिया की स्थिति पर कोई भी प्रभाव न पड़ा। बनियर के अनुसार विदगी अमीर वग में 'अधिकांशतः' इरानी थे। तथा टबनियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में सर्वोच्च पदा पर ईरानी आसीन थे।<sup>42</sup> इस कथन की पुष्टि आकड़ा से भी की जा सकती है। 1658-1678 में 486 मनसबद्वारा में से 136 ईरानी थे जबकि तूरानी मात्र 67। 1679-1707 में भी ईरानियों की सख्या अधिः ही रही—575 की कुल सख्या में 126। सर्वोच्च पद की श्रेणी में, 1657-78 में 23 ईरानी 5,000 व उससे अधिः के मनसब पर थे और 1679-1707 में 14, जबकि तूरानियों की सख्या क्रमशः 9 और 6 थी।

दक्खन के राज्यों में काफी सरया में ईरानियों के सेवा रत रहने के कारण भी ईरानी कुछ सीमा तक अपनी स्थिति को बनाये रख सके। दक्खन में ईरानी दीर्घकाल से प्रभावशाली थे,<sup>44</sup> मुगल सेवा में दक्खन से प्रवेश करने वाले ईरानिया का एक उदाहरण भीर जुमला का है। यह कहा जाता है कि औरंगजेब को फारस के एक प्रांत स्वाफ से आये हुए अधिकारियों, जिन्हें उसके राज्य काल में अत्यधिक मान सम्मान मिला, पर अत्यधिक विश्वास था।<sup>45</sup> सम्राट की सुनी कट्टरता के कारण भी ईरानिया की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। उसने एक बार बन्शी के पद पर एक व्यक्ति के नियुक्त किये जाने के अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उक्त पद का पदग्राही एक शिया था।<sup>46</sup>

### अफगान

मुगल घमीर-वग म अफगाना का वन्त ही विच्छिन इतिहास था । वास्तव मे उहें विनेगी घागन्तुप गही माना गा मवना वयोकि उनका निवास-स्थान मुगल साम्राज्य का सीमाभा म ही था । सिन्धी क मुत्ताना के समय म अफगाना को हाकू व लुटेरा के रूप म तिरगृता दृष्टि म दया जाना था ।<sup>17</sup> कुछ भी हा फिराङ्गनाङ्ग के समय ता कुछ अफगाना ने घमीरो के रूप म प्रमुषता प्राप्त कर ली थी । लोनी साम्राज्य के मस्थापन क साथ साथ उन्हे अफना सामक वग बना लिया और उनका राज म सिन्दुमान म आगमा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । पर बाबर ने उनके राज्य का उगाड कर फेंका तो उनम स कुछ ने विजेता के साथ गधि कर ली । अल्परालीन मूर साम्राज्य के उपरांत मुगलमता की गव पुन म्थापना हुई ता अफगान सरदार मुगलों की दृष्टि म सदेहाम्पद बन गये तथा ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर ने उनम स अधिराज को एक हाथ दूर ही रखा ।<sup>18</sup> फिर जहाँगीर न उह प्रात्माहित करना शुरू किया जसा कि उसने द्वारा खान ग-जानी लोनी को प्रान्त की गयी विनिष्पता स स्पष्ट है ।<sup>19</sup> शाहजहाँ के राज्यवान म खान ग-जानी लोदी के विद्रोह के उपरान्त अफगाना की प्रगति म सम्भवत बाधा पडी और जसा कि हम बताया गया है शाहजहाँ को अफगाना म विन्वास न रहा ।<sup>20</sup>

एसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ के रूप म घोरगजेव ने अफगाना को अपने पक्ष म करने की चेष्टा की थी । एक पत्र म वन्त एक बात पर आन्वय प्रकट करता है कि मघाट न एक अफगान सरदार की पनामति स सम्बन्धन उसके प्रस्ताव को कवन उसकी जानि के आधार पर टुकरा लिया ।<sup>21</sup> इसम भी कही अधिव रहस्योदघाटन तथ्य यन् है कि 1000 जातक उससे ऊपर के 124 घमीरो म स जि होने घोरगजेव का सामूग्य के युद्ध तक साथ लिया 23 अफगान के जबकि दारा शिकोह के पक्ष म हमी म्तर के 87 घमारा म स केवल एक ही अफगान था ।<sup>22</sup>

अबुल फजल मामूरी के अनुगार रायवाल के प्रारम्भिक वर्षों मे औरग जब दग बात म बहुत ही सतक रहता था कि अफगाना क पना म अनुचित बद्धि न की जाय ।<sup>23</sup> 1000 व उससे अधिव के मनसबदारो की हमारी 1658-78 की सूची म 486 म स 43 अफगान थे । दूसरी अवधि 1679-1707 म, 575 म से अफगाना की सख्या 34 थी । परन्तु यह ह्यास सम्भवत निम्न थ्रेणी के मनसबदारो की हमारी सूचिया की अपूर्णता के कारण है । इस प्रकार 1658-78 म जबकि 5000 व उससे अधिव क मनसबदारो म 3 अफगान थे उसी थ्रेणी म 1679-1707 की अवधि म उनकी सख्या 10 से किसी भी भाति कम न थी । इस प्रकार घोरगजेव के उत्तरकालीन वर्षों म अफगान घमीरो की

सख्या मे प्रचुर वद्धि दृष्टिगोचर होती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह वद्धि मुख्यतः उन अफगानो, जा पहले बीजापुर राज्य की सेवा मे थे, के शाही सेवा मे भर्ती किये जाने के कारण हुई।

अफगान अमीर वग के बारे मे समकालीन इतिहासकारो ने सुस्पष्ट रूप से अपनी विरक्ता दिखायी है। अफगान एक बचावली समाज से आये थे, तथा मुगल अधिकारी नियुक्त किये जाने के बाद भी वे बचावली नेता बने रहें और अपने ही कबीला एवं कुला के लोगो को अपनी सेवा मे लेते रहे। मनुची के अनुसार वे केवल दरबार ही मे रईसी वस्त्र पहन कर आया करते थे। जब वे लौट कर घर पहुँचते तो उन वस्त्रो को उतार कर अपनी जाति के साधारण वस्त्रो को धारण कर लिया करते थे।<sup>51</sup> भीममन को अफगानो से इससे भी अधिक शिकायत थी। अफगान हिन्दुस्तान के सभी भागो मे फरे हुए थे और सभी स्थानो मे विप्लव और अशांति का एक कारण थे। औरंगजेब के दक्खन की ओर प्रस्थान करने के पश्चात् उनकी शक्ति बढ गयी तथा उनमे से अनेको ने, जिन्हें शाही सेवा मे भर्ती नहीं किया गया था, अपनी व्यक्तिगत सेना रख ली जिसके सामने परिणामस्वरूप अनेक शाही अधिकारियाँ की सैनिक टुकडियाँ फीकी पड गयी।<sup>52</sup> अफगान अमीरो की सख्या मे वद्धि के कारण अमीर वग की आन्तरिक असक्ति कमजोर हो गयी और वह साम्राज्य के भाग्य पर बुरा प्रभाव डालने लगी। विशेषतः से उस समय जब औरंगजेब का प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने से हट गया और केन्द्रीय प्रशासन मे नयी बुराइयाँ प्रविष्ट हो गयी।

### भारतीय मुसलमान

भारतीय मुसलमान साधारणतः नैखजादे कहे जाते थे। उनका सम्बन्ध मुख्यतः कुछ महत्त्वपूर्ण कुलो, जैसे बारहा के सय्यद और कम्बो से था। 1658-78 मे 1 000 और उसके ऊपर के कुल 486 मनसबदारो मे से 65 भारतीय मुसलमान थे, अर्थात् 13.4 प्रतिशत, 1679-1707 मे वे 575 मे से 69 थे, अर्थात् 12 प्रतिशत। 1658-78 मे 4 भारतीय मुसलमान 5 000 व उसके ऊपर के पद पर थे, 1679-1707 मे उनकी सख्या 10 थी।<sup>56</sup>

भारतीय मुसलमानो की सख्या मे इस स्वल्प क्षति के पीछे नये वर्गों के अमीर वग मे प्रवेश के कारण पुराने तत्वो का निस्तब्ध होना था। बारहा के सय्यद और कम्बो, जो अक्बर के काल से महत्त्वपूर्ण पदो पर आसीन थे औरंगजेब के उत्तरकालीन वर्षों मे पूव की भाँति उतने अधिक प्रभावशाली नहीं रह गये थे। बारहा के सय्यदो पर जो परम्परागत मुगल सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व करते थे तथा जिन्हें अपनी सामरिक योग्यताओ पर अत्यधिक गव

## श्रीरगजेवकालीन मुगल अमीर-वग

वास नहीं करता था।<sup>58</sup> सम्भवतः ऐसा बेचल इस कारण  
 व्यद दारा शिकोह के अनन्य समर्थक थे। नवीन वर्गों में से,  
 म प्रवेश किया था, सबसे महत्त्वपूर्ण दखन के निवासी थे  
 नियों को छोड़ कर जो कि ईरानी, तूरानी या अफगान थे,  
 स के हटने इसमें सम्मिलित थे।)। कश्मीरिया की भी  
 नति की गयी। श्रीरगजेव के राज्यमान के प्रारम्भिक वर्षों  
 या गया है कश्मीरिया में विशेषतौर से चार कश्मीरिया को  
 लिया गया था।<sup>59</sup> किन्तु उसके राज्य के उत्तरकालीन वर्षों  
 गयी। इनायतुल्लाह कश्मीरी श्रीरगजेव के प्रिय अमीरों में

## राजपूत

राजपूतों के प्रति नीति विवक्षास्पद विषय है। इसमें तनिक  
 क्याकि यह—या इसके बारे में ऐसी धारणा है—उसकी  
 अधिक सम्बन्धित है, और उसकी धार्मिक नीति दीर्घकाल से  
 नी हुई है। विवचना के स्पष्टीकरण हेतु यह बाह्यनीय होगा  
 धार्मिक नीति से किसी भी प्रकार का पूर्व निश्चित सम्बन्ध  
 वग म राजपूतों की स्थिति का परीक्षण कर लिया जाय।

धर्मपरायण मुसलमान शासक था जिसने अपनी वद्वृत्ता का  
 ण अपने पग उटाय। इसके बावजूद जसा कि लाहोरी  
 दी गयी सूचियों में स्पष्ट है<sup>60</sup> उसने राज्यकाल में राजपूत  
 या में अत्यधिक वृद्धि हुई। श्रीरगजेव भी धर्मपरायण मुसल  
 ता क प्रति द्वेष रखन क लिए ग्राहजहाँ के दरबार में उसकी  
 थी।<sup>61</sup> परन्तु यह स्पष्ट अस्थायी बात थी उत्तराधिवा  
 षप पूर्व ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरगजेव न प्रमुख राज  
 अपने पक्ष में करने की सतत चेष्टा की थी। उसने मवाद  
 तो जा निगान भेजे थे वे उपलब्ध हैं।<sup>62</sup> इन निगानों में  
 शवासन दिया कि 1654 में चित्तौड़ के दुग का पुन सुदृढ  
 स दण्ड के रूप में लिये गए प्रदेशों को उस वापस कर लिया  
 ण में तो उसने शेरदार गणों में आवासन दत्त हुए कहा  
 की धार्मिक नीति का अनुसरण करेगा और इस बात की  
 इस सन्नट जो दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुतात्मक व्यवहार  
 प्रति विद्रोही है।<sup>63</sup> प्रोफेसर वानूनगो ने इस बात का  
 या है कि किस भाँति मिजा राजा जयसिंह गुप्त रूप में

श्रीरगजेव के  
 राज्यमान के  
 वर्षों में  
 कश्मीरिया को  
 विशेषतौर से  
 चार कश्मीरिया  
 को लिया गया  
 था।<sup>59</sup> किन्तु  
 उसके राज्य के  
 उत्तरकालीन  
 वर्षों में  
 कश्मीरिया की  
 स्थिति का  
 परीक्षण कर  
 लिया जाय।  
 धर्मपरायण  
 मुसलमान  
 शासक था  
 जिसने अपनी  
 वद्वृत्ता का  
 ण अपने पग  
 उटाय। इसके  
 बावजूद जसा  
 कि लाहोरी  
 सूचियों में  
 स्पष्ट है  
 उसने राज्य  
 काल में राजपूत  
 या में अत्यधिक  
 वृद्धि हुई।  
 श्रीरगजेव भी  
 धर्मपरायण  
 मुसलमान  
 था। परन्तु यह  
 स्पष्ट अस्थायी  
 बात थी उत्तराधिवा  
 रण पूर्व ऐसा  
 प्रतीत होता है  
 कि श्रीरगजेव न  
 प्रमुख राजाओं  
 में अपने पक्ष  
 में करने की  
 सतत चेष्टा की  
 थी। उसने मवाद  
 तो जा निगान  
 भेजे थे वे उपलब्ध  
 हैं। इन निगानों  
 में श्रीरगजेव  
 के राज्यमान  
 के वर्षों में  
 कश्मीरिया को  
 विशेषतौर से  
 चार कश्मीरिया  
 को लिया गया  
 था।<sup>59</sup> किन्तु  
 उसके राज्य के  
 उत्तरकालीन  
 वर्षों में  
 कश्मीरिया की  
 स्थिति का  
 परीक्षण कर  
 लिया जाय।

अमीर-नेमी की सत्ता और उसकी मर्यादा

श्रीरंगरव का समयक इतना गया था कि या किस प्रकार उद्योग पारंगत मर्यादा का उदाहरण के रूप में प्रमुख भाग लिया। यह मत है कि, सामुदायिक के मुठ के पूर्व श्रीरंगरव के 124 मर्यादाओं में से 1000 वु उभर उपरक मर्यादाकार मर्यादा 9 ही राजपूत थे, जब कि शाह शिवाह के समर्थक इसी श्रेणी के 77 मर्यादाकारों में से राजपूतों की संख्या 22 थी। किन्तु ऐसा केवल इस कारण था कि उभर राजपूत समयका की गणना करते समय श्रीरंगरव के मर्यादाओं की श्रेणियों में सम्मिलित तथा कश्चात की पूर्वक ही रहा गया। किन्तु उभर समय सुलेमान शिवाह की सेना में श्रीरंगरव के विरुद्ध कुछ कर रही थी। इसके अतिरिक्त शिवाह शिवाह की सूची में बहुत-से ऐसे राजपूतों के नाम हैं जो उस समय दरबार में थे और उनका नामन द्वारा का समझ करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही न था। वास्तव में शिवाह के प्रति राजपूतों में व्यक्तिगत स्वामिभक्ति में भी उभर कि बाद में महाराजा अकबर ने श्रीरंगरव को पत्र में लिखा कि वास्तव में शिवाह शिवाह राजपूतों की जाति के प्रति भ्रातृत्वपूर्ण एक विच्छ है। यदि शिवाह से ही उभर उभर अपना मित्र बना लिया होता तो उनके साथ जसा हुआ वसा न होगा।

एसा प्रतीत होता है कि अपने राज्याल के प्रारम्भिक वर्षों में, श्रीरंगरव ने राजपूतों के प्रति कुछ सीमा तक सहानुभूति दिखायी एवं शाहजहाँ के समय जो उनकी स्थिति थी उसमें वास्तव में कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ। शाहजहाँ के सम्पूर्ण राज्यकाल में एवं ही राजपूत अधिकारी 7000 का मर्यादाकार न था। किन्तु शिवाह राजा जयसिंह तथा जयसन्निहि—हालांकि जयसन्निहि व धर्म और अकबर के युद्धों में श्रीरंगरव के विरुद्ध ही भाग लिया—की पराजय 7,000/7,000 तक कर दी गयी। 1606 में जयसिंह का दगाव में बापन युक्त लिए जाने के तत्पर जब तक (1658 के शत में अकबर सिंह की मानवा में नियुक्ति को छान कर) तिमी भी राजपूत अमीर को वाई भी महारत्नपूर्ण प्रान्त नहीं सौंपा गया था किन्तु 1665 में जयसिंह को, एम महाराज के परामर्शदाता के रूप में नहीं प्रद्युत अपने ही अधिकार द्वारा दरबान का वाय सराय नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य में यह पद सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान में से एक था जो मर्यादाकार महाराज का ही सौंपा जाता था। जयसन्निहि का भी दो बार (1659-61 व 1670-72) युद्धकाल में सूवेदार नियुक्त किया गया। इस प्रकार के निरंतर आशागर में 1665 तक रहा यह निराल मर्यादा कि शिवाह महाराज मुगल एक समझमान है, और इन प्रकार दिग्गम का शत्रु है किन्तु शिवाहो वत शिवाह महाराज का बहुत ही अधिक सत्ता में अपनी सत्ता में रचना है तथा उन मर्यादा के साथ उभर प्रचार का व्यवहार करता है किना शिवाह अमीरों के प्रति, तथा अपनी सत्ताओं में महत्त्वपूर्ण

था,<sup>57</sup> श्रीरगजेव विश्वास नहीं करता था।<sup>58</sup> सम्भवतः ऐसा केवल इस कारण था कि वारहा व सय्यद द्वारा गिकोह के अनन्य समर्थक थे। नवीन वर्गों में से, जिन्होंने अमीर वग में प्रवेश किया था सबसे महत्वपूर्ण दखन के निवासी थे (अर्थात् उन दखनियों को छोड़ कर जो कि ईरानी, तूरानी या अफगान थे, किन्तु पश्चिमी समुद्र तट के हंगी जगमें सम्मिलित थे)। कश्मीरिया की भी अनेक सख्या में पत्ने-नति की गयी। श्रीरगजेव के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में, जैसा हम बतलाया गया है कश्मीरिया में विशेषतौर से चाक कश्मीरिया को यदाकदा ही मनसब दिया गया था।<sup>59</sup> किन्तु उसके राज्य के उत्तरकालीन वर्षों में उनकी सख्या बढ़ गयी। इनायतुल्लाह कश्मीरी श्रीरगजेव के प्रिय अमीरो में से एक था।

### राजपूत

श्रीरगजेव की राजपूतों के प्रति नीति विवादास्पद विषय है। इसमें तनिक भी आश्चय नहीं है क्योंकि यह—या इसने वग में ऐसी धारणा है—उसकी धार्मिक नीति से अत्यधिक सम्बन्धित है और उसकी धार्मिक नीति दीर्घकाल से विवाद का विषय बनी हुई है। विवेचना के स्पष्टीकरण हेतु यह वाछनीय होगा कि श्रीरगजेव की धार्मिक नीति से किसी भी प्रकार का पूर्व निश्चित सम्बन्ध बनाये बिना अमीर वग में राजपूतों की स्थिति का परीक्षण कर लिया जाय।

शाहजहाँ एक धमपरायण मुसलमान शासक था जिसने अपनी कट्टरता का प्रदर्शन करने के लिए अनेक पग उठाये। इसके बावजूत, जसा कि लाहौरी तथा वारिस द्वारा दी गयी सूचियों से स्पष्ट है<sup>60</sup> उसका राज्यकाल में राजपूत मनसबदारों की सख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। श्रीरगजेव भी धमपरायण मुसलमान था तथा राजपूतों के प्रति द्वेष रखने के लिए शाहजहाँ के दरबार में उसकी निन्दा भी की गयी थी।<sup>61</sup> परन्तु यह स्पष्टतः अस्थायी बात थी उत्तराधिकार के युद्ध होने से कुछ वर्ष पूर्व ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरगजेव ने प्रमुख राजपूत सरदारों को अपने पक्ष में करने की सतत चेष्टा की थी। उसने मेवाड़ के राणा राजसिंह को जा निशान भेजे थे व उपलब्ध हैं।<sup>62</sup> इन निशानों में, उसने राणा का आश्वासन दिया कि 1654 में चित्तौड़ के दुर्ग को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए उससे दण्ड के रूप में लिये गये प्रदेशों को उस वापस कर दिया जायेगा। एक निशान में तो उसने जोरदार शब्दों में आश्वासन दत्त हुए कहा कि वह अपने पूर्वजों की धार्मिक नीति का अनुसरण करेगा और इस बात की घोषणा की कि वह समाज जो दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुतात्मक व्यवहार करता है, ईश्वर के प्रति विद्रोही है।<sup>63</sup> प्रोफेसर कानूनगो ने इस बात का विस्तृत उल्लेख किया है कि किस भाँति मिर्जा राजा जयसिंह गुप्त रूप से

औरगजेब का समथक बन गया था तथा जिस प्रकार उसने दारा शिकोह को उखाड़ फेंकने में प्रमुख भाग लिया।<sup>64</sup> यह सत्य है कि सामूगढ के युद्ध के पूर्व, औरगजेब के 124 समथकों में से 1 000 व उसके ऊपर के मनसबदारों में केवल 9 ही राजपूत थे जब कि दारा शिकोह के समथक उसी श्रेणी के 87 मनसबदारों में से राजपूतों की संख्या 22 थी।<sup>65</sup> किन्तु ऐसा केवल इस कारण था कि उसके राजपूत समथकों की गणना करते समय औरगजेब के समथकों की श्रेणियों में से जयसिंह तथा कठवाहों को पृथक ही रखा गया, चूंकि वे उस समय सुलेमान शिकोह की सना में थे, जो गुजरात के विरुद्ध लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह की सूची में बहुत से ऐसे राजपूतों के नाम हैं जो उस समय दरबार में थे और उनके सामने दारा का समर्थन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही न था। वास्तव में दारा के प्रति राजपूतों में व्यक्तिगत स्वामिभक्ति न थी। जसा कि बाद में शहजादा अकबर ने औरगजेब को पत्र में लिखा कि 'वास्तव में दारा शिकोह राजपूतों की जाति के प्रति पूर्वाग्रही एवं विरुद्ध है। यदि प्रारम्भ से ही उसने उन्हें अपना मित्र बना लिया होता तो उसके साथ जसा हुआ वसा न होता।'<sup>66</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में औरगजेब ने राजपूतों के प्रति कुछ सीमा तक सहृदयता दिखायी एवं शाहजहाँ के समय जो उनकी स्थिति थी, उसमें वास्तव में कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ। शाहजहाँ के सम्पूर्ण राज्यकाल में एक भी राजपूत अधिकारी 7 000 का मनसबदार न था। किन्तु अब मिर्जा राजा जयसिंह तथा जसवन्तसिंह—हालांकि जसवन्त सिंह ने घमत और खजवाह के युद्धों में औरगजेब के विरुद्ध ही भाग लिया—की पत्नीनति 7,000/7,000 तक कर दी गयी। 1606 में मानसिंह को बंगाल से वापस बुला लिया जाने से लेकर अब तक (1658 के अंत में जसवन्त सिंह की मालवा में नियुक्ति को छोड़ कर) किसी भी राजपूत अमीर को कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रान्त नहीं सौंपा गया था, किन्तु 1665 में जयसिंह को, एक शहजादे के परामर्शनाता के रूप में नहीं प्रत्युत अपने ही अधिकार द्वारा दक्खिन का वाय सराय नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य में यह पद सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पदों में से एक था जो साधारणतः शहजादा को ही सौंपा जाता था। जसवन्तसिंह को भी दो बार (1659-61 व 1670-72) गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस प्रकार बर्नियर जो आगरा में 1665 तक रहा यह लिख सका कि 'यद्यपि महान मुगल एक मुसलमान है, और इस प्रकार हिन्दुओं का शत्रु है लेकिन फिर भी वह सदैव राजाओं को बहुत ही अधिक संख्या में अपनी सेवा में रखता है तथा उन लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है जसा अन्य अमीरों के प्रति, तथा अपनी सनातनों में महत्त्वपूर्ण



कमाना पर उनकी नियुक्ति करता है। 67

धौरगजेब के राज्यकाल के प्रथम दशक में उसरी राजपूता के प्रति नीति का अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही रोचक उपाय यह है कि मुहम्मद वाजिह द्वारा रचित राजकीय एतिहासिक ग्रन्थ आलमगीरनामा में मनसवा की वृद्धि एवं उनमें की गयी कटौती के सम्बन्ध में किया गया विवरण (इसमें मनसबदारों की मृत्यु के साथ उनके मनसब समाप्त हो जाता, अवराना ग्रहण करना एवं उनका नौकरी से निकाल दिया जाना, सभी कुछ शामिल है) का विश्लेषण किया जाय। यह विवरण नीचे दी गयी तालिका में सांख्यिकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है—

जात	मनसवा में कुल वृद्धि या कटौती (शाही शहजादा को छोड़कर)		कुल सख्या में राजपूता का भाग	
	1 2 वष	3 6 वष	7 10 वष	1 10 वष
याग	89 000	4,600	— 10 000	83 600
राजपूत	12 600	1 000	— 1 600	12 000
प्रतिशत	14 16	21 74	16 00	14 35
(घटने पर)				
सवार				
याग	54 000	5 430	27,320	86,750
राजपूत	11 900	1 350	— 2 500	10,750
प्रतिशत	22 04	24 86	—	12 40

यह तालिका इस बात की ओर उचित करती है कि धौरगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में राजपूता की स्थिति में सुधार से सम्बन्धित कथनों को सशोधित करने की आवश्यकता है। ग्राहजहाँ के राज्य के मनसबदारों की मालहाने जा सूची दी है उसमें 1 000 जात के उससे ऊपर के 437 अमीरों में से 82 (या 18 7 प्रतिशत) राजपूत थे। जबकि 1 000 के उससे ऊपर के अमीरों के जात पद का कुल याग 10 07 000 था तथा उससे से 1 78 500 या इस कुल योग का 17 7 प्रतिशत राजपूत थे। सम्पूर्ण प्रथम दशक में दिये गये जात मनसबों में से 14 35 प्रतिशत की संख्या से यह प्रतीत होता है कि कभी भी पूर्ण रूप

स पुराना अनुपात नही बनाय रखा गया । एसा प्रतीत होता है कि जब प्रथम दशक के प्रथम छ वर्षों में राजपूता का अयापक्षा उच्चा पद प्रदान किये गये (विशेषतौर पर जहाँ तक सवार पद का सम्बन्ध है), अंतिम चार वर्षों में उनकी स्थिति में विशेष ह्रास हुआ, जबकि सामान्य अमीरा के कुल मनसब में काफी वृद्धि हुई, राजपूता के सवार मनसब में बहुत युगी तरह से कटौती की गयी ।

इसलिङ्ग मामूरी के कथन में, कि दक्खन की धार प्रस्थान करने से पूर्व की अवधि में औरगजेव राजपूता की पदोन्नति करते समय समय से काम ले रहा था, पर्याप्त सत्यता हो सकती है ।<sup>68</sup> ऊपर दी गयी तालिका में प्रतीत होता है कि राज्यकाल के प्रथम दशक के अंत से पूर्व राजपूता की पदोन्नति करते समय समय रखना संकल्पित शाही नीति बन चुकी थी ।

दिसम्बर 1678 में जसवंतसिंह की मृत्यु के उपरांत जिस प्रकार औरगजेव ने मारवाड़ में उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने की चेष्टा की, उसमें इस तथे शाही दृष्टिकोण की भन्व मित्रता है । हमारे लिए यहाँ उत्तराधिकार के प्रश्न पर तथा जिन कारणों से 1680-81 में राजपूता ने विद्रोह किया, विस्तार में विवेचना करना प्रासंगिक नहीं है ।<sup>69</sup> वास्तव में औरगजेव के श्रेय सत्ता का प्रदर्शित करना चाहता था, अतः जसवंतसिंह की मृत्यु होते ही जसवंतसिंह की मुख्य रानी तथा उसके अधिकारियों के विराध के बावजूद, उसने जोधपुर की खालिसा (या शाही प्रदेश) में परिवर्तित कर लिया । कुछ भी हो, यह सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि सभी राजपूत राज्या को समाप्त करने की योजना की यह भूमिका थी ।<sup>70</sup> जिस समय जसवंतसिंह की मृत्यु हुई उसके कोई पुत्र न था, इस तथ्य ने औरगजेव को यह अवसर प्रदान किया कि वह दिवंगत राजा के अधिकारियों को जागीरें प्रदान करने के लिए मारवाड़ के कुछ भाग का सीधे मुगल प्रशासन के अन्तर्गत ले ले । परन्तु जसवंतसिंह की रानिया के दो पुत्रों का पितृनिधनोत्तर जन्म होने के कारण एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, और औरगजेव ने पुरानी योजना को पूरा करने का माग, इन्दरसिंह का मारवाड़ की गद्दी के लिए मनोनीत कर, डूब निकाला । एसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक सम्भव हो सकता था, औरगजेव परम्परा एवं पूर्वोदाहरण की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहता था । इन सब बातों के बावजूद, मुगल सम्राटों ने राजपूता के उत्तराधिकार-सम्बन्धी परम्परागत नियम का उल्लंघन करते हुए टीका प्रदान करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायी थी ।<sup>71</sup> उसी समय औरगजेव ने 1681 में मवाड़ से बहुत ही उदार शर्तों पर संधि की हालांकि दो वर्षों तक कठोर संधि की अवधि में उक्त राज्य के अधिकांश भाग का विध्वंस किया जा चुका था ।<sup>72</sup> 1680-81 के विद्रोह में केवल

राठोट घोर गिगीनिया ही सामिग थ । दूमरी उप जागिया त बेयन दूर ही गरीं  
 बरतू मुगलों की सया करती रहीं । बात्रया-ए घमोर म राजपूत अधिबारीया  
 द्वारा घपनी सनिक टुकडिया क साथ मुगल मारा म जा मिनन का बग त विपुल  
 मात्रा म मिनता है । दग प्रसार "म विगा" क परिणामस्वरूप भी राजपूत  
 घमोर बग क भाग्य पर अधिब प्रभाव त पदा । 16५8 78 म राजपूत की घु  
 पातिक मर्या 146 प्रतिगत थी "मकी तुना म 1679 1707 की घबधि म  
 मनमबारा की कृत मर्या 575 म एम बयन 73 ही राजपूत अधिबारी मिनत  
 है—बयन 12 6 प्रतिगत<sup>72</sup>—त्रिग उता मर्या म द्वाग कहा जा मरता है ।  
 फिर भी, यह ध्यान म रहना चाहिए कि इसका गिहार गर-बराभात तय सामान्य  
 रूप त हूए थ । मणि एम बयन गर-बराभात घमोर का ही में ता 16५९ 78 की  
 घबधि म कृत मगबारा की मर्या म राजपूत की मर्या 166 प्रतिगत थी  
 जबकि 1679 1707 की घबधि म 176 प्रतिगत । यह द्वितीय घबधि दरगन म  
 मुद्रा का काल था त्रिग राजपूत सनिक टुकडिया त साहसिक मबारे अधिब  
 की थी । यहाँ तक कि साहजिक घाजब की परती ने मराठा म घपन गिबिर  
 की रक्षा करत के लिए जब हाडा को बुलाया ता उगो कहा कि "घगता"या  
 का गौरव राजपूत का गौरव है । <sup>74</sup>

उपयुक्त घोरद दग विचारधारा का मगध त । बरत है कि 1678 क  
 उपरान्त राजपूत के साथ गिगी प्रकार का भ्रभाव दिया गया था । एग० घार०  
 तर्मा त यह गिगाते की चष्टा की है कि घोरगढ़ब न नियमातुमार नय राजपूत  
 सरगारा को उनक पूवजो की तुना म गिगा थ्रेणी के मनसब निय, हालांकि  
 यह मनसब उह पुतनी जमीनें या बान जागीरो को ध्यान म रगत हूए ही  
 निय गय थ ।<sup>75</sup> तकिन एसा कोई प्रमाण नहीं है कि नय उत्तराधिबार के समय  
 घोरगढ़ब न राजपूत राया क गिगी भी भाग का विनयित कर दिया था ।  
 घोरगढ़ब ने बयन राजपूत के मनसबा म बद्धि पर हा प्रतिबंध लगाया ताकि  
 य बतन-जागीरो के अधिरिक्त शाही जागीरा के लिए लाया त कर सके । साधा  
 रणत, एग राजपूत सरगार के पास घपना 'बतन के बाहर शाही जागीरें हूमा  
 करती था, जब उसकी मृत्यु हा जाती था ता उसकी कुल जागीर क उसका पूण  
 मनसब उसक उत्तराधिबारी का न मिलकर उसका एक भाग ही उसक उत्तरा  
 धिबारी को प्राप्त हाता था जसा कि राणा घमरसिंह ने घासपुहोला को एक  
 पत्र (1708 ई०) म लिखा था, कि "पहल के सम्राट राजपूताना क (सीमिन)  
 साधना को दृष्टि म रखत हूए भाजबल के सरदारा के पूवजो को प्रसन्नता  
 पूवक, उनको उनकी बतन जागीरो के अधिरिक्त परगने एव इनाम भूमि प्रदत्त  
 किया करत थे, जिसके बन्ने के सबदा सर्वोच्च सयाए अधिब करत थे । <sup>76</sup> यह  
 भी सोचना नुटिपूण होगा कि घोरगढ़ब के राज्यनाल के उत्तरवालीर थपों म

जपूता का अपमान जानबूझ कर किया गया था। यह सत्य है कि स्वयं सम्राट मुख्य वजीर द्वारा सम्मानित चिह्न के रूप में राजाघ्रा के माथे पर तिलक गान की प्रक्रिया हटा ली गयी थी<sup>77</sup> किन्तु शेष घमावलम्बिया की अपेक्षा जपूता को निश्चय ही उच्च स्थान प्रदान किया जाता था तथा वे सभी राजपूत शाही सवा में थे, जजिया कर से मुक्त थे।<sup>78</sup>

दूसरी ओर, इस प्रकार की कल्पना करना भी भूल हागी कि औरंगजेब ने जपूता के प्रति नीति उसी भाव से अपनायी थी जिस प्रकार अकबर ने। पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि अपने राज्यकाल के प्रथम शतक की समाप्ति से पूर्व राजपूता की नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियों के मामले में औरंगजेब कुछ रोकथाम करने लगा था। राज्यकाल के अन्तिम तीस वर्षों में सम्राट ने जिस प्रकार कुछ प्रतिष्ठित राजपूत अधिकारियों के साथ व्यवहार किया उससे उनका प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। रामसिंह हाडा, लखतराव बुंदेला तथा जयसिंह ऐसे तीन राजपूत अधिकारी थे जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण सैनिक टुकड़ियों के साथ दक्खिन में शाही सवा की।<sup>79</sup> किन्तु फिर भी लखतराव का मनसब केवल 3,000/3,000, रामसिंह हाडा का 3,000/1,500 (200 × 2 3 अस्था) और राजा जयसिंह का मनसब 2,000/2,000 ही रहा। जब शहजादा वेदार वल्लभ ने 1705 ई० में राजा जयसिंह की नियुक्ति अपने हाथों के रूप में मालवा में की, तो औरंगजेब ने उस मसनद पर बैठने से रोक दिया और यह बात स्पष्ट कर दी कि आमतौर पर एक राजपूत की नियुक्ति कानपुर या यहाँ तक कि फौजदार के पद पर भी नहीं होनी चाहिए।<sup>80</sup>

की जाती थी, लेकिन सनिक दृष्टि से गर दक्खिनियो की दक्खन म उपस्थिति आवश्यक थी अत सभी लोगो के लिए दक्खन म जागीरें प्रदान करना सम्भव न होने के कारण, दक्खनिया को साम्राज्य के अय भागो म भी जागीरें प्रदान करनी पडी ।

अबुल फजल मामूरी न एक उद्धरण म जिस पर छापी खाँ की दृष्टि नही पनी उल्लेख किया है कि शौरगजेब क अन्तिम वर्षों म दम्भी दक्खनिया की बढ़ती हुई सस्या पर पुरान अमीर-नानाजाद अस-तुष्ट थ । 'अत म, मामता यहाँ तब पहुँच गया कि सम्पूर्ण क्षेत्र दक्खन म भर्ती किय गय नये रग हटो को जागीर म प्रदान कर लिया गया, तथा उनके प्रतिनिधिया ने घूस दक्कर सर्वोत्तम जागीरें जो दक्खनिया को अधिकतम लगान दे सकती थी प्राप्त कर ली, और इस प्रकार अब यह सभी लागो के लिए सुस्पष्ट था कि नय और अपरिचित मनसबदारो के मनसब और उनकी सख्या मे किस प्रकार निरन्तर वृद्धि होन लगी जबकि पुरान मनसबन्तरा के मनसब घटने लगे ।"<sup>89</sup>

किन्तु सभी दक्खनिया ने एक समान प्रगति नही की । जिह दक्खन म ही जागीरें प्राप्त हुई उनकी स्थिति स्पृहणीय नही थी । 1677 के लगभग से ही दक्खिनियो को खुराक ए फीलान ए हलका (शाही अस्तबल के हाथिया की खुराक) सम्बन्धी खच स 'उनका दयनीय स्थिति एव उनकी जागीरा की कम आय के कारण छूट दी जा चुकी थी ।<sup>90</sup> मराठो की शक्ति के उदभव के साथ साथ उनके द्वारा तहस-नहस किय जाने वाले प्रदेशो की परिधि के विस्तार और अन्त मे 1702-4 के दुर्भिक्ष के कारण उनकी दशा बहुत ही खराब हो गयी । शौरगजेब के राज्यकाल क अन्तिम वर्ष म, दक्खन की बर्बादी का न्यौरा देन के उपरान्त भीमसेन न यह कहा है कि इस प्रदेश (अर्थात् दक्खन) के मनसब दार अपनी जागीरो स कुछ भी प्राप्त कर पाने की असमथता के कारण वास्तव मे मराठो के पास जान लग थे ।<sup>91</sup>

## मराठे

जिस समय से मलिक अम्बर न मराठा सरदारो और उनके अनुयाइया (बारगिया) का बडे पमान पर प्रयाग करना प्रारम्भ किया दक्खन के युद्धो म मराठा के महत्त्व को मुगल भलीभाति समझन लगे थे । 1616 ई० म जिस महान पराजय का मुह मलिक अम्बर को शाहनवाज खाँ के हाथो दखना पडा, उसम प्रमुख भाग मराठा अवसरवादियो ने मुगलो के पक्ष म होकर लिया था । पाहजहा के प्रारम्भिक वर्षों म जब सम्राट स्वय अहमदनगर राज्य को समाप्त करने के लिए दक्खन की ओर बला तो दक्खन की शाही नौजरी मे मराठो की भर्ती म एक नया चरण प्रारम्भ हुआ । मराठा शक्ति के उत्कष, जिसकी अभिव्यक्ति

दक्खन म शिवाजी द्वारा स्वतंत्र मराठा राज्य के रूप म हुई, से एब नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई । दक्खन के मामला म मराठो के वलत हुए महत्त्व की भूलक हम मुगल अधिवारी वग म बढत हुए मराठा तत्व म मिलती है जिसके कारण न केवल सन्निक उपाया द्वारा नयी चुनौती का सामना करने का प्रयास किया गया वरन साथ ही साथ इस बात की भी चेष्टा की गयी कि मराठो के कुछ वर्गों को मुगल अमीर-वग मे समेट लिया जाये । नीचे जा तालिका दी गयी है उससे अमीर वग म मराठा की तीव्र गति स वलती हुई सख्या और उनकी स्थिति मालूम होती है—

	शाहजहाँ	1658-78	1679 1707
5,000 व उससे ऊपर	3	3	16
3,000 से 4 500	6	6	18
1,000 से 2 700	4	19	62
	—	—	—
योग	13	27	96
मनसबदारा की कुल सख्या मे से			
मराठा की कुल सख्या का प्रतिशत	29	55	167

इस प्रकार परिस्थितिया व दवाव के कारण औरगजेब को शाने वाले वर्गों म मराठा का सना म लन के लिए पूण रूप स द्वार खोलने पडे । वह 5 000/5 000 का मनसब प्रदान कर के भी शिवाजी को अपन पक्ष म न कर सका था और मराठा सरकार उसके दरवार मे से भाग गडा हुआ था । उसके जीवन के अन्तिम वर्षों म शिवाजी का पौत्र शाहू 7 000/7 000 का मनसबदार था, और इस प्रकार उसकी गणना यद्यपि प्रतीक रूप स ही सही, साम्राज्य के सर्वोच्च अमीरों म अवग्य होने लगी थी ।

मराठा सरकारों का मनसब प्रदान करके अपन पक्ष म करने की चेष्टा अन्त म अमकन सिद्ध हुई क्यकि कुछ मराठा सरकार ता पक्ष म कर लिये गये किन्तु अपन नये दुर्गों का बनान तथा मुगल प्रत्या का तहल-नहल करन म उनका स्थान ल लिया । सम्भवत इसका सबसे महत्त्वपूण कारण यह था कि मराठो का समाज राजपूत उप-जातियों की भाँति जहाँ सरदार द्वारा अधीनस्थता स्वीकार कर लन पर सम्पूण उप-जाति अधीनस्थ हो जाती थी समकित नहीं था । मराठा म जब तक विरोध करने या लूटमार करन स कोई प्रत्यागा रहती थी, तब तक मन्कि टुलडिया के सरदार या छोट-माट उमीदार सदैव विद्रोही

सरदार के रूप में उभरते रहते थे। परिणामस्वरूप औरंगज़ब के अतगत मराठा अमीर वग अपनी स्वामिभक्ति में अस्थिर रहा, उनके सरदार मुगला के पाम आत रह और उह छोड कर निरतर जाते रहे। इस प्रकार राजपूता के समान मराठा अमीर वग मुगल प्रशासक वग में वास्तव में प्रभावशाली स्थान प्राप्त न कर सका। मराठा की उपस्थिति मुगल साम्राज्य के रचनात्मक विस्तार का द्योतक नहीं बरन उसका पराभव एवं पतन का लक्षण थी।

### हिंदू

औरंगजेब के हिंदू अमीर वग में राजपूत और मराठा दोनों मिल कर प्रचुर बहुमत में थे। यह कहा गया है कि औरंगजेब के राज्यकाल में न केवल राजपूत वरन सम्पूर्ण हिंदू अमीर वग की क्षति पहुची। एस० आर० शर्मा ने औरंगजेब के अतगत 1 000 जात व उसके ऊपर के 160 हिंदू मनसबदारों की तालिका बनायी है।<sup>9</sup> इस तालिका के आधार पर उनका विश्वास है कि कुल मनसबदारों की संख्या दुगनी<sup>10</sup> होने पर भी हिंदू अमीरों की संख्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह शाहजहां के राज्यकाल में थी। इस कथन से सम्बंधित किसी भी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम यह बता चुके हैं कि औरंगजेब के अतगत अमीर-वग की दुगनी वृद्धि की भांति जवाबित ए आलमगीरी को गलत पढ़ने के कारण है उसमें मनसबदारा, अर्थात् तापचिया आदि की कुल संख्या केवल अमीरों के लिए ही प्रयोग की गयी है।<sup>11</sup> इससे साथ ही औरंगजेब के राज्यकाल में हिंदू मनसबदारों की कुल संख्या शर्मा की सूची में अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है अतएव वह निश्चित निष्कर्ष के लिए आधारभूत साबित नहीं हो

	अकबर 1595	शाहजहाँ 1628-58	औरंगजेब 1658-78    1679-1707	
	कुल हिंदू	कुल हिंदू	कुल हिंदू	कुल हिंदू
5 000 व उसके ऊपर	7    1	49    12	51    10	79    26
3 000 से 4 500	10    1	88    22	90    18	133    36
1 000 से 2,700	17    6	300    64	345    77	363    120
500 से 900	64    14			
<b>योग</b>	<b>98    22</b>	<b>437    98</b>	<b>486    105</b>	<b>575    182</b>

सकती।<sup>96</sup> इस पुस्तक से सलग्न तालिकाएँ में 1 000 व उसके ऊपर के उही मनमबदारा चाह वे हिन्दू हो या मुसलमान, के नाम दिये गये हैं जो ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि यह तालिकाएँ अब भी अपूर्ण हों किन्तु फिर भी उन्हें हिन्दू व मुसलमान अमीरों के अनुपात के सम्बन्ध में, विश्वसनीय समझा जा सकता है, क्योंकि गलती की गुजाइश दोनों पक्षों में बराबर है। आईन के आधार पर हिन्दू अमीरों और मनमबदारों की सख्या, जो 1595 ई० में सेवा में थे, तथा गाजनाम के राज्यकाल के मनमबदारों की सख्या जो सालह की सूची में दी हुई है का साथ साथ पिछले पृष्ठ पर दी हुई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दू अमीरों की स्थिति के श्रेष्ठतर मूल्यांकन के लिए कुल सख्या में उनकी सख्या के प्रतिशत का उल्लेख भी करना चाहिए—

	अक्टूबर 1595	शाहजहाँ 1628-58	औरंगज़ेब 1658-78 1679-1707	
5 000 व उसके ऊपर	14.3	24.5	19.6	32.9
3 000 से 4 500	10.0	25.0	20.0	27.1
1 000 से 2,700	35.3	21.3	22.3	33.1 <sup>96</sup>
500 से 900	21.8			
<b>योग</b>	<b>22.5</b>	<b>22.4</b>	<b>21.6</b>	<b>31.6</b>

औरंगज़ेब के राज्यकाल के प्रथम चरण में हिन्दू अमीरों की स्थिति में कुछ ह्रास दृष्टिगोचर होता है किन्तु अन्तिम 29 वर्षों में वह बहुत ही सुधर गयी। परिणामस्वरूप इस काल में, शाहजहाँ या उसके पूर्व किमी भी काल की अपेक्षा अनुपात में बड़ी अधिक हिन्दू शाही सेवा में थे।

यह प्रकार यह तालिकाएँ, औरंगज़ेब पर लगाये गये एक प्रकार के अभि-योग का कि वह हिन्दू मनमबदारों के प्रति भेदभाव रखता था एक उत्तम बर्तन की भाँति उत्तर दे सकती है। किन्तु फिर भी वास्तव में मामला इतना सरल नहीं है। इस काल में अमीर-वग में मराठा की सख्या राजपूतों से भी अधिक होने लगी थी अतः उनके प्रवेश के कारण हिन्दुओं की सख्या में वृद्धि हो गयी थी। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण भर्ती नहीं किया गया था वरन् उन प्रकार से वे जबरदस्ती अमीर वग में घुस आये थे। दक्खिन के सामानिक उन्माद में औरंगज़ेब को इस बात पर बाध्य कर दिया था कि मराठों का अधीन बनाने के लिए वह उन्हें अधिकधिक सख्या में शाही सेवा में ले, किन्तु वस्तुतः इस पूर्व उगम हिन्दू अमीरों की सख्या को घटाने की ही चेष्टा की थी। यह तथ्य 1658-78 की अवधि में सम्बद्ध शीवहा में स्पष्ट है। जैसा



कि हम देख चुके हैं कि इस अवधि के अंत से ही राजपूतों की समस्या में ह्रास होने लगा था जिसमें आगामी काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। कुछ भी हा, बस इतना ही आधा के आधार पर पक्ष या विपक्ष में विगी प्रसार की धारणा नहीं बनायी जा सकती और यह अपनी जगह पर एक सत्य है कि शौरगजेव की धार्मिक भेदभाव की नीति के बावजूद उसके अमीर वग में हिंदुओं का बहुत बड़ा अग्र बना रहा।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमीर वग का मुस्लिम विस्तार तब तक नहीं हुआ जब तक कि शौरगजेव ने सम्पूर्ण स्वयं को विनयित करने की नीति का पालन करना प्रारम्भ नहीं किया। इस काल में नयी भर्ती करने के परिणामस्वरूप अमीर वग की आन्तरिक संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अमीर-वग में मराठा समेत दखनियों की अनुपातिक संख्या में विशेषकर उच्चतर श्रेणी में वृद्धि हो गयी। कुछ पुराने तत्वों जैसे राजपूत वारहा के सम्यक् तथा अग्र की तन्मूर्ति स्थिति गिर गयी। तूरानी व ईरानी भी अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को भी धाँडा-बहुत गो बड़े। बीजापुर की सेवा में पहले जो अग्रगण्य अधिकारी थे उनके आ जाने के कारण अग्रगण्य की स्थिति में सुधार हुआ।

अबुल फजल मामूरी ने एक नव परिवर्तना का सार यह दिया है कि खान जादा—अर्थात् उन परिवारों के अमीर जिनका पहुँच से शाही सेवा में सम्बन्ध था—को ही मुख्यतः नुकसान पहुँचा। हो सकता है कि उसके इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो किन्तु हमारे साक्ष्य से किसी सीमा तक उसकी पुष्टि हो जाती है। नये रजिस्ट्रो की भर्ती उनकी योग्यता एवं गुणों के कारण नहीं हुई बरन इसलिए हुई कि दखन में वे पहले से ही शक्तिशाली थे और उन्हें केवल उच्च मनसब प्रदान करने ही पक्ष में किया जा सकता था। साथ ही साथ मध्य एशिया तथा फारस के कुलीन परिवारों में से भी भर्ती होती रही किन्तु यह बहुत ही छोटे पमान तक सीमित थी। मरतुलीन शक्ति वर्गों के लिए बहुत ही कम अवसर था। बरुतावर खाँ तथा इनायतुल्लाह खाँ जैसे कुछ विद्वानों की पदोन्नतियाँ अवश्य ही हुईं हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत ही सीमित थी। फिर भी उन साहित्यिक व्यक्तियों के लिए गुजाइश थी जो अपने सैनिकों को संगठित कर साम्राज्य के नियंत्रण के बाहर के प्रदेशों में सरदार या सामक बन बैठते थे और फिर शाही सेवा में प्रवेश करने की चेष्टा किया करते थे। अनेक मराठा सरदारों ने इस अदभुत ढंग को ग्रहण कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। किन्तु साधारण भर्ती के समय, मुगलों के पास ऐसी उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी कि वे केवल योग्यता के आधार पर ही किसी को शाही सेवा में लें, परिवार और कबीला ही अधिकांशतः निर्णायक तत्व थे।

तालिका 1 (अ)

औरगजेब के मनसबदारों में भारतीयों, विदेशी और विदेशियों के वंशजों का अनुपात

1658-1678

विदेशी और उनके वंशज							
भारतीय	भारत	जन्म	विदेशियों	कुल			
जन्मे	बाहर	रथान	वगजा	अज्ञात	कुल	टिप्पणी	
जन्मे	जन्मे	अज्ञात	की कुल	समूह के	सख्या		
			सख्या				
5,000 तथा उसके ऊपर के मनसबदार							
17	14	15	3	32	2	51	दो मनसबदारो मे से, जिनकी जाति के बारे मे बात नही है, एक तो भारत म पदा हुआ और दूसरे के बारे मे यह ज्ञात नही कि वह भारत मे पदा हुआ या नही।
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार							
38	34	10	4	48	4	90	चार मनसबदारो मे से जिनकी जाति के बारे म मालूम नही, दो का जन्म भारत मे हुआ था, और दो के बारे मे यह ज्ञात नही कि उनका जन्म भारत में या भारत के बाहर हुआ।
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार							
160	69	30	23	122	63	345	63 मनसबदारो मे से जिनकी जाति के सबध में बात नही 4 का जन्म भारत में हुआ और अरब के बारे मे मालूम नही कि उनका जन्म भारत म या भारत के बाहर हुआ।
215	117	55	30	202	69	486	

## तालिका 1 (ब)

श्रीरगजेव के मनसबदारो मे भारतीय, विदेशी और  
विदेशियो क वशजो का अनुपात  
1679-1707

## विदेशी और उनके वशज

भारतीय	भारत म जम	भारत के बाहर जमे	जम स्थान अज्ञात	विदेशिया व उनके वशजा की कुल संख्या	अज्ञात समूह के	कुल संख्या	टिप्पणी
5 000	तथा	उमके	ऊपर	के	मनसबदार		
46	14	6	—	20	13	79	13 मनसबदारो म स जिनकी जाति के बारे मे मालूम नहीं 3 का जम भारत म हुआ और शेष 10 के बारे मे नात नहीं कि उनका जम भारत म हुआ या भारत के बाहर हुआ।
3 000	से	4 500	तक	के	मनसबदार		
58	46	15	1	62	13	133	13 मनसबदारा म म जिनकी जाति के बारे मे मालूम नहीं 4 का भारत म जम हुआ और शेष 9 के बारे मे नात नहीं कि उनका भारत म जम हुआ या बाहर।
1 000	स	2 700	तक	के	मनसबदार		
181	82	25	8	115	67	363	67 मनसबदारो म स जिनकी जाति मालूम नहीं 10 का जम भारत म हुआ और शेष 57 के बारे मे मालूम नहीं कि उनका जम भारत मे या भारत के बाहर हुआ।
285	142	46	9	197	93	575	

तालिका 2 (अ)

औरगज़ेब के अमीर-वग की जातीय एव धार्मिक सरचना

1658-1678

ईरानी	तूरानी	अफगान	भारतीय	अन्य	मुसलमाना	राजपूत	मराठे	अन्य	कुल	कुल
					मुसल०	मुसल०	की कुल	हिंदू	हिन्दू	योग
					सख्या					
5,000 व उसके ऊपर के मनसबदार										
23	9	3	4	2	41	6	3	1	10	51
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार										
32	16	9	10	5	72	11	6	1	18	90
1 000 से 2,700 तक के मनसबदार										
81	42	31	51	63	268	54	18	5	77	345
136	67	43	65	70	381	71	27	7	105	486

तालिका 2 (ब)

औरगज़ेब के अमीर-वग की जातीय एव धार्मिक सरचना

1679-1707

ईरानी	तूरानी	अफगान	भारतीय	अन्य	मुसलमाना	राजपूत	मराठे	अन्य	कुल	कुल
					मुसल०	मुसल०	की कुल	हिंदू	हिंदू	योग
					सख्या					
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार										
14	6	10	10	13	53	5	16	5	26	79
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार										
40	22	4	18	13	97	15	18	3	36	133
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार										
72	44	20	41	66	243	53	62	5	120	363
126	72	34	69	62	393	73	96	13	182	575

तालिका 3 (अ)  
खानाजाद और जमींदार

1658-1678

खानाजाद		जमींदार			कुल योग
मनसबदारों के वशज	मनसबदारों के वशज नहीं	जिनके निकट तम सम्बन्धी सवा मे थे	जो कि स्वयं सेवा मे आए	जमींदारों का योग	
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार					
20	24	5	2	7	51
3 000 से 4,500 तक के मनसबदार					
51	28	10	1	11	90
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार					
103	192	24	26	50	345
174	244	39	29	68	486

तालिका 3 (ब)  
खानाजाद और जमींदार

1679 1707

खानाजाद		जमींदार			कुल योग
मनसबदारों के वशज	मनसबदारों के वशज नहीं	जिनके निकट तम सम्बन्धी सवा मे थे	जो कि स्वयं सवा मे आए	जमींदारों का योग	
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार					
18	46	6	9	15	79
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार					
57	56	13	7	20	133
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार					
145	172	33	13	46	363
220	274	52	29	81	575

तालिका 4 (अ)

दक्खनी

1658-1678

	मनसबदारा की कुल सख्या	दक्खनी तथा दक्षिणी भारतीय
5,000 व उसके ऊपर के मनसबदार	51	10
3,000 से 4,500 तक के मनसबदार	90	13
1,000 से 2 700 तक के मनसबदार	345	35
योग	486	58

तालिका 4 (ब)

दक्खनी

1679-1707

	मनसबदारों की कुल सख्या	दक्खनी तथा दक्षिणी भारतीय
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार	79	48
3,000 से 4 500 तक के मनसबदार	133	34
1,000 से 2,700 तक के मनसबदार	363	78
योग	575	169

## सदभ

- 1 बागशाहनामा II पृ० 715 ।
- 2 जबाबिन-ए भालमगोरी प० 15 अ ।
- 3 वही मुमानिब-ए-महदमा-ए भालमगोरी प 137 ब । इस प्रकार एस० आर० शर्मा की यह कल्पना कि जबाबिन-ए भालमगोरी म उल्लिखित सख्या 14 449 कबल मनसबदारों की सख्या है, सही नहीं है—(रेलियस पालिसी ऑफ द मुगल एम्पराय पृ० 132) ।
- 4 आईन I 160-65 बादशाहनामा I पृ० 292 328 बागशाहनामा II पृ० 717 52 ।
- 5 अमल-ए-सालेह III पृ० 448 89 ।
- 6 यह बृद्धि उम समय प्रचुर रूप में दृष्टिगोचर होती है जबकि कोई बहुत ही सूक्ष्म ढंग से अकबर के राज्यकाल के पालागवें वर्ष म 1 000 जात के ऊपर क जीवित मनसबदारों की संख्या (आईन की सूची पर आधारित) की तुलना शाहजहाँ के राज्यकाल के दसवें वर्ष म मनसबदारों की संख्या (साहोरी पर आधारित) क करे । अकबर के राज्यकाल के पालागवें वर्ष मनसबदारों की संख्या 34 था और शाहजहाँ क शासनकाल के दसवें वर्ष 191—अर्थात् 55 गुनी बृद्धि ।
- 7 पुस्तक के अन्त म प्रस्तुत धौरगजेव के मनसबदारों की सूचियाँ देखिये ।
- 8 शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रथम दो वर्षों क आरड इब्दानी तथा साहोरी द्वारा उल्लिखित पत्ने-नदिया एव निवृत्तिया पर आधारित है तथा धौरगजेव के प्रथम दो वर्षों के आँकड़े काजिम द्वारा भालमगोरीनामा म उल्लिखित आँकड़ा पर आधारित है ।
- 9 यह निष्कर्ष साहोरी की दोना सूचिया की मिना दन पर निकला है परन्तु समान रूप से चाये हुए नामों की संख्या को छोड़ दिया गया है ।
- 10 खाफी खाँ II प 396-97 मामूरी प 156 ब 157 अ दस्तूर अल अमल-ए आगही प० 36 रजायम ए-बरायम प० 28 ब ।
- 11 खाफी खाँ II प 411 12 ।
- 12 'खानाबाद की परिभाषा के लिए देखिये—बहार-ए आउम एम० की 'खानाबाद' शब्द का अर्थ यद्यपि 'नामा का पुत्र' या गलाम अफसर है किन्तु उसका प्रयोग उन सभी मनसबदारों क लिए किया गया है जो मनसबदारों क सम्बन्धी एव वंशज थ ।
- 13 अध्याय के अन्त म तालिका 3 (अ) तथा 3 (ब) देखिये ।
- 14 मामूरी प० 156 ब 157 अ खाफी खाँ II प० 396-97 ।
- 15 बलबन के राज्यकाल मे 'रूस' के सम्बन्ध के लिए देखिये—बरनी तारीख-ए फिरोज शाही (स०) प्रो० एम ए० रसीम अनीस I प 62 107 125 163 ।
- 16 देखिये—अध्याय 2 तथा 3 ।
- 17 पुस्तक के अन्त म लिये गये परिशिष्ट पर आधारित ।
- 18 इस अध्याय के अन्त मे तानिकाए 4 (अ) तथा 4 (ब) देखिये ।  
मिर्जा राजा जयसिंह ने बीजापुर के प्रमुख अमीर मुल्ला अहमद तथा को अपने पक्ष म कर लिया तथा राजा की सिफारिश पर मुल्ला अहमद को 6 000/6 000 का मनसब प्रदान किया गया (भालमगोरीनामा प० 919-20 फतुह-ए भालमगोरी प० 103 ब 116 ब 117 ब 165 ब अखबारत (राज्यकाल का आठवाँ वर्ष) । दखन म शतुभो

के सनानायक एव सेनाध्यक्षों को अपने स्वामी का साथ छोड़ने के लिए उकसाने व बारे में देखिये—मनुवा 11 पं० 239-40 । दखन के राजा व अन्तिम रूप से विजय हान के परवाले ही उनके अमीरा का मुगल अमीर-बग में स्थान दिया गया—दखिये—जवाबिल-ए-दालतगोरी पं० 163 व 163 व माधानिर-ए-शानमगारी पं० 184 224 खाजी खाँ II पं० 304 370 373, मामूरी पं० 187 व अखबारत 7 जिनका राजवाल का खालामवाँ वर्ष ।

- 19 जब 1644 में गोपीनाथ का दखन में शवान विभाग में पेशवा (मुख्य लिपिक) नियुक्त किया गया तो उस उसने भूखर्ची की भाँति 1000/20 का मनसब दिया गया (सनेक्टड हाथमुमटस आक्र भाहजहाँस रेल पं० 64) । इसी प्रकार से खुन्दा-ए-दिन कुशा का रबयिता भीमसेना सक्सेना जानि का था । अमीर-बग के राजवाल के प्रारंभिक वर्षों में उसका पिता का मनसब 150/10 था (खिलकुशा पं० 21 व) । राव दत्तपत राव की संवा में भर्ती होने से पूर्व, भीमसेन स्वयं कुछ समय तक मनसबदार रहा ।
- 20 उदाहरण के लिए, शख अन्तुल खवी 5000/400 तथा मुल्ता इवाड खत्रिहू 1000/200 का मनसब तक पहुँचे ।
- 21 गलदस्ता अलीगढ़ सर मुनेमान सग्रह 666/44 पं० 4 व 5 व ।
- 22 खुलामान उस सियत पं० 54 व ।
- 23 अकबरनामा, III पं० 366 । अत्र प्रबल ध्यान लिखता है कि मिर्जा व परामश-राधा की यह मान रहा था कि ईरान व तुरानी साम्रज्य व प्रति कितन स्वामिभक्त व और न हा उह यह मान था कि राजपूत तथा भय हिन्दुस्तानी कितने साहसी थे ।
- 24 उद्धरित—दक्खिन-ए-महाहिब (सं०) नंबर अक्षर 4 वलकता पृ० 431 32 ।
- 25 अर्ध-राज-ए-मुजफ्फर पं० 19 व 19 व—उद्धरित हाकिम अर्ला ट्रवेल्स पृ० 106-7 ।
- 26 इस मास्य की विवेचना के लिए दखिये—रिफावत अली खाँ का का शास्य निबध 'जहाँगर एव' द राजपूत प्रोमादिस आक्र द इदियन हिस्ट्री कायम अलीगढ़ सशन 1960 पं० 223-25 ।
- 27 इशिया एट द डेय मॉड्र अकबर पृ० 69-70 ।
- 28 बनिवर पृ० 209, 212 ।
- 29 इस विषय पर पूर्ण विधान के लिए देखिये—सतास खद पार्टीज एण्ड पार्तिडियम एट द मुगल को पृ० XXXIX ।
- 30 दखिये—अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 1 (अ), 1 (ब) जिनके बारे में यह निधारण नहीं किया जा सकता कि उनका जन्म किस देश में हुआ 1000 बात या उनसे ऊपर व अमीरा में उनकी सख्या 1658-1678 की सूची में 69 है तथा 1679-1707 की सूची में 93 अर्थात् कुल मनसबदारों की सख्या का कमरा 14.4 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत । वे सभी मुसलमान हैं । इस प्रकार से अर्थात् मुस्लिम गटा की धार्मिक शक्ति को परिबलित करते समय प्रतिशन बताने के लिए मनसबदारों का कुल सख्या में से उनकी सख्या की गटा देना अनुभव है तथा मुसलमान या हिन्दु या अर्थात् हिन्दू गटा की धार्मिक शक्ति को मान्य कराने के लिए इसको एका कुल माय में करनी चाहिए ।
- 31 अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 1 (अ) तथा 1 (ब) देखिये ।
- 32 मुशो भायक जमी-उल-इला अदिय मुजियम, मोरि० 1702, पं० 67 व ।
- 33 बनिवर पृ० 404 ।



- 34 दखिय—अध्याय के अन्त में तालिका 2 (अ) और 2 (ब) ।
- 35 मीरात अल-इस्तिलाह प० 78 अ ।
- 36 मामूरी प० 179 अ खाफी खाँ II प० 378-79 ।
- 37 ईरानी अमीरों के अधिकांशत शिया होने के लिए देखिये—बन्दायूनी II प० 326-27 ।
- 38 देखिये—भाई ए० सीरी का शाय निबंध जर्नल आफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी खण्ड VIII भाग II पृ० 97-119 ।
- 39 अध्याय 4 में दी गयी तालिकाएँ देखिये ।
- 40 बर्नियर प० 8-26 ।
- 41 अध्याय 4 में दी गयी तालिकाएँ देखिये ।
- 42 बर्नियर प० 3 ।
- 43 टर्नियर भाग 2 पृ० 138 ।
- 44 वही ।
- 45 उद्धरित—खाफी खाँ II पृ० 72 । एक रोचक उद्धरण में उसने कहा है शाय मीर द्वारा सम्राट का सवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर देने के कारण सम्राट ने—जो कि खानजादा का (बहुत ही बड़ा) सरदार है—ख्वाफ के सभी लोगों पर अत्यधिक कपाएँ करना प्रारम्भ कर दिया है । यहाँ तक कि श्रीरगद्वार के रायवाल में ख्वाफ जिसका खरासान के सभी भागों में कोई भी विशय अस्तित्व नहीं है के निवासी ऊपर उठे तथा उन्होंने उच्च पद प्राप्त किये जैसा कि पूर्व शासकों के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया । वास्तव में खुरासान के अनेक लोगों की अपेक्षा ख्वाफ के निवासी देखने में उजड़ तथा शुष्क थे लेकिन उनमें से अधिकांशत अपना कल्याणपादन करने में बहुत ही चुस्त और दक्ष थे । स्वामिभक्ति में उनकी गणना (साम्राज्य के) दुर्लभ सफल व्यक्तियों में की जा सकती है ।
- 46 अहकाम पृ 39 ।
- 47 ईसामी फ़तुह-उम-सनातीन स० महदी हसन प० 244 ।
- 48 दिलकुशा प० 84 ब ।
- 49 इस प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए देखिये—डा ए० रहीम का शोध निबंध जहाँगीर पालिसी टुवड स द अफगान्स जर्नल आफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी 1959 खण्ड VII भाग III प 205-0 ।
- 50 दिलकुशा प 84 ब 162 ब दुर-उल-उलूम प० 15 अ । कतय का पालन करने में लापरवाही निश्चिने के अभियोग पर शाहजहाँ ने बन्दायूनी नामक एक अफगान अधिकारी से जिसने बख्तखान बख्श में महत्वपूर्ण वाय किया था जागीर वापस ले ली—अमल-ए-सालह III प 23 ।
- 51 आदाब-ए-अलमगारी पृ० 143 ।
- 52 अध्याय 4 में तालिकाएँ देखिये ।
- 53 मामूरी प० 156 अ ।
- 54 मनुची II प० 453 ।
- 55 दिलकुशा प० 173 ब 174 अ ।
- 56 अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 2 (अ) तथा 2 (ब) देखिये ।
- 57 तुजुब-ए-जहाँगीरी प० 366 ।

- 58 अहकाम, प० 32, 8 ।
- 59 मामूरी प० 156 ब । अजादा मुसलमान को लिख गये औरगजब के एक पत्र व अनुसार कश्मीरी होना भी एक अयोग्यता थी (रजावम-ए-बरायम प 15 अ-ब) ।
- 60 इस तथ्य की ओर पहली बार एस० आर० शर्मा ने संवत् विद्या--रेवीजस पालिसी आफ द मुगल एम्परास (प० 98 101) में उनकी वास्तविक सख्या दी गयी है ।
- 61 आदाव-ए-आलमगोरी प० 24 अ 25 अ रक्तान-ए-आलमगोरी प० 113, 115 । यह बहुत ही रोचक बात है कि इसका सम्बन्ध औरगजब द्वारा प्रकट किये गये उस समय व विरोध से है जब शाहजहाँ ने राव करन की पत्नोन्नति के सम्बन्ध में औरगजब के प्रस्ताव को टुकरा दिया था ।
- 62 बीर विना II प० 423-24 426-27 आदाव ए आलमगोरी प० 355 अ, 326 अ ।
- 63 वही प० 419-20 टिप्पणी । इस निशान का अनुवाक मैंने अपने पेपर द रेविजस इण्ड इन द बार आफ सक्शन 1658 59 जो मैंने अलोगड सेशन आफ द इंडियन हिस्ट्री वायम 1960 में पढ़ा था न किया है । इसी का पुन प्रकाशन मद्रियल इंडिया नवार्टरली (खण्ड V, प० 80 87) में हुआ है ।
- 64 बारा शिकोट इतस्तत परन्तु विशपतीर से प० 175-78 ।
- 65 अध्याय 4 में तानिकाएँ देखिये ।
- 66 रायन एशियाटिक सोसाइटी लन्डन (पाण्डुलिपि सख्या 173) । अशुनगनी की बार नामा-ए-राजपूताना (प० 132) में प्रकाशित ।
- 67 बनिबर प० 40 ।
- 68 मामूरी प० 156 ब ।
- 69 राजपूत प्रश्न एव अमौर वग का उसके प्रति दृष्टिकोण की विवेचना व निरु अध्याय 4 देखिये ।
- 70 उद्धरित--सरकार हिस्ट्री आफ औरगजब खण्ड III प० 367 ।
- 71 उगाहरणत--सुबुक-ए-जहाँगीरी प० 106 आदाव-ए-आलमगोरी प० 26 अ रक्तान ए-आलमगोरी प० 120 ।
- 72 इस संधि द्वारा (जा राणा राजसिंह से की गयी थी) उन परगना जो 1654 में साम्राज्य में विनय कर निरु गये थे तथा जिन्हें 1659 में वापस कर लिया गया था को छोड़ कर मेवाड़ का सम्पूर्ण प्रदेश वापस कर दिया गया । राणा को वही भतमव (5 000/5 000) प्रदान किया गया जो उनके पिता को लिया गया था ।
- 73 इस अध्याय के अन्त में तानिका 2 (ब) देखिये ।
- 74 सरकार हिस्ट्री आफ औरगजब खण्ड IV प० 302 (बिना बर्ष या तिथि किये हुए ही सरकार ने अशुनगनी को उद्धरित किया है, किन्तु लेखक को अशुनगनी में यह सन्दर्भ वही भी प्राप्त नहीं हुआ) ।
- 75 रेवीजस पालिसी ऑफ द मुगल एम्परास प० 134 ।
- 76 बीर विना III 777 78 ।
- 77 मभासार-ए-आलमगोरी प० 176 ।
- 78 ईसरणस प 74 अ-ब ।
- 79 लिनुसा प० 140 अ 141 अ ।
- 80 इनायतुन्नाह अहकाम-ए-आलमगोरी प० 62 ब ।

- 81 सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ़ झोरगढेबवालीन रेन प० 64 ।
- 82 मामूरी प० 156 ब, त्रिकुशा प० 31 ब ।
- 83 भागवत-ए भासमगीरी प० 25 ब 33 ब 33 ब 35 ब 36 ब 43 ब ।
- 84 सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ़ शाहजाना रेन प० 127 13 धोर यल-तत्र ।
- 85 सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ़ झोरगढेबवालीन रेन, प० 64 ।
- 86 उपरोक्त पृ० 182 । उन त्क्यनिया की जा 1000 बात तक क मनसबगारा म इस नियम से मुक्त कर लिया गया ।
- 87 मीरान उल-मानम प० 214 ब 215 साघाय की जमा—9,24 17 16 082 दाम दखन क प्रांता की जमा—2 96 70 00 000 दाम ।
- 88 जशविन-ए भासमगीरी प० 3 ब 5 ब साघाय की जमा—13 80 23 56 000 दाम दखन के प्रांता की जमा—6 00 22,22 140 दाम ।
- 89 मामूरी प० 156 ब 157 ब ।
- 90 सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ़ झोरगढेबवालीन रेन पृ० 115 ।
- 91 त्रिकुशा प० 140 ब ।
- 92 रैनियस पानिया ऑफ़ द मुदन एम्बरसं पृ० 178-80 ।
- 93 वही पृ० 131 ।
- 94 वही पृ० 131 132 ।
- 95 ए० आर० शर्मा अपना पुस्तक (पृ 131) म बहते है कि उहे झोरगढेब के अन्तगत 1000 व उसस ऊपर के 148 हिन्दू मनसबगारा के नाम मिले हैं, किन्तु उन्हने परिशिष्ट म 160 नाम लिये हैं । मरी निजी तानिकाधा म इसी श्रेणी के 251 हिन्दू मनसबगारा के नाम हैं । मैने यन् तानिकाधे स्वतंत्र रूप स बनायी है झोर शर्माजी द्वारा परिशिष्ट म दिये गये 160 मनसबगारा म से 14 के नाम उनम नहीं हैं । उनम शर्माजी ने प्रताप को 5000 जान का मनसबदार बनाया है जबकि वास्तव म वह शम्भा का प्रतिनिधि था, जिसका मनसब 5000 जान था । (त्रिकुशा प० 35 ब-ब सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ़ झोरगढेबवालीन रेन प 66) । हम स 14 के बारे में तथा अन्य के बारे म भी उन् हारणाय सन्तोजी जानैत (5000 जान) धोर टोरा के राजा जयसिंह (5000 बात) के सम्बन्ध मे मुझे प्रत्यधिक सन्देह है (1700 ई म टोरा के फौजदार राजसिंह का मनसब केवल 400/300 ही था—अखबारात 18 शादान 43वाँ राजकीय पप) ।
- 96 अघाय के अन्त म तानिका 2 (अ) तथा 2 (ब) देखिय ।

## अमीर-वर्ग का संगठन—मनसब, वेतन तथा सेवा की शर्तें

### मनसब प्रथा का विकास

मुग़लों के अन्तर्गत अधिकारी वर्ग में 'मनसब' (पद, स्थान, श्रेणी) शब्द किसी पद पर आसीन (मनसबदार) व्यक्ति के स्थान का द्योतक था। मनसब अपने ही में एक पद नहीं था वह उसके प्राप्तकर्ता के स्तर को ही निर्धारित नहीं करता था, बल्कि उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा उसे यह उत्तरदायित्व सौंपता था कि वह निश्चित संख्या में सैनिकों को घोड़ों व साज सामान के साथ, अनुरक्षित करेगा।

भारतीय मुग़लों के समय से बहुत पूर्व से ही तुर्की सनाओ में घुडसवारों का संगठन दशमन्व प्रणाली के नमूने पर आधारित था। दिल्ली के सुलतानों के अन्तर्गत जा एक घान्श प्रथा लागू हुई थी उसके अनुसार 10 घुडसवार (सवार) एक सर ए खल के अन्तर्गत, 10 सर ए खला को एक 'सिपहसालार' के अन्तर्गत, दस सिपहसालारों को एक अमीर के अन्तर्गत, 10 अमीरों को एक 'मलिक' के अन्तर्गत, 10 मलिकों को एक खान के अन्तर्गत, और कम से कम 10 खानों को एक सम्राट के अन्तर्गत रखा गया था। इस प्रकार एक सर ए खल के अन्तर्गत 10 व्यक्ति एक सिपहसालार के अन्तर्गत 100, एक अमीर के अन्तर्गत 1,000, एक मलिक के अन्तर्गत 10,000 तथा एक खान के अन्तर्गत 1,00,000 व्यक्तियों की कमान होना चाहिए।<sup>1</sup> किन्तु वस्तुतः यह केवल एक काल्पनिक गणना ही है। यही नहीं, बरन्नी के द्वारा दिये गये इस विवरण में एक त्रुटि भी रह गयी है। चौदहवीं शताब्दी के एक अरब निवासी द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार भारतीय सेना में 'खान के अन्तर्गत 10,000 अश्वारोही मलिक के अन्तर्गत 1,000, अमीर के अन्तर्गत 1,00 और सिपहसालार के अन्तर्गत उसमें भी कम अश्वारोही होते हैं। इस प्रकार तीन उच्चतम श्रेणियों के अधिकारियों की सैनिक टुकड़ियों का आकार 1/10 कम हो जाता है।'<sup>2</sup> चमेडी मंगलो, जिनका भारतीय मुग़लों ने वसज होने का दावा किया, की सेना में

सबसे छोटा सनिक टुकड़ी 10 घुडसवारा की हाती थी तथा अधिकारिया की ऐसी 10 इनाइयाँ '1,00 के सनानायक व अन्तगत हुमा करती थी, 100 के 10 सनानायक' '1,000 के सनानायक' के अन्तगत और 1 000 के 10 सनानायक' '10,000 के एक सनानायक' के अन्तगत हुमा करत थे । 10 000 की एक सनिक टुकड़ी को माधारणत एव तुमान कहा जाता था । ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था में मुख्य सिद्धान्त यह था कि निम्न श्रेणी के अधिकारी उच्च श्रेणी के अधिकारिया के अधीन रहें तथा उनकी टुकड़ियाँ उच्च श्रेणी के अधिकारिया की सनिक टुकड़िया का अंग बनी रहें । दिल्ली सल्तनत में, यदि यह मान लिया जाय कि खान के अन्तगत 10 000 घुडसवार थे तो यह सख्या 10 मलिका के अन्तगत रहने वाली सनिक टुकड़िया, जो कि उसकी सवा में रहती था, के समरूप थी इत्यादि ।

यह कहा गया है कि मनसब प्रथा की उत्पत्ति दशमलव प्रणाली पर आधारित सनिक संगठन से हुई ।<sup>4</sup> इसमें कुछ सत्यता हो सकती है किन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कुछ महत्त्वपूर्ण मामला में मनसबदारी प्रथा, जिस अकबर ने लागू किया, पहले की प्रणाली से भिन्न थी, साथ ही-साथ यह अत्यधिक व्यापक एवं नियंत्रणीय थी ।

मुगल मनसब प्रथा में सभी मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के मातहत थे चाहे वे 10 सवारों या 5 000 सवारों का ही क्या न संचालित करते हो । अमीरों (उच्च श्रेणी के मनसबदार) तथा दोष मनसबदारों के मध्य भेद मुख्यतः परम्परागत था तथा उसका सनिक संगठन पर प्रभाव नहीं पड़ता था । इस प्रकार 5,000 का मनसबदार 1,000 के पांच मनसबदारों को अपने अन्तगत रखकर अपनी सनिक टुकड़ी नहीं बना सकता था । उसका मनसब केवल उसकी ही सनिक टुकड़ी को इंगित करता था । अपना सना की विभिन्न सनिक इनाइयों की देखभाल करने हेतु वह अपने अधीन अधिकारियों को रख तो सकता था लेकिन ऐसे अधीनस्थ अधिकारी तब तक मनसबदार नहीं हो सकते थे जब तक कि उनकी निजी सनिक टुकड़ियाँ उनका उच्च अधिकारियों की सनिक टुकड़िया से पृथक् न हो ।<sup>5</sup>

इसके अतिरिक्त मुगल मनसब द्विमूर्चन होता था तथा दो सख्याओं को संवर्तित करता था—एक को जात (निजी) व दूसरे का सवार (घुडसवार) सम्बोधित किया जाता था । अकबर के राज्यपाल के अंतिम वर्षों से ही जात की सख्या कृत्रिम सख्या बन चुकी थी जिसका मुख्य बाय लागू वेतनमान के अनुसार वेतन को इंगित करने के साथ अधिकारी वग में मनसबदार को निश्चित स्थान पर रखना था ।<sup>6</sup> दूसरी ओर सवार पद इसका निर्धारण करता था कि मनसबदार को कितने घुडसवार और घोड़े रखने पड़ेग । अतएव इसे अश्व सनिक या सनिक पद कहना चाहिए । अकबर के उत्तरकालीन वर्षों में पहले

पहल हमें यह दूसरे पद के रूप में मिलता है।

जब हम आदेश से स्पष्ट विचलन रखते हैं तो हमें पूरा काला में ही द्विपद सिद्धांत के अकुर की विद्यमानता इष्टिगात्र होन लगती है। वगनी बलवन की घोषणा को उदधृत करते हुए कहता है कि यदि एक मलिक अपनी 10 000 की सैनिक टुकड़ी नहीं रखता तो वह इस उपाधि के उपयुक्त नहीं है।<sup>17</sup> किन्तु साथ ही साथ वही इतिहासकार हमें यह भी बताता है कि वदायू के गवर्नर मलिक बकबक के पास 4 000 सैनिक (चाकर) थे, और वह यह बात ऐसे मद्दम में कहता है जिसमें एका प्रतीत होता है कि बकबक ने पाम अपवादस्वरूप एक बहुत ही बड़ी सैनिक टुकड़ी थी।<sup>18</sup> इस प्रकार यद्यपि बहन को बकबक 10 000 सैनिकों का मेनानायक था, किन्तु वास्तव में उसके पास 4,000 सैनिक ही थे। मारलण्ड ने भी यह बात बतायी है कि किस भाँति प्रारम्भिक मुगलों के समय में उच्च उपाधिधारी अधिकारी बहून ही कम अवसरों पर अपनी उपाधियों के अनुसार सैनिक टुकड़ियाँ रखते थे तथा यह सुभाव दिया है कि ऐसी परिस्थिति से निवृत्त के लिए ही अकबर द्वारा द्विपद सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी।<sup>19</sup> विभिन्न शमीरों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए सांकेतिक पदों का ज्ञान मनसब तथा ही सीमित रखा गया। किन्तु प्रत्येक शमीर द्वारा उसके वेतन या निर्धारित आय के अनुरूप सैनिक टुकड़ियाँ रखने की व्यवस्था पर मली भाँति नियंत्रण रखने के लिए एक सवार पद की व्यवस्था की गयी जो ज्ञात पद के या तो बराबर हुआ करता था या उससे कम।<sup>20</sup>

यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी में अकबर की मनसबदारी प्रथा के आधारभूत तत्वों को बनाया रखा गया किन्तु साथ-ही साथ उमम कुछ नये तत्व भी सामने आये। इस प्रकार जहाँगीर के अतगत हम प्रथम बार दो अस्था-सेह अस्था मनसब के सम्बन्ध में सुनते हैं। गारजना के अतगत हम नये मासिक बतन-मान, 'मासिक अनुपात तथा विभिन्न सवार मनसबों के अतगत सैनिक टुकड़ियों का आधार निर्धारित करने के लिए नियम मिलते हैं। इन तत्वों और इनके अतिरिक्त आय तत्वा जग प्रतिअधिन (भगण्त) मनसब जा कि अकबर के समय में भी जाँगे की जानकारी औरगजेव के काल में अति न्यायन हा जाती है। अगरे पृष्ठों में हम पहले मनसब वेतन मान और उनके निर्धारण की विधि के बारे में, तदुपरान्त मनसबदारा व सैनिक उत्तराधिकार के बारे में चर्चा करेंगे।

### ज्ञात और सवार पद

अकबर के समय में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, आधारभूत सवार पद ज्ञात पद के या तो बराबर होता था या उससे कम। उनके उत्तराधिकारियों के अतगत भी स्थिति वही प्रकार की रही। अकाल अलीज ने ऐसे

पाँच उठाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें सवार पद जात पद से अधिक हैं किन्तु उनका विचार है कि ऐसा केवल प्रतिलिपि की त्रुटियाँ के कारण है।<sup>11</sup> किन्तु श्रीरगजेव के शासनकाल के द्वितीय भाग में, ऐसे मनसबदार बहुत ही अधिक सख्या में थे जिनके सवार पद जात पद से अधिक थे।<sup>12</sup> यह सत्य है कि कुछ में सवार पद प्रतिबन्धित (मशरूत) थे। जयपुर अलखारात में हम ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें साधारण पद तथा प्रतिबन्धित सवार पद का मिलाकर जात पद से वही अधिक था।<sup>13</sup> किन्तु साथ-ही साथ ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ सवार पद में पूर्णरूप से और न उसका कोई भाग प्रतिबन्धित है और फिर भी वह जात पद से अधिक था।<sup>14</sup> विशेषतः श्रीरगजेव के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में अनेक उदाहरणों में सवार पद जात पद से अधिक कुछ सीमा तक केवल इस कारण भी हो सकता है कि उस समय अनुभवी एवं योग्य अधिकारियों का अभाव था।<sup>15</sup> जिसके कारण सम्राट को उन लोगों को जिनकी काय-कुशलता पर बड़ा भरोसा कर सकता था बड़ी सैनिक टुकड़ियाँ प्रदान करनी पड़ी। बचत करने के विचार ने भी सम्भवतः सम्राट को इस बात के लिए प्रेरित किया होगा कि अमीरों के जात पद के अनुपात में बिना वृद्धि किये हुए उनके अतगत सैनिकों की सख्या को बढ़ा लिया जाय। सवार पद का जात पद से बढ़ने के कारण चाहे जो कुछ भी हो इस प्रथा का प्रचलन स्पष्टतः सीमित था। साधारणतः यह प्रथा मनसबदारों की उच्च श्रेणियों पर लागू नहीं होती थी। यह कोई आधारीय या सर्वोपेत मुधारन था। ऐसी युक्ति का प्रयोग केवल वही किया गया जहाँ औचित्य ने ऐसा करने पर बाध्य कर दिया था।

### प्रतिबन्धित (मशरूत) पद

पहले के जात और सवार पदों में ही प्रतिबन्धित (मशरूत) पदों को साधारणतः जोड़ दिया जाता था। मीरात अल इस्तिलाह के रचयिता के अनुसार जात मनसब के साथ अप्रतिबन्धित सवार मनसब प्रदान किया जाता था और प्रतिबन्धित मनसब किसी विशिष्ट अधिकारी को किसी विशेष पद पर सवाएँ करने की बात को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता था। उठाहरणाथ, यदि किसी मनसबदार को एक विशेष प्रदेश में फौजदार नियुक्त किया जाता था और इस बात का आभास होता था कि उसके द्वारा सन्तोपजनक कार्यों के करने के लिए 100 सवारों के मनसब की और आवश्यकता है तो फौजदार के मनसब में प्रतिबन्धित मनसब की वृद्धि कर दी जाती थी ताकि वह 100 सवारों को भर्ती कर ले। इन अतिरिक्त प्रतिबन्धित मनसबों के वेतन के लिए उसे जागीर भी प्रदान कर दी जाती थी। जब उसे इस पद में स्थानान्तरित कर

लिया जाता था, तो साधारणतः उसका प्रतिबन्धित मनसब रद्द कर दिया जाता था और अनिश्चित दी गयी जागीर भी उसमें वापस ले ली जाती थी।<sup>16</sup> कभी-कभी तो प्रतिबन्धित मनसब का पूरा या उसका एक भाग अप्रतिबन्धित कर दिया जाता था। ऐसा होने पर उक्त मनसबदार की पदोन्नति सम्भवी जाती थी और साधारणतः उक्त मनसबदार को सम्मान सूचक चिह्न प्रदान करने की दशा में ही ऐसा होता था।<sup>17</sup>

### दो अस्था-सेह अस्था पद

जसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है जहाँगीर के राज्यकाल में मनसब दारी प्रथा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, अर्थात्—दो अस्था मह अस्था मनसब का लागू किया जाना। जहाँगीर के राज्यकाल के दसवें वर्ष में जब महाबत खाँ को दखन के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया तो उसे विशिष्ट ढंग से सम्मानित करने के लिए उससे मनसब में से 1 700 सवारों को दो अस्था सेह अस्था कर लिया गया।<sup>18</sup> यह किसी अमीर को दो अस्था सेह अस्था मनसब प्रदान किये जाने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है। जहाँगीर के राज्यकाल में तो दो अस्था मह अस्था मनसब लिये जाने से सम्बन्धित उदाहरण अभिलिखित हैं किन्तु शाहजहाँ के शासनकाल में वे अनेक बार प्रदत्त किये गये। 1 000 जात व उसके ऊपर के मनसबदारों की नीचे दी गयी तालिका में यह तथ्य देखा जा सकता है—

याग	दो अस्था मह अस्था मनसब के मनसबदार
शामन का 10वाँ वर्ष <sup>19</sup>	191 12
शामन का 20वाँ वर्ष <sup>0</sup>	219 23
शामन का 30वाँ वर्ष <sup>1</sup>	253 25

घोरगढ़ के शासनकाल में इस प्रकार के मनसब प्राप्त करने वालों की संख्या और भी बढ़ गयी। उससे शासनकाल के प्रथम बीस वर्षों में 1 000 जात व उसके ऊपर के कुल 486 मनसबदारों की संख्या में से 68 मनसबदार ऐसे थे जिनसे पाग दो अस्था-सेह अस्था मनसब था। घोरगढ़ के शासनकाल के दोष भाग में, 1 000 जात व उसके ऊपर के 575 मनसबदारों में से 70 ठेग अभिनिर्दिष्ट मनसबदार थे जिनसे पाग यह संख्या था।

सामान्य रूप में दो अस्था-मह अस्था मनसब को गवार पद का ही एक अंग माना जाता था। इस मनसब का व्यवहार करने का राजकीय ढंग इस प्रकार था—



उदाहरणार्थ, 4 000 जात 4 000 सवार कुल (हमा) दो अस्था-मह अस्था" जिसका अर्थ था 4 000/4 000 + 4 000, या 4 000 जात, 4 000 सवार, उसमें से 1 000 दो अस्था-मह अस्था, अर्थात्—4 000/4 000 + 1,000। इस प्रकार वह कभी भी सवार पर नही बढ सकता था। यदि सवार पर का कोई भी भाग दो अस्था सेह अस्था कर दिया जाता था तो दोष पर का बारावर्ती कहा जाता था। अर्थात् यदि 4 000 सवारा में से 1 000 दो अस्था-मह अस्था होते थे तो दोष 3 000 को बारावर्ती कहत थे।<sup>2</sup> बारा यान पर के भाग के लिए अमीर को उसी दर में भुगतान किया जाता था जिस प्रकार में उसके साधारण मनसब के लिए, तथा उसका उत्तरदायित्व भी उसी पमाने पर होता था परन्तु दो अस्था सेह अस्था पर के लिए उगका उत्तरदायित्व एक बतन दोनों ही दुगन कर दिया जात थे। दूसरे पक्ष में सनिव उत्तरदायित्व एक बतन की दृष्टि से 4 000 सवार पर, जिसमें से 1 000 सवार से अस्था-मह अस्था थे का साम्बिक अर्थ 5 000 सवार था (अर्थात् 3 000 साधारण + 1 000 2-3 अस्था = 3 000 साधारण + 1 000 × 2 साधारण = 5 000 साधारण)। इसमें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब मस्राट सिमी व्यक्ति पर कृपा करता चाहता था या पर चाहता था कि बिना उसके जात पर में वृद्धि के (जो साधारणतया सवार पर से बड़ी कृपा करती थी) वह एक बरी सनिव टुकड़ी रम तो वह उसको दो अस्था-सेह अस्था पद प्रदान कर दिया करता था।<sup>4</sup>

### पदों के लिए वेतन

व्यावहारिक रूप से मुगल का अमीर-वग अपनी आय के लिए प्रशासन द्वारा निया गय बतन पर ही निर्भर रहता था चाहे वह नाद में ही अथवा जागीरो के रूप में। प्रत्यक्ष अमीर को जो वेतन प्राप्त होता था उसका निर्धारण उसके मनसब द्वारा होता था। कभी कभी अमीरों को अतिरिक्त वेतन इनाम के रूप में भी दिया जाता था<sup>5</sup> किन्तु यह भुगतान मनसब के अनुसार दी गयी धन राशि के पूरक के रूप में समझा जाता था। मनसब जगा कि हम पहले देख चुके हैं सदैव द्विगुणक—जात व सवार—होता था। कुछ उदाहरणों में सवार पद में ही उसी प्रकार का एक अतिरिक्त पद जो दो अस्था-मह अस्था कहलाता था, जोड़ दिया जाता था। इनमें से प्रत्येक पद के लिए मनसबदार निश्चित वेतन की धनराशि, जो सस्थापित मानों द्वारा निर्धारित रहती थी की पृथक् पृथक् माँग के लिए जिसे 'तलय कहा जाता था, दावा करने या अधिवारी था।<sup>20</sup>

इससे पूर्व कि हम उन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों, जिनके आधार पर यह वेतन मान बनाये जाते थे, पर ध्यान दें हम इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि

जात पद मुख्यतः व्यक्तिगत होता था, सवार पद (और पूरख दो अस्पा नेह अस्पा पद) सनिक टुकडियो के आकार को निर्धारित करता था जा अमीरो को रखनी पडती थी। अतः इससे यह ग्रात होता है कि प्रथम पद का वेतन प्राप्तकर्ता को अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए तथा अपने व्यक्तिगत नौरर चाकरा पर व्यय करने के लिए मिलता था जबकि दूसरी और तीसरी मदो के लिए किया गया भुगतान अपनी सनिक टुकडियो पर खच करने के लिए होता था। इस प्रकार, वेतन सम्बन्धी प्रमाणपत्रो को तयार करते समय, प्रथम मन् के लिए वेतन 'खासह ( व्यक्तिगत) और बाद वाली मदो का 'ताबीनान' (सनिक टुकडी या परिचर) कटा जाता था।<sup>7</sup> अक्बर के समय से लेकर, मनसब की विभिन्न श्रेणिया को लिए वेतन की स्वीकृत सूचिया उपलब्ध हैं, और व्यक्तिगत अमीरो के वेतन के आंकडो स सम्बन्धित अनेक सन्दर्भो को भी उनम जोडा जा सकता है।<sup>8</sup> जिस काय के लिए वेतन का भुगतान किया जाता था, उसके अनुसार मनसबा की प्रत्येक श्रेणी के लिए वेतन मान से कुछ तत्त्व ग्रात होते हैं जिनके सम्बन्ध मे उल्लेख किया जा सकता है।

1) जात पद की एक सग्या के लिए निर्धारित वेतन का दूसरे जात पद से साधारण गणितीय आनुपातिक सम्बन्ध नहीं रहता था इसलिए जात मनसब की प्रत्येक श्रेणी के लिए वेतन पृथक पृथक उल्लेखित हैं। उच्चतर मनसब पर पनी नति हान पर वेतन यथानुपात नहीं चलता था। दूसरे 5000 के नीचे के पदो के लिए जात पद का वेतन विविध रूप मे तीन श्रेणियो के लिए निर्धारित किया जाता था—प्रथम जब सवार पद जात पद के बराबर या आधे से कम न हो। द्वितीय जब सवार पद जात पद का आधा हो, और तृतीय जब वह आधे से कम हो। प्रथम श्रेणी का वेतन द्वितीय श्रेणी के वेतन से और द्वितीय श्रेणी का वेतन तृतीय श्रेणी से अधिक होता था।

2) विभिन्न पदो मे सवार पद का वेतन पृथक रूप से निर्धारित नहीं होता था, परन्तु सवार पद की दर प्रत्येक इकाई के लिए निरपवाद रूप से व्यवहृत होती थी। सवार पद के वेतन का परिकलन करने के लिए उस घनराशि को सवार पद की सग्या से गुणा करना पडता था। परिकलन करने का यह ढंग हमे उस समय समझ मे आता है जब हम यह ध्यान मे रखते हैं कि जो कुछ भी हम यहां विचार कर रहे हैं वह अपक्षिण सनिक टुकडिया को रखने के लिए अनुबन्धित दरें हैं। दस घुडसवारा को औसत ढंग से दी गयी पनराशि किसी एक को भुगतान की गयी घनराशि का दसगुना होगी, और इस लिए उच्च पदो के वेतन मे वृद्धि निश्चित गणितीय अनुपात मे की जाती थी।

3) दो अस्पा सह अस्पा पद को सवार पद का एक अंश<sup>9</sup> इत विगिष्टता

के साथ समझा जाना था कि इस पद की सख्या का उत्तरदायित्व साधारण पद के उत्तरदायित्व से दुगुना होता था।<sup>30</sup> इसलिए उसका वेतन भी साधारण पद से दुगुना होना अवश्यभावी था। उदाहरणार्थ यदि किसी मनसबदार का पद 3 000 सवार था, और उससे 1 000 सवार दो अरसा सह अरसा थे तथा प्रत्येक सवार पद की इकाई के वेतन की दर 8 000 दाम थी तो उसके वेतन का परिवर्धन निम्नलिखित ढंग से होगा—

3 000 के सवार पद में 1 000 दो अरसा-सह अरसा। इस प्रकार उसमें 2 000 बाराबर्नी (साधारण) सवार होंगे जिनका वेतन  $2,000 \times 8 000 = 16 000 000$  दाम होगा। और 1 000 दो अरसा-सह अरसा का वेतन  $1 000 \times 8 000 \times 2 = 16 000 000$  दाम होगा। कुल योग  $= 32 000 000$  दाम।<sup>31</sup>

इस प्रकार से सवार पद का वेतन उसी सख्या के जात पद के वेतन से वही अधिक होगा क्योंकि प्रथम के अनुसार सैनिकों को रखने के लिए धन मिलता था जबकि दूसरा अमीर का व्यक्तिगत वेतन था।

आर्देन में वेतन रण्यो में यक्त किया गया है, लेकिन परवर्ती माना में वह दाम में दिया गया है।<sup>32</sup> अकबर के काल से जमाया प्रत्येक परगने की आय की उस रकम का आठवें के एवज में आठवट (जागीर) के लिए निर्धारित की जाती थी दाम में ही मूल्यांकन होता था और जागीर के मूल्यांकन का मुद्रा की इस इकाई (दाम) में वेतन-तालिकाओं में उल्लिखित करना बहुत ही थयस्कर समझा गया होगा।

मारलण्ड ने यह प्रदर्शन किया है कि अकबर और शाहजहाँ के समय के मध्य जान व सवार पदा के वेतन का धीरे धीरे किस प्रकार घटाया गया।<sup>33</sup> इस काल के विभिन्न प्रपत्रों एवं नियम पुस्तिकाओं में इस सम्बन्ध में अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध है जो मारलण्ड को तो उपलब्ध नहीं हो सके थे किन्तु फिर भी उसके निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विषय में विस्तारपूर्वक जायें। शाहजहाँ द्वारा निश्चित किया गया वेतनमान हम कम से कम तीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं।<sup>34</sup> जबकि औरंगजेब के समय की तालिकाएँ जिनमें उसी प्रकार के वेतनमानों का उल्लेख है वही अधिक सख्या में हैं।<sup>35</sup> औरंगजेब के राज्यकाल के दस्तूर उल्ल अमलो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शाहजहाँ ने जो वेतन मान निश्चित किये थे उनमें किसी भी प्रकार का भी परिवर्धन नहीं करवाया औरंगजेब ने उन्हें जारी रखा। जात पदा के लिए वेतन के विस्तृत आँकड़े वही हैं जबकि सवार पदों के लिए 8 000 दाम प्रति इकाई की दर में भुगतान होता रहा। इस अध्याय के अन्त में दिये गये एक परिशिष्ट में दा ग़ासनकालीन से सम्बन्धित

विभिन्न जात पदों की सख्या की तुलनात्मक तालिकाएँ दी गयी हैं ।

### मासिक-अनुमाप

मासिक अनुमाप या अनुपात का नियम जो सबप्रथम शाहजहाँ के राज्य काल में अस्तित्व में आया शीघ्र ही सबव्यापी हो गया । ऐसा प्रतीत होता है कि हमकी उत्पत्ति सरकार द्वारा निर्धारित रकम (जमा) तथा जागीर से वास्तव में वसूल की गयी लगान की रकम (हासिल) के बीच अंतर के कारण हुई ।<sup>36</sup>

इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागीर प्राप्त करता जिसकी जमा कागज पर उसके बापिक वेतन-दावे (तलब) के बराबर हुआ करती थी, तो वस्तुतः उसे उम्मेद अपने दावे का केवल 1/2 या 1/4 भाग ही प्राप्त हो पाता था । ऐसी स्थिति में जागीर को 'अधमाहा' (छमाही) या 'सेहमाहा' (तिमाही) शायद बली जागीर ही कहा जाता था ।<sup>37</sup> जहाँ वास्तविक वसूली से जमा अत्यधिक हुआ करती थी वहाँ जागीर मासिक अनुमाप में बहुत ही नीचे हाती थी । शाहजहाँ के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में मुगल-दक्खन की वास्तविक हासिल जमा का केवल चौथाई भाग था (अर्थात् तीन भाग के बराबर) ।<sup>38</sup> इस प्रकार दक्खन में अधिकांश मनसबदारों की जागीरें चार माहा से अधिक तो नहीं प्रत्युत अधिकतर उससे कम ही हुआ करती थी ।<sup>39</sup> उत्तरी भारत में परिस्थितियाँ बहतर ही दिखायी पडती हैं । शाहजहाँ के अन्तिम वर्षों में तथा औरंगजेब के शासनकाल में, हम बात की हम शिकायतें सुनायी पडती हैं कि उत्तरी भारत से दक्खन के स्थानान्तरण किये जाने के कारण एक जागीर निम्नतर मासिक मान पर हो जाती थी ।<sup>40</sup>

मासिक प्रणाली नकद वेतन के सम्बन्ध में भी लागू होती थी । स्वभावतः एक व्यक्ति को जिसके पास पाच माहा जागीर ही, कभी भी नकदी बना दिये जाने पर पूरे बरह महीने का वेतन नहीं दिया जा सकता था । शाहजहाँ ने, राज्यकाल के 27वें वर्ष में जारी किये गये एक फरमान में यह घोषणा की कि नकदी वेतना (तनख्वाह ए-नकदी) के अठमाहा के ऊपर या 'चार माहा की दरों के माझे कभी भी निर्धारित न किया जाये । शाही राजकुमारों की छोड़कर उपराज सिद्धांत का अपवाद साम्राज्य के केवल दो ग्रामीरों के सम्बन्ध में मित्ता है जिन्हें दस माहा अनुमाप के अनुसार वेतन मिलता था ।<sup>41</sup>

किमी अभ्यर्षिणी द्वारा अपनी जागीर से वसूल किया गया हासिल का जमा में अनुपात, वस्तुतः मासिक अनुमाप के सही अनुपात से केवल अनुमानतः मिलता-जुलता होगा । बिरता जागीरदार ही कागज पर लिखे हुए वेतन का 5/12 या 7/12 भाग पूर्णरूप से वसूल कर पाता था । दूसरी ओर, नकदी भुगतान में मासिक अनुपात का पूर्णतः अनुमरण होता था । यदि किसी मनसबदार का

कागज पर वापिस वेतन एक लाख दाम हा<sup>4</sup> तो कुछ नियम पुस्तिकाया म ऐसी तालिका मिलती है जिसम एक नकद वेतन पान वाले मनसबदार को प्रत्येक मासिक अनुपात के अन्तगत रूपण और आनो (वास्तविक मुद्रा) म धनराशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया है—

12 माह र० 2,500	11 माह र० 2 291/10॥	10 माह र० 2 083/५॥	9 माह र० 1875
8 माह र० 1 666/10॥	7 माह र० 1,458/5॥	6 माह र० 1 250	5 माह र० 1 041/10॥
4 माह र० 833/5॥	3 माह र० 625	2 माह र० 416/10॥	1 माह र० 208/5॥

जवाबित ए-आलमगीरी मे 100 दाम 1 000 दाम और 10 000 दाम वेतन के लिए भी इसी प्रकार की तालिकाए दी गयी है। इन सभी तालिकाया मे मही सही गणितीय अनुपाता का अनुसरण किया गया है। विभिन्न जात पन्ने के लिए स्वीकृत किये गये प्रत्येक मासिक अनुपात के हिसाब स वापिस वेतन का उल्लेख खुलासात उस सियक म किया गया है।

एक नियम पुस्तक म सुस्पष्ट ढंग से यह उल्लेखित है कि जा तालिकाए ऊपर दी गयी है वे केवल नकदी पान वाले जात पन्ने के वेतन के बारे म ही लागू हानी हैं। उनके सवार पद (तावीगान) के लिए विभिन्न मासिक ऋणो का भुगतान मिलकुल ही भिन्न अनुभापके हिसाब स किया जाता था। यह अनुभाप तावानान शीपक के अन्तगत लिया गया है जो अगल पृष्ठ पर तालिका म प्रदर्शित है।<sup>44</sup>

इस तालिका का महत्व केवल तभी समझा जा सकता है जब हम साहजहाँ के उस फरमान का उल्लेख यहाँ करें जो उसने अपने राज्यकाल के 27वें वर्ष म जारी किया था। यह आदेश यह घोषित करता है कि दरवार स इस बात का अनुमोदन किया गया है कि जा अमीर और मनसबदार जागीरो के स्थान पर नकद पात हैं और प्रत्येक दाग हुए घोड (अस्प दागी) के लिए जागीरदारो के सात रसद घाडा पर आने वाले खच के अन्तर्ग को घटा कर 8 माह, 7 माह 6 माह के लिए 30 रूपय 5 4 माह के लिए 26 रूपय प्राप्त करत हैं उनके लिए यह नियम लिया गया है कि उह 8 माह के लिए या 4 माह के नीचे 30 रूपय भुगतान करना तकसगत नहीं है। अतएव हम लोगो न निश्चय किया है कि इस वर्ष के मिहिर के सौर माह के प्रारम्भ से

12 माह प्रति व्यक्ति (फी नफर) प्रति माह रु० 40	11 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 37/8 घाना	10 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 35	9 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 32/8 घाना
8 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 30	7 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 27/8 घाना	6 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 25	5 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 22/8 घाना
4 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 20	3 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 17/8 घाना	2 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 15	1 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 12/8 घाना

इस्पन्दारमुज माह के अन्त तक '1/5 नियम' के अनुसार (अर्थात् जिनके अनुमार सवार पद की संख्या का 1/5 भाग घुटसवारों का रखना ही पड़ता था) घोड़े दाग जायें, तथा प्रति घोड़े के लिए '8-माह' के लिए तीस रुपया, '7-माह' के लिए 27 रुपय 8 घाना, '6-माह' के लिए 25 रुपय, 5 माह के लिए 22 रुपय 8 घाने तथा '4 माह' के लिए 20 रुपय भुगतान किया जाये।<sup>41</sup> इस आदेश का, श्रीरगजय के उम पत्र के साथ पढ़ना चाहिए जो उसन ग्राहजहाँ के शासनवान के 29वें वष लिखा था, तथा जिसमें उम ग्राही आदेश का उद्धरित किया गया है, जिसके अनुसार '3 माह' तथा '2 माह' के लिए प्रमाण 17 रुपय 8 घाने और 15 रुपय (अर्थात् बही) वनन भजूर किया गया, और मिहिर खरीफ युक्त द्वितीय, भाग के प्रारम्भ में 20 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से (दखन के लिए) निर्धारित किया गया अर्थात् उसी दर से जसा कि 4-माह के लिए।<sup>42</sup>

इस साम्य से निम्नलिखित तथ्य निश्चित हात हैं। प्रथम यह कि जिन व्यक्तियों को नरद वतन मिलता था उन्हें उनके सवार पद के लिए उस वष उनके सवार पद की संख्या को 8000 दाम में गुणा करने के पदचान प्राप्त मन्ना के बराबर धन नहीं दिया जाता था, जसा कि जागीरों वाले के साथ किया जाता था। दूसरी ओर पढ़ति यह भी कि पल इम का निधारण कर दिया जाता था कि मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार कितनी बही सन्निह टुकड़ी रखनी पड़ेगी। नतीजे के प्रकरण में इसका निर्धारण एक बड़ा पैच नियम के अनुसार होता था। उनके पदचान निर्धारण सवारों की संख्या

को '12 माही अनुमाप के अन्तगत भुगतान की स्थिति में, 40 रुपए प्रति माह की दर से गुणा कर दिया जाता था। व लाग जो निम्नतर मासिक अनुमाप के अन्तगत रहे गये होते थे उनके लिए प्रति सवार की दर घटा दी गयी थी, किन्तु यह उस अनुपात से नहीं हाना था जो किसी महीने का वारह के साथ हाना था। यह ही व दर है जिह ऊपर दी गयी तालिका में पुन उल्लिखित किया गया है और जो ग्राहजहाँ के फरमान का विषय है।

एक बटा पाँच नियम के अन्तगत मनसबदारों का जितनी सख्या में धाम्नी और घोडे रखन पडत थे उनका विस्तृत विवरण हम बाह्याहनामा और सुला सात उस सिपक में मिलता है।<sup>16</sup> इन्ही के आधार पर वाय करत हुए तथा ऊपर दी गयी तालिका का प्रयाग करत हुए हम सवार पद के किसी भी नकती पान वान का वतन जो उन किसी भी मासिक अनुमाप के हिसाब से मिलना चाहिए मालूम कर सकते हैं। नीचे दी गयी तालिका के दूसरे स्तम्भ में इसी ढंग में परिवर्तन करके 100 सवार पद के नकती पान वाला व वतन को दिखाया गया है। तीसरे स्तम्भ में ग्राहजहाँ के 27वें वर्ष के पून से आधारित दर से परिवर्तित वतन (74 माह) और जो दर (23 माह) भाग चलकर दरखन में लागू की गयी का उल्लेख किया गया है। चौथे स्तम्भ में सवार पद की प्रति इवार्ड का 8000 दाम की दर के आधार पर परिवर्तित वतन दिखाया गया है और प्रत्येक महीने के लिए अर्कड सही ढंग से गणितीय अनुपात में निरूपित करत है—

1	2	3	4
12 माह	रु० 21 120		रु० 20 000 (8 00 000 दाम)
11	18 000		18 333
10 ,	15 120		16 666
9 ,	12 480		15 000
8	10 440	रु० 10 440	13 333
7	8 250	9,000	11 666
6 ,	6 600	7 920	10 000
5	5 400	6,240	8 333
4	3 840	4 992	6 666
3	2 520	2 880	5 000
2	1 440	1,920	3 333
1	600	—	1 666

इस तालिका में जो कुतूहलजनक बात स्पष्ट होती है वह यह है कि उच्चतर मासिक अनुमाप वाले नकदियों का वेतन निम्नतर मासिक अनुमाप वालों की अपेक्षा प्रति घंटे के हिसाब से, कहीं अधिक था। जसा कि तीसरे स्तम्भ के आंकड़ा से स्पष्ट है शाहजहाँ के 27वें वर्ष के आदेश से पूर्व निम्नतर श्रमियों की दशा बहतर थी। कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि औरंगजेब ने दखन के वायसराय के रूप में इस आदेश में सुधार करने पर इतना क्या बल दिया तथा शाहजहाँ के द्वारा दखन में 2 व 3 मासिक अनुमापों में नियत लोगों को छूट न्यून जाने पर क्या इतना कृतन र्हा गया। पर तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट के रूप में औरंगजेब अपनी उन दलीलों को जो उसने वायसराय के रूप में पक्ष की थी स्वयं भूल गया तथा जो तालिका हमने पुनः उल्लेखित की है उससे यह बात साबित होती है कि उसने शाहजहाँ द्वारा प्रतिष्ठित नये मान को ही जारी रखा। 12 माह से 7 माह तक की वेतन-तालिकाएँ केवल शक्ति अभिवृद्धि के लिए ही रहीं, क्योंकि अपने शासनकाल के 21वें वर्ष में औरंगजेब ने शाहजहाँ द्वारा सभी नकदियों को दिये गये अधिकतम भत्ते का 8 माह से घटा कर 6 माह का कर देने का निणय किया।<sup>48</sup>

### वेतन में से कटौतियाँ

स्वीकृत किये गये दावे (मुकरर तलब) में से कई प्रकार की कटौतियाँ हुमा करती थीं। सबसे अधिक कटौतियाँ दखनियाँ, अर्थात् बीजापुरी हैदराबादियाँ और मराठा अधिकारियों, जो मुगला की सेवा में थे के वेतन में से हुमा करती थीं। सबसे पहले दोनों पदा के लिए वेतन का परिवर्तन कर लिया जाता था और उसके पश्चात् उसका चौथाई भाग काट लिया जाता था और शेष के लिए या तो जागीरें प्रदान कर ली जाती थी या नकद वेतन। इस कटौती का '7 वाज ए दाम ए-चौथाई' या दाम में 1/4 कटौती कहा जाता था। यह कटौती शाहजहाँ के काल में लागू की गयी थी और औरंगजेब ने इसे जारी रखा।<sup>49</sup>

चौथाई एक इस प्रकार की कटौती थी जो अमीर वर्ग के एक विशेष भाग पर ही लागू होती थी। तथापि, यह एक उत्तरदायित्व था जो सम्भवतः उतने महत्त्व का था नहीं फिर भी बहुत ही सारगर्भित था तथा जो सभी अमरारों पर, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से छूट न दे दी गयी हो, लागू होता था। इसमें कई मर्ते थी जिन्हें मिना कर एक ही वर्ग 'खुराक ए-दब्बा' (जानवरा के लिए घास-दाना) के अन्तर्गत रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः यह बचल कुछ सभ्यता में सम्राट के हाथियों, घोड़ों और खिलान तथा गार्दियों रखने से सम्बन्धित उत्तरदायित्व था। अधिकारियों के जात पद के अनुसार ही सभ्यता का नियमन होता था। प्रत्येक पद के हिसाब से जिनकी सभ्यता में



जानवर भ्रांति रखन पड़त थे उससे सम्बन्धित एन पूण मापक्रम, आईन म निया हुमा है।<sup>50</sup> यद्यपि खूराक ए दब्बाव गजबनुनफज्ज क ग्रन्थ म गहा मिलता है किन्तु यह स्पष्ट है कि उसका तात्पर्य उनी उत्तरनायित्व म है। धौरगजेव के शासनकाल की एक नियम पुस्तिका म एक म त्तम म हम यह गजब मिलता है जिनका ग्रन्थ भमीर द्वारा रसे जान वाल जानवरा वा घाम-दाना है।<sup>51</sup> प्रत्येक पद के अधिनारिया वा जिननी गन्या म जानवरा (घाठ व हाथी) वा खिलाना पडता था उसका वास्तविक व्यौरा निया हुमा है।

भमीरो को जानवर सौंपन क पश्चात भगला वत्तम यह था कि गाही प्रस्त वल म जानवर रसे जायें धौर इस बात की मांग वा जाय कि भमीर उनकी खूराक क लिए सर्चा दें।<sup>52</sup> इस प्रकार उन तालिकाभा म जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जानवरा की सख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जानवर की खूराक के मानक स्वच वा व्यौरा निया गया है। भमीर द्वारा वतन क लिए किय गय दावे अथवा तलब म से खूराक या रसद ए खूराक का मूल्य वाट लेना शाह जहाँ के समय तक वास्तव म एक प्रथा बन गयी थी।<sup>53</sup> तथापि धौरगजेव के शासनकाल म हम यह देखते हैं कि पूण वतन के लिए जागारें प्रदान कर दी जाती थी तदुपरांत खूराक नकद वा माल के रूप म मांगी जाती थी जागीर दारा से इस वमूल करने के लिए सजावल वा गाही मदेगवाहक भजे जात थे।<sup>54</sup> एसा प्रतीत हाता है कि इस भमीर बहुत ही बुरा मानत थ। धौरगजेव के 46वें शासकीय वष म, हाथिया की खूराक के बार म सम्राट न इस प्रणाली के उन्मूलन के लिए सहमति द दी। अतएव इस कर वा पुन दाम म परिवर्तित करना पडा धौर क जागीरें जिनकी आय जमा क बराबर थी जागीरदारा क हाथो से वापस लेनी पडा एस प्रकार व खूराक एकत्र करन वा जानवरो क लिए नकद रकम दन क उत्तरनायित्व से मुक्त कर दिय गय।<sup>55</sup> भगल शासन काल म यही कायवाही सम्पूर्ण खूराक ए दब्बाव क लिए लागू कर दी गयी जिससे सभी मनसबदारो को अत्याधिक राहत मिली।<sup>56</sup>

नियमो के अ तगत खूराक ए दब्बाव ऐस किसी अधिकारी पर ननी लगाया जाता था, जा 14 लाख त्तम वा उससे कम वतन पा रहा हा वा उन लोगो से जिनके पास कोई सवार पद न था वा जिनके पद 400 जात वा 200 सवार से नीचे थ।<sup>57</sup> इसके अतिरिक्त सम्राट कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारियो को भा इस उत्तरनायित्व से मुक्त कर दिया करता था।<sup>58</sup>

एक अग्र्य प्रकार की कटौती हुमा करती थी जिस पारिभाषित अर्थो म इरमास कहते हैं। बंगालुनी के अनुसार तलब ए इजनास (रसद क लिए मांग) का यह इसका दूसरा नाम था।<sup>59</sup> अपन शब्दकोश म इनाहदात् फजा यह लिखता है कि अकबर के प्रशासन म इस शब्द का प्रयोग नकद एव वतन क अतिरिक्त,

उन सभी वस्तुओं के लिए होता था जो सैनिकों को दी जाती थी और वह इस 'गज' का 'इरमास' स तादात्म्य स्थापित करने में वदायुनी का अनुसरण करता है।<sup>14</sup> स्पष्टतः माल के रूप में इस प्रकार के भुगतान का मूल्यांकन होता था और उसकी कटौती बतन में से की जाती थी।<sup>15</sup> अबुल फजल ने जो कुछ आईन में कहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती उनके लिए था जो घाटे सम्राट अपने अमीरों को उपहार में भेंट किया करते थे।<sup>16</sup> शाहजहाँ के शासन काल के बतन विवरण में इस प्रकार की कटौती, दो अथ महत्त्वपूर्ण कटौतियाँ, 'रमद खुराक तथा चौथाई के साथ सलग्न है।'<sup>17</sup>

'नकलियाँ को नकद में जो बतन लिया जाता था, उसमें से भी कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती थी जिनमें दो नामी (अर्थात् रुपये में से दो दाम), जो 5 प्रतिशत के बराबर थी।'<sup>18</sup>

इन कटौतियों के अतिरिक्त कई प्रकार के अथ दण्ड या जुमान भी थे। विभिन्न कारणों के लिए किन्तु अधिकांश अमीरों में जितने सैनिकों की आशा की जाती थी उनमें कमी के कारण यह जुमान आरंभित किया जाता था। यदि अश्व-राहियों की संख्या का 1/4 भाग से अधिक फौती (मृतक) या फरारी (पलायित) दण्ड होते अथवा अन्तिम भर्तियों के समय से यदि 1/4 से अधिक व्यक्ति नए रजिस्ट्रेशन के रूप में पकड़े जाते, तो अमीरों का प्रति सवार के हिसाब से 4 मुहर अथ-दण्ड के रूप में दना पड़ता था। इसी प्रकार घोड़ों की संख्या में भी किसी प्रकार की कमी पर प्रति घोड़े दो मुहरों के हिसाब से अथ-दण्ड वसूल किया जाता था।<sup>19</sup>

कभी कभी विशेषरूप से अभियानों के समय, सम्राट मनसबदारों का पदागार दान के लिए भी आदेश दे लिया करता था। इस मसाएदत कहते थे। उदाहरणार्थ बल्ख और बदख़शान अभियानों में नकलियाँ का उनका बतन का 1/4 भाग तक पदागारों के रूप में दिया गया था।<sup>20</sup> नकल के रूप में पदागारों के अतिरिक्त मसाएदत के एक भाग के रूप में घोड़ों व साज सामान भी उह दिये जाते थे।<sup>21</sup> यह सब कुछ ध्यान में रखते अथ-दण्डों के प्रति नकली दावे के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था और उस मुताबिका (खजाने का दावा) कहते थे। 1656 ई० में एक अंग्रेज व्यापारी ने मुताबिका की परिभाषा इस प्रकार की है— जब अमीर किसी मुल्क में रत हा तो सम्राट के खजाने से उह धन देना और फिर उसी जागीरा से उम धन को वसूल कर लेना।<sup>22</sup>

किन्तु मुताबिका में सम्भवतः मसाएदत के अतिरिक्त अन्य मदें भी सम्मिलित थी जिनमें जुमान या अथ दण्ड। कुछ भी हो, प्रायः अधिकांश अमीर-बतलियों रकमों के लिए शाही खजाने के ऋणी होते थे। जब प्रतीक मन्तन मी की मृत्यु हुई तो उसके विरुद्ध मुताबिका की रकम 50 लाख रुपए से कहीं भी प्रकार कम

जानवर धार्मिक खर्च पड़त थ उगस मन्व्यधित एण पूण मापत्रम, आईन म निया हुआ है।<sup>50</sup> यद्यपि 'खूराक ए दब्बाव दा' अवुलफज्ज व धाय म नहा मिलता है किन्तु यह स्पष्ट है कि उसका तात्पर्य उसी उत्तरदायित्व म है। श्रीरगजेव के शासनकाल की एक नियम पुस्तिका म एक म त्म म हम यह दा' मिलता है जिसका अर्थ अमीरा द्वारा रथे जान वाल जानवरा वा धान-धाना है।<sup>1</sup> प्रत्येक पद व अधिकारिया का जितना गम्या म जानवरा (घाडे व हाथी) को खिलाना पड़ता था उसका वास्तविक व्यौरा निया हुआ है।

अमीरा की जानवर सौंपन व पश्चात अगला वक्त यह था कि गाही अस्त बल मे जानवर रक्ष जायें और इस धान की माँग का जाय कि अमीर उनरी खूराक व लिए खचा दें।<sup>52</sup> इस प्रकार उन तालिकाया म जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जानवरा की सस्या के अतिरिक्त प्रत्येक जानवर की खूराक के मानक स्वच का व्यौरा निया गया है। अमीर द्वारा वतन के लिए नियम धावे अथवा तलब म स खूराक या रमदण खूराक का मूल्य वा' लना गाह जहाँ के समय तक वास्तव म एक प्रथा बन गयी थी।<sup>54</sup> तथापि श्रीरगजेव के शासनकाल म हम यह देखत हैं कि पूण वतन के लिए जागीरें प्रदान कर दी जाती थी तदुपरान्त खूराक नकद या माल के रूप म माँगी जाती थी जागीर दारा स इस वमूल करने के लिए सजावल या गाही स-देगवाहक भज जात थे।<sup>55</sup> एसा प्रतीत होता है कि इन अमीर बहुत ही बुरा मानत थ। श्रीरगजेव व 46वें शासकीय वष म हाथिया की खूराक के वार म सघाट न इस प्रणाली के उमूलन व लिए सहमति द दी। अतएव इस कर का पुन दाम म परिवर्तित करना पडा और व जागीरें जिनकी आय जमा व वरावर थी जागीरदारा व हाथा स धापम लेनी पडा, इस प्रकार व खूराक एकत्र करन या जानवरा क लिए नकद रकम दन व उत्तरदायित्व स मुक्त कर दिया गय।<sup>6</sup> अगल शासन काल म यही कायवाही सम्पूर्ण खूराक ए-द-बाव के लिए लागू कर दी गयी जिसस सभी मनसबदारा को अत्याधिक राहत मिली।<sup>57</sup>

नियमों व अ तगत खूराक ए-दब्बाव ऐस किसी अधिकारी पर नहा लगाया जाता था जो 14 लाख दाम या उसस कम वतन पा रहा हा या उन लाग स जिनके पास कोई सवार पद न था या जिनक प' 400 आत या 200 सवार स नीचे थे।<sup>58</sup> इसक अतिरिक्त सम्राट कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारिया को भी इस उत्तरदायित्व स मुक्त कर दिया करता था।<sup>59</sup>

एक अर्थ प्रकार की कटौती हुआ करती था जिस पारिभाषित अर्थों म इरमास कहत हैं। बन्धुनी के अनुसार तलब ए दजनास' (रस' के लिए माँग) का यह इसका दूसरा नाम था।<sup>60</sup> अपने शब्दकोश म इलाहदाद फजा यह लिखता है कि अकबर के शासन म इस शब्द का प्रयोग, नकद एक वतन के अतिरिक्त

उन सभी वस्तुओं के लिए होता था जो सनिवा का दी जाती थी और वह इस शब्द का 'इरमास' से तादात्म्य स्थापित करने में बदायुनी का अनुसरण करता है।<sup>61</sup> स्पष्टतः माल के रूप में इस प्रकार के भुगतान का मूल्यांकन होता था और उसकी कटौती बतन में से की जाती थी।<sup>62</sup> अयुल फज़ल ने जो कुछ आईन में कहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती उनका लिए थी जो घाड़े सम्राट अफन अमीरा को उपहार में भेंट किया करते थे।<sup>63</sup> शाहजहा के गामन बाल के बदन विवरण में इस प्रकार की कटौती, दो अथ महत्त्वपूर्ण कटौतियाँ, 'रसद खूराक़ तथा चौथाई' के साथ मलग्न है।<sup>64</sup>

नक़्तिया को नक़द में जो बतन दिया जाता था, उसमें से भी कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती थी जस 'दो-दामी' (अर्थात् रुपय में से दो दाम), जो ७ प्रतिशत के बराबर थी।<sup>65</sup>

इन कटौतियों के अतिरिक्त कई प्रकार के अथ दण्ड या 'जुमान भी थे। विभिन्न कारणों के लिए किन्तु अधिकारान अमीरा से जितने सनिवा की आशा की जाती थी उनमें कभी के कारण यह जुमानि धारापित किया जात था। यदि अरवा-रोहिया की मध्या के 1/4 भाग से अधिक पौती' (मृतक) या फरारी' (पलायित) दख होत अथवा अन्तिम भर्ती के समय से यदि 1/4 से अधिक व्यक्ति नय रणरूट के रूप में पेश हात तो अमीर का प्रति सवार के हिमाब से 4 मुन्तर अथ-दण्ड के रूप में देना पड़ता था। इसी प्रकार घोडा की मर्यादा में भी किसी प्रकार की कमी पर प्रति घाड़े दो मुहर के हिसाब से अथ-दण्ड वसूल किया जाता था।<sup>66</sup>

कभी-कभी विनोदरूप से अभियानों के समय सम्राट मजमूददारा का पशगी दान का लिए भी आदेश दिया करता था। इन मजमूददत' कहते हैं। उदाहरणार्थ, बल्ख और बन्गी अभियानों में नक़्तिया का उनके बतन का 1/4 भाग तक पशगी के रूप में दिया गया था।<sup>67</sup> नक़द के रूप में पशगी दान के अतिरिक्त मजमूददत के एक भाग के रूप में घाड़े से साज सामान भी उन्हें दिया जात था।<sup>68</sup> यह सब कुछ बतन में उस अधिकारी के प्रति नक़ती दाव का रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था और उस मुताबिका (खजाने का दावा) बतन में। 1656 ई० में एक अग्रज व्यापारी ने मुताबिका की परिभाषा इस प्रकार की है—“जब अमीर किसी युद्ध में रत हा ता सम्राट के खजाने से उहे धन देता और फिर उनकी जागीरा से उम धन का वसूल कर लेता।<sup>69</sup>

किन्तु मुताबिका में सम्भयत मजमूददत के अतिरिक्त अथ मदें भी सम्मिलित की जम जुमान या अथ दण्ड। कुछ भी हो, प्रायः अधिकारी उठी-बड़ी रकमा के लिए गरीब खजानों के श्रेणी होते थे। जब अमीर मजान राँ की मृत्यु हुई ता उनके विरुद्ध मुताबिका की रकम 50 लाख रुपए से किसी भी प्रकार कम

नहीं थी।<sup>10</sup> श्रीरगजेव का राजकीय इतिहासकार उसकी दम बात के तिन सरा हना करता है कि उसने अपने अधिकारियों के पूवजा द्वारा अनुमोदित मुता लियों को माफ कर दिया। यदि पिता पर मुतातिमा गप हा श्रीर उमका पुत्र 4000 या उससे कम का मनगदगार हो ता वह मुतातिमा माफ कर लिया जाता था। अय व्यक्तिमा स, यदि उह अपन पिता ग विरामन म अयधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई हो मुतातिमा तलव कर लिया जाता था यदि उह विरागत म कम धन मिला हो तो मुतातिव की रकम म कुछ छट कर ली जाती थी, श्रीर यदि उह विरागत म कुछ भी न मिला हो ता सम्पूर्ण मुतातिमा माफ कर दिया जाता था।<sup>11</sup> इस प्रकार यद्यपि दस्तने म ता मुतातिव की रकम इवद्धा हान दी जाती थी किन्तु साधारणत इस रकम के बराबर की जागीर का वापस लकर मुता लिवा वसूल कर लिया जाता था।<sup>12</sup> शाहजहाँ के सुप्रसिद्ध मन्त्री सादुल्लाह खाँ पर सन्तुह था कि उसने भमीरा को हिमाय दन के लिए न युलाकर, बकाया मुतातिव की रकम सचित करन देन की छूट दकर उनक गाय पक्षपात किया।<sup>13</sup>

इससे पूव जब कभी मुहामिवा (हिमाय किताब का निबटारा) हाता था, तो ग्रामतौर पर मुतालिवा अधिकारियों की तलव स या असनुष्ट दावा स अधिक होता था। किन्तु श्रीरगजेव के शासनकाल क अन्तिम वर्षों म परिस्थितियाँ बदल गयी, अधिकारियों को दीघकालीन जागीरें नहीं प्राप्त होनी था, इसलिए उनके दावे सचित हात रहते थ। अब चूकि भमीरा की रकम प्राय बनाया रहन लगी प्रशासन की नीति बल गयी श्रीर वित्तीय विभाग से भमीरा के लिए मुसाहिबा अथवा हिसाब किताब का निबटारा करना साधारणत दुष्कर काय हो गया। मामूरी के अनुसार यदि अथक परिश्रम द्वारा किसी हिमायती को अपने पक्ष म ल लेने एव एक प्रबन एव याग्य प्रतिनिधि (बकील) को अपने काय म लगान तथा 7 या 8 महीनों की दीन्धूप करन व अत्यधिक धन व्यय करने के पश्चात् कोई अधिकारी अपने दावे (तनय) साचित करन म सफल भी हो गया तो अत्यधिक परिश्रम के उपरांत उस उस धन का बवल एव चौथाई भाग ही मिल पाता था। अत म धीरे धीरे सारी व्यवस्था ही लुप्त हो गयी।<sup>14</sup>

सक्षेप म मारलण्ड न निष्कर्षात्मक दम स साचित कर दिया है कि अकबर के समय से लेकर शाहजहाँ श्रीर श्रीरगजेव के समय तक सवारा को जो वेतन दिया जा सकता था उसे धीरे धीरे घटा लिया गया। तथापि इस कटीती से भमीरा की आय पर प्रत्यक्ष रूप स विशेष प्रभाव न पडा कयाकि उनके सनिव उत्तरदायित्व भी कम कर दिये गय। दूसरी श्रीर शाहजहा के कान म मासिक अनुमाप लागू कर दिये जाने के कारण भमीरा के वेतनमान पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडा कयाकि इसके कारण भर्ती किये गय सवारा का दिय जाना वाला

वेतन ही नहीं घटा वरन जात पद के अन्तगत शमीरा को भुगतान किये जान वाला व्यक्तिगत वेतन भी कम हो गया। यह धारणा कि भासिक अनुमाप केवल सवार<sup>16</sup> पद पर ही लागू होता था, पूर्व उल्लेखित साक्ष्य के अनुसार असगत मालूम होती है। चूंकि शरीरगजेब के समय में यह एक आम बात हो गयी थी कि छमाही भासिक अनुमाप से अधिक की जागीरें प्रदान न की जायें, इस प्रकार वेतनों में अत्यधिक कटौती हो गयी थी। कुछ सीमा तक इसका प्रतिफलन, जसा कि प्रागे स्पष्ट किया जायेगा, शमीरो द्वारा सवारों और घोड़ाकारों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व में बहुत बुरी तरह कमी करके किया गया। इसके प्रतिरिक्त शाहजहाँ के समय से लेकर प्रागे तक विभिन्न मदों के अन्तगत बहुत बड़ी कटौतियाँ भी की गयीं। अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ और शरीरगजेब के समय में, शमीरो की मूल आय में निश्चित ही कमी आयी, परन्तु इस कमी की सीमा के बारे में कोई सुनिश्चित धारणा बना सकना कठिन होगा।

### मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व

जसा कि हम पहले ही देख चुके हैं दा पदा (जात व सवार) की व्यवस्था का प्रादुर्भाव अकबर के शासनकाल के द्वितीय चरण में हुआ। सम्भवतः, इसका उद्देश्य प्रत्येक मनसबदार की इस बात के लिए वाध्य करना था कि वह निर्धारित की गयी सन्ध्या में घोड़े व घुड़सवारों को ग्राही सेवा के लिए वास्तव में रखेगा। किन्तु शमीरा में भ्रष्टाचार इतना अधिक फला हुआ था कि केवल बागची आदेश ही उसे दूर नहीं कर सकता था। इसलिए, सैनिक उत्तरदायित्वों को पूरा न करने के सभी बहानों को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ा के लिए 'दाग' (निशान) और आदमिया के लिए 'चेहरा' (हुलिया) प्रचलित किया।<sup>17</sup>

अबुल फजल ने जो विवरण दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों से यह आशा की जाती थी कि वह अपने सवार पद की सख्या के अनुसार आदमियों को हाजिरी के लिए लायगा और किसी प्रकार की कमी पर उस दण्ड दिया जाता था। एक रोचक और विचारणीय प्रश्न है—क्या मनसबदारों को अपने सवार पदों के बराबर जो सख्या लानी पड़ती थी वह आचारोहिया की थी या घोड़ों की? हम मालूम हैं कि अकबर द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार प्रत्येक सैनिक टुकड़ी में घोड़ा की सख्या अस्वारोहियों की सख्या से दुगुनी होनी चाहिए थी। इस प्रकार एक आदमी जिसका सवार पद 100 था, उसे या तो 100 आदमी और 200 घोड़े या 50 आदमी और 100 घोड़े रखना पड़ते थे।<sup>17</sup> चूंकि शाहजहाँ के समय में एक बटा तीस के नियम के अन्तगत, उसने 33 आदमी और 66 घोड़े लाने पड़ते थे और इस प्रकार 100 तथा 33 के मध्य अंतर अत्यधिक है, अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि

अकबर के समय में 100 के सवार पद के लिए 50 आदमी और 100 घोड़े रखना अपेक्षित था। किन्तु इस विषय में यह धारणा मुख्यतः अनुमान मात्र ही है।<sup>78</sup>

जसा प्रतीत होता है कि जहाँगीर के समय में मनसबदारा द्वारा रखी जाने वाली सैनिक टुकड़ियाँ पर नियन्त्रण लगा हो गया किन्तु इसके लिए भी कोई निश्चयात्मक सबूत नहीं है।<sup>79</sup> जब शाहजहाँ सिंहासन पर बैठे तो उसने सम्पूर्ण मनसबदारी प्रथा का स्पष्टतः नया आधार पर पुनः संगठित कर दिया। अकबर के नियमों एवं अधिनियमों का कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया। साथ ही उसने अमीरों द्वारा रखी जाने वाली सैनिक टुकड़ियों की वास्तविक स्थिति को औपचारिक स्तर प्रदान किया। लाहौरी के बादशाहनामा में एक उद्धरण में मनसबदारी प्रथा के मुख्य तत्व विशेषकर दाग से सम्बंधित स्पष्ट होते हैं। लेखक के अनुसार साम्राज्य का यह कानून था कि उन मनसबदारों का जिनके पास हिन्दुस्तान के प्रांता में से किसी एक में जागीरें थीं और जो उसी प्रान्त में जहाँ उनकी जागीरें थीं तनात हाँ अपना सवार पद के 1/3 भाग के बराबर की सख्या में अश्वारोहियों का हाजिरी के लिए लाना पड़ता था। किन्तु यदि वह उस प्रान्त से बाहर जहाँ उसकी जागीरें थीं तनात हाँ तो उन्हें केवल 1/4 भाग और यदि वह स्वयं और बद्रक्षा में हाँ तो 1/5 भाग के बराबर की सख्या में अश्वारोहियों को हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था।<sup>80</sup> बाद में अंतिम नियम उन लोगों पर भी लागू कर दिया गया जो कानुल प्रांत में तनात थे।<sup>81</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि नरनिया या मनसबदारों का जो नकद बतन प्राप्त थे, एक बड़ा पाँच के नियम के अनुसार अपनी सैनिक टुकड़ियों का हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था। शाहजहाँ के शासनकाल के 27वें वर्ष में जारी किये गये एक फरमान (या दस्तूर अल अमल) में इस बात का स्पष्टतः उल्लेख है।<sup>82</sup> इन नए नियमों की पूर्ण छुलासात उस सिक्के से भी होती है जिसकी रचना औरग जेब के अंतिम वर्षों में हुई थी।<sup>83</sup>

जहाँ तक दो अस्पा सह अस्पा मनसब पद वाले मनसबदारों का प्रश्न है लाहौरी इस बात का स्पष्ट कर देता है कि दो अस्पा सह अस्पा पद वाले मनसबदार का उत्तरदायित्व माधारण (बाराबर्दी) सवार पद के उत्तरदायित्व से बिल्कुल दुगुने था। इस प्रकार जब एक बड़ा पाँच नियम के अन्तर्गत बारह मासिक अनुमाप के अनुसार एक 5000 सवार पद वाले का 1,000 आदमी और 2200 घोड़े रखने पड़ते थे तो 5000 दो अस्पा-सह अस्पा वाले को 2000 आदमी और 4400 घोड़े रखने पड़ते थे।<sup>84</sup>

लाहौरी ने आदमियाँ और घाडा की वास्तविक सख्या का उल्लेख किया है—अर्थात् सह अस्पा दो अस्पा, और एक अस्पा या 3 घोड़े, 2 घोड़े और 1

घोडे वाले सनिको की सख्या जि-हें प्रत्येक मासिक अनुमाप के अनुरूप 'एक बटा पाच नियम' के अनुसार हाजिरी के लिए अवश्य ही उपस्थित करना पडता था । उसके कथना को सुविधा के लिए निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है—

महीने	सेह अस्था (प्रत्येक व्यक्ति तीन घोडा के साथ)	दो अस्था (प्रत्येक व्यक्ति दो घोडो के साथ)	यक अस्था (प्रत्येक व्यक्ति एक घोडे के साथ)	योग ग्राम्मी घोडे
12	300	600	100	1 000 2,200
11	250	500	250	1 000 2 000
10	—	800	200	1 000 1,800
9	—	600	400	1 000 1 600
8	—	450	550	1 000 1 450
7	—	250	750	1,000 1,250
6	—	100	900	1 000 1 100
5	—	—	1 000	1 000 1 000 <sup>85</sup>

तालिका म मानिक अनुमाप की प्रत्येक निम्न श्रेणी म घोडा की सख्या तुलनात्मक रूप स कम है । प्रत्येक मासिक अनुपात के लिए उल्लेखित घोडा के अनुपात को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सना चाहिए कि एक बटा तीन और एक बटा चार नियमा के लिए निर्धारित किये गय मान के अनुरूप है । अवरोक्त नियमा के अतगत आदमिया और घोडे रखने म सम्बन्धित तालिका बनात समय अशुद्ध अजीज न केवल लाहोरी द्वारा 'एक बटा पाच नियम' के लिए दिये गये आङ्की को ही नेजर स्पष्टत भूल की है ।<sup>86</sup> वस्तुत एक बटा तीन नियम के अतगत आवश्यकताया म सम्बन्धित खुला सात उस सियक म दी गयी सूचना हमारे पास है । खुलासात उस सियक दस बात को भी साजित कर दता है कि बादशाहनामा म जो नय घोषे की सफ्लाई की नरें दी हुई हैं व न केवल गाहजग के उनरी-पश्चिमी अभियाना के लिए ही लागू हुई वग्न वे सभी स्थाना के लिए जहा मनसखदार एक बटा पाच नियम के अतगत बाय कर रह थ, स्थायी रूप स लागू कर दी गया । इसका अर्थ यह हुआ कि गाहजहाँ न जा व्यवस्था स्थापित की व न औरगजेव के समय म जारी रही । खुलासात उस सियक म ली गयी तालिकाएँ नीचे प्रस्तुत की गयी हैं । यह तालिकाएँ यह मान कर चरती है कि उल्लेखित उत्तरदायित्व 100 सवार पत्र वाले मनसखदार के लिए हैं । बादशाहनामा म दी गयी तालिका



स हा घडीर की तुलना करने के लिए हम यहाँ प्रत्येक मन्ता को 50 म मुता करना पता है ।

घ—100 तवार पर जाने मन्तवियों के लिए एक घटा पाँच नियम'

माह	स घन्टा	रा घन्टा	सा घन्टा	घान्मी	घाह
12	6	12	2	20	44
11	5	10	5	20	40
10	—	15	5	20	35
9	—	12	8	20	32
8	—	11	9	20	31
7	—	5	15	20	25
6	—	2	18	20	22
5	—	—	20	20	20
4	—	—	16	16	16
3	—	—	12	12	12
2	—	—	8	8	8
1	—	—	4	4	4

घ—उन मनसबदारों के लिए, जो किसी प्रांत में तनात हैं और उनको जागीरों की उसी प्रांत में हैं, भर्ती करने का एक घटा तीन नियम

माह	रा घन्टा	सा घन्टा	घान्मी	घाह
12	22	12	34	56
11	17	17	34	51
10	12	22	34	46
9	8	26	34	42
8	3	31	34	37
7	1	33	34	35
6	—	34	34	34
5	—	24	24	24
4	—	18	18	18
3	—	14	14	14
2	—	11	11	11
1	—	9	9	9 <sup>११</sup>

यह बात बहुत ही रोचक व ध्यान दा योग्य है कि कुछ बातों को छोड़कर खुलासात-उस सिक्क म 'एक वटा पाच नियम' के लिए दी गयी तालिका लाहौरी द्वारा उल्लेखित मान के अनुसृत है। अंतर केवल यह है कि खुलासात उस सिक्क । महीन तक का विवरण देता है जबकि लाहौरी की तालिका पाचवें मासिक-अनुमाप पर ही समाप्त हो जाती है।<sup>188</sup> कुछ भी हो, इसमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि औरंगजेब के समय में एक मासिक अनुमाप या दो मासिक-अनुमाप के आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थी। ऐसा कोई भी उदाहरण सामने नहीं आया है जहाँ तीन मासिक अनुमाप के नीचे कोई जागीर प्रदान की गयी हो।

मनसबदारों की टुकड़िया का निरीक्षण करने एवं उनके घोड़ा का दागन से सम्बंधित अन्य विस्तृत अधिनियम विज्ञापक जवाबित-ए खालमगौरी तथा खुलासात-उस सिक्क से हम प्राप्त हुए हैं।<sup>189</sup> 'नकदी मनसबदारों' (नकद वेतन पान वाले) का दागन बाल अधिकांशिया से वष में दो बार एक नवीनीकरण पत्र (तगीहा) उपलब्ध करना पड़ता था। यदि कोई मनसबदार छह महीने के अंतर नवीनीकरण-पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो उसे दो महीने का समय और दिया जाता था। यदि फिर भी वह नवीनीकरण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो छह महीने में ऊपर का उसका वेतन रोफ लिया जाता था।<sup>190</sup>

जहाँ तक वेतन का कुछ भाग नकद और कुछ जागीर के रूप में प्राप्त करने का मामलात का प्रश्न है यदि उनके वतन के छोटे भाग में अधिक उन्हें जागीर के रूप में दिया जाता तो उन्हें जागीरदारों के लिए नियमों के अनुसार, शग-शगरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता था—अर्थात् उन्हें प्रत्येक वष अपने घोड़ा का शगवान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था और विरम्य की दगा में उन्हें एक माह का और समय दिया जाता था। अनिविस्व की दगा में उनका वेतन रात दिया जाता था या जागीरदारों के लिए नियमों के अनुसार उनका वेतन समझित कर दिया जाता था। यदि मनसबदारों को छोटे से अधिक वेतन नकद में दिया जाता तो उनके लिए स्वधिया के लिए निर्धारित नियम लागू होते थे। यदि वेतन का छोटा भाग नकद में और छोटा भाग जागीर के रूप में किसी मनसबदार को दिया जाता तो विस्व की दगा में नकदिया के लिए नियमों के अनुसार उम और समय में दिया जाता था।<sup>191</sup>

बाद में-ए अक्षर में ग एगा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के शासनकाल के 23वें वर्ष में शग दायर का एक आदेश जारी किया गया कि सभी नकदी हूर तोकर महीने और सभी जागीरदार हर छठे महीने अपनी मतिन टुकड़िया की शगवान के लिए प्रस्तुत करें।<sup>192</sup>

शारान-ए अहमदी (1652 ई०) में शाहजहाँ का एक फरमान है जिसमें

य नियम त्रिय गये हैं कि किम अनुपात म घाटो को दागने की आवश्यकता हागी या उमकी अपक्षा ही जायेगी । इम प्रकार 5 सवार पद के लिए 'एक बटा पाच नियम के अन्तगत (1/4 घुडसवारा का अतिरिक्त अनुपात छोड त्रिया गया) दगवाने के त्रिए एक ही घुडसवार पर्याप्त समझा जाता था । दस सवार के पद की अवस्था म एक बटा चार नियम के अन्तगत 2 1/4 घुडसवार रखना पडता था किन्तु यह अधिचारी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह या तो 3 या 2 घाडे दगवाने के लिए लाय । यदि वह 3 सवार दगवाने के लिए लाता था ता उमके बतन म आधे सवार तक के लिए रसत का सच जोड दिया जाता था परन्तु यदि वह दस सवार लाता था तो उमके बतन म स 1/2 सवार तक के रसत के सच मे बढौता कर दी जाती थी । पन्द्रह सवारा के पद की अवस्था म उस केवल 4 घोडे दगवाने के त्रिए खान पडत थ । अमीरारा को अपन सवार पद की सख्या के आधे सवार दगवाने के लिए लाने पडत थे । हाजिरी के लिए लाय जान जाने घोडा की नस्ल पर भी सतकतापूर्वक नियन्त्रण होता था । पूर्वोक्तलिखित परमान के अनुसार दक्खन अहमदाबाद बगाल और उडीसा क प्रांता को छोड कर किभी भी प्रान्त मे ताजी घोडो का नही दागा जा सकता था।<sup>93</sup>

तथापि छुलासात उस सिधक के अनुसार जिन मनसबदारो का नकद वेतन मिलता था उन् कवन तुर्की घोडे ही दाग क लिए लाने पडने थे और जागीर दारा का निर्धारित सख्या के ना तिहाई भाग की पूर्ति तुर्की और याबू घोडा स करनी पडती थी।<sup>94</sup>

जात पद के अन्तगत अपक्षित जानवरो क समूह का निरीक्षण करन के लिए भी त्राग प्रथा लागू की गयी थी।<sup>95</sup> 5000 जात और उसक उपर के मानवन्तारो के लिए दाग का यह नियम लागू नही हाता था किन्तु इस पद के नीचे क सभी मनसबदारा का वस नियम का पासन करना पडता था।<sup>96</sup> श्रीरगजब ने 25वें राजकीय वष म एक आदश इस आणय का जारी किया कि 5000 जात पद तक क दक्खन म बायरत सभी मनसबदार अपन घोडा को (जात पद के अनुसार निर्धारित सख्या म) दगवाने क लिए तार्यें।<sup>97</sup>

जा मनसबदार निर्धारित सख्या म सनिक को नही रखत थ उनके प्रति कठार रुख अपनाया जाता था । उदाहरणाथ एक अवसर पर श्रीरगजब को यह यह सूचना दी गयी कि सआदत खां के अन्तगत मौ बडूकचिया को नियुक्त किया गया था किन्तु निरीक्षण करत समय कवन 65 उपस्थित थ और दोष 35 बाद म आव । सत्राट न आदश दिया कि उस उपस्थिति प्रमाण पत्र न दिया जाये।<sup>98</sup> जिस मनसबदार के सनिक निर्धारित सख्या स कम हुआ करते थ उसकी पत्यावन्ति करके या उस पर जुर्मा ा करके त्रिण्डित किया जाता था और प्राय उमकी जागीर घटा दी जाती थी।<sup>99</sup>

इसके विपरीत विशेष परिस्थितियों में सम्राट किसी भी मनसबदार के निर्धारित सवारा को घटा भी सकता था। उदाहरणार्थ, 38वें राजकीय वष में औरंगजेब ने हमीद खाँ की सैनिक टुकड़ी को  $1/4$  से घटा कर  $1/5$  कर दिया।<sup>100</sup> 1685 ई० में जब फ़िरोज़ जंग बहादुर को इस आशय का आदेश दिया गया कि वह रमद और एक बड़ी सेना को साथ लेकर बीजापुर में शाहजादा आजम की मदद करे, तो सम्राट ने दरबार में तनात 100 से 400 तक के मनसबदारों को 'एक बटा तीन नियम के अनुरोध दाग सम्बन्धी नियमों के पालन करने से मुक्त कर दिया ताकि शाही अधिकारी उनके घोड़ों का खरीद कर शाहजादे के रिसाले को परिपूर्ण कर दें।<sup>101</sup> कभी-कभी सम्राट ऐसे मनसबदारों को जिसकी प्रतिबन्धित पदोन्नति की गयी हो प्रतिबन्धित पदोन्नति की सीमा तक ही दाग के लिए छट दे लिया करता था।<sup>102</sup> कुछ उदाहरणों में सम्राट सीमित काल के लिए मनसबदारों को दाग से छट दे दिया करता था—जस, 38वें राजकीय वष में औरंगजेब ने शाहजहानाबाद के कोतवाल और फौजदार बाकी खाँ का दाग से छूट दे दी थी।<sup>103</sup> औरंगजेब के आठवें राजकीय वष में जब मीर अजीज ने हज़रत जाना चाहा तो हज़रत से वापस लौटने तक उसको दाग से मुक्त कर दिया गया।<sup>104</sup>

### भर्तों एवं पदोन्नति

सामान्य रूप से सभी मनसबदारों की नियुक्ति प्रत्यक्षत सम्राट द्वारा होती थी और, जहाँ तक सम्भव हो सकता था पदाभिलाषियों को मनसबदारों के रूप में नामांकित होने के लिए स्वयं उमके सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। महशाह की आँखें प्रत्यक्ष व्यक्ति के गुणों एवं धर्मगुणों का पट्टान करने के लिए अत्यन्त पनी एवं चाखी समझी जाती थी। अबुल फजल के अनुसार, "सम्राट पहली ही दृष्टि में कुछ व्यक्तियों को देख लेता है और उनको उच्च पद प्रदान करता है।<sup>105</sup> बहानी की यह जिम्मेवारी होती थी कि वह नौकरों के लिए सम्राट के सामने उपस्थित हुए सभी धर्मधियाँ—ईरानी तूगी की स्त्री फ़िरमी हिन्दी और कश्मीरिया का प्रस्तुत कर।<sup>106</sup>

तथापि, भर्तों करने का एक अन्य ढंग यह भी था कि साम्राज्य के प्रमुख अमीर, विनोदकर प्रान्तों के गवर्नर एवं सैनिक अभियानों के नेता की नियुक्ति के लिए सम्राट से व्यक्तिगत सिफारिश किया करते थे। सामंतों पर उनकी सिफारिशों स्वीकार कर ली जाती थी और जिन व्यक्तियों की व सिफारिश करते थे उन्हें मनसब प्रदान कर लिया जाता था।<sup>107</sup> कभी-कभी, जिन व्यक्तियों को सम्राट की सिफारिश पर निम्न श्रेणी के मनसब प्रदान किया जाता था उन्हें विशेषण के लिए प्रस्तुत करने को सम्राट आदेश देता था और उसके बाद उन्हें

मनसब प्रदान किये जाते थे।<sup>108</sup> शाही परिवार के शहजादे भी सम्राट से व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति के लिए सिफारिश किया करते थे और अधिकांशतः उनका सिफारिश स्वीकार कर ली जाती थी।<sup>109</sup>

सम्राट के समक्ष एक बार सिफारिश प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति आदेश तैयार करने के लिए सुपरिष्कृत काय विधि का अनुसरण किया जाता था। शाही स्वीकृति दीवान, बहशी और 'साहिब' नौजीह (सैनिक लेखापति) के पास निरीक्षण के लिए भेजी जाती थी। इन शाही अधिकारियों के हाथों गुजरने के बाद अर्जी पुनः सम्राट के पास भेज दी जाती थी और सम्राट द्वारा द्वितीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर नियुक्ति आदेश (फरमान) तैयार किया जाता था तथा बजीर की मुहर के अन्तर्गत जारी होने से पूर्व उस पर विभिन्न अधिकारियों, विशेषकर दीवान तथा बहशी की मुहर की आवश्यकता पड़ती थी।<sup>110</sup>

मनसब के लिए प्रत्यक्ष अभ्यर्थी को जमानत (जामिन) देनी पड़ती थी, तथा इस नियम को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाता था। मनूची के अनुसार 'सभी उच्च व निम्न सैनिक, सनानायक और कप्तानों को जमानत देने के लिए बाध्य किया जाता है और बिना इसके उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। यह प्रथा इतनी सामान्य एवं आम है कि शहजादे तब इस परम्परा का पालन करना आवश्यक समझते हैं।'<sup>111</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि बरिष्ठ पेशावर महाजनो और साहूकारों को भी प्रशासन जमानत के रूप में स्वीकार कर लेता था।<sup>112</sup> मनसबदार के व्यवहार के लिए उन व्यक्तियों को जो जमानत लिया करते थे उत्तरदायी ठहराया जाता था और यदि कोई मनसबदार प्रशासन के किसी भी अंग को पूरा करने में असफल रहता तो उसी को पूरा करना पड़ता था।<sup>113</sup> इस प्रकार जमानत का प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, और वस्तुतः यह खरीदा जाता था। जब औरगज़ेब ने दखनियान का इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया तो इससे उनसे प्रति बड़ी रियायत समझी गयी थी।<sup>114</sup>

पदोन्नति करने की कायविधि उसी भाँति थी जैसी कि प्रथम मनसब प्रदान करने की। आमतौर पर पदोन्नति के लिए सिफारिश (या तजवीज) के शाहजादे सनानायक या मूख्तार ही किया करते थे जिनके अन्तर्गत मनसबदार काय कर रहा हो।<sup>115</sup> सम्राट के लिए सामान्य परम्परा यह थी कि वह उत्सवा के अवसर पर<sup>116</sup> राजकीय वर्ष के प्रारम्भ में और अपने जन्मदिन पर<sup>117</sup> मनसब में वृद्धि करे। किन्तु अन्य अवसरों पर भी जब कि सैनिक अभियान के प्रारम्भ में या अन्त में पदोन्नतियाँ की जाती थीं।<sup>118</sup>

पदोन्नतियाँ विभिन्न कारणों से होती थीं। सैनिक सेवा में वीरता और

नाम	पद	पूर्व-मनसब (यदि मालूम हैं)	पदो नति	स्रोत
1 शाहनवाज खा	गुजरात का सूबेदार	5,000/5,000	1,000/1,000 2 3 अस्था	आलमगीरनामा, पृ० 210 ।
2 फिदाई खा	अवध तथा भारखपुर का फौजदार	4 000/2,000	1,500 सवार	आदाब ए- आलमगीरी, प० 260 अ ।
3 अमीर खाँ	काबुल का सूबेदार	4 000/4,000	1,000/1 000 2 3 अस्था	आलमगीरनामा, पृ० 661 ।
4 शाहमात खा	गजनी का फौजदार	3,000/1,000	1,000 सवार	आदाब ए- आलमगीरी, प० 286 व ।
5 अरब खा	बहराइच का फौजदार	3 000/700	800 सवार	आदाब ए आलमगीरी, प० 279 व ।
6 मुहम्मद बेग	मियान दो आब का फौजदार	1 000/600	500/100	आदाब ए आलमगीरी, प० 241 ।
7 कामगार खा	सिकन्दरपुर का फौज दार	1 000/400	500/300	आदाब ए आलमगीरी, प० 280 अ ।
8 महमूद	एक महाल का फौज- दार	1 000/200	800 सवार	मीरात अल आलम, प० 160 अ 160 व ।
9 तरबियात खा	उडीसा का फौजदार	—	4 000/3,000 (500 × 3 2 अस्था)	मीरात अल आलम, प० 208 अ ।
10 इब्राम खाँ	अबवराबाद शहर के इब सिद का फौजदार	—	1 000 सवार	आदाब ए आलमगीरी, प० 280 व ।
11 जमरदस्त खाँ	होशंगाबाद का फौज दार	—	1 000/1 000 (2 3 अस्था)	मीरात अल आलम प० 360 अ 360 व ।

योग्यता का विशेष महत्त्व होता था,<sup>119</sup> दूसरी ओर उन अमीरों की भी पदानति की जाती थी जो उत्तम उपहार तथा पेशकश प्रस्तुत करते थे।<sup>120</sup> सामान्यतः पदोन्नति, हालाँकि निरपवाद रूप से नहीं उसी समय की जाती थी जब यह देख लिया जाता था कि अमुक अधिकारी वास्तव में उच्च पद के लिए योग्य है। किन्तु प्रायः हम यह भी देखते हैं कि उच्च पदों पर नियुक्तियों के समय मनसबदारों के पदों में भी साथ-साथ वृद्धि कर दी जाती थी। इस प्रकार की ऐसी पदोन्नतियों की सूची पिछले पृष्ठ पर दी गयी है जहाँ यकिनगत मनसब में मौलिक वृद्धि की गयी हो (और मशरूत नहीं अर्थात् जब मनसबदार का उच्च पद से स्थानान्तरण हो तो उसे वह मनसब छोड़ना पड़े)। किन्तु उच्च पदों पर कुछ ऐसी नियुक्तियों के भी उदाहरण हैं जहाँ उसके अनुसार मनसब में वृद्धि नहीं की गयी। आमतौर पर मनसब में वृद्धि मौजूदा मनसब के अनुपात में ही हुआ करती थी मूल मनसब की अपेक्षा मनसब में अत्यधिक वृद्धि का किया जाना अपवाद था। साधारणतः मूल मनसब में 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मनसब की वृद्धि नहीं की जाती थी जमा कि अपने इतिहासिक ग्रंथों में उल्लेखित पदोन्नतियों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट पता चलता है। एतदनुसार औरगजेव द्वारा खान ए जहान बग़दुर ख़फ़र जग की 700 ज़ात से 5000 की आकस्मिक पदानति पर भाग्यसीर उल-ऊमरा का रचयिता आश्चर्य प्रकट करता है।<sup>121</sup> 7000/7000 (23 अस्था) के ऊपर के भी मनसब शाही परिवार के शह जादा के लिए सुरक्षित थे।<sup>122</sup>

## राजसात

अमीरों के वेतन एवं सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई भी विवरण उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि इस बात पर विचार न कर लिया जाय कि जो सम्पत्ति उन्होंने अपने मरने के काल में संचित की वह कहाँ तक सुरक्षित थी तथा क्या वे उसे अपने उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंप सकते थे। विशिष्ट अभियानों या घुटियों के उदाहरणों को छोड़कर, साधारणतः मुग़ल अमीर अपने जीवनकाल में इस सम्बन्ध में सुरक्षा का अनुभव करते थे। विवादग्रस्त विषय तो यह है कि क्या एक अमीर सकुशल अपनी सम्पत्ति का अपने वध उत्तराधिकारियों को सौंप सकता था? इस सम्बन्ध में कुछ माध्यम हैं कि सम्राट अपने सभी दिवंगत अधिकारियों की सम्पत्ति पर अधिकार रखने का दावा करता था।

मुसलमानों के निरकुरा शासन के इतिहास के प्रारम्भिक समय में राजा का अधिकार अपने अधिकारियों द्वारा संचित की गयी पूंजी एवं उनकी सम्पत्ति पर रहा है। दास श्रेणी के लागू किये जाने से अब्बासी खलीफ़ाओं को अपने

अधिकारियों की सम्पत्ति पर दावा करने का वैधानिक वहाना (अर्थात् 'शरियत' अनुसार) मिल गया। इस्लामी कानून के अन्तर्गत, एक दास द्वारा प्राप्त की गयी सम्पत्ति उसके जीवन एवं मृत्योपरान्त दोनों ही अवस्थाओं में सदैव उसके स्वामी की ही हुंदा करती थी, जबकि एक स्वतन्त्र व्यक्ति की सम्पत्ति उसके पुत्रों या उसके निकटतम सम्बन्धियों को मिलती थी।<sup>123</sup> दिल्ली के सुल्तानों के पास भी अत्यधिक सख्या में दास अधिकारी हुंदा करते थे। फिरोज तुगलक जैसे एक सुल्तान ने भी, जो इस्लामी कानून से समानरूपता बनाये रखने के लिए चिन्तित रहता था अपने एक अधिकारी की सम्पत्ति को इस आधार पर जब्त करना 'यायोचित' ठहराया कि वह उसका दास्यमुक्त किया हुंदा दास था।<sup>1</sup>

ऐसा प्रतीत होना है कि भारतीय मुगलाने दास अधिकारियों में से किसी प्रनिष्ठित व्यक्ति को सेवा में न लेने के मामले में दिल्ली के सुल्तानों का अनुसरण किया किन्तु फिर भी उठाने अपन 'स्वतन्त्र' अधिकारियों की सम्पत्ति पर वैसा ही दावा किया है जसा कि वे इस्लामी कानून के अन्तर्गत दासों की सम्पत्ति पर कर सकते थे। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सम्राट के इस अधिकार का निरूपण आईन-ए-अकबरों में नहीं किया गया, किन्तु अकबर के समय से अनेक यूरोपीय यात्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया है।<sup>124</sup> सम्भवतः सबसे पहले इस सम्बन्ध में मदभ पर्वों में मिलता है जिनमें हमें बताया गया है कि "इस मुगल सम्राट को यह परम्परा है कि वह अपने भ्रमीरों के परलोक सिंघारने पर उनकी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले, और उसमें से जितना वह चाहे उसके पुत्रों को दे दे किन्तु साधारणतः वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र के लिए उनका हृदय में अत्यधिक आदर होता है, जो समयानुकूल अपने पिता की पूर्ण उपाधि प्राप्त कर लेता है।"<sup>125</sup>

जो कुछ भी यहाँ तथा अन्य यूरोपीय विवरणों में स्पष्टतः लिखा हुंदा है कि वास्तव में पहले सम्राट भ्रमीर की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने हाथों में ले लेता था, तदुपरांत जिस भाँति वह चाहता था उसका निबटारा करता था। उसमें से कुछ भाग वह अपने लिए ले लेता था और दिवंगत भ्रमीर के उत्तराधिकारियों को किम अनुदान में तैय सम्पत्ति मिलेगी उसका निर्धारण स्वयं करके उनके लिए छाड़ देता था। उपरोक्त तथ्य विदेशियों की मनगढ़त बातें नहीं थी बल्कि उनके उदाहरण, अकबर व शाहजहाँ के कान से सम्बन्धित, विद्यमान हैं।

1575 ई० में जब मुगीम खाँ की मृत्यु हुई तो उसकी सम्पूर्ण पूजा एवं सम्पत्ति राजस्व में ली गयी, इसके लिए जब्द शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सत्य है कि वह कोई भी उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं मरा। (उसके एक ही जीवित पुत्र था जिसे उसने भ्रमगीकृत कर दिया था) और इस प्रकार केवल राज्य ही उसका वारिस हो सकता है।<sup>1</sup> तथापि, जब अबुल फजल,



जिसके अनक पुत्र थे, का वध हुआ तो उसको सम्पूर्ण चल सम्पत्ति सम्राट के सम्मुख रखी गयी और यह उल्लेखित है कि उसके परिवार के प्रति कृपा प्रशिक्षित करत हुए सम्राट ने उसकी सम्पत्ति का राजसात या जब्त करने से मना कर दिया।<sup>128</sup> शाहजहाँ ने 1657 में अलीमर्दान खाँ की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जा बायबाही की सम्भवत वह श्रीरगजेब के सिंहासनारोहण से पूर्व की वास्तविक स्थिति का सबसे उत्तम उदाहरण है।

दिवगत की सम्पूर्ण सम्पत्ति, माल और नकद के रूप में एक करोड़ रुपया अधिभूत कर लिया गया था (बकायद ए-जब्ज दर आमद)। मुक्तहस्त उदारता से सम्राट ने 30 लाख इब्राहीम खाँ को और 20 लाख उसके शेष अर्ध तीन पुत्रों और दस पुत्रियाँ को दे दिया जबकि 50 लाख रुपया बकाया 'मुतालिबा' के रूप में शाही राजकाय में जमा कर दिया गया।<sup>129</sup>

यहाँ सबसे रोचक बात तो यह है कि शाही अधिकार केवल मुतालिबा अर्थात् दिवगत अमीर द्वारा शाही राजकाय से उधार ली हुई धनराशि वसूल करने तक ही सीमित न था, बरन उत्तराधिकार सम्बन्धी इस्लामी कानून की पूर्ण उपेक्षा करत हुए उसकी सम्पूर्ण विगमन का निपटारा करने तक विस्तृत था। कानून में सभी भाइयों का समान भाग और बहनों को भाइयों के भाग का प्राधा दान की व्यवस्था थी लेकिन उपरोक्त उदाहरण में एक पुत्र को (ज्येष्ठ पुत्र नहीं) 30 लाख मिला जबकि 3 पुत्रों और 10 पुत्रियों को 20 लाख में ही संतुष्ट रहना पड़ा।<sup>130</sup> एक हिन्दू अमीर राजा बिठठलदास के उदाहरण में, शाहजहाँ ने उसी प्रकार हिन्दू कानून की उपेक्षा करते हुए उसकी विरासत के मामले का निपटार करने के लिए अपने अधिकार पर बल दिया। राजा द्वारा छोड़े गये दस लाख रुपया में से 6 लाख उसके ज्येष्ठ पुत्र को तथा अर्ध तीन पुत्रों को श्रमश 3 लाख 60 हजार और 40 हजार रुपए मिले।<sup>131</sup>

इस प्रकार व्यवहार में सम्राट ने किसी अमीर की सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त नहीं की उसने केवल अपना मुतालिबा और यत्ति चाहा तो उससे अधिक कुछ और ले लिया। किन्तु सैद्धान्तिक रूप में केवल वह ही विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी था तथा जब वह दिवगत अमीर के परिवार के सदस्यों को विरासत सौंपता था तो बँटवारा करते समय अपनी ही इच्छा का अनुसरण करता था। काजियो को हस्तभूत करने का अधिकार न था।

दो समकालीन इतिहासकारों के अनुसार इस व्यवस्था में श्रीरगजेब ने गहन परिवर्तन किया। इन इतिहासकारों ने उन अमीरों की जिन्हें शाही कोष में कोई बकाया रकम का भुगतान नहीं करना था सम्पत्ति को अर्धायपूर्ण पुराने ढंग से अधिकार में लिये जाने की भत्सना की है और लिखा है कि श्रीरगजेब ने मुतालिबा पर दावा करने के अलावा अपने अमीरों की सम्पत्ति पर सभी दावों को



न उसका उत्तराधिकारिया को उसकी सम्पत्ति जिस राजसात नहीं किया गया था, अधिभूत करन की अनुमति प्रदान कर दी। खान क केवल हाथी व घाड़ आदि ही ने लिए गये जिन्हें दरबार में भेज दिया गया।<sup>128</sup> 1702 ई० में नाएब ए मीर सामान फाजिल खान सन्नाट को बताया कि लुतुफुल्लाह खा नामक एक निवृत्त अधिकारी के जिसके ऊपर राज्य का एक लाख सनह हजार रुपया बकाया था उत्तराधिकारिया का उसकी विरासत अधिभूत करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी थी। सन्नाट ने आश्चर्य दिया कि उक्त खान क हाथी और घोड़े जन्त कर लिए जायें किन्तु धन सम्पत्ति उसका उत्तराधिकारिया के पास ही रहने दी गयी।<sup>129</sup>

कुछ भी हो, उपयुक्त उदाहरण पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करते जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि औरंगज़ब ने वास्तव में राजसात की पुरानी प्रथा को मूल रूप से परिवर्तित किया। इस सम्बन्ध में बनियर के कथनों को भी हम अस्वीकृत कर सकते हैं क्योंकि वे औरंगज़ब के प्रथम आदेश (1666 ई०) से पूर्व के काल से सम्बन्धित हैं और इस प्रकार उसका द्वारा किये गए सुधार से पूर्व प्रचलित व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद जूद मनुची, जिसने औरंगज़ेब के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में लिखा स्पष्ट कहते हैं—

‘वह (औरंगज़ेब) अपने सनानायक अधिकारियों एवं अन्य सबका की मृत्यु होते ही इस घोषणा के पश्चात् भी कि मृतक व्यक्तियों की सम्पत्ति अथवा माल पर वह कोई दावा न करेगा, उनकी प्रत्येक वस्तु को छीन लता है। तथापि इस बहाने कि वे उसके ही अधिकारी हैं और राज्य के प्रति ऋणी हैं वह प्रत्येक वस्तु को अधिभूत कर लेता है। यदि उनकी विधवाएँ हों तो वह उन्हें प्रतिवष थोड़ा सा धन और भूमि उनकी जीविकाप्राप्त के लिए प्रदान कर देता है।<sup>130</sup>

रखाकित शब्द यह प्रदर्शित करते हैं कि मनुची को औरंगज़ेब द्वारा 1666 तथा 1691 में जारी किये गए उन आदेशों के सम्बन्ध में जानकारी थी जिनकी सम्भवतः उसका दरबारियों ने इन आदेशों के रचयिता की भूरि भूरि प्रशंसा की। मनुची के अनुसार इन आदेशों का प्रायः उत्तमघन होता रहता था और सन्नाट निरन्तर अपने अधिकारों का जिनका उसने सरेआम परित्याग कर दिया था, प्रयोग करते हुए अपने अधिकारियों की सम्पत्ति पर दावा करता रहा।

मनुची पूर्णतः गलत नहीं है इसकी पुष्टि अनेक उन वास्तविक उदाहरणों से होती है जहाँ वास्तव में राजसात के अधिकार का दावा किया गया।

जब 1694 ई० में गुजरात सूबे के नाज़िम मुल्तार खा की मृत्यु हुई तो वहाँ के दीवान मुहम्मद ताहिर तथा अन्य अधिकारियों ने उसकी सम्पत्ति राजसात कर ली।<sup>131</sup> 1682 ई० में जब मुहम्मद अमीन खान की मृत्यु हुई मुहम्मद ततीफ दीवान तथा गुजरात प्रान्त के अन्य अधिकारियों ने उसकी सम्पूर्ण चल एवं

अचल सम्पत्ति यहाँ तक कि उमके जानवरा को भी, राजसात कर लिया।<sup>141</sup> ब्राबुन के सूबेदार अमीर खा की मृत्यु के पश्चात औरगजेब ने असद खाँ को आदेश दिया कि वह लाहौर के दीवान को इस आशय का पत्र लिखे कि वह बहुत ही सतन्त्रतापूनुक एव उद्यम से उमकी सम्पत्ति इस प्रकार राजसात करे जिससे कि कोई भी वस्तु उनके हाथ से बचकर न निकल पाय। उमसे यह भी कहा गया कि वह अथ सूत्रा से भी सूचना प्राप्त कर ले तथा अमीर खा की प्रत्येक वस्तु का चाह वह किसी भी स्थान पर क्या न हो, अपने कब्जे में कर ले।<sup>142</sup> 1678 ई० में जमवन्तसिंह की मृत्यु हुई और औरगजेब ने आदेश दिया कि उमका सम्पूर्ण खजाना और धन जब्त कर लिया जाय।<sup>143</sup> कुछ भी हाँ, जसब न सिंह के सम्बन्ध में ता यह मालूम ही था कि उसके नाम पर राज्य का धन बनाया था।<sup>144</sup> इस प्रकार हम ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ मृतक अमीरों की सम्पत्ति शहशाह न जब्त कर ली। ऐस उदाहरणों की एक लम्बी सूची भी बन सकती है किन्तु इन सभी उदाहरणों में यह स्पष्ट नहीं है कि सम्पत्ति का जब्त किया जाना मुतालिव की वसूल करने के लिए था या राजसात के अधिकार का लागू करने के लिए।<sup>145</sup>

इस साक्ष्य के आधार पर हम औरगजेब के प्रशसकों का साथ देने का कारण बता सकते हैं जिनके अनुसार यह एक सुधारक था तथा जिसने अमीर-वर्ग को राजसात प्रणाली रूपी जुए से मुक्त कर दिया। हम देख चुके हैं कि वास्तव में यह जुआ औरगजेब से पूर्व भी हल्का था। व्यावहारिक रूप में इसका अर्थ केवल यह था—(1) कि दिवंगत अधिकारी की सम्पत्ति पर सबसे पहले राज्य की बकाया रकम का अधिकार होना चाहिए, (2) कि उसकी शेष सम्पत्ति का निपटारा करते समय सम्राट की न कि शरियत की, आवाज निष्पातमक होनी चाहिए। 1666 तथा 1691 ई० के दो अधिकारों में से पहल की पुष्टि कर दी, किन्तु भिद्धान्त दूसरे अधिकार का परित्याग कर दिया। फिर भी व्यावहारिक रूप में जमा कि हम देख चुके हैं औरगजेब न जब चाहा इस अधिकार का प्रयोग किया। उसने जो दो आदेश जारी किये वे आत्म निराधक अध्यादेश थे, जिन्हें वह विशेष उदाहरणों में लागू कर भी सकता था और नहीं भी।

सम्पूर्ण मुगल राजसात प्रणाली के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए और उसे सभी तुराइया का स्रोत मानते हुए भी कुछ यूरोपीय यात्रियों एव आधुनिक लेखकों<sup>146</sup> के विचारों से सहमत होना कठिन है। उदाहरणार्थ बनियर ने उसकी भत्सना करते हुए उसे 'शूर' परम्परा बतलाया है। उसने यह कहा है कि इससे कारण परिवारों के लिए अपने स्तर तथा सम्पत्ति को बनाय रखना अति कठिन हो गया था— सम्राट का उनकी सभी सम्पत्ति का वारिस हो जाना के कारण अब कोई भी परिवार अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बनाए रख सकता है और

अमीर की मृत्यु के पश्चात् अत्र वह परिवार शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और उसके पुत्र या बन्धु सन्तान उसके पौत्र साधारणतः भित्तिरिया की स्थिति में पहुँचा दिये जाते हैं।<sup>148</sup> मारलण्ड ने सुभाष दिया है कि राजमात प्रणाली ने अमीरों के लिए अत्यधिक अमुरक्षा कल्पना कर दी थी और यही कारण है कि अमीर अत्यधिक धन विलासिता पर व्यय किया करते थे और न तो बचत करते थे और न ही उस किसी काय में लगाते थे।<sup>149</sup>

यद्यपि इस बात की कल्पना करते हैं कि व्यावहारिक रूप में सम्राट् अपने अमीरों की सम्पत्ति पर अधिभार का प्रयोग करता था तथा उस या तो पूर्णरूप से या उसके बड़े हिस्से का जघन कर देता था। यह सत्य से बहुत ही परे है। सभी अमीर खर्चीन नहीं हुआ करते थे उनमें से अनेकानेक बचत की तथा अत्यधिक पूजा सचि त की। वस्तुतः, पलसरट की आश्चर्य हुआ कि राजसात प्रणाली के बावजूद अमीर निरन्तर धन संचित करते रहे और उस विश्वास करना पड़ा कि उन्हें सम्पत्ति से माह केवल उसी के कारण ही था।<sup>150</sup> वास्तव में प्रत्येक अमीर को यह विश्वास था कि उसकी सम्पत्ति मुतालिव के भुगतान के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में ही रहेगी हालांकि वह सम्पत्ति एक पुत्र को (साधारणतः ज्येष्ठ पुत्र को ही किन्तु सम्भवतः दूसरे पुत्र को जा उसका या सम्राट् का कृपापात्र हो) अथ पुत्रों को अपेक्षा अधिक प्राप्त होगी। यही कारण था कि वे धन संचित किया करते थे। इस प्रकार राजसात की प्रणाली का महत्त्व आर्थिक होने की अपेक्षा सद्भावित्व एवं बंधानिक अधिक था।

### संदर्भ

- 1 बरनी ताराख-ए-फिराजशाही (स०) प्रो एम ए रणोद भाग I प 167 (विषय इति (स०) प० 145)। बग़रा ख़ाँ द्वारा क़त्ल-ए-द को परामर्श। बग़रा ख़ाँ साम्राज्य में 10 खान चाहता था किन्तु बरनी के हिसाब से इसका मूल्य 10 लाख सनिको की सेना—जो एक अक्षयत संध्या होगी।
- 2 शहावद्दीन अत्र उमरी ममासिक अत्र अमरार का ममानिक अत्र अमरार (अनु) स्पष्ट रशीन तथा हज़ प 28 अत्र-अत्रकाली सुभ अत्र अमरार उद्धरण का आडो स्पष्ट द्वारा अनुवाति अत्र अत्र एकाडट अत्र द पार्ने थ सेन्वरी १० 67।
- 3 एच एच० हावथ हिस्ट्री अत्र द ममालम भाग I प 108 109।
- 4 उद्धरण के लिए दिये—अबुल-अजीज़ द मनमबनारा सिस्टम एण्ड द मुग़ल अमीर प० 16-25।
- 5 यह तब ही संभव था जब कि सा परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को उच्च मनसब दिया गया हो और उसके सम्बन्धियों को जा उसके साथ सलमन कर दिये गये हो निम्न मनसब दिये गये हो। सम्बन्धियों के कुल मनसब एसी णशा में वरिष्ठ सदस्य के मनसब से कम जाया करते थे। इन प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वे मनसब यथायत पथक ही थे तथा उन्हें पृथक सैनिक टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थी।

- 6 मोरलण्ड, जे० थार० ए० एम० 1936 पृ० 647 अब्दुल मजीद, द मनसबगारी सिस्टम एण्ड द मुगल धार्मी प० 93 ।
- 7 बरना पूर्वोत्थान ।
- 8 बरनी तारीख ए थिराजगहा (स ) प्रो एम० ए० रशीद भाग I पृ० 48 ।
- 9 रक (मनसब) इन द मगल स्टेट सर्विस जे० थार० ए० एम० 1936 पृ० 641 651  
अबवर के अन्तर्गत मनसब लागू करी के लिए देखिये—ए ज़ेमर प्रासीडिन्स प्राय इन्डियन हिस्ट्री वायस वेहली अधिवेशन 1961 पृ 155 56 ।
- 10 अबुल फ़यज के अनुसार इन निमित्त (उसे सहायता प्रदान करने के लिए) सम्राट के मनसबगारी के पत्र (मनसब) दहदाशा (10 का सेनानायक) से लेकर दसहजारी (10 000 का सेनानायक) तक लागू कर दिया परन्तु 5 000 से ऊपर की बर्मान अपन सम्माननाय पुत्रा के लिए सुरक्षित रखी मनसबगारी के मामिक अनुपात उनकी सैनिक टुकड़िया (सवार) के हिसाब से घटत-बढ़त थे । जिस अधिकारी का सैनिक टुकड़ा (सवार) उसके मनसब की सख्या के बराबर हुआ करती था उस प्रथम श्रेणी में रखा जाता था । यदि उसकी सैनिक टुकड़ी (सवार) का सख्या (उसके मनसब का) आधी या आध से ऊपर हातां था ता उस द्वितीय श्रेणी में रखा जाता था और तृतीय श्रेणी में उससे भी कम सख्या की टुकड़ी रखत बाल प्राप्त थे । —घाईन ए अबवरों भाग I पृ० 123 124 (अनु०) स्वीडमन से० फिल्टाट पृ० 248 । अबवरनामा के अनुसार यह वर्गीकरण सन् 1003 हि /1595 ई० में किया ।

प्रत्येक जात पत्र के उप-वर्गीकरण करने का सिद्धांत खनासात-उस नियम में भी दिया गया है (पृ० 48 ब तथा मीरात फल-स्तिला पृ 15 अ 15 ब) मीरात फल-स्तिला के अनुसार जिस मनसबदार का मनसब 500 के नीचे हुआ करता था उसे सवार पत्र नष्ट किया जाता था (पृ० 15 ब) । किन्तु सप्तहवीं शताब्दी में ऐसे अनिश्चित उपाहरण मिलत हैं जब सवार पद उन लोगों को भी दिए गये जिनके मनसब 500 जात से भी कम थे ।

- 11 अबुल मजीद द मनसबगारी सिस्टम एण्ड द मुगल धार्मी पृ 3 ।
- 12 अध्याय के अन्त में परिशिष्ट के अन्त में परिशिष्ट अ देखिये ।
- 13 रावतमल शाला को बेना साहय्यक उग्र प्रशासन का किलगार तथा पौजदार नियुक्त किया गया और उस 200 सवारों का प्रतिबन्धित मनसब दिया गया था इनलिए उसका मनसब 700/900 हुआ गया (अध्यायगत 4 महरम 45वाँ राज्य अध) । इरतलब खाँ दीवान तथा श्रीजदार मखसूमायाग के बन्वान तथा मदनोपुर का भी पौजदार नियुक्त किया गया और उसकी 500 सवारों की प्रतिबन्धित पदोन्नति की गयी इस प्रकार अन्त में उसका मनसब 900/1 000 हो गया (26 सफर 45वाँ राज्य अध) । शुदाप्रत खाँ गुजरात के सुवगार की जायपुर का भी पौजदार नियुक्त किया गया और उसे 4 000 सवारों का प्रतिबन्धित मनसब प्रदान किया गया और इस प्रकार उसका मनसब अन्त में 5 000/8 000 हुआ गया (मारतल-अ ग्रहणी भाग I पृ 317) ।
- 14 यह तब किया जा सकता है कि जहाँ जात पत्र से सवार पत्र अधिक होता था एसा या ता प्रतिबन्धित या दो अस्था-सेह अस्था (2×3 अस्था) के सम्मिलित होने के कारण होता था । इस प्रकार 1 000/1 200 का अध 1 000/1 000 (200×2 3 अस्था) हुआ सकता था । परन्तु, यह तक भुविचित उपाहरण के अभाव में सवार नष्ट किया जा

- सकता। भखवारात म गाधारणत मनसबदार क दो भस्या-सेहू भस्या पद का उल्लेख पथक रूप से किया गया है।
- 15 रवायम-ए करायम के अन्तर्गत मुगल व्यक्तियों के न मिलने पर औरंगज़ेब खान प्रकट करता है (पृ० 6 अ) तिलकुशा पृ० 139 अ बलामात-ए-तयावान पृ० 21 अ, 83 अ 97 अ 135 अ वाजया-ए भजमेर पृ० 645।
- 16 मीराल भल इस्तिलाह पृ 14 अ। परगना बटारी खाति म फौजदारी के पद पर नियुक्त होने की अवधि के दौरान शर बावो क पुत्र मइजफर को 400/400 का प्रति बंधित मनसब प्रदान किया गया था (मीरात-ए-महमदी भाग I पृ० 289-90)। राद भत्याख खाँ का प्रतिबंधित मनसब उस समय रद्द कर लिया गया जब उसका तवाइला लोनार खादि की फौजदारी से कर दिया गया (भखवारात 23 सफर औरंगज़ेब क रायबाल का 36वाँ वर्ष)। शाय भनवर का प्रतिबंधित मनसब उस समय रद्द कर दिया जब उसका तवाइला राइनगर की जिलेदारी और फौजदारी स कर दिया गया (2 श्रावान 37वाँ राय वर्ष)। मुजाफत खाँ की प्रतिबंधित पदान्ति रद्द कर दी गयी (मीरात-ए-महमदी याग I पृ० 317)। महुम्मद बग की प्रतिबंधित पदोन्ति रद्द कर दी गयी (भखवारात 8 जिलहिजा 43वाँ राजकीय वर्ष)। औरंग खाँ की प्रति बंधित पदोन्ति उस समय रद्द कर दी गयी जब उसका तवाइला धावार की फौज दारी से कर लिया गया (18 रजब 46वाँ राजकीय वर्ष)। वलीदाद खाँ की प्रति बंधित पदोन्ति उस समय रद्द कर दी गयी जब उसका तवाइला देव दुर्ग की जिले दारी से कर दिया गया (13 रबी उम-सानी—2 38 वाँ राजकीय वर्ष)।
- 17 तिलहट के फौजदार हिम्मत शार का प्रतिबंधित सवार मनसब अप्रतिबंधित कर दिया गया (भखवारात 16 जिलहिजा 38वाँ राजकीय वर्ष)। जब मुहम्मद सालेहू की फतेहपुर सीकरी का फौजदार नियुक्त किया गया तो उसके प्रतिबंधित मनसब के 300 सवार को अप्रतिबंधित कर लिया गया (28 जिलहिजा 45वाँ राजकीय वर्ष)। रावलमल झाला को परनाला का जिलेदार तथा फौजदार नियुक्त किया गया उसका 700/700 का मनसब था जिसमे स 300/200 तो अप्रतिबंधित थ और शय प्रति बंधित थे (4 मुन्रम 45वाँ राजकीय वर्ष)। खदावद खाँ के मनसब क 200 प्रति बंधित सवार अप्रतिबंधित कर िये गये (11 रमजान 45वाँ राजकीय वर्ष)।
- 18 तुजुक पृ 147 किन्तु महाबत खाँ अपने कतब्या का पालन भली भाँति करने मे असफल रहा इसलिए उसका अतिरिक्त दो भस्या-सेहू भस्या मनसब वापस ले लिया गया और जो वेतन उसके लिए उसे दिया जाता था उस देना बन्द कर दिया गया (पृ 190)। फिर भा जहांगीर के 19वें राजकीय वर्ष म महाबत खाँ को 7 000/7 000 (2 3 भस्या) का मनसब प्रदान किया गया (तुजुक मिर्जा हदी द्वारा पुनर्गहित पृ० 391)। जहांगीर के रायकाल क अंत म आसफ खाँ को 7 000/7 000 (2 3 भस्या) का मनसब लिया गया था बादशाहनामा भाग I पृ 113।
- 19 लाहौरी बादशाहनामा खण्ड I पृ 292 312।
- 20 वही खण्ड II पृ 717 737।
- 21 वारिस बादशाहनामा औरि 1675 पृ 200 अ 214 अ।
- 22 इस पुस्तक के अन्त म प्रस्तुत पारागच्छ म दी गयी सूचना पर आधारित।
- 23 बाराबर्दा शब्द के प्रयोग के लिए दखिये—सलेक्टेट डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहान

रेन प० 138 141 159 160 208 । लाहौरी खण्ड II प० 507 इल्म-ए-नवी सिन्दगी प 146 अ सेलेक्टड टाक्यूमेन्टस आफ् भोरपञ्जस रेन प० 5 6 10 47 102 103 111 121 । उद्धरित—मोरलण्ड जे० आर० ए० एस०, 1936 प० 662 64 ।

24 उद्धरित—मीरात अल इस्तिलाह प० 15 ब ।

25 उद्धरित—मिर्जा राजा जयसिंह के उदाहरण के लिए—आलमगीरनामा प० 618 ।

26 अब तक हम विषय की मनी भानि चर्चा मोरलण्ड ने ही की है ज० आर० एम० 1963 प० 661 65 । मोरलण्ड का अध्ययन केवल जयपुर के दस्तावेजों पर ही आधा रित था । सेलेक्टड टाक्यूमेन्टस आफ् शाहजहास रेन में अनेक प्रपत्र मुद्रित हैं, विशेष पत प 64 73 79 84 109-13 150-52, 175 77 । मोरलण्ड द्वारा लिये गये विवरण कि किस ढंग से प्राप्य वेतन का हिसाब कितना होता था तथा 'तलब' शब्द का क्या महत्त्व था उक्त बातों की पुष्टि करता है ।

27 देखिये—सेलेक्टड टाक्यूमेन्टस आफ् शाहजहास रेन प० 109-12, 176 ।

28 आईन खण्ड I 124-31 । शाहजहाँ के शासनकाल के 9वें वर्ष में अफ़जल खान ने जो वतनमान लागू किये, फरहग-अ-बरदानी प 43 49 में उसकी प्रतिलिपि दी गयी है । सेलेक्टड टाक्यूमेन्टस आफ् शाहजहास रेन प० 79 84 में 14वें वर्ष में इस्लाम खान ने जो वेतन-तालिका लागू की उसका उल्लेख है और दस्तूर-उन अमल ए आलमगीरी प 121 23 में उसी शासनकाल में सादरलाह खान द्वारा लागू की गयी सूची का उल्लेख है । जवाबिन-ए आलमगीरी में औरंगजेब के शासनकाल की वेतन-तालिकाएँ हैं, प 42 ब-45 ब हानात-अ-मुगालिक-अ महफ़मा-अ आलमगीरी प 149 ब 151 ब । इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट ब में वेतनमान तालिकावद्ध रूप में दिये गये हैं ।

29 जस 5 000 जात 4 000 सवार जिसमें सभी (हमा) दो अस्या-सह अस्या ।

30 उद्धरित—लाहौरी वाग्शाहनामा खण्ड II प 507 ।

31 दो अस्या-सह अस्या पत् की बारावर्ती के वेतन से दुगना या 16 000 दाम पत् की प्रति इकाई के हिसाब से लिया जाता था यह बचन दस्तूर अल अमन-ए इल्म-ए नवी सिन्दगी, प 6599 प 146 अ में है । मारलण्ड (जे० आर० ए० एस० 1936 प० 662) ने जयपुर रिवाज में के एक परमान का उल्लेख किया है जिसमें इसी आधार पर परिवर्तन किया गया है । इसी प्रकार से कोई भी यह निष्कर्ष ऐसे उदाहरणों से निकाल सकता है जहाँ दो अस्या-से, अस्या मनसबदारों के कुल वेतन उल्लेखित हैं । उदाहरण लाहौरी कत वादशाहनामा खण्ड II प० 258 321 715 सानेह III प० 246 । यह देखा जा सकता है कि दो अस्या सह अस्या पत् का मनसबदार साधारण दर से दुगना वेतन केवल इस कारण पाता था कि उसके दो अस्या सह अस्या पत् की सख्या सवार पत् में से घटा ली जाती थी । अथवा यदि यह समझा जाये कि उसका दो अस्या-से अस्या पत् प्रतिरिक्त पत् है और उसका वेतन का भुगतान उसी दर से होता है तो भी परिणाम वही होगा । अर्थात् परिवर्तित उदाहरण में यदि हम दो अस्या-सेह अस्या पद को सवार पत् के साथ जोड़ें तथा उन सख्या के साथ गुणा कर दें अर्थात् 4 000 सवार को 8 000 दाम के हिसाब में तो योग वही होगा—32 000 000 दाम । इस प्रकार सानेह के अथ खण्ड III प 112 पर जयसिंह के 1,000 सवार को दो अस्या-सेह अस्या में परिवर्तित करने पर उनके कुल वेतन



म अनिश्चित 8 000 000 दाम (1 000 × 8 000) लिखनाया गया है।

- 32 उद्धरित—मनुची खण्ड II पृ० 374 75। 'जब सम्राट एक मनमद्वारा या अमीर के भक्त का निर्धारण करता है या उनके बारे में आदेश देता है तो वह रुपये के बारे में बात न कर नाम की ही बात करता है तथाकि उसी में आधाव किताब हाता है और उमे के एक रुपये में 40 गिनत है। एक देश में जहाँ सिधातु मन्त्रप्रणारी हो वो धातुमा के सिक्का का मूल्य बराबर परिवर्तित हाता रहता है इमनिए राजकीय कार्यों के लिए चाँदी के रुपये पर आधारित एक धातु के सिक्के बनाये जात थ। ताँबे की मन्त्र का किता भी समय कोई भी मान क्या न हो चाँदी का एक रुपया 40 दाम के बराबर समझा जाता था। यह नाम (नाम-म-ननम्बा १) वास्तव में अधिकतम ताँबे का सिक्का था। वास्तविक ताँबे सिक्का का चदन उनके मान के अनन्तर था।
- 33 खे० धार ए० एम 1936 प 641-65।
- 34 परिशिष्ट व देखिये।
- 35 वही।
- 36 'जागीरदारी पर अध्याय देखिये।
- 37 लिखिये—'इरफान हबीब व अरियन सिस्टम ऑफ मंगन इत्यादि प 264 65 तथा पान् लिप्पणी। लाहौरी खण्ड II प 507 पर जब मामिक अनपाठ व अनुमार अमीरों के मन्त्र उत्तरदायित्व का सूची देता है तो वह उनकी जागीरों के बारे में 12 माहो या 11 माहो की चर्चा करता है इत्यादि।
- 38 आलाव ए आनमगीरी प 25 व 18 व 19 व 24 व मेनेरन् डाक्यूमेंटस आफ श्रीरगजेंदके प 115।
- 39 आलाव-ए आनमगीरी प 25 व इरफान-ए आनमगीर 116-17। अथत यह कहा गया है कि दरबान म मनमद्वारा की जागीरें या तो चार माह या उससे कम की थी (आलाव प 33 अ-ब) इरफान ए आनमगीर प 129।
- 40 आलाव ए आनमगीर प 35 व 36 व 40 अ-40 व 43 अ इरफान ए आनमगीर 88 136 37 मेनेरन् डाक्यूमेंटस आफ श्रीरगजेंदके प 84।
- 41 मीरान ए अहमद I प 278। श्रीरगजेंदके अपने शासन काल के 21वें वर्ष में आदेश दिया कि नरन्धियों को 8 माह या 7 माहो के हिमाव से वेतन का भुगतान न किया जाय केवल 6-माह वेतन अनमाप ही की स्वीकृति थी (माआमीर-ए आनमगीर प 160)।
- 42 उबाविन-ए आनमगीरी प 41 व-45 व हालान-ए मुमाविन-ए महरुसा ए आनमगीरी प 149 व 151 व अरह्य-ए करानी प 43-49 बौडनीन ओ 390 प 40 अ (ज इरफान हबीब द्वारा उद्धरित)। तुर्कीय—ख नामान उस नियम प 4) व 50 अ। इन नियम-नुस्खों में लिखे गये आँकड़ों में कुछ त्रुटियाँ हैं जेकिन ये त्रुटियाँ कवन प्रतिलिपिया की त्रुटियों के कारण ही मानम हाती हैं।
- 43 बौडनीन ओ 390 प 42 अ-43 अ अरह्य-ए अरदाना (प 24 अ-ब) में असी प्रकार की एक तालिका की प्रतिलिपि 6-माह तक की गयी है। उसने पश्चात् उसमें इस प्रकार बिधा हुआ है 5 माह—20 रु 13 धाना 4 माह—16 रु 10 धाना 3 माह—रु 12/7 11 धाना। इसके प्रायः उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। उबाविन-ए आनमगीरी प 45 व-46 व मुमाविन-ए महरुसा ए आनमगीरी प

151 व 152 प।

- 44 मीरान-ए धूमनी I प० 227 28।
- 45 आदाव-ए धानमगीरी प० 33 अ-य रुकान ए धालमगीर प० 129।
- 46 मनमवगारा के सनिह उत्तरदायित्व से सम्बंधित घण्टा वीछ देखें प० 53।
- 47 आगव-ए धालमगीरी प० 33 अ-य खजात ए धालमगीर प० 129।
- 48 माधामोर-ए धानमगारा प० 160।
- 49 इस बटौती के लिए देखिये—खवाबिल ए धानमगीरी प० 43 व सेलेक्टड हाक्यूमेन्टस धान प्रौरगड्डम रेन प० 63 64 11वें वष में लागू किया गया एव शाही आदेश हय आणव का उल्लिखित है कि उन गभा लाग जो बाजापुर तथा हैरावाद (धानकुष्णा) व प्रशासन की सेवा में रह चुके हैं चाहे वे वास्तव में फारस से हू नया न घाये हू के वेतन में स एव चौपाई काट ली जाये। देखिये—धनुन फज्जत मामूरी प० 156 व इमम इवगनिया अर्थात् सभी लाग जो सग्गा तथा बाजापुरियों व हैरावादियों के तौर पर घोर जो शाही सेवा में भर्ती हू चुक व के वेतन में से एव चौपाई भाग की बटौती के बारे में उल्लिख किया गया है। शाहज I के शासनकाल में एक-चौपाई की बटौती के लिए देखिये—सेलेक्टड हाक्यूमेन्टस आक्र शाहजहान रेन प० 2 18 आगव-ए धालमगारा प० 25 व।
- 50 धार्न I प० 124-31 धनुन अहीज व मनमवगारी निस्टम एण्ट द मुगल धार्नी प० 50-57।
- 51 खोदिन पडर 86 प० 75 व।
- 52 इस्म-ए नवाभिनगी प 146 प 147 प।
- 53 उदरिल—मनुषी II प० 372 73।
- 54 सलफुड हाक्यूमेन्टस आक्र शाहजहान रेन प० 1 इस्म-ए नवाभिनगी प० 147 प।
- 55 धना बरी घाँ क पत्र आलिय धन इशा खोदिन पाण्डुलिपि प 71 प 72 प 74 प-व। गायकान व 3<sup>रें</sup> वर्ष में जब एक धमीर ने प्रापना की कि उसे इस शुल्क से मुक्त कर लिया जाये तो धौरगड्डम में उम एट्ट देने की तौर पर आदेश दिया कि (ग राऊ का) एन गाम उगरी जायार में स बाण दिया जाये (मखवारान 3 रबी अथन 37वाँ राजवाय वष)।
- 56 अघवारान 3 रबी अथन 46वाँ राजवाय वष।
- 57 घाड़ी घाँ II 60<sup>व</sup> 3।
- 58 इस्म-ए नवाभिनगी प 146 प 147 प पडर 86 प० 75 व 76 प।
- 59 माधामोर-ए धानमगीरी प 86 अघवारान 15 अत्र 36वाँ राजकीय वष 28 दिवस 1<sup>व</sup> रबी उम अथन 1<sup>व</sup>वाँ राजकीय वष 13 रबी उम-आना 39वाँ राज वाय वष 2 अत्र 43वाँ राजवाय वष 27 रबी उम-आना 46वाँ राजवाय वष।
- 60 वगवनी II प० 0<sup>व</sup>।
- 61 आगर एव अत्रादिन (ग ) डॉ मन्मन् वावर लाहौर दि० 1334 प० 55 (जहाँ 'इन्माइ' का धरना में अत्रनाग गदा गया है)।
- 62 उदरिल—बिनियर प० 215-16 आ 'अत्रनाग' को 'अथनाग' लिखता है।
- 63 धार्न भाग I प 132।
- 64 सलफुड हाक्यूमेन्टस आक्र शाहजहान रेन प० 12।

- 65 मेनेकेड डॉक्यूमेंटस ऑफ़ शाहजहान्स रेन प० 26 27 64 70 जवाबिन-ए घालम गीरो प० 37 व सेलकेड डॉक्यूमेंटस ऑफ़ घोरमज्जे रेन प० 241-42 ।
- 66 प्रवर 86 13 अ-अ जवाबिन-ए घालमगीरो प० 40 व ।
- 67 साहीरी बान्नाहनामा भाग II प० 507 ।
- 68 घखवारात छठा रमजान 49वाँ राजकीय वर्ष 18 बिजदा 38वाँ राजकीय वर्ष ।
- 69 इगनिश पक्कीड 1655-60 पृ 67 ।
- 70 अमान-ए सालेह भाग III पृ 248 ।
- 71 घालमगीरनामा पृ 1083 ।
- 72 उद्धरित—गिनकुशा पृ 139 व म शिकायत की गयी है कि मुतानिवा मगाएदान घोर अमनि घानि के लिए जागीरें बापस ले ली गयी हैं ।
- 73 इगनिश पक्कीड 1655-60 पृ० 66-67 ।
- 74 मामूरी पृ 192 व छाफ़ी खॉ II 396-97 दस्तूर उल अमल-अगाही प० 53 रजायम-ए-बरायम प० 8 व बजाया-ए नियामत खॉ अली प० 16 भी देखिये ।
- 75 अशुल अलीड र मनमज्जारी मिस्टम एण्ड मुहल घामि पृ 69 ।
- 76 आईन भाग I पृ० 135 (अनु०) पृ० 266-67 । महानु सघाट व नौबर (मनसबदार) प्रत्येक वर्ष अपने घोड़ों पर नया दाघ लगावाते हैं, घोर इन प्रकार सेना की कुशलता को बनाए रखते हैं चूंकि उनके प्रयास के कारण ही अग्निदान्तवाणी अर्थात् सच्चाई का मार्ग खोज करना साधने हैं । यदि कोई मनसबदार अपने अग्निदान्तवाणी को हाज़िरी के लिए जाने में विलम्ब करता है तो उसकी जागीर (इस्सा) का 1/10वाँ भाग राब रखा जाता है । इसपूर्व जब पुन दाघ लगाया जाता था वे घोड़ पर हाज़िरी का धक लगा देने व उठाहरणाथ जब घाट की हाज़िरी दूरी वार हुई हो तो उम पर ५ का बिह्ल रखा देना इत्यादि । अब चूंकि प्रत्येक श्रेणी के सनिकों का एक विशेष चिह्न होता है यह चिह्न अगली हाज़िरी के समय पुन नया लिया जाने लगा है । अग्निदान्तवाणी के मामले में पहली प्रथा बनी रही कुछ अग्निदान्तवाणी घोर सघाट के निम्नो नौबर चाकरों जिन्हें अपना जागीरों की देखभाल करने का फरसत म थी वो भागिक वेगन मकत में मिलता था तथा 18 महीना में एक बार अपने घोड़ों की हाज़िरी लिलवानी पढती थी । वे अमीर जिनकी जागीरें बहुत ही दूर स्थित थी 12 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अपने घोड़ों को हाज़िरी दिनवान के लिए नहीं लाते थे परन्तु जब अन्तिम हाज़िरी होने से 6 वर्ष अतीत हो जाते हैं तो उनकी आय म म 1/10 भाग काट लिया जाता है । यदि किसी मनसबदार की पगाननि उच्च मनसब पर हुई हो और उसे अपने घोड़ों को हाज़िरी के लिए अन्तिम बार प्रस्तुत किया हुआ 3 व हो गये हो तो उसे बात (अग्निदान्तवाणी) पद के हिमाब से बढ़ा हुआ बतन मिलता है घोर केवल प्रथम बार हाज़िरी हो जाने के उपरांत (ही) उसके अग्निदान्तवाणी सध्या में अग्निदान्तवाणी के हिमाब से उसे भत्ता मिलता है । उसके उपरान्त हा उसके पुराने घोर नय अग्निदान्तवाणी को अग्निदान्तवाणी प्राप्त होते हैं । चिह्न के नवीनीकरण के लिए अगली हाज़िरी के समय यदि कोई सैनिक अपने पुराने घोड़े के बदले में उसके अगला घोड़ा लाता है तो उसे सघाट के सम्मुख ले जाया जाता है जो उसका निरीक्षण करने है घोर उसे स्वीकार करते हैं ।
- 77 आईन-अ-अकबरी भाग I पृ 123-24 ।

- 78 हमारे सुझाव के पक्ष में साक्ष्य प्रबल फ़डल के एक पत्र जो पर्वो के एक सदिग्ध एवं सन्देशात्मक सग्रह में सुरक्षित है से उपलब्ध हुआ है। इस पत्र के अनुसार 100 सवार के मनसबदार को अधिक से अधिक 50 धरवारोही लाने पड़ते थे (इक़्तात-ए फ़दुन फ़डल प० 45 नवतविशोर संस्करण)।
- 79 विवेचना के लिए देखिये—मोरलण्ड न० धार० ए० एस० 1936 प० 641 65।
- 80 साहोरी बादशाहनामा II प० 505 507।
- 81 मोरात-ए फ़हमदी I प० 228 (शाहजहाँ का फ़रमान 27वाँ राजकीय वर्ष)। लेकिन बाइया ए फ़जमेर देखें जिसमें बाबुल में नौकरी करने वाले एक राजपूत अधिकारी को 1/4 के नियम के अनुसार अपने भ्रातृभिया को हाज़िरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था। शाहजहाँ के 25वें राजकीय वर्ष में जयसिंह को शाहजहाँ औरणजेब के साथ बघार अभियान पर भेजने के लिए दरबार में बुलाया गया। जयसिंह से कहा गया कि वह अपनी सैनिक टुकड़ी को 1/4 व नियम के अनुसार लाने और यदि यह सम्भव न हो तो 1/5 नियम के अनुसार (जयपुर डाक्यूमेंट्स संख्या 79 प० 145)।
- 82 मोरात-ए फ़हमदी खण्ड I प० 228।
- 83 छ सासात-उम सियक प० 54 ध।
- 84 साहोरी बादशाहनामा II प० 506-507।
- 85 वही।
- 86 उद्धरित—नामान ए० सिद्दीकी प्रोग्रेसिव्स ऑफ़ इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस दिल्ली अधिवेशन 1961 प० 157-62।
- 87 ख़ुसामात उस सियक प० 54 ध 54 व। तुलनीय—बाइया-ए फ़जमेर प० 339 (उसी प्रान्त में बांध करने वालों पर 1/3 का नियम लागू होता था)। 1/4 और 1/5 का नियम थोड़े दायने के बारे में प्रयोग किया जाता था (मोरात-ए फ़हमदी भाग I प० 227 29) आज़िज़ खाँ की सैनिक टुकड़ी की जाँच करने के लिए 1/4 के नियम का प्रयोग किया गया (फ़ख़वारात, 15 शबाबान 10वाँ राजकीय वर्ष) मालुमात-उल फ़यक़ प० 196-97।
- 88 प्रति एक सौ सवार पद के मनसब में भ्रातृभियों और घोड़ों से सम्बंधित मान में इस दस प्रकार फ़डल है—

- 95 भाईन खण्ड I प 135 ।
- 96 ख़ुलासात-उम मियत्र प 54 व ।
- 97 अख़बारत 21 अख़बार 25वाँ राजकीय वर्ष ।
- 98 बाइया ए अज़मेर, पृ० 537 । एक अय अक्सर पर दरवार को यह सूचना दी गयी कि राजा रायसिंह के पुत्र एक सौ सवार से अधिक सैनिक न । रखते और दाग के समय उन्हें हारनाथ कछवाहा से सवार उधार लिये थे । इस मामले स सम्बद्ध अधिकारी ने यह सिफ़ारिश की कि राजा से इस बात की पूछ-ताछ की जाये कि वह निर्धारित सख्या म सैनिकों को क्यों नहीं रख रहा है (वहाँ प 542) ।
- 99 भीरात-ए अहमद खण्ड I पृ० 65 66 संवत् 1065 इल्मिये-ए-सिफ़ात शाहजहाँस रेन पृ० 165 72 । इसके अग्रे यह भी उल्लेखित है कि 3,00,000 दाम के कुन अनुदान में से 60,800 दाम उस समय तक रात लिये जाय जब तक अम्बियती के घोडा पर दाग लगाने का कार्य पूरा नहीं हो जाता ।  
दाग सम्बन्धी सन्त भाति के प्रस्तुत करने पर ही वेतन का भगतान किया जाता था इत्यादि—बाइया-ए अज़मेर पृ० 529 ।
- 100 अख़बारत 25 अख़बार 38वाँ राजकीय वर्ष ।
- 101 मामासीर ए अज़मेरगंगी प 764-65 तिकुशा पृ० 90 व ।
- 102 अख़बारत 23 अख़बार 36वाँ राजकीय वर्ष 2 अख़बार 43वाँ राजकीय वर्ष 29 मुहर्रम 37वाँ राजकीय वर्ष ख़ावद खाँ के प्रतिबन्धित मनसब म से 300 सवारों को दाग से मुक्त कर लिया गया था (11 अख़बार 45वाँ राजकीय वर्ष) ।
- 103 अख़बारत 28 अख़बार-उम अज़मेर 38वाँ राजकीय वर्ष ।
- 104 अख़बारत 7 अख़बार-उम-सानी 7वाँ राजकीय वर्ष ।
- 105 भाईन खण्ड I प 248 (अनु ) प 124 (मल) अख़बारत बाइया का मुल्तस्ता पृ० 8 थ । प्रतापसिंह तथा अन्य पांच व्यक्ति मुल्तरदाम सिमादिया के पुत्र मनसब प्राप्त करने के लिए औरंगज़ेब के सम्मुख प्रस्तुत किये गये और उन्हें उचित मनसब दिये गये (अख़बारत 8 अख़बार-उम 20वाँ राजकीय वर्ष) । मानसिंह और अन्य व्यक्ति राजा रायसिंह के पुत्र औरंगज़ेब के सम्मुख मनसब प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये गये । उन सभी को उचित मनसब लिये गये (3 अख़बार 24वाँ राजकीय वर्ष) । बसरा के हनीम इस्लाम खाँ ने 11वें राजकीय वर्ष में औरंगज़ेब से भेंट की । उसे 5000/5000 का मनसब प्रदान किया गया—उद्धरित धापी खाँ खण्ड II पृ० 234 मामूरी प 144 थ ।
- 106 भाईन खण्ड I प 108 अख़बार के कतया एव कार्यों के लिए हिदायत-उम-अज़मेर प 11 व 12 थ दख़िये ।
- 107 उदाहरण्य मुल्ता अहमद नया को जयसिंह की सिफ़ारिश पर 6000/6000 का मनसब प्रदान किया गया था (अख़बारत-उम पृ० 919 20 काकर खाँ के पुत्र मुतबाँ खाँ का जल्दियार खाँ बहादुर की सिफ़ारिश पर 400/100 का मनसब प्रदान किया गया था (अख़बारत 9 अख़बार 39वाँ राजकीय वर्ष) सरदारसिंह हाडा को शहूलाह खाँ की सिफ़ारिश पर 500/100 का मनसब प्रदान किया था (2 अख़बार 25वाँ राजकीय वर्ष) अज़मेर कुण्ड के अमीर दनकतराव को इस्लाम ख़ाँ की सिफ़ारिश पर 500/200 का मनसब प्रदान किया गया था (1 मुहर्रम 45वाँ राजकीय

- वर्ष) राजसिंह को धरनेर के नाडिम सय्य भण्डुला खाँ की सिफारिश पर टोडा का फौजदार नियुक्त किया गया और 400/300 का मनसब प्रदान किया गया था (18 शाबान 43वाँ राजकीय वर्ष) सैय्य शाह को बदरत खान की सिफारिश पर 5 000/2 000 का मनसब प्रदान किया गया था (24 शबान 45वाँ राजकीय वर्ष) दोन्नी राव को तरबियत खाँ की सिफारिश पर 1 500/1 000 का मनसब प्रदान किया गया था (भाभासीर-ए धरकान तमूरिया प० 131 प) ।
- 108 बहुरमन् खाँ ने धरनेर कुछ नौकरा को मनसब प्रदान करने के लिए औरंगज़ब से सिफारिश की । सम्राट ने आदेश दिया कि धरनेरियों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाये (धरवारान 21 रबी उल अख्यर 44वाँ राजकीय वर्ष) ।
- 109 जयसिंह तथा धरय व्यक्तिगत् की शाही सेवा में गहड़ाना शाह भालम की सिफारिश पर भर्ती किया गया था (धरवारान 8 शबान 24वाँ राजकीय वर्ष) । गहड़ाना शाह ने कुछ व्यक्तियों के लिए उचित मनसब की सिफारिश की और उनकी सिफारिश स्वीकार कर ली गयी थी (धरवारान 13 रमजान 13वाँ राजकीय वर्ष) । औरंगज़ब ने शाहजहाँ से कई व्यक्तियों के लिए मनसब की सिफारिश की थी (भाभाव ए भालमगौरी प० 108 प 109 प) ।
- 110 इस कायबिधि का विस्तृत विवरण इब्न हसन की पुस्तक 'द सेटुल स्ट्रक्चर ऑफ़ द मुगल एम्पायर' में दिया हुआ है प० 93 भाईन चण्ड । प० 136 और जवाबित ए-भालमगौरी प० 17 30 व भी देखिये ।
- 111 मनुची खण्ड II प० 377 ।
- 112 सेफ्टिनियाना सख्या 353 पन्ने प्रकृत नहीं 'मुगल दरबार के एक 'हरब-उल हुकम के द्वारा सबसिंह खली जिसे परगना विदनूर का कामभार सौंपा गया के पक्ष में एक लाख रुपये की जमानत भखू साहू की और स स्वीकृत की गयी (1689-90 ई०) ।
- 113 जमानत लेने के लिए दिये—फरहग-ए-बरदानी प० 20 प जवाबित ए भालमगौरी प० 19 व 25 प 32 व ।
- 114 सेलेक्टेट हायकुमेटस ऑफ़ औरंगज़ब रेन प० 182 ।
- 115 धरवारान 29 रबी-उस-सानी 8वाँ राजकीय वर्ष (कुतुबुद्दीन खाँ रघुनाथसिंह और इनायत खाँ की उच्च मनसबों पर पदोन्नति की गयी) ।
- 116 भाभासीर-ए भालमगौरी पत्र-सत्र ।
- 117 भालमगौरनामा ।
- 118 1665 में गहड़ाना मुहम्मद मुघ-उम को महाराजा जयसिंह के साथ फारस के शाह के विरुद्ध मुगल सेना की सुरक्षा करने के लिए तनात किया गया । जिन धमीरों की गहड़ाना के साथ नियुक्त किया गया उनकी पदोन्नति की गयी और उन्हें छिनमत उपाधियाँ प्रादि प्रदान की गयी—भालमगौरनामा प० 976-77 । 1661 में जब जम्मू के कुछ जमींदारों ने विद्रोह किया तो उन सभी धरनेरों की जिन्हें विद्रोह का दमन करने के लिए भजा गया था पदोन्नति कर दी गयी—प० 757 58 । बीजापुर को विजित करने के उपरान्त 20 से लेकर 7 000 तक का मनसबदारों की जो बीजापुर के विरुद्ध सन्धि अभियान भरत थे पदोन्नति कर दी गयी (कुतुबुल-ए भालम गौरी प० 105 प) । बीजापुर को विजित करने के उपरान्त जिन धमीरों की पदोन्नति की गयी उनका मूल मनसब नाम और पदोन्नति पथ-पथ उल्लेखित है—

अवावित-ए प्रालमगीरी प 159 व 63 अ । जब हैराबाद को विजित किया गया तो सभी मनमदगरी की जो धरावनी में भाग ले रहे थे पणेनति कर दी गयी— उपरोक्त प० 163 व 65 अ । 1666 ई में अफगान नेताघा ने समपण कर लिया धौरगजेव ने सभी अमीरों की जा अफगाना के विरुद्ध यद्ध का सचानन कर रहे थे पणेनति कर दी (प्रालमगीरनामा प० 1056-57) । पुराधर को विजित करने के उपरान्त अब शिवाजा ने समपण कर लिया सभी अमीरों की जो राजा अर्थात्ह के साथ इन अफगान में जाय कर रहे थे पणेनति कर दी गयी (प्रालमगीरनामा प० 907 909) । खाना की विजित करने के उपरान्त फतहउल्लाह खाँ की सिफारिश पर धौरगजेव ने खान सम्प्रदाय के सभी मनमदगरी की पणेनति कर दी (खाफी खाँ खण II प 494) ।

- 119 दिलकुशा प० 97 अ-व 115 अ धौर यत्र-तत्र प्रालव-ए प्रालमगीरी प 21 व 22 व 25 अ ।
- 120 अघ्याय 5 का खण्ड प्रशासन में अमीरा का व्यवहार देखिये ।
- 121 माम्मासीर-उल-उमरा खण्ड I प० 813 ।
- 122 अब अर्थात्ह इन मनमद तक पहुँच गया तो उसके पश्चात् मनमद में वृद्धि केवल उसे इनाम देकर ही हो सकती थी न कि उसके मूल मनमद में वृद्धि करके (प्रालमगीर नामा प 618) । हातिम खाँ प्रालमगीरनामा प 109 अ मीरात अत प्रारम प० 160 अ मीरात-अ-अहान नामा प 268 अ । केवल अमरु खाँ ही एक ऐसा अमीर था जो इस अवरोध को पार कर सका जिसे शाहजहाँ ने 9 000/9 000 (2 3 अस्या) का मनमद प्रदान किया । किंतु शाहजहाँ ने यह निश्चित कर लिया कि उसका उदाहरण विशिष्ट है और किसी भी अन्य अमीर की 7 000/7 000 के ऊपर पणेनति नहीं की जायेगी (नाहीरी बालशाहनामा खण्ड II प 25) ।
- 123 लेडी सोशन स्ट्रक्चर प्राक इस्लाम कम्प्लेक्स 1957 प० 78 देखिये दासो (साधारणतः जन्म से तुर्की) की नियुक्ति ने अस्वामी तथा अन्य शासकों को जो अपने प्रशासन को दास अधिकारियों पर ही आधारित रखना उचित समझते थे शरियत या अध्यात्मिक अधिकार प्राप्त कर लिया जो यदि वे जन्म से स्वतन्त्र व्यक्तियों की नौकरशाही के लिए भर्ती करते उन्हें प्राप्त नहीं होता । शरियत एक दास को चाहे उसका मोहवा कुछ भी हो तीन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखता है वह अपने स्वामी की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता उसकी मृत्यु पर उसकी विरासत उसके स्वामी जो उसका एकमात्र उत्तराधिकारी है, का प्राप्त होती है अतः म उसके सभी वस्त्रों एक के बाद दूसरा उसका स्वामी के दाम होते हैं । शरियत द्वारा प्राप्त यह विशिष्ट अधिकार जो स्वामी को अपने दाम पर प्राप्त हैं सम्भवतः उन दाम नौकरशाहियों का कारण था जो बार-बार हम इस्लामी इतिहास में लिखायी पढ़ती हैं ।
- 124 अफीक तारीख-ए किराजशाही प० 445 वह अधिकारी बशीर इमाद उल मुल्क था जो 12 करोड़ दाम की सम्पत्ति छोड़ गया था इस धन में से 9 करोड़ की राजसत्त कर लिया गया था और शेष 3 करोड़ इमान उल म क के पुत्रों दामादा पत्नियों वसूल पुत्रा और दासा में बाँट लिया गया था । किंतु कानून सुल्तान को दास्यमकन दास की सम्पत्ति लेने का कोई भी अधिकार न था और इन प्रकार किराज व इस काय को राज्य का काय समझना चाहिए ।

- 125 बनिपर पृ० 211 12 मनुकी II प० 417, जररी, पृ० 241, वेल्सर्ट, मनु० मोरलण जहांगम इटिया प० 54-56 ।
- 126 पर्वे III, पृ० 34 ।
- 127 बावजी 349 बदायूनी II प० 217 18 ।
- 128 वाज्यात-ए प्रसद बेग त्रि० म्यु० भार० 1996 प० 6 ।
- 129 भमन-ए-मालेह III पृ० 246-48 तुह्का-ए साहजहाँनी प० 27 य ।
- 130 जब इस्लाम खाँ का मल्लु हूँ यह हाउटन तय कर दिया गया कि केवल 'मुतालिबा' तथा जो उपहार उसन दक्कन क जमींदारों मे प्राप्त किये है उन्ही का माही कोष म जमा किया जाये । उसका सम्पत्ति का शप भाग उसक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया गया और उन्हें प्राप्ति दिया गया कि वे शरियत के अनुसार उमे प्राप्त में बाँट लें (कारिस प० 16-17) । यह एक अपवाद था जो सम्भवत उक्त नियम को साबित कर देता है ।
- 131 कारिस प० 154 ।
- 132 माघामार-ए भालमगीरी पृ० 531 मोरान भल भालम प० 211 य ।
- 133 मोराल-ए-अहमदी खण्ड I, पृ 135 267 और 319 ।
- 134 बही पृ० 326 ।
- 135 अखदारात 9वाँ जमादा उम-मानी 8वाँ राजकीय वष यहमत खाँ के शमाद अन्दुर रहीम खाँ की भर्ती पर आदेश जारी किया गया । 1662 म भली वार बेग की मृत्यु हुई त्विगत अमीर की सम्पत्ति में से कवत मुतालिबा (राय की वकाया रकम) ही वसूल किया गया और शप सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दे दी गयी (सेलेक्टड वाज्याए डाँक द डक्कन सफा 14 पृ० 50) ।
- 136 मोराल ए अहमदी खण्ड I प० 319 । स्वर्गीय रसोद खाँ की सम्पत्ति उसके पुत्र महम्मद हुसन को दे दी गयी और उसमे सरकारों कर जो उसके पिता को देना था, का भुगतान करने क लिए कहा गया (अखदारात 10 रबो-उन-अख्त 45वाँ राजकीय वर्ष) । बीजापुरिया क बिदद मुट करत समय इस्नाम खाँ कमी की मृत्यु 1676 ई० में हुई । उसकी सम्पत्ति त्रिजमें तीन लाख रुपया और बीस हजार अकॉरिया थी और त्रिसे अज्जन और शोलापुर में राजसात कर लिया था जो उसके पुत्रों को दे दिया गया और उनमे उनके पिता पर राय की वकाया रकम का भुगतान करने को कहा गया (माघासीर उन-उमरा खण्ड I पृ० 246-47) ।
- 137 अखदारात 5 दिनहिज्जा 44वाँ राजकीय वर्ष ।
- 138 मोराल ए-अहमदी खण्ड I पृ० 345 । स्वर्गीय इखलास खाँ की सम्पत्ति उसके पुत्रों को दे दी गयी थी उसके कवल घोड और हाथी ही राय के लिए जन्म किये गये थे (अखदारात 19 रजब 43वाँ राजकीय वर्ष) ।
- 139 अखदारात 7 भावाल 46वाँ राजकीय वर्ष ।
- 140 मनुकी खण्ड II प० 417 तुलनीय—एव० एच० दास नौरिम एम्बसी टू औरगजेव पृ 146 ।
- 141 मोराल ए-अहमदी खण्ड I प० 310-11 ।
- 142 बने पृ० 302 । स्वर्गीय मन्मद अमीन खाँ की कुल सम्पत्ति जो राज्य मे जन्म कर ला थी के विस्तृत विवरण के लिए माघासीर-ए भालमगीरी पृ 226 देखिये ।



- 143 राजायम ए नरायम प० 14 घ भूमि-वप का सगभग दा लाख रुपया कुछ प्रशास्त्रियां तथा गहने उसका पुत्र ने छाग नियमित्ति बान् म इस सम्पत्ति के बारे में पता चल गया और वह जन्त कर ली गया प्रशास्त्रियात 25 रबी-उल-अव्वल 44वां राजकीय वप कलामात ए तथावात प० 24 व ए० ए० दाम नौरिस एम्बसी टू धौरगढ़ व० 285 ।
- 144 बाज्या-ए प्रजेर प 77 81 83 धोर 84 माभासीर ए भालमगीरी प० 173 ।
- 145 मीरात-ए प्रहमणो खण् 1 प० 277 । तिलर धाँ के विरुद्ध राज्य जून था अत उसकी मृत्यु के पश्चात् धौरगढ़ ने प्राप्ति किया कि उसकी सम्पत्ति जन्त कर ली जाये (दिलकुशा प० 83 व) ।
- 146 मयुरा का पीजदार अम्बुन मन्ना लडते समय एक गोले से मारा गया और उसका सारी सम्पत्ति राय के लिए जन्त कर ली गयी थी (बाभार तजकिरा ए-सलातिन ए-बागताई प 260 व भाभासीर ए भालमगीरी प 83) । बखी-उल-मुल्क मूयनिस धाँ की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् जन्त कर ली गयी थी (प्रशास्त्रियात 4 शबाबान धौरगढ़ का 44वां राजकीय वप) । अरशद धाँ की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् राय के लिए जन्त कर ली गयी थी (प्रशास्त्रियात 10 रबी उल अ-व्वल 45वां राजकीय वप) । महम्मद जाफर को स्वर्गीय आसिम धाँ की सम्पत्ति राजसात् करने के लिए तनात किया गया था (19 जुगादा उस-सानी 39वां राजकीय वप) । शायस्ता धाँ की सम्पूर्ण सम्पत्ति राजसात् कर ली गयी थी (माभा सीर उल उमरा भाग II प० 705) । धौरगढ़ के 38वें राजकीय वप में धान-ए जहाँ बहादुर अफार जग कोवन्ताश की मृत्यु हुई और उसका सम्पूर्ण सम्पत्ति राय के लिए जन्त कर ली गयी थी (दिलकुशा प 118 व) ।
- 147 सरकार मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तृतीय संस्करण 1935 प० 175 76 ।
- 148 अतिपर प० 211 12 कररा प 241 भा दक्षिण ।
- 149 इडिया एट द डथ आफ अक्बर प० 262 63 ।
- 150 पलसट अनु मारलण्ड जहाँगीर इडिया प० 54 56 ।

परिशिष्ट—घ

जात पद से अधिक सवार पद वाले मनसबदार

नाम	मनसब	खेत
1 गोरखपुर का फौजदार (नाम नहीं दिया हुआ है)	3 000/4,000	अखवारत, 28 मुहरम 43वाँ राजकीय बप ।
2 किशोरसिंह हाडा	2 500/3 000	अखवारत, 28 जमादा, 38वाँ राजकीय बप ।
3 रवाजा मुहम्मद आरिफ मुजाहिद खाँ	2 500/2 800	अखवारत, 16 रबी उस-सानी, 39वाँ राजकीय बप । नामवार पं 273 घ ।
4 राब दल्पत	2,500/2 700	दिलबुसा, पं 136 घ ।
5 हादी खाँ	2 000/2,400	अखवारत, 13 रमजान 13वाँ राजकीय बप ।
6 रामचंद	2 000/3,000	माझसीर ए आलमगीरी पृ० 423 ।
7 कबाद खाँ	2,000/2 500	आलमगीरनामा, पृ० 120 ।
8 सरदार खा	2,000/2 500	आलमगीरनामा, पृ० 629 ।
9 शेर अफगन	1,500/1,700	माझसीर ए आलमगीरी, पृ० 381 ।
10 अल्लाहदाद खाँ	1,500/2 000	अखवारत, 15 जमादा उस-सानी, 46वाँ राजकीय बप ।
11 दिलेर पुत्र बहादुर खैला	1,000/1,200 (500 × 2 3 घस्था)	आलमगीरनामा, पृ० 661 ।

नाम	मन्सब	स्रोत
12 मोह्लशम खाँ	1 000/1,200 (1 000 × 2 3 ग्रस्पा)	प्रखवारात, 15 जमादा उस-सानी, 46वाँ राजकीय वष । प्रखवारात 16 रज, 24वाँ राजकीय वष ।
13 फाजुर खाँ	1,000/1 200	प्रखवारात, 8 जिकदा, 39वाँ राजकीय वष ।
14 मयद हसन अली खाँ	1 000/1 200	प्रखवारात 28 जिकदा, 43वाँ राजकीय वष ।
15 इफितखार खाँ	1 000/1 500	प्रखवारात, 26 रजव 45वाँ राजकीय वष ।
16 कुवर विजयसिंह	1 000/2 000	प्रखवारात 9 रमजान 44वाँ राजकीय वष ।
17 मामूर खाँ	1 000/1 200	प्रखवारात 4 जिकदा 46वाँ राजकीय वष ।
18 रहमान दाद खाँ	1 000/1 500	प्रखवारात 15 जमादा उस-सानी 46वाँ राजकीय वष ।
19 समदर खाँ	1 000/1 200	प्रखवारात 1 मुहरम 45वाँ राजकीय वष ।
20 अडुल समद खाँ	1 000/1 100 (300 × 2 3 ग्रस्पा)	प्रखवारात 7 जिकदा 38वाँ राजकीय वष ।
21 मुहम्मद मुराद खाँ	900/1 000	प्रखवारात 10 रबी-उल अख्त 45वाँ राजकीय वष ।
22 बहराम	1 000/1 700	प्रखवारात 10 रबी-उल अख्त 45वाँ राजकीय वष । प्रखवारात 10 रबी-उल अख्त 45वाँ राजकीय वष ।
23 बारखलब खाँ	900/1 000	प्रखवारात 26 सफर, 45वाँ राजकीय वष ।
24 नजफ बुली	800/1 000	प्रखवारात, 5 मुहरम, 45वाँ राजकीय वष ।
25 फतह जालौरी	700/1 400	प्रखवारात, 15 शाबान, 24वाँ राजकीय वष ।
26 धौरग खाँ	700/900 (400 × 2 3 ग्रस्पा)	प्रखवारात 28 रमजान 46वाँ राजकीय वष ।
27 हाफिज खाँ	700/900	प्रखवारात 29 सफर, 46वाँ राजकीय वष ।

28	स्वाजा खुदा यार खाँ	700/1 000	प्रख्वारात, 14 रबी उल-सानी, 44वाँ राजकीय वष ।
29	भाषा कुली खाँ	700/800	प्रख्वारात, 9 शिकदा, 40वाँ राजकीय वष ।
30	रावतमल भाला	700/900	प्रख्वारात, 4 मुहरम, 45वाँ राजकीय वष ।
31	मीर मुबारकुल्लाह	700/1 000	माभासीर उल उमरा, 1, पृ० 204 5 ।
32	मुहम्मद वामयाब	600/620	प्रख्वारात, 8 खिलहिज्जा 43वाँ राजकीय वष ।
33	शुकुरल्लाह खाँ	500/1,700	प्रख्वारात, 13 रमजान, 47वाँ राजकीय वष ।
34	अबुल	500/600	माभासीर ए आलमगीरी, पृ० 303 4 ।
35	हिम्मत यार	500/900	प्रख्वारात 11 खिलहिज्जा, 38वाँ राजकीय वष ।
36	खानचद बुदेला	500/650	प्रख्वारात, 16 खिलहिज्जा, 38वाँ राजकीय वष ।
37	मुहम्मद सालेह	500/700	प्रख्वारात, 1 रबी उल-सानी, 38वाँ राजकीय वष ।
38	खिदमत तलब खाँ शाह देग	500/640	प्रख्वारात, 28 खिलहिज्जा 45वाँ राजकीय वष ।
39	असफ़दियार	500/700	प्रख्वारात, 2 मुहरम, 45वाँ राजकीय वष ।
40	मीर मुहम्मद लतीफ	500/600	प्रख्वारात, 27 सफर, 45वाँ राजकीय वष ।
41	वली दाद	500/650	प्रख्वारात, 9 रमजान, 44वाँ राजकीय वष ।
42	सयद मुदस्सिर	500/600	प्रख्वारात, 19 मुहरम, 45वाँ राजकीय वष ।
43	नियाज खाँ	500/800	प्रख्वारात, 11 शाबान, 43वाँ राजकीय वष ।
44	फोजदार खाँ	500/700	माभासीर ५, फालमगीरी, पृ० 474 ।
45	तिलोकसिंह	400/450	प्रख्वारात, 2 शाबान, 37वाँ राजकीय वष ।
46	मुहम्मद रफी	400/650	प्रख्वारात, 13 रबी-उल-सानी, 38वाँ राजकीय वष ।
47	दिलावर खाँ पुत्र अल्लाह दाद खाँ	400/500	प्रख्वारात, 4 जमादा-उल-अख्वल, 38वाँ राजकीय वष ।
			प्रख्वारात, 19 शिकदा, 38वाँ राजकीय वष ।

नाम	मनसब	स्रोत
48 शाकिर खाँ	400/1 000 (200 × 2 3 अस्था)	मंसवारत, 13 रमजान, 47वाँ राजकीय वष ।
49 कासिम खाँ	400/700 (250 × 2 3 अस्था)	अखवारत, 6 रजब, 46वाँ राजकीय वष ।
50 मुहम्मद कासिम पुत्र शेर खाँ	400/450	अखवारत, 13 रजब, 43वाँ राजकीय वष ।
51 मुहम्मद गरीफ	400/560	अखवारत, 16 मुहरम 38वाँ राजकीय वष ।
52 केशवदास	300/500	अखवारत 5 ज़िश्दा, 38वाँ राजकीय वष ।
53 मीर मुहम्मद सजी	300/700	अखवारत 29 रबी उस सानी, 38वाँ राजकीय वष ।
54 दिलावर खाँ	300/700	अखवारत 1 रमजान 46वाँ राजकीय वष ।
55 सफ गिकन खाँ	300/500	अखवारत 29 सफर 46वाँ राजकीय वष ।
56 रामचंद पुत्र दलपत बु देला	(400 × 2 3 अस्था) 300/500	अखवारत 3 मुहरम 45वाँ राजकीय वष ।
57 आज़म पुत्र हिम्मत	300/420	अखवारत, 28 सफर 43वाँ राजकीय वष ।
58 मुहम्मद सरदार पुत्र दीनदार	100/400 (200 × 2 3 अस्था)	अखवारत 19 ज़िसहिज्जा, 43वाँ राजकीय वष ।
59 भीमसिंह	300/400	अखवारत, 5 रजब 39वाँ राजकीय वष ।
60 गरीबदास	300/500	अखवारत 21 जमादा-उस सानी, 39वाँ राजकीय वष ।
61 मुहम्मद मुराद	300/450	अखवारत 3 जमादा उस-मानी, 38वाँ राजकीय वष ।
62 नूर खाँ	300/450	अखवारत, 1 मुहरम, 38वाँ राजकीय वष ।

परिशिष्ट—ब

जात पत्र के वेतन की तालिका

(7,000 जात)

स्रोत	सदस्य पृष्ठ या पना	श्रेणी I
भाईन ए प्रकवरी, खण्ड I	पृ० 124	र० 45,000 (प्रति माह)
फ़रहग ए-करदानी	प० 43-49	21,600 000 दाम (वार्षिक)
सलेक्टेड डाक्यूमेण्टस ऑफ़ शाहजहास रेन	पृ० 80	14 000 000 दाम (वार्षिक)
दस्तूर-उल अमल ए अलमगीरी	प० 125 अ	14,000,000 दाम (वार्षिक)
अबावित ए अलमगीरी	प० 42 ब-45 ब	14,000 000 दाम (वार्षिक)
मुमालिक ए महरसा-ए-अलमगीरी	प० 149 ब	14 000,000 दाम (वार्षिक)
खुलासात उस सियक	प० 48 ब-49 अ	14 000 000 दाम (वार्षिक)
मालूमात-उल अफाक	पृ० 195-96	14,000,000 दाम (वार्षिक)

खात पत्र के वेतन की तालिका  
(5 000 खात)

स्रोत	सदम पृष्ठ या पना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
भाईन ए भक्वरी खण्ड I	पृ० 124	र० 30 000 (प्रति माह) 14 400 000 दाम (वा०)	र० 29 000 (प्रति माह) 13 920 000 दाम (वा०)	र० 28 000 (प्रति माह) 13 440 000 दाम (वा०)
परहग ए-बरदानी सलेक्टेड डायप्लोमेट्स आफ शाहजहाँस रेन	प० 43-49 पृ० 80	10 000 000 दाम 10,000 000 दाम	9,700 000 दाम 9 700 000 दाम	9 400 000 दाम 9 400 000 दाम
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 अ 125 ब प० 42 ब-45 ब	10 000 000 दाम (9 400 000) दाम	9,700 000 दाम 9 700 000 दाम	9 400 000 दाम 9 400 000 दाम
जवाबित ए आलमगीरी हालात ए मुमालिक ए महरसा ए आलमगीरी	प० 149 ब प० 48 ब-49 अ पृ० 195 96	10 000 000 दाम 10 000 000 दाम 10 000 000 दाम	9 700 000 दाम 9,700 000 दाम 9 700 000 दाम	9 400 000 दाम 9 400 000 दाम 9 400 000 दाम

1 प्रबलित पूर्व मानों के अनुसार ।

2 कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रतिनिधि की दृष्टियाँ मान्य पड़ती हैं ।

वा०—वार्षिक

जात पद के वेतन की तालिका  
(4,000 डाक)

जात	सदस्य पृष्ठ या पना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
आईन ए अक्वरी खण्ड I	पृ० 125	र० 22,000 (प्रति माह) 10 560 000 टाम (बा०)	र० 21,800 (प्रति माह) 10 464 000 टाम (बा०)	र० 21,600 (प्रति माह) 10 368 000 टाम (बा०)
करहग ए करवाही	प० 43-49	8 000 000 टाम "	7 700 000 टाम "	7,400 000 टाम "
मनेक्टेट डॉक्युमेंटस आफ गाहजहास रेन	पृ० 80	8 000 000 टाम "	7 700 000 टाम " 7,800 000 <sup>1</sup>	7 400,000 टाम " 7,600,000 <sup>2</sup>
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 अ 125 ब	8 000 000 टाम "	7 700 000 टाम "	7 400 000 टाम "
खुवाबित ए आलमगीरी	प० 42 ब 45 ब	8 000 000 टाम "	7,700 000 टाम "	7 400 000 टाम "
मुगलिक ए महल्सा ए आलमगीरी	प० 150 अ	8 000 000 टाम "	7,700 000 टाम "	7,400 000 टाम "
खुलासात उस सिपिक	प० 48 ब-49 अ	8 000 000 टाम "	7 700 000 टाम "	7,400 000 टाम "
मालूमाल उल अफ्फक	पृ० 195 96	8 000 000 टाम "	7,700,000 टाम "	7,400,000 टाम "

बा०—बायिक

1 प्रचलित पूर्व मानों के अनुसार ।



जात पद के वेतन की तालिका  
(3 000 बात)

स्रोत	सदम पृष्ठ या पना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
गार्डन ए अकबरी, लण्ड I	पृ० 126	₹० 17 000 (प्रति माह)	₹० 16 800 (प्रति माह)	₹० 16,700 (प्रति माह)
फरहग ए करदानी	प० 43 49	8,160 000 दाम (बा०) 6 000 000 दाम "	8 064 000 दाम (बा०) 5,700 000 दाम	8 016 000 दाम बा० 5 400 000 <sup>1</sup> दाम "
सलक्टेड डायमण्ड्स आफ शाहजहाँस रेन	पृ० 81	6 000 000 <sup>1</sup> दाम	5 700 000 <sup>1</sup> दाम 5 800 000 (पहन के दस्तूर उल अमल के अनुसार)	5 600 000 दाम
दस्तूर उल अमल ए अलमगीरी	प० 125 अ व	6 000 000 दाम	"	5 400 000 दाम
जवाबित ए अलमगीरी	प० 42 ब-45 ब	6 000 000 दाम	"	5 400 000 दाम "
गुमालिक ए महस्ता ए अलमगीरी	प० 150 अ	6 000 000 दाम	"	5,400 000 दाम "
खुतासात उल सियक	प० 48 ब 49 अ	6 000 000 दाम	"	5 400 000 दाम

1 प्रचलित पूर्व मानों के अनुसार ।

सा०—वार्षिक

जात पद के वेतन की तालिका  
(2000 साल)

स्रोत	सदस्य पृष्ठ या पना	द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
फ्राईन ए प्रवर्ती, खण्ड I	पृ० 127	₹० 12 000 (प्रति माह)	₹० 11,900 (प्रति माह)	₹० 11 800 (प्रति माह)
		₹० 760 000 दाम (वा०)	₹० 5 712 000 दाम (वा०)	₹० 5 664 000 दाम (वा०)
		4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3,400 000 दाम
	प० 43 49	4 000 000 दाम	"	3,400,000 दाम
परहग ए-करदानी		4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 600 000 <sup>1</sup> दाम
मंत्रिपेट डायरेक्टरस आफ		4 000 000 दाम	3 800 000 <sup>1</sup> दाम	(पहले के दस्तूर उस
गाहजहास ऐन	पृ० 81		(पहले के दस्तूर उस	अमल के अनुसार)
			अमल के अनुसार)	"
			3,700,000 दाम	3 400,000 दाम
			"	"
दस्तूर उस अमल ए	प० 125 अ 125 व	4 000 000 दाम	3,700,000 दाम	3 400 000 दाम
आयमगीरी	प० 42 व 45 व	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 दाम
जवाबित ए मालमगीरी		4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 दाम
मुमानिक ए-महस्ता ए	प० 150 अ-	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 दाम
आयमगीरी	प० 48 व 49 अ	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 <sup>2</sup> दाम
मुलाजात उस सिविक	पृ० 195 96	4 000,000 दाम	5,700,000 दाम	5 400 000 <sup>2</sup> दाम
मालजात उस अफाक				वा०—वार्षिक

2. यह घाबड़ प्रतिलिपि की वृद्धि मासूम होती है।

जात पद के वेतन की सारिका  
(1 000 जात)

स्रोत	सदम पृष्ठ या पना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
ग्राईन ए प्रकबरी, बण्ड I	पृ० 128	₹० 8 200 (प्रति माह)	₹० 8 100 (प्रति माह)	₹० 8 000 (प्रति माह)
फरहग ए-करदानी	प० 43 49	3 936 000 दाम (बा०)	3,888 000 दाम (बा०)	3,840 000 दाम (बा०)
सलबटेड डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहान्स रेन दस्तूर उल प्रमल ए आलमगीरी	पृ० 81 82	2,000 000 दाम	1 900 000 दाम	1 700 000 दाम
जवाबित ए आलमगीरी	प० 125 अ 126 अ	2 000 000 दाम	1 900 000 दाम	1 700 000 दाम
मुमालिक ए महरसा ए आलमगीरी	प० 42 ब 45 ब	2 000 000 दाम	1 900 000 दाम	1,700 000 दाम
खुलासात उत सियब	प० 150 अ	2 000 000 दाम	1 900 000 दाम	1 700 000 दाम
भातुमात उल अफाव	प० 48 ब 49 अ	2 000 000 दाम	1 900 000 दाम	1,700 000 दाम
	पृ० 195 96	2 000 000 दाम	1,900 000 दाम	1 700 000 दाम

बा०—वार्षिक

## जागीरदारी प्रथा एवं अमीर-वर्ग

(द जागीरदारी सिस्टम एण्ड नोबिलिटी)

मुगल साम्राज्य के मनसबदारों के वेतन का भुगतान नकद में अथवा आबटन के रूप में प्रदान की गयी भूमि-क्षेत्र द्वारा होने वाली आय से होता था। इन क्षेत्रों में उन्हें लगान तथा साम्राट द्वारा लगाये गये या अनुमोदित आय करों को वसूल करने का अधिकार था। इस प्रकार सुपुद किये गये क्षेत्र 'जागीर' और 'तुयूल' के नाम से जान जाते थे तथापि कभी कभी दिल्ली के सुल्तानों के समय में प्रयुक्त होने वाले शब्द 'इकता' का प्रयोग भी होता था। नकद में भुगतान पाने वाले अधिकारियों को 'नकदी', और जहाँ उनके पास आबटन होते थे तो उन्हें 'जागीरदार' एवं 'तुयूलदार' कहा जाता था। मीरान उल इस्तिलाह के रचयिता के अनुसार 'तुयूल' शब्द का मूलरूप में प्रयोग वस्तुतः शाही परिवार के सहजानों के आबटन के लिए हुआ करता था परन्तु कम से कम और गज़ेब के समय में इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार के आबटनों के लिए होना लगा था।<sup>1</sup> साम्राट की आय के लिए जो भूमि आरक्षित थी उसे 'खालिसा' या 'खानिसा ए शरीफा' कहते थे। तथा उन इलाकों को, जो प्रदान करने के लिए थे किन्तु जिनका प्रबंध कुछ समय के लिए शाही अधिकारियों द्वारा होता था, 'प-वाकी' कहते थे।<sup>2</sup>

साम्राज्य का अधिकांश भाग 'जागीर' के रूप में नियत था। उदाहरणार्थ, औरंगज़ेब के शासनकाल के 10वें वर्ष, सम्पूर्ण साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व (जमादामी) 924 करोड़ दाम में से 725 करोड़ जागीरदारों को नियत था या प-वाकी में आता था।<sup>3</sup> अकबर के क़रीबी प्रयोग जब एक प्रकार से सम्पूर्ण साम्राज्य को 'खालिसा' के अन्तर्गत रख दिया गया था, की भाँति कोई अन्य प्रयोग 17वीं शताब्दी में नहीं दाहराया गया। वस्तुतः, जहाँगीर के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में खालिसा घट कर 28 करोड़ दाम<sup>4</sup> या कुल जमा के 1/20 भाग से भी कम रह गया। लेकिन उस समय के बाद से, विशेषतः शाह जहाँ के राज्यकाल में खालिसा क्षेत्र में वृद्धि हुई। कुल जमा 880 करोड़ में खालिसा की जमा की राशि 120 करोड़ हो गयी, अर्थात् शाहजहाँ के राज्यकाल

के 20वें वष में सम्पूर्ण साम्राज्य की कुल जमा में से 1/7 से अधिक खालिसा थी।<sup>16</sup> औरगज़ेब के राज्यकाल में 10वें वष में वह कुल जमा का 1/5 भाग था।<sup>17</sup> इसके पश्चात् खालिसा की निश्चित सीमाओं के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऊपर लिखे गये आँकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि साम्राज्य का अधिक भाग खालिसा में अंतर्गत था। साथ ही साम्राट की आय भी प्रचुर थी जो सीधे उसके खजाने द्वारा एकत्र की जाती थी। इस आय में से वह अपने सैनिकों को पचिया परिचारकों आदि तथा नकदी मनसबदारों के वेतन का भुगतान करता था। इसके बावजूद मन्थ यह है कि साम्राज्य के राजस्व का 4/5 से भी अधिक भाग जागीरदारों को दिया जा चुका था।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में इस तथ्य के महत्त्व को पूरन नहीं समझा गया है। पाठ्य पुस्तकों में यहाँ तक कि स्तरीय ग्रन्थों के रचयिताओं ने, राजस्व एवं प्रशासन के अन्य विभागों पर बात विवाद करते समय यह धारणा बना ली है कि खालिसा का प्रबंध करने की व्यवस्था सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के समान ही थी। इस प्रकार के यह विश्लेषण करने में असफल रहे हैं कि जागीरदारी प्रथा प्रशासन के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई थी तथा किस प्रकार इस समस्या के चालू रहने के कारण नयी समस्याएँ उत्पन्न हुईं जिनके समाधान के लिए समय-समय पर तरकीबें अपनायी गयीं। प्रस्तुत अध्याय में जागीरदारी प्रथा मज़हबी शक्तों में इस प्रथा द्वारा उत्पन्न समस्याओं तथा उनका मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करके प्रचलित विवृति का सही करन का प्रयास किया जायगा।

## जागीरों का अर्थ

साधारणतः एक मनसबदार को उसके जात और सवार पदा के लिए वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाती थीं। ऐसी जागीरों को 'जागीर ए-तनख्वाह' या 'तनख्वाह ए जागीर' कहते थे।<sup>18</sup>

जब किसी व्यक्ति का किसी पद पर नियुक्ति के अवसर पर शर्तों के साथ जागीर प्रदान की जाती थी तो उसे जागीर की मशरूत या प्रतिबन्धित जागीर कहते थे।<sup>19</sup> उदाहरणार्थ 1672 में जब मुहम्मद अमीन खाँ का गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया उसे उस पद के साथ सलग्न सरकार पागन तथा बेराम ग्राम की जागीर मशरूत के रूप में प्रदान की गयी।<sup>20</sup> वे जागीरें जिनके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सेवा के उत्तरदायित्व का बन्धन नहीं था तथा जो पद से स्वतंत्र थी, इनाम के नाम से जानी जाती थीं।<sup>21</sup> यह निश्चित करना

किं श्रमुक मनसबदार नकद या जागीर के रूप में वेतन प्राप्त करेगा, सम्राट के ऊपर निर्भर करता था।<sup>13</sup>

चूँकि जागीर नकद वेतन के स्थान पर दी जाती थी, यह अत्यन्त आवश्यक था कि उसकी आय कम से कम उतने वेतन के बराबर हो जिसके लिए वह हकदार था। यदि जागीर की आय कम होती थी तो उम नुकसान होता और ऐसी दशा में वह अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकता था। मारलैण्ड ने विविध प्रकार के आर्डर उदधृत किये हैं जिन्हें प्रत्येक महाल<sup>14</sup> अथवा राजस्व की इकाई का मौसम या साधारण आय माना गया था, और जिनके आधार पर सभी जागीर आवंटन नियत किये जाते थे। अक्टूबर के समय इन आकड़ा को जमा दाल के अंतर्गत रखा गया था जिसको मालती से 'मूल्यांकन' समझा गया है।<sup>15</sup> उसी श्रेणी के आकड़ा के लिए जमादामी शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी में हुआ। सम्भवतः ऐसा इसलिए हुआ कि आकड़ा का उल्लेख 'दाम' में होता था, जिसका परिवर्तन निश्चित अनुपात के हिसाब से 1 रुपये में 40 दाम होता था। वेतन के लिए भी इकाई की इसी संज्ञा का प्रयोग होता था, हालाँकि प्रचलित मुद्रा रुपया ही थी, और मूल तारे के दाम के मूल्य में उसके पहले के मूल्य—एक रुपये का 1/40—से वृद्धि हो चुकी थी।<sup>16</sup> इस नये शब्द जमादामी का महत्त्व यह है कि अब हम, जिस आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थी उनकी जमादामी के आकड़ा व गाँव के व्यक्तिगत किसान की साधारण जमा या किसी मौसम में उसकी जमादामी के आधार पर दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।

जब कभी किसी व्यक्ति को जागीर प्रदान की जाती थी तो जो भी परगने या गाँव उसे प्रदान किये जाते थे उनकी जमादामी सरकारी खाता में उसके वेतन के बिलबुल बराबर होती थी। यह उन आदेशों से स्पष्ट है जिनके द्वारा जागीरें प्रदान की गयीं और जो आदेश अब भी उपलब्ध हैं। इनमें सबसे पहले, अम्यपिती का पद उल्लेखित रहता था। उसके पश्चात् अनुमादित की गयी तालिकाओं एवं उसके पत्र के अनुसार उमें कितना वेतन मिलना चाहिए इसका यौरा उसमें लिखा रहता था। इसको 'मुकरर तलब' या 'अनुमोदित दावा' कहते थे। इस दाव की पूर्ति करने के लिए, जमादामी आकड़ों के साथ परगनों का यौरा लिखा रहता था। जमादामी आकड़ा का योग वेतन दावे (अथवा वेतन के लिए किये गये दावा) की राशि के बराबर हुआ करता था।<sup>17</sup> ऐसी स्थिति में जब अनुमोदित वेतन-दावा की राशि का भुगतान एक परगने की कुल जमा का न प्रदान कर उसके एक भाग द्वारा की जाती थी तो उस भाग का यौरा दे लिखा जाता था। ऐसी स्थिति में 'दीवानी अथवा सरकारी वित्तीय विभाग परगन के गाँवों का अम्यपितियों के मध्य, जिनकी जमा के लिए का दावा उन होता था,

विभाजित करने (विस्मत) का आदेश देता था।<sup>18</sup> परन्तु प्रशासन का प्रयत्न सदैव इस ओर होता था कि एक सम्पूर्ण परगने (टोरोरस्त) को दो तीन जागीरदारों के मध्य विभाजित करने के स्थान पर किसी एक जागीरदार को प्रदान किया जाय।<sup>19</sup>

मग़हवी शासनी में यथायत किस प्रकार जमादामी घातके मानुम निये जाते थे यह एक अस्पष्ट विषय है। जसा अफ़सर<sup>20</sup> के शासनकाल में होता था कि पिछले 25 वर्षों (दह माना) में एकत्र किये हुए राजस्व (हान ए हासिल) का औसत निकाल कर जमादामी मानुम की जाता था यही ढंग उसके उत्तराधिकारियों के समय में प्रचलित रखा गया गी उस विषय की विवचना प्रत्यक्ष रूप से किसी भी समकालीन इतिहासकार ने नहीं की है। फिर भी जसा हम निश्चित रूप से पाते हैं कि केन्द्रीय प्रशासन परगना के हाल ए हासिल सम्बन्धी कागज़ा तथा प्रांता के दस वर्षों के राजस्व (मुवाज़ना ए दह-साला) के तुलनात्मक व्योरो<sup>21</sup> की सूचनाएँ एकत्र करने में रुचि रखता था।

निःसन्देह अफ़सर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों की यह समस्या कि जमा व हासिल<sup>22</sup> में बहुत ही अन्तर था, ज्या-की त्या बनी रही। यदि उसके सम्बन्ध में कुछ क्वा भी जा सकता है तो यह कि 17वीं शताब्दी में यह समस्या और अधिक गम्भीर बन गयी। दक्कन की तृतीय वायसरायरटी के समय श्रीरंगदेव ने गाहज़हाँ न निवेदन किया कि न सूबा (दक्कन के) की जमादामी घटाने (अनुमोन्ति) के पश्चात् 1 449 000 000 टाम है। उसका वास्तविक राजस्व (मन्सूब) घटाई हुई राशि 1 200 000 रुपय को मिला कर जिस दीनानो ने रद्द नहीं किया और उस प्राकृतिक प्रकाप (आफत) में रख दिया 10 000 000 रुपया होता है (अर्थात् 400 000 000 दाम), जो जमादामी के औसत का तिमाहा (या एक चौथाई) भी नहीं होता है।<sup>23</sup> इस कथन का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि साम्राज्य के अन्य भागों में भी ऐसा ही स्थिति थी। फिर भी सबूत हासिल की रकम यथा कदा ही जमा की कुल रकम के बराबर होती थी। एक प्रपत्र में अवध में दो जागीरों को पट्टे पर देने का उल्लेख है जिसमें हम इस आशय के कथन मिलते हैं कि उनमें से एक जागीर आठ माहा और दूसरी साल माना व सात दिन के लिए पट्टे पर थी क्योंकि पहले उदाहरण में जमा 440 000 दाम और पट्टे से आय 7 333 रुपय 4 आने थी और दूसरे उदाहरण में ओकडे प्रमक्ष 210 000 दाम और 3 162 रुपये 4 थ। जहाँ तक इस अन्तर का प्रकृति एक प्रभाव का, मासिक नियम के अन्तर्गत नियमित मनसबदारा के बतन एवं उत्तरदायित्व को प्रभावित करने का प्रश्न है उमक बार में पहल ही चचा की जा चुका है।

यदि राजस्व प्रत्याशा से बहुत कम बसूल जाता तो कभी-कभी समझन कर

दिया जाता था। इस प्रकार की कटौती को 'तक्फीफ ए-दामी' कहते थे। ऐसे उदाहरणों में, जागीरदार घटी हुई धनराशि का हकदार था, ताकि जमादामी को उसके बेतन के बराबर रखा जा सके। यह समझना था तो राजकोष में से नकद भुगतान करके या उसी राशि के बराबर की अतिरिक्त जागीर प्रदान करके किया जाता था।<sup>5</sup> इसी प्रकार से यदि जागीरदार द्वारा वास्तविक वसूल किए गये राजस्व की वास्तविक राशि जमादामी से या जागीरदारा के लिए अनुमोदित 'मासिक अनुपात' में अधिक होती थी, तो उसका अंतर अम्यपिती से घटाने किया जा सकता था।<sup>6</sup> कभी-कभी कोई ईमानदार जागीरदार स्वयं इस बात की सूचना दे दिया करता था कि उसने मासिक अनुपात द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राजस्व वसूल कर लिया था। ऐसी उदाहरणों में जागीरदार का सवार पत्र चढ़ा कर शेष राजस्व समझित किया जा सकता था।<sup>7</sup> समय-समय पर आबटना के राजस्व सम्बन्धी पत्रों में सशोधन भी किये जाते थे, कागज पर जागीर के मूल्य की तुलना वसूल किये गये वास्तविक राजस्व से भी प्रायः की जाती थी और तदनुसार जिम श्रेणी की जागीर होती थी उसके मासिक अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाता था।<sup>8</sup>

### जागीरों का अन्तरण

जागीरों की प्रवृत्ति ही अन्तर्णीय थी। मुगल साम्राज्य का यह निश्चित सिद्धान्त था कि किसी भी व्यक्ति के पास दीघकाल तक एक वही जागीर न रहे। अबुल फजल ने जागीर का माली द्वारा अपने पौधों को प्रतिरापित करने की तरह बताया है।<sup>9</sup> हाजिस से लखर बंनियर तक 17वीं शताब्दी के सभी यूरोपीय यात्रियों ने यह देखा कि 'बतन-जागीरों को छोड़ कर, सभी जागीरों का प्रत्येक तीसरा या चौथे वर्ष अन्तरण या तगम्युर होता था।<sup>10</sup> वस्तुतः अन्तरण ने सम्बन्ध में हमारे इस कथन का वास्तविक आधार ऐतिहासिक प्रमाणों, पत्रों, प्रपत्रों में उपलब्ध वास्तविक साक्ष्य हैं—यह सम्पूर्ण सामग्री इतनी विपुल है कि यहाँ उस उद्धृत नहीं किया जा सकता। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि प्रणामवीय पत्रों के किसी भी संग्रह जैसे आदाब ए आलमगीरी या निगार नामा ए मुगी में अन्तरण के अनेक उदाहरण मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आबटना के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं था, जसा कि भीमसेन ने कहा है कि 'जागीरदारा के प्रतिनिधि' कभी भी 'यह आग्रा नहीं करते थे कि अगल वर्ष के लिए जागीरों का अनुमान (बहाली) कर दिया जायगा।'<sup>11</sup>

जागीरदारों के दृष्टिकोण से अन्तरण प्रणाली में कुछ जटिलताएँ थीं। अन्तरण के लिए यह पूर्व कल्पना कर ली गयी थी कि बगान व उड़ीसा को छोड़ कर सभी स्थानों में रबी और खरीफ की फसलों का मूल्य सामान्य था।<sup>12</sup> वास्तव में



रवी व सरीफ की फसलें वही भी सामान्य मूल्य की नहीं दृष्टा करती थी, परिणामस्वरूप वष के मध्य में अन्तरण के कारण जागीरदारों का अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता था। वभी-वभी ता अम्पनिनी को पहल की बजाया रकम वगूल करके खजाने में भेजना पड़ता था।<sup>33</sup>

जागीरों का अन्तरण अथवा मिट्टा-तबंग ही नहीं किया जाता था। प्रायः उनका स्थानान्तरण इसलिए भी किया जाता था कि जब किसी मनसबदार का किसी प्रान्त में सेवा के लिए भेजा जाता तो उस वही जागीर जना आवश्यक समझा जाता था और इसी प्रकार जिह वहाँ से चुला लिया जाता था उह अन्तरण जागीर प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। ग्राहजहाँ के समय में जब औरगजेब दक्खन का थायगराय था ता उसने अनेक अवसरों पर अदव इस बात का विरोध किया कि उसके साथ तनात व्यक्तियों की जागीरें उत्तरी भारत से अन्तरित की जा रही थीं यद्यपि उसके विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला।<sup>34</sup> सम्राट का रूप में 1694 ई० में उसने आदेश दिया कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का जो दक्खन में सेवा कर रहे थे वही जागीरें प्रदान की जायें।<sup>35</sup> मीरात-ए अहमदी में एत व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिह गुजरात में एक ही स्थान का फौजदार और जागीरदार नियुक्त किया गया था।<sup>36</sup> जागीरों का प्रदान करते समय अथवा उनका अन्तरण करते समय एक अन्य बात ध्या में रखी जाती थी कि जागीरदारों का उन प्रदेशों की व्यवस्था करने के योग्य होना चाहिए जो उह प्रदान किए जाते थे। फर्रुखसियर के समय लिखी गया एक प्रशासनिक नियम-मुस्तफ में सिफारिश की गयी है कि जागीरों को निम्नलिखित सिद्धान्त के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए— गवर्नर का अपना जागीर का 1/4 भाग विद्राही (खारत-वब) क्षेत्रों में तथा दोष मध्य अर्णी (औसत) वाले देशों में मिलना चाहिए दीवाना बख्शिया तथा अन्य उच्च मनसबदारों का मध्य अर्णी व दूनका में आधी जागीरें तथा दोष राजस्व दान यात्र (रयती) इलाकों में मिलनी चाहिए, छोटे मनसबदारों की जागीरें पूणत रयती क्षेत्रों में होनी चाहिए।<sup>37</sup>

साम्राज्य की एकता एवं सम्बद्धता के लिए जागीरों की अन्तरण प्रणाली का होना आवश्यक था। इन अन्तरणों द्वारा ही अमीरा या सैनिक अधिकारियों को स्थानीय जनता से सम्बन्ध स्थापित करने तथा स्थानीय शक्तियों का रूप में विकसित हान से रोका जा सकता था। इस प्रणाली के अन्तर्गत ही व दश के किसी भी भाग को अपना नहीं कह सकते थे और उहे पूणत सम्राट की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ता था।

### वतन जागीरें

केवल वतन-जागीरें ही जागीर अन्तरण की साधारण प्रणाली में अपवाद

थी। वतन जागीरो की उत्पत्ति जमीदारो या क्षेत्रीय सरदारो को मुगल सेवा में प्रवेश करने के साथ हुई। सरदारो ने मनसब या पद प्राप्त किये, जिसका वेतन उनके अधिराज्य की जमा के बराबर होता था परंतु उनके अधिराज्य अथ-स्वतंत्र थे अतः जमा का परिवर्तन मनमाने ढंग से होता था।<sup>38</sup> उनके पुराने अधिराज्य वतन कहे जाते थे जो उनके परिवार के ही हाथ में रखा करते थे, जसा कि राजा इंदरसिंह ने औरंगजेब का भेजे गए एक प्रतिबन्धन में लिखा था—अधिष्ठित प्रथा यह थी कि वतनदारो की मृत्यापरान्त उनके वतन के निर्धारित राजस्व (दमहा) के अनुसार (उनके उत्तराधिकारियों को) मनसब दिये जाते हैं।<sup>39</sup>

मिद्वान्तत सम्राट बिसी भी वतन जागीर में उत्तराधिकार का प्रश्न निश्चित करने में स्वतंत्र था। किन्तु नियमत सम्राट ने शासन करने वाले वंश से उसकी वतन जागीर को न तो पूणत और न ही उसके किसी भाग को पुनर्ग हीत किया।<sup>40</sup> इस प्रकार 1679 ई० में औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालिसा में विलयित करने के कारण राठौडा में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने उसका इस कार्य को अधिष्ठित परम्परा का उल्लंघन समझा।<sup>41</sup> उसी शासनकाल में कुछ अन्य उदाहरणों में न तो वंशगत उत्तराधिकारी के अभाव को और न ही विद्रोह को वतन जागीर को पुनर्ग हीत करने का पर्याप्त कारण समझा गया। औरंगजेब के विरुद्ध विविध प्रकार की विरोधात्मक कार्यवाहियों के बावजूद 1659 ई० में मारवाड़ के जसवन्तसिंह को क्षमा कर दिया गया और उसके वतन को अछूता छोड़ दिया गया।<sup>42</sup> मुकुन्दसिंह हाडा के पुत्र जगतसिंह जो 2000/1000 का मनसबदार था की मृत्यु (1681 ई०) हो गयी और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका वतन रतनसिंह के पुत्र किंगोर की जो दिवंगत जगतसिंह का निकटतम सम्बन्धी था प्रदान कर दिया गया।<sup>43</sup> औरंगजेब के 43वें राजकीय वय में बीकानेर के राजा बनन ने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया और जब उसने अमीर खा की मध्यस्थता पर समर्पण किया तो उस क्षमा कर दिया गया और उस मनसब प्रदान किया गया तथा उसकी वतन जागीर को हाथ में नहीं लगाया गया।<sup>44</sup>

वतन जागीर वाला के मनसबों में यदि कोई वृद्धि होती थी या प्रारम्भ ही में उनके पास ऐसा मनसब होता जिसका वेतन उनकी वतन जागीरों की जमादामी से पूण नहीं हो पाता था तो वह उनकी वतन जागीरों के अनिश्चित साधारण तनम्बाह-जागीरों प्रदान कर दी जाती थी।<sup>45</sup> उदाहरणार्थ, यद्यपि महाराजा जसवन्तसिंह के पास सम्पूर्ण मारवाड़ वतन जागीरों के रूप में था, तबिन उमक पास हिसार (सूबा दिल्ली) में भी जागीरें थी। जब वह दूसरी बार गुजरात का सूबदार नियुक्त हुआ उसी मूल्य की जागीरें उस गुजरात में प्रदान

कर दी गयी ।<sup>16</sup>

यह भावदपक नही था कि वतन जागीरों एक पद या मनसब व लिए ही दी जायें। जसा कि हम मानूम है कि एक उदाहरण म वह इनाम म या बिना किसी उत्तरदायित्व के, वतन के रूप म प्रदान की गयी थी ।<sup>17</sup>

जसा कि हम ऊपर विवेचित कर चुके हैं वतन जागीरा की उत्पत्ति उन जमींदारा के साथ समझौते के कारण हुई जिनका मुगल साम्राज्य के विस्तार स पूव स ही अपन वतन (मातृभूमि) पर अधिकार था। साधारणत गर जमींदारो के हाथा म वतन जागीर जसा कोई इलाका नही था। इन मनसबदारा को रियायत देन के लिए जहाँगीर न अलतून-तमगा (या अल तमगा) जागीरा को जा स्थायी रूप से उनसे पाग रह सवती थी स्थापित करन का निणय लिया ।<sup>18</sup> किन्तु यह जागीरों जम भूमि या सम्भवत किसी धमीर के परिवार के निवास-स्थान तक ही सीमित थीं और उनकी तुलना राजपूत सरदारा के विंगाल पतृक अधिराज्या म नही की जा सकती। औरगजब व शासनवाल स सम्बन्धित अल तमगा जागीरा के बहुत ही कम सदम उपलब्ध हैं। किन्तु एउ उच्चाधिकारी के अनुरोध से प्रतीत हाना है कि यह उम समय भी प्रगन की जाती थी। उसने अनुरोध किया था कि लाहौर प्रांत मे अल-तमगा म 10 लाख दाम धाय की जागीर प्रदान करके उस उसके परिवार को फारस स लान म सहायता पहुँचायी जाये ।<sup>19</sup>

### जागीरदारो के वित्तीय अधिकार

आवटन सम्बन्धी आदेशा म लगभग निश्चित शब्दा म सम्राट द्वारा जागीरदारो को प्रस्त अधिकारा का विवरण दिया रहता था। स्थानीय अधिकारिया और 'मुखिया, भूमिधारियो और किसाना को यह सूचित किया जाता है कि 'के उचित ढग एक सच्चाई ग प्राविष्टत राजस्व (माल ए वाजिरी) तथा राय के सभी दावा (हुकूक ए शीवानी) के बारे म नामजद किय हुए व्यक्ति (अघात जागीरदार) के प्रतिनिधिया (गुमास्ता) के प्रति उत्तरदायी हा।<sup>20</sup> जागीरदार को जागीरदार के रूप म नगान और प्राविष्टत करो को वसूल करन व अति रिक्न कोई धाय अधिकार प्रत्यायुक्त नही किय जात थ। इस अधिकार व लिए भी उसस यह आशा की जाती थी कि वह उसका प्रयोग शाही नियमानुसार ही करगा। मोरलण्ड ने यह इंगित किया है कि अयुल फजल की भाषा म किंचित भी सदेह की गुजाइश नही है कि जागीरों उन आदगो स अनुबन्धित थी जिनके अनुसार लगान का अकन करन और उसके वसूल किये जान की कायविधि अवलोकित की गयी थी ।<sup>21</sup> रसिकदास करोडी के नाम 8वें राजकीय वप म राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध म जारी किये गय वृहत फरमान म औरगजेब द्वारा

इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है—'जागीरदारों के महालो (परगना) के सभी कर वसूल करने वाला (ग्रामिण) को इंगम दिये हुए नियमा का पालन करना है।' औरगजेव द्वारा रसिकदास तथा मुहम्मद हासिम के नाम जारी नियम क्रमागत 11 में यह आदेश दिया गया था कि कुल उत्पादन का आधे से अधिक लगान के रूप में धन नहीं लिया जाना चाहिए और इस आदेश का पालन जागीरदारों में भी किया जाय। एक अनुपातरण उदाहरण, जहाँ जागीरदारों ने इस आदेश के उल्लंघन करने की चेष्टा की किन्तु उसके बारे में पता चल गया, का उल्लंघन एक ऐसा आदेश में है जिसे औरंगजेब ने अहमदौ में उद्घोषित किया गया है—'अनाज में ऊँच भाव के कारण (विशालों पर) कर की निर्धारित की गयी दर (जमा) की राशि अधिकतम सीमा तक पहुँच गयी। उसके पश्चात् अनाज मस्ता हो गया। जागीरदारों तथा राजस्व अधिकारियों (मुतसद्दियों) ने पहले की जमा को ध्यान में रखते हुए धमकी देकर मामूली कर निर्धारित (जमावन्ती) किया। उन्होंने फसल का आधा भाग लेने का निश्चय किया और उपज का आकलन 250 मन किया जबकि वास्तविक उपज केवल 100 मन ही हुई। (250 मन का आधा अर्थात् 125 मन लगान के रूप में माँग कर) उन्होंने उमका (हिमान का) जीवा एक बघ तक दयनीय बना दिया और उसकी सम्पूर्ण कमाई छीन ली तथा उसे मार मार कर खेत जोतने पर विवश कर दिया। (इसलिए यह आदेश दिया गया) कि वे उपज का केवल आधा भाग ही लें तथा इससे अधिक किसी अन्य प्रकार की माँग न करें।' 53

इस प्रकार के साधारण बयान कि कुल उपज का आधे से अधिक भाग जागीरदारों लगान के रूप में वसूल न करें, तत्कालीन शासन के राजस्व-सम्बन्धी

का, जो उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए अभियोगी थे, दण्ड देने में हिचकिचाता था तथा कुछ सीमा तक ऐसा इस कारण भी था कि दीवान निपिद्ध वस्तुओं पर लागू कर से प्राप्त आय को जागीर की जमादामी में सम्मिलित करते रहे और इस प्रकार जागीरदारों के लिए सिवाय इसके कि वे अपने वेतन की सम्पूर्ण धनराशि को पूरा करने के लिए उन्हें वसूल करें उनके सामुख कोई अन्य विकल्प न रहा।<sup>57</sup> मीरात में उल्लिखित निम्नलिखित घटना से निश्चित ही सम्राट की उदारता सिखलायी पड़ती है। 1668 ई० में सम्राट को सूचना दी गयी कि पालमपुर का फौजदार, कमाल जोहरी गऊ चराई तथा 'खूराक' एवं आस्पान वसूल किया करता था। जाच के पश्चात् आदेश दिया गया कि उसमें कहा जाय कि वह उन्हें वसूल न करे।<sup>58</sup> यह तथ्य कि मुतसद्दिया द्वारा कमाल जोहरी के विरुद्ध की गयी शिकायत पर सम्राट ने उसे केवल ऐसा करने पर मना किया और उसे कोई भी दण्ड न दिया। इस बात का दायक है कि आदेश का उल्लंघन करना बहुत ही आम बात थी। 1659 में औरगज़ेब ने मुहतासिब, मुल्ला ईबाज बाजिह को इसलिए नियुक्त किया कि वह इस बात को देखे कि जिन शुल्कों को उमूलित किया जा चुका था वे वसूल न किये जायें और कुछ मुतसद्दिया एवं अहदियों को आदेश दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वे मुल्ला ईबाज की सहायता करें। साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों में शुल्कों आदि के उमूलन के लिए भी आदेश भेजे गये।<sup>59</sup> किन्तु प्रत्यक्षतः अपने उद्देश्य में मुहतासिब को केवल सीमित सफलता ही प्राप्त हुई।

### जागीरों का प्रशासन

जागीरदारों को अपने जागीरों में राजस्व तथा कर वसूल करने के लिए अपने ही प्रतिनिधि रखने पड़ते थे। निरसदह बड़े जागीरदारों द्वारा की गयी व्यवस्था छोटे अल्पपतिथों की अपेक्षा, बहुत ही सुव्यवस्थित आधार पर हुआ करती थी। शहजादा की जागीरों का प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर खालिसा के प्रतिरूप ही तयार किया जाता था। शहजादा की जागीरों के परगनों के आमिला का करोड़ी (कर वसूल करने वाले) कहा जाता था। वस तो यह नाम खालिसा में राजस्व एवं करने वालों के लिए ही सुरक्षित था।<sup>60</sup> स्वतंत्र सहयोगी के रूप में उनके साथ एक 'अमीन' (कर निर्धारित करने वाला), एक फौतदार (खजाची) और एक कारकून (लिपिक) भी हुआ करता था।<sup>61</sup> कभी कभी इनमें से कुछ पद एक ही व्यक्ति को दिये जाते थे। उदाहरणार्थ, मुहम्मद मुअज्जम ने आदेश दिया था कि उसकी जागीरों के परगनों में अमीन व करोड़ी के पद संयुक्त कर दिये जायें तथा एक ही व्यक्ति के हाथों में हों।<sup>6</sup>

सामान्य जागीरदार का मुख्य प्रतिनिधि (गुमास्ता) आमिल हुआ करता

था, जिस 'जागीरदार' भी कहा करते थे। कभी-कभी भूमि और राजाजी के साथ भी उस सौंप दिया जाता था। प्रायः जागीरदार आमिला था, भविष्य में वसूल किये जाने वाले धन के लिए जैसा कि छालिसा में हुआ करता था, एवं इकरारनामा या अनुबंध-पत्र निष्पन्न करने के लिए भी बाध्य करत था। जागीरदार आमतौर पर आमिला से कुछ धन, जिस 'बन्ध' कहते थे वसूल किया करते थे और मन्त्र प्रथा यही थी कि जो व्यक्ति सत्रस अधिक बन्ध जागीरदार को दे उसी का आमिल नियुक्त किया जाय।<sup>152</sup> नियमतः जागीरदार उन्हीं व्यक्तियों को अपनी जागीर में अपना प्रतिनिधि एवं अधिकारी नियुक्त करता था जिनके उम्र इलाके में निजी हित नहीं होता था, ताकि उमरके अधिकारी, विदापत आमिल, जिनके सम्बन्ध स्थानीय जनता से हुआ करते थे जमीनदारी आदि से मिलकर जागीरदारों के हितों के विरुद्ध कार्य न कर सकें।<sup>153</sup> कभी-कभी, विशेषतः जबकि वह अपनी जागीर से बहुत दूर हो, जागीरदार को अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने में बड़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था। औरगज़ेब के एक उच्च अधिकारी, ईजाद बंश रसा न आलवारिक डग से लिखायत की कि जब वह दखन में सेवा कर रहा था, तो उत्तरी भारत में उसकी जागीर स्वी नाव, उसके आमिला द्वारा किये गये गवर्न की बाढ़ में डग मगा रही थी।<sup>154</sup>

कुछ जागीरदारों ने, अपनी जागीरों के कुछ हिस्सों को अपने सन्तानों में बांट कर अपने भार का कुछ भाग उनके कंधों पर डालने का चेष्टा की तथा उस पक्ष में कहा कि वे उन गाँवों में, जो उन्हें अपने मन्त्रों को जागीरों से प्राप्त हुए थे, राजस्व एकत्र कर अपना कर्तव्य प्राप्त करें।<sup>155</sup> छोटे जागीरदारों का जिनके गाम इतने साधे नहीं होते थे कि वे दूर बैठकर राजस्व वसूल कर सकें विशेष रूप से एक अन्य प्रथा—इजारा अर्थात् उगत वसूल करने का देना दे देने की प्रथा—बहुत ही पसन्द थी।<sup>156</sup> इलाहाबाद में परिष्कृत भवष से सम्बन्धित प्रथा में उल्लिखित सभी इजारा व्यवस्थाएँ छोटे जागीरदारों द्वारा की गयी थी।<sup>157</sup> इसके विपरीत बड़े जागीरदारों के पास आमतौर पर आमिला एवं अन्य अधिकारियों की पूरी सत्ता कर वसूल करने के लिए थी। किन्तु बड़े भूमि भी कभी-कभी अपनी जागीरों को इजारा पर उठा दिया करते थे। उदाहरणार्थ 1696 में कश्मीर से इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि बड़े भूमिों ने, जिन्हें कश्मीर में जागीरें प्रदान की गयी थी, श्यापारिया को इजारे पर जागीरें उठा दी थी और वे बहुत ही क्रूरतापूर्वक राजस्व वसूल कर रहे थे।<sup>158</sup>

किसानों के लिए इजारा अभिशाप समझा जाता था। इजारेदार सर्वोच्च वाली बोल कर अपने लिए कार्य प्राप्त कर लेते थे। तदुपरान्त वे अपने लिए लाभ वसूल और जागीरदार को दिया गया वचनों का पूरा करने के लिए कोई

बसर नहीं छोड़ते थे। शाहजहाँ के इतिहासकार सादिक खाँ के अनुसार यह प्रथा शाहजहाँ के राज्यकाल में बहुत ही आम हो गयी थी और किसानों की बर्बादी के कारणों में एक थी।<sup>70</sup> दरबार में नतिक दृष्टि से इजारे की कठोर निन्दा की जाती थी और यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि कश्मीर में उदाहरण में जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है औरगज़ब न इस प्रथा को वहाँ समाप्त करने के लिए सभी जागीरों का खालिसा में सम्मिलित कर, कठोर कर्म उठाया।<sup>71</sup> किन्तु ऐसा कोई भी विश्वास करने योग्य कारण नज़र नहीं आता कि इजारा कानूनी रूप से निषिद्ध था। यदि ऐसा होता तो इलाहाबाद में जो नियमित इजारा प्रपत्र परिरक्षित हैं, व न तो तयार किये जाते और न ही लिपिबद्ध।

### जागीरदार और जमींदार

18वीं शताब्दी की एक नियम-पुस्तक मीरात अल इस्तिस्नाह के रचयिता न जमींदार शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है— इसका शाब्दिक अर्थ जमीन का मालिक (साहिब ए-जमीन) है किन्तु अर्थ (वास्तव में) वह एक गाँव की जमीन या कस्बे का मालिक होता है जो भेती (भी) करता है।<sup>72</sup> इस प्रकार जमींदार केवल ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास केवल वही भूमि होती थी जिस पर वह खेती करता था। आर्थिक स्तर में अनेक छोट-माटे जमींदार उन समृद्धशाली किसानों से मिलते जुलते थे जो अपने खेतों को पट्टे पर उठा दिया करते थे। इनके विलकुल विपरीत करद सरदार तथा स्वायत्तशासी राजा थे जिन्हें मुगल सावजनिक अधिलेखा कार्यालय जमींदार कहा करता था।

यह एक स्मरणीय तथ्य है कि अक्टूबर से औरगज़ेब के समय तक जो राजस्व-सम्बन्धी सामान्य नियम लागू किये गये उनके अन्तर्गत प्रस्तावित स्तरीय राजस्व व्यवस्था में से जमींदारों का पथक रखा गया। उदाहरणार्थ रसिकदास के लिए औरगज़ेब के फरमान में इस बात पर बल दिया गया है कि खालिसा तथा जागीरदारों के अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर ही राजस्व निर्धारित किया जाय। उसमें जमींदार का केवल एक ही बार उल्लेख है और वह भी अवध के उगाहन के सम्बन्ध में।<sup>73</sup> दूसरी ओर ऐम साक्ष्य अत्यधिक मात्रा में है कि जमींदार पूरे गाँवों की ओर से राजस्व का भुगतान करते थे। बाक्या ए अजमेर (1679-80)<sup>74</sup> और रायद अन्नाज खा (1700 ई०) के बख्तारा तथा अवध<sup>75</sup> से सम्बन्धित पत्रों में हम ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जमींदार उन इलाकों में जो जब्त या स्तरीय प्रशासन के अन्तर्गत आते थे आईन में दी हुई दर सम्बन्धी तालिकाओं के अनुसार लगान (माल) दे रहे थे या उन्हें लगान देने के लिए बाध्य किया गया था।

एक सम्भव व्याख्या यह हो सकती है कि प्रत्यक्ष इलाके में कुछ भूमि जमींदारों के अंतर्गत हुआ करती थी, जबकि शेष भूमि किसानों (रयती) के हाथ में। और वहाँ कोई भी जमींदार बिचौलियों के रूप में नहीं हुआ करता था। यह स्मरणीय है कि इस प्रकार का व्यापक वर्गीकरण औरगजेव के शासनकाल में रचित सियकनामा नामक नियम-पुस्तक में दिया हुआ है, जहाँ भूमि दो वर्गों में विभाजित की गयी है—'रयती' (किमान द्वारा हस्तगत) और 'ताल्लुका'। 'ताल्लुका' शब्द अब धीरे धीरे जमींदारी का पर्यायवाची बन रहा था।<sup>6</sup>

यदि उपयुक्त परिवर्तन स्वीकार कर ली जाय तो घामतीर पर एक जागीरदार को अपनी जागीर में किसानों और जमींदारों, दोनों से ही निबटना पड़ता था। यह बात ही सम्भव है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति रही हो कि जमींदार के हाथ में रहने वाली जमीन को सरसरी तौर पर कूतन के पदवान जिना किमानों में सम्पत्ति स्थापित किये हुए, उनसे राजस्व वसूल कर लिया जाय। इससे उल्लेख औरगजेव के शासनकाल में सम्बन्धित अवधि के दा जोड़ी प्रथा में मिलता है। याना ही में करदाता उन गाँवों का जमींदार (मालिक) या ताल्लुकादार है जिनके लिए उसने राजस्व का भुगतान किया है। दाना ही उदाहरणों में कर निधारक जागीरदार का प्रतिनिधि है। किन्तु जबकि प्रथा की प्रथम जोड़ी में दाना प्रतिव्यय परिवर्तित होता दिखाया गया है, दूसरे में प्रत्यक्ष रूप में 'जमी रागि (विल मुक्ता) पर निर्धारित लिया गया है। इस प्रकार दूसरे में जागीरदार की माँग किमानों का वास्तविक परिवार में स्वतंत्र थी।

लगान या भूमि-कर का सरसरी तौर पर निर्धारण तथा जमींदारों के द्वारा उनके वसूल किये जाने में साधारणतः जागीरदारों को उनके प्रतिनिधियों के साथ या काफी मुलम प्रथा लिया जाता। इसकी भी आशा की जा सकती है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा का स्वागत किया हो। इस पर भी जमींदारों के ही विरोध एवं बमनस्य का उक्त सर्वाधिक सामना करना पड़ा। अत्यधिक कर-निर्धारण जमींदारों को उनकी आय में उचित कर सकता था, और ऐसी स्थिति में वे अपने गणक परिवार का कुछ उदाहरणों में किमानों की सहायता के साथ प्रयोग करने हुए जागीरदारों की अवस्था कर सकते थे। हिदायत उल्लेखधायक में जमींदारों का वर्गीकरण का श्रमिका में किया है—एक आजादारी एवं कर का भुगतान करने वाले (रयती) थे तथा दूसरे विद्राही (जागतक) थे। उसमें आगे कहा गया है कि एक जागीरदार जिसका मनमय कम होता था उस आस तौर पर बिनाही जमींदारों का खान में बड़ी बढिनाइयाँ हाती थी।<sup>8</sup> इजाजत वगैरह द्वारा ईश्वर के नाम एक अथ हास्यपूर्ण अर्जा में यह बताया गया है कि अपनी जागीर में प्रवेश करने के उपरान्त सबसे पहले जागीरदार को उद्घट्ट



जमींदारों को दबाना पड़ता था।<sup>79</sup>

इस प्रकार के व्यक्तिश्रमणा के कारण एक जमींदार अपनी जमींदारी अधि-  
कारा में हाथ भी धा सकता था। किन्तु एक अलग-अलग खाँ के पत्र यह स्पष्ट कर  
ते हैं कि सम्राट के प्रतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जमींदार को न तो बर्खास्त कर  
सकता था और न ही उसकी नियुक्ति कर सकता था। एक अधिवारी या  
जागीरदार बस अपनी सिफारिश (तजवीज) ही दरबार में भेज सकता था।<sup>80</sup>  
कभी-कभी उसी पुराने परिवार का कोई अन्य सदस्य उस विद्रोही जमींदार के  
स्थान पर नियुक्त किया जा सकता था। औरगजेब के समय में कुछ ऐसे भी  
उदाहरण हैं जब बाहरी व्यक्ति को जा प्रायः मुसलमान होते थे भी नियुक्त  
किया गया था।<sup>81</sup> नियुक्ति के लिए मुख्य तब यह थी कि मनोनीत व्यक्ति के पास  
एक उलूख या सशक्त परिचरों का एक समूह हो।<sup>82</sup> असाधारण उदाहरणों में,  
एक जागीरदार स्वयं उस क्षेत्र का जो कि उसके अंतर्गत हो जमींदार नियुक्त  
किया जा सकता था। मथुरा के निक्ट के एक जागीरदार के लिए दरबार द्वारा  
जारी की गयी जमींदारी की सनद में ऐसा उदाहरण मिलता है। सनद इस  
प्रकार है— जसा कि महान सम्राट के समुग यह अनुमोदित किया गया है  
कि नवाब बहादुर हसन अली खाँ चक्का इस्लामाबाद (मथुरा) के फौजदार  
ने सिफारिश की है कि सूबा अकबराबाद के सत्तार नामक परगना में स्थित 25  
गावा (जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है) को जहाँ विद्रोही निवास करत हैं  
तथा जा दीनत के पुत्र नवाब कासिम की जागीर में है जमींदारी में कासिम  
को प्रदान कर लिया जाय और उसमें अर्जी ली है कि दरबार द्वारा फरमान  
जारी किया जाय तथा आदेश दिया जाये कि ऊपर निर्दिष्ट गावा को कासिम  
का जमींदारी में द दिया जाये। अतः गाही आदेश जारी किया गया है कि  
हिमन बखित गावों की जमादारी कासिम को प्रदान कर दी है जिसे वह अमद  
विद्रोहियों को बहा में निकाल सके और लगान का भुगतान करने वाले किसानों  
को बर्बाद न करे। जब तक यह गाँव उस जागीर में है वह भूमि-कर तथा  
अन्य कर (मातल व वाजिब व हुक्क व लीवानी) अपने पास रख सकता है। जब  
उपयुक्त गाँव अन्य किसी व्यक्ति का जागीर में प्रदान कर लिया जाय तो वह राजस्व  
बसूल करने (हामिन) के लिए उस स्थान पर आमिन (राजस्व बसूल करने  
वाला) के प्रति उत्तरदायी होगा।<sup>83</sup>

इस आदेश से पता होता है कि यद्यपि एक जागीरदार का किसी प्रदेश का  
जमींदार बनाया जा सकता था किन्तु वह प्रदेश उसकी वर्तमान जागीर कदापि नहीं  
बन सकता था। जागीर अंतरणीय रहती थी जबकि जमींदारी स्थायी पट्टे  
सम्पत्ति होती थी।

यह सुभाव दिया गया है कि औरगजेब के शासनकाल में प्रशासन तथा

जागीरदारों का जमींदार वग पर अत्यधिक दबाव बढ़ा।<sup>84</sup> मनुची ने लिखा है—'आमतौर पर (मुगल साम्राज्य के) वायसराय और गवर्नर हिंदू राज कुमारा तथा जमींदारों से निरंतर लड़ते रहने की दशा में हैं—उनसे स कुछ से इसलिए कि वे उनकी भूमि को छीनना चाहते हैं, दूसरे में इसलिए कि वे उनकी पारम्परिक राजस्व से अधिक राजस्व दें।'<sup>85</sup> राज्य तथा जमींदारों के मध्य भूमि वर के भूगतान का भंगडा, मध्ययुगीन समाज की एक अनवरत विद्येयता थी। यह कहना कि इस प्रकार के भंगड़े और गजेब के काल की देन थे, सादेहात्मक प्रतीत होता है। इस विषय पर पूर्ववर्ती राज्यकारणों के विस्तृत माध्य अभी तक सामने नहीं आये हैं। किन्तु ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पूर्व-काल के लिए उस प्रकार की सामग्री का साधारणतः हमारे पास अभाव है जबकि वे और गजेब के शासनकाल के लिए उपलब्ध हैं जंग, आवाराज, पत्रा व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आदि। किन्तु किसी व्यवस्था के रूप में जमींदारों के ऊपर दबाव पूर्णतः पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ हो तो भी और गजेब के शासनकाल में उसके जारी रहने का कुछ नवीन कारण होने चाहिए। जसा कि हम देखेंगे, जागीरों की बहुत बनी थी और यदि जागीर वास्तव में उपलब्ध हो भी गयी तो वसूल किया गया राजस्व जमा में कम होता था। इसलिए 'मासिक अनुमाप लागू किया गया। ऐसी स्थिति में, हम आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि और गजेब के शासनकाल में उत्तराखण्ड में जागीरदारों ने जमींदारों को बग कर निकोहना प्रारम्भ कर दिया। इस क्षण की अवस्था में, जसा कि मनुची हम बताता है 'मुगल राज्य में बहूधा राजाशाही और जमींदारों का कोई न-कोई विद्रोह चरता ही रहना था।'<sup>86</sup> किन्तु हमसे पूर्व कि हम किसी निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँचें हम सम्भवतः अधिक छानबीन की आवश्यकता है।

### जागीरदारों पर शाही नियंत्रण

हम पहले ही कह चुके हैं कि जागीरदारी प्रथा मुगल शासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी जागीर की सीमाओं में रहने वाली जनता पर जागीरदार का पूर्ण अधिकार था। इसके विपरीत सम्राट तथा उसके मंत्रियों के अंतर्गत उसके प्रभुत्व पर नियंत्रण, लगभग एक समाप्तान्तर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा होता था।

राजस्व संग्रह करने के क्षेत्र में अत्यंत परमन में सम्राट के हिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो अधिकारी हान थे, जिन्हें 'कानूनी' और 'खौफरी' (अर्थात् 'अंगुष्ठ') कहते थे। आमतौर पर पूर्वोक्त एक लिपिक तथा अथ रोकर, एक जमींदार होता था।<sup>87</sup> साधारणतः उनके पास वसूलगत होता था किन्तु निरपवाद रूप में उनकी नियुक्ति शाही आदेश या मन्त्र के आधार पर

हुआ करती थी। सम्राट द्वारा उन्हें अप्रस्थ भी किया जा सकता था। किन्तु नियमत उनकी नियुक्ति आजीवा हुआ करती थी और इसलिए जबकि जागीरदार घात जाते रहते थे, वे अपने पदा पर स्थायी रूप से बन रहते थे। प्रत्येक जागीरदार या उसके प्रतिनिधि को कर निर्धारण एवं उस वसूल करने में इनका अधिकारिया की सहायता पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता था। इन अधिकारिया का यह कतव्य था कि वे उनकी सहायता करें किन्तु साथ ही साथ उन्हें वसूल किये गये कर के हिसाब किताब की जांच भी करनी पड़ती थी और यह देखना पड़ता था कि निमानों से अनियमित कर ता वसूल नहीं किये जाते थे।<sup>88</sup>

सम्राट द्वारा नियुक्त किये गये फौजदार या मन्कि अधिकारिया का काय कानून एवं व्यवस्था को बनाय रखना था। इन कतव्या का पालन करत समय वे जागारो में भी कायवाही कर सकते थे तथापि कुछ जागीरदारों ने अपनी ही जागीर में फौजदार का पद प्राप्त कर लिया था। पूर्ववर्ती राज्यवालो में भी यह प्रथा रही होगी। औरंगजेब के शासनकाल में सम्राट द्वारा जागीरदारों को फौजदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के निमित्त अनेक उदाहरण हैं।<sup>89</sup>

जागीरदार के पास यायिक अधिकार नहीं हात थे। प्रत्येक परगने में शाही फरमान द्वारा नियुक्त किया गया एक काजी हुआ करता था जो दीवानी तथा फौजदारों मुकदमा को सुनता था और उनका निर्णय करता था। वह जागीरदार से पूणत स्वतंत्र था तथा उनकी आय का साधन मदनग माण अनुदान हुआ करता था जो सम्राट द्वारा उस मिलता था।<sup>90</sup>

अतः समाचार प्रतिवेदक जिन्हें वाकिया ए नवीस एवं सिवनिह नवीस भी कहा जाता था हात थे। उनसे यह आगा की जाती थी कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जाँचें कि उनके काय क्षेत्र में घटित हुई हो, किना किसी व्यक्ति की चिन्ता किये हुए अपनी टीकाशा और शिकायतों समेत समाचार भेजेंगे। जागीरदारों तथा उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार भी ऐसा विषय था जिसके सम्बन्ध में वे अपनी सूचनाएँ निरन्तर भेजते रहते थे।<sup>91</sup>

जागीर का कोई भी निवासी या निमान मीचे त्तरवार में शिकायतें कर सकता था<sup>92</sup> और इस प्रकार सम्राट के पास हस्तक्षेप करने एवं जागीरदार के किसी भी अत्याचारी काय के लिए जिम्मे लिए उसे दायी पाया गया हा, अण्ड लेन का अधिकार सुरक्षित था।

प्रायः सम्राट विभिन्न जागीरदारों के प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए भी आदेश दिया करता था। अपनी जागीर में सम्राट द्वारा बताये गये ढंग के अनुसार प्रशासन न करने पर औरंगजेब को शाहजहाँ की भत्सना सुननी पड़ी थी तथा उस अपने व्यवहार के सम्बन्ध में सफाई देनी पड़ी थी।<sup>93</sup> सम्भवत

जागीरदारों के लिए कभी-कभी यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी बसूली एवं प्रशासनिक व्यवहार के सम्बन्ध में सूचनाओं को एकत्र किये जाने के धाय में स्वावट डालें। 1692 में इस बात की सूचना ली गयी कि गुजरात के जागीरदार देमाईया तथा 'मुकद्दमों का दरदार द्वारा भेजे गये अधिचारियों को 'हासिल या 'बर बसूली के सम्बन्ध में सूचनाएं देन से रोक रहे थे। इस पर गुजरात के सूबदार ने 'सजावलों' या विशिष्ट अधिचारियों को जागीरदारों के पास उन्हें शाही आदेशों का पानन करने पर बाध्य करने के लिए भेजा, ताकि वे शाही अधिचारियों की स्वतंत्रतापूर्वक सूचनाएं एकत्र करने दें।<sup>91</sup>

कुछ अवसरों पर सम्राट जागीरदारों का अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए भी आदेश दे सकता था। श्रीरगजेव ने नगीरी खाँ को अपनी जागीर का प्रशासन ठीक आघार पर स्थापित करने एवं वहाँ के सभी विद्रोही तत्वों का दमन करने के लिए आदेश दिया।<sup>92</sup> शहजादा आज़म ने मुहम्मद बाबर को जब बन्दरगाह का लेखा नियन्त्रक नियुक्त किया ता श्रीरगजेव ने शहजादे को डाँटा फटकारा और कहा कि एक चोर को 'जनता का अभिभावक' नहीं नियुक्त करना चाहिए।<sup>93</sup> अपनी जागीर का प्रशासन ईरानिया के हाथों में सौंप देने के लिए श्रीरगजेव ने शहजादा मुसदज़म की कटु आलोचना की।<sup>94</sup>

लेकिन साथ-ही-साथ, शाही प्रशासन ने जागीरदारों के प्रति, विशेषतः उनकी जागीरों की व्यवस्था एवं अपने राजस्व का प्रमानतापूर्वक निर्विघ्न उपयोग करने के कुछ उत्तरदायित्व भी ग्रहण किये। उदाहरणार्थ सीरी मस्तगढ़ के किलेदार मुहम्मद जान रंग ने सम्राट से शिवायत की कि बडक के फौजदार शेर खाँ ने उसके मुख्तार (मुहम्मद जान रंग) की जागीर में से दो बय का राजस्व बसूल कर लिया है। सम्राट ने उक्त धनराशि को वापस किये जाने का आदेश दिया।<sup>95</sup> गुलबर्गा के फौजदार और त्रिचदार अलिफ खाँ के नायब ने सीदी मिफताह की जागीर के आमिल को बर्त कर लिया। जब इस घटना की सूचना सम्राट को दी गयी तो उसने आदेश दिया कि गुलबर्गदारी के आमिल को मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया जाय तथा धनराशि वापिस कर दी जाये।<sup>96</sup> परगना बाहनी के जागीरदार साय शिबन खाँ ने शिवायत की कि उक्त परगने के फौजदार बहादुर खाँ ने वहाँ के रैयनों को खताया है और खत भाग गये हैं। मफ शिबन खाँ ने यह भी अनुरोध किया कि उक्त परगने का फौजदार नियुक्त कर लिया जाये। सम्राट ने श्रीरगाबाद के हारिस इनायत खाँ को आदेश दिया कि वह यह दखे कि कोई किसानों के साथ अत्याचार न करे।<sup>100</sup> मुहम्मद मुनीम ने सम्राट को सूचना दी कि मुहम्मद हुसन कम्बो ने फरियादी की जागीर में राजस्व बसूल कर लिया है। सम्राट ने आकिल खाँ को आदेश दिया कि वह अभियोगी का दरवार में भेज दे।<sup>101</sup> जमशेद खाँ के वकील ने

शिकायत की कि जहाँगीर बुली खाँ के पुत्र इब्ज़ान बेग ने उसके मुवक्किल की जागीर को लूट लिया और मान हड़प लिया। फरियादी ने यह भी प्रायना की कि गुजबदारो का नियुक्त कर दिया जाय। सम्राट ने बहरमन्द खाँ को आदेश दिया कि वह जहाँगीर बुली खाँ को तान्कीद कर कि वह अपने पुत्र से पूरी धनराशि वापिस करने के लिए बड़े और उस यह चेतावनी द कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ दोहरायी न जायें।<sup>10</sup>

जो साक्ष्य हमने ऊपर प्रस्तुत किया है उनसे यह बात होता है कि जहाँ तक श्रीरगजेव के राज्यपाल का प्रश्न है उसके राज्यपाल में जागीरदारों ने खुल्लम खुल्ला स्वायत्तता या स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति का परिचय नहीं दिया। इसके विपरीत अनेक महत्वपूर्ण मामलों में न केवल उन्हें रोका गया तथा ग़ाही प्रशासन द्वारा नियंत्रित रखा गया वरन् उन्हें अपनी जागीरों की व्यवस्था के लिए प्रशासन पर पूर्णतः आधारीत रहना पड़ता था।

### जागीरदार और कृषक

फासीसी पयटक बनियर ने मुगल साम्राज्य की असफलता के कारणों का तकपूण विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसकी भविष्यवाणी उसने श्रीरगजेव के राज्यपाल के प्रारम्भिक वर्षों में उस समय की जब अग्रप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य की शक्ति अपनी धरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। बनियर का मुख्य तर्क यह था कि जागीरों के अन्तर्ण की प्रणाली न अनिर्णय रूप से देश को अत्याचार तथा सवनाश की ओर अग्रसर किया। वह लिखता है 'तिमारियोटस (जागीरदारों के लिए बनियर द्वारा प्रयुक्त शब्द) मूबदार तथा राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से इस प्रकार से तर्क करते हैं कि इस भूमि की उपेक्षित दशा हमारे मस्तिष्क में परेशानी क्यों उत्पन्न करे? और हम उस उत्पादक बनाने के लिए अपना समय तथा धन क्या व्यय करे? किसी भी क्षण हम उससे अधिक किये जा सकते हैं और हमारा परिश्रम न तो हम और न ही हमारे बच्चों का लाभ पहुँचा सकता है। भूमि से जितना हो सके हम धन खींच लेना चाहिए भले ही कृषक भूखा रहे या फरार ही क्यों न हो जाय और जब हम उस छोड़ देने का आदेश प्राप्त हो तो उस उजाड़ विषादान छोड़ जायें।'<sup>103</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि बनियर व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता के विचार से अत्यधिक प्रभावित था तथा जागीरों के अन्तर्ण में उसे इस अधिकार का उल्लंघन दिखायी दिया और इस प्रकार उत्तजित होकर उसने इस प्रथा की कठोर निन्दा की। कुछ भी हो उसके कथनों का अस्वीकृत करने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है। वस्तुतः उसका समर्थन एक भारतीय द्रष्टा ने भी किया है जिसने 1700 ई० या उसके आस पास लिखा तथा जिसमें इस प्रकार की पूर्व

धारणा विद्यमान नहीं थी। भीमसेन ने लिखा है, 'जागीरदार के प्रतिनिधियों को दरवार के लिपिका के कृपण व्यवहार के प्रति शर्मा के कारण जो किसी न किसी बहाने से जागीर अंतरित कर देते हैं अगल घष उसी जागीर के अनुमोदन की कोई मांग नहीं रहती है, और इसलिए उन्होंने इन्तापूर्वक किसानों की रक्षा करने की भावना छोड़ दी है। जागीरदार कर वसूल करने वाले को भेजते समय अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण उसमें कुछ पेशगी (कब्ज) ले लेता है और वह कर वसूल करने वाला जागीर में पहुँचने पर यह साबतता रहता है कि सम्भवतः कोई अन्य कर वसूल करने वाला तो उमके पीछे-पीछे नहीं आ रहा है त्रिभने उससे अधिक्त कब्ज जागीरदार को दे दिया हो, और इस प्रकार वह अपना काय श्रुतापूर्वक करता है तथा अपनी मांग (सहसिल) पर डटा रहता है। कुछ किसान तो प्राधित्त राजस्व का भुगतान करने में लापरवाह नहीं हैं किन्तु इस अगल घष ममभेत्त वूट मार की इस धुराई ने उन्हें भी उद्दण्ड बना दिया है।'<sup>101</sup>

बनियर तथा भीमसेन के इन कथनों में कुछ सार है, किन्तु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जागीरदार जिसका अपनी जागीर में कोई स्थायी हित नहीं था उसने लिए, एक व्यक्ति के रूप में, यह सबसे बड़ा लालच था कि वह उस हसनी को मार दे जो उमके सम्पूर्ण वष के लिए सोने के अण्डे देती थी। अतएव इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जागीरदारों में किसानों पर अत्याचार करने की स्वभाविक प्रवृत्ति थी जिसकी उत्पत्ति का आधार जागीर अंतरित करने की प्रणाली ही थी।

इसमें पूव कि हम इस मामला-युक्ति के स्वीकार करें, दो प्रश्नों का उत्तराना प्रासंगिक होगा। प्रथम, क्या त्रिना सम्राट या प्रशासन की रोक टोक के जागीरदार अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कर लेने में समर्थ थे? दूसरे क्या सम्राट स्वयं, यदि वह चाहता था, जागीरदारों द्वारा किय जा रह अत्याचार को रोकने के लिए व्यावहारिक रूप से उपयुक्त कार्यवाहियाँ करने में समर्थ था?

अंतिम स्रष्ट का पूरणरूप से प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए अर्पित किया गया है। यह साबित करने के लिए कि औरंगजेब के शासनकाल के अधिकांश भाग में जागीरदारों पर शाही नियंत्रण नाम मात्र का नहीं बरन वास्तविक था, सम्भवतः हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साध्य उपलब्ध है। इसलिए हमें अब दूसरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

यह आशा करना त्वसगत है कि एक व्यक्तिगत जागीरदार भूमि में से अधिक से अधिक निचोड़न की कोशिश करेगा, और सम्राट उससे अधिक दूर दक्षिणापुण दृष्टिकोण अपनायेगा। उसका सम्भवतः अपने अधिकारियों के केवल तत्वालीन एवं निजी उपलब्धियों से ही न था, बरन साम्राज्य की दीर्घकालीन

समृद्धि से भी था। यदि अग्नित सख्या म किसानो को भूखो मरने दिया जाता तथा यदि पत्वार कम होने दी जाती तो साम्राज्य के राजस्व के साधना मे कमी आ जाती और उसकी नीचे हिल जाती। श्रीरगजेव एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात को समझता था और यह उसके दा फरमाना जा उसने अपने 8वें तथा 13वें राजकीय घप म जारी किये, स स्पष्ट है। प्रथम फरमान मे जो रसिकताम कराची के नाम था इस बात का विनय रूप स उल्लेख किया गया कि उसकी धाराएँ जागीरा तथा खालिमा दाना म सामान्य रूप म लागू होगी। उसका मुख्य उद्देश्य किसानो मे वसूल किये जाने वाले भूमि-कर के निर्धारण एव उसके वसूल करने मे सुधार करना था तथा किसानो पर अत्याचार और उनके ऊपर करा का अत्यधिक भार पडने से रोक बाम करना था। दूसरा फरमान जो मुहम्मद हाशिम के नाम था भूमि पर किसानो के अधिकारो की रक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखना है मने ही किसान भूमि का छोड भी दें तो भी उस भूमि पर उनके अधिकारो का मायता नो जाय।<sup>105</sup> श्रीरगजेव के उस आदेश को हम पहले ही उदघत कर चुके है जहाँ विशेष रूप म गुजरात मे जागीरदारो की बायबाहियो के सम्बन्ध म उसने नी निन्दा की है, क्याकि उन्होंने किसानो स कपटी तरीका स जितने धन के वे अधिकारी थे उससे वही अधिक वसूल करने की चेष्टा की थी।<sup>106</sup> यह मालूम कर सकना अत्यन्त कठिन है कि किस सीमा तक जागीरदार शाही अधिनियमो का उल्लंघन करते रहे तथा अपनी जागीर की जनता पर अत्याचार करत रहे। मारलण्ट के इस विचार का कि 17वीं शताब्दी म राजस्व की माग बहुत ही अधिक बढ़ गयी थी तथा जमादामी आकडा म वृद्धि का होना बडे हुए अत्याचार के कारण था, विरोध इस आधार पर प्रकट किया गया कि उसने यह गलत धारणा बना ली कि इस काल म मूल्य निरन्तर स्थिर हा रहे जबकि वास्तव म ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य दुगने बढ़ चुके थे। अय गणना मे इस तथ्य के अतिरिक्त कि जमादामी तथा हासिन (भृगान किया गया राजस्व) म विशेष अन्तर था जमादामी वास्तविक रूप म नही प्रत्युत नाममात्र की वृद्धि इगित करती है,<sup>107</sup> दूसरी आर यह तथ्य कि जमादामी के आँकडो म वास्तव म किसी प्रकार की वृद्धि नही हुई इस बात को जरूरी साबित नही करता कि अत्याचार म कोई भी वृद्धि नही हुई। कुल राजस्व इसलिए सामान्य रहा होगा क्याकि कृषि बाय म ह्रास के फल स्वरूप राजस्व की गिरावट की पूर्ति जाती गयी भूमि पर पहले स अधिक राजस्व की माग ने कर दी होगी।

इन प्रश्नो की विस्तृत ढग से छानबीन करने का प्रयास प्रस्तुत विषय की सीमा के बाहर है। उपयुक्त कथनो के अनुसार विनोपत दक्खन जसे प्रदेग म, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरगजेव के राज्यकाल के अन्त म किसानो की

दशा दयनीय हो गयी थी। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में औरगजेब दखन में युद्ध में फंसा रहा जिसमें उस अपने सभी साधना, शक्ति एवं मनीषा से सलमन होना पड़ा। जागीरदारा के ऊपर पहले जसा नियंत्रण ढीला पड़ गया होगा। हम इसी से दम में, मनुष्यी तथा अत्यन्त यशस्विता के बयानों का परीक्षण करना चाहिए कि क्या औरगजेब ने अपने अधिकारियों को रोशन के लिए कोई भी गम्भीर प्रयत्न करना छोड़ दिया और अत्याचार की बहुत ही बीभत्स बाय बाहियों के सम्बन्ध में शिकायतें होने पर वह केवल नरम फटकार ही लगाने लगा ?<sup>108</sup>

क्या किसानों पर यह अत्याचार मुख्यतः औरगजेब के युद्धों का परिणाम था, जिसके कारण शाही नियंत्रण में ढिलाई आयी या वह स्वयं में विद्रोहों का कारण था, क्योंकि उसने भूयें किसानों को, जिन्हें अब कोई भी आशा न रह गयी थी, विद्रोहियों की बाहों में डाल दिया ? इन प्रश्नों को या ही छोड़ देना चाहिए। साम्राज्य के पतन के कारण की व्याख्या करने के लिए हाल ही में दूसरे विकल्प को एक मत के रूप में सामने रखा गया है।<sup>109</sup> यद्यपि इस मत के समर्थन में बहुत सारे प्रमाणों तक प्रस्तुत किए गये हैं, किन्तु उसे असाध्य मत नहीं बनना देना चाहिए। अभी हमारे साक्ष्य बहुत ही सीमित हैं कि हम किसी निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँच सकें और जब तक विभिन्न प्रदेशों की दशा के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानी से विश्लेषण न कर लिया जाये, तब तक इस विषय पर सभी सुभाषा को नितान्त अस्थायी समझना चाहिए।

### जागीरदारी प्रथा में संकट

औरगजेब के शासनकाल के मध्य तक जागीरदारी प्रथा अपने प्रामाणिक भुगतान रूप में सुचारु रूप से कार्य करती रही। किन्तु औरगजेब के अन्तिम छत्तीस वर्षों में साम्राज्य के आर्थिक साधनों पर दखन के युद्धों के बढ़ते हुए बोझ के कारण तथा उत्तरी भारत में सम्राट एवं उसके दरबार की अनुपस्थिति के फलस्वरूप शासन के अव्यवस्थित होने के कारण वह जटिल व्यवस्था जिसके अन्तर्गत जागीरें प्रदान की जाती थी अपनी कार्यकुशलता खोने लगी। यह सत्य है कि औरगजेब के अन्तिम वर्षों ने अव्यवस्था का प्रथम चरण ही देखा किन्तु यह अन्त का प्रारम्भ ही था।

इस प्रथम चरण में जिस आवरण में संकट ने सामने आकर जागीर प्रथा को हिलाकर रख दिया उसे एक समयकालीन लेखक ने द्वे-जागीरी कहा है। मामूरी के अनुसार 'एक सप्ताह जागीर रहित हो गया और वहाँ कोई भी पचासी पैस न रही। बैतन के दावेदारों के हाथों पर सम्राट ने बार-बार



लिखा— यहाँ सौ बीमार 'यक्तिया के लिए केवल एक ही अनार है।' मेनाओ को भेजते समय तथा बृपा के लिए उपयुक्त उच्च अधिकारिया का (सनिफ) काय नियत करते समय प वाकी के अभाव को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक हो गया कि सातो के आधार पर कुछ अमीरों की जागीरें वापस ले ली जायें और अग्रय को प्रदान कर दी जायें। अतएव सम्राट न परगना के राजस्व की खाता-बहिया को मँगवाया और अनक 'यक्तिया के आबटना को रद्द कर दिया और यह तभी नि सहाय तथा दरिद्रों के विलाप का एक और कारण बन गयी।' <sup>110</sup> लेखक के अनुसार अत्यधिक सख्या में दक्यनी अमीरों के, जिन्हें औरगजेब ने शत्रुघ्ना का पक्ष छोड़कर अगान का लालच देकर या विद्रोही बनने से रोकने के लिए बड़े उत्तार पमाने पर मनसब प्रदान किये, शाही सेवा में प्रवेश करने का यह प्रत्यक्ष परिणाम था। <sup>111</sup>

कोई भी प वाकी शेष न रही थी अर्थात् कोई भी प्रदेश जागीर में देने के लिए शेष न रहा था—एक ऐसा कथन है जो औरगजेब के शासनकाल के अन्तिम वर्षों से सम्बन्धित हमारे ऐतिहासिक ग्रन्थों में बार बार मिलता है। यह कथन या तो स्वयं सम्राट के या उसके अधिकारियों में से किसी एक के मुँह से निरंतर कहनवाया गया है। औरगजेब ने आजम को लिखते हुए स्पष्टतः कहा कि 'प वाकी की कमी है और वेतन माँगने वालों की अधिकता।' <sup>112</sup> यह कहा जाता है कि वह बार बार यह कहा करता था कि उपलब्ध प-वाकी का प्रदेश एक अनार के समान है जो सौ बीमारों को चाहिए। <sup>113</sup> इसीलिए 1691 में उसने बहिशयो को निर्देश दिया कि वे नये व्यक्तियों के लिए मनसब की सिफारिश न करें। <sup>114</sup> यह भी कहा जाता है कि बनायतउल्लाह खा ने एक बार सम्राट से शिवायत भी की उन अधिकारियों की सूची असीमित है जो सम्राट के सामुख प्रतिनिधि प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि जागीर में प्रदान की जाने वाली भूमि सीमित है। असीमित सख्या सीमित सख्या के बराबर कस हो सकती है? <sup>115</sup>

प वाकी के अभाव के कारण जागीरदारी प्रथा का प्रतिदिन का काय अत्यन्त कठिन होता गया। जिन व्यक्तियों की मनसबा पर नियुक्तियां हुई उनके लिए जागीर प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया। बहुत से अधिकारी तो चार चार, पाँच पाँच वर्षों तक जागीर प्राप्त करने में असफल रहे। <sup>116</sup> एक मसखरे ने दरबार में कहा कि नयी नियुक्ति प्राप्त एक बालक मनसबदार उस समय तक बूटा हा चुकेगा जब उस जागीर मिलेगी। <sup>117</sup> किसी भाँति एक बार जागीर प्राप्त हो भी गयी तो यह निश्चय न था कि उसकी जागीर किसी अग्रय व्यक्ति को तब तक स्थानान्तरित नहीं की जायेगी जब तक उसके बदले में उसे कोई अग्रय जागीर नहीं दे दी जाती। इस प्रकार अनक 'यक्ति, चाहे वे दीर्घकाल से



## सदभ

- 1 माघारण शहजादा का जागरा क लिए इन प्रकार क वाक्यो जैसे जागीर ए या लुयूल ए, कुवला ए, सरकार ए दीलत मंगर का प्रयोग किया गया है ।
- 2 मीरान भल इस्तिलाह प 15 घ ।
- 3 ख तामात उम मियक प 24 व वाकया-ए अजमर प० 74 375-76 मामूरी प० 156 व 157 घ ।
- 4 मीरात भल-भालम प० 214 व यही अंकड मानुमात भल अफाक म भी दिये गये हैं, प० 194 ।
- 5 क्रञ्जरीना प० 423 । साम्राज्य की जमा के लिए मजलिस भस सलातीन प 115 घ व देखिये ।
- 6 लाहोरी बादशाहनामा II प 710-13 ।
- 7 मीरात भल-भालम पूर्वोद्धृत ।
- 8 पी० सरन की प्राविशियल गवर्नमन्ट अफ द मुगल्स मे जागारा म जागीरदारो के राजस्व एकत्र करन का प्रतिनिधियो तक का भी कोई उल्लेख नहा किया गया है ।
- 9 दिलकुषा प० 139 घ इनाहादा डानमूमदम 789 ।
- 10 मीरात-ए महमती छण्ड I प० 303 ।
- 11 वहा प० 289 ।
- 12 लाहोरी छण्ड II प 397 । जहाँपारा बगम को सूरत इनाम म लिया गया था । राजा जयसिंह का सम्मान इनाम दवर किया गया था उम समय तक मिर्जा राजा जयसिंह को उच्चतम मनसब या किसी भमीर का लिया जा सक्ता था दिया जा चुका था उस घोर अधिक सम्मान नत करन का कथन इगव कि उसे इनाम प्राप्त प्रप्तन विय जायें विरल्प ही न था—मानमगीरनामा प० 618 ।
- 13 अक्षवारात 45वाँ राजनाय वप प 46 । 1701 म शौरंगजय न एक आग्य जारी किया कि यदि रुठुल्लाह खाँ मुहम्मद भमीन खाँ तथा तियान्त खाँ आदि के रिस्तानों क सन्निध प्रग्ने वतन क एवज म जागीरें स्वीकार करने क लिए राजी नही हा तो उन्हें मुसत्तन कर लिया जाये ।
- 14 एक महात्त प्राय परगन क बराबर था जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हाती था । किन्तु वह परगन स छोटा भा हा सक्ती था अथवा कई प्रशासनिक इकाइया के बीच भा ।
- 15 उद्धरित—भोरनण्ड एघरियन मिस्टम अफ मुस्लिम इटिया प० 56 09 212 240 ।
- 16 उद्धरित—मनुषा II प 374-75 । दाम क मूल्य म कट्टि के लिए दखिये—भोरनण्ड अक्षवराट्टु शौरंगजय प० 183-85 शौर इरजान हवाब करेन्ती मिस्टम अफ द मुगल एग्यार मैडिवल इटिया क्वार्टर्स छण्ड 14 । एम त्रिमम वेतन का उल्लेख दिया जाता था इग प्रकार गिमाव विताव का मूग्य वत गया शौर उसका कोई भी सम्बन्ध उम नाम क वास्तविक तत्व क सिर्फ स म रह गया ।
- 17 आदमन सम्बन्धा आग्य सलेमण्ड डौस्मन्टम अफ शहजहास रेन' में प्रकाशित है । घनमानिन वेतन-तानिकाने अक्ष क प 79-84 पर ला हुई है । शौर विनोत II (प० 428-31) शौर आदमन सम्बन्धा आग्यो क बारे म मीरानण्ड द्वारा लिये गये विवरण क लिए ख० धार० ए एग० 1936 (प 641-62) दखिय ।

- 18 देखिये—वाजवा-ए अजमेर प० 470 637 इलाहाबाद डाक्यूमेंट्स सख्या 890 ।
- 19 रुक्नात-ए-आनमगीर, प० 26-27 फरर 86, प० 6 अ 7 अ ।
- 20 मोरलण्ड एप्रियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इरिया, प० 96-98 ।
- 21 भीरात-ए अहमदी I प० 326-27 । यह कथन गुजरात से सम्बन्धित है, 1692 । इसके प्रतिरक्त देखिये—मियजनामा, प० 100-101 जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि मुवाजना-ए-इलाहा तथा अय हासिल सम्बन्धी बायजो का ने-डीय दीवान क दफ्तर में नियम से जमा करना पड़ता था । यह नियम-मुस्तक भीरात-ए के समय में निधी गया था । सलक-ए डाक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहान् रैज प० 89-90 194-95 रुक्नात-ए आलमगीर प० 88 107 164 ।
- 22 आई II प० 2 अजवरनामा, II प० 270 बही III प० 117 ।
- 23 आदाब ए आनमगीरी प० 27 अ 27 ब रुक्नात-ए आनमगीर प० 121 23 ।
- 24 इलाहाबाद डाक्यूमेंट्स सख्या 884, 885 ।
- 25 सेलेक्टड डाक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहान् रैज प० 177 आदाब-ए आनमगीरी प० 18 व 19 अ 24 ब 25 ब, 29 व 30 अ, 39 अ 40 अ-40 व 43 अ रुक्नात, प० 88 95-96 98 ।
- 26 आदाब-ए आलमगीरी प० 40 अ-40 ब रुक्नात-ए आलमगीर प० 130-33 आमा सीर-ए आलमगीरी प० 170 फतहिया-ए इरिया प० 117 अ-व ।
- 27 अखबारत के अनुसार (भीरगजब का 12वाँ राजकीय वर्ष प० 223) अहमद खान न सम्राट को सूचना दा कि मुकरम खान न उस सूचित किया था कि दखन में उसकी जागीर की वास्तविक आय उत्तक लिए अनुमानित किया गये मामिक अनुपात से अधि- है । अतएव यह आदेश दिया गया कि मुकरम खान के मनसब में 100 सवारों की वृद्धि उसकी शेष आय को प्रतिम-तुलन करने के लिए कर दी जाये । अजवरनामा III प० 459 भी देखिये ।
- 28 अखबारत, 50वाँ राजकाय वर्ष प० 9 रुक्नात-ए आनमगीर प० 10 ।
- 29 अजवरनामा II, प० 332 33 ।
- 30 अली द्रवेस प० 114 डि सैमट अनु० होयलण प० 94-95 बनियर प० 227 ।
- 31 लिंकुशा, प० 139 अ ।
- 32 सेलेक्टड डाक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहान् रैज प० 76-77 फरर 86 प० 60 व ।
- 33 भीरात ए अहमदी, खण्ड I प० 305 फतहिया-ए-इरिया प० 130 व ।
- 34 आनव-ए आलमगीरी प० 18 व 19 अ 25 व 40 अ-40 व 43 अ ।
- 35 अखबारत 38वाँ राजकीय वर्ष, प० 46 ।
- 36 भीरात-ए अहमदी I प० 341, 343 ।
- 37 हियात उन्नवाय अलीगढ़ पाठालि, प० 8 अ ।
- 38 तुलनीय—पालामऊ क जमींदार प्रताप क साथ जो समझौता हुआ—लाहौरी बाद साह्यामा II प० 360-61 ।
- 39 सेलेक्टड डॉक्यूमेंट्स ऑफ भीरगजब रैज प० 121 । राजा इन्द्रसिंह की वतन जागीर की जमानगी उसके मनसब के मुताबिक वेतन से अधिक थी । इसलिए उसने प्रायतः की कि या तो उसके मनसब में वृद्धि कर दी जाये ताकि उसका वेतन जमानगी के बराबर हो जाय या उसका वर्तमान मनसब क वतन के बराबर जमानगी को घटा

- रिया जाये । दोना ही दशाधों मे बिसी भी ग्रय ब्यक्ति को उसके बतन जागीर म हिस्सा नहीं रिया जा सकता था । इगलिए उसके मनसब म वृद्धि कर दी गयी ।
- रक्तात-ए भात्रमगीर प० 167 लाहौरी बादशाहनामा I प० 161 ।
- 40 वेवल ग्रस्यायी उपाय क रूप म—उद्धरित—सनीश क पार्टीज एण पार्निटिवस ऐट द मुगन वाट (1707-40) प० 31 32 ।
- 41 वात्रया ए घजमर पृ 87 83 245-46 शौर यत्न-तत्र ।
- 42 मामूरी, प० 107 ब ।
- 43 त्तिकुशा प 83 घ ।
- 44 मामूरी प० 116 ब ।
- 45 उगाहरणाय मवाह क राव करन को मनसब व जागीर प्रदान करने स सम्बन्धित जहाँगीर का क्ररमान बीर विनोद II प० 239 म देखिये ।
- 46 मीरात-ए ग्रहमदी I पृ 277 ।
- 47 प्रघवाारात 25वाँ राजकीय वर्ष प 270 पद क अनिरिक्त भान पुराहित को परगना शौर जोगीगढ़ म 30 लाख दाम तथा इनाम म बतन प्रदान किया गया ।
- 48 तुजुक पृ० 10 ।
- 49 मतिन मल इशा कूच बिहार के क्रीत्रदार मली कनी खाँ के पत्र (रगभग 1700 ई ) बोल्ड पाइनिनि प० 99 ब 100 म ।
- 50 सेलेक्टड डॉक्यूमेण्टस भाफ शाहजहान्सा रेन पृ० 5 ।
- 51 एग्रियन सिस्टम भाँफ मुस्लिम इंडिया प० 91 92 ।
- 52 सरकार द्वारा जे० ए० एस० बी० म प्रकाशित मूल एन एस II (1906) प० 223-55 ।
- 53 मीरात-ए ग्रहमदी I पृ० 263 यह भादश शौरगजब के 8वें राजकीय वष मे जारी हुआ था ।
- 54 निगारनामा-ए मुशी पृ 80 92 98 144-45 रकाम-ए-नरायन प 24 घ-ब दुर-उल-उनुम प 140 ब ।
- 55 झालमगीरनामा I पृ 437 38 उन्मूलित करो क बिस्तत झौरा से सम्बन्धित शौरगजब के अनेक भांश जा उनने अपने रायखान म पारित किये मीरात-ए ग्रहमदी I प 259 264 286 288 म दिये हुए हैं ।
- 56 मीरात ए ग्रहमदी I प० 249 ।
- 57 खाफी खाँ II पृ 88-89 मीरात-ए ग्रहमदी I पृ 263-64 दुर उल उनुम प० 255 ब 256 म ।
- 58 मीरात-ए ग्रहमदी I प 275 ।
- 59 सेलेक्टड डॉक्यूमेण्टस भाफ शाहजहान्सा रेन पृ 121 निगारनामा-ए-मुशी प० 8 शौर यत्न-तत्र ।
- 60 झालमगीरनामा प० 392 ।
- 61 निगारनामा-ए मुशी पृ 136-37 दुर उल उनुम प० 138 ब 139 म ।
- 62 निगारनामा ए-मुशी पृ० 77 ।
- 63 त्तिकुशा प 139 म ।
- 64 यह टिप्पणी इनाहावाद रिवाज भाफिम मे जागीरदारों द्वारा राजस्व वसूल करने की व्यवस्था से सम्बन्धित 17वीं शताब्दी के प्रपत्रों के अध्ययन पर आधारित है ।

- 65 रियासत वगण प 5 व ।
- 66 इलाहाबाद डाक्यूमेंटस संध्या 78) वाक्या-ए अजमेर प० 329 ।
- 67 उद्धरित—शाह बी उनाह मियासी मकनूवात प० 42 जहा यह सिफारिश की गयी है कि छात्र मनसबदारों को बेतन जागीरा क द्वारा नही बल्कि नकद दिया जाये क्योंकि वे लोभ अपनी जागीर से स्वयं राजस्व नहीं बसूल कर सकते हैं और उन्हें इजार पर उठान के लिए बाध्य किया जा सकता है ।
- 68 इलाहाबाद डाक्यूमेंटस, संध्या 884-87 889 90 ।
- 69 अखबारात 39वाँ राजनीय वष, प० 144 ।
- 70 सादिब खाँ शाहजहाँनामा और० 174 प 10 अ-ब ।
- 71 अखबारात पूर्वोद्धत ।
- 72 मीरत मल इस्तिलाह प० 122 व मोरनग ने अमीदार को सरदार भी कहा है । झाईन ए अकबरों के आधार पर उसकी धारणा की टाका टिप्पणी के लिए देखिये—इरफान हबीब प्रासीडिन्स आफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस त्रिवेन्द्रम सेशन (1958), प० 320-22 ।
- 73 ज ए० एम० बी संध्या II 1906 स० सरकार प० 223 55 ।
- 74 वाक्या-ए अजमेर प० 55 398 ।
- 75 इशा ए रोशन कनाम प० 2 अ 3 अ ।
- 76 सियत्रनामा प० 35 36 । अमातर तथा ताल्लुकदार के मध्य एकरूपता के लिए देखिये—कलकत की 1703 का विक्री दस्तावेज भारतगण द्वारा उद्धरित एप्रियन सिस्टम प 191 92 तथा ताल्लुका और ताल्लुकदार शब्द क लिए देखिये—इरफान हबीब द एप्रियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया प० 139 171 ।
- 77 इलाहाबाद डाक्यूमेंटस संध्या 897 1206 1220 1223 ।
- 78 हिन्यान उल कबीयद प० 65 अ व ।
- 79 बयाज-ए इडा न वहा रसा इण० प्रो 4014 प 2 अ 2 व । इस सत्र के लिए मैं डॉ० इरफान हबीब का आभारी हूँ ।
- 80 इशा-ए रोशन कनाम प 3 व 4 अ 7 अ ।
- 81 इशा-ए रोशन कनाम म अनेक मुसलमानों का नियुक्तियाँ उल्लिखित हैं (प 3 व 4 अ 7 अ) । अमादारा की अनेक नियुक्तियों के बारे में अखबारात देखिये ।
- 82 इशा ए रोशन कनाम प 34 व ।
- 83 निगारनामा ए मुशी प० 152 ।
- 84 इरफान हबीब द एप्रियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया प 334-39 ।
- 85 मनुची II प० 431 32 ।
- 86 वही प० 462 ।
- 87 उन्नाब जिने क पुरान मुगल रिकार्डों का विस्तृत ढग से अध्ययन करने के उपरान्त इन तथ्य का सबप्रथम चाल्स इलियन न सामन रखा (मोरनग द्वारा उद्धत—जे० मार ए० एस० 1938 प० 516) ।
- 88 कानूनगो और उसके बारे में देखिये—निगारनामा-ए-मुशी प० 91 140 हिदायत उल-अबायन अल्लोगढ़ पान्तिपि प० 16 अ-ब और क्रवत्सियर के शासनकाल के प्रस्ता का अनुवाद प्रोसीडिन्स आफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकार्डस कमीशन,

- XXXI खण्ड 2 1845 प 142-47। चौधरार्द धौर देशमुखी' के लिए मोरलण्ड द्वारा अनुवांनित प्रयत्न जे० धार० ए एस० 1938 पृ० 516 में दखिये मोरलण्ड-ए भहमदी I प० 216 तथा निगारनामा-ए-मुगी पृ० 80 मजहर-ए-शाहजहानी पृ० 189 देखिये ।
- 89 अखबारात 38वाँ राजकीय वष प० 480 तथा यत्र-तत्र इशा-ए रोशन बलाम प० 6 ब 11 ब 24 ब ।
- 90 सियत्रनामा पृ० 36 इलाहाबाद डॉक्यूमेण्टस सध्या 782 1203 ।
- 91 निगारनामा ए-मुगी पृ 87 88 द इगलिस फंक्टीज 1678-84 खण्ड III, (पू सिरीज) पृ० 310 भी देखिये ।
- 92 इकजात-ए-मालमगीर स० नन्वी प 119 वात्रया-ए-मजमेर प० 217 19 इकजात-ए-मालमगीर बानपुर सस्करण प० 40-41 मजहर-ए-शाहजहानी पृ० 174 ।
- 93 धादाब-ए-मालमगीरी प० 18 अ 19 ब 20 अ 40 अ-40 ब ।
- 94 मोरलण्ड-ए-भहमदी I पृ० 326-27 ।
- 95 धादाब ए मालमगीरी प० 168 ब ।
- 96 रजायम-ए-करायम प० 1 ब ।
- 97 वही प० 8 ब ।
- 98 अखबारात 36वाँ राजकीय वष पृ० 8 ।
- 99 वही 38वाँ राजकीय वर्ष प 525 ।
- 100 वही 38वाँ राजकीय वष पृ 480 ।
- 101 वही 36वाँ राजकीय वर्ष पृ० 18 ।
- 102 वही 38वाँ राजकीय वर्ष प० 480-82 ।
- 103 बनियर प० 227 वह अनुचित ढग से जागीरदारो को अपने बाल के फासीमी अमि जात वग क समान बताने की अण्टा करता है, तथा इस सभ्य को भूल जाता है कि फासीमी अमिजात वग को अपने सामन्ती अधिकार प्रान्त ये किन्तु फास का प्रशासन मध्य वर्ष के व्यक्तियो के हाथो म आ रहा था ।
- बगाल म किसानो के अत्याचार के लिए देखिये—फलहिया-ए इरिया प० 117 ब 119 अ 125 अ 126 अ 127 अ-ब 131 अ-ब द टूवलस फाऊ पीटर मण्डी 1608-1667 खण्ड II पृ० 73 भी देखिये ।
- 104 न्लिकुशा प 138 ब 139 अ ।
- 105 इन दोनो फरमानो का मूल सरकार द्वारा ज ए० एस० धी , एन० एस 2 1906 प० 223-55 म प्रकाशित किया गया है । मैने मुहम्मद हाजिम के लिए अजे गये फर मान के मून को डुर उल उलुम प 139 ब 149 ब तथा मोरलण्ड-ए-भहमगी I प 268 72 मे लिये गये मूल से मिला कर दखा है ।
- 106 मोरलण्ड ए-भहमदी खण्ड I प० 263 8वें राजकीय वर्ष मे आदेश जारी किया गया था ।
- 107 उदत इरफान हबीब द एप्रियन सिस्टम आफ भुगन इरिया पृ 326-28 ।
- 108 मनुची II पृ 387 न्लिकुशा प० 159 अ खाफी खाँ II पृ० 550 ।
- 109 इरफान हबीब एप्रियन सिस्टम आफ मगल इरिया प 317 51 ।
- 110 मामूरी प 157 अ ।
- 111 वही प 156 ब 157 अ खाफी खाँ II पृ० 396 ।

- 112 दस्तूर-अ-ममल-ए-मगाहा प० 36 रजायम ए-करायम प० 28 ब ।
- 113 एक अनार सद बीमार (मामूरी प० 157 ब) खाजी खाँ, II, पृ० 602-603 ।
- 114 खाजी खाँ II पृ० 411 12 ।
- 115 सरकार द्वारा 'अनेकदायम भाऊ औरगखव' म उद्धरित प० 110 । सम्राट ने प्रति उत्तर म वहा अभाव में तथा ईश्वर के दरवार (जिसका वह औरगखव केवल प्रतिनिधि ही था) को सामा में विश्वास करना मुफ़ व पाप का मार है । यह उत्तर यद्यपि औरगखव की भागावति का स्रोतक है किन्तु उन समस्या का जो उत्तरे बछी के सम्मुख थी कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता ।
- 116 मामूरी प० 179 ब 182 ब खाजी खाँ II प० 396 ।
- 117 खाजी खाँ, II, पृ० 379 मामूरी प० 179 ब ।
- 118 मामूरी प० 157 म खाजी खाँ II पृ० 396 ।
- 119 वही प० 156 ब 157 म 182 ब वही प० 396-97 ।
- 120 दस्तूर-अ-ममल-ए मगाही प० 64 65 ।
- 121 मामूरी प० 156 ब 157 म ।
- 122 दिम्बुजा प० 169 ब एक भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के लिए देखिये—सतीशचन्द्र, पार्टीज एण्ड पार्लिमेन्ट ऐट द मगल कोट प० 29-34 ।
- 123 मारात मल-कलियाह प० 64 ब ।



## अमीर-वर्ग तथा राजनीति

(द नोबल्स एंड पालिटिक्स)

### श्रीरगजेब तथा अमीर-वर्ग—प्रथम चरण (1658-66)

सिद्धांततः सम्राट के अधिकार असीमित थे, किंतु वह अपने अमीर वर्ग अथवा अधिकारी वर्ग—अपने अमीरा व मनसबदारा के माध्यम से ही शासन कर सकता था। उसकी नीतियाँ उन्हीं के द्वारा ही कार्यावित की जा सकती थी। अतएव, अमीरा के विचार एवं नीति उन नीतियाँ के निर्माण में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भाग अर्पण करते थे। उनके विचार सदैव एकमत कदापि नहीं हो सकते थे और न ही सभी अमीरों के हित ही एक प्रकार के हो सकते थे। नीति के महत्वपूर्ण मामलों पर कभी कभी अमीर आपस ही में वर्गों एवं गुटों के रूप में मतभेद रखते थे। चूंकि मुगल अमीर वर्ग में विभिन्न जातीय एवं धार्मिक तत्व विद्यमान थे अतएव अमीर वर्ग गुटवन्ती उत्पन्न होने के लिए सदैव ही उर्वर भूमि के समान थे। प्रशासन का अत्यधिक केन्द्रीकरण मनसबदारी प्रथा (एक ही तारतम्य में सभी अधिकारियाँ को मनसब देकर रखना) जागीर का निरंतर अंतरण आदि सभी कुछ दलबन्दी को दबाने के लिए या उन नियंत्रित रखने के लिए किया गया था। यह भी अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दलबन्दी यक़िनया कि मध्य साधारण द्वेष से कुछ अधिक बात होती है। जब तक हमें लगभग स्थायी प्लोस सम्बन्धित साम्य उपलब्ध न हो जायें, हम केवल इस तथ्य में दना के होने की कल्पना नहीं कर सकते कि एक अमुक अधिकारी के कुछ निजी शत्रु थे जो दरबार में या उसके बाहर उसके विरुद्ध षडयंत्र रचते थे। अमीरों के किसी भी महत्वपूर्ण वर्ग विशेषकर बड़े अमीरों के निजी हितों का सम्बन्ध निश्चय ही साम्राज्य के सम्मुख आने वाले बड़े मामलों से होगा तथा उन मामलों में उनका हाथ अवश्य ही होगा। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में हम उनका अध्ययन करेंगे कि अमीर वर्ग में किस सीमा तक साहचर्य था? साथ ही साथ विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों के प्रति अमीरों के विभिन्न गुटों का दृष्टिकोण किस प्रकार का था?

मात्रे तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ के राज्यकाल में अमीर

वग सुस्पष्ट गुटबन्दी से मुक्त था। उसके राज्यपाल के अंत में जब संकट विकसित होने लगा और उसका प्रत्येक पुत्र, मिहामन के लिए पूव अनुमानित संधि के लिए अपना समुदाय बनाने लगा तो निरास दल बनने लगे। किन्तु यह दल साधारणतः जानीय एवं धार्मिक आधार पर नहीं बने थे और प्रत्येक शाहजादे ने व्यक्तिगत अमीरो से जो वादे किये थे या व्यक्तिगत शाहजादा से जिन अमीरो के निजी सम्बन्ध थे वही उन दलों का बनाने में मुख्य कारण हुए। प्रतिद्वन्द्वी शाहजादा के समर्थकों (सामूहिक ने गुड तक औरगजेव और शारा के उदाहरण में) के सम्बन्ध में यह बात आगे (पृष्ठ 144-45 पर) दी गयी तालिकाओं के विश्लेषण द्वारा भलीभाँति स्पष्ट की जा सकती है।

यह स्पष्ट है कि औरगजेव की सहायता करने वाले 1 000 जात व उसके ऊपर के 124 मनसबदारों में 20 तूरानी, 27 ईरानी, 23 अफगान, 33 अन्य मुसलमान, 9 राजपूत, 10 मराठे और दो अन्य हिन्दू थे। शारा शिकोह के 87 समर्थक 1 000 जात व उसके ऊपर के मनसबदारों में 16 तूरानी, 23 ईरानी, 1 अफगान, 23 अन्य मुसलमान, 22 राजपूत तथा 2 मराठा थे। शाहजुजा का समर्थन 1 000 जात व उसके ऊपर के 10 मनसबदारों में किया—उनमें 3 तूरानी, 1 ईरानी, 1 अफगान और 5 अन्य मुसलमान थे। मुरादबख्त के जात सहायक 1,000 जात व उसके ऊपर के 11 मनसबदारों में 1 ईरानी, 1 अफगान, 7 अन्य मुसलमान तथा 2 राजपूत थे।<sup>1</sup>

इस प्रकार औरगजेव को जिन अमीर वग से सहायता मिली वह काफी व्यापक था। प्रथम अध्याय में हम यह बात चुके हैं कि इस समय औरगजेव के लिए हिन्दू अमीरो के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रश्न ही न था। इसने विपरीत उसने राजपूत राजाओं—राणा राजगिन्त, मिर्जा राजा जयसिंह और यहाँ तक कि जसवन्तसिंह को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत यत्न किये और इसमें उस बहुत सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार, इस बात का विचित मात्र भी प्रमाण नहीं है कि उसने सुन्नी अमीरों का शिष्या अमीरों के विरुद्ध खड़ा करने की चेष्टा की।

सिंहासन पर बैठने के उपरांत औरगजेव की नीति वही रही जसी मिहामन के लिए संधि करते समय थी। पहले अपने बड़े भाई और फिर अपने सबसे छोटे भाई का मार कर वह सिंहासन पर बैठा था। उसने अपने पिता को भी बंदी बना लिया था। उस सिंहासन का छीनना किसी भी अन्य मुगल सम्राट से कहीं अधिक व्यायमगत ठहराना था। एक अधिनिक सुभाव जिसके प्रयाग द्वारा वह अपने पिता का सिंहासनाच्युत करने में सम्बन्धित अपनी कायदाही का समर्थन किया करता था यह था कि वह अपने पिता से अधिक योग्य था।<sup>2</sup> जब अपनी उत्कृष्ट सफलता की उपलब्धियों द्वारा उस इस बात की व्यवहार

उत्तराधिकार क युद्ध म प्रातयागा शहजादा क समयक, 1038-39

## द्वारा शिकोह श्रीरगजेव

मनसबदार	5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3 000 स 4 500 तक के मनसबदार	1 000 स 2 500 तक के मनसबदार	योग	5,000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3 000 स 4 500 तक के मनसबदार	1 000 से 2 500 तक के मनसबदार	योग
मुसलमान								
ईरानी	3	4	16	23	4	7	16	27
तूरानी	1	2	13	16	1	3	16	20
अफगान	—	—	1	1	—	4	19	23
अन्य मुसलमान	—	4	19	23	1	4	28	33
योग	4	10	49	63	6	18	79	103
हिन्दू								
राजपूत	2	6	14	22	2	2	5	9
मराठे	1	1	—	2	—	2	8	10
अन्य हिन्दू	—	—	—	—	—	—	2	2
योग	3	7	14	24	2	4	15	21
कुल योग	7	17	63	87	8	22	94	124

उत्तराधिकार के युद्ध में प्रतियोगी शाहजादों के समयक, 1658-59

मुराब बरुग

शाह बुजा

मनसबदार	5 000 व		3 000 स		1 000 से		5 000 व		3,000 से		1 000 से	
	उसके ऊपर के मनसबदार	4 500 तक के मनसबदार	3 000 स	4 500 तक के मनसबदार	1 000 से	2,500 तक के मनसबदार	उसके ऊपर के मनसबदार	3,000 से	4 500 तक के मनसबदार	1 000 से	2,500 तक के मनसबदार	योग
मुस्तमान	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
ईरानी	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
तूरानी	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
प्रफगान	—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	6	7
अथ मुसलमान	1	3	—	6	—	—	1	—	2	—	6	9
योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिन्दू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
राजपूत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मराठे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अथ हिन्दू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग	1	3	—	6	—	—	1	—	2	—	8	11

म साबित करना था, और सनिक विजया मे अधिक उत्कृष्ट कोई अय बात नहीं हो सकती थी। इसनिए एव अोजरवी सनिक नीति अपनायी गयी। 1660 ई० म महाराष्ट्र म गायम्ता खाँ ने एक बडे अभियान का श्रीगणेश किया। 1661 ई० म बिहार मे पानामऊ विलयित किया गया और मीर जुमला ने कूच बिहार पर कब्जा किया। 1662 63 म मीर जुमला का आगाम पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। 1663 ई० म गुजरात म नवानगर राज्य का विलयीकरण हुआ। 1665 ई० म मिर्जा राजा जयसिंह ने पुर घर की राधि द्वारा शिवाजी के विरुद्ध सफर अभियान समाप्त किया। 1665 66 ई० म मुगला न बीजापुर पर भीषण आक्रमण किया। 1666 ई० म शायस्ता खाँ न चम्पौर पर कब्जा किया। 17वीं शताब्दी के कुछ ही दशकों म ऐसी तीव्र सनिक कायवाहियाँ होती हुई देखी गयी हागी।

ऐसी आक्रामक नीति के लिए अमीरा के पूण सहयोग की आवश्यकता थी। सभी मतभेदों को दूर रखना था। इसके अतिरिक्त ग्राहजहाँ 1666 ई० तक जीवित रहा। अतः शाही नीति म किसी भी प्रकार स गम्भीर परिवर्तन जो अमीर वग के एव बडे भाग के हितों को नुकसान पहुँचा सकता था ग्राहजहाँ के पुनः स्थापन की चपटा का जन्म दे सकत थे।

### श्रीरगजेव और अमीर वग—द्वितीय चरण (1666 1679)

ऐसा प्रतीत हाता है कि 1666 ई० के लगभग श्रीरगजेव न एक ऐसी नीति अपनाना प्रारम्भ किया जो प्रत्यक्षन उसके पूर्ववर्ती शासकों की नीति की विरोधी तो नहीं किन्तु कुछ सीमा तक प्रकृति म उसम भिन्न थी। हम प्रथम अन्वय म देख चुके हैं कि इस काल म सम्राट न राजपूतों की पत्नानति एव भर्तों म कमी करना प्रारम्भ कर लिया था। इससे पूर्व कि हम इस बात की छान-बीन करें कि यह परिवर्तन कब प्रारम्भ हुआ 1666 ई० के उपरान्त संक्षेप म राजनीतिक स्थिति का परीक्षण करना आवश्यक है।

सबसे पहली बात ता यह थी कि 1666 ई० म शाहजहाँ की मृत्यु के उपरान्त श्रीरगजेव का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति न था तथा सम्भवतः अमीर वग की आर स विरोध का भय उसके हृदय म दूर हो चुका था।

दूसरे यह भी स्पष्ट हो चुका था कि विस्तार करने की दुसाहसी नीति जो 1659 ई० म प्रारम्भ की गयी पूणतः असफल सिद्ध हुई। आगाम पर मीर जुमला के आक्रमण का अन्त निराशामय अपसरण म हुआ जब कि कूच बिहार के विलयीकरण का काय छाड़ देना पया। महाराष्ट्र म शायस्ता खाँ के अभियान का समापन उसके ही शिविर को लूट लिया जान के शिवाजी द्वारा 1664 ई० मे मूरत को लूटने के साथ हुआ। यन्ति जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध

सफलता भी मिली थी तो उसके सैनिक विजय के फला को बहुत हद तक 1666 ई० में शिवाजी के आगरे से भाग जाना ने छीन लिया। अतः में, जयसिंह द्वारा बीजापुर पर आक्रमण का अन्त दयनीय असफलता में हुआ और 1667 ई० में उसका दिल टूट गया और वह परलोक सिंघार गया।

इन निरन्तर असफलताओं के साथ ही साम्राज्य का विस्तार करने की सम्राट की चेष्टा कुछ समय के लिए रूख गयी और विद्रोह का काल प्रारम्भ हुआ। छठे दशक के मध्य में ही अजंठा में गानुल के नेतृत्व में जाटा ने विद्रोह किया। 1672 ई० में मतनागिया ने विद्रोह किया और उनको प्रारम्भ में सफलताएँ प्राप्त हुईं। 1667 ई० में पेशवा के निकट युसुफज़ांन ने विद्रोह किया, 1672 ई० में अफरीनियों ने भी विद्रोह किया और 1674 ई० में औरंगजेब को हसन अत्याज जाना पड़ा। 1670 ई० में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारम्भ किया और दूसरी बार मूरत को लूटा।

सैनिक क्षेत्र में अपनी सफलताओं द्वारा अपने पिता की बनी बनान तथा अपने भाइयों के कत्ल किये जाने को यादसगत ठहराने वाले शासक औरंगजेब ने सभी व्यवसायिक प्रयासों के बावजूद अपने को असफल पाया। अब 1658-59 के पड़वण के लिए एक नये कार्योत्तर प्रौचित्य को लूट निकालना आवश्यक हो गया। विकसित होती हुई अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के अनुरूप उसने साम्राज्य की इस्लामी प्रवृत्ति को महत्त्व देकर अपने कार्यों को उचित ठहराया और शाही ताज के चारों ओर एक धार्मिक प्रभामण्डल बनाने हेतु उसने एक नयी धार्मिक नीति का सूत्रपात किया। हिंदुओं के प्रति भेदभाव की नीति मुस्लिम बटुहरता को साम्राज्य के साथ यथासम्भव निकट लाने की चेष्टा के साथ जुड़ी हुई थी। सम्राट ने सातवें दशक के मध्य मुसलमान धर्मतत्त्वों से अपने प्रत्येक राजनीतिक कार्य के लिए जब समर्थन प्राप्त करने की कोशिश शुरू की तो परिणामस्वरूप इन अनुरोधों ने कुछ अमीरों को विरोध करने के लिए उत्तजित कर लिया।

सातवें दशक के अन्त में सम्राट के नाम एक पत्र में महाप्रत खा न सम्राट की उस नीति पर आक्षेप प्रकट किया जिसने चिनीमारा को यश्या में तथा गौरियों को गिवांरिया में वन्दन दिया था। एक ओर राज्य के अनुभवी एवं योग्य अधिकारियों पर से विश्वास तथा भरोसा तो नष्ट कर दिया गया है किन्तु इसके विपरीत पाखण्डी रहस्यवादियों (मशाण खां रिया कोश) तथा बुद्धिहीन विद्वानों (उल्मायान ए ताहां होश) पर पूर्णरूप से भरोसा किया जाता है। चूकि वादशाहा की मोट्टन के लिए ही ये व्यक्ति अपने पान एवं सिष्टाचार बच रहे हैं अतः उन पर भरोसा करना न तो ईश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग के अनुरूप है और न ही यह बात सांसायनिक मामलों के अनुरूप है। इस प्रकार हर तरह से ये व्यक्ति इकत हैं। देश बर्बाद हो रहा है सेना हतोत्साहित

है, किसानों को रौंटा जा चुका है, निम्न वग के साग दुख से चिल्ला रहे हैं और अमीर उपद्रव करने का व्यवहार बूढ़ रहे हैं। (जैसी कि बताया है) शाही को वित्तीय व्यवस्था सौंप दी गयी है और राजा घूम लेकर ही मनुष्य है।<sup>4</sup> इस पत्र के लिखे जाने के कुछ समय पश्चात् श्रीरगजेव इसका भी आग्रह बढ़ा और उसने 1679 में जजिया लगा दिया। इसका अमीर वग की विभिन्न शक्तियों में विशेष चिन्ता उत्पन्न हुई और हम बतलाया गया है कि अमीरों में उच्च पदों एवं सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में इसका विरोध किया। उन्होंने नम्रता पूर्वक सम्राट को अंगुरोप किया कि वह समय में काम लें।<sup>5</sup>

किन्तु सम्भवतः कबल अपनी प्रतिष्ठा को नये आधार पर ऊपर उठाने की इच्छा ने ही श्रीरगजेव का एक नयी धार्मिक एवं राजपूत नीति का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित नहीं किया। जब तक साम्राज्य का विस्तार होता रहा भविष्य की आशंका कर सम्पूर्ण अमीर वग अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट कर सकता था। किन्तु एक बार 1667 ई० की भाँति यह स्पष्ट हो जाने के पश्चात् कि तीव्र गति से साम्राज्य विस्तार की आशा नहीं की जा सकती और जब स्वयं साम्राज्य में ही अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी हो मनसबदारों की पदोन्नति की अभिलाषा को सन्तुष्ट करना इतना सरल कार्य नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में सम्राट के लिए यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि अमीर वग के बहुसंख्यकों के लिए आग्रह के साधन बनाये जायें तथा अल्पसंख्यकों के लिए धीरे धीरे यह द्वार बन्द कर दिया जायें। राजपूतों के वग को अग्र्य धर्मावलम्बी होने के कारण आसानी से पृथक् किया जा सकता था। उनका तिरोभाव सम्राट की नयी प्रयत्नमान कट्टरता की भाव भंगिमा के अनुरूप भी था। जसा हम देख चुके हैं राजपूत अपने पूर्वजों के राज्या में या बतन जागीरों में अनुमोदित किये जाते रहे किन्तु उन्हें यह कुछ मनसबों की सम्पत्ति होने वाले वर्षों में घटा ली जाती तो बतन जागीरों के बाहर गान्धी जागीरों में उनका हिस्सा तत्पुत्रों में गिर जाता। यह जागारों राटियाँ और मछलियाँ थी, जो श्रीरगजेव ने अपने मुमनमान अमीर वग का इसलिये दी ताकि वह उसके मिहामन के पीछे एक होकर अत्यधिक शक्तिपूर्वक खड़े रह सकें। जिन कारणों से 1679-80 ई० में राजपूतों का विद्रोह हुआ उस समय की अवस्था में दिये गये विवरणों में विभिन्नताओं और आधुनिक वास्तविकता के कारण स्पष्ट हो गये हैं। सौभाग्यवश वाक्यांश अजमेर में इसी काल से सम्बन्धित हंगारे पास अनेक सूचनाएँ हैं जिन्हें अजमेर के समाचार प्रतिवेदक ने लिखित किया है। इस संघर्ष एवं उसमें सम्बद्ध विषयों पर यह अग्र्य महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। संक्षेप में, यह अग्र्य इस बात को स्पष्ट करता है कि जब जसवंतसिंह के निःसत्ताने मर जाने से मूलभूत कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न हुई श्रीरगजेव की नीति राजपूतों

को सन्तुष्ट करन के लिए नहीं थी, और जसवन्तसिंह के अधिकारिया तथा गद्दी के लिए अनुमोदित दावदार, राजा इन्दरसिंह के मध्य भगड़े का लाभ उठाते हुए उसने प्रत्यक्ष रूप से मारवाड राज्य को समाप्त करने की चेष्टा की।<sup>8</sup>

जब राजा जसवन्तसिंह की मृत्यु हुई उसवे कोई पुत्र न था। जब तक उसके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो, औरगजेब न राजधानी जाधपुर समस्त सम्पूर्ण मारवाड को, केवल दो परगना का छोड़ कर, 'सालिसा' में ले लेने के लिए घोषणा कर दी तथा दाही अधिकारिया को उक्त राज्य का कायभार संभालने के लिए रवाना कर लिया। इस बात ने राठौरो में घातकोश उत्पन्न कर दिया, उन्होंने घोषणा की कि यदि जोधपुर को, जो उनके कुल का मुख्य स्थान है तथा जहाँ दिवगत राजा का शोक मनाया जा रहा था, सालिसा के अन्तर्गत लिया गया तो राठौरों की प्रतिष्ठा का हानि पहुँचेगी—'शाही वंश के शासन काल में विशेष श्रुतियाँ के बावजूद, किसी ठूमी या जमीन्दार को उसके निवास स्थान (घर) से कभी नहीं निकाला गया। राठौर, जो सदब ही निष्ठावान एवं स्वामिभक्त रह हैं, साधारण रूप से केवल इतना ही अनुरोध करते हैं कि उन्हें निर्वासित न किया जाय।' के सम्पूर्ण मारवाड देने के लिए राजा के विन्तु जोधपुर के असुरक्षित शहर को समर्पित करन के लिए तयार न थे।<sup>9</sup> औरगजेब ने अपना पहला आदेश वापस लेन से इनकार कर दिया, विन्तु उसने दूसरा आदेश जारी किया कि जसवन्तसिंह के सभी अधिकारियों के पास दिवगत राजा द्वारा दी गयी जमीरा के परावर अनुदान या पट्टे रहने दिये जायेंगे और उन्हें इन जमीरा के अनुरूप मनसब प्राप्त होंगे।<sup>10</sup> यह स्पष्टतः घूस थी, और इसका मतलब जाधपुर का समाप्त करना था। तथापि इससे मारवाड के घातकीय मामलों पर सम्राट के नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हो जाती। जसवन्तसिंह के अधिकारियों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस सौद में साझाकर बनने से इनकार कर दिया।<sup>11</sup>

इसी बीच यह मालूम हुआ कि राजा की दो रानियाँ, जो गर्भवती थी, दो पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक अजीतसिंह था। इसने शाही निर्णय में परिवर्तन करना आवश्यक कर दिया, क्योंकि अब यह धारणा नहीं बनायी जा सकती थी कि राजा जसवन्तसिंह कोई उत्तगाधिकारी नहीं छोड़ गया। दोनों में से एक पुत्र को अपना राजा स्वीकार कर लिये जान की चेष्टा में राठौर अपनी चरम सीमा तक पहुँच गये। जसवन्तसिंह की मुख्य रानी, रानी हाडो, ने तो यही तब कहा कि यदि केवल जाधपुर ही राजा के पुत्र का दे दिया जाय तो राजपूत जोधपुर के समस्त मन्दिरों का तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद बनवाने के लिए तयार हो जायेंगे।<sup>12</sup> वे समोश्रीय प्रतिद्वन्द्वी एवं गद्दी के दावेदार, इन्दरसिंह के वहाँ अधिक उपहार (पेगवश) देने के लिए राजी थे।<sup>13</sup> उन्होंने अपने प्रस्ताव



मुगल अमीरा की दखन म नियुक्तियाँ हुईं उन्हें उपयुक्त मन्त्रि टुर्कडिया रखने म कठिनाई होती थी, और इसी कारण वे सनिक दृष्टि से अपने दखनी विरोधिया स उत्तम न थ ।<sup>०</sup>

ऐसी परिस्थितिया म मुगल सेनानायक और दखनियों के मध्य साठ गाठ की सूचनाओं का निरंतर प्राप्त होत रहना स्वाभाविक ही था । जहागीर के अतगत खान ए खाना तदुपरांत खान ए जहा लोदी पर सदेह किया गया कि उन्होंने अहमदनगर स घूस लेकर उस कुछ प्रदश सौप दिये थ । औरंगजेब के राज्यपाल क प्रारम्भिक भाग म शहजादा शाह आलम तथा अनेक अधिकारियों के सम्बन्ध म यह विश्वास किया जाता है कि वे दखन मे अग्रगामी नीति के विरुद्ध थे । 1663 ई० म औरंगजेब न शाह आलम पर मराठा को कुचलन म लापरवाही लिखाने का आरोप लगाया और उस हटा कर जयसिंह का दखन का वायसराय नियुक्त किया । 1667 ई० म शहजादा शाह आलम तथा जसवन्त सिंह की सिफारिश पर शिवाजी को क्षमा कर दिया गया और उसके पुत्र शम्भाजी को 5000/5000 का मनसब प्रदान किया गया शिवाजी को इस बात की अनुमति भी प्रदान कर दी गयी कि जहा तक उसके साधन उसका साथ दें वहा तक वह बीजापुर राज्य का प्रदश विजित कर ल अथवा वह अपने को अपने राज्य की सीमा तक ही सीमित रख तथा दखन के सूबदार की राय के अनुसार कायवाही करे ।<sup>1</sup> जब 1668 ई० म शहजादा शाह आलम दखन का सूबदार था तो एक और दिनर खा तथा दूसरी और शाह आलम व जमवन्तसिंह के मध्य मतभेद थे क्याकि राजकुमार और राजा मराठा को दण्ड देने म डील थे ।<sup>2</sup> सन 1095 हिजरी (1682-83 ई०) म यह आरोप लगाया गया कि शाह आलम सयद अब्दुल्लाह खाँ मामीन खा नज्म मानी और सादिक खा की बीजापुर के शासक के साथ गुप्त संधि थी । औरंगजेब न राजकुमार को बुरी तरह फटकारा सयद अब्दुल्लाह को बन्दी बना लिया तथा अय का नौकरी से निकाल दिया ।<sup>3</sup> गोलकुण्डा के शासक अबुल हसन के प्रति नम्र व्यवहार अपनाने के लिए औरंगजेब को आग्र चल कर शाह आलम व बहादुर खा कोकलताश को पुन फटकारना पडा । शाह आलम न गातकुण्डा की सना के सनानायक इब्राहीम खाँ को सूचित किया कि अबुल हसन के प्रति नम्र दृष्टिकोण अपनाने के कारण सम्राट द्वारा उसकी कटु निंदा की गयी थी ।<sup>4</sup> 1685 ई० म कुतुब शाह स गुप्त संधि तथा शम्भाजी स मनीभाव रखने के आरोप म शाह आलम का बन्दी बना लिया गया ।

बहादुर खा (या खान ए जहा बहादुर जफर जग कोकलताश) जा किसी समय औरंगजेब का एक अमीर था पर बारम्बार सदेह किया गया कि दखन की शक्तिया स उसके मनीपूण सम्बन्ध थे । उस 1672 ई० म दखन का वायसराय

नियुक्त किया गया था। एक मुगल अमीर दिलर खा तथा बीजापुर के दरबार के अफगान अमीरा के सरदार अदुन करीम न उस पर शिवाजी के प्रति उसकी सहानुभूति होने का आरोप लगाया था।<sup>6</sup> 1681 ई० में जब सम्भाजी ने बुरहानपुर के आस पास के शहरा को लूटा तो सबन यह विश्वास किया गया कि बहादुर खा न सम्भाजी स घूम ली थी और दूसरी ओर बूच कर गया जबकि मराठा शासक अपने माल के साथ भाग गया।<sup>7</sup> औरगजेब स्वयं बहादुर खाँ पर गुप्त रूप में आदिलशाह की सेवा में होने का सदेह करता था।<sup>8</sup> बहादुर खाँ ने हैदराबाद के कुछ दुर्गों व जिलों को अधिभूत करने में लापरवाही दिखायी थी, परिणामस्वरूप औरगजेब की सजाबला व चाबदारों को शीघ्र काय पूरा करवाने के लिए भेजना पड़ा।<sup>9</sup> आग चन कर सबत्र यह विश्वास किया जाने लगा कि बहादुर खाँ पूणत दक्खन में औरगजेब की अग्रगामी नीति के विरुद्ध था और इसलिए उसने मराठा स गुप्त समझौता कर लिया हागा।<sup>10</sup> 1688 ई० में अकबराबाद के निकट जाटा न विद्रोह किया। दिखाने के लिए तो जाटा के विद्रोह को दवाने के लिए बहादुर खाँ का तबादला दक्खन स कर दिया गया किन्तु वास्तव में यह काय दक्खन में उसकी उपस्थिति स पिण्ड छुड़ाने के लिए किया गया था।<sup>11</sup>

यद्यपि दो बार जसवन्तसिंह को दक्खन में नियुक्त किया गया, किन्तु फिर भी यही विश्वास किया जाता रहा कि हृदय से वह विस्तारवादी नीति के विरुद्ध था। उस पर सदेह किया गया कि शायस्ता खाँ के शिविर पर 1663 ई० की रात्रि में जो आक्रमण शिवाजी ने किया था उसमें उसका हाथ था।<sup>12</sup> हम देख चुके हैं कि जसवन्तसिंह की दूसरी बार दक्खन में नियुक्ति के दौरान दिलर खाँ न उस पर यह आरोप लगाया था कि मराठा के विरुद्ध कायवाही में वह हमेशा ढील स काम लता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि महाबत खा की भी वसी ही रयाति थी। दक्खन में शाही कायवाहिया व सम्बन्ध में उसके नाम भी सिरोडन का उल्लेख खाफी खाँ ने एक आख्यायिका में किया है। सम्राट न एक बार जाफर खा व महाबत खा स कहा कि शिवाजी को कुचलना आवश्यक था। महाबत खा न प्रत्युत्तर दिया कि शिवाजी व विरुद्ध सना भेजने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि काजी का आदेश (पत्रवा) ही पर्याप्त होगा।<sup>13</sup> 1671 ई० में सम्राट को सूचित किया गया कि महाबत खाँ का शिवाजी स गुप्त समझौता था और इसीलिए वह मराठों के विरुद्ध प्रयत्नशील नहीं था। इसीलिए उसके स्थान पर बहादुर खाँ कोकलनाश को नियुक्त किया गया।<sup>14</sup>

दक्खन के किसी न किसी राज्य से अमीरा के विभिन्न वर्गों का सम्बन्ध या सहानुभूति थी। स्वभावतः कुछ राजपूत मनसबदारा को मराठों से सहानुभूति

थी।<sup>35</sup>

दाऊद शाह कुरेशी आदिन शाह के विरुद्ध जयसिंह के अभियान का सुलभ सुलभ विरोधी था और उसने यह कह कर कि यह अभियान कुरान के आदेश के विरुद्ध था, मुसलमान सनिका का निरस्तमाहित करन की चेष्टा की।<sup>36</sup> ऐसा प्रतीत हाता है कि दक्खन मे तनाम अफगान मनभवदारा के हृदय मे बीजापुर के लिए नम्र स्थान बन गया था, क्योंकि बीजापुर के दरवार मे उनकी जाति के अनेक व्यक्ति थे। 1677 ई० मे बहादुर शाह कोकलतांग ने बीजापुर पर आक्रमण करन के लिए जब सत्रिय तयारियाँ शुरू की उस समय शाही सेना के अफगान अधिकारिया न बीजापुर के अफगान अमीरो के नेता अब्दुल करीम को सलाह दी कि वह बहादुर शाह के सम्मुख संधि की शर्तें पेश करे क्योंकि यदि बहादुर शाह के अतगत सम्पूर्ण मुगल मना ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया तो बीजापुरिया के लिए इस आक्रमण का सामना करना कठिन हो जायगा। इस घटना तथा अत्र घटनाओ से औरंगजेब प्रभावित हुआ और दक्खन मे अफगाना के व्यवहार से असंतुष्ट हाकर उसन 1678 ई० मे असद खाँ को दक्खन का वायसराय नियुक्त कर दिया।<sup>37</sup>

गोलकुण्डा के सम्भ्रम ईरानी अमीरा पर स दह किया गया कि शिया मत मे उनके विश्वास के कारण ही उनरी सहानुभूति बुतुब शाह के प्रति थी। मुगल दरवार मे यत्र आरोप लगाया गया कि ईरानी अमीर गोलकुण्डा की घेरा बन्दी मे सख्ती नहीं कर रहे थे।<sup>38</sup> किन्तु गोलकुण्डा का विनाश करन से सम्बन्धित विरोध केवल ईरानियो तक ही सीमित नहीं था। औरंगजेब ने अपन मुख्य काजी गव उल इस्लाम, स गोलकुण्डा और बीजापुर के विरुद्ध युद्ध के सम्बन्ध मे राय मागी। काजी ने इस युद्ध को जिहाद की प्रवृत्ति देने से इनकार कर लिया, परिणामस्वरूप उम हज पर जाने के लिए कह दिया गया।<sup>39</sup> काजी अब्दुल्लाह जिम शख उल इस्लाम के स्थान पर नियुक्त किया गया था ने एक दिन कहा कि गोलकुण्डा से संधि कर लेना ही अति उत्तम हागा क्योंकि इससे मुसलमाना का अनावश्यक रक्तपात हांना टल जायगा। औरंगजेब बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उसन काजी अब्दुल्लाह का आदेश लिया कि वह दरवार मे न आया करे तथा अपन को अदालती कार्यों तक ही सीमित रखे।<sup>40</sup>

किन्तु दक्खन की आर साम्राज्य का विस्तार करन की इस अभिन्न मे सभी अमीरा ने भाग नहीं लिया था। दक्खन मे अग्रगामी नीति का एक प्रमुख समर्थक मिर्जा राजा जयसिंह था जिस गायस्ता खा की पराजय के उपरांत दक्खन मे स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया था। सबप्रथम जयसिंह ने गिवाजी को ही अपना सन्ध बनाया और उसे पुराधर मे संधि करन के लिए वाध्य किया। इसके पश्चात उसकी याचना मराठा को मातहता साभेदारी मे लकर उनकी

महायता स बीजापुर राज्य के ऊपर आक्रमण करने की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्खन में औरंगजेब उतनी सना नहीं रखना चाहता था जितनी जयसिंह माँग रहा था, न ही आदिलशाहियों में फूट के बीज बोने के लिए दक्खनिया की भर्ती एउ उनकी पदोन्नतिया के सम्बन्ध में जयसिंह की सिफारिशों का ही उगने अनुमोदन किया।<sup>11</sup>

निस्म-दह, अग्रगामी नीति में विश्वास न करने वाले अनेक व्यक्तियों को जयसिंह की योजना पर आपत्तियाँ थी। यह सत्य है कि जहांगीर के समय से मुगलों ने मराठों को मनसब दान प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु शिवाजी स जिसने व्यावहारिक रूप से अपनी राजनीतिक शक्ति का एक पृथक केन्द्र स्थापित कर लिया था, सहाय्य की माँग करना एक दूसरी बात थी। दक्खन में जयसिंह का पूर्वाधिकारी, शायस्ता खाँ मराठा के इतना विरुद्ध था कि उसने कभी भी उह न तो अश्वारोहिया और न ही पदल सैनिकों के रूप में भर्ती किया।<sup>12</sup> परीक्षा की घड़ी उस समय आयी जब शिवाजी एउ उपयुक्त मनसब प्राप्त करने के लिए आगरा में उपस्थित हुआ। अनेक अमीर जिनका नेतृत्व जयसिंह (जिनके अनुसार शिवाजी एक 'मामूली बूमिया' था) जाफर खाँ और गद-अ-दाज खाँ कर रहे थे, शिवाजी का किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार दिये जाते के विरुद्ध थे, जब कि जयसिंह की नीति में समयक अमीरों का संयुक्त मुतजा खाँ और आरिख खाँ थे।<sup>13</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि एसी स्थिति में सम्राट कोई नियम न ले सता, जिसका अेदजनक परिणाम यह हुआ कि शिवाजी को न चुचना ही जा सका और न ही सन्तुष्ट किया जा सका।

अन्त में, न तो जयसिंह और न ही उसके आलाचक्रा की नीति सफल हा सकी। प्रयोजनबद्ध या सम्भव परिस्थितियों के दबाव के कारण, औरंगजेब को तीनों दक्खनी सक्षिणों—मराठा, बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध एक साथ सघष करना पडा। बिना किसी सौचित्य के एरी अग्रगामी नीति थी। किन्तु इसके लिए अत्यापेय सैनिक उद्यम की आवश्यकता थी, जिसने मुगल साम्राज्य को मोखना कर दिया, और एक बार इस पाप के हाथ में न लिय जान के पदचाल न तो दक्खन और न ही मुगल साम्राज्य पड़न जस रह सक्त थे।

### दक्खन की समस्या तथा अमीर-वर्ग—1689-1707

1682 से लेकर 1707 में अपनी मृत्यु तक औरंगजेब 25 वर्षों से अघिण दक्खन में रहा। इस बात के प्रथम कारण में ऐसा प्रतीत होता है कि वह दक्खन के तीनों राजनीतिक केन्द्रों को ताडन में सफल हो गया था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुण्डा विजित कर लिये गय तथा 1689 में मराठा साम्राज्य सम्भाजी पवडा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। तथापि, शीघ्र ही

यह स्पष्ट हो गया कि गक्तिशाली वंश के अभाव में भी मराठे सघन का जारी रखेंगे। जब कर्नाट में राजागम का पीछा करने के लिए मुगल सनाथा न प्रवेश किया, तो मराठा सरदारों ने अपने असह्य पहाड़ी दुर्गों में सम्पूर्ण दखन पर टापा मारने का आयाजन किया। दखन में राजनीतिक विरोध को समाप्त करने का एक संकल्प पर श्रीरगजेय डग रहा और उस संवरण में कभी भी शिथिलता न आयी। उसने अपने गनिम-साधना के एक बड़े भाग को इस काय में लगा दिया और उसने मराठा के विरुद्ध जिस युद्ध की घोषणा की उस जिहाद की सना दी (1699)। उस आगा थी कि इस प्रकार की घोषणा तथा दखन में उसकी उपस्थिति दखनी युद्ध के विरुद्ध उसके अधिनारिया के किसी सुत्लम सुत्ला विराध पर रोक लगा देगी।<sup>14</sup> किन्तु एक और, दखन में अत्यधिक सनिम-साधनो को लगा देने एक दीषकालीन युद्ध की सम्भावनाएँ और दूसरी और, उसके परिणाम के अनिश्चित होने की सम्भावनाएँ न गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न कर दिया जिसके प्रति अमीर उदासीन हुए बिना न रह सक। निस्संशु दखन में अतप्रस्तता का प्रत्यक अमीर न पृथक-पृथक ढग स देसा। पुराने परिवारों का अमीरान्वाजाजानो की दृष्टि में दखनिया का मुगल अमीर वग में आगमन अभिगाप था तथा के अपनी प्रभावशाली स्थिति के पुनर्स्थापन के लिए छटपटा रह।<sup>15</sup> जो वास्तव में दखन में लड रहे थे उनकी दृष्टि में दुआहा मराठो के विरुद्ध कभी न समाप्त होने वाली लडाई विलकुल बेकार थी उनमें स अनक मराठा के साथ समभौता चाहत थे जिससे दोनो ही पक्ष दखन में शांतिपूवक रह सकें या इसका विकल्प में व यह चाहत थे कि सम्राट अपने मुख्य अधिनारिया को लेकर उत्तरी भारत वापस लौट जाय तथा अपने मातहता को दखन में अनियमित युद्ध चाल रखने के लिए छोड जाये। दलपतराव बु दला का एक अधिनारी इतिहासकार भीमसन उस विचारधारा का जा समभौत के पक्ष में थी एक अछा प्रतिनिधि था। युद्ध के कारण दखन में हुई बर्बान्ती जिस ढग स मराठा लूट पर जीवन निर्वाह कर रहे थे तथा जिस सीमा तक मुगल सनिम व्यवस्था गिर चुकी थी में वह अत्यधिक प्रभावित था।<sup>16</sup> श्रीरगजेय की युद्ध-नीति का एक कटु आलाचक था। सारा देग हाथो स निकल रहा था तथा जनता सत्रु के हाथो लुट रही थी किन्तु श्रीरगजेय केवल मराठा दुर्गों को विजित करने में ही लगा हुआ था।<sup>17</sup> यहाँ तक कि सम्राट को वज्जिर असद खाँ ने एक बार निर्भीकतापूवक यह साच कर कि जब तक सम्राट की निजी प्रतिष्ठा सन्निहित है तब तक मराठो स कोई भी समभौता सम्भव नहीं हो सकता सुभाव दिया कि सम्राट को अब दखन छोड देना चाहिए क्वाकि वे सभी उद्देश्य जिनको प्राप्त करने के लिए वह आया था प्राप्त हो चुके थे। किन्तु इसके एवज में उस सम्राट से केवल एक कटु भिन्नी ही मिली।<sup>18</sup>

कुछ अमीर स्वयं दखन छोड़ने व उत्तरी भारत नीटने के लिए चिन्तित थे। बहरमद खाँ ने सम्राट को एक लाख रुपया देने का प्रस्ताव रखा ताकि एक वर्ष के लिए उसे दिल्ली जाने की अनुमति मिल जाये।<sup>149</sup> लेकिन अधिकांश अमीरा ने शाही आदेशों का वेमन में पानन कर या मराठा से गुप्त समझौता कर अपनी रक्षा की। यह कहा गया है कि औरंगजेब ने घापणा की कि उसे स्वयं दखन में रचना पड़ेगा नहीं तो उसके अधिकारी उसके आदेशों का पानन नहीं करेंगे।<sup>150</sup> उसकी यह गिवायत कि अधिकांशों को आदेशानुसार काय करने के लिए चेतावनी देनी पड़ती थी अलबत्ता में परिदृष्टित है।<sup>151</sup> भीमराव के अनुमान मुगल अधिकांशों का कभी-कभी मराठा का विरोध करने की प्रथा उनमें अविगत सीने करना अधिक लाभदायक मालूम होता था।<sup>152</sup> मनुची का भी यही कथन है और वह ताऊ खा पन्नी, जिसका मराठा से गुप्त समझौता था, का उदाहरण प्रस्तुत करता है।<sup>153</sup> वस्तुतः, स्वामी अमीर अपनी स्वामिभक्ति में बहल ही अस्थिर थे। 1689 ई० में हैदराबादी अमीरा न जिहें हाज ही में मुगल गवा में लिया गया था विद्रोह करने शाही उद्देश्य को बड़ी धनि पहुँचायी।<sup>154</sup> 1691 में जब जुल्फिकार खा जिजो की विनाशनी कर रहा था उस समय अमीरों का उनमें गाय थे साथ ही लिया और राजाराम में मिल गया।<sup>155</sup> भीमराव ने 1700 ई० में निम्न कृष्ण कहा कि (स्वयं) देश के अनसुलझ बड़ी मस्या में साथ छोड़ कर मराठों के पास जा रहूँ।<sup>156</sup>

अमीर स्थिति में अरार में सदैव और पड़यत्ना में अमीरों में पारस्परिक द्वेष के लिए पूरी छूट था। औरंगजेब ने स्वयं मुहम्मद मुराद खाँ को बतलाया कि युद्ध में उसके द्वारा प्रदत्त आदम्य साहाय्य व सम्बन्ध में उस जानकारी है, किन्तु कुछ अमीर यह नहीं चाहते थे कि यह बात सम्राट के ध्यान में लायी जाय। तरबियात खाँ, मुहम्मद मुगद खाँ में द्वेष रखता था जबकि अनरु प्रमुख अमीर फतहउल्ला खाँ से द्वेष रखते थे।<sup>157</sup> औरंगजेब सम्भाजी का बंदी बनाने वाले मुकरब खाँ की पलायनति अथ अमीरों के द्वेष के कारण नहीं कर सका।<sup>158</sup> सयद खान अजहाँ बाराण के पुत्र लखर खाँ और जुल्फिकार खाँ नुमरत जग के बीच बट्टु ईर्ष्या थी।<sup>159</sup>

1686 ई० में जब औरंगजेब गोनरुडा की घेराव में तर रहा था कुछ अमीरा ने ईर्ष्या व कारण सिद्धांशुदीन खाँ के पुत्र सफिकार खाँ पर तथाप्रथित आरोप लगाया कि वह घराबानी को गुचरु रूप से तार्थित नहीं कर रहा था। इस पर औरंगजेब ने उस गदच्युत का दिया और उसकी सम्पत्ति जप्त कर ली। परन्तु जब यह निश्चित हो गया कि तथारथित आरोप झूठा था तो औरंगजेब ने सफिकार खाँ को उसके पूर्व पत्र में मनमत्त पर उस पुत्र प्रतिष्ठित कर लिया।<sup>160</sup> 1699 में जब अरार खाँ का ताराणा तरबियात खाँ की टुकड़ी में

कर लिया गया तो उमने सम्राट को अर्जों दी कि सम्राट द्वारा नियत किये गये किसी भी काय को वह करने के लिए तयार था, किन्तु वह तरबियात खाँ के साथ काय करने के लिए तयार नहीं था।<sup>4</sup>

दखन में मुद्रक व दौरान ईर्ष्या एवं द्वेष के इस प्रकार के उदाहरणों की कई गुना गिनती की जा सकती है<sup>5</sup> किन्तु उपयुक्त उदाहरण उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

ऐसे घातावरण में गुटा और दना का घनना तथा विभिन्न दिग्गमों में उनमें स्वीचानाती लोना अपरिहाय ही था। तूँकि मुगल उद्देश्य की पूर्ण सफ़लता के सम्बन्ध में सत्त घटना ही जा रहा था अतः अमीरों को अपने व्यक्तिगत हितों की ओर दखना स्वाभाविक ही था। 1700 ई० में मनुची न रिखा है जिस प्रकार मुगल साम्राज्य में घटनाएँ घटित होती हैं उससे अधिक आश्चर्यपूर्ण कोई अन्य घटना नहीं हो सकती। सम्राट राजकुमार सूबेदार और सेनानायक की अपनी अपनी योजनाओं में सफ़लता प्राप्त करने के लिए अपनी ही नीतियाँ हैं।<sup>6</sup>

सबसे बड़े अमीरों में दो गुट उत्पन्न हुए जो नयी गुटबन्दी के प्रतीक बने। उन्हें हम खुले तौर पर ईरानी व तूरानी की संज्ञा दे सकते हैं। जसा कि हम प्रथम अध्याय में देग चुके हैं इन दो जातियों के अमीरों के मध्य पुरानी वमनस्यता थी। औरगज़ेब के अन्तिम वर्षों में प्रमुख ईरानी अमीरों में अमद खाँ व उमका पुत्र जरिफ़वार खाँ और प्रमुख तूरानी अमीर गाजीउद्दीन खाँ फिराज जग और उसका पुत्र चिन विरिच गा थे।

लोना गुटा की प्रवृत्ति एवं प्रत्येक के प्रमुख व्यक्तियों का जीवन वक्त का सतततापूर्वक विश्लेषण डा० सतीशचन्द्र ने अपने ग्रन्थ पार्टीज़ एण्ड पालिटिक्स ऐट द मुगल कोर्ट, 1707-40 में किया है। जसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रथम गुट मुख्यतः पारिवारिक एवं व्यक्तिगत गुट था जो पारिवारिक निष्ठाओं तथा जुल्फ़वार खाँ से व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण बढ़ा हुआ था।<sup>6</sup> अतः खाँ और जुल्फ़वार खाँ के अतिरिक्त दाऊद खाँ पानी दलपतराव बुदला और रामसिंह हाडा भी इस गुट के महत्त्व सम्भूत जा सकते हैं। औरगज़ेब की मृत्यु के समय उनके समुक्त मनसबा की मर्यादा 25 000 जात और 23 5000 मवार थी—

अमद खाँ	7 000/7 000
जुल्फ़वार खाँ	6 000/6 000
दाऊद खाँ पानी	6 000/6 000
दलपतराव बुदला	3 000/3 000
रामसिंह हाडा	3 000/1 500
योग	<u>25 000/23 500</u>

गाजी उद्दीन खाँ फिरोज जग का गुट जातीय एव पारिवारिक गुट था", क्योंकि उसने सभी अनुगामी तुरानी थे।<sup>66</sup> उमने समुक्त मनमवा की मख्या 20 000 जात/15 600 सवार थी—

गाजीउद्दीन खाँ फिरोज जग	7,000/7 000
चिन किनिच खाँ	5,000/5,000
मुहम्मद अमीर खाँ	2 500/1,500
हामिद खा	4 000/1,500
रनीम उद्दीन खाँ	1,500/600
योग	<u>20 000/15,600</u>

श्रीरगजब के समय एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व, जो दोनों गुटा में सामान्य था, उनका दखन में अत्यधिक अन्तर्ग्रस्त हाना था। जुल्फिकार खाँ और गाजीउद्दीन खाँ दोनों ही ने दीघकाल तक दखन में सैनिक सवाएँ की थी और वे निश्चय ही श्रीरगजब के प्रमुख सनानायक थे। श्रीरगजब की मृत्यु के पश्चात् दखन में उनसे हिता के निहित हाने का स्पष्टीकरण शहजादा आज़म के साथ उत्तर जाने में जाकी अत्यधिक हिचकिचाहट से हा जाता है।<sup>67</sup>

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दखन ही में दोनों गुट विभिन्न नीतियों के समर्थक थे। अमर खाँ और जुल्फिकार खाँ का विश्वास था या धीरे धीरे उन्हें विश्वास हा गया था कि मराठों का अवन पक्ष में करना आवश्यक था और उनसे एक समझौते के द्वारा ही दखन में मुगल सत्ता को बचाया जा सकता था। 1698 में जुल्फिकार खाँ ने जिंजी का विजित किया किन्तु राजाराम भाग निराला या उस भागन लिया गया।<sup>68</sup> एक वर्ष पूर्व ही जुल्फिकार खाँ ने समझौते के लिए राजाराम का एक प्रस्ताव श्रीरगजेब के पास भेजा था किन्तु श्रीरगजेब उस स्वाकार करने के लिए तयार न हुआ।<sup>69</sup> 1705 में जब श्रीरगजेब बकिन केरा में घुरी तरफ मुसीबत में फसा हुआ था तो जुल्फिकार खाँ को उससे अधिवारियों के साथ युताया गया था। जुल्फिकार खाँ के आत ही स्थिति सुधर गयी और कुछ ही समय पश्चात् दुग विजित हा गया। किन्तु श्रीरगजेब को मन्तेह हुआ कि जुल्फिकार खाँ और राव दनपत की चाला के कारण ही मराठा सनाए बिना किसी क्षति के भाग गयी।<sup>70</sup> बाद में जब श्रीरगजेब ने मराठा में फूट के बीच बाना चाहा तो उसने गानू का जुल्फिकार खाँ को सोप लिया ताकि वह मराठा सरदारा में बातचीत कर सके।<sup>71</sup> गानू को 7 000/7 000 का मनमव तथा राजा की उपाधि भी ली गयी।<sup>72</sup> जुल्फिकार खाँ ने मराठा सरदारा को मन्त्रीपूर्ण पत्र लिखे और उस गानू के साथ मिल जाने के लिए कहा किन्तु



उनकी ओर से कोई स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई।<sup>173</sup> मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए जुल्फिकार खां द्वारा की गयी चेष्टा का उल्लेख एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दृष्टा फ्रैक्वांस मार्टिन ने की है। उसके अनुसार जुल्फिकार खां इस समझौते के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था।<sup>174</sup>

जुल्फिकार खां के घनिष्ठ मित्र दाऊद खां पन्नी का मराठों के साथ गुप्त समझौता था और जब 1705 में यह कर्नाटक का गवर्नर था तो उसने उन्हें बुचलने की तनिक भी चेष्टा नहीं की।<sup>175</sup>

जुल्फिकार खां ने दाऊद मराठों से समझौता कराने के लिए वार्तालाप करने की चेष्टा की किन्तु उसके विपरीत गाजीउद्दीन खां फिरोज जंग ने उनके प्रति अटल एव दृढप्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। इसके बावजूद वह ऐसी योजनाएँ बनाने के लिए प्रसिद्ध था जो पूर्णतः स्वामिभक्ति की भावना के अनुकूल नहीं। ईसरदास ने एक घटना का उल्लेख किया है जिससे पता होता है कि गाजीउद्दीन खां श्रीरगजेव के पश्चात् स्वतंत्र होने की बात सोच रहा था और उसने अपनी सैनिक सफलताओं के आधार पर अपने लिए दक्खन में एक राज्य की स्थापना करने के बारे में सोचा होगा। यह कहा जाता है कि श्रीरगजेव ने उस पर सदेह करना प्रारम्भ कर दिया था और ईसरदास ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि श्रीरगजेव द्वारा भेजे गये एक चिकित्सक ने ही गाजीउद्दीन को अर्धा बना दिया था।<sup>176</sup>

अमीर वग में दोगा गुटों द्वारा प्रदर्शित द्वेष ईर्ष्या और गुटबन्दी ने एक गम्भीर राजनीतिक संकट की ओर मन्वत किया है जिसका सामना मुगल साम्राज्य को भविष्य में करना था। श्रीरगजेव की नीति सफल हो सकती थी—यद्यपि दसम भी संभव है—यदि उसके अधिकांश अधिकारी अपने वार्यों में निष्ठा अथवा उद्देश्य एवं संकल्प ला सकतें। किन्तु उनकी गुटबन्दी ने श्रीरगजेव को इस समयन से वंचित कर दिया। इसी गुटबन्दी में हम उच्च अमीरों में मन्वत एवं ग्राही नीतियों के प्रति अत्यधिक मात्रा में विश्वास के कारण अभाव की भूलक मिलती है। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि गाजीउद्दीन खां के नतृत्व वाला गुट ने जो श्रीरगजेव की दख्खन की नीति का दिखावटी समयन कर रहा था अतः उस नीति के असफल होने की कल्पना भी की और इस प्रकार से उसके पुत्र के शासनकाल में दख्खन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुई।

### संदर्भ

1. यह आकड़ अध्येय के अन्त में दिये गये परिशिष्ट पर आधारित हैं। देखिये—लेखक का शोध निबंध 'द रिजिस्ट्रेशन इन इन द वार ऑफ मकौषान 1658-69' जिसे लेखक ने इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस अन्वीकड सेशन 1960 में पत्रा मंडितन इंडिया क्वार्टर्ली धर्न

V प० 80-87 ।

- 2 देखिये—घोरगढ़ के शाहजहाँ के नाम पत्र—आदाब-ए आलमगोरी प० 289 प 293 व ख़ात ए आलमगोरी प 211 12 216-18 223 26 काजी बहाब के विचार के लिए भोरात-ए अहमदी I प० 248 देखिये ।
- 3 1665 म हिन्दू व्यापारियों द्वारा ले जाने वाले माल पर चगी की दर बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी जबकि मुसलमानों के लिए चुगी की दर डार्ड प्रतिशत ही लागू की गयी । 1667 में मुसलमानों के लिए चगी पूर्ण रूप से हटा ली गयी किन्तु 1682 ई० में पुन लागू कर दी गयी । अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ले जाने वाले माल पर चुगी की दर 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी गयी (बोल्ड० पाहुनिपि फ़र 288 प 18 अ 19 व) । 1669 म मीर तोटने के लिए आदेश जारी किया गया (आदासीर-ए-आलमगोरी प० 81) । इस आदेश का सबल पालन किया गया इसका पता अनेक प्रपत्रों से ज्ञात होता है (बाबया-ए अजमेर बाबया-ए रणथम्भौर अष्टवारसत आदि सहित) । सायन्ही-साय स्पष्टत कुछ अपवाद भी हुए और औरगढ़ म हिन्दू व जन मंदिरा तथा धर्म-तत्वज्ञों को जो अनुदान लिये वे उपलब्ध हैं—बम्बई के शानचन्द्र द्वारा लिखित शोध निबंध पाकिस्तान हिस्टारिकल सोसाइटी अक्टूबर 1957 प० 247 54 जुलाई 1958 प० 208-13 अक्टूबर 1958 प० 269 72 जनवरी 1958 प० 55 56 जनवरी 1959 प० 36-39 और अगस्त 1959 प० 99-100 हिन्दुओं विणपकर ब्राह्मणों को दिये गये अनुदानों के लिए के० के० दत्ता द्वारा तयार की गयी सूची देखिये—सम प्रमान्त सन्दर्भ एण्ड परवाना (1578-1802) पटना 1962 भाग II सख्या 36 45 51 58 64 113 117 130 154 219 220 221 262 263 278 279 280 300 308 325 326 330 364 374 आदि । 1699 ई० में हरदोई जिले म गोपामऊ में गोपीनाथ ने गोपीनाथ का मन्दिर व एक सुंदर तालाब बनवाया यह बात भी ध्यान रखने योग्य है । (ए पयहरर भारकियोलोजिकन सर्वे आफ इंडिया प० 279) । 1679 में सर मसलमानो पर अजिया लगाया गया ।
- 4 पार० ए० एम० पशियन कैंटलाग 173 प० 8 अ 11 अ । यह पत्र 1676 ई० में बखीर के पत्र पर समद खी की नियुक्ति के पश्चात लिखा गया क्योंकि इस पत्र में उच्च पत्र पर उसकी पदानति के सदन म आलाचना है ।
- 5 मनुची III प 288 ।
- 6 विस्तृत विवाद के लिए देखिये—लेखक का शोध-पत्र द काबज आफ द राठौर रिबनियन ऑफ 1679-80 प्रोमीडिमस आफ द इंडियन हिस्ट्री कापस निल्ली संज्ञान 1961 प० 135-41 ।
- 7 बाबया-ए अजमेर प० 80-83 ।
- 8 वही प० 114 ।
- 9 सूबगर के मनाने के बावजूद भी उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि उन्हें यह मालूम है कि वे शाही सेना का सामना नहीं कर सकेंगे उन्होंने यह तय किया है कि वे खरीदे जान की अपेक्षा मरना ही पसंद करेंगे (बाबया ए अजमेर प० 116) ।
- 10 बाबया-ए अजमेर प० 167 244-46 ।
- 11 वही प० 244 ।
- 12 वही प 245-46 ।

- 13 वही पृ० 241 270 277 78 ।
- 14 फतुहात-ए-आलमगीरी प० 75 अ-व माघासीर-ए-आलमगीरी पृ० 168 जब एक सेना का ब्रह्मान देवर बहादुर खाँ बोकनताश को भेवाइ भेजा गया उसने राणा के राज्य पर नियन्त्रण बनाये रखने की शोशिश न की (मामूरी प० 51 अ) ।
- 15 खाफी खाँ II प० 276-77 दिलकुशा प० 78 अ ।
- 16 बनिपर पृ 196-97 ।
- 17 फपर II पृ० 51 मनुचा III पृ० 271 भी देखिये ।
- 18 दिलकुशा प 123 अ ।
- 19 वही इपनिश फक्ट्रीज 1665 1667 पृ० 152 ।
- 20 आलाब-ए-आलमगीरी प 25 अ 27 अ-व ।
- 21 दिलकुशा प 35 अ 35 अ ।
- 22 वही प० 34 अ 35 अ शाह आनम बाजापुर के विरुद्ध दक्खन में लिये खाँ की अग्र घामी नीति के विरुद्ध था (फतुहात ए-आलमगीरी प० 59 अ) ।
- 23 मामूरी प 168 अ 169 अ खाफी खाँ II प० 3 0-21 फतुहात-ए-आलमगीरी प० 100 अ माघासीर-ए-आलमगीरी पृ० 293-94 ।
- 24 मामूरी प० 165 अ-व खाफी खाँ II पृ० 300-301 ।
- 25 वही प० 171 अ-व वही पृ० 330-34 दिलकुशा 93 अ 94 अ फतुहात-ए-आलमगीरी प० 113 अ 115 अ माघासीर ए-आलमगीरी पृ० 294-95 मनुची II पृ० 302 304 ।
- 26 दिलकुशा प० 69 अ । शिवाजी ने बहादुर खाँ बोकनताश व सामने प्रस्ताव रखा कि मराठों व मगरो में संधि हो जानी चाहिए । बहादुर खाँ ने गयाराम गजराती नामक अपने सेवक को उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में शिवाजी व पास भजा । किन्तु शिवाजी ने गयाराम से धम्य करते हुए पूछा कि मुगलों ने उक्त पर किस प्रकार का दवाव डाला था जिससे वह उनसे संधि कर ल (दिलकुशा प० 63 अ व) द इंगलिश फक्ट्रीज 1670-77 खण्ड I (न्यू सिरीज) पृ० 124 ।
- 27 मामूरी प० 153 अ खाफी खाँ II पृ० 274-75 ।
- 28 इस्फात-ए-आलमगीरी प० 127 ।
- 29 मामूरी प 163 अ ।
- 30 वही प 167 अ 168 अ दिलकुशा प 118 अ 119 अ खाफी खाँ II पृ 313-314 बहादुर खाँ ने औरंगजेब के सम्मुख मराठों की परधी की थी (दिलकुशा प० 99 अ 100 अ) ।
- 31 मामूरी प 173 अ खाफी खाँ II प० 316 ।
- 32 दिलकुशा प 24 अ व मामूरी प० 131 अ खाफी खाँ II पृ० 175 । दक्खन में जसवन्तसिंह के व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट था और इसीलिए उसने उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर जयसिंह को नियुक्त कर दिया । जसवन्तसिंह के लिए यह बात प्रसिद्ध थी कि उसने बाजापुर से 9000 पयादा लिये थे और उस राज्य के साथ गुप्त समझौता कर लिया था (मीरात अ-आलम प 190 अ 191 अ) ।
- 33 खाफी खाँ II प 216-17 ।
- 34 दिलकुशा प 51 अ ।

- 35 खाफ़ा खाँ II प० 229 ।
- 36 हसन अज़मन प० 190 अ (सरकार द्वारा उद्घाटन, IV प० 149) ।
- 37 तिलकुशा, प० 67 अ-69 अ । तिकर खाँ बीजापुर से सन्धि करना चाहता था क्योंकि बीजापुर में अफगानों का हाथ म सत्ता थी (दिलकुशा, प० 68 अ) ।
- 38 मामूरी प० 175 अ वनियर प० 211 गोलकुण्ड की घेराव-दी के सम्बन्ध में लिये गये व्यापक विवरण द्वारा नियामत मिली हम इस अम में नहीं रखना कि उसकी सहानुभूति निश्चये साथ थी ।
- 39 मामूरी प० 162 अ ।
- 40 वहाँ प० 173 अ अतल हसन ने सन्धि की जो शर्तें प्रस्तुत की थी उन्हें अमीरअब ने अस्वीकार कर लिया (मामूरी प० 174 आसामीर ए आलमगरी प० 287 88) ।
- 41 जयसिंह की योजना के भ्रष्ट विवरण के लिए देखिये—सरकार IV प० 120-21 का प्रधानत हसन अज़मन पर आधारित है । आलमगीरनामा प० 913 तिलकुशा प० 28 अ खाफ़ा खाँ, II प 184 भी देखिये । दक्खिनियों की शर्तों के लिए अमीरअब के मना करने के बारे में तिलकुशा प० 31 अ देखिये । 29 दिवदा 8वाँ राजकीय वर्ष को अमीरअब ने जयसिंह से कहा कि दक्खिनियों की बात अमीर उनके काम पर विश्वास नहीं किया जा सकता (जयपुर दक्खिने-दस सख्या 98 प० 184 निगारनामा ए-मुघो पृ 121) ।
- 42 मामूरी प० 130 अ ।
- 43 सरकार हाउस ऑफ़ सिक्की प० 158-60 ।
- 44 मामूरी प० 196 अ खाफ़ा खाँ II प० 478 80 ।
- 45 अध्याय I देखिये ।
- 46 तिलकुशा प० 138 अ 140 अ । दक्खन में शाही सत्ता की दयनीय दशा के लिए देखिये —खाफ़ा-ए-नियामत खाँ अमीर प० 15 117 ।
- 47 वही प० 140 अ ।
- 48 इनामतुल्लाह खाँ अहमद-ए आलमगरी प० 25 अ 26 अ ।
- 49 आसामीर अल-उमरा I प० 457 ।
- 50 मनुषी IV प 115 ।
- 51 अकबरान्त, 28 शब्दान 43वाँ राजकीय वर्ष । दक्खन में मुगल अमीरों की लापरवाही किन्तुकारी शानत व बुद्धिहीन के लिए बाक्या ए नियामत खाँ अमीर प 142 देखिये ।
- 52 तिलकुशा प० 140 अ-अ ।
- 53 मनुषी IV प० 98 228 29 ।
- 54 सरकार V प० 68 ।
- 55 दिलकुशा, प० 99 अ ।
- 56 वही प० 140 अ रहीम दान खाँ जमे पनायतकर्ता के सम्बन्ध में रोषक अध्यायन प्रो० एम० आर० फडके ने किया है प्रोमीदियस आर ए इन्डियन हिस्ट्री बायन अलीगढ़ वेगन 1960 प० 259-60 ।
- 57 मामूरी, प० 145 अ-अ । मुहम्मद मरान अमीर अमीरान खाँ से बमनस्यता थी (अपरोक्त, प० 197 अ 198 अ) ।
58. खाफ़ा खाँ II प० 488 89 ।

- 59 वही पृ० 391-92 मामूरी प० 181 अ ।  
 60 माघासीर-ए घालमगीरी पृ 356 ।  
 61 खाफ़ी खाँ II प० 359 मामूरी प० 175 ब ।  
 62 अघवाररात 14 शब्वाल 43वाँ राजकीय पप ।  
 63 सफ़्फ़िकन खाँ व फ़िरोज़ जग म वमनस्यता (माघासीर-ए-घालमगीरी पृ० 290) घली मर्दान खाँ घोर जुल्फ़िकार खाँ म ईर्ष्या (मनूची III पृ० 273) 1705 में मराठों को कुचलने के लिए, खुदावन्त खाँ ने जुल्फ़िकार खाँ को सहयोग देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसे जुल्फ़िकार खाँ से ईर्ष्या थी (दिनकुशा पृ 137 अ) । एक घोर खानाबदलों में घोर दूसरी घोर दस्यनी भमीरी जो मुगल सेवा में नये भर्तों हुए थे के मध्य ईर्ष्या के लिए देखिये—मामूरी प० 181 अ खाफ़ी खाँ II प० 391-92 ।  
 64 मनूची II पृ० 270 ।  
 65 पार्टीज़ एण् पात्रिटिवम प० 6 ।  
 66 वही पृ 9 ।  
 67 त्लिकुशा प० 162 अ 172 व आठम अल-हव प० 188-92 खाफ़ी खाँ II प० 572 ।  
 68 इससे घोरगजव नाराज हुआ (माघासीर-ए घालमगीरी प० 391-92) ।  
 69 त्लिकुशा प० 122 अ-ब ।  
 70 वही प० 153 अ ।  
 71 वही पृ 154-55 व माघासीर-ए घालमगीरी पृ० 511 मनूची III पृ 498-99 ।  
 72 रजायम अ-करायम प० 23 व दिनकुशा पृ 98 अ ।  
 73 दिनकुशा प० 154 व 155 ब ।  
 74 सरकार द्वारा उद्धरित हिस्ट्री आफ़ घोरगजव V प० 101 ।  
 75 मनूची IV पृ 98 228-29 भीरात ए अहमदी I पृ० 403 ।  
 76 फ़तूहात-ए घालमगीरी प० 145 अ-ब ।

## परिशिष्ट

उत्तराधिकार के युद्ध में वारा शिकोह के समयक

1658-59

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति बग	स्रोत
		5 000 व उससे अधिक के मनसबदार		
1	महाराजा जसवंतसिंह	6 000/6 000 (5 000 × 2 3 भस्पा)	राजपूत	तुहफा ए शाहजहानी, 29 व, दिलकुशा, 14 अ, मालमगीरनामा, 32, 41, 49, 56, 59, औरंग नामा, 13, असल ए सालेह, III, 284, 449, हातिम खाँ, 10 अ, मा० उ०, III, 599 604 I
2	रस्तम खाँ फिराज जग इक्बानी	6 000/6 000 (5 000 × 2 3 भस्पा)	कानेशियन (तूरानी)	मा० उ०, II, 270 76, असल ए सालेह, III, 298 449, मामूरी 98 व, ईसरदास 26 अ, औरंग नामा, 20, 25, मालमगीरनामा, 96 99 दिलकुशा 16 अ, तुहफा-ए शाहजहानी, 29 व, माकिल खाँ, 62 I

क्रम सं.	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
3	शाहनवाज खाँ सफवी	6000/6000 (5000 × 23 अस्था)	ईरानी	हातिम खाँ 69 अ 72 अ, मा० उ०, II, 670 76, मासूरी, 107 अ, 108 अ, ईसरदास, 43 अ, आलमगीरनामा, 296 313 322 अमल ए-सालेह III 331 आकिल खाँ 110 111, 118 1
4	कासिम खाँ	5000/5000 (23 अस्था)	ईरानी	ईसरदास 20 ब, 23 अ, हातिम खाँ 10 अ 17 अ 18 अ ब, 21 अ 29 अ, श्रीरगनामा 7, तुट्टा ए गहजहानी 29 व आलमगीरनामा, 33 41 65 72 96 मासूरी 97 अ-ब, अमल ए सानेह III 285 87 450 मा० उ० III 95 97, आकिल खाँ 39 42 1
5	खलील उल्लाह खाँ (बिवाद्यस्त व्यक्ति)	5000/5000	ईरानी	श्रीरगनामा 20 अमल ए सालेह, III 451 आलमगीरनामा 85 99 हातिम खाँ, 26 अ 29 अ मा० उ० I 775 82 आकिल खाँ 59 1
6	राजा रायसिंह मिसौदिया	5000/2500	राजपूत	आलमगीरनामा 65 हातिम खाँ 21 अ अमल ए सालेह, III 451 मा० उ०, II 297 301 आकिल खाँ 39 1
7	मालोजी	5000/5000	मराठा	आलमगीरनामा 66 71 96, मासूरी 97 ब हातिम खाँ, 21 अ 29 ब, अमल ए सालेह, III 451, आकिल खाँ, 39 1

3 000 से 4 500 तक के मतसबवार

8	राव दामसाल हाडा	4 000/4 000	राजपूत	दिलबुशा 16 अ, तुहफा ए शाहजहानी 29 ब, श्रीरगनामा, 20, अमल ए-सालेह, III, 452 आलमगीरनामा, 95, मा० उ०, II 260 63, ईसरदास 26 अ, आकिल खाँ 60 ।
9	इब्राहीम खाँ	4 000/3 000	ईरानी	आलमगीरनामा 95, मनुची, I 271, हातिम खा 29 अ, मा० उ०, I, 295 301 ।
10	दाउद खाँ कुरानी	4 000/3,000	अथ मुसलमान	दिलबुशा, 19 अ आलमगीरनामा, 85 95, 143, 182 188 230, मामूरी 102 अ, ईसरदास, 23 अ, मा० उ०, II, 32 37, आकिल खा, 60 ।
11	बाची बग बहादुर खाँ	4 000/3 000	अथ मुसलमान	अमल ए सालेह, III 277 ईसरदास, 9 ब, मामूरी, 102 ब, मा० उ० I 444 47, आलम गीरनामा, 125 170 ।
12	राजा रफिसह राठोड	4 000/3 000	राजपूत	अमल ए सालेह III 300, 453 हातिम खा 29 अ, आलमगीरनामा, 95, 102, मा० उ० II 268 70, आकिल खाँ, 60 ।
13	ख्वाजा अ-दुल यका, इफितखार खाँ	3 000/3 000 (23 अस्था)	तूरानी	अमल ए सालेह III 453, आलमगीरनामा, 65, श्रीरगनामा, 8, 13 मा० उ०, I, 200 203, हातिम खा, 10 अ, 17 अ 21 अ ।



## स्रोत

## जाति-व्य

## मनसब

## नाम व उपाधि

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति-व्य	स्रोत
14	सयद इब्राहीम मुतजा खाँ	3 000/3 000	अथ मुसलमान	ईसरदास, 36 घ, प्रमल ए-सालिह III 454-1
15	परसो जी	3 000/2 000	मराठा	प्रालमगीरनामा 66 71 140 प्रमल ए-सालिह III 455, हातिम खाँ 21 घ 29 व 1
16	मुगल खाँ	3 000/2 000	ईरानी *	ईसरदास 36 घ प्रमल ए-सालिह III 455 मा० उ० III 490 92 1
17	मुकुन्दसिंह हाना	3 000/2 000	राजपूत	प्रमल ए सालिह, III 287 455 तिलकुटा 14 व ईसरदास, 20 व श्रीरगनामा 8 हातिम खाँ, 21 घ प्रालमगीरनामा 65 70 प्राकिल खाँ 41 1
18	ताहिर शय ताहिर खाँ	3 000/1 500	तूरानी	प्रमल ए सालिह III, 455 श्रीरगनामा 20 प्रालमगीरनामा 95 मा० उ० II 751 54 हातिम खाँ 29 घ, प्राकिल खाँ, 60 1
19	सयद कासिम बारहा <sup>1</sup>	3 000/1 000	अथ मुसलमान	प्रालमगीरनामा 126, 171 225 मापूरी 100 व मा० उ० II 681 83 प्राकिल खाँ 101 हातिम खाँ 54 व 66 व 1
20	रामसिंह राठौड	3 000/1,500	राजपूत	मापूरी, 99 घ श्रीरगनामा 20, प्रालमगीरनामा 85, 95 हातिम खाँ, 26 घ 29 घ, प्रमल ए सालिह, III, 455 1

1 सामूहिक में द्वारा शिकोह की परतजब के उपरान्त सैयद कासिम बारहा ने द्वारा शिकोह के फादेशो के फलगत इलाहाबाद का दुर्ग शाह मुजा को सौंप दिया और उसकी घोर से बख्खाई के मुठ में भाग लिया ।

21	जाकर लॉ महलान	3 000/1 500	ईरानी	भालमगीरनामा, 96, हातिम लॉ, 29 व, प्रमल-ए-सालेह, III, 455 1
22	कुंदर रामसिंह	3 000/2 000	राजपूत	हातिम लॉ, 29 व, भालमगीरनामा, 96, प्रमल ए-सालेह, III, 455, प्राकृत लॉ, 60 1
23	वरमदेव तिमोदिया	3 000/1,000	राजपूत	भालमगीरनामा, 95, प्रमल ए-सालेह, III, 456 1
24	अब्दुल्साह देम गज प्रली लॉ	3 000/1,000	ईरानी	मा० उ०, III, 155, भालमगीरनामा, 427 1
1 000 से 2 500 तक के मतसबदार				
25	सयद नेर लॉ बारहा	2 500/1 200	प्रथम मुसलमान	भालमगीरनामा, 65, 95, हातिम लॉ, 21 व, 29 व, मा० उ०, II, 667 68 1
26	गिरधरदास गोड	2 000/2,000	राजपूत	भालमगीरनामा, 95, हातिम लॉ, 29 व, प्रमल ए सालेह, III, 458 1
27	मुहम्मद सालेह तरखान	2,000/2 000	तूरानी	ईसरदास, 26 व, प्रमल ए सालेह III, 458 1
28	राजा सुजानसिंह बुंदेला	2 000/2 000 (500 × 2 3 प्रस्था)	राजपूत	मामूरी, 97 व, भालमगीरनामा, 65, 70, पौरव नामा, 8, हातिम लॉ, 21 व, प्रमल ए सालेह, III, 457 1
29	इरादात लॉ	2 000/2 000	ईरानी	ईसरदास, 36 व, प्रमल-ए-सालेह III, 458, मा० उ०, I, 203-206 1
30	सयद सलाबत लॉ बारहा	2 000/1 500	प्रथम मुसलमान	हातिम लॉ, 47 व, भालमगीरनामा, 170 198, प्रमल ए-सालेह, III, 459 1

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	लोक
31	कबाद खाँ	2,500/1,500	तूरानी	श्रीरगनामा, 20, हातिम खाँ, 26 अ 29 अ, आलमगीरनामा 85, 95, अमल ए-सालह, III 456, आकिल खाँ 60 ।
32	अब्दुल्लाह खाँ सईद खाँ	2,000/1,500	तूरानी	ईसरदास 36 अ, अमल ए सालह, III, 458, मा० उ० II, 807 ।
33	शिवराम गौड	2,000/1,500	राजपूत	आलमगीरनामा 57 95 102 अमल ए सालह, III, 300 458 मामूरी 99 अ हातिम खा, 29 अ ।
34	रतन राठौर	2,000/2,000	राजपूत	मामूरी, 97 अ, आलमगीरनामा 65, 70 हातिम खाँ 21 अ, अमल ए-सालेह, III, 458 ।
35	अजुन गौड	2,000/1,500	राजपूत	मामूरी, 99 व आलमगीरनामा, 65 70 अमल ए-सालह III 287 300 458 श्रीरगनामा 14, हातिम खाँ 21 अ ।
36	अमरसिंह चद्रावत	2,000/1,000	राजपूत	आलमगीरनामा 65, 71, हातिम खा 21 अ, अमल ए-सालेह III 460 ।
37	फज्ज उल्लाह खा	2,000/1,000	ईरानी	आलमगीरनामा, 96, अमल ए-सालेह, III, 459, मा० उ०, III, 28 30 ।
38	मुहम्मिस खाँ	2,000/800	तूरानी	हातिम खाँ, 21 अ आलमगीरनामा 65, अमल ए-सालेह, III 460 ।

39	खुसहाल बेग बागगरी	2 000/800	सूरानी	आलमगीरनामा, 65, 96, हातिम खाँ, 21 अ, अमल ए सालेह, III, 460 1
40	मुजार्नासिद्द सिमोदिया	2 000/800	राजपूत	माफूरी 97 व, अमल ए सालेह, III, 460 1
41	म दुल्ला बेग अस्कर खाँ नामसानी	1 000 से ऊपर	ईरानी	माफूरी 108 व, आलमगीरनामा, 95, 313, 465 हातिम खाँ 26 अ 29 अ, 68 व, मा० उ० II, 809 1
42	खजर खाँ	1,500/1 500	सूरानी	अमल ए सालेह III 321, 461 आलमगीरनामा, 179 198 99 1
43	फिरोज खाँ मवाती	1 500/1 000	अथ मुसलमान	माफूरी, 108 अ, हातिम खाँ, 29 व 68 व, आलम गीरनामा, 96, 205, 313, 440 1
44	हुसन बेग खाँ खिग	1,500/1 000	ईरानी	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 95, मा० उ० I 591 93 1
45	मुहम्मद बेग	1,000/600	सूरानी	आलमगीरनामा, 65, अमल ए-सालेह III 466 1
46	मीर मीरान	1,500/500	ईरानी	अमल ए सालेह, III, 463, आलमगीरनामा, 95, हातिम खाँ, 29 अ 1
47	मीर रस्तम खवाफी	1,500/500	ईरानी	आलमगीरनामा 232, 274 399 1
48	रहमत खाँ	1,500/400	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 297, अमल ए सालेह, III 463 1
49	सयद मसूद बारहा	1 500/300	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 207, 268 1
50	सयद फिरोज रस्तम खाँ	1 500/200	अथ मुसलमान	ईसरदान 9 व, आलमगीरनामा, 161 213 1
51	सयद सालार बारहा	1 000/1 000	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ, 21 अ, आलमगीरनामा, 65, अमल ए सालेह, III, 464 1

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
52	गजनफर खाँ	1,000/900	ईरानी	आलमगीरनामा 95, हातिम खाँ, 29 अ, मा० उ०, II 866 67 अमल ए सालेह, III 465 I
53	इमाम कुली	1 000/800	ईरानी	अमल ए सालेह, III 4(5, आलमगीरनामा 85 I
54	मुहम्मद सालह बजीर खाँ	1,000/800	ईरानी	आलमगीरनामा, 104 हातिम खाँ 31 व, अमल ए सालेह III 465 I
55	महासिंह भदौरिया	1 000/800	राजपूत	हातिम खाँ 29 व, आलमगीरनामा 96 240 अमल ए-सालेह III 465 I
56	राय मुअज्जम	1,000/800	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 96 106 अमल ए सालेह, III, 465 I
57	अमफदियार वग	1,000/1 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 106, अमल ए सालेह III 464 I
58	कीरतसिंह	1 000/900	राजपूत	हातिम खाँ 29 व आलमगीरनामा 96 अमल ए-सालेह III, 465 I
59	मगोल खाँ ह्वाफी	1 000/700	ईरानी	अमल ए सालेह III 465, आलमगीरनामा, 314 I
60	मुल्तान हुसन	1 000/500	ईरानी	हातिम खाँ 21 अ, 29 अ आलमगीरनामा, 65, 95 मा० उ०, I 252 I
61	राखिर खाँ नज्मसानी	2 500/1 000	ईरानी	हातिम खाँ, 29 व मा० उ०, III 26 28, आलमगीरनामा 96, आकिल खाँ, 60, अमल ए-सालेह, III 457 I
62	यान्गार बेग	1 000/500	तूरानी	आलमगीरनामा, 65 अमल ए-सालेह III 467 I

63	मुहम्मद मुक़ीम मुग़ल खाँ, पुत्र शाहबेग खाँ	1 000/700	तूरानी	हातिम खाँ 21 अ, अमल ए सालेह, III 465, आलमगीरनामा 65।
64	महेगदास	1 000/500	राजपूत	आलमगीरनामा, 65, ईसरख़ास, 20 व, हातिम खाँ, 21 अ, अमल ए सालेह, III, 467।
65	गोधनगस राठौर	1 000/500	राजपूत	हातिम खाँ, 21 अ, आलमगीरनामा, 65 अमल- ए-सालेह III, 467।
66	किथनासिंह तेंबर	1 000/500	राजपूत	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 95, अमल ए सालेह, III, 467।
67	स्वाजा रहमतउल्लाह सरखुलद खाँ	1 000/500	तूरानी	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 96 113, मा० उ०, II, 477, अमल ए सालेह, III 467।
68	सयद बहुदुर वह्तरी	1,000/500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 96, हातिम खाँ, 29 व, अमल ए सालेह, III 467।
69	सयद अहमद	1 000/500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 176, अमल ए सालेह, III, 467।
70	अ-दुल नबी खाँ	1 000/500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ 29 व, अमल ए सालेह III, 467।
71	सयद नजाबत वारहा	1 000/500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ, 29 व, अमल- ए सालेह, III 467।
72	सयद गरत खाँ वारहा या इब्जत खाँ	1 000/500	अन्य मुसलमान	माफूरी, 103 व, अमल ए-सालेह, III, 467, आलम गीरनामामा, 178, 180।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति बग	स्रोत
73	भीम पुत्र बिठुलदास गौड	1 000/400	राजपूत	आलमगीरनामा, 65 95 मामूरी 99 ब, घमल ए साचेह III 468 ।
74	पृथ्वीराज थानी	1 000/400	राजपूत	आलमगीरनामा, 95 237 हातिम खाँ, 29 घ ।
75	सयद मुन वर बारहा	1 000/400	अथ मुसलमान	हातिम खा, 29 ब आलमगीरनामा, 96 घमल ए साचेह III 468 ।
76	सयद मकबूल आलम बारहा	1 000/400	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ 29 ब, घमल ए साचेह III 468 ।
77	सयद इवाहीम दारा मुकाही (वाद म मुस्ताफा खा)	1 000/400	अथ मुसलमान	मामूरी 108 घ, हातिम खाँ 68 ब, आलमगीरनामा 313 347 ।
78	अवास अफगान	1 000/400	अफगान	आलमगीरनामा 213 215 ।
79	सयद नुरल अयिन बारहा	1 000/300	अथ मुसलमान	घमल ए सालेह III, 469 आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ, 29 ब ।
80	खवाजा मुहम्मद सादिक बरानी	1 000/300	तूरानी	आलमगीरनामा, 188 206 ।
81	इस्माईल बग	1 000/300	ईरानी	आलमगीरनामा, 95 106 हातिम खाँ 29 घ, घमल ए सालेह, III 469 ।
82	ईसाक बग	1 000/300	ईरानी	हातिम खाँ 29 घ घमल ए सालेह, III 469, आलमगीरनामा 95 106 ।

83 मुहम्मद शरीफ बुलीज खाँ पुत्र इस्लाम खाँ मरहदी	1 000/200	ईरानी	अलमगीरनामा 314, 324, अमल ए-सालेह III, 469, हातिम खाँ 69 अ, मा० उ०, I, 166, आकिल खाँ, 118 ।
84 मुहम्मद हुसन सिलदौब	1 000/200	तूरानी	अलमगीरनामा, 200 210, 213 ।
85 शय निजाम	1 000/50	अथ मुसलमान	मा० उ०, I, 222, अलमगीरनामा 274, 399 ।
86 सयद नाहर खाँ बार्हा	अमीर	अथ मुसलमान	मामूरी 99 अ हातिम खाँ, 32 अ, अलमगीर-नामा, 104 ।
87 सयद अहमद बुजारी	अमीर	तूरानी	मामूरी 110 अ व ।



## उत्तराधिकार के युद्ध में श्रीरगजेव के समथक

1658-59

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
		5 000 व उसके ऊपर क मनसबदार		
1	मिर्जा शुजा नजाबत खाँ खान ए खाना	7 000/7 000	तूरानी	आलमगीरनामा 42 54 61, 88 117 दिल्लीशा, 13 व मा० उ० III 821 28, हातिम खाँ 12 व, 16 अ 1
2	मीर मुहम्मद सईद मीर जुमला मुअज्जम खाँ	6 000/6 000 (2 3 अस्था)	ईरानी	दिल्लुशा 18 अ, तुहफा ए शाहजहानी 30 व, श्रीरगनामा 37, मामूरी 103 व, मा० उ०, III, 530-55 आलमगीरनामा, 84, 198 267, हातिम खाँ, 25 व, मनुची, I 262 1
3	राणा राजसिंह	5 000/5 000	राजपूत	आलमगीरनामा 129 194, बीर विनोद II, 419 20 421 27, मा० उ० II, 206 208, अमल- ए सालेह III 451 1

4	शत्रु तालिब शायस्ता खाँ	- 6 000/6 000 (2 3 अस्था)	ईरानी	दिलकुशा 12 अ, 19 अ, आलमगीरनामा, 111, 114 130, 321, मा० उ० II 690 707, हातिम खाँ, 26 ब, मन्ची, I 255 I
5	शेख मीर खवाफी	5 000/5 000	ईरानी	ईसरदास, 20 ब, मामूरी, 97 अ, 98 ब, औरंग नामा, 41, प्रमस ए-सालेह III, 332, आलमगीरनामा 68 92 98 156 57, तुहफा ए शाह जहानी 30 अ, हातिम खाँ, 28 ब, मा० उ०, II, 668 70 I
6	मुहम्मद ताहिर मद्ददी, खीर खाँ	5,000/5,000	ईरानी	दिलकुशा, 14 ब, आलमगीरनामा, 50, मामूरी, 96 ब हातिम खाँ, 15 अ, मा० उ०, III, 936 40 I
7	सरफराज खाँ दखनी	5 000/4 000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 47, मा० उ०, II, 469 73 I
8	चम्पत बुदला	5,000/---	राजपूत	दिलकुशा, 15 ब, आलमगीरनामा, 78 92, 163, 207 217, हातिम खाँ, 24 ब, 28 अ, मन्ची, I, 269 70 I
		3 000 से 4,500 तक के मतसबदार		
9	शारतलब खा (यवन्त राव)	4 000/4 000 (1,000 × 2 3 अस्था)	अथ मुसलमान	हातिम खाँ 20 अ, 24 अ 28 अ, आलमगीरनामा, 55, 63, 76, 92, मा० उ०, III 153 I
10	गञ्जी बीजापुरी, रनदोला खा	4 000/4,000	अफगान	आलमगीरनामा 76 93, हातिम खा 13 अ, 24 अ, 28 ब, मा० उ०, II, 309 I

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वंश	स्रोत
11	जादोराव	4 000/2 500	मराठा	शालमगीरनामा, 47 55 हातिम खाँ 14 घ, 20 घ 1
12	मुहम्मद बेग जुलिफकार खाँ	4 000/2 000	ईरानी	मामूरी, 97 घ, शालमगीरनामा 51, 62 76 92, 157, मा० उ० II, 89 93, हातिम खाँ, 21 व, आकित खाँ 39, 59 1
13	मीर जियाउद्दीन हुसन हिम्मत खाँ इस्लाम खाँ	4 000/2 000	तूरानी	मामूरी 97 व तुफा ए गाहजहानी, 30 व, शालमगीरनामा, 43 76 92 157 मा० उ०, I, 217 20 हातिम खा 12 व, 24 घ 28 घ, आकित खा 39 1
14	मुल्लतपात खाँ, आज़म खाँ	4 000/2,500	ईरानी	शालमगीरनामा 14 व श्रीरंगनामा, 26 शालमगीरनामा 51 75, 92 मामूरी 98 व मा० उ०, III 500 503 हातिम खाँ 28 घ 1
15	मिर्जा मुहम्मद मरहूनी अनातन खाँ	4 000/2 000	ईरानी	शालमगीरनामा 51 53 63, मामूरी, 96 व, मा० उ० I 222 25, हातिम खाँ, 15 व, 20 व, 28 व 1
16	मिर्जा मुल्लतन सफवी	4 000/2 000	ईरानी	शालमगीरनामा, 46 218 मा० उ० III 581 83 1
17	दामाजी दकननी	4 000/1,300	मराठा	हातिम खाँ 14 घ शालमगीरनामा 47 63 1
18	रवाजा आकित खाँ	4 000/700	तूरानी	मा० उ० III 120-23, शालमगीरनामा 44, 51, 55 76 हातिम खाँ, 13 घ 24 घ 1

19	सखद महमूद नसीरी खाँ	3,000/2,500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 79, 93 126 मा० उ०, I, 782 84, अमल ए सालेह III, 454, मामूरी, 98 घ, हातिम खाँ, 25 घ ।
20	पतह रहेला पतहजग खाँ	3,000/2,500	अफगान	हातिम खाँ, 14 घ, 24 घ, 28 घ, आलमगीरनामा, 47, 51, 76 93, 290, मा० उ०, III, 22 26 ।
21	राजा इबरामन घेंडेरा	3 000/2 000	राजपूत	आलमगीरनामा, 43, 62, 76, 92, 247, हातिम खाँ, 20 घ, 28 घ, मा० उ०, II, 265 66 ।
22	मीर मलिक हुसैन बहादुर खाँ	3,000/1,500	ईरानी	दिनकुग 14 व, 19 घ, आलमगीरनामा, 44 51, 54, 62, 92, मा० उ० I, 791 813, हातिम खाँ, 13 घ 16 घ, 28 व, आकिल खाँ, 39, 59 ।
23	मुर्गीद कुली खाँ	3,000/1,500	ईरानी	शौरगनामा, 15, मामूरी, 97 व, आलमगीरनामा, 44 54, 62, 67 मा० उ०, III, 493 500, हातिम खाँ, 13 घ, 16 घ, 18 व, आकिल खाँ, 39, 41 ।
24	हसन खाँ दखली	3 000/2,500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 45, टी० यू० 'एच', हातिम खाँ, 13 व ।
25	मुजफ्फर बादी, लोदी खाँ	3 000/2,000	अफगान	हातिम खाँ 15 घ, 19 व, 28 घ आलमगीरनामा, 51 76 291 ।
26	दाम्मुद्दीन खेदेसी	3,000/2 000	अफगान	मा० उ०, II, 676 77 आलमगीरनामा 45, हातिम खाँ 13 व ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
27	मुफ्ताखर खा सिपहदार खा खान ए आजम	3 000/2 000	ईरानी	आलमगीरनामा 47, 51, 62, 75, 92, हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, 24 अ ।
28	घब्रुरहमान बीजापुरी गरखा खाँ	3 000/1 500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 76, 92 208, 209 टी० यू० 'घ', हातिम खाँ 24 अ ।
29	अ दुल्ताह वेग मुबल्लिम खाँ, यकताज खाँ	3 000/1,500	तूरानी	आलमगीरनामा, 63 78, 93 मा० ड०, III 968-70 हातिम खाँ, 20 व 24 व 28 व ।
30	राजा राजरूप कोह्स्तानी	3,000/3 000	राजपूत	आलमगीरनामा 181 187, 1९0 320 ।
				1 000 से 2 500 तक के मनसबदार
31	हादी दाद खा	2 500/2,500	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 62 108, हातिम खाँ 20 अ, 28 व अमल ए-सालेह, III 456 ।
32	भेल अफगान पुरदिल खाँ	2 500/2 000	अफगान	हातिम खा 15 अ 19 व 28 अ, आलमगीरनामा 52, 334 ।
33	मुहम्मद इब्राहीम गुजाघत खाँ	2 000/1 000	तूरानी	हातिम खाँ 13 व, 16 अ 19 व 24 अ, आलम गीरनामा 45 51, 54 61 92 ।
34	दादाजी	2 500/1 000	मराठा	आलमगीरनामा 48 हातिम खाँ 14 व ।
35	मानाजी भोसल	2,500/1 500	मराठा	आलमगीरनामा 128, हातिम खाँ 16 अ, से० डा० श्री० 7 ।

36. रस्तम राव	2,500/1,200	मराठा	हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, आलमगीरनामा, 47, 55।
37 बाबाजी भोसले (हाबाजी)	2,500/1,500	मराठा	आलमगीरनामा, 54, 63, अमल ए-साहेद, III, 460।
38 सादात खाँ	2,000/1,500	ईरानी	हातिम खाँ, 28 ब, आलमगीरनामा 62, अमल ए-साहेद, III, 458।
39 ब्यास राव	2,000/1,200	मराठा	आलमगीरनामा, 48, हातिम खाँ, 14 ब।
40 सयद हसन (बाद मे—इकराम खाँ)	2,000/1,000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 92, 346-47, मा० उ०, I, 215।
41 धेतूजी दखनी	2,000/1,000	मराठा	16, अमल ए-साहेद, III, 459।
42 अ-दुस्लाह खाँ सराई	2,000/1,000	तूरानी	हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, आलमगीरनामा, 47, हातिम खाँ, 63।
43 सयद शेरजमाँ वारहा, मुजफर खाँ	2,000/600	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 47, 63।
44 बली मिहलदार	2,000/1,000	अन्य मुसलमान	मा० उ०, II, 465, आलमगीरनामा, 47, 54, 61, 92, हातिम खाँ, 14 अ, 19 ब, 28 अ।
45 मीर शमसुद्दीन मुहत्तार खाँ, पुन मुहत्तार खाँ	2,000/1,000	ईरानी	आलमगीरनामा, 45, हातिम खाँ, 13 ब, 15 ब, अमल ए-साहेद, III 463।
46 बख्तियार खाँ, खवास खाँ	2,000/1,500	अफगान	भामूरी 96 ब, आलमगीरनामा 47, 51 62, 92, हातिम खाँ, 14 अ 20 अ, 28 अ, मा० उ०, III, 620 23।
			आलमगीरनामा, 52, 53, 92, 132, हातिम खाँ, 15 अ-ब 28 अ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	श्री
47	मुहम्मद ताहिर सफियान खाँ	2 000/1 000	ईरानी	मासूरी, 97 घ, शिमुगा, 14 घ घासमगीर नामा, 53 68, हातिम खाँ 15 घ, 20 घ, मा० उ० II, 738-40 1
48	मुहम्मद आशिक बिरलाम महबूब खाँ	2 000/400	तूरानी	घासमगीरनामा, 53, 55, हातिम खाँ 16 घ, 20 घ 28 घ 1
49	मीर मुराद मजन्नी गत खाँ	2 000/400	ईरानी	घासमगीरनामा, 54-55 92, हातिम खाँ, 16 घ, 20 घ 1
50	बमान लोनी हरबुज खाँ	2 000/500	घफगान	घासमगीरनामा 55, 63, 76, 77, हातिम खाँ 19 घ 24 घ, 28 घ 1
51	बुखारा का मयद मुहम्मद मुतजा खाँ	2 000/500	तूरानी	हातिम खाँ 15 घ 20 घ 24 घ 28 घ, घासमगीरनामा 51 68 77 101 1
52	मीर मासूम खाँ	1 500/1 000	ईरानी	घासमगीरनामा 51 210 मा० उ० II 676, हातिम खाँ 15 घ 1
53	बुगहाल बग बखाल बुलबुल खाँ	उच्च मानस	तूरानी	हातिम खाँ 15 घ, 20 घ, 28 घ, घासमगीरनामा 53, 63, 471, 914 1
54	घासमद बग रवंगी इखलास खाँ	2 000/500	घफगान	हातिम खाँ, 19 घ, 24 घ, 28 घ, घासमगीरनामा, 77 1
55	बग मुहम्मद रवेगो दीनगर खाँ	2 000/500	घफगान	हातिम खाँ, 24 घ, घासमगीरनामा, 63, 77 93, 108 1

00/600	अफगान	अलमगीरनामा, 62, 76, हातिम खाँ, 20 अ, 24 अ, मा० उ०, III, 777 78 ।
00/200	तुरानी	मा० उ०, III, 946 49, हातिम खाँ, 20 अ, 24 अ, 28 अ, अलमगीरनामा, 77, 92 ।
00/1,500	अथ मुसलमान	अमल ए सालेह III 460, हातिम खाँ, 19 अ, 24 अ, अलमगीरनामा, 62, मा० उ०, II 303 305 ।
2 3 अफगा)	अथ मुसलमान	अलमगीरनामा, 62, अमल ए सालेह, III, 467 ।
00/500	ईरानी	मा० उ०, II, 679 81, अलमगीरनामा, 63, 237, हातिम खाँ, 20 अ ।
00/1 000	तूरानी	अलमगीरनामा, 63, 94, 831, हातिम खाँ, 20 अ, मा० उ० I, 216 ।
00/500	अफगान	अलमगीरनामा, 63, 291, हातिम खाँ, 20 अ, अमल ए सालेह, III, 468 ।
00/1,000	मराठा	हातिम खाँ, 14 अ, अलमगीरनामा, 48 ।
00/1,000	राजपूत	अलमगीरनामा, 199 200, बादशाहनामा, II, 738 ।
00/1,000	मराठा	अलमगीरनामा, 48, हातिम खाँ 14 अ ।
00/1,000	राजपूत	अलमगीरनामा, 77, 215, हातिम खाँ 24 अ, अमल ए-सालेह III 462 ।
00/1,000	तूरानी	अलमगीरनामा, 48 हातिम खाँ 14 अ ।



क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति बग	स्रोत
68	मुहम्मद शरीफ पोलकजी	1,500/1 000	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 54, हातिम खाँ, 16 अ, 20 व 1
69	सयद मसूर खाँ	1 000/400	अथ मुसलमान	हातिम खाँ, 28 व, आलमगीरनामा 63, अमल-ए सालह III, 468, मा० उ० II, 449 52 1
70	दौलतमद खा दक्कनी	1,500/1 000	अफगान	हातिम खाँ, 20 अ 28 व, आलमगीरनामा, 63, 93, अमल ए सालह, III 462 1
71	हयात अफगान खबरदस्त खाँ	1 000/800	अफगान	आलमगीरनामा 54 92, हातिम खाँ 20 अ 28 अ 1
72	बरल काछी, मालवा का खमीदार	1,500/500	हिन्दू	आलमगीरनामा 52 92, हातिम खाँ, 15 अ, 20 अ 28 व 1
73	मीर अहमद	1 500/800	ईरानी	हातिम खाँ 13 व, आलमगीरनामा 45 53, मा० उ० III 516 18 1
74	मुहम्मद मुनीम खाँ	1 500/600	तूरानी	आलमगीरनामा 45, 51 55, मा० उ० III 589, हातिम खाँ 13 व, 20 अ, 28 व 1
75	मीर सालेह	1 500/500	अथ मुसलमान	हातिम खाँ 13 व, आलमगीरनामा 45 1
76	अहमद बेग जुल्फदार खाँ	1 500/500	तूरानी	आलमगीरनामा 63, 77 448, हातिम खाँ 20 व, 28 व 1
77	इस्माइल खाँ नियाजी	1 500/300	अफगान	आलमगीरनामा, 45, 62, 92, हातिम खाँ 24 अ 1
78	काजी निजाम बरसरोदी	1 500/200	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 48, 53, मा० उ०, III, 566 68, मामूरी, 98 व, हातिम खाँ, 14 अ, 16 अ 1

79	मिस्त्री सम्मान	1 500/500	अकाल	आलमगीरनामा 53, 305, हातिम खाँ, 15 ब ।
80	श्रीराम प्रभुलाल मासूरी, मासूरी खाँ	1,500/500	ईरानी	हातिम खाँ, 15 ब, 19 ब आलमगीरनामा, 53, 62, 77 ।
81	शेर प्रभुलाल प्रजापति	1,000/500	अथ मुसलमान	मासूरी, 97 ब, आलमगीरनामा, 62, 74, 77, मा० उ०, II, 686, हातिम खाँ 20 ब, से० डा० श्री०, 74 ।
82	सफुद्दीन मट्टूद फकिरल्लाह, सफ खाँ	1,500/700	तुरानी	मासूरी, 98 ब, आलमगीरनामा, 78, 92, मा० उ०, II 479 85, हातिम खाँ, 24 ब ।
83	श्रीराम प्रजापति, होशदार खाँ	1,500/700	ईरानी	आलमगीरनामा, 51, 62 92, मा० उ०, III, 943-46, हातिम खाँ, 14 अ, 20 ब, 28 अ ।
84	ईला बेग सजावर खाँ	1,500/200	अथ मुसलमान	मासूरी, 96 ब, आलमगीरनामा, 46, 53, 63, 108, हातिम खाँ, 20 ब, 28 ब ।
85	हमीदुद्दीन खाँ, खानाबाद खाँ	1,500/200	ईरानी	आलमगीरनामा, 55 77, 94, 270 594 ।
86	शेर प्रभुलाल काबी	1,500/100	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 54 94, 231, मा० उ०, I, 225-29 ।
87	श्रीराम प्रजापति, दिल जान सिपर खाँ	1 000/400	ईरानी	हातिम खाँ, 20 अ, आलमगीरनामा 62, 127, अमल ए-सालेह, III, 468, मा० उ० I, 535, से० डा० श्री०, 29 ।
88	प्रजापति खाँ	1,500/700	ईरानी	आलमगीरनामा, 63, 291, हातिम खाँ, 20 ब ।
89	श्रीराम प्रजापति, फाकिल खाँ	1,500/500	ईरानी	आलमगीरनामा 44, 193 94, मा० उ० II 821 ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
115	दीलत अफगान	1 000/500	अफगान	आलमगीरनामा, 78 ।
116	मुहम्मद मुकीम	1,000/500	तूरानी	हातिम खाँ, 24 ब, आलमगीरनामा 78 ।
117	बहुराम	1 000/600	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 93, 486, हातिम खाँ, 28 ब ।
118	इनायत खाँ	1,000/500	अफगान	आलमगीरनामा 92, हातिम खाँ, 28 अ ।
119	अबु मुस्लिम	1 000/300	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 92, 206, हातिम खाँ 28 ब ।
120	शुशकरन बुदेला	1 000/500	राजपूत	दिलकुशा 14 ब, 18 ब, आलमगीरनामा, 63 93, 190, 249, हातिम खाँ, 16 ब 20 ब 28 ब ।
121	एतिबार खाँ ख्वाजासरा	1 000/200	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा, 193 ।
122	हकीम मुहम्मद अमीन शीराजी	1,000/	ईरानी	आलमगीरनामा 45, हातिम खा, 13 ब ।
123	मीर मुहम्मद महदी उरदिस्तानी	1 000/	ईरानी	आलमगीरनामा 45, माअसीर ए आलमगीरी 70 हातिम खाँ 13 ब मा० उ० I 599 600 ।
124	इरादत बारहा	अमीर	अथ मुसलमान	मापूरी, 98 ब ।

उत्तराधिकार के युद्ध में शाह शुजा के समयक

1658-59

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मन्तव	जाति वग	स्रोत
		5,000 और उसके ऊपर के मन्तवदार		
1	अदुरहमान, पुत्र नज़र मुहम्मद खाँ	> 000/2,500	तूरानी	मामूरी, 104 ब, आलमगीरनामा, 250, 257, 267, 341, हातिम खाँ 58 घ, मा० उ०, II, 809 812 ।
		3 000 से 4,500 तक के मन्तवदार		
2	मुताब खाँ, मुकरम खाँ सफ़वी	3 000/3 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 219, 251, 267, मामूरी, 104 ब, 106 घ, हात्तिय खाँ, 54 ब, मा० उ० III, 583
3	मीर अबुल मन्सूरी	3,000/2 000	तूरानी	86 घमल ए-सातेह, III, 454, आकिल खाँ 104 । आलमगीरनामा, 240 41, 251, हातिम खाँ, 58 ब, मा० उ०, III, 557 60 ।
4	सयद कासिम बाराहा	3 000/1,000	घय मुसलमान	मामूरी, 104 घ, हातिम खाँ, 54 ब, आलमगीरनामा, 250, 257 303, मा० उ०, II, 681 82, आकिल खाँ, 104, 124 ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
		1 000 से 2 500 तक के मनसबदार		
5	सयद आलम बाराहा	2,000/1 000	अथ मुसलमान	अमल ए सालेह III 325, ईसरदाल, 9 व, आलम गीरनामा, 239, 252, 358, मामूरी 105 व, बादशाहनामा, II, 727 मा० उ०, II, 454-56, आकिल खी 103, 129।
6	नुरत हुसन बाराहा	1 000/400	अथ मुसलमान	मामूरी 114 व, आलमगीरनामा, 499, 504, बादशाहनामा II, 736, अमल ए-सालेह III, 468 आकिल खी 124।
7	अबु मुहम्मद	1 000/800	अथ मुसलमान	आलमगीरनामा 349, अमल ए सालेह, III, 465।
8	हसन रजेशगी	उच्च मनसब	अफगान	हातिम खी 54 व 58 व, मामूरी, 106 अ, आलमगीरनामा 239 251 257 आकिल खी, 103 106।
9	इन हुसन (दारगा ए-नापवाना)	अमीर	अथ मुसलमान	मामूरी 114 व, 117 अ आलमगीरनामा 544 554।
10	सयद कुनी उजबेक	अमीर	तूरानी	हातिम खी 58 व मामूरी 116 अ 117 व, आलमगीरनामा 251 527 544 561।

नोट—इलाहवर्दी खी को शाह गुजा के समयका म सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उसने शाह गुजा के शिबिर में मतभेद उत्पन्न किया और उसके सैनिक बायों का ठप्प करने की चेष्टा की। उसने उसे वजवा क युद्ध में धावा दिया और शहजादे न उसे अफ़्बरनगर में मौत के घाट उतार लिया। (खिजाब उस सलातिन 217 मा० उ०, I 207, आकिल खा 127, खासी खी 85 मनूची I 330 31)।

उत्तराधिकार के युद्ध में मुराद वंश के समर्थक  
1658-59

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	खाल
1	शाहवाज	5 000 और उसके ऊपर के मनसबदार 5 000/ 3,000 से 4,500 तक के मनसबदार	मामूरी, 96 प्र, ईसरात, 10 व, 11 प्र, 32 व, हातिम खी 9 प्र मन्बूची I 301, मा० उ० I 298, आकिल खी, 95 I	
2	इब्राहीम खान	4 000/3 000	इरानी	मामूरी, 101 व, 102 प्र हरिमि खी 41 व, मन्बूची I 301 302, मा० उ०, I 295 301, आलमगीरखाना, 139 158, आकिल खी, 87 I
3	हुतुबुद्दीन खी खैदरी	3 000/3 000 (2 3 आस्था)	अफगान	आलमगीरखाना 139 140, दिलखुगा, 17 प्र व ईतरदाम 10 प्र 32 व, 34 प्र, मोरात ए प्रहमदी, I 240, मा० उ०, III, 103 I
4	देवीसिंह बुंदेला	2 000/2 000	राजपूत	1 000 से 2,500 तक के मनसबदार आलमगीरखाना, 71 74 139 206, 207 ईसर- दाम 21 प्र मामूरी 97 व, हातिम खी 23 प्र, मा० उ० II, 295 97 I

1 सामूद के युद्ध में इब्राहीम खी ने दाग निकोह की मोर से युद्ध किया किन्तु युद्ध के पश्चात् मुराद वंश न मिन गया। अब मुराद वंश बरो बना स्थित गया तो इब्राहीम खी ने घोराणद्व की सेवा करने में इत्तार कर लिया और सेवा से प्रकाश ल गया।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मन्सब	जानि-व्यग	शौच
5	सयद हसन बाराहा	2 000/2 000	प्रथम मुसलमान	प्रमत्त-ए-सातेह, III, 461 ईमरदास, 17 प्र प्रान्तमगीरनामा, 139 140 ।
6	राणा गरीबदास मिर्मीनिया	1, 500/700	राजपूत	ईमरदास 17 प्र 24 प्र, प्रान्तमगीरनामा 107, प्रमत्त ए-सातेह III 463, हातिम र्सी 33 प्र ।
7	मुस्तान थार	1 500/1 500	प्रथम मुसलमान	हातिम र्सी, 33 प्र, ईमरदास 17 प्र 24 प्र, प्रान्तमगीरनामा, 107 मीरात-ए-प्रहमदी, I, 235, प्रमत्त-ए-सात, III, 461 ।
8	रिखदाज (दिलदोस्त)	1 500/1 000	प्रथम मुसलमान	प्रान्तमगीरनामा, 139, 140, प्रमत्त-ए-सातेह, III, 463 मीरात-ए-प्रहमदी I, 233 ।
9	रहमत र्सी	1 500/400	प्रथम मुसलमान	मीरात-ए-प्रहमदी 237 240, प्रान्तमगीरनामा, 139-40 हातिम र्सी 41 प्र, प्रमत्त ए सातेह III, 463 ।
10	सयद शेमान बाराहा	1 000/500	प्रथम मुसलमान	ईमरदास 17 प्र, प्रान्तमगीरनामा, 107, हातिम र्सी 33 प्र, बाराहानामा II 733 ।
11	सयद मसूर बाराहा	1 000/400	प्रथम मुसलमान	प्रान्तमगीरनामा 139 140 ईमरदास 17 प्र, हातिम र्सी 41 प्र, प्रमत्त ए-सातेह, III 468 मीरात ए प्रहमदी I 235 ।

1 प्रमत्त मीर मायूक के यज्ञ में रहमत र्सी मुराह बला की मोर से सदा । अब मुराह बड़ा हो इन्ही बना लिया गया रहमत र्सी बाराहाका र्सी मुराहो के साथ देवपार्ई के मुद म पूब गरा मिर्षोह से आकर मिल गया ।

## अमीर-वर्ग तथा प्रशासन (नोबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन)

### अमीर-वर्ग—दरबार में

निरतुंग राज-तंत्र में, जैसा कि मुगल या या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्राधीनारिया या भाग्य सम्राट के अनुमोदा पर निर्भर करता था। इस प्रकार दरबार ही केन्द्र बिन्दु था जिसकी ओर अमीरों की दृष्टि निरन्तर लगी रहती थी। साथ ही-माथ सम्राट या मामवदारा के माध्यम से ही साम्राज्य पर शासन करना पड़ता था और उसे हर समय यह देखना पड़ता था कि वे केवल उसके आदेशों या ही नहीं पालन कर रहे हैं वरन् जो अधिकार उन्हें प्रदत्त किये गये हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मुगल दरबार तथा अमीर-वर्ग के सम्बन्धों का अध्ययन एक रोचक विषय है और इस अध्ययन से हम उन वक्ताओं जो अमीर वर्ग की मिहाना में बांधे रखत थे या समझने में सहायता मिल सकती है।

दरबार की दृष्टि से किसी भी खास समय में मुगल अमीर वर्ग को दो गुटों में विभाजित किया जा सकता है—तनात ए रकर अर्थात् वे जो दरबार में तनात थे, और 'तनात ए मूवाजात' अर्थात् वे जो सूबा में नियुक्त थे। यह विभाजन पूर्णतः अतिरिक्त अधिकारियों की, जो निरन्तर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अन्तर्गत किये जाते थे नियुक्तियों पर आधारित था।

मुगल में यह एक प्रचलित प्रथा थी कि जब एक उच्च अमीर का स्थानान्तरण होता था तो नयी नियुक्ति का वायभार संभालने के लिए प्रस्थान करते से पूर्व वह स्वयं दरबार में उपस्थित होता था। किन्तु यदि स्थानान्तरण अमीर द्वारा की गयी किसी त्रुटि के कारण हुआ हो, तो उसे दरबार में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी।<sup>1</sup> कोई अधिकारी यदि बिना शाही अनुमति के अपना पद छोड़ कर दरबार में आता था, तो उस पदच्युत किया जा सकता था।

अमीरों को तनात ए रकर और तनात ए मूवाजात में रखने के लिए कई बातों का ध्यान में रखना स्वाभाविक था।<sup>2</sup> जिन अमीरों में व्यवस्था करने की और प्रशासनिक योग्यताएँ होती थी, उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त किया जाता था और उन्हें तब तक दरबार में वापस नहीं बुलाया जाता था जब



तक उनकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो। दरबार में उपस्थित अमीरों को एक सुरक्षित सेना समझा जाना था और वे सम्राट द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लेने के लिए तैनात किए जाते थे। इसी प्रकार उच्च श्रेणी के तथा योग्य सेनानायकों को भी कभी कभी दरबार में प्रत्यक्ष रूप से सम्राट की आंखों के सामने रख लिया जाता था ताकि वे किसी विशेष सैनिक अभियान के लिए उपलब्ध हो सकें। सम्राट के लिए यह भी एक समझदारी की बात थी कि वह एक विशाल सेना अपने साथ रखे ताकि किसी शक्तिशाली सेनानायक के किसी भी पड़ोस को वह रोक सके। एक घटना जिसमें औरगज़ेब के दरबार के अधिकारी फतह उल्लाह खा बहादुर आलमगीरशाही का हाथ था से यह पता होता है कि ऐसा मामला में मुगल सतक रहते थे। एक दिन फतह उल्लाह ने अनुरोध किया कि यदि 5 000 सैनिक उस दिये जायें तो वह दखन से मराठों को उखाड़ कर फेंक सकता है। औरगज़ेब ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि इतने सैनिकों को उसकी कमान के अन्तर्गत रखने से पूर्व उसे स्वयं एक दक्ष सेनानायक व 5 000 अश्वों की अपनी रक्षा के लिए तैयार रखना पड़ेगा।<sup>14</sup>

### दरबार का शिष्टाचार

जब अमीर दरबार में उपस्थित रहते थे तो उनका यह परम कर्तव्य था कि वह दिन में दो बार प्रातः और संध्या सम्राट के सामने उपस्थित हों। कभी कभी किसी अमीर का उसकी बीमारी या अति आवश्यक व्यक्तिगत कार्य के कारण इस उत्तरदायित्व से छूट दे दी जाती थी। शाही सभा में तथा औपचारिक अवसरों पर अमीरों को ठीक तरह में अग्रताक्रम में रखने के लिए निश्चित नियमों एवं व्यवस्थाओं का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। विभिन्न मनमवा के प्रतिष्ठित अमीरों के लिए विभिन्न पंक्तियाँ निश्चित थीं और प्रत्येक अमीर का अपने निर्धारित स्थान पर खड़ा होना पड़ता था।<sup>15</sup>

दरबार में कायवाहिया चलती रहने की अवधि में किसी भी अमीर को बैठने की आज्ञा न थी।<sup>16</sup> जब सम्राट सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता था तो कोई भी व्यक्ति बिना सम्राट से अनुमति लिये अपना स्थान नहीं छोड़ सकता था।<sup>17</sup> 1683 में यह आदेश दिया गया कि 2 000 के पद के नीचे के मनमबदार सम्राट से बिना लते समय फातिहा पढ़े जाने के लिए प्रतीक्षा न करें।<sup>18</sup> किसी को भी सीधे सम्राट का अर्द्ध दिन की अनुमति नहीं थी।<sup>19</sup> बिना सम्राट की अनुमति के कोई भी व्यक्ति शस्त्रों से लस न ता दरबार में आ सकता था और न ही सम्राट की व्यक्तिगत सभा में उपस्थित हो सकता था।<sup>20</sup> गुलाल-बार के या सम्राट के निवास-स्थान के बाड़े में पालकी में बैठ कर आना बर्जित था।<sup>21</sup> 1693 में औरगज़ेब ने आदेश दिया कि जब अमीर दरबार में आयें तो उनकी

पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए और न ही उनके कपड़े उन रंगों में रंगे हुए होने चाहिए जो गरिबों के अनुसार वजित थे।<sup>12</sup> अमीरों को 'नीम भारतीय (आधी बाह)' की कोई भी पोशाक पहन कर आने तथा सम्राट की उपस्थिति में कंधे पर शाल लपेटने की मनाही थी।<sup>13</sup> दरबार में अमीरों द्वारा एक-दूसरे को पान देना शिष्टाचार के विरुद्ध था और इसलिए उसे वजित कर दिया गया था।<sup>14</sup>

जब मनसबदार दरबार में रहते थे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उन्हें करना पड़ता था वह शाही महल का चौकी-पहरा था।<sup>15</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने जा प्रयाग लौटने के वही क्षण में अमीरगजेब के समय तक चलती रही। अठारहवाँ दशक के आरंभ में दिये गये विवरण में यह बात स्पष्ट हो जाती है—“जसा मैंने अन्वय कहा है कि, प्रथम दरबार इत्यादियाँ स घिरा हुआ है। उनसे सम्बद्ध छोटे छोटे कमरे हैं, और पहरा देत समय अमीर महा ठहरत हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सप्ताह में अमीरों में से एक को चौकी पहरों के लिए आना पड़ता है। दरबार में, शाही महल के आस पास, या शिविर में, या युद्ध के मैदान में उसकी जमान के अन्तर्गत अस्वारोही और अन्वय हाथी रहते हैं। इन अमीरों में से सबसे बड़ा अमीर 2,000 घोड़े रखता है किन्तु जब शाही परिवार का राजकुमार चौकी पहरों पर रहता था तो उसके पास 6,000 तक घोड़े रहते हैं।<sup>16</sup> अन्वय दशक के अन्त में कहा है “मुख्य अमीर, बारी बारी में, प्रत्येक सोमवार को चौकी पहरों पर आते हैं, और सप्ताह के अन्त में पूरे उन्हें छोटी नहीं दी जाती है। इनमें से कुछ अमीर 5,000 से 6,000 तक घोड़े रखते हैं और शहर के आस-पास अपने शिविर लगाते हैं।<sup>17</sup> अर्थात् ए अलाहाबाद में चौकी पहरों में भीमानी, विवाह और निकटतम सम्बन्धियों को मृत्यु के कारण अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में विस्तृत नियमों एवं व्यवस्थाओं का उल्लेख है।<sup>18</sup>

जब सम्राट का जुलूस जाता था और वह हाथी पर सवार होकर निकलता था तो अमीर घोड़ा पर सवार होकर उसके पीछे-पीछे चलते थे, और जब वह घोड़े पर सवार होकर निकलता था तो अमीर उसके पीछे-पीछे चलते ही चलते थे।<sup>19</sup>

दरबार की अनेक प्रथाएँ सम्राट का विशेषाधिकार सम्भो जाती थीं। अर्थात् उनमें से एक बात उन प्रथाओं को, जो केवल सम्राट व शाही दरबार के लिए ही अर्थात् वजित थीं<sup>20</sup> सूचीबद्ध कर आदेश निकाला था। उनमें से एक शायियों की लड़ाई करवाना था। यह नियम अमीरगजेब के राज्यपाल में चलना रहा, अमीरगजेब ने रतलाम के अमीरों के मनसब में 500 जात घटा दिये और उसके गुमाश्ते (कर वसूल करने वाले) को दरबार में हाजिर किये जाना था

आदेश दिया ताकि उसे उपयुक्त ढण्ड दिया जा सके क्योंकि उक्त गुमास्ता हाथियों की लडाइया का आयाजन किया करता था । <sup>1</sup>

दरबारी गिण्टाचार सम्बन्धी इन विस्तृत नियमों का वास्तविक उद्देश्य शाही प्रतिष्ठा एवं शाही शक्ति की महत्ता का अमीरों पर प्रभाव डालना था । बीसवीं शताब्दी के किसी गुप्त प्रकृति के व्यक्ति को यह सब उपकरण क्या ही हास्यास्पद और बतुके लगें किन्तु मध्य युग में यह प्रशासन के आवश्यक उपकरण समझे जाते थे । यह मध्ययुगीन सम्राटों की नीति थी कि उत्साहपूर्वक जितना अधिक से अधिक हो सके वह अपनी शान्ति और शक्ति का बनाय रखें ताकि अमीर यह समझ सकें कि वे चाहें जितने ही बड़े एवं शक्तिशाली क्यों न हों, सम्राट की तुलना में कुछ भी नहीं थे और उनसे अधिकार शक्ति एवं उनकी प्रतिष्ठा सम्राट की ही इच्छा पर पूर्णतः निर्भर करती थी । साथ ही साथ सम्राट जनता का भी प्रभावित करना चाहता था ताकि वे भी इस बात को समझ लें कि वह से बड़े अमीर केवल उसके नीचे थे और प्रजा की स्वामिभक्ति पर केवल उसी की प्रभुता थी ।

### उपाधियाँ और विशिष्ट सम्मान

सभी देशों में सम्मानार्थ विशेषताएँ रहती हैं और प्रायः उन्होंने मातहत व्यक्तियों का अधिक से अधिक उच्चम करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया है । इस संबंधी नियमों में मुगल सम्राटों की नीति कोई अपवाद नहीं थी तथा अर्पण में वेकार वस्तुओं का अत्यधिक प्रिय एवं लुभावनी वस्तुओं में सफेद ततापूरक परिणत करने में उन्हां निश्चय ही सफलता प्राप्त की । जिन सम्मानमूर्च्छकों को वे प्रदान करते थे उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण थे—उपाधियाँ जिनमें पताकाएँ और नक़्शे या नगाड़े आदि तथा उपहार जिनमें जडाऊ खजर पान आदि ।

उपाधियाँ के सम्बन्ध में हम मनुची के एक कथन को ध्यान में रख सकते हैं— सम्राट यह नाम (जिनसे अमीर जान जाते थे) या तो विशिष्ट सम्मान के रूप में तथा उनकी मवाजा को मान्यता प्रदान करते हुए या अपनी पसंद तथा मंत्री के कारण देता था । ये अमीर अधिक से अधिक धन के साथ साथ उपाधियाँ प्राप्त कर सकते थे । मनुची ने यह भी कहा है कि श्रीरगजेव के समय में इन सम्मानमूर्च्छकों को प्रदान करने में दरबार उदार हो गया था— इस समय उनकी मर्यादा बहुत ही अधिक है किन्तु शाहजहाँ के समय ऐसा नहीं था और उपाधियाँ प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए तुरंत भारी रकम का भुगतान करना तथा शान्ति शौकत बनाये रखने के लिए अत्यधिक रकम रखनी पड़ती थी । किन्तु आजकल श्रीरगजेव इस

और तनिक भी ध्यान नहीं देता है और उपाधियाँ बिन्तु कम वेतन के साथ प्रदान कर देता है।

एक बार प्रश्न की गयी उपाधि ही सरकारी तौर पर अमीर व नाम का काय करती थी। मुसलमान अमीरा के लिए कई उपाधियाँ सुरक्षित रहती थी और अन्य उपाधियाँ हिंदुओं के लिए। कुछ उपाधियाँ विभिन्न व्यवसायों व व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहती थी।<sup>3</sup>

उपाधि देते समय बहुत ही सतकता दिखायी जाती थी ताकि किसी ऐम-यक्ति को जो अपक्षित पद पर न पहुँचा हो उस 'खान' की उपाधि न मिल जाये।<sup>4</sup> यह बात ध्यान रखनी है कि उपाधियाँ के वितरण में बशानुगत का तत्त्व कम से कम औरंगजेब के समय में मिलता है। यदि दिवंगत अमीर का कोई भी पुत्र रघाति प्राप्त कर लेता था तो साधारणतः उस उपाधि पिता की पदवी दे दी जाती थी।<sup>5</sup> पुनः, एक ही समय में किसी भी दो अमीरा की उपाधि समान नहीं हो सकती थी, यद्यपि उपाधियाँ बाल अमीरा की अनक उपाधियाँ या तो उनकी मृत्यु के पश्चात् या नयी उपाधियाँ प्राप्त करने पर पुरानी उपाधियाँ को छोड़ देने पर अन्य अमीरा को प्रदान कर दी जाती थी। अतः महाबत खाँ मुर्शिदा कुली खाँ अमीर खाँ की उपाधियाँ पूर्व उपाधिधारियों के मृत्यु पश्चात् अन्य अमीरा को प्राप्त हुई। अमीर उल उमरा गायस्ता खाँ न जब खान ए जहा को उपाधि त्याग दी तो यह उपाधि बहादुर खाँ को प्रदान कर दी गयी। उन उपाधियों को जिन्हें पहले प्रभावशाली अमीर ग्रहण कर चुके थे अधिक महत्ता प्रदान की जाती थी इसलिए प्रायः अमीर उपहार और घूस देकर भी उपाधियाँ खरीदने के लिए तयार रहते थे।<sup>7</sup>

उपाधियों के साथ, जो अमीरा के नाम का काय करती थी कलापूण उपनाम एवं उपपद भी हुआ करते थे तथा प्रत्येक प्रतिष्ठित अमीर का सम्बोधित करने का ढंग निर्धारित होता था जिसका प्रयोग सभी सरकारी पत्र-व्यवहार में किया जाता था।<sup>8</sup> साधारणतः उपाधियाँ सम्राट के सिंहासनारोहण के समय ईरानी नव-वप (नीरोज़) के दिवस पर सम्राट की बपगाठ पर तथा शाही मना द्वारा विजय प्राप्त करने के दिन प्रदान की जाती थी।<sup>9</sup>

गाही कृपा के रूप में अमीरों का खिलअतें में दे दी जाती थी। यह खिलअतें तान से लेकर मात तक विभिन्न प्रकार की होती थी। जो खिलअतें विशिष्ट सम्मान के रूप में प्रदान की जाती थी उन्हें 'मलबूस ए-खास' (या सम्राट की निजी खिलअतें) कहते थे।<sup>10</sup> साधारणतः खिलअतें उही अवसर पर प्रदान की जाती थी जिन पर उपाधियाँ तथा विभिन्न भिन्न मोमम के अनुमार भी प्रदान की जाती थी। हिंदू अमीरों को कभी कभी दशहरा के त्योहार पर खिलअतें प्रदान की जाती थी।<sup>11</sup>

सम्राट द्वारा अमीरा को दी जान वाली पताकाया का अबुल फजल ने विवरण दिया है—अलम, छत्रतोक, तुमनतोक, और भण्डा।<sup>32</sup> शाहजहा के समय में एक नयी प्रकार की पताका, माही मरातिब देना प्रारम्भ किया गया था। लाहोरी के अनुसार चौथे राजकीय वष में शाहजहा ने इस प्रकार की पताका नसीरी खौ को प्रदान की। उसके अनुसार, पुराने समय में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा माही मरातिब प्रदान किये जाते थे। यह प्रथा दक्खन के शासकों ने उनसे ग्रहण की और दक्खन में यह प्रथा अब भी सर्वप्रचलित है। वहाँ के शासक इस उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं जिस व सर्वोच्च सम्मान के योग्य समझते हैं।<sup>33</sup> मुगल साम्राज्य में भी ऐसा प्रतीत होता है कि माही मरातिब सर्वोच्च सम्मान सूचक चिह्न बन गया था और 7000 के पद से नीचे के अमीर को माही मरातिब प्रदान नहीं किया जाता था। केवल जुरिफकार खा नुसरत जग के ही उदाहरण में उसके पिता वजीर उल मुमालिक असद खा के अनुरोध करने पर इस नियम में ढील दी गयी, क्योंकि जिस समय उसे माही मरातिब दिया गया उसका मनसब 6000/6000 था।<sup>34</sup>

अलम या पताका 1,000 या उससे उच्च पद वाले किसी भी अमीर को प्रदान की जा सकती थी।<sup>35</sup> प्राप्तकर्ता के कंधे पर अलम या पताका रख दी जाती थी और प्राप्तकर्ता को कोरनिश (या झुक कर अभिवादन) करनी पड़ती थी।<sup>36</sup>

नौरत बजाने का अधिकार विशिष्ट वृषा के रूप में किसी अमीर को दिया जा सकता था। किन्तु इस अधिकार के प्राप्तकर्ता का मनसब 2000 या उससे अधिक होना चाहिए था।<sup>37</sup> यह प्रकल्पित था कि प्राप्तकर्ता सम्राट की उपस्थिति में या सम्राट के नियाम स्थान के निकट एक निश्चित दूरी तक नक्कारा कभी नहीं बजवायेगा।<sup>38</sup> नक्कारा प्रदान किये जाने की विधि अलम दिये जाने के ही समान थी, अर्थात् नक्कारे को प्राप्तकर्ता के कंधे पर रख दिया जाता था और उन कोरनिश करनी पड़ती थी।<sup>39</sup>

नवद अनुदानों के अतिरिक्त सम्राट नाना प्रकार के अन्य उपहार भी अमीरों को प्रदान करता था, उदाहरणार्थ रत्नजडे आभूषण रत्नजडी मूठ वाली खजरे और तलवारें सोने व चाँदी के साज सहित हाथी व घोड़े और सुनहरी झालर लगी हुई पालकियाँ इत्यादि।<sup>40</sup> कभी कभी पदम ए मुरस्ता (कमल जसा रत्नजडा आभूषण) भी प्रदान किया जाता था किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम ही हुआ करते थे।<sup>41</sup> तीन हजार के मनसब से कम वाले अमीर को सामान्य रूप से सरपेच यामिनी (पगडी में सामन की तरफ लगाया जाने वाला एक आभूषण) नहीं दिया जाता था।<sup>42</sup> औरंगजेब का आदेश था कि कोई भी अमीर जिसको सरपेच उपहार में प्रदान किया गया हो इतवार का छोड़कर

अथ किसी भी दिन इस आभूषण को नहीं पहन सकता था। अमीरा का अपने लिए सरपंच बनवाने का और अवध सरपंच अपनी पगड़ी में लगाने का अधिकार नहीं था।<sup>45</sup> नीलम की झेंगूठी, जिसके किनारे पर प्राप्तकर्ता का नाम खुदा हुआ हो, का उपहार में दिया जाना असाधारण सम्मान समझा जाता था।<sup>46</sup>

इसके अतिरिक्त और भी तरीके थे जिनके द्वारा सम्राट कुछ विशेष अमीरा के प्रति स्नेह प्रकट कर सकता था। उनमें से एक सम्राट द्वारा सर्वोच्च अमीरा को सदभावनापूण, औपचारिक एवं बधाई-पत्रा का लिखना था।<sup>47</sup> तथा जब कभी ऐसा किसी अमीर का कोई सम्झौती परलाक सिंघार जाना था तो शान्त सन्तुष्टि के प्रति अपनी सवेदनार्थ प्रकट करने के लिए सम्राट अपनी ओर से किसी व्यक्ति को भेज देता था।<sup>48</sup>

अमीर वग के श्रेष्ठ अमीर शाही परिवार में विवाह द्वारा सम्बन्धित थे। साधारणतः सम्राट और उसके पुत्र ऐसे परिवारों में विवाह करते थे जिनके सम्बन्धों के पाम में केवल उच्च मनसब ही हात में बरत कुलीन वंश की प्रतिष्ठा भी होती थी। इस प्रकार बड़े-बड़े राजपूत घराना एवं ऐतिहासिक उद दोला के परिवार की भाँति अथ परिवार बड़े पुरतों तक शाही परिवार का बंधुएँ दत्त रहे। सम्राट का अपन लिए या अपन पुत्रों में से किसी के लिए दुलहन की माँग करना विगिष्ट सम्मान का चिह्न समझा जाता था, और यह सम्मान साधारणतः केवल प्रतिष्ठित-तम परिवारों के लिए ही सुरक्षित था। तथापि, राजनीतिक कारणों से सम्राट स्वयं अपनी बहना व पुत्रिया का विवाह शाही परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के साथ नहीं करता था। या तो वह अविवाहित रहती थी या शाही परिवार में ही उनके लिए घर ढूँढे जाते थे।<sup>49</sup> अथ राजकुमारियों के लिए शाही प्रतिष्ठा पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और राजनीतिक दृष्टि में भी उनका विवाह महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। उदाहरण के लिए, 1672 में मुराद की पुत्री आम्ना बाना का विवाह ईरानी परिवार के एक अमीर मुहम्मद सानह से हुआ।<sup>50</sup>

### उपहारों की प्रथा

अमीरों द्वारा सम्राट को उपहार या भेंट देने की प्रथा दरवारी गिष्टाचार का एक अंग बन गयी थी। वस्तुतः सम्पूर्ण एशिया में यह एक साधारण रिवाज था कि श्रेष्ठ व्यक्ति या के पास खाली हाथों नहीं जाना चाहिए।<sup>51</sup> सम्राट का भेंट देना एक सांस्कृतिक वाप था, और यह आशा की जाती थी कि भेंट की शोभन और तडन महक शाही दरवार की शान-शौकत में वृद्धि करेगी।

अधिकारियों द्वारा भेंट में दी गयी वस्तु को 'पगार' कहते थे। कुछ विशेष अवसरों पर दरवार में उपस्थित अमीरों से पगार की आशा की जाती थी।<sup>52</sup>

सम्राट व सिंहासनारोहण की वषगांठ सम्राट की वषगांठ, नौरोज़ (ईंगनी नव वष त्रिस) राजकुमार या राजकुमारी के जन्म त्रिन, विजयोत्सव तथा बीमारी से सम्राट का स्वस्थ होना, एम अवसर म स थ । जय वभी समीर सम्राट की विगप कृपा चाहत थ उस समय भी व पगका दत थ ।<sup>12</sup> गद्दी पर बठते समय जमींदार पगका दत थ, जवकि करद (कर देने वाल) राज कुमार वार्षिक पगका दत थ ।<sup>13</sup> पगका से जमींदार तथा करद राजकुमारा द्वारा त्रिय जान वाले पशका की प्रकृति म अंतर होता था । यह पगका सम्राट की सबथपटना की मायता एव उससे साथ ही साथ एव व्यधिन का गद्दी व लिए नियुक्त करन के सम्बन्ध में शाही अधिकार का हतापूर्वक प्रयोग विय जान का प्रतीक था ।

प्राय पगका नकद म न कर रतना वतमून्य वस्तुमा आदि व रूप म दी जाती थी । जाफर खान सम्राट को उपहार म भेंट करन व लिए टवनियर का एक हीर व लिए अधिक से अधिक दाम दन के लिए तयार था ।<sup>14</sup> सम्राट का पशका म दिय गय रतन आदि का मूल्याका नकद म होता था । समीर से यह आगा की जाती थी कि व अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पगका देंगे ।<sup>15</sup>

पशका के अतिरिक्त नख भी थी । श्रीरंगजय न 1700 ई० म आदेश त्रिया नि जा भी पशका नकद म भेंट की जाय उम नख बहा जाय ।<sup>16</sup> अगने वष उसन आदेश त्रिया कि राजकुमारा द्वारा दी गयी भेंट व लिए नख के स्थान पर नियाज गल का प्रयोग तथा समीर की भेंट व लिए पगका व स्थान पर निसार शल का प्रयोग किया जाना चाहिए ।<sup>17</sup> मकिन, सम्भवत पूर्वकाल म नख पशका से इन अर्थों म भिन्न थी कि वह कम मूल्य की होती थी तथा कुीके कम महत्त्वपूर्ण वाले अवसर पर धयवाट दन व रूप म दी जाता थी । इस प्रकार समीर अपन परिवार म खुगा व अवसर पर जन्म पुत्र व पदा होने पर सम्राट को उपहार दत थ ।<sup>18</sup> बीमारी से स्वस्थ होन व पचान कोई समीर सम्राट का नख द सता था ।<sup>19</sup> जव वभी कोई समीर अपनी नियुक्ति के समय<sup>20</sup> या जागीर<sup>21</sup> से दरवार म आता था उस समय भी वह नख द सकता था । एक उदाहरण म पद पर पुन बहाल होन पर एक समीर न नख दी थी । जो रकम नख म दी जाता थी, चाहे वह नख बडे से बडे समीर द्वारा ही क्या न दी गयी हा वह साधारणत कम ही होता थी—गिनती म कुछ मुहरों ( यूनतम एक मुहर) और कुछ रुपय (कम से-कम पाँच रुपय) ।

जवकि यह सत्य है कि नख साधारणत एक सापेतिक धनराशि थी पगका समीर पर भार स्वरूप रहता आगा । वनियर का यह कथन बहा तक सही है कि समीर द्वारा सम्राट को दिय जाने वाले उपहार उनरी धरवादी का कुछ सीमा तक कारण थ यह कहना कठिन है ।<sup>22</sup> किन्तु आधिक पक्ष व अतिरिक्त

नैतिक दृष्टि से भी यह प्रथा आलोचना के योग्य है। प्रायः गंगाट से वृषा प्राप्त करण की आशा में पशु-पक्षि प्रच्छन्न रहने ही जाती थी। यदि मन्नाट स्वयं ही ऐसा समागम प्रस्तुत करता था तो अमीर व अथ अधिकारी जिना किसी नियमन के, जसा हम अगले खण्ड में देखेंगे, उसके उपाहरण का अनुसरण कराने में तनिक भी मनाच नहीं करते थे।

### मनसबदार एवं सावजनिक सेवा

सावजनिक सेवा के सम्बन्ध में मुगलानों की धारणा का निधारण राजनीय काय के क्षेत्र एवं उसकी प्रवृत्ति द्वारा होता था। आधुनिक राज्या के विपरीत उस समय 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण' राज्य के वास्तविक उद्देश्य का अंग न था। इसका नैतिक आधार—जसा कि मुगल निरवृत्त राजतन्त्र के प्रधान अधिवक्ता अनुस फजल न कहा है—'याय, विधि एवं व्यवस्था की स्थापना, अत्याचारों व जनता के विभिन्न वर्गों के मध्य हिसारमन समय को राखने में निहित था।<sup>6</sup> साधारण अर्थों में लायक-व्यायण एवं प्रशासनीय आदेश समझा जाता था लेकिन उस परिवर्तन का व्यावहारिक रूप केवल परोपकारी संस्थाओं की स्थापना करने, अर्थात् के समय विद्यमान बाले राहत-नाथों, विमाना का तलाबी शृणु दन तथा विद्वाना एवं धर्मप्राण व्यक्तियों आदि को भूमि एवं नवत अनुदान दन में ही प्रगट होता था। राज्य की मुख्य रुचि सना का समर्थित करने, राजस्व वसूल करने तथा न्यायपालिका के काय करने में थी। न्यायपालिका स्वयं में एक पृथक संस्था थी तथा प्रशासन के क्षेत्र में भी नया मनसबदारा को सौंप गया था।

मनसबदारी संस्था में मभी प्रशासनिक सेवाएं जिना किसी सरकारी प्रवि भाजन के सनिक वित्तीय एवं कायकारिणी की सभी शाखाओं सहित, सम्मिलित थी। सनिक उत्तरदायित्व प्रत्येक मनसबदार को निरपवाद रूप से उसके सवार पद के अनुसार सौंप जाते थे। चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था पृथक पृथक विभागों में विभिन्न पदों के साथ स्थापित की गयी थी जसे फौजदार (सनिक व दीवानों मामला में सम्मर्पित) दीवान (वित्तीय), कावेवाल (पुनिस) आदि आदि, इसलिये मनसबदार का उसके पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के काय सौंप गये थे। इस प्रकार, मनसबदार के सनिक और असनिक कार्यों में नाममान का भी किसी प्रकार का अंतर न था। फिर भी, वस्तुतः भिन्न भिन्न व्यक्तियों को प्रायः उनके अनुभव तथा प्रशिक्षण के अनुसार असनिक (राजस्व) तथा सनिक काय सौंप जाते थे। उपाहरणार्थ, जयसिंह<sup>63</sup> दोहलू खां वुरशा,<sup>64</sup> जिनर खां<sup>65</sup> वहादुर खां आफर जग वारलताश,<sup>66</sup> अमीर खां<sup>67</sup> दलपत बुदेला<sup>68</sup> आदि अमीरों का मदक सनिक काय ही सौंप गये तथा उनमें कभी भी वित्तीय एवं राजस्व सम्बन्धी काय नहीं कराये गये। वास्तव में ऐन उदाहरणों की संख्या



बटाई भी जा सकती है। इसी प्रकार कुछ अमीरा का सर्व्व विनीय एव काय कारिणी के काय ही सौंपे गये जैम—राजा रघुनाथ<sup>69</sup> इनायत उल्लाह खाँ,<sup>70</sup> फाखिल खाँ<sup>71</sup> बहरमन् खाँ<sup>72</sup> आदि।

इसके साथ ही एक भी उदाहरण है जब उही मनसबदारा न भिन्न भिन्न समय पर विभिन्न विभागों में भी काय किया। अमानत खाँ जो बीजापुर में दीवान के पद पर दफ्तरदारी-तन, बयूतात एरिकाय तथा अन्त में सूरत के बन्दरगाह का मुतमद्दी था दावार औरगनाद का हारिस (या सनानायक) भी नियुक्त किया गया था।<sup>73</sup> अंगरफ खाँ जो विभिन्न कालों में शरोगा दाग, शाही पुस्तनालयाध्यक्ष के पद पर तथा मुलमान गिवाह का बट्टी रहा था तथा जिसने दारा गिवाह के जहाँगारा के दीवान के रूप में काय किया उस अमीर का सूबदार भी नियुक्त किया गया था।<sup>74</sup> यह उल्लाह खाँ न केवल अहमदिया के मीरबख्शी के पद पर बरन अहला बगी गान-ए-सामान अहला बगी (पुन), द्वितीय बख्शी प्रथम बख्शी के पद पर प्रमग रहा बरन उसने धमऊ और सहारनपुर के फौजदार तथा उड़ीसा के सूबदार के रूप में भी काय किया।<sup>75</sup> मुहम्मद अमीन खाँ औरगजब का सद्र ए कुल और इस प्रकार 'याय विभाग का अधिकारी था किन्तु जीवनकाल में सदैव उस अनेक सैनिक काय सौंपे गये।<sup>76</sup>

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साधारणतः न्यायपालिका एक पृथक् संस्था मानी जाती थी क्योंकि इसमें एक विशिष्ट शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। अतएव बाजी एव सद्र केवल इसी शाखा में जीविका की आशा कर सकते थे। उदाहरणार्थ सयद जलाल खाँ बुयारी<sup>77</sup> अब्दुल बहाव<sup>78</sup> शेख उल इस्लाम<sup>79</sup> ने 'यायपालिका में ही अपनी जीविका उपार्जित की और उह कभी भी अन्य कोई काय नहीं सौंपा गया। केवल अमीन खाँ ही अपवाद प्रतीत होता है। 'यायपालिका के अधिकारियों को यदावदा ही कायकारिणी एव वित्तीय काय सौंपे गये थे सम्भवतः इसलिए कि उनमें प्रशासनिक अभिरचि पदा होने की सम्भावना न रह सके। आधुनिक 'यायपालिका की भाँति मुगलों की 'यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था नहीं थी, किन्तु फिर भी कुछ सीमा तक काय कारिणी की तानाशाही पर इसका नियन्त्रण था। अमीर व प्रशासक दोनों ही 'यायपालिका को एक पृथक् संस्था मानते थे जिसे देश के प्रशासन से कोई भी मनसब नहीं था। 'यायपालिका का प्रशासन में हस्तक्षेप प्रायः अमीरों को सहन नहीं होता था।<sup>80</sup> महादत खाँ ने साम्राज्य के बाजियों की शक्ति वृद्धि के विरुद्ध औरगजेब से एक पत्र में घोर विरोध प्रकट किया था।<sup>81</sup>

सिद्धांततः एक बार यदि किसी व्यक्ति ने मनसब स्वीकार कर लिया तो वह अपनी सम्पूर्ण सवाग सन्नाट की इच्छा पर छोड़ देता था और उसका काय सैनिक टुकड़ी का मुहैया कर देने या अपने पद के अनुसार अपने अन्य उत्तर

दायित्वों को पूरा कर देने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाना था। उस किसी भी विभाग में कोई भी कार्य, उस पद के लिए विशिष्ट वेतन के बिना भी दिया जा सकता था। उससे ज्ञात पद के अनुसार मिल रहे वेतन में सत्र कुछ सम्मिलित होता था। यदि वह सम्राट के मन के मुताबिक अपना कार्य करने में प्रसन्न रहता था तो उसके किसी भत्त का गृह कर उसे दण्डित नहीं किया जाता था वरन् उसका मनसब घटा दिया जाता था।<sup>15</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि मनसबदार के मनसब एक उम्र दिया गया पद के बीच साम्य स्थापित करने के लिए कुछ नियमों का विकास धीरे धीरे हुआ। कार्यकारिणी में, प्रांत में तीन महत्वपूर्ण पद थे उदाहरणार्थ—नाजिम या सूबदार (या गवर्नर), फौजदार और थानदार। साधारणतः उन अमीरों का ही जिनका मनसब 2,500 से 7000 तक होता था 'सूबदार नियुक्त किया जाता था। वस्तुतः, महत्व की दृष्टि से, प्रांतीय पदा में अत्यधिक पारस्परिक अंतर था। एक और तो काबुल,<sup>16</sup> गुजरात,<sup>17</sup> और बंगाल<sup>18</sup> आदि की सूबदारियाँ थी जहाँ केवल उच्चतर श्रेणियों के मनसबदारों की ही नियुक्ति होती थी। दूसरी ओर कश्मीर<sup>19</sup> और अजमेर<sup>20</sup> आदि सूबों में जहाँ द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी।

जहाँ तक 'फौजदार के पद पर नियुक्ति का प्रश्न था, साधारणतः 500 से लेकर 5000 तक के मनसबदारों की नियुक्ति इस पद पर होती थी। वस्तुतः महत्व की दृष्टि से फौजदार के उत्तरदायित्व में पारस्परिक अंतर विशेष था। अजमेर प्रांत का गवर्नर फौजदार ए अजमेर के नाम से जाना जाता था तथा सम्पूर्ण प्रांत उसकी फौजदारी के अधिकार क्षेत्र में समझा जाता था।<sup>21</sup> गुजरात में सोरठ की फौजदारी थी जहाँ केवल उच्चतर श्रेणी के अमीरों की ही नियुक्ति होती थी।<sup>22</sup> इस सम्बन्ध में अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जैसे—बसवाड़ा (जहाँ का फौजदार अबध व इनाहावाद के सूबदारों में स्वतन्त्र था)<sup>23</sup>, जौनपुर और बर्नाटक,<sup>24</sup> और राहरी<sup>25</sup> आदि, जहाँ प्रथम श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। दूसरी ओर, कुछ बहुत ही छोटी फौजदारियाँ थी उदाहरणार्थ अहमदाबाद शहर व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की फौजदारी,<sup>26</sup> रायसन,<sup>27</sup> छाऊन<sup>28</sup> आदि की फौजदारियाँ जहाँ साधारणतः निम्न श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। कुछ फौजदारियाँ स्थानीय जागीरदारों को सौंप दी जाती थीं।<sup>29</sup> इनमें से कुछ फौजदारियाँ सम्भवतः प्रत्यक्ष सूब में साधारणतः सूबदार के हाथों में रहती थीं, जिसका प्रशासन वह स्वयं अपने नायब द्वारा करवाता था या पद विशेष के लिए अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था।<sup>30</sup>

फौजदार के बाद थानदार का पद था। थानदारों की मुनिदित्त प्रवृत्ति,

उनके कार्यों एवं स्थानीय फौजदारा व उन पर नियंत्रण क्षेत्र के विषय में स्पष्टता प्राप्त नहीं है। कुछ धानदारियाँ तो इतनी अधिक महत्वपूर्ण थी कि बहुत ही उच्च श्रेणी के अमीरों की नियुक्ति उन पर हानी थी। काल्हापुर,<sup>99</sup> बहररा<sup>99</sup> और लौहगल<sup>100</sup> की धानदारियाँ इसका उदाहरण हैं। यहाँ के धानदारा पर स्थानीय फौजदारा का कभी भी नियंत्रण रहा या नहीं, यह निर्णय कर पाना कठिन है। दूसरी ओर छोटी धानदारियाँ भी थी जिनमें सरहा,<sup>101</sup> खाण्डा<sup>10</sup> आदि की धानदारियाँ, जहाँ केवल छोटे मनसबदार ही नियुक्त किए जाते थे। 1671 में जमवन्तसिंह (7 000/7 000—5 000 < 2 3 अरुपा) को जमरूत का धानदार नियुक्त किया गया,<sup>102</sup> किंतु उसकी नियुक्ति निश्चित रूप में न होकर राजनीतिक प्रवृत्ति की थी। साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि 200 के ऊपर के पद के अमीरों का धानदार नियुक्त किया जाता था।

वित्तीय एवं पूणतया प्रशासनिक विभागों में दीवान मीरवन्शी द्वितीय बरूशी और तृतीय बरूशी के पद महत्वपूर्ण थे। केन्द्रीय दीवान का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी समझा जाता था और प्रथम श्रेणी के अमीरों जिनमें मुअज्जम खाँ वजीर खाँ और जाफर खाँ आदि को ही इस पद पर नियुक्त किया गया।<sup>101</sup> मीरवन्शी का पद भी इतना ही महत्वपूर्ण था, तथा यह पद भी प्रथम श्रेणी के अमीरों जैसे बहरमद खाँ<sup>105</sup> और जुल्फिकार खाँ<sup>106</sup> को ही सौंप गया। द्वितीय व तृतीय बरूशी के पदों पर द्वितीय श्रेणी के अमीरों का नियुक्त किया गया।<sup>107</sup>

किसी मनसबदार को केवल विभिन्न विभागों में ही पद नहीं दिये जाते थे वरन् उसे किसी भाँ से सूब में सम्राट द्वारा तय किया गया किसी भी कार्य के लिए भेजा जा सकता था। पूर्व शासनकाल की भाँति श्रीरगजब के सम्पूर्ण शासनकाल में अमीरों के एक अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ अमीरों को एक सूब से दूसरे सूब तथा साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित किया गया। किसी भी अमीर का जीवन चरित्र इस बात का पुष्टि कर सकता है कि उस समय समय पर साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया जाता रहा।<sup>108</sup>

उपरोक्त तथ्यों से हम मनसबदारी व्यवस्था एवं साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सम्बन्ध के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक अमलियाँ एवं वित्तीय सेवाएँ शामिल थीं अर्थात् यायपालिका का छोड़ कर सभी सावजनिक सेवाएँ। मनसबदार का मनसब यूनानतम सैनिक उत्तरदायित्व इंगित करता था, किन्तु उसके अतिरिक्त किसी भी विभाग में उसे कोई भी कार्य सौंपा जा सकता था। अमीरों के मनसब तथा उसे दिये गए पद में कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी दोनों के मध्य एक व्यापक सम्बन्ध था। प्रत्येक अर्थ में मनसबदार ही साम्राज्य का

एकमात्र शासक वग था तथा इस दृष्टि से वह सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं अठारहवीं शताब्दी के फ्रांसीसी अभिजात वग सभिन था जिसे प्रशासनिक व्यवस्था से पृथक् कर दिया गया था। प्रशासन की व्यापक कार्य व्यवस्था बिना मानहता कार्यकर्ताओं जो कभी-कभी बहुत ही प्रभावशाली हात थे की सहायता से नहीं चलायी जा सकती थी। किन्तु साधारणतः मुगल अमीर वग ने प्रशासन पर निरंतर अपना प्रभाव बनाये रखा और उसने आंतरिक तारतम्य को व्यक्तिगत अमीरों का एक स्वयं से दूमरे मूक को स्थानांतरण क्रिय जाने वाली प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखा। इसके कारण अमीर वग की प्रकृति वास्तव में साम्राज्यिक (या अखिल भारतीय) बन गयी तथा उसने मकीन तत्वा एवं परम्पराओं के प्रभाव को क्षीण कर दिया।

### प्रशासन में अमीरों का व्यवहार

चूँकि मुगल अमीर वग अभिजात वग की प्रतिष्ठा एवं नौकरशाही के कार्यों को एक प्रशासनिक वग में मयुक्त किये हुए था अतः यह देयता श्रेयस्कर होगा कि प्रशासनिक वग के रूप में व किम प्रकार व्यवहार करते थे। कुछ सीमा तक उनके व्यवहार पर सम्राट का नियंत्रण था, जो उन्हें पदांतर पलावनत, पञ्च्युत या फिर पुरस्ठृत वग सक्तता था तथा दण्ड भी सक्तता था। किन्तु इस प्रकार नियंत्रण करने वाली साही नीति मुख्यतः उस उद्देश्य में आ मुगल प्रशासन अपने में मुक्त रम्यता था, निर्धारित होती थी। जसा हम पहले कह चुके हैं पुनः निर्माण के लिए अखिल भारतीय भावना की आशा आधुनिक अर्थों में उस समय नहीं की जा सकती थी, अर्थात् से अधिक प्रशासन का मुख्य कार्य विधि एवं व्यवस्था बनाये रखना एवं असाधारण विपदा में सहायता पहुँचाना था। अतः के अन्तगत मुनहूए कुल या औरगजेव के अन्तगत अरियत के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए रहस्यवाद या धार्मिक तत्वा की ओर अधिक ध्यान दिया जाना था और साही प्रशासन यन्त्रि वास्तव में नहीं तो कम-से-कम कागज पर ही सही नतिजता एवं पुण्यगोलना का अनुमोक्त था। इन बातों के अतिरिक्त राज्य का ध्यान मुख्यतः आय का यत्न सन्तिक माधना में वद्धि करत तथा प्रशासन की अत्यधिक कार्यक्षमता बनाये रखने की ओर था। जिन कारणों से औरगजेव ने विभिन्न अधिकांशियों को पलावनत किया उनके विश्लेषण में स्पष्ट है जायगा कि जिन अंगरारों को जबकि प्रशासन के उद्देश्य सीमित थे सम्राट ने विविध अंगरारों बना दिया। इस प्रकार, सम्राट के आशा का उन्तघन करना सम्राट के मन में अन्तविक कार्य में करना तथा निर्धारित मस्या में सन्तिक का न रखना, कुछ एक अभियाग थे जिनके लिए साधारणतः लण्ड दिया जाता था। जिन अन्य कार्यों के लिए कोई भी अधिकारी दण्ड का भागी है

सकता था उनमें से कुछ थे—सम्राट के विभिन्न अधिकारों पर अतिभ्रमण करना, शत्रु से किसी प्रकार के सम्बन्ध रखना विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखना या काय करत समय कायरता दिखाना आदि। अनतिक कार्यों (भदिरापान आदि) पर भी मनसब घटा लिया जा सकता था। अतः मन्त्र्याचार एवं कुव्यवस्था, खून एवं डकती करने के आरोप पर भी दण्ड दिया जा सकता था।<sup>109</sup> किन्तु अन्तिम क्षेत्र में अपन अमीरों के प्रति व्यवहार करत समय श्रीरगजेव ने सदब आश्चयजनक विनम्रता दिखायी। खाफी खा के अनुसार यद्यपि उसन किसानों व व्यापारियों पर नगाय गय अनेक गर कानूनी करा का उमूलन कर दिया था लेकिन फिर भी उसने उन करा को निरन्तर वमूल करत रहन वालों को कभी भी दण्ड नहीं दिया। वस्तुतः स्वयं उसका वित्तीय विभाग अमीरों से साठ गाठ कर, ऐसे सभी करा का जागीरों की जमा में शामिल करता था।<sup>110</sup> आठवें राजकीय वष में जारी किय गय एक आदेश में श्रीरगजेव ने स्वयं ही कहा है कि गुजरात में जागीरदार किसानों से वास्तविक उपज से कहीं अधिक लगान की मांग कर रहे हैं और जरा के उनकी मांग को पूरा न कर पात थे तो वे उनके ऊपर अत्याचार करत थे। मिबाय इसके कि ऐसी कुप्रथाओं पर वह बार-बार प्रतिबन्ध लगाता रहा उसने ऐसे अभियोगियों को जो मुल्लम-मुल्ला गाही नियमा का उल्लघन करत थे दण्ड देने की कोई भी व्यवस्था न की।<sup>111</sup> श्रीरगजेव ने यदि कभी कोई दण्ड दिया भी तो वह नहीं के बराबर हाता था। यहा तक कि मगीन जुम करने पर भी अमीर अपने पर में साधारण बटौती बग कर बच निकलत थे। श्रीरगजेव ने स्वयं ही अपन अधिकारियों के प्रति अत्यधिक विनम्र व्यवहार के लिए ख्याति प्राप्त की। जहा कहा उसक स्वयं के सैनिक हित प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं थे वहाँ वह अपन आदेशों के उल्लघन किय जाने पर क्षमा करने या उस पर ध्यान न देने के लिए तत्पर रहता था।<sup>112</sup>

जय गाही नियन्त्रण ढीला हो गया तो नियन्त्रित करने वाली शक्ति केवल अमीरों की मददद्विचार शक्ति ही थी। इसका उपरी तौर में अनेक मामलों पर ध्यान न देने के लिए राजी किया जा सकता था। घस देने का आम रिवाज इसका सर्वोत्तम उदाहरण था। कुछ ऐसे अधिकारी थे जो घूस या उपहार लेन से घणा करत थे।<sup>113</sup> किन्तु यह तथ्य कि इस काल के लखवों की दृष्टि में इस आन्त का कुछ व्यक्तियों में विद्यमान होना एक अपवाद के रूप में उल्लेखनीय था, इस बात का द्योतक है कि अमीरों को साधारणतः इस प्रथा में कोई भ्रुति नहीं दिखायी दी। वस्तुतः जसा हमने पहले कहा है, सम्राट की उपहार की अपेक्षा करने व स्वीकार करने की प्रवृत्ति उनके लिए अभिसनीय आदेश बन गयी थी।

किसी भी काय को करने के लिए यहा तक कि शाही आदेशों के अधीन

किये जाने वाले कार्यों या उनके पत्रों के अनुरूप विशेष रूप से उल्लेखित कार्यों के लिए अमीर उपहारों की आशा करते थे। इस प्रकार मनुची के अनुसार, गवर्नर व फौजदार गावों, मकानों एवं जमीनों से उन व्यक्तियों को जिन्हें यह सब ग्राही फरमानों द्वारा मिला हुआ था, बंदखल कर दिया करते थे यदि वे उन्हें उपहार नहीं देते थे।<sup>114</sup> मदद ए मन्शास फरमानों के मूल लेख जिसमें अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे विभिन्न बहानों द्वारा अर्थपिनी से उपहार और अनुलाम न लें इस बात के द्योतक है कि मनुची न अतिशयोक्ति नहीं की है।<sup>115</sup> उच्च स्तर पर भी यही कहानी सुनी जा सकती है। नव स्थापित इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राजदूत विलियम नोरिस को यह बताया गया कि औरंगजेब ने कम्पनी को उसके साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति देने का निणय कर लिया था किन्तु आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करने के लिए सम्राट को 2,00,000 रुपये तथा उसके अधिकारियों का 1,00,000 रुपये भेंट में देने पड़ेगे।<sup>116</sup>

एसी स्थिति ता तब थी जब कतय का मामला था, और जहाँ अमीरों के स्वनिणय पर कायवाही निभार करती थी वहाँ मूल्य इससे भी अधिक था। जब अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुगलों से कुछ विशेषाधिकार चाहे तो उन्होंने दक्खन व गवर्नर बहादुर खाँ की सलाह को उपहार भेजे किन्तु बिचौलिया द्वारा घोषा खा गया। यह दुभाग्यपूर्ण था क्योंकि (बहादुर खाँ का) 'बिना अगस्त्यापूर्वक पत्रों' जिससे वह सम्राट को भानि अत्यधिक महत्त्व होता था दिये हुए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था।<sup>117</sup> यदि सम्राट ने मध्यस्थता के लिए या किसी मुकद्दमे में सिफारिश के लिए किसी अमीर की सहायता लेनी है तो उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता था। निचानापत्ती की रानी द्वारा अपनी रक्षा हेतु की गयी अपील की सिफारिश सम्राट से करने के लिए दाऊद खाँ ने पहले ही उससे बहुत सुन्दर उपहार लिये<sup>118</sup> तथा अंग्रेजों की अर्जी अपनी सिफारिश समेत औरंगजेब के पास भेजने के लिए उससे 25,000 रुपये लिये।<sup>119</sup> दरबार में उपस्थित रहने वाले अमीर, जिनकी पहुँच सम्राट तक थी अपनी प्रतिष्ठा नुसार अधिक से अधिक पैसा किसी काय का करान का मांगते थे। औरंगजेब के मीर मुगी या मुख्य सचिव काबिल खाँ ने सम्राट की सेवा में दस वर्षों के बाद 12 लाख रुपये भेद एवं बहुमूल्य वस्तुएँ जमा कीं।<sup>120</sup> सम्राट के सामुख अपने मुकदम के लिए, नोरिस का अम्द खाँ दावान का समयन प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य उपहार देन पड़े।<sup>121</sup> इसी प्रकार अधीनस्थ अधिकारी भी अपने से उच्च अधिकारियों व पास विगी प्रकार की मध्यस्थता के लिए अपनी प्रतिष्ठा नुसार मूल्य मांगते थे। खालिसा के दीवान रगीद खाँ का पेशकार (निजी-सहायक) चतुमुज एक परगने, जिसका नाम नहीं दिया हुआ है वे अमीर व फौज

दार मुहम्मद मुकीम से 1 000 रुपया प्रति वष प्राप्त करता था। चतुर्मुख के उत्तराधिकारी बलीराम को उसी अधिकारी ने 250 रुपये मूल्य का एक रुप भेजा था।<sup>1</sup>

इसके साथ ही यन्त्रि काइ अमीर किसी व्यक्ति को सहायता के स्थान पर हानि पहुँचा सकता था तो उससे भी उपहार मागता था। उदाहरणार्थ, भीमसिंग को अपना मनसब बनाय रखने के लिए दरबार में अनक व्यक्ति का जो धन दान पत्ता।<sup>2</sup> सम्भवत उसने एमी कोई गलती नहीं की थी जिसके कारण उसे अपना मनसब में हाथ धाना पड़ता। लेकिन अथ व्यक्ति जो पण्डित निय जाने के उपयुक्त थे वे उन व्यक्तियों का जिनका कार्य उनका पता लगाना और उनका भण्डार खोज करना था उपहार देकर बच निकलते थे। मनुची बतलाता है कि औरंगजेब के अपक्षाकृत युवा अमीर, घनाडय बनने की उत्कण्ठा में लूट भाग तथा अनुचित कार्य करते हैं। वे बाक्या नवीस (राजकीय रिपोटर) श्री पुफिया नवीस (गुप्त रिपोटर) को घूस दे देते हैं ताकि सम्राट का उनके बारे में कुछ मालम न हो सके।<sup>3</sup> इस प्रकार के भयादोहन में हमें अत्र प्रत्यक्ष अपवर्णण पर आ जाना चाहिए। इस कार्य में बंगाल का गवर्नर गायस्ता सम्भवत अपने उच्च पद के मद में गवर्नर अधिक दुस्माहसी था। बादरी के अनुसार उगा चिम खा नामक एक यापारी को 50 000 रुपया देने पर बित्त किया।<sup>4</sup>

इस प्रकार के उपायों से मध्यम श्रेणी के मनसबदार अतिशय धन प्राप्त कर लिया करते थे। मथुरा का फौजदार अदुनवी (2 000/1 500) 13 लाख रुपय 9 300 मुहरों और 4 50 000 रुपय के मूल्य की बहुमूल्य वस्तुएँ छोड़ कर मरा।<sup>5</sup> बंगाल का गवर्नर आजम खाँ बाका (4 000/4 000) 22 लाख रुपय और 1 12 000 मार्लें छोड़ कर मरा।<sup>6</sup>

इस प्रकार सभी यावहारिक कार्यों के लिए घूस देकर काम कराना एक मुख्य ढंग बन गया था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या तो अपनी रक्षा के लिए या हमला के विनाश के लिए प्रणामन की सहायता प्राप्त कर सकता था। पाना ही कार्यों को इस प्रकार करवाना राज्य के सभी अधिनियमों एवं शाही आदतों के पूरण विरुद्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के समय में इन प्रथाओं को रोकने के लिए कोई भी सम्भीर प्रयास नहीं किया गया। वेबन उसी समय जसा मुगी कागिल खा के उत्तरारण में हुआ अत्र घूस लेने की सभी सीमाएँ पार कर ली गयी और सम्भवत उच्च श्रेणी के सभी अमीर गाराज हो गये सम्राट न कायवाही की। किन्तु सम्भवत यह कायवाही भी बढ़ा बित्त की बठार हुआ करती थी कागिल खा का दरबार के पद से हटा दिया गया और उसका मकान खूज कर लिया गया।<sup>7</sup> गवर्नर के मामला में इससे

अधिक कठोर रकबा दिम्बलाया जाता था, क्योंकि इसमें शाही राजकोष का प्रत्यक्ष मामला था। किन्तु यदि गवन किया हुआ धन वापस कर दिया गया हो तो मामला समाप्त ममभा जाता था।<sup>1</sup>

धूसगोरी एवं भ्रष्टाचार के विवरण पर आधारित मुगल प्रशासन वग की जो तस्वीर हम मिलती है वह प्रथमनीय नहीं है। यह सम्भव है कि व्यक्तिगत मुगल अमीर इस बात को महसूस करते हैं कि प्रशासन की पूरा धृष्टि को तहस नहस किये बिना मुशासन की तो बात ही क्या है भ्रष्टाचार को एक सीमा तक आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। इस पर भी जो चित्र हमने खींचा है वह एकपक्षीय या अतिरिजित है क्योंकि माध्य की प्रवृत्ति सीमित होने के कारण उसमें त्रुटियां होनी सम्भव हैं, परन्तु सब प्रकार की रद्दी-बदल के बाद भी यह कहना अनुचित न होगा कि मुगल अमीर वग एक अत्यन्त अदूरदर्शी वग था। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण चाहे जो कुछ भी रहे हा उनके तत्कालीन निजी लाभ ने उन्हें भविष्य में प्रशासन पर सभी सक्टा के प्रति अंधा बना दिया था। ऐसे वग द्वारा कोई भी वैज्ञानिक नीति ईमानदारी एवं नियमित रूप में लागू नहीं की जा सकती थी। उसकी नोच-खसोट का सबम पहले यदि नागरिक प्रशासन को वास्तव में हानि हुई ता मुगल साम्राज्य के सैनिक एवं राजनयिक एन्वय का अन्त में अवश्य ही हानि पहुँची थी। और औरगजेय के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में वह अन्तिम अवस्था आ ही चुकी थी।

### संदर्भ

- 1 1663 में जब शायस्ता खाँ का अन्तरण दरघन से बगान उसकी लापरवाही के कारण जिसके परिणामस्वरूप शिवाजी ने उसके किर पर रात्रि में आक्रमण कर दिया था किया गया ता उस दरबार में आने की अनुमति नहीं दी गयी (दिनकुशा प 24 अ 24 व मामूरी 131 अ खाफी खाँ II प० 175)। 1672 ई में जब अफगानों के हाथों मुहम्मद अमीन खाँ को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ी ता उसका तबान्ना गुज रात कर दिया गया और उसे आज़ा किया गया कि बिना शान्ति दरबार में उपस्थित हुए वह मात्र उक्त सूब का बना जाये (माघासीर-ए-आलमगारी प 121)।
- 2 अखबारान 30वाँ राजकीय वर्ष प० 275।
- 3 सम्राट का निकट सेवा व सूबा की तबान सेना में कोई भी अन्तर नहीं है। (कनियर प 218)
- 4 माघामीर उल उफरा खण्ड III प० 46। फतह-उल्लाह के सैनिक कार्या के लिए देखिये—खाफी खाँ खण्ड II प० 496-500। औरगजेय ने शाहीउद्दीन खाँ का तोप खाना जून कर लिया था (माघासीर-ए-आलमगारी प 468-69)।
- 5 इस नियम का सफ़ी से पालन होता था और इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता था। दरबार की बहुप्रचलित घटना जिसके कारण 1666 ई में शिवाजी भाग्य ने भाग खाहा हुआ स इस पर प्रकाश पन्ना है। शिवाजी को शय पच-हज़ारी अमीरों



के साथ घटा कर लिया गया था। उसके सामने साम्राज्य के अन्य अमीर व जिनका मतलब 7000 था। शिवाजी का बुरा लगा उसने अपने अपने असतुष्टता प्रकट की और कबर रामसिंह से इस बात की शिवायत की (मालमगीरनामा प० 968-69 छापी खी II प 190-91)। एक बार मतलब खी दाहिनी धार के बाड़ म खटा था उसे आदेश दिया गया कि वह बाड़ व बाहुर बाई धार मनीम खी के निकट तथा मुमरत खी के भाग खना ले (अखबारात 27 जमानि उन अखब 44वाँ राजकीय वष)। बहरमद खी के अनुरोध पर बाद म मतलब खी करावाल बग्रा को बटहरे म खड होने की अनुमति दी गयी (अखबारात 16 जमान 1 वाँ राजकीय वष)। दखन व तोपखाने व दारोगा मंगूर खी को बटहरे व भीतर घड होने की अनुमति दी गया (अखबारात 9 रमजान 45वाँ राजकीय वष)।

- 6 मनुची I प 147-48 भीरात अत इस्ताह प० 15 व।
- 7 अखबारात 40वाँ राजकीय वष प० 71।
- 8 मामासीर-ए अतमगीरी प 224।
- 9 अखबारात 40वाँ राजकीय वष प 71।
- 10 सम्राट न बहारा के दारोगा बलाल खी को दरबार मे शस्ता सं लम आने की अनुमति दी थी (अखबारात 45वाँ राजकीय वर्ष प 170 व)।
- 11 अखबारात बहरमद खी की भाँति अलिफकार खी को पानकी मे बठ कर रहलवा तब आने की अनुमति दी गयी थी (अखबारात 47वाँ राजकीय वष परहात अल-नाउ रीन प 178 व)।
- 12 मामूरी प० 140 अ।
- 13 भीरात अत इस्तिला प 16 व।
- 14 मनुची खण I प 202।
- 15 रात्रि म चौकी-गन्दे के विस्तृत विवरण व तिए दखिये—मार्त I अतवात प 267 69।
- 16 टवनिबर I प० 302 03।
- 17 वहा प० 126 हिन्दू राजकुमारा तथा सेनानायका म यह प्रथा थी कि वे शाही दुब क नीच अपने शिदिरा के साथ प्रत्येक सप्ताह म 24 घण्ट तक सेवा म रहें (मनुची I प 207)। सम्भवत चौका क मन्त्र म उनम एसा लिखा है।
- 18 अवाकिल-ए अतमगीरी प 3 अ अडियन टूवेत्स आफ बरेरा प 48 भी देखें।
- 19 टवनिबर I प 303 310 अ टूवेत्स आफ पीटर मण्डी 1608 1667 II प 199।
- 20 तुजक प 100।
- 21 इमरतास प 144 व 145 अ।
- 22 मनुची II प 369।
- 23 अवाकिल-ए अतमगीरी प 15 अ 15 व मनुची II प० 366 69।
- 24 अखबारात 5 रमजान 47वाँ राजकीय वष।
- 25 भार खा को उसक पिता अमीर खी की उपाधि प्रदान की गयी (मामासीर-ए अतमगीरी प 489) म म्म इस्मार्त एतिका खी को उसके पूवजा की उपाधि अलिफकार खी 1689 ई म प्रदान की गयी (अपराक्त प० 331 32) मिर्जा नहरास को

### अमौर-वग तथा प्रशासन

- उसके पूर्वका का उपाधि महाबत खाँ प्रान्त की गयी (मासासीर भन् उमरा III प० 590) सय-महुमूद को खान-ए-दौरा की वशानुगत उपाधि प्रान्त की गयी (मासा सीर भल-उमरा, I प० 784) ।
- 26 खाफी खाँ (II प० 627 28) बहादुर शाह के रा-यकाल म इस नियम की भवलेना बिचे जाने की निन्दा करता है क्योकि वह एक हा उपाधि कई व्यक्तिना को प्रान्त कर देता था ।
- 27 मोर खाँ का अमौर खाँ की वशानुगत उपाधि प्रान्त की गयी अौरगजेब ने उस बाद बिलाने हुए कहा कि जब उसका पिता मोर खाँ स अमौर खाँ बना तो मोर खाँ ने सम्राट शाहजहाँ को अपनी उपाधि म अ (प्रतिफ) शब्द जोडन के लिए एक ताल खया लिया था—मासासीर ए-मानमगारी प० 489 फरहात-ए-नाइरीन प० 179 अ ।
- 28 अलबानामा प० 10-77 जबाबित-ए अलमगीरी प० 107 अ 109 अ अत्र 86 प० 31 अ 36 अ ।
- 29 राजकीय इतिहासिक अ या अलमगारनामा या साहीरी के 'आशाहनामा म दी गयी सूचिया से यह स्पष्ट है कि ऐसे अवसर पर उपाधियाँ प्रान्त का जाती थी ।
- 30 अलमगार क विस्तृत विवरण के लिए देखिये—टर्नियर I प 163 मनुचा II प० 464 इबिन द अमीरों का क द इडियन मुगलम प० 29 जब किसी को अलमगार प्रान्त की जाता थी तो प्राप्तकर्ता अलमगार धारण करने से पूर्व अौर उसके पश्चात् चार बार बार सम्राट के सम्मुख तसलीम करता था । साधारणत अलमगार के सम्बन्ध में चार बार तसलीम करना ही पर्याप्त था (गुलस्ता प० 6 अ) ।
- 31 अलमगीरनामा अत्र-तत्र ।
- 32 विस्तृत विवरण के लिए देखिये—अर्धन अण्ड I प० 29 30 ।
- 33 साहीरी I प० 398 99 माही मरातिव के विस्तृत विवरण के लिए देखिये—अन मेमोअर ऑफ द बार इन इडिया प० 355 56 अौर अल इस्तिलाह प० 16 अ इबिन द अमीरों का क द इडियन मुगलम प० 33 । माही मरातिव को अलमगार इरानी है अौर यह कहा जाता है कि इरान के शासक अमौर परवेज न 591 ई० म इसे देना आरम्भ किया । मगला न इसे इरान से ग्रहण किया (स्लीमन अण्ड I प० 176 अौर अिनो (II प 190) म अयामनदाम द्वारा उद्धरित) ।
- 34 अयामन-ए अयामन प० 12 अ । मारात अल इस्तिलाह (प 16 अ) के अनुसार 'माही-मरातिव 6000/6000 के अमौर को दिया जा सकता था ।
- 35 मारात अल इस्तिलाह प० 16 अ इस कथन की पुष्टि समकालीन एतिहासिक ग्रन्थ से होती है । 1694 म अौरगजेब ने शाह बेग खाँ स कहा कि 1000 से 7000 अ बीच के मनसबदारा जिन्हें अलम व नक़्तारे मिले हैं या नहीं मिले हैं वे सम्बन्ध म उसे सूचना दें (अयबारात 38वाँ राजकीय वर्ष प० 226) ।
- 36 मारात अल इस्तिलाह प 16 अ अत्र-तत्र प० 6 अ ।
- 37 मारात-अन इस्तिलाह प० 16 अ ।
- 38 1719 में हुसैन अली खाँ न नक़्तारे बजवात हुए अिल्ली म प्रवेश किया अौर घोषणा की कि अलम व अपनी गिनती सम्राट व नौबरो म नहीं करता था (खाफी खाँ II प 804) ।
- 39 मारात अल इस्तिलाह प० 16 अ ।

40 इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने से सम्बंधित शीपचारिताओं व सम्बंध में चंद्र भान ब्राह्मण के गुनदस्ता में एक राबक उद्धरण है। साम्राज्य के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति जिसका मनसब दिया जाता था या जिसकी पगान्ति की जाती थी या जिस जागीर प्रदान की जाती थी उस चार बार सनाम (तसलीम) करना पड़ता था। रत्न और रत्न जड़ माभूषण प्राप्तकर्ता के सिर पर रख जाते थे चौहूची छद्म और मालाएँ आदि हाथ गने गन्ना या बान पर रखा जाता था और प्राप्तकर्ता को चार बार तसलीम या सलाम करना पड़ता था।

हथियारों के सम्बंध में नियम यह था कि तनवार प्राप्तकर्ता के गले में लटका दी जाती थी खड्ग और जामधर सिर पर तथा तरकश कंधे पर रख दिया जाता था और चार बार सलाम करने के उपरान्त प्राप्तकर्ता को उस ग्रहण करने की अनुमति दी जाती थी। बमालें और बंदूक कंधे पर रख दी जाती थी और प्राप्तकर्ता चार बार तसलीम करने के उपरान्त उन वस्तुओं को हाथ में लेता था। जिरह-बख्तर प्राप्तकर्ता का गदन पर और कवच उसके कंधे पर रख दिया जाता था और वह उस पहन लिया करता था। इसी प्रकार हाथी व घोड़ों को उपहार में दत्त समय घोष की रास और महावत का सौटा प्राप्तकर्ता के कंधे पर रख दिया जाता था और प्राप्तकर्ता को तसलीम करनी पड़ती थी (गुलस्त १० 6 व 7 प)।

41 जब जयसिंह को शिवाजी को दण्ड देने का काम भार सौंपा गया तो उस खिलाफना आदि के प्रतिरिक्त पद्म ए मुरस्ता भी प्रदान किया गया (भामूरी प 131 व)।

42 रजायम-ए-करायम प 14 व 14 व घमान खाँ व पुत्र के सम्बंध में इस नियम का पालन न किया जाना अपवाद के रूप में था।

43 रजायम-ए-करायम प 0 व।

44 दस्तूर भल अमल अगाही प 61 रजायम-ए-करायम प 13 व।

45 आदाब ए अलमगोरी प 106 व 144 व 150 व रजायम ए करायम प 5 व 6 व 17 व 17 व।

46 आमानोद-ए-आनमगोरी प 103 व 23।

47 कम-म-कम शाहज ई और श्रीरंगजेब के राज्यपाल के सम्बंध में यह सत्य है।

48 आमानोद ए आनमगोरी प 10। जिस प्रकार यह राजकुमारियाँ अपने पतियों के साथ व्यवहार करती थी उसका लिए देखिये—टर्नियर 1 प 313।

49 टर्नियर प 200।

50 अगनी पतियों में दिये गए अवसरों को राजकीय एलिगनिक ग्रन्थ (आनमगोरीनामा) में देखा जा सकता है जहाँ प्रतिष्ठित अमीरों द्वारा पेशकश में दी गयी वस्तुओं या नकद धन के सम्बंध में सन्दर्भ है।

51 दखन में अपनी तृतीय थायमरायस्टा के समय श्रीरंगजेब ने भीर जूमला का विधा कि वह कर्नाटक के जमींदार श्रीरंग रायान के प्रतिनिधि को पेशकश के साथ दरबार में भेजा (आदाब ए अलमगोरी प 77 व)। श्रीरंगजेब ने मार मुल्तान का सूचित किया कि जो सामान पेशकश के रूप में उसने भेजा था वह प्राप्त हुआ (आदाब-ए-आनमगोरी प 155 व)। राणा राजसिंह ने दो रत्न जड़ी तनवारें और एक रत्न जड़ा भागा सम्पाद को पेशकश के रूप में भेजा जो स्वीकार कर लिया गया था (आनमगोरीनामा प 341)।

- 52 टवनिघर I प० 308 310 आलमगारनामा प० 837 मनुची, II प० 348-49  
मनुची III प० 411 ।
- 53 टवनिघर I पृ० 112 301 बनिघर पृ० 271 ।
- 54 आलमगारनामा यज्ञ-तत्र । सन्नाह को भेंट म लिये गये रहना का मूल्य सदैव उल्ले  
खित है ।
- 55 अश्ववारात 9 जमादि उम-साना 44वां राजकीय वष ।
- 56 आधामीर-ए आलमगोरी प० 440
- 57 अश्ववारात 28 रबी-उम-साना तथा 1 जमादि उम-साना 8वां राजकीय वष 25 रबी  
उल-अबल 38वां राजकीय वष ।
- 58 अश्ववारात 28 रबी-उम-साना 1 जमादि उम-अबल 1 जुमादि-उम-साना 8वां  
राजकीय वष 3 जिन्हिज्ज और 4 जिक्दा 9वां राजकीय वष ।
- 59 अश्ववारात 20 रजब 12वां राजकीय वष 20 रजब 43वां राजकीय वष ।
- 60 अश्ववारात 28 रबी उम-साना 8वां राजकीय वष ।
- 61 बनिघर प० 213 ।
- 62 भास्न खण्ड I प० 201 203 ।
- 63 आलमगोरीनामा प 39 184 306 315 324 414 तथा 866 मामूरी प० 131 ब ।
- 64 आधामार अत्र उमरा II प 32 37 ।
- 65 आलमगोरीनामा प० 160 315 मामूरी प 131 ब खाफी खाँ II प० 178  
लिकुशा प० 28 अ 28 ब आधामीर अत्र उमरा II प० 42 तथा 56 ।
- 66 लिक्कुशा प० 51 ब आधामीर-ए आलमगोरी प० 123 24 मामूरी, प० 173 ब  
खाफी खाँ II प० 316 ।
- 67 आलमगोरीनामा पृ० 1045 तथा 1057 आधामीर-ए आलमगोरी प० 61 आधामार  
अत्र उमरा I प० 277 87 ।
- 68 लिक्कुशा प 105 ब 114 ब 115 अ तथा 153 अ आधामीर-ए आलमगोरी प०  
284 तथा 356 आधामार अत्र उमरा II पृ 317 23 ।
- 69 आलमगोरीनामा प 749 763 829 आधामार अत्र-उमरा II प 282 ।
- 70 आधामीर-ए आलमगोरी प० 314 345 तथा 393 ।
- 71 बही प० 393 94 खाफी खाँ II प 175 ।
- 72 आधामार अत्र उमरा I प 484-85 ।
- 73 बने I प 287 90 आधामीर-ए आलमगोरी प० 347 ।
- 74 आधामार अत्र उमरा I प० 272 74 ।
- 75 आलमगोरीनामा प 830 1061 आधामीर-ए आलमगोरी प 127 144 150  
156 195 तथा 281 ।
- 76 आधामार अत्र उमरा I प० 346-50 ।
- 77 मीरात-ए अहमद I पृ० 218 लाहोरी II प 365 आधामीर अत्र-उमरा III,  
प 447 51 ।
- 78 खाफी खाँ II प 216 आधामीर अत्र उमरा I प० 235-41 ।
- 79 मामूरी प 162 अ आधामार अत्र उमरा I प० 237 39 ।
- 80 बियाद-ए ईजाद बघा रसा प 8 अ 11 अ खाफी खाँ II प० 215-17 ।

- 81 साम्राज्य अब काजिया पर निभर है और एक हाजी घूस से ही सतुष्ट है ।
- 82 उताहरणाथ जब यह सूचित किया गया कि सना का बन्धा नननाम खाँ और बाक्या निगार खाननाम खाँ शहजादा बदर बख्त से जाकर नहीं मिले थे तो सम्राट ने दोनों का मनसब घटा लिया—अखबारात 16 शवान 43वाँ राजवाय वष ।
- 83 महाबत खाँ 6 000/5 000 (3 500 × 2 3 अस्या) के हाथों में काबुल का सूबदार था (आलमगीरनामा 229) । महाबत खाँ के अंतरण के पश्चात् अमीर खाँ 5 000/5 000 (1 000 × 2 3 अस्या) को नियुक्त उन पर हुई (उपरोक्त प० 661) ।
- 84 शाहनवाज खाँ सफवी 6 000/6 000 (5 000 × 2 3 अस्या) गजरात का सूबदार नियुक्त किया गया था (आलमगीरनामा प 210) । उसके बाद राजा जसवंतसिंह 7 000/7 000 (5 000 × 2 3 अस्या) के हाथों में गजरात की सूबदारी रही (उपरोक्त प० 346) ।
- 85 मद्रजदम खाँ और जुमना 7 000/7 000 (2 3 अस्या) के हाथों में बहाल की सूबदारी थी (आलमगीरनामा प० 676) उसका उत्तराधिकारी शायस्ता खाँ अमीर उल उमरा था 7 000/7 000 (2 3 अस्या) (उपरोक्त प० 848) ।
- 86 लखर खाँ 2 500/2 000 के हाथों में कश्मीर सूबा था (आलमगीरनामा प 195) 1672 ई में इफितखार खाँ 2 000/1 000 को कश्मीर का सूबदार नियुक्त किया गया (आलमगीरनामा प 254) ।
- 87 तरबियत खाँ 4 000/4 000 को 1659 में अजमेर का हाकिम नियुक्त किया गया (आलमगीरनामा प 119 304) 1679 में इफितखार खाँ को अजमेर का हाकिम नियुक्त किया गया (बाक्या-ए अजमेर) ।
- 88 बाक्या-ए अजमेर ।
- 89 रजायम ए-करायम प 3 व 9 व दस्तूर ए अमल ए अगाही प 38 ।
- 90 इशा ए रोशन बलाम ।
- 91 जूलिफकार खाँ 5 000/5 000 के हाथों में कनाटक-हेराराई की फौजदारी थी आमा सीर अल उमरा II प 65 आसिम खाँ 3 500/3 500 (2 000 × 2 3 अस्या) के हाथों में कनाटक-बाजापुर की फौजदारी था (अखबारात 15 सफर 35वाँ राजकीय वष) ।
- 92 अन्दुरजाक नारी 5 000/5 000 को राहैरा का फौजदार नियुक्त किया गया (बाफा खाँ II प 405) । फिदाई खाँ 4 000/4 000 का गोरखपुर का फौजदार नियुक्त किया गया (आदाब-ए आलमगीर 260 अ) तरबियत खाँ 4 000/3 000 को उनीना का फौजदार नियुक्त किया गया (मीरात अल-आलम प० 208 अ) ।
- 93 अखबारात आदम का तिविर 24 रजब 47वाँ राजकीय वष ।
- 94 मोर पत्र उल्लाह 500/00 को रायसन का किलदार व फौजदार नियुक्त किया गया था (अखबारात 38वाँ राजकीय वर्ष प 378) ।
- 95 धाका बहुराम 500/400 का खाऊन का फौजदार नियुक्त किया गया (अखबारात 9 रजब 24वाँ राजकीय वष) नुसरत खाँ 700/00 (2 3 अस्या) जामिन का फौजदार रहा किन्तु बाद में उसे निलम्बित कर दिया गया (अखबारात 11वाँ रबी-उल अवन 37वाँ राजकीय वर्ष) ।
- 96 अध्याय 3 देखिये ।

- 97 अछवारान 36वा राजकीय वष प० 73 37वाँ राजकीय वर्ष प 201 202 ।
- 98 छान-ए छालम इखलाम खीं (6 000/5 000) का बाह्यापुर का थानेदार नियुक्त किया गया और उसका स्थानान्तरण व उपरान्त उमका छोटा भाए इखतिसास खीं (4 000/2 600) को उसा थानेदार पर नियुक्त किया गया (अछवारान 4 रबी-उल अवन 42वा राजकीय वष) ।
- 99 गनदोना खीं (4 000/4 000) को बहुरा की थानेदारी दी गयी और उसके स्था नान्तरण के उपरान्त नागाजा मान (5 000/4 000) को गनी थानेदारी पर नियुक्त किया गया (अखवारान 8 मन्रम 44वाँ राजकीय वष) ।
- 100 मन्मद सालिब खा (3 000/1 200) को लोहगए की थानेदार नियुक्त किया गया (माघासीर अवन उमरा III प० 246) ।
- 101 मन्मनिमि (200/50) को गारहा का थानेदार नियुक्त किया गया (अखवारान 24वाँ राजकीय वष प० 57) ।
- 102 अला-ए (700/500) के हाथा में खण्डा की थानेदारी थी (अखवारान 28 रजन 24वाँ राजकीय वष) ।
- 103 माघासीर-ए-अनमगरी प० 109 ।
- 104 अर्वावित ए अनमगरी प 82 व 82 व ।
- 105 खाफी खीं II प० 407 ।
- 106 माघासीर-ए अनमगरी प 461 ।
- 107 औरंगजेब के शासकान के प्रारम्भ में अख खीं (4 000/2 000) त्तीय बखी या (माघागार अवन उमरा, I पृ 311) । 1694 म अखरित खीं (2 000/700) को त्तीय बखी नियुक्त किया गया (माघासीर ए अनमगरी प० 349) । 1704 म मिर्जा मगरी खीं को त्तीय बखी नियुक्त किया गया । उम समय उसका मनसब 3 000/1 000 था (माघागार-ए अनमगरी प 482) ।
- 108 सम्भवत अमीरा की उन राजा के विना गृ बचन पूणत सत्य सिद्ध नहीं होया जो लखनी व ।
- 109 अभिय—अखवारान 19 रबी उम गाथा । वाँ राजकीय वष 3 शावान 24वाँ रा० व० 14 शावान 43वाँ रा० व 5 शावान 43वाँ रा० व० 8 जमाति उल अखल 44वाँ रा व० 9 जिलजिज 45वाँ रा० व 20 रमजान 40वाँ रा० व० 24 शावान 37वाँ रा० व 10 डिक्ता 39वाँ रा० व 25वाँ रा० व प० 388 । डिक्ता 17वाँ रा० व 27 मन्रम 4 वाँ रा व 2 रबी उल अखवन 43वाँ रा० व 10 शावान 41वाँ रा० व० 19 जमाति 42वाँ रा० व 5 रबी उल अखवन 43वाँ रा व० 11 मुहरम 46वाँ रा व० 1 डिक्ता 43वाँ रा व 11 रबी-उल अखवन 34वाँ रा व 24 रबी-उल अखल 43वाँ रा० व 15 जमाति उल-गानी 44वाँ रा० व० 24 रमजान 44वाँ रा व 2 जमाति 9वाँ रा० व 23 डिक्ता 43वाँ रा० व० 7 जिलजिज 43वाँ रा व खाफ्री खीं II प० 275 478-83 फामुरी प० 155 व 178 व माघागार-ए अनमगरी प० 88 89 ।
- 110 खाफी खीं II प० 88 89 ।
- 111 मीरात-ए अहमदी I प० 13 मजहर-ए जहजजाना, प० 177 180 ।
- 112 मनुषी III प० 260 IV प० 98 तथा 100 भीमन ने भी कहा है कि अपने

अन्तिम वर्षों में औरंगजेब का ध्यान दुर्गों को अधिकतम करने (विनायीरी) में ही लगा रहा और उसने साम्राज्य की दशा पर तनिक भी ध्यान न दिया (दिलकुशा प 146 अ) मजहर ए शाहजहानी प० 173 74 ।

113 इगलिश फकद्रीज 1661 64 प० 203 205 मामूरी प० 175 व 179 अ खाफी खाँ II प० 261 तथा 375 81 ।

114 मनुची III प० 232 त्तिनुशा प० 84 अ ।

115 अत्यधिक सभ्या में इस प्रकार के फरमान उपलब्ध हैं । प्लागवादा में यू पी रिकार्ड आफिस में ऐसे फरमानों का बन्धस्य साग्र है । उनका मूल मख्य दक्खर के रायवान के अन्तिम वर्षों से प्रमाणित किया गया ।

116 मनुची III 300-301 उद्धरित— एच एच० दास द नौरिस एम्पली टू औरंगजेब प 221 227 ।

117 फरर प 329-30 द इगलिश फकद्रीज 1670-77 भाग I (यू निरीज) प 190 ।

118 मनुची III प 411 ।

119 वही प 412 11 ।

120 माम्मासीर-ए आनमगीरी प० 191 ।

121 मनुची III प० 300 ।

122 अखबारात 11 राजध 39वाँ राजकीय वर्ष ।

123 त्तिनुशा प० 84 अ ।

124 मनुची II प 451 52 III प 291 देखिये— इगलिश फकद्रीज 1670-77 खण्ड I (यू निरीज) प 267 ।

125 बावेरी द फकद्रीज राजण द व आफ बगाल प 153 ५८ द इगलिश फकद्रीज 1661 64 प 140 1668 69 प० 315 भी देखिये ।

126 माम्मासीर-ए आनमगीरी प 83 ।

127 वही प 169 ।

128 वही प 190-91 ।

129 1702 में छानिमा के दीवान के पेशकार खलुमज को एक लाख रुपये खर्च करने के अन्वेषण में बन्ध कर लिया गया । तत्पश्चात् 25 000 रुपये का भुगतान किया जाने तथा एक बात का आश्वासन देने पर कि यह वक़ायफ़ खर्च का भुगतान विपत्तों में कर देगा आश्वासनसार उस छानि लिया गया (अखबारात 13 शव्बान 45वाँ राजकीय वर्ष) । लेकिन तत्पश्चात् 13वाँ जियने मिराज क हुज का अनाज अण्णर आदि खर्च कर उससे प्राप्त धन हृदय किया था कि मनसब में से खर्च 300 सत्ता ही घटाये गये (अखबारात 22 शव्बान 38वाँ राजकीय वर्ष) । इगलिश फकद्रीज 1670-77 खण्ड I (यू निरीज) प 267 भी देखिये ।

## अमीर-वर्ग एवं आर्थिक जीवन

(नोबन्स एंड इकॉनॉमिक्स लाइफ)

### अमीरों की व्यापार में भूमिका

समकालीन यूरोपीय अमीर वर्ग की भांति मुगल अमीर-वर्ग भूमि से अनुबन्धित नहीं था, उनकी जागीरों का (या राजस्व आउटलेट) नियमित रूप से स्थानांतरण होता रहता था और उनमें से अनेक नकदी से अर्थात् उन्हें सीधे राजकोष से नकद वेतन प्राप्त होता था। किन्तु यदि मुगल अमीर अनुबन्धित जागीरदार नहीं थे तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह व्यावसायिक प्रशासनिक वर्ग थे। जीवन में उनका मुख्य उद्देश्य वेतन अर्जित करना था, न कि व्यापारिक लाभ, न ही उनका या उनमें से अधिकांश का व्यापारिक 'मध्य-वर्ग' से ही उत्थान हुआ, जसा कि समकालीन आंग्ल 'मल्ल-वर्ग' के एक विशाल भाग के उदाहरण में हुआ। मुगल अमीरों के जीवन से सम्बन्धित सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु उसमें व्यापारी परिवार में जन्मे व्यक्तियों के उदाहरण मिलना कठिन है। निःसन्देह अमीर जमला का एक ऐसा उदाहरण है जो एक व्यापारी में प्रशासनिक बन गया। पठानों के गन्दम में अनूपी का कहना है कि उन्होंने व्यापारियाँ एवं यादगारों का पेशा समर्पित कर लिया था और वे दरबारियों की श्रेणी में प्रवेश पाना (अपने साधन एवं अनुचरों के आधार पर) व्यापार में पूज्य जीवन के समान समझते थे।<sup>1</sup> नुरुल्लाह साँ एक अन्य अमीर था जो मूलतः एक व्यापारी था तथा जिसने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान स्याति प्राप्त की।<sup>2</sup> लेकिन बात यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि औरंगजेब के समय के किसी अन्य ऐसे अमीर का हमें पता नहीं मिलता जिसने अपना जीवन व्यापारी के रूप में प्रारम्भ किया हो।

किन्तु प्रशासनिक-वर्ग का सदस्य होने के कारण, कोई भी अमीर अपने को व्यापारिक समार से पृथक् नहीं रख सका। चाहे उनके पास जागीरें हों या उन्हें राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा हो जागीरदारों की आमदनी नकदी में ही हुआ करती थी। जसा कि हम अध्याय 3 में देख ही चुके हैं कि नकद में लेन-देन पूर्णतः प्रचलित था, तथा जागीरों से राजस्व अधिकांश नकद में वसूल किया जाता था। जब हम इस काल के अमीरों को मिकरों, नकद और आभूषणों के



रूप में घनुल सम्पत्ति सचित करते हुए देखते हैं तो इगम तनिक भी घारुचय न होना चाहिये । उन घमीरों के लिए जिनके पास घत्यधिक नरु घन था, यह स्वाभाविक ही था कि वे उसने या ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करें या व्यापारियों को घन देकर, उस घन में वृद्धि करने की इच्छा करें । समुद्री व्यापार के लिए घावश्यक घन का सबसे बड़ा स्रोत मुगल घभिजात-वर्ग था । टर्नियर के अनुसार "सूरत पट्टने पर तुम्हें घत्यधिक घन दिग्यायी पडेगा । क्योकि हिन्दुस्तान के घमीरों का यह मुख्य घथा है कि वे घपने घन को उन जहाजों पर सट्टे में सगार्ये जो हरमुज बगरा घौर मोरवा तथा बटाम, घचिन या फिनीपीन जा रहे हों ।"<sup>2</sup>

व्यापारिक क्षत्र में इस प्रकार की व्यापारिक लागत का सबसे घच्छा उदाहरण भीर जुमला प्रस्तुत करता है । यह घंघेजो<sup>3</sup> स निरन्तर व्यापारिक सौदे करता रहा घौर वभी-वभी घंघेज व्यापारियों को उसने घन भी निया ।<sup>4</sup> घय घ्यक्तिया को भी भीर जुमला घन दिया करता था घौर वास्तविक रूप से यह एक 'व्यापारी राजा' था । उसके जहाज घरावान दक्कनी भारत<sup>5</sup> घौर फारस के मध्य व्यापार किया करते थे । इगलिंग फवटीज इन इण्डिया के निम्न लिखित उद्धरण से यह भली भांति पता होता है कि फारस से समुद्री व्यापार करने में उसकी रुचि थी—

"तुम्हें (चेम्बर घौर उमने साधिया को) हमारी घाम सलाह-मगविरा की प्रतिलिपि द्वारा पता होगा कि हमने नरुवाय से मित्रता बनाये रखना स्वीकार किया है क्योकि घब उसे जक जहाज वापस नहीं निया जा सकता, या तो वह ऐन नामक जहाज सय-सामान एवं भण्डार सहित ले ले या तुम्हारे नये जहाज को । किंतु इस घय तुम्हें ऐसा दिग्याया करना चाहिये जस तुम्हें यह मालूम ही नहीं है कि हमने किसी भी भांति इस बात का निणय कर लिया है, ताकि यह बात उसे मालूम हो सके । तुम्हें उससे हिमाय किताब से मालूम ही है कि नरुवाय हमारे प्रति पंचगुना घधिक ऋणी है । इससे घतिरिक्त प्रतिवय पिछले घय की भांति 25 टन गो-लाख के लिए हमारी सहायता लेता है घौर जिसके लिए फारस में वह न कोई किराया देता है घौर न चुभी ही ।"<sup>7</sup>

तथापि घमीरों का घ्यान केवल बाह्य व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा घरनु सम्भवत बहुत हद तक घान्तरिक व्यापार पर भी छाया रहा । यहीं उनकी व्यावसायिक घनभिज्ञता की पूति उनकी शक्ति एवं प्रभाव के दुरुपयोग में कर दी । गुजरात के घधिकारियों को भेजे गय घौरगण्ड के फरमान में इस प्रकार के व्यापारिक सौने के सन्दर्भ हैं, जो घमीरों ने किये घौर जिससे उन्हें घत्यधिक लाभ हुआ ।<sup>8</sup>

एक मुगल घमीर के रूप में समुद्री व्यापार करने के सम्बन्ध में यदि भीर

जुमला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है तो आन्तरिक व्यापार में उलझे रहने वाले एक अमीर के रूप में शायस्ता खा का उदाहरण सर्वोत्तम है। धन के लिए उसने अपनी असीमित धुंध की तृप्ति का रास्ता बगाल के आन्तरिक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके निकाला।

'शायस्ता खाँ, जहाज द्वारा नमक, गुपारी तथा अन्य वस्तुएँ आयात करता था और उन्हें बगाल में लाभप्रद दरों पर बेचा करता था। उसके अनिश्चित उसने एक स्वर्ण मोहर के बदले दो या तीन ताला स्वर्ण लेकर 17 करोड़ रुपया एकत्र किया। वह ढाका शहर में व्यापारियों तथा सौदागरों को नमक व गुपारी भी बेचा करता था। इस प्रकार के स्वयं इन वस्तुओं को खरीदने व बेचने से बर्चित कर दिये गये।'<sup>9</sup> उसी स्रोत से हमें ज्ञात होता है कि शायस्ता खाँ ने 'अनेक स्थानों पर 1,52,000 रुपय के मूल्य के नमक के बड़े बड़े गादाम स्थापित कर लिये थे।'<sup>10</sup>

इसी अमीर के सम्बन्ध में इंगलिश रेकॉर्ड्स में भी उसी प्रकार की सूचनाएँ भरी पड़ी हुई हैं। 'नब्बाव (शायस्ता खाँ) के अधिकारी लोगों को बताते हैं, सभी वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित करते हैं यहाँ तक कि निम्न से निम्न वस्तु जस जानवरों के लिए घास, जलाती वाली लकड़ी, फूग आदि, न ही वे उन सभी लोगों को बताने में चूकते हैं जो व्यापार करते हैं चाहे वे देशी हों या विदेशी।'<sup>11</sup> पटना से लिखत हुए 'चारनौ' ने (3 जुलाई, 1664) कहा कि 'शायस्ता खाँ की इच्छा थी कि शोरे का पूरा व्यापार अपने हाथों में ले ले और फिर उसे हमारे तथा डचों के हाथों अपनी दरों पर बेचे, चकि वह जानता है कि खाड़ी में जहाज खाली नहीं वापस जा सकते हैं। लेकिन इस रूप में उसे 4,000 या 5,000 मन से अधिक शोरा नहीं मिल सकेगा। उसके दारोगा ने सौदागरों को इतनी बुरी तरह में परेशान किया है कि वे लगभग वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। वह इस बात का दिखावा करता है कि वह सारा शोरा सम्राट के लिए खरीद रहा है। कुल मिला कर युद्ध के लिए उस कभी भी प्रतिव्यय 1,000 या 1,500 मन से अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी।'<sup>12</sup>

किमी न किसी प्रकार व्यापारिक लाभ उमान की शायस्ता खा की तीव्र इच्छा कौर्ई अपवात् न थी। 1703 ई० के लगभग सम्राट को सूचित किया गया कि शहजादा अजीम उद-दौला अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए, जिसे उसने सौदा-ए-खास कहा अवसरदस्ती सामान खरीद रहा था। औरंगजेब ने शहजादे की कठोर भूमना की और उसके काम को व्यग्यात्मक रूप से सौदा-ए-खाम (बच्चा सौदा) कहा और लोगों को लूटने के लिए उसने शहजाद को बेवकूफ एवं भ्रष्टाचारी बताया।<sup>13</sup>

निस्सन्देह मुगल अमीर बिनासी वस्तुओं, विशेषतः अवाहारात का व्यापार

करने में रुचि रखते थे। टर्नियर स गायस्ता खाँ की खरीदारियाँ इस बात का उदाहरण हैं। यहाँ तक कि यह फासीसी सौदागर इस अधिपति की ओर से 1654 में जवाहरात खरीदने के लिए यूरोप भी गया।<sup>14</sup>

कभी-कभी अमीरो के माध्यम से सम्राट स्वयं भी जवाहरात खरीदता था। गायस्ता खा ने 109 मोती औरगजेब को भेजे, किन्तु शाही विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार खान ने उनके मूल्य के बारे में जासफारिश की वह बहुत ही अधिक थी अतएव सम्राट ने उन्हें खरीदने के बजाय वापस कर दिया।<sup>15</sup> इससे पूर्व एक अन्य अवसर पर गायस्ता खा ने एक जवाहर और कुछ मोती औरगजेब के पास, जब वह राजकुमार था भेजे और औरगजेब ने उससे उनके मूल्यों के बारे में पूछताछ की ताकि उसका भुगतान किया जा सके।<sup>16</sup>

अपनी रुचि एवं निर्देशों के अनुसार विलासी वस्तुएँ और अन्य सामान प्राप्त करने की इच्छा के कारण साधारणतया अमीर वग को खिलअतें बतन हथियार सज्जा-सामग्री आदि बनवाने के लिए अपने कारखानों<sup>17</sup> की स्थापना करनी पड़ी जिनमें अत्यधिक सख्या में कारीगर रने जाते थे।<sup>18</sup> इन कारखानों की प्रकृति एवं अमीरो का इन कारखानों में भर्ती किये गये कारीगरों के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन टर्नियर के एक सुप्रसिद्ध उद्धरण में प्राप्त होता है। उसके अनुसार 'कुशल कारीगरों की गव कर सकने योग्य एक कमशाला दिल्ली में ढूँढना बकार होगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि लोगों में कला उपाजित करने की क्षमता नहीं है वरन भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति उपलब्ध है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनके पास औजार तक नहीं हैं और जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उठाने कभी भी किसी से प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया बनाम गय कारीगरों का सुन्दर नमूना के उदाहरण अत्यधिक सख्या में उपलब्ध हैं। घना व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु सस्त दामों में मिल जाती है। जब कभी किसी अमीर या मनसबदार को एक कारीगर की सवाआ की आवश्यकता होती तो वह उसे बाजार से बुलवा लेता है यदि आवश्यकता होनी तो वह गक्ति का प्रयोग भी करता ताकि उस गरीब आदमी को काय करने के लिए बाध्य किया जा सके और जब काय समाप्त हो जाता था तो वरहम मालिक उसके धर्म के अनुसार नहीं वरन अपने हिसाब से मामूली पारिश्रमिक दे देता है कारीगर अपने का इस बात के लिए भाग्यशाली समझता है कि भुगतान के रूप में उस कोड़े खाने को नहीं मिल। इस प्रकार केवल वही कलाकार अपनी कला में ख्याति प्राप्त कर पाता है जो सम्राट या किसी गक्तिशाली अमीर की सवा में होते हैं तथा जो केवल अपने सरभर के लिए ही काय करते हैं।'<sup>19</sup>

अमीरों द्वारा कायम किय गये कारखानों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। बख्तवार खा के इस अभिमानी दावे कि उनमें विभिन्न

शहरा<sup>०</sup> म अनेक कारखाने स्थापित किये ह, क माय ही साथ गुजाबत खाँ के कारखाना की इतिहासकारा द्वारा की गयी प्रशंसा का भी रखा जा सकता है। गुजाबत खाँ के कारखाना म बने कप, प्लेटा, बतना आदि की औरगजेब ने बहुत ही प्रशंसा की है और गुजाबत खाँ न यह वस्तुएँ उपहारस्वरूप सम्राट तथा अन्य अमीरों को भी भेजा।<sup>१</sup>

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अमीरों के अतिरिक्त, सम्राट और राजकुमारों तथा राजकुमारियों के भी कारखाने हुआ करते थे। उदाहरणार्थ, औरगजेब द्वारा शाहजहाँ का भेजा गया एक पत्र में हम यह देखते हैं कि कुशल कारीगरों के अभाव में शाहजहाँ कारखाना और राजकुमारी जहाँगारा के कारखानों का उत्पादन बहुत कम हो गया था। औरगजेब के व्यक्तिगत कारखाना में काम करने वाले कारीगरों के काम की सम्राट ने प्रशंसा नहीं की थी।<sup>२</sup> एक अन्य पत्र में जो औरगजेब ने जहाँगारा बेगम को लिखा, उसने आश्वासन दिया कि कारखाने की व्यवस्था में कोई परिचितन नहीं किया जायेगा और जिन वस्तुओं की आवश्यकता उसे होगी उनका उत्पादन होता रहेगा।<sup>३</sup>

यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापारिक कार्यों में धन लगाये जाते थे प्रमाण हैं, किन्तु यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि सच्चे ढंग से व्यापारिक लाभ बर्तान में उनकी रूचि थी। इसके विपरीत, वे व्यापारिक काम में कभी-कभी रुकावटें डालते थे ताकि वे अपनी आमदनी, सम्पत्ति का प्रयोग करके नहीं कर सकें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बड़ा सकें। व्यापारियों एवं सौदागरों को आवश्यक विशेषाधिकार प्राप्त करने में पूर्व अमीरों का धूस देने की आवश्यकता होती थी।

1667 ई० में जब फ्रांसीसी व्यापारियों ने व्यापार के लिए सम्राट से एक फरमान लेना चाहा तो उन्हें सम्राट का विदेशी अदभुत वस्तुओं के रूप में 30 000 रुपये, माय ही 10 000 रुपये जाकर खाँ को और इतनी ही राशि अन्य अमीरों को देनी पड़ी। जब उपरोक्त धनराशि का भुगतान हो गया तो व्यापार के लिए एक कारखाना फ्रांसीसी व्यापारियों को दिया गया और उन्हें इस बात की अनुमति दी गयी कि वे सूरत में एक मकान किराय पर ले लें और अपने माल पर यथा मूल्य 2 प्रतिशत चुगी दें।<sup>४</sup>

1659 में मीर जुमला ने फारस बाजार में अग्रजों का व्यापार उस समय तक बन्द कर दिया जब तक कि उस उपहार न मिले और उसके पश्चात् ही उसने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी।<sup>५</sup> 1660 में मीर जुमला ने अंग्रेज व्यापारियों से 50,000 पगाडा माँग कर और उसने उनसे 32 000 पगाडा जो उस कम्पनी को देने थे छोड़ देने की माँग की।<sup>६</sup> जब वह बगल का सूबेदार था, तो मीर जुमला ने अंग्रेज व्यापारियों को चुगी न देने की छूट दे दी थी और

उनके बन्दन में घोरगञ्ज व्यापारियों को प्रतिवर्ष 3000 रुपये रूना पट्टे था।<sup>17</sup> व्यापार घोर विनिमय में सभी जगह भ्रष्टाचार था घोर जब तक कि अधिकांश व्यापारियों को कुछ रकम नहीं मिल जाती थी तब तक वे गहनता नहीं करते थे।

दैनिक के अनुसार, यह विस्तृत सार है कि जा मुर्गी, प्रारस तथा भारतवर्ष में राजकुमारों के दरबार में व्यापार करना चाहते हैं वे तब तक किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास अधिक मात्रा में उपहार तैयार नहीं हो। घोर विभिन्न प्रकार के विचित्र अधिकांशों के लिए किसी सेवा की उपाय प्रस्तावित है। सर्व मुनी हुई राम की भती न हो।<sup>18</sup> मसाले व सूखे हुए के बदन पर व्यापारियों को, प्रारस व परवारों के पुनर्विनीकरण के लिए कुछ-कुछ रकम राश करनी पड़ती थी।<sup>19</sup>

बसांत में वापस आना कि समय में घोरगञ्ज व्यापारी परराज कर्माणि वापस आना कि इन बातों पर जोर देना शुरू किया कि चाहे इस समय उता व्यापार हो या न हो वे उम 3000 रुपये के मूल्य के उपहार दें। यद्यपि इस समय हमारा या हमारे स्वामियों का व्यापार बहुत ही कम बलि न के बराबर है फिर भी उपाय के वागम में हम परेशानी में मुक्त नहीं हैं। इस बात की विचगनीय मूल्य प्राप्त हुई है कि मसाले व भ्रादगातुमार बालागोर घोर किसी को विजित कर बगाल के मूल्य व भ्रष्टागत रण किया गया है जिससे लिए विचय कर इस समय विवाय पदवानाप करने के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दाना ही स्थान एक एक व्यक्ति के हाथ में आ गया है जो अन्वयी एक अत्यन्त लोभी हैं। चाहे कोई भी जहाज घाय या न घाय हम भय है कि प्रति वर्ष इस स्थान पर हमसे 3000 रुपये उपहार के रूप में निय जायेंगे क्योंकि इस सहर (धर्यात् हुगली) का लगान एक पुगी उताही जागीर है।<sup>20</sup>

भोरगञ्ज-ए-अहमदी में घोरगञ्ज का एक परमान मुर्गीन है जो इस बात का जानक है कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार से मुग़ल भमीर सरतानुनी पर एक मुल्क लगा कर व्यापार घोर विनिमय को निचोड़ते थे।

भोरगञ्ज न गुजरात प्रांत के जागीरदारों को प्राप्त दिया कि वे इन मुल्कों को—जसे राहगरी माही मल्लाही तरकारी तहवाजारी आदि को—जा समाप्त कर दिया गया था व्यापारियों और सौगरो से समूल न करें। उनके लिए भनाज आदि कम दामा पर खरीद कर उस ऊंचे दामा पर बेचना बजित था। उह भनाज के व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों एवं सौगरो की ओर से भेंट किया गया पक्का को स्वीकार करना मना था। मसाले न उह यह भी भ्रादग दिया कि वे व्यापारियों पर गरवानुनी मुल्क न लगायें।<sup>21</sup>

जबकि इस काल में भूमि से प्राप्त राजस्व ही भमीरों की आमदनी का मुख्य भाग रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस आमदनी को विभिन्न प्रकार की

ध्यापारिक सट्टेबाजिया म भाग लेबर बड़ान स लाभ के सम्बन्ध म उच्च बग के धमीरो के एव भाग वा धर्त्यधिक बाध हो चुका था । यहाँ तर कि बाहुबादे तथा धाही परिवार के सदस्य एव वेगमे भी ध्यापारिक सट्टेबाजी द्वारा लाभ बमाने म पीछे न रह ।<sup>1</sup> दूमरी धोर, यद्यपि यह सत्य है कि धमीर कभी-कभी ध्यक्त्तिगत लाभ के लिए अपन सरकारी पद वा अनुचित प्रयोग भी करते थे, किन्तु इस प्रकार के उदाहरण के सम्बन्ध मे बवार म बग चढाकर नही बहना चाहिए । मध्य युग म धार्मिक भायला मे सरवार का हस्तगोप, विगोप वृषार्ण प्राप्त करना एव उपयुक्त घूम, उपहार आदि देकर एवाधिकार स्थापित करना, आदि तथ्य के रूप म मान लेना चाहिए ।

जागीरो से भ्रामदगी की अनिश्चिन्ता के बावजूद, धीरगजेव के समय के अधिनास धमीरों की भाय के साधन धर्त्यधिक थे । वे बसून किये गये लगान को या तो पूँजी के रूप म लगा सकते थे या अपन परिवार के सदस्य या अपने अनुचरों के उपभोग म खाने वाली वस्तुआ पर व्यय कर सकते थे । सारास म, उच्चतर स्तर पर ध्यक्त्तिगत उपभोग, ध्यापार व उद्योग को बढ़ाने मे सहायता की अपेक्षा बहुत ही बड़ा बाधक था, क्यकि इसके कारण ध्यप ही मे विलासी वस्तुआ के उत्पादन तथा उन्हें प्राप्त करने पर बल दिया गया । ऐसी परिस्थिति मे उत्पादन के नये तरीका एव प्रविधिया के विकास के लिए प्रेरणा देने की बहुत ही कम गुजाइश रह गयी । उद्योग व सम्बन्ध म धमीरो के विचार कारखानो या उन प्रतिष्ठानों स, जिनमे उनके विलासीकरण की आवश्यकताआ की पूर्ति करने के निम्न कीमत पर कारीगर रखे जाते थे, कमी भी धाये न उठ सके ।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चाहे उन्हने कुशल कारीगरो को कितना ही सरक्षण क्यों न प्रदान किया हा, अधिनासत उनके पूँजी निवेश की प्रकृति इस प्रकार की नहीं थी जिमसे बड़े पैमान पर उत्पादन की प्रविधियों मे किसी प्रकार का सुधार हो सकता ।

### संदर्भ

- 1 मनुकी छण्ड II प० 453 ।
- 2 रियाउ-उम-सनातोन प० 224 उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास 3 000 शत का मतसब था ।
- 3 टैबलियर छण्ड I प० 31 ।
- 4 नब्याब के धन को हम निविदाद एवं बिना बिस्ते दावे के यह सोच कर कि द्रवतिया उसे वापस कर देगा तथा हिगाब बनता कर देगा, भवमय ही स्वीकार कर लेते हैं और भविष्य के लिए कोई भी इस प्रकार की कठमन एव अनुचित माँग की स्वीकार नहीं करता । उनमे जहाज को हम वापस लेने की वेष्ठा करेंगे धीर चलते माच में हमे भ्राता

- है कि हम इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का व्यौरा देंगे (द इंग्लिश फक्टरीज इन इंडिया 1661-64 पृ० 68) ।
- 5 इस बीच चारनौब और शलान की भादेश दिया गया कि वे तत्काल श्री टुवसिया को अपनी कायवाहियों का व्यौरा दें । टुवसिया से अनुरोध किया गया कि जा घन उस मीर जुमला ने दिया है वह उसका भुगतान करे और उस पुन काफी मात्रा में शारा सम्भरण करने की आवश्यकता की बात दिलयी गयी (द इंग्लिश फक्टरीज इन इंडिया 1661-64 पृ० 153 1665-67 पृ० 135 और 145) ।
  - 6 वाज्या-ए-दखन, डा० यूसुफ हुसैन द्वारा सम्पादित सख्या 2 (1 मुहर्रम 1702 हिजरी) ।
  - 7 इंग्लिश फक्टरीज 1661-64 पृ० 148-49 मीर अमला की व्यापारिक कायवाहियों के लिए देखिये—अ एन सरकार द लाइफ़ थाफ़ मीर अमला पृ० 216-18 ।
  - 8 मीरात ए-अहमदी खण्ड I पृ० 286-88 गुजरात सेक्टर आफ़ वामशियल एक्टिविटीज रकायम-ए-नरायम पृ० 20 व ।
  - 9 एन क० भयान एनल्स आफ़ देहली बादशाहत गोहाटी 1947 पृ० 167-68 ।
  - 10 उपरोक्त पृ 169-72 अपनी जागीर में मिर्जा राजा जयसिंह ने नमक बनाना शुरू किया पारणामस्वरूप परगना साबर में नमक बनाने का शाही कारखाने को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष नुकसान होने लगा । शाहजहाँ ने तुरन्त जयसिंह को आदेश दिया कि वह नमक बनाना बन्द करे अन्यथा उसकी जागीर स्थानान्तरित कर दी जायेगी (जयपुर डाक्यूमेंटस सख्या 68 5 सन्नाल 1053 हिजरी) ।
  - 11 शायरीज आफ़ स्ट्रिन्शन मास्टर I पृ० 80 बगाल में अधिकारियों द्वारा वस्तुओं को एकाधिकृत करने का प्रवृत्ति के लिए देखिये—फतेह-ए इंडिया पृ 127 व ।
  - 12 इंग्लिश फक्टरीज 1661-64 पृ० 395-96 ।
  - 13 रियाज-उस-सलततीन पृ० 243-44 ।
  - 14 टवनीयर खण्ड I पृ 320-22 । टवनीयर के घनसार व्यापार के मामले में भारतीय बहुत ही दक्ष थे और बिना किसी विलम्ब के शून्य का भुगतान कर देते थे (खण्ड I पृ० 326) । 1652 में शायस्ता खां ने टवनीयर से 96,000 रुपये के मूल्य की वस्तुएँ खरीदी 1660 में उसने दूसरी बार टवनीयर से कुछ वस्तुएँ खरीदी 1666 में उसने पुन उससे कुछ विलासी वस्तुएँ खरीदी (खण्ड I पृ 15-16) । शायस्ता खां ने टवनीयर से छुबसूरत जवाहरात उम लाकर देने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि वह सम्राट का भाति ही उदारतापूर्वक उनकी कीमत देगा (खण्ड I पृ० 245) ।
  - 15 आदाव ए-मानमगीरो पृ 113 व ।
  - 16 वही पृ० 113 व-व ।
  - 17 आजकल अमीरों से विद्वान कारखाना शुरू की केवल सम्राट राजकुमारा और अमीरों द्वारा आयम की गयी कर्म शाला से सतम्न करते हैं । लेकिन यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि सत्रहवा शताब्दी में विदेशी व्यापारी कम्पनियों के भी कारखाने होते थे (द इंग्लिश फक्टरीज 1618-21 पृ 198) । हम यह कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत व्यापारियों के भी कारखाने हुआ करते थे ।
  - 18 लिस्ली आगरा लाहौर और बरहानपुर में बख्शाने खाँ के कारखानों उसके मकानों एवं भवनों के सबब के लिए देखिये—मीरात अ-न मालम पृ० 253 व ।
  - 19 टवनीयर पृ० 254-56 ।

## धमीर वग एव आधिक जीवन

- 20 मीरात मल मालम प० 253 ।
- 21 माभासीर-ए मालमगौरी प० 405-406 ।
- 22 भादाव-ए मालमगौरी प० 25 म ।
- 23 वही प० 196 म ।
- 24 द इगलिश फक्ट्रीज इन इडिया 1665-66 प० 281 ।
- 25 वही प० 292-93 ।
- 26 वही प० 391-92 ।
- 27 वही प० 393-94 ।
- 28 टर्नियर घण्ट I प० 115 ।
- 29 द इगलिश फक्ट्रीज इन इडिया 1665-60 प० 197-98, मीर जमला की मृत्यु के पश्चात् नये सुवेदार जाऊद खाँ से अपने परवाना के नवीनीकरण के लिए अग्रज घ्या पारियों की अनक कठिनाइया का सामना करना पडा (इगलिश फक्ट्रीज 1661-64 प० 288) ।
- 30 द इगलिश फक्ट्रीज इन इडिया 1665-67, प० 258-59 ।
- 31 मीरात-ए प्रहमदी घण्ट I प० 286-88 ।  
 राहूदारी—राहू शुल्क ।  
 माही—मछियारे द्वारा बाजार म मछली लाकर बचने के ऊपर कर ।  
 मल्लाही—दुकानदार व्यापारियों तथा राहूगौरो के ऊपर घाट कर ।  
 तरकारी—भाशनकारों द्वारा बाजार म हूरो स-जी लाने के ऊपर कर ।  
 तहबजारी—दुकानदारों के ऊपर भूमि-कर ।
- 32 एम० चन्द्र बगाल पास्ट एण्ड प्रजुष्ट जलाई दिसम्बर 1959 प० 92-97 ।



## अमीरो के प्रतिष्ठान (द एस्टेब्लिशमेन्ट ऑफ द नोबल्स)

### अमीर-वग की 'सरकार'

पहले एक अध्याय में हम बता चुके हैं कि मनसबदार किस प्रकार वेतन प्राप्त करते थे। वे साम्राज्य के प्रशासक-वर्ग में थे, लेकिन फिर भी अपनी आय के लिए मुख्यतः प्रशासन पर ही निर्भर करते थे। सम्राट ही उनकी अनुमोदित आय या वेतन के लिए उन्हें जागीरें प्रदान करता था और यदि वे नकदी हुए तो वह उन्हें नकद में वेतन देता था। इसके अलावा उन्हें सैनिक टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थी और प्रशासन की सेवा में रहते हुए अन्य स्वच्छ उद्योग पड़ते थे। अपने निजी साधनों से किये गये भुगतान की कोई भी लेखा परीक्षा मुगल प्रशासन के लिए पूर्णतः अपरिचित वस्तु थी। अमीरों के व्यक्तिगत खर्चों को न राका जाता था और न ही उनका निरीक्षण किया जाता था। निरीक्षण केवल उनके द्वारा व्यवस्थित भूमिगत सामान या उनकी सेवाओं का होता था।<sup>1</sup> इस प्रकार प्रत्येक अमीर की अध स्वतंत्र सरकार (प्रशासन) हुआ करती थी, जिसमें उसकी सैनिक टुकड़ी उसके अधिवारी घरेलू नौकर-चाकर हरम, सेवक और परिजन सम्मिलित थे। इस प्रकार के सभी प्रशासनों की स्वतंत्र इकाइयाँ थीं क्योंकि शासक के प्रति सैनिक तथा अन्य उत्तरदायित्व का निर्भराने के पश्चात् जिस तरह अमीर चाहते थे अपनी आय में से खर्च करते थे। निःसन्देह एक अमीर की सरकार में प्रमुख स्थान वित्तीय विभाग का होता था, जो उसके प्रतिनिधियों द्वारा उसकी जागीर से राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता था। इस आय की वृद्धि कभी-कभी उपहारों और रिश्वत से या व्यापारिक उद्यमों से हो जाया करती थी। प्रत्येक अमीर का एक 'दीवान' हुआ करता था जिसके अन्तर्गत अमीर के प्रतिष्ठान के वित्तीय प्रशासन एवं कर्मचारीगण हुआ करते थे। पलसट के अनुसार नियमानुसार स्वामियों की सम्पत्ति एवं उनकी वायवाहिया गुप्त नहीं थी, बल्कि सबका मालूम रहती थी, क्योंकि प्रत्येक अमीर का एक 'दीवान' होता था जिसके द्वारा सब वायवाहियों की जाती थी। दीवान के अनेक मातहत हुए करते हैं और एक आदमी के करने योग्य काम को करने के लिए यहाँ दस व्यक्ति होते हैं, और प्रत्येक के हाथों में

निश्चित काय हाता है जिसके सम्बन्ध में वह ही उत्तरदायी होता है।<sup>13</sup> यह स्पष्ट नहीं है कि वह अधिकारी, जिसे मनुची न 'खजाची' कहा है, वह वही व्यक्ति था जिसे दीवान कहा गया। उसने हम बताया है कि किस प्रकार 'एक व्यक्ति, जो उसके (भ्रमीर जाफर खाँ) परिवार के लिए जड़ी-बूटियाँ और तरकारियों की कश्मीर की यात्रा के दौरान आपूर्ति करता था—इस सेनानायक के परिवार का हिसाब किताब खजाची के पास वष के अन्त में लाया जाता था, और यह चाहता था कि जो धन उसे लाकर दी है उनका मूल्य उसे चुका दिया जाये। उसके हिसाब किताब की जाँच करने के उपरांत उस अधिकारी को ज्ञात हुआ कि रकम बहुत ही बड़ी थी, अतएव उसने 80,000 रुपये की रकम रद्द करने का निश्चय किया।"<sup>14</sup>

पंजाब के एक सन्त की प्रशंसा में लिखे गये एक पद्य के रचयिता के प्रति हम बहुत ही आभारी हैं, जिसने अपने विवरण में एक भ्रमीर की 'सरकार' के विभिन्न अधिकारियों का राबक विवरण दिया है। उक्त रचयिता ने 1639 की पटनाया का विवरण देते हुए, जिनका सम्बन्ध उमम व उसके भाई से था तथा जो उस समय भ्रमीरा का सवा में थे, भ्रमीरों के अनेक अधिकारियों के पदा के नामों के साथ-साथ उनके कतब्या की ओर कुछ संकेत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले एक 'खजानेदार' (खजाची) हुआ करता था जो नकद रकम रखता था। 'मुसरिफ-ए खजाना' हिमाय किताब और सनद अर्थात् बारात (मुगतान करने के लिए आदेश) और बज्ज (आय का हिसाब) रखता था। एक भ्रमीर की सरकार में यह रचयिता इस पद पर था, और उसे अयम 'दफ्तर ए-तौजीह' (या हिसाब किताब) रखने का काय प्राप्त हुआ। वास्तव में मुसरिफ ए सरकार ही खरीददारी का नाम करता था किन्तु विनोप सौद के लिए उसे भ्रमीर के अन्य अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी, उदाहरणार्थ— बिना खान ए-सार्माँ और खवान-सालार के ध्यान में लाये हुए, एक मुसरिफ न अनाज खरीद लिया, अत उसका मत्माना हुई। खान ए-सार्माँ एक खवान सालार ही प्रथम परिवार एवं भण्डार की व्यवस्था करते थे तथा रमोई के वास्तविक काय की देखभाल करते थे। इसके प्रतिरिक्त एक अय अधिकारी, 'बहशी ए-सरकार' भी हुआ करता था जो भ्रमीर की सनिव टुकड़ी की व्यवस्था की देखभाल किया करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रमीर की सरकार के प्रशासन के लिए कुछ अधिष्ठित परम्पराएँ हुआ करती थीं। प्रत्येक अधिकारी अपने ही काय-अय में किसी भी व्यय के लिए खजाची के नाम एक 'बारात (मसबिदा) तयार करता था। इस प्रकार खान-ए-सार्माँ के रूप में उक्त लखक के भाई का भ्रमीर के एक सनिक न इस बात के लिए बाध्य किया कि वह अपने नाम पर बड़ाया रकम के लिए एक बारात लिखे, किन्तु उसने

उससे बारात के लिए बम्बान सरकार के पास जान के लिए बहू दिया।<sup>6</sup>

अपने स्वामी की आर स अमीर के अधिकारिया का न केवल हिसाब बित्ताव ही रसना पढना था, बरन् एर स्थान स दूसर स्थान पर धन स्था नान्तरित करन की व्यवस्था भी करनी पढती थी विशेषकर जागीरा स मुख्य केन्द्र के लिए। आमतौर पर यह काय हुण्टिया<sup>8</sup> द्वारा किया जाता था और यह बहुत ही सम्भव है कि सोलंगरा की भाँति अमीर भी बहुधा इसका उपयोग करते हा।

### अमीरो की सनिक टुकडियाँ

स्वामाविक रूप स एक अमीर की सनिक टुकडी उसके प्रतिष्ठान का यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं तो भी काफी महत्वपूर्ण भाग हुधा करती थी। गाही अधिनियमो के अनुसार प्रत्येक मनसबदार को कई ताबीनान या अच्छे नस्ल के घोडो के साथ सवार रखन पढत थे, सवारा की सख्या अमीरों के मनसब द्वारा निर्धारित होती थी। ताबीनान स यह आगा की जानी थी कि व सदैव तयार रहेंग और इस प्रकार के साम्राज्य की स्थायी सेना का एक भाग थ।<sup>7</sup> जो सनिक अमीर द्वारा अल्पकाल के लिए किराये पर लिय जाते थे उह सह बन्दी बहुत थ और साधारणत उह ऐम कार्यों म लगाया जाता जस—लगाव का बमूल करना या पुलिस का काय करना।<sup>8</sup> के हाजिरी के लिए उपयुक्त नहीं समझे जात थ और साधारणत जब उनकी तुलना ताबोनान स की जाती थी तो उह कुछ तुच्छ दृष्टि स देखा जाता था।<sup>9</sup>

साधारणत यह विश्वास किया जाता था कि मनसबदार अपने पद के अनुसार पूरी सनिक टुकडियाँ नहीं रखत थे। मनुची के अनुसार, यह भद्र (मनसबदार) साधारणत अपने अस्तबल म पचास या सौ से लेकर दा सौ घोडे दिखान या सवा के लिए रखत हैं। निरीक्षण के दिन व अपने सवका का शस्त्रा स लस कर उन घोडो पर सवार कर देत हैं और सनिक के रूप म उह सामन से ले जात हैं। सनिका को जो बतन मिलता उस व अपने लाभ के खाते म खाल देते हैं। साम्राज्य व सभी भागा म एस अधिकारी हैं जो प्रत्येक बात पर अपनी निगाह रखत हैं, या कम से-कम ऐसा करना उनका दायित्व है। किन्तु दरबार स दूर रहने के कारण वे निष्ठावान व्यक्तिया की भाँति अपने कतब्या का पालन करने का स्वप्न भी नहा देखते।<sup>10</sup>

मनुची के इस व्यापक कथन का समर्थन भीमसन ने भी किया है, जिसके अनुसार श्रीरंगजेव के अंतिम दिनो म केवल तीन राजपूत सरदारो को छोड कर, कोई भी शाही अधिकारी उचित सख्या मे अपने सनिका की टुकडियाँ नहीं रखता था।<sup>11</sup> शासन के शाही अभिलेखा म एस, उच्च एव निम्न, अधिकारियो

के सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट शिकायतें हैं कि वे अपनी भक्ति टुकड़िया ठीक से नहीं रखते थे।<sup>1</sup>

साधारणतः मनसबदारों के ताबीनात अभिजात 'युद्ध प्रिय कबीला' से भर्ती किये जाते थे और प्रत्येक मनसबदार उह या तो अपने कबीले में से या अभिजात युद्धप्रिय कबीला से भर्ती करता था। अमीरों द्वारा भर्ती के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले सनिका के बढायली सयोजन के सम्बन्ध में प्रदत्तान में स्वयं अपने अधिनियम बनाये थे। य नियम छुलासात उस नियम में दिये हुए हैं तथा उनका साराश इस प्रकार है—

1) द्वास प्राक्सियाना के मुगल अमीर जो दरबार में (औरगज़ेब के) 24वें राजकीय वष के पश्चात आय थे उह केवल मुगला की ही हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना था।

2) जो मुगल इसमें पूव आये थे, वे अपने सनिका की सख्या का 1/3 भाग मुगल तथा 2/3 भाग अय जातिया के व्यक्ति रख सकते थे, किन्तु अफगानों की सख्या 1/6 से अधिक नहीं हो सकती थी।

3) सय्यद और शेखजादे (भारतीय मुसलमान) केवल अपनी ही जाति के लोग भर्ती कर सकते थे किन्तु उनकी सना में राजपूतों और अफगानों की सख्या 1/6 से अधिक नहीं हो सकती थी।

4) अफगान अमीर अपना मना में दो तिहाई अफगान तथा एक तिहाई अय जातियों को लागा कर रख सकते थे।

5) राजपूता के लिए वही नियम था जो सय्यदों और शेखजादों के लिए, अर्थात्, वे अपनी ही जाति में से लोगों को भर्ती कर सकते थे।<sup>2</sup>

मनुची इस अधिनियम का उल्लेख करता है और कहता है कि इसे अक्बर ने लागू किया था।<sup>3</sup> 1680-81 ई० में अजमेर के गवर्नर तहल्लूर खाँ को इस बान पर विशेषरूप से धमण्ड था कि वह केवल मूरानिया (द्वास प्राक्सियानन्स) को ही भर्ती करता था।<sup>4</sup>

विभिन्न सनिकों को जो वेतन दिया जाता था वह अमीर तथा सनिकों के मध्य एक समझौते का मामला था प्रशासन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। बस्तुतः, जमा मनुची कहता है सनिका के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में सेनानायकों तथा अधिवारियों के कोई भी निश्चिन नियम नहीं थे क्योंकि कुछ का वे 20 या 30 रुपये देते थे और कुछ को 40, 50 या 100 रुपये।<sup>5</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि साधारणतः सनिका को स्वयं अपने छोड़े लान पडत थे। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसके पास दो घाट (दो अस्था) हाते थे उस उम व्यक्ति से जिसके पास एक घाटा (एक अस्था) हाता था उसे अपनी अधिन वेतन दिया जाता था।<sup>6</sup> जहाँ तक वास्तविक वेतन मात्र का प्रश्न है उमका अनुमान हम

इस बात से लगा सकते हैं कि 1680 में तहबूर खाँ अपने तूरानी सैनिकों को अधिक वेतन देने के बारे में प्रसिद्ध था। उनमें से किसी को भी, जसा कि पात होता है 60 रुपये या 50 रुपये प्रतिमास से कम नहीं मिलता था, और उन्हीं से अधिकतर दो अस्था सैनिक थे।<sup>18</sup> 1685 ई० में गाही सबा के लिए गुजरात से भर्ती किये गए अस्थाओं को 30 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं दिया जाता था।<sup>19</sup> सह-बन्धियों जिन्हें विशेष कार्यों के लिए किराये पर लिया जाता था और जिनके पास सम्भवतः निम्न-स्तरीय घाड़े होते थे उनका वेतन बहुत ही कम था। 1682 ई० में उन्हें गुजरात में गहजाण अजम की 'सरकार में स्थानीय सेवा के लिए 15 रुपये प्रतिमास प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराये पर लिया था।'<sup>20</sup>

वेतन के भुगतान करने का ढंग भी एक जसा नहीं था। हम यह देख चुके हैं कि कभी-कभी कोई अमीर अपनी जागीर का या उसके एक भाग का वितरण अपने सैनिकों में कर दिया करता था, और उन्हें लगान वसूल करने तथा उसे अपने पास रखने की अनुमति दे दिया करता था। कुछ उदाहरणों में सैनिकों को एक-एक वागत, या अपने स्वामी की जागीर के कर एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम एक हुण्डी दे दी जाती थी और उक्त अधिकारी जमा किये गये लगान में से उसे रखन का भुगतान कर देता था।<sup>21</sup> चाहे सैनिकों को सीधे मुख्यालय से ही वेतन मिलता हो तो भी यह उन्हें पूरा रूप से सिक्कों में नहीं मिलता था, और 'उन्हें सदा दो महीने के वेतन के रूप में कपड़े तथा परिवार में से पुराने परिधान प्रदान कर दिये जाते थे।

यह एक आम शिकायत थी कि सैनिकों के वेतन सदा बकाया रहते हैं। हम खान ए जहाँ वारहा तथा इफित्तार खा जैसे बड़े अमीरों को यह स्वीकार करते हुए देखते हैं कि उनके सैनिकों के बकाया वेतन के दावे पाँच और छ महीने पुराने थे।<sup>22</sup> फायर इस बात का विवरण देता है कि किस प्रकार जुन्नार में चाद की पहली तारीख के दिन सैनिक इकट्ठा होकर गवर्नर के मकान पर सलाम करत और उम यह याद दिलाने के लिए कि उनका 14 महीने का वेतन बकाया है उपस्थित हुए।<sup>23</sup> माँची के विवरण से ऐसा विदित होता है जहाँ यह एक साधारण नियम था कि (सैनिकों) का दो या तीन वर्षों की सेवा का वेतन बकाया रखा जाये। यदि अपने बकाया वेतन के दल पर सैनिक सर्राफा से उधार ले लेते थे तो व्याज द्वारा सर्राफों का लाभ में समानाधिक या अधिकारी अपना हिस्सा लेते थे।<sup>24</sup> और वास्तव में हाजिरी लन वाले अधिकारी इस बात की आशा करते थे कि सैनिकों की दायनीय दशा उन्हें बकाया वेतन का आधा भाग छोड़ देने पर विवश कर दगी।<sup>25</sup>

सैनिकों के साथ अमीरों का व्यवहार निस्सदेह एक सा नहीं था। तहबूर

हाँ द्वारा अपने तुरानी सनिका के प्रति विशेष कृपापूण व्यवहार के निम्नलिखित उद्धरण से, एक धर्मवाद द्वारा जो नियम सिद्ध करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि उन सनिकों से क्या आशा की जाती थी।

‘उक्त खान बा इस वग के प्रति व्यवहार भ्रातृ-तुल्य है और इन व्यक्तियों द्वारा उस बहुत-सी आता में नीचा देखना पड़ता है। न वह अपनी चौकी पर गश्त लगाने के लिए न ही अपने दरवार में उनकी उपस्थिति (हाजिरी) के लिए, और न ही अनुपस्थिति (वजा ए गैर हाजिरी) पर उन्हें अथदण्ड देने के लिए बाध्य करना है।’

### सावजनिक कल्याण-कार्य एवं धर्मिय

देश के अतिरिक्त उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग धर्मिय वग हस्तगत कर लेते थे और यह ज्ञात करना बहुत ही रोचक बात होगी कि वे इसमें से कितना आसित वग के हितों पर व्यय करते थे। यद्यपि यह मालूम नहीं किया जा सकता कि वे इन कार्यों पर कितना धन व्यय करते थे, कि तु फिर भी सावजनिक कल्याण कार्यों के सम्बन्ध में उनके विचारों के सम्बन्ध में कुछ तो कहा ही जा सकता है।

एक मौसत धर्मिय के अत्यधिक उपयुक्त कल्याण-कार्यों के विचारों का एक उदाहरण औरंगजेब के शासनकाल के प्रारम्भिक भाग में बरस्तावर खान द्वारा सावजनिक उपयोग में लायी जाने वाली अनेक इमारतों के निर्माण में मिलता है। सूची में सर्वप्रथम एक सराय का नाम आता है जो उसने शाहजहाँनाबाद के निकट बनवायी तथा उसका नाम बरस्तावरनगर रखा। उसमें यात्रियों के लिए जो अपने परिवारों के साथ ठहरने के लिए आते थे, पृथक् पृथक् कमरे थे। उसके निकट उसने एक मस्जिद बनवायी जिसके एक तरफ एक पक्का कुआरा और दूसरी तरफ एक स्नानागार था, और दोनों ही सावजनिक उपयोग के लिए थे। यहाँ उसने दुकानों के लिए एक बाजार (बन्गरा) स्थापित किया। सराय के निकट उसने एक उद्यान लगवाया जिसके उत्तर में उसने एक सीढ़ीदार तालाब बनवाया। सराय से 1/2 क़रोह की दूरी पर स्थित पहाड़ी से एक सोता बहता था। उसने इस सोते पर एक बाँध बनवाया ताकि प्यासों के लिए एक तालाब तथा प्रकृत प्रेमियों के लिए एक भरना बनवाया जा सके। यहाँ से सोते का पानी एक नहर द्वारा उद्यान के तालाब में ल जाया जाता था। उसने बरस्तावर-नगर तथा फ़रीनाबाद के मध्य बरसाती नदी पर एक पुन भी बनवाया। कोटा के निकट बरस्तावरपुरा में उसने एक मस्जिद और तालाब तथा गरीबों के रहने के लिए एक मकान भी बनवाया। उसने इन इमारतों की व्यवस्था के लिए विरायते पर देने के लिए काठियाँ एवं सहन भी बनवाये। शाहजहाँनाबाद के

निकट प्रसिद्ध शाह नहर पुरानी पश्चिमी जमुना नहर के ऊपर एक पुल बनवाया और एक मस्जिद बनवायी। उसने दो सावजनिक उद्यान, एक अंधराबाद और दूसरा लाहौर में, बनवाये। अतः, उसने दोष नासिद्धीन विराग के मंत्रबरे के निकट एक मस्जिद बनवायी।<sup>8</sup> इस सूची से प्रतीत होता है कि बरखा वर खाँ की दृष्टि में सावजनिक हित की इमारतों में सरायें, पुल, तालाब उद्यान तथा मस्जिदें थीं। यह आश्चर्यजनक बात है कि यद्यपि उसका काय धर्मवत्ताओं का श्रीरगजेव से परिचय कराना था किन्तु उसने कोई मदरसा या धार्मिक विद्यालय स्थापित नहीं किया। इस प्रकार जो कुछ भी हम अथ अमीरो द्वारा सावजनिक हित की निशा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में सुनते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सावजनिक हित के सम्बन्ध में उस समय की धारणाओं के अनुसार बरखावर खाँ ने सभी सम्भावनाएँ पूरी कीं। शायस्ता खाँ अपनी सराय और पुला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो उसने लावा रुपये खर्च कर देश भर में बनवाये।<sup>9</sup> मीर जुमला न हैदराबाद में एक बड़ा तालाब बनवाया और एक उद्यान लगवाया।<sup>10</sup> मीर खलील ने नारनौल में खलील सागर नामक एक बड़ा तालाब बनवाया।<sup>11</sup> इरिज खाँ ने इलिचपुर के निकट एक सराय बनवायी<sup>12</sup> इत्यादि। अमीरो ने जो मस्जिदें बनवायीं उनकी संख्या अत्यधिक थी। गाजी उद्दीन खाँ के लिए कहा जाता है कि उसने दिल्ली में एक खानवाह बनवायी।<sup>13</sup> कभी-कभी अमीरो ने बड़े-बड़े निःशुल्क भोजनालय भी खोले। 1660 में जब उत्तरी भारत में भीषण अकाल पड़ा तो श्रीरगजेव ने 1,000 व उसके ऊपर के सभी मनसबदारों को निःशुल्क भोजनालय खोलने का आदेश दिया।<sup>14</sup> इस प्रकार के सावजनिक कल्याण-कार्यों द्वारा जो दुःख दूर हुआ उसका महत्त्व कम नहीं समझना चाहिए, फिर भी यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य बहुत ही सीमित था। विपन्न एवं तत्कालीन विपदा में सहायता प्रदान करना यात्रियों के लिए सुविधा एवं राहत पीने व पानी की व्यवस्था, पूजा करने के लिए स्थानों का निर्माण करना आदि—यह सब काय उच्च वर्ग की आत्मा की सतुष्टि करने के लिए पर्याप्त थे। सिंचाई की व्यवस्था अस्पताल एवं विद्यालय अमीर वर्ग की सीमा के बाहर की बातें थीं।

मुगल अमीर वर्ग साहित्य एवं कला के प्रति किसी भी भाँति उदासीन नहीं था। अनेक अमीरो ने कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा था और उनमें से अनेक तो स्वयं भी अच्छे विद्वान और कवि थे। उनमें केवल इस विचारधारा का अभाव था कि साहित्य एवं कला का विकास एवं उन्नति केवल सावजनिक संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा अधिक अच्छी प्रकार ही सकती थी। परिणामस्वरूप अमीरो ने कला और साहित्य को, संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था द्वारा उतना संरक्षण प्रदान

नही किया जितना व्यक्तिगत विद्वाना, हकीमो कविया और कलाकारो की सहायता करके तथा उह अपनी सेवा में लेकर किया। इस क्षेत्र में अनेक शमीरो ने सरक्षक के रूप में स्थापति प्राप्त की।<sup>135</sup> कुछ शमीर तो विद्वान एव कीमिया में भी रुचि रखते थे। इस सम्बन्ध में दानिशमन्द खाँ का उदाहरण सर्वप्रथम है। उसने विविक्तसागास्त्र के नये सिद्धान्तों के सम्बन्ध में वाद विवाद करने के लिए बनिपर को अपनी सेवा में भर्ती किया।<sup>136</sup> शमीरो में अनेक स्वयं अछड़े विद्वान एव कवि थे।<sup>137</sup> इस प्रकार मुगल शमीर-वर्ग किसी भी तरह से न तो असम्भ था और न ही बौद्धिक क्रिया कलाओं से पर। उमम कमा केवल इसनी ही थी कि उसमें विज्ञान तथा शिक्षा को बढ़ावा देने की तनिक भी इच्छा न थी, जो केवल नैतिक समस्याओं की स्थापना द्वारा ही हो सकती थी।

### हरम एव कुटुम्ब

शमीर "पत्नियों, नौकरों, ऊँचा एव घोडा के बड़े प्रतिष्ठान" रखते थे।<sup>138</sup> कुटुम्ब, जिसका मुख्य भाग हरम होता था, अवश्य ही शमीरो की श्राय का मुख्य भाग चूस लिया करता होगा।

नियमत एक शमीर की तीन या चार पत्निया, जो प्रतिष्ठित व्यक्तिया की पुत्रियाँ हाती थी, हुआ करती थी। सभी स्त्रियाँ शमीर के महल में एक हुवेली में जो ऊँची दीवारों में चारों ओर घिरी हाती थी, साथ साथ रहती थी। प्रत्येक पत्नी का पृथक बख हुआ करता था और उसके अनेक निजी दास—10 20 या 100, उसके भाग्यानुसार हुआ करते थे।<sup>139</sup> दासों का विज्ञान परिजन वर्ग—दासियों और हिजडों—को मुख्यत इस्तिफ रखा जाता था कि अभिजात वर्ग की स्त्रियों पर न रहें और बाहरी लोगों की दृष्टि उन पर न पड सके। शमीरों की पत्नियों के ऊपर अनेक गुणधरो—'बिना दाँत की बूढी औरतो और बिना दाढ़ी के हिजडो" पर फायर टिप्पणी करता है, और कहता है कि, वे उन स्त्रियों को आवश्यकता की वस्तुएँ जसे—भोजन पानी, गोमन आदि दान के लिए तथा गैर कानूनी घुसपट्टिय को रोकने के लिए द्वार पर उपस्थित रहा करते थे।'<sup>140</sup>

महल के अन्तर् भोग विनास का बोलवाला था। महल की चहारदीवारी के भीतर ही तालाब और उद्यान हुआ करते थे।<sup>141</sup> मुगल उद्यानों की प्रसिद्धि ठीक ही है। बहुते हुए पानी की निरन्तर आपूर्ति के लिए तालाबों को भरने तथा भरना के लिए पानी की व्यवस्था को बनाय रखने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया जाता था।<sup>142</sup> एक शमीर के हरम के भीतरी-जीवन का गनूची न, जो असद खाँ की पत्नी तबल बार्दी का विश्वास-पान्न होने का दावा करता है, इस प्रकार विवरण दिया है—



‘स्त्रियाँ विविध प्रकार के भाजन द्वारा अपना मनोरजन करना पसन्द करती हैं, स्वयं को शान से सजाने के लिए कपड़े या आभूषण मोती आदि पहनती हैं, तथा अपने शरीर को सुगन्धित करने के लिए नाना प्रकार की सुगन्धित वस्तुआ एव इत्रों का प्रयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त उह नृत्य एव प्रहसन द्वारा अपना मनोरजन करने प्रेम ब्याएँ और कहानियाँ सुनने, फूनों की शय्या पर विश्राम करने, बन्त हुए पानी की मधुर ध्वनि सुनने, संगीत सुनने तथा अन्य इसी प्रकार के आनन्द प्रमोद की पूण अनुमति थी।’<sup>43</sup> मदिरा भी चलती थी, “संध्या की ठण्डक में वे अत्यधिक मस्तिष्कपान करती हैं, स्त्रियाँ अपने पतिया से शीघ्र ही यह आनन्द मीस लेती हैं। संध्या समय अमीर स्वयं हरम में अथ रात्रि तक पीन तथा संगीत एव नृत्य से आनन्द उठाने के लिए आ जाता था।”<sup>44</sup>

शुकी अमीरा का विलासी जीवन और उनके उद्यान ऊँची-ऊँची दीवारों के पीछे छपे रहते थे, अतएव बर्नियर की यह गिकायत सही प्रतीत होती है कि फ्रांस की भाँति भारत में कोई भी व्यक्ति अमीरों के घरों को न देख सकता है और न ही आनन्द उठा सकता है।<sup>45</sup> परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मुगल अमीर अपने हरम, उद्यानों और घरेलू भोग विलास की वस्तुआ पर कम व्यय करते हों। उदाहरणार्थ भीमसेन के अनुसार अमानत खाँ, जो केवल 700 का ही मनसबदार था, ने फाजिलपुर (बुरहानपुर) में एक बहुत ही बड़ी एव शानदार हवेली बनवायी जिसमें मिला हुआ एक उद्यान था तथा हवेली के अंदर अनेक तालाब थे जिनमें एक नहर से पानी जाता था।<sup>46</sup>

स्त्रियों के अतिरिक्त अमीरों के पाम पालतू जानवर भी होते थे। उदाहरणार्थ दाऊद खाँ प्रतिवर्ष 2,50,000 रुपये अपने पालतू जानवरों जिसमें शेर गिरा और बाज सम्मिलित थे पर व्यय करता था।<sup>47</sup>

अपने घरों के बाहर भी अमीर अपनी शाना शीकत बनाये रखते थे। बर्नियर के अनुसार वे कभी भी अपने डायोनी के बाहर बिना सर्वोत्तम वेप भूषा के नहीं दिखायी देते हैं कभी वे हाथी पर सवार हाकर चलते कभी घोड़े पर और अकसर पादकी पर और उनके साथ साथ उनके घुंसवार पदक, उनके मेवकों का दल, जा या तो अपने रवामों के आग या उमक दाहिने या बायीं ओर, न केवल गस्ता साफ करने के लिए बरन मोर पखा से मक्खियाँ को उड़ाने और धूल साफ करने के लिए खरका एव पीबदान तथा अमीर की प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर और कभी-कभी बही तथा अन्य वागजों को लेकर साथ साथ चला करते हैं।<sup>48</sup>

शमीरों के प्रतिष्ठा

**शमीर-वग मे वित्तीय सकट**

श्रीरगजेव के शासनकाल मे जागीरदारी प्रथा म वन्ते हुए सकट का देखा श्रीर-वग के किजूलखर्ची के सम्बन्ध मे बहुश चर्चा की जा चुकी है। बनिपर ने देखा कि 'यहाँ बहुत ही कम घनाढय शमीर हैं इसके विपरीत, उनमे से अनक उलभी हुई स्थिति में हैं श्रीर अत्यधिन ऋणी हैं। उसने सोचा कि ऐसा केवल उनके बडे प्रतिष्ठानो श्रीर बहुमूल्य उपहार जो उन्हें मफ्राट को देन पडते थे के कारण था।<sup>49</sup> शासनकाल के अन्तिम वर्षों म भीमसेन ने शमीरो की गहन श्राधिक कठिनाइया की चर्चा की है, विन्तु उसने श्राधिक कठिनाइया के कारण कुछ श्रीर ही बतलाये। काश्तकारा ने खेती करना बन्द कर दिया था श्रीर इसलिए एव भी तबे का सिक्का जागीरदार के पास नही पहुँचता था। इससे क्याकि जागीरदारो को जल्द स्थानान्तरित कर दिया जाता था। साथ ही साथ विभिन्न कारणो एव वहाँो से सरकारी मुदिया न सभी प्रकार की मदो के अन्तगत अयदण्ड, वज के पुनमुगतान आदि के निष्प शमीरो के सम्मुख दावे (मुतालिबा) प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया था।<sup>50</sup> इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि दक्खन के मुदो ने, विशाल क्षेत्रो का विध्वंस करके, सनिक भार को श्रीर बढ़ा कर अनेक शमीरो को बवार कर दिया था। उन्हाहरणाय इनायत उलगाह ताँ जैसे शमीर ने दरवार मे भेजी गयी एक अर्जी मे इस बात की प्रायना की कि उनके सभी हाथी श्रीर ऊँट मर चुके थे तथा साहूकारा के निष्प जमानत के निष्प उनके पास कुछ भी नही था जिमस कि वे उमे वज दे सकें।<sup>51</sup>

अन्तिम वर्षों के अखबारत शमीरो की गिनापता से भरे पडे हैं कि वे निधन हो चुके थे श्रीर उन्हें राजकोष मे सहायता की आवश्यकता थी।<sup>52</sup> ऐसे शमीरो की संख्या बहुत ही अधिक थी जो दक्खन छोडकर उत्तर श्राना चाहत थे।<sup>53</sup> श्रीर उमे अनेक दक्खनी शमीर थ जा मगडा मे जावन भिन गय थे।<sup>54</sup>

शमीर-वग पर यह श्राधिक ऋण, मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए गहन श्राधिक सकट का सहज परिणाम था जो 17वीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे दृष्टिगोचर हुआ। इस सकट का बोझ सम्भवतः शमीर-वग के निम्नतर भाग पर गडा विन्तु उच्च वग भी इसके प्रभाव से पूणत बच न सका। कुछ भी हो पहली मज्जिम पर इस श्राधिक सकट का प्रभाव पडा वह शमीरो की विलासी वस्तुएँ नही, वरन उनकी सनिक टुकडियाँ थी। इस प्रकार की अदूर-दगिना, ऐसे वग मे जो दानो गौनन म हूवा हुआ था अन्वयभावी थी, इस

कारण ही साम्राज्य की सैनिक कमजोरी भ वृद्धि हुई। सम्भवत, भीमसेन इस बात में बहुत गलत नहीं है, जब वह मुगल सनायायका द्वारा वाछनीय सैनिक टुकड़ियाँ न रखने के कारण को मराठा की सफलता का प्रथम कारण बतनाता है।<sup>55</sup> इसके कारण साम्राज्य का अत्यधिक हानि हुई और भमीरा की प्राय में और भी बमी हो गयी। और इस प्रकार एक दुश्चक्र चलता रहा जो सम्पूर्ण भमीर वग की उग समय तक अपनी लपट में लेता रहा जब तक कि भमीर उनके हरम और हिजडे हाथी और गर सभी कुछ लुप्त न हो गय।

### सदभ

- 1 अध्याय 2 देखिये।
- 2 इस अर्थ में सरकार शब्द के प्रयोग के लिए देखिये—मीरात-अल इस्तिलाह प० 92 व भाभासीर-ए रहीमी III प 857 निगारनामा-ए-मुशी यद-तत्र (मुघ-जम की 'सर कार के लिए प्रयुक्त) द इगलिश फक्ट्रीज 1618 21 प० 200।
- 3 पेलमट प० 55।
- 4 मनुची III प० 416 परन्तु जाफर खाँ ने घोषण दिया कि पूरी रकम चुकता कर दी जाये।
- 5 मूरतमिन् तजविरा-ए-पीर हस्मू तेली रचना सन् 1057 हिजरी पाण्डलिपि (सम्भवत हस्तलिपि) अलीगढ मस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की लाइब्रेरी में सरलित।
- 6 देखिये—अखबारात 28 रमजान 47वाँ राजकीय वष तरबियात खाँ की जागीर से 12 000 रुपया हुण्डी द्वारा बुरहानपुर भजा गया। निगारनामा-ए-मुशी प० 29 30 38 भी देखिये।
- 7 अध्याय 2 देखिये।
- 8 उद्धरित—शारनामा II अ० धत्रिज प० 470 (सेह-बन्गी को बिन् हिन्गी के रूप में गलत पढ़ा गया) निगारनामा-ए मशी प 93।
- 9 उद्धरित—असद वग वजवीनी ज मेमॉयस प० 4 अ वाजिया-ए-अजमेर प० 91।
- 10 मनुची II प० 378 III प 409।
- 11 ग्लिबुशा प 140 अ 141 व य तीन राजपूत सरदार—राव दलपत बन्देना राममिन् हाडा और जयसिंह सवाई व।
- 12 देखिये—वाक्या-ए अजमेर प० 355 56 अखबारात 5 जमादि-उल अख्वन 45वाँ राजकीय वष।
- 13 ख लासात उस सियक प० 54 व अजर 86 प० 14 व।
- 14 मनुची II प 375।
- 15 वाक्या-ए-अजमेर प० 355 56 अजमेर खाँ की सैनिक टुकड़ी में केवल अफगान और राजपूत हा व (मामूरी प 145 व)।
- 16 मनुची II प० 378 79।

## धमौरा के प्रतिष्ठान

- 17 जब 1658 ई० म सरकार ने सनिक सेवा के लिए गुजरात स सवार भर्ती किये तो उन सनिको का जिनके पास दो या तीन घोड (दो धस्या-रोह धस्या) थे उनके लिए घोसतन 60 रुपये प्रतिमाह वतन स्वीकृत किया यक धस्या को 30 रुपया प्रतिमाह मिलता था (मीरात-ए-महमदी, I प० 315) ।
- 18 बाक्या-ए-मजमेर प० 355 ।
- 19 मीरात-ए-महमदी I प० 316 । भीमसेन व धनुसार भौरगजब के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों मे दक्खन में चाहे इतनी सस्ती चीं कि एक सवार का वेतन 15 रुपय प्रतिमास से अधिक नहीं होला था ।
- 20 मीरात-ए-महमदी I प० 306 ।
- 21 निगारनामा-ए-मन्वो प० 73 ।
- 22 मन्वो II प० 378-79 ।
- 23 धजदमत-ए-मुजफ्फर खी प० 37 ध-ब वाक्या-ए मजमेर, प० 91 105 धखबारात 9 रमजान 38वां राजकीय वष ।
- 24 फायर, I प० 341 ।
- 25 मन्वो I प० 378-79 ।
- 26 फायर पूर्वोद्धत ।
- 27 वाक्या-ए-मजमेर प० 355-56 ।
- 28 मीरात धल भालम प० 252 ध 253 व ।
- 29 माघासीर-ए भालमगीरी प० 233 ।
- 30 माघासीर धल-उमरा III प० 530 55 ।
- 31 बही I प० 785-92 ।
- 32 बही I प० 268-72 ।
- 33 माघासीर-भल-उमरा, II प० 878 ।
- 34 भालमगीरनामा प० 611 बायस्ता खी द्वारा नि शक भोजनालया को खोलन के बारे में 'अगिहा-ए इकिया प० 132 ध देखिये ।
- 35 ऐतिहाद खी शरीबा एव विगानो दोनों स ही प्रम करता था (माघासीर धन उमरा I प० 232 34) । सीरी भियनाह विगानो को बहुत चाहता था वह उनकी सहायता करता तथा योग्य व्यक्तियों पर धन खर्च करता था । उसन धरब से धनेक धमूस्य पुस्तकें एवत्र की चीं (बही प० 579-83) । धमौर खी न पारम व धनेक विद्वानों एव धामिब व्यक्तिया को पात्री धन भेजा (बही III प० 946-69) । महमद सद्द सत्रबा का बहुत ही बडा सरदार था (बही I प० 272) । उल्लिखर खी न नागिर धसी को जो धपने काल का बहुत ही धाछा कवि था सरदाण लिया (माघासीर धन विराम II प० 130) । हुसैन धसी खी ने धपने युग के एक कवि धभुन जलान को सरदाण लिया (बही प० 276) तुलनीध—फायर I प० 333-34 माघासीर-भल-किराम प० 95 ।
- 36 बनिबर प० 324-25 352 53 'सुहक़ात-ए हिन्द' की रचना बोजलताश के धानेशानुसार हुई रिड बिदिश म्यूजियम कैटेलाग I प० 62 ।
- 37 विद्वानों में स्वय दानिश मन्व खी था (मीरात धल भालम प० 222 व) ईबा बघा 'रसा जो कुछ समय के लिए धायरा का गवर्नर था एक प्रसिद्ध कवि था धौर बहु धलंबारिब गध में पलों का एक सधह छोड़ गया है (रिड III प० 985-86) । शेष

सुनाम मुन्तजा (धौरगजब वा एक मनगज्जर)को विनिस्तासात्र ज्वातिपशात्र सुनेय क्ता बाध्य धादि वा उत्तम ज्ञान वा (माभासात्र चल निराम II प० 74-75) । बमीर वा गवनर जाणर खाँ का एव दीवान उपलब्ध है (वही II प० 95-96) । मिर्जा महम्मद साहिर जो 1500 वा मनसज्जर वा ने शाहूजहाँ क रायनाल वा इतिहास लिया धौर एव दीवान की रचना की (वही II प० 96 97 107 108) ।

व्यक्तिगत भमीरा की बौद्धिक उपलब्धिया की निम्नलिखित सूचना 'माभासीर चल-उमरा' से ली गयी है—

हिम्मन खाँ एक बहुत ही अच्छा कवि तथा हिन्दी वा विज्ञान वा (III प० 94-49) इस्लाम खाँ का बाध्य की तरफ झुकाव वा (I प० 217 20) मुहम्मद मसराफ (3000/500) का रहस्यवा म कवि थी धौर उसन मौलाना अलालउद्दीन की मनसबो म स एव सग्रह तयार किया । वह निवस्ता नरतालिख तथा नस्य लिपियाँ अच्छी तरह से लिखना जानता था (I प० 272 74) डिगागुहीन (2500/1,500) प्रयेक विज्ञान से परिचित था धौर उसका बाध्य की धार झुकाव वा (I प० 584-87) मस्तजात खाँ को पारम्परिक साहित्य का अच्छा ज्ञान था तथा उसका बाध्य वा धौर झकाव वा (III प० 500-503) । 'वाज्या-ए भानमगीर का रचयिता भाजिन खाँ राजा एक उच्च मनसबज्जर था धौर एक अच्छा कवि था (II प० 821 23) दियाानत खाँ को विद्या म कवि थी (II प० 59-63) मलनाहवरीं खाँ मालमगीरशाही (4000/3000) एक अच्छा कवि था धौर उसने एक दीवान का रचना की (I प० 229-32) । मुगावी खाँ तबशास्त्र का मन्तीय विद्वान था (III प० 633 36) सफ़ खाँ (2500/1,500) का बाध्य की धौर झुकाव था उसे संगीत तथा राग मे कवि थी धौर उसने 'राग-दर्बग नामक ग्रन्थ की रचना की (II प० 479-85) मीर खलील (5000/4000) को प्रत्येक विद्या का गान था धौर वह अपनी सुलेख-कला क लिए प्रसिद्ध था । वह संगीत म भी दक्ष था (I प० 785-92) ।

38 बिनियर प० 213 ।

39 पेनसट प० 64 65 पेनसट न जहाँगीर के समय म निधा किन्तु उमका विवरण धौरगजब क बाल क लिए भी सत्य माना जा सकता है ।

40 धावर I प० 328 यहाँ तक कि एक हवीम को बहुत ही मावधानो क परचात हरम म प्रवेश करने िया जाता था धौर इत बात का ध्यान रखा जाता था कि वह वहाँ किसी को देख न से (मनुची II 352) ।

41 पेनसट प० 64 बिनियर प० 243 246-47 ।

42 दक्षिण—उत्तराध्याय धौरात धन धानम प 252 व 253 ध विनियत स्टुमर्ट की शारन्न भ्रांफ द ग्रट मुघलम एव बहुत ही सुन्दर पुस्तक है आ मुख्यत राज भवलोक्तन पर आधारित है ।

43 मनुषा II प० 352 53 ।

44 पेनसट प 65 तुलनीय—मनुची II प 351 ।

45 बिनियर प० 233 ।

46 दिलकुशा प 27 म ।

47 मनुची IV प० 255 ।

48 बिनियर प० 213-14 ।

## अमोरो के प्रतिष्ठान

- 49 वहा पृ० 213 ।  
 50 दिल्हिया पृ० 139 प 141 प ।  
 51 अखबारान, 4 जमानि-उम-साली, 46वाँ राजकीय वष ।  
 52 अगहरण के लिए देखिये—अखबारान 14 सप्टर 44वाँ राजकीय वष ।  
 53 अखबारान 27 सन्वाल 38वाँ राजकीय वष 4 जिलहिय 39वाँ राजकीय वष 13  
 जिनन 39वाँ राजकीय वष ।  
 54 दिल्हिया पृ० 140 प 155 प ।  
 55 वहा पृ० 139 प-ब ।

## उपसहार

शाहजहाँ के समय के मुगल-साम्राज्य के चरमोत्कर्ष से लेकर 18वीं शताब्दी में उसके विघटन के बीच औरंगजेब का राज्यकाल अवस्थांतर काल था। औरंगजेब की छाँव में हान से घने वर्षों पूर्व ही विघटन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। दम्भन में अज्ञानता मराठी की बढ़ती हुई शक्ति साम्राज्य में विभिन्न तत्त्वों के विद्रोही एवं हठी स्वभाव—सभी भविष्य के लिए अनुभ सन्देश थे।

अमीर-वग का अध्ययन करने का जो प्रयास पूर्व-गृष्ठा में किया गया है उसका अवलोकन साम्राज्य की इस सवटमयी स्थिति की मृच्छभूमि में साथ-साथ अमीर वग में विघटन की ओर ले जाने वाली निहित प्रवृत्तियों का ध्यान में रखकर करना चाहिए।

औरंगजेबकालीन अमीर वग के इतिहास का अध्ययन दो स्पष्ट अक्षित भागों में करना चाहिए—प्रथम उससे सिंहासन पर बठने से लेकर 1678 तक और द्वितीय 1679 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक। राजपूत-युद्ध के प्रारम्भ होने और उसके पश्चात् औरंगजेब के दक्खन में फैसन से पूर्व मनसबदारा की सख्या में तथा कोई विशेष वृद्धि हुई और न ही अक्बर के समय से चले आ रहे अमीर वग में जातीय एवं धार्मिक सृजन में कोई परिवर्तन हुआ। इस काल में विदेशी अमीर वग—अर्थात् वे अमीर जो स्वयं भारत आये थे और व जिनका जन्म तो भारत ही में हुआ था किन्तु जा बाहर से भारत में आने वाले परिवारों से सम्बन्धित थे—प्रमुख स्थान ग्रहण कर रहे। इनमें ईरानिया की सख्या तूरानिया की अपेक्षा अधिक थी। प्रारम्भ में राजपूतों को बड़ी सख्या में पद प्रदान किया गया किन्तु 1678 में करीब तक उन्हें कुछ धक्का पहुँचा और 1000 से उससे ऊपर के मनसब वाले अमीरों में उनका अनुपात जा शाहजहाँ के अतगत 1807 प्रतिशत था उससे घटकर 1658-78 के काल में 14.6 प्रतिशत रह गया। लगभग उसी काल में औरंगजेब ने अपने पूज्य की अपेक्षा, अफगानों को अधिक प्राथमिकता देनी प्रारम्भ की। खानजादों या उन अमीरों जिनके पिता या अग्र निकटतम सम्बन्धी शाही सखा में थे के अधिक सख्या में होने के कारण औरंगजेब के अमीर वग की स्थिरता दृष्टिगोचर होती है। इस काल (1658-78) में औरंगजेब के अमीरों में से लगभग आधे इस श्रेणी के थे,

और यदि कुछ अमीरा के सम्बन्ध में अधिक सूचनाएँ प्राप्त हो जायें, तो उनका वास्तविक अनुपात सम्भवतः और अधिक हो सकता है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण बात है कि नवागन्तुक भी अधिक अनुपात में अमीर वर्ग में उच्च मरसब प्राप्त करने में सफल हो सके।

मनसबदारी प्रथा के अध्ययन से यह पता चलता है कि पूर्वकाली की तुलना में, प्रत्यक्षतः दाग के नियमों को लागू करने, अर्थात् सवार पद के अनुसार मनसबदारों को सैनिक टुकड़ियाँ रखने के लिए बाध्य करने में ढिलाई नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब ने मनसबदारी प्रथा के नियमों या वेतनमानों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। उसने उनका, जस के उसके पिता के समय में थे अक्षरशः पालन करने की चप्टा की। सैनिक उत्तरदायित्व को कम करना और वेतनमान का घटाना—दोनों ही बातें उसने शाहजहाँ से विरासत में प्राप्त कीं। औरंगजेब ने राजसत्ता प्रथा को भी लागू रखा यद्यपि कुछ समय के साथ। ऐसा कहा जाता है कि उसने दिवंगत अमीरा की सम्पत्ति को अपहरण करने या उस बेचने के शाही अधिकार, जिस पर पहले बल दिया जाता था, का उन्मूलन कर दिया था, किन्तु वस्तुतः ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ उसने उनकी सम्पत्ति को अधिकृत कर लेने के लिए आदेश दिये। इस प्रकार यह विश्वास करने के लिए कोई भी कारण नहीं है कि दक्खन की ओर कूच करने से पूर्व औरंगजेब की अमीरा के ऊपर प्रभुता की किसी प्रकार से हानि पहुँच चुकी थी या मनसबदारों को अब कठोरतापूर्वक उत्तरदायित्व सौंपे नहीं जाते थे।

इसी प्रकार औरंगजेब के दक्खन में उलझने से पूर्व तक जागीर नियत करने की प्रथा भली भाँति काय करती रही तथा आवश्यक स्थानान्तरणों का सिद्धान्त, जो अमीरों के स्थानीय सम्बन्धों को बनाने तथा स्वतंत्र शक्तिशाली के रूप में उभारने से रोकने के लिए था, का भी पालन औरंगजेब के शासनकाल में दृढ़तापूर्वक निरन्तर होता रहा।

अतः में अमीर वर्ग के विभिन्न वर्गों के प्रति औरंगजेब की नीति यद्यपि उनके पूर्वजों की नीति से यत्र-तत्र भिन्न होती रही स्वयं में अनिर्दिष्ट नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत-युद्ध कुछ सीमा तक राजपूतों के विरुद्ध भेदभाव की नीति का परिणाम था, किन्तु अधिकांश राजपूत मनसबदार शाही सेवा से पृथक् नहीं हुए। न ही औरंगजेब ने सुनिश्चित दलों एवं गुटों को सहन किया और न ही उसके अंतिम समय तक जब गाजीउद्दीन खाँ और जुल्फिकार खाँ दो विभिन्न गुटों का नवृत्त कर रहे थे किसी भी गुट का उत्कर्ष हो सका।

इस प्रकार दक्खन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व साम्राज्य के मामलों पर अमीर-वर्ग के सृजन की प्रकृति में किसी प्रकार के परिवर्तन में सन्देह का स्रोत बँध सकता सम्भव नहीं है। परन्तु यह कहना उपयुक्त होगा कि जिस प्रकार



अमीर वर्ग सगठित किया गया था वसा अमीर-वर्ग समय की गति के साथ साथ, साम्राज्य के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करने को बाध्य था। यह सुभाव दिया गया है कि जागीर स्थानांतरित करने की प्रथा के कारण जागीरदारों ने अत्याचार करना प्रारम्भ किया और इस अत्याचार के कारण उत्पीड़िता न विद्रोह किये। विचार के लिए हमें इस प्रश्न को यो ही छोड़ दिया है। यह सत्य है कि प्रशासक एवं सनानायक के रूप में औरगज़ेब के अमीरों को विशेषतः उसके अतिम वर्षों में, निर्दोष प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। कायात्मक प्रशिक्षण एवं विशेषता के अभाव का कोई सम्बन्ध अनेक अमीरों की प्रशासनिक अयोग्यता से था यह प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं है। किन्तु जादान हम निश्चित रूप से मालूम है वह यह है कि अधिकांश अमीर बर्ख़ान और घूसख़ोर थे और इसमें वे केवल सम्राट का ही अनुकरण कर रहे थे। वे प्रायः सौदागरों और किसानों का शोषण करने के लिए बाध्य करने में अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। अमीर-वर्ग के साधन असीम थे, किन्तु यह दावा करना कठिन है कि वे आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाले कार्यों में लगे हुए थे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अमीरों ने विलासी वस्तुओं और सवाबों को संरक्षण प्रदान किया किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साधनों का बहुत ही थोड़ा भाग व्यापार में या कारीगरों को पेशगी देने के लिए 'पूजी' के रूप में प्रयोग किया गया। इसके विपरीत एकाधिकार स्थापित करने एवं शोक व्यापार में रत होने की आदत व्यापार के लिए गम्भीर रूप से हानिकारक थी। ऐसा कही भी ज्ञात नहीं होता है कि उन्होंने विज्ञान तथा उत्पादन के नये तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया हो। उनका संरक्षण प्राप्त करने वाले मुख्यतः धार्मिक व्यक्ति और कवि थे जो इस लोक में उनकी प्रशंसा करते थे और उस लोक में उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। जब दक्खन में गम्भीर सैनिक संकट उत्पन्न हुआ तो उससे निपटने के लिए साम्राज्य के पास न तो भौतिक और न तनिक साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे।

राजपूत-युद्ध तथा दीर्घकालीन दक्खन अभियानों का अमीर वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दक्खन में औरगज़ेब की विजय फौज स्ट्रीम रोलेट का कार्य नहीं होकर एक मन्द और बोझिल मशीन का कार्य था, जिस शक्ति प्रदान करने के लिए उस शत्रु दल के अभित्यागियों का घूस देकर अपनी ओर मिलाना पड़ा। दीर्घकालीन युद्ध के कारण मुगलों के अत्यधिक सैनिक मरे अमीर और अधिक दुबल हो गये तथा सम्राट का ध्यान अधिकाधिक दक्खन की ओर आकर्षित हुआ। फलस्वरूप उत्तर भारत का प्रशासन ढीला पड़ गया। दक्खन की अन्तःप्रस्तता के कारण दक्खनी अमीरों का मुगल अमीर वर्ग में अत्यधिक सह्या में प्रवेश हुआ। अमीर वर्ग की सांख्यिक शक्ति अत्यधिक बढ़ गयी, परन्तु

जहाँ दखनिमो (बीजापुरी, हैदराबादी तथा मराठी) को मुकदहस्तता से भर्ती किया जा रही था तथा असाधारण तीर पर उच्च मनसब प्रदान किये जा रहे थे, पुराने वग के धमीरा की भर्ती एवं पनाति का क्षति पहुँच रही थी। मामूरी खानजादो का दयनीय स्थिति का मोहाहरण बणन करता है। मराठे जिनकी सख्या एक पीढ़ी पून नगण्य थी, अत्र राजपूता से अधिक हाँ गये थे। बार-बार औरगजेब और उसके मंत्रियों ने नयी भर्ती को रोकने का प्रयास किया था, किन्तु सैनिक एवं राजनीतिक आवश्यकता के कारण नये लाया का मनसब प्रदान करना पड़ता रहा। फिर भी एक स्थिति ऐसी आयी जब मनसब तो प्रदान कर दिये जाते थे परन्तु अर्थाधिकारी की अधिकता एवं वीर के आर्थिक सकट के कारण जागीरें नहीं प्रदान की जा सकती थीं क्योंकि जागीरा के नाम पर प्रदान करने को कुछ न बचा था। जब यह दशा आयी तथा विभिन्न जागीरदार अथवा गडबडी वाले इलाकों में राजस्व असूल न कर पाये तब धमीर अपने मनसब के अनुसार वास्तवीय सैनिक टुकड़ियाँ रखने में असमर्थ हो गये। फलस्वरूप, भागसेन के अनुसार साम्राज्य की सभ्य शक्ति का ह्रास हुआ जिससे अव्यवस्था तथा विद्रोहों को प्राप्ताहन मिला।

जब अच्छी जागीर के निष्पत्तियाँ तीव्र हो गयीं तथा साम्राज्य की स्थिरता में विश्वास घट गया, उस समय धमीर वग में गुटबन्दी का बढना अवश्यभावी था। गाजीउद्दीन याँ फीरोजजंग व जुल्फिकार खाँ के गुटा का उभरना ऐसी स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था। धमीर-वग में ऐस गुटा के बढन तथा आपसी विरोध के कारण साम्राज्य की नीति एवं सैनिक उद्योगों की एकता को घाघान पहुँचा। इसके अतिरिक्त एसा संदेह किया जाना था, जो सम्भवतः ठीक ही था कि कुछ धमीर अपने लिए स्वतंत्र या अर्ध-स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षा रखते थे जो औरगजेब की मृत्यु के उपरांत खुल कर सामने आया।

इतिहास में नतिक निष्पत्तय दन के सम्बन्ध में सतक रहना चाहिए। परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि मुगल धमीर वग व स्वयं के दृष्टिकोण से भी न कथन भारत वरन विश्व की बदलती हुई स्थिति के अनुसार अपने को न बदलवाने में ही इसका सबसे बडा दोष था। औरगजेब द्वारा साम्राज्य का धार्मिक आधार प्रदान करने की चेष्टा इस बात का द्योतक है कि उसने परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया, किन्तु इस नीति की पूण अमपन्नता न दिखा दिया कि धार्मिक पुनरुद्धारवाद मुगल प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दृष्टिकोण की बाधा पार करने के लिए कोई उपनय नही हो सकता था।

## परिशिष्ट

श्रीरगज्जेब के 1,000 जात व उससे अधिक के मनसबदारों की सूची  
 अ-1658-1678 के वे मनसबदार जो 1,000 जात और उससे अधिक के मनसब पर पहुँचे

क्रम संख्या	नाम व उपाधि	उक्तकाल में सर्वोच्च मनसब	ज-मभूमि	वग	उप वग (राजपूत मराठा, अफगान जमींदार आदि)	सेवा में पिता या अन्य निवृत्तम सम्बन्धी	स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8

5 000 और उससे अधिक के मनसबदार

3	ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ੂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਾਗ਼ਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਬਸੀਰ ਉਲ ਉਮਰਾ	7 000/7 000 (2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਈਰਾਨੀ	—	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 130, ਸ਼ਾ. ੩. II 690 707 1
4	ਮੀਰ ਮਲਿਕ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ ਏ ਜਹੀ ਬਹਾਦੁਰ ਭਾਖ਼ਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੋਕਲਤਾਸ਼	7 000/7 000 (6 000 X 2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਈਰਾਨੀ	—	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 142, ਸ਼ਾ. ਮਾਂਗੇ. 121 ਸ਼ਾ. ੩. I, 791 813 1
5	ਸ਼ਾਹਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤਸਿੰਹ ਰਾਠੌਰ	7 000/7 000 (5,000 X 2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਭਾਰਤੀ	ਰਾਜਪੂਤ ਭਮੀਦਾਰ	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 331 32, ਸ਼ਾ. ੩. III 599 604 1
6	ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ਼ੀ ਮੀਰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਖ਼ਰਬਮ ਖ਼ਾਨ, ਖ਼ਾਨ ਏ-ਖ਼ਾਨਾ ਸਿਪਹੇਸ਼ਾਲਾਰ	7 000/7 000 (5,000 X 2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਈਰਾਨ	ਈਰਾਨੀ	ਦਕਬਨੀ	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 563, ਸ਼ਾ. ੩. III, 530 55 1
7	ਖ਼ਲੀਫ਼ੁਲਲਾ ਖ਼ਾਨ	6 000/6,000 (2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਈਰਾਨ	ਈਰਾਨੀ	—	ਮਾਈ	ਸ਼ਾ. 119, ਸ਼ਾ. ੩. I, 775 82 1
8	ਗਾਹਨਬਾਝ ਖ਼ਾਨ ਸਫ਼ੀ	6 000/6 000 (5 000 X 2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਈਰਾਨ	ਈਰਾਨੀ	—	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 209 10, ਸ਼ਾ. ੩. II, 670-76 1
9	ਉਮਦਤ ਉਲ ਮੁਲਕ ਭਾਖ਼ਰ ਖ਼ਾਨ	6 000/6 000 (4 000 X 2 3 ਖ਼ਰਬਾ)	ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਈਰਾਨੀ	—	ਪਿਤਾ	ਸ਼ਾ. 162, ਸ਼ਾ. ੩. I, 531- 35 1

1	2	3	4	5	6	7	8
10	मिर्जा लहरास्य, महादेव तर्वा	6 000/5 000 (3 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 754, मा० उ० III 590 951
11	राणा राजसिंह	6,000/6 000 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	घा० 194, मा० उ० II 206-281
12	गम्भाजी	6 000/6 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० घा० 142, जामी घल इसा, 76 अ।
13	मुहम्मद अमीन तर्वा	6 000/5 000 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	दखनी	पिता	घा० 813 855, मा० घा० 121, मा० उ० III, 613 201
14	मुल्ता अहमद नया	6 000/6 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	घा० 919-20 तं उ० 1076
15	हुसन पाशा इस्लाम तर्वा रुमी	6 000/6 000	तुर्की	तूरानी	—	—	हि०, मा० उ० III 562 661 मा० घा० 87 88, टी० यू० ए।
16	मीर मुजफ्फर हुमन फिन्गर तर्वा कोका घाजम तर्वा	6 000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 1061, टी० एम० 1089 हि०, टी० यू० अ, मा० उ० I 247 531 दिलकुगा, 59 अ।
17	कज नायब	6 000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी जमीदार	—	

18	सयद अहमद पुत्र सयद मलदूम शरजा खाँ बीजापुरी	6 000/	हिन्दुस्तान	व्रानी	दखनी	—	ब० सं० 691 ।
19	नेख मीर ख्वाची	5 000/5 000 (2 3 अस्था)	—	ईरानी	—	—	क्रा० 156-57, मा० उ० II, 668 70 ।
20	मुहम्मद कामिम, कामिम खाँ, मुतमाद खाँ	5 000/5 000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	क्रा० 1027, मा० उ० III 95 99 ।
21	राजा रामसिंह कछवाहा	5,000/5 000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमीदार	पिता	अख० 19 रबी उस सानी, 12वाँ रा० वष, म० उ० II, 301 303 ।
22	जनाल खाँ, दिवर खाँ	5 000/5 000 (3 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	भाई	क्रा० 1030, मा० उ० II, 42 56 ।
23	मुहम्मद ताहिद, बबीर खाँ	5 000/5 000 (2 000 × 2 3 अस्था)	ईरान	ईरानी	—	—	क्रा० 880, मा० उ० III, 936 40 ।
24	सयद महमूद, नसीरी खा खान ए दोरा	5 000/5 000 (2 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	क्रा० 126, 179, ता० मु० 1077 हि०, मा० उ० I, 782 85 ।
25	सयद मीर ख्वाची अमीर खाँ	5,000/5 000 (1 000 × 2 3 अस्था)	—	ईरानी	—	भाई	क्रा० 661, मा० उ० II, 476-77, टी० यू० स ।

1	2	3	4	5	6	7	8
26	मुहम्मद इब्राहीम, यरत खा गुजान खा खान ए अलम	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिना	पा० 117, मा० उ० II, 869 72, टो० सू० 'ग'।
27	मयल गाह मुहम्मद मुतजा खा	5 000/5 000	बुरारा	तूरानी	—	—	पा० 870, मा० मु० 1089 हि० मा० उ० III 597 981
28	मुहम्मद इब्राहीम अमद खा	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिना	पा० 880, मा० उ० I, 310-21।
29	यान्गार वग लखर खा जनिमार खा	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	—	—	पिना	मा० पा० 105, मा० मु० 1081 हि०, मा० उ० III, 168 71।
30	इब्राहीम खा पुत्र अनी मर्गन खा	5 000/5 000	ईरान	ईरानी	—	पिना	पा० 426, मा० उ० I, 295- 01।
31	मालोजी दकनी	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	पा० 427, मा० उ० III, 520-24।
32.	राजा रार्पामिह निमोनिया	5 000/5 000 (500 × 2 3 घण्टा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत उमीदार	पिना	पा० 1033, मा० मु० 1083 हि० मा० उ० II, 297- 301।
33	दाऊद खा कुरेगी	5 000/4 000 (3 000 × 2 3 घण्टा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	पा० 1033, मा० उ० II, 32 37।

34	गरफराज खाँ दक्खनी	5 000/4 000 (1 000 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	से० डा० शौ० 48, मा० उ० II, 469 73 I
35	मीर खलील खान ए-जर्मा, मुस्तफार खाँ	5 000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० शौ० III, मा० आ० 144, मा० उ० I, 785 92 I
36	मिर्जा मुहम्मद मसहरी, प्रसासत खाँ	5,000/4 000	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 355, मा० उ० I, 222- 25 I
37	मुकरम खाँ सफवी पुराद बाम	5,000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 267, मा० उ० III, 583 86 I
38	इखलास खाँ, अबुल मुहम्मद	5,000/4,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 990, मा० आ० 81, मा० उ० II, 59 I
39	ताहिर शेख, ताहिर खाँ	5,000/3 000	बल्ख	तूरानी	—	—	आ० 960 मा० उ० II, 751- 54 I
40	मुहम्मद बग, बुलियवार खाँ	5 000/3,000	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 157, मा० उ० II, 89 93 I
41	मीर खियाउद्दीन हुसैन, इस्लाम खाँ	5 000/3 000	—	तूरानी	—	—	आ० 823, आ० उ० I 217 20 I
42	अब्दुरहमान, पुत्र नजर मुहम्मद खाँ	5,000/2,500	बल्ख	तूरानी	—	—	आ० 267 341, मा० उ० II, 809 12 I
43	मुस्ता गपीक यबदी, दानिशमन्द खाँ	5,000/2 500	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 880, ता० मु० 1081 हि० I



1	2	3	4	5	6	7	8
16	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० ३१ मा० ३० III, 524 301
17	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० ७२ मा० मु० 1082 सि०, मा० ३० I 232 341
18	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० ३० I, 431 44, पा० 1141
19	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० 856, पा० 197 प, मा० मु० 1077 सि० मा० ३० I, 225 I
20	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	सिक्का 15 व I
21	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	सिक्का 63 व मा० ३० II, 641
22	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० 971 मा० ३० III, 577 80 भीमर ३२ पा० २० 205 प I
23	एक हजार एक सौ पचास (१००१५०) सिक्का	एक सौ	—	—	—	—	पा० ३० I मा० ३० I, 490-931

3 000 से 4 500 तक के मत्स्यबंदार							
52	माजी बीजापुरी, रनदोला खाँ	4 000/4 000 (1,000 X 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	घां 76, मां उं II, 309।
53	याकन्तराव, बरतलब खा	4 000/4,000 (1 000 X 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	घां 76, मां उं III, 153।
54	रायसिंह राठौर	4 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	घां 288, घं मां तैं 124 घं, मां उं II, 235 36।
55	शाह बेग खाँ	4 000/4 000	—	तूरानी	—	—	घां 439, घं मां तैं 124 घं।
56	शफीउल्ला, तरबियत खाँ बरलास	4,000/4,000	तूरान	तूरानी	—	—	घां 845, मां उं I, 493 98।
57	मीर शम्स उद्दीन, मुस्तार खाँ	4 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	घां 598, मां उं III, 620- 23।
58	होगदार खाँ, पुत्र मुस्तफात खाँ	4 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	घां 47, 833 तां मुं 1082 हिं, मां उं III 943-46।
59	गालिब खाँ बीजापुरी	4 000/4 000	हिंदुस्तान	—	दक्कनी	—	घां 596, 598, मां घां 33, मां उं II 685।

1	2	3	4	5	6	7	8
60	मीर मीरान अमीर खां पुत्र खलीलुल्ला खां यजदी	4 000/3 000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां अ० 139, मां उ० I, 277 78 1
61	मिर्जा जाफर, अल्लाहबदी खां, पुत्र अल्लाहबदी खां तुक्मान	4 000/3 000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आं 1056, टी० यू० ए०, मां उ० I, 229 32, तां मु० 1079 हि० 1
62	इदरमन धंडेरा	4 000/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	आं 43 339, मां उ० II, 265 66 1
63	मिर्जा मुल्तान सफवी	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आं 880 मां उ० III, 581 83 1
64	कबद खां, मीर आबूर	4 000/3 000	तूरान	तूरानी	—	—	आं 290 634 मां उ० III, 99 102, अ० मां त० 124 अ 1
65	नामदार खां	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आं 1057, मां उ० III, 830 33 1
66	शेख फरीद उफ इबनाम खां, ऐहतिशाम खां	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आं 215 855, मीरत ए आफताबनुमा 537, तां मु० 1075 हि० मां उ० I, 220 22, अ० मां त० 124 ब 1

67	मीर मुहम्मद मगहर खाँ	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	खाफी खाँ II, 246 मा० उ० I, 274 77 I
68	मीर खाँ, पुत्र खलीलुल्लाह खाँ	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घा० 917 मा० घा० 82, मा० उ० 781 I
69	जादौराय दक्कानी	4 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	वित्तमह	मा० उ० III, 500-
70	मुस्तफात खाँ स्राजम खाँ	4 000/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 75, मा० उ० III, 500- 503 I
71	राव भावसिंह हाडा	4,000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमीदार	पिता	मा० 267, मा० उ० II, 305 307 घ० मा० तै० 123 व I
72	रदमदाज बेग, गुजाप्रत खाँ	4 000/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घा० 116, कामवार 256 व, ता० मु० 1084 हि०, मा० उ० II, 679 81, मा० मा० तै० 124 व I
73	ख्वाजा रहमतुल्लाह, सरबुतब खाँ	4 000/2 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	मा० घा० 139, मा० उ०, II, 477 79, मा० 304 976 I
74	फजुला खाँ	4 000/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 870, मा० उ० III 28 30 I
75	इस्फहान का ख्वायुद्दीन खाँ	4,000/2,000	ईरान	ईरानी	—	—	मा० घा० 130, मामूरी 149 व, मा० उ० III 109 15 I

1	2	3	4	5	6	7	8
76	मीर मुहम्मद गंगार मुसलम ता	4 000/1,500 (600 × 2 3 प्रस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III, 696 701 प्रथ० 11 रबी-उस मानी, 37वाँ रा० वप ।
77	साबिद ता, बुनीज ता	4 000/1 500	तूरान	तूरानी	—	—	प्रा० 1056, मा० उ० III, 120-23 ।
78.	दामाजी	4 000/1 300	हिन्दुस्तान	भारतीय	भराठा	—	प्रा० 47 ।
79	गऊ ता पती	4 000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	प्रफगान दक्कनी	—	मा० उ० II 63-68, सं० डा० प्री० 171 ।
80.	रबीउदीन मुहम्मद हेररावानी	4 000/	—	—	दक्कनी	—	से० डा० प्री० 25 ।
81	सहगुर ता पान्गाह बुली ता	4 000/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्र० मा० त० 123 ब, मा० उ० I, 447 53 ता० मु० 1092 हि० ।
82	बनुयुदीन ता गंगी	3 500/3 500 (2 000 × 2 3 प्रस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	प्रफगान	पिता	प्रा० 1033, प्रथ० 29 रबी-उस सानी 8वाँ रा० वप मा० उ० III 102 108 दस्तूर प्रल- प्रमल ए-शाहजहानी, एड० 6588, 25 प्र ।
83	राजब, नूरपुर वा राजा	3 500/3 500 (500 × 2 3 प्रस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	प्रा० 198, 625, ता० मु० 1072 हि०, मा० उ० II, 277 81 ।

84	राजा मनिहट गौड	3 500/3 000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमींदार	पिता	मां उ० II 276-77 ।
85	राजा गुजानसिंह बुंदेला	3,500/3,000 (500 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मां 342, 486, 908, अं मां तं 124 अ, मां उ० II, 291 95 ।
86	कन्हू चहैला, फतहजग खी	3,500/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	चाचा	मां 290, मां उ० III 22- 26 ।
87	सयादत खी, पुत्र जफर खी	3,500/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां 195, मां उ० II, 461- 63 ।
88	मीर खियाउद्दीन अली मगहदी, सियादत खी	3,500/2 500	—	ईरानी	—	पिता	तां मु० 1069 हिं०, मां उ० II, 463 65 ।
89	हसन अली चाँ बरादुर	3,500/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां 452, मां अं 92, 93, मां उ० I, 593 99 ।
90	सयद सुल्तान, सलावत खी बारहो, इस्तिखाल खी	3,500/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मां 1०8, टी० यू० ए', मां II, 457 60 ।
91	अतुरहमान बीजापुरी शरजा खी	3,500/2,000	हिन्दुस्तान	—	दखनी	—	ते० डा० प्रो० 70, टी० यू० (एस० एच०) ।
92	मुबारिज खी	3,500/2,000	बदरखाँ	तुरानी	—	पिता	मां 957, मां उ० III, 595 97, अं मां तं 125 अ ।

1	2	3	4	5	6	7	8
93	मीर अहमद खवाफी, मुस्तफा खाँ	3 500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 490, 1049, मा० उ० III, 516 18 आ० मा० त० 125 अ, इगलिश फक्ट्रीज, 1661 64, पृ० 103 ।
94	राव बरत भरतिया	3,500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	आ० 855, आ० मा० त० 125 व, मा० उ० II, 287 91 ।
95	अन्दुरजाक गिलानी इब्जत खाँ	3 500/2 000	—	ईरानी	—	—	मा० उ० II, 475 ।
96	मीर मुल्तान हुसन इफ्तिखार खाँ पुत्र असालत खा	3 500/1 200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 158, 880, ता० मु० 1095 हि०, मा० उ० I 252-55 ।
97	दिलदोस्त सरदार खाँ	3 000/3 000 (2,500 × 2 3 अस्या)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 140, 1050 मा० उ० II, 422 23 ।
98	मीर मुहम्मद इशाक इरादत खाँ	3 000/3 000 (1 000 × 2 3 अस्या)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 127, मा० उ० I 203 206 ।
99	गजाफर खाँ, पुत्र अल्लाहवर्दी खाँ तुकमान	3 000/3 000 (1 000 × 2 3 अस्या)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 864, ता० मु० 1077 हि० मा० उ० II, 866-68 ।

100	मीर अहमद सम्राट् खाँ पुत्र सम्राट् खाँ	3 000/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 1050 1
101	इल्हामुल्लाह, रसौद खाँ	3 000/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 76, 291, मा० उ० II, 303 305 1
102	परसोजी दख्तनी	3 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	सराठा	भाई	आ० 140, 231, 242 मा० उ० III, 520 24 1
103	मुहम्मद ताहिर, सफशिकन खाँ	3,000/3,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 334, 880, अख० 19 रखव, 9वाँ रा० वष, मा० उ० II, 738 40 1
104	मिर्जा खाँ, पौत्र अब्दुरहीम खाँ	3,000/3,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पितामह	आ० 1013, अ० मा० त० 126 अ 1
105	मिर्जा खाँ नबुविहर	3 000/3,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III, 586-89 ता० मु० 1083 हि० 1
106	मुहम्मद युसुफ, शमशेर खाँ, नसीर खाँ	3 000/2,500 (1 000 × 2 3 अस्था)	—	—	—	—	आ० 196 1056 1
107	हयात तारीन, शमशेर खाँ	3,000/2 500 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	आ० 195 647, ता० मु० 1083 हि०, मा० उ० II 677 79 1



1	2	3	4	5	6	7	8
108	राफूदीन महमूद, उफ फरीरुल्लाह शफ खाँ	3 000/2 500	हि दुस्तान	तूरानी	—	पिता	अखं 5 रमजान, 10वीं रां वष मां उं II, 479 85 I
109	अ दुल्लाह खाँ, सईद खाँ	3,000/2 500	हि दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आं 419, 762, मां उं II, 807 808 I
110	बीरतासिह	3 000/2,500	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आं 1061, मां उं III 156-58 I
111	हसन खाँ दक्कनी	3 000/2 500	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्कनी	—	आं 45, टीं यूं एच I
112	मुजफ्फर लोनी लोदी खाँ	3 000/2,500	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आं 291 I
113	बलियार खाँ, तवास खाँ	3 000/2 500	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	सं डां श्रीं 73, आं 132 I
114	रामुदीन खुरशी	3 000/2,000	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	आं 45 मां उं II 676 77 I
115	अ दुल्लाह बग यवताज खाँ मुवसिस खाँ	3 000/2 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	आं 117, 291 तां मुं 1070 हिं, मां उं III, 968 71 I
116	अ दुल्लाह बेग यज अली खाँ	3,000/2 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	आं 964, मां उं III, 155 I
117	सयद इश्कत खाँ, परत खाँ	3 000/2 000	हि दुस्तान	भारतीय	—	—	आं 855 56, मां आं 150 I
118	गिरधरदास गोड	3 000/2 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	भाई	सं डां श्रीं 28, मां उं II, 255 56, अं मां तं 126 अ I

119	मीर अबुन मझानी मिर्जा खाँ	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 240-41, मा० उ० III 557 60 I
120	सयद कासिम वारहा राहामत खाँ	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आदाब० 286 ब, आ० 303, 419, मा० उ० II, 681-83 I
121	जलाल खाँ बक्कर	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 593, हासिम खाँ 103 ब, मा० उ० I, 530 31 I
122	दाताजी दखनी	3,000/2,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	आ० 625, मा० उ० I, 522 I
123	अबु मुहम्मद, पौत्र इब्राहीम खादिल शाह	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	मा० आ० 148 I
124	जगजीवन, उदयजी राम	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	मा० उ० I, 144 I
125	दाताजी खंडकला	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० श्रौ० 13 I
126	सयद शेर खाँ वारहा, उफ सयद राहाब	3,000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	से० डा० श्रौ० 118, आ० 132 I
127	अरब शेख मुगल खाँ	3 000/1 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आदाब० 279 ब मा० उ० III, 623 25 I
128	सफी खाँ	3 000/1,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 1034, मा० उ० II 740 42 I
129	सयद मसूर वारहा	3 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 140, 337, मा० उ० II, 449 52 I

1	2	3	4	5	6	7	8
130	घय्युल काशी, नवाजिश खाँ	3 000/1 200	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 474, ता० मु० 1075 हि०, मा० उ० III 828 30 1
131	मीर ईसा हिम्मत खाँ पुत्र इस्लाम खाँ बदहनी	3 000/1 000 (500 × 2 3 अरुपा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 880, मा० आ० 71 मा० उ० III, 946 49 1
132	अहमद खेत्रगी, इखलास खाँ	3 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 77, ता० मु० 1072 हि० 1
133	बरमदेव सिसौदिया	3 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत खमीदार	पिता	आ० 762, से० डा० आ० 112, मा० उ० II, 452 54 1
134	मुहम्मद बदी मुल्तान	3 000/700	तूरान	तूरानी	—	पिता	आ० 339 मा० उ० III, 636 37 1
135	रघुनाथ राय रायान	3 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 763, मा० उ० II 282 1
136	मीर मुहम्मद अगारक अगारक खाँ, ऐतिमाद खाँ	3 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 765 856 मा० उ० I, 272 74 1
137	सयद अली रिजवी खाँ	3 000/500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 1049, मा० उ० II, 307-309, अ० मा० से० 124 व 1
138	रघुनाथसिंह सिसौदिया च द्रावत	3,000/300	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० 10 रमजान, 13वाँ रा० वय, कामवार 250 व 1
139	शेख मीरक हरवी	3,000/200	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 396, मा० उ० III, 518 19 1

प्रतीको की सूची

140	दराब खाँ, पुत्र मुल्तार खाँ	3 000/	हिन्दुस्तान	ईरानी	पिता	टी. यू. डी. मां उं II 39 42 I
141	भीर तकी	3 000/	—	ईरानी	बाबा	मां 755 880, मां मां 97, मां उं III 939 I
142	राजा देवीसिंह बुदेला	1 000 से 2 700 तक के मानसबदार	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता	मां 206 758 से डां झौं 117 मां उं II, 295 97 I
143	भील अफगान पुरदिल खाँ	2 500/2,500 (500 < 23 अरुषा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—
144	ईरज खाँ	2 500/2 000 (23 अरुषा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—
145	अल्लाह यार बेग, अल्लाह यार खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	पिता	मां 1030, मां उं I, 268 72 अं मां तं 126 व I हकूमत खाँ 20 व मां 141, 831, तां मुं 1074 हिं, मां उं I 216 17 I
146	मसूद यादगार, अहमद बेग खाँ, मसूद खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	सूरानी	पितामह	मां 78, 158 196 अं मां तं 126 व I मां 832 मां उं III 644 46 I
147	मयान मुबारक मुतजा खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	सूरानी	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
148	धनुषसिंह	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० उ० II, 289-91 I
149	समादत खाँ, खलीफा मुल्तान का दामाद	2,500/2 000	ईरान	ईरानी	—	—	घा० 212 I
150	मुमकरन बुधेला	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	घा० 301 565, 1034, घ० मा० त० 131 घ I
151	अबु तालिब अकीदत खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 140 334 I
152	ख्वाजा बरखुरदार अगारफ खाँ, बरखुरदार खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० घौ० 74, मा० उ० I, 206 207, टी० यू० (एम० वी) I
153	नुसरतुल्लाह नुसरत खाँ	2 500/1 500 (700 × 2 3 घस्था)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	घा० 141, 1061 I
154	बाबाजी मोससे	2 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	घा० 54 I
155	भगवतसिंह पुत्र शत्रुमाल हाडा	2 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमादार	पिता	घा० 474-75, घ० मा० तै० 126 ब I
156	मनकू बिलास दक्कनी	2 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	घा० 472 I
157	राव अमरसिंह चद्रावत	2,500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पितामह	घा० 856, प्रख० 29 रवी उत मानी, 8वीं रा० षष, मा० उ० II, 145-47 I

158	अफरासियाब बेग अफरासियाब खाँ	2 500/1 500	सुकी	—	—	मां. भां. 87 151 52 मां. उं. I 244-46 I
159	हिसामुद्दीन	2 500/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता मां. उं. I, 584 87 I
160	मानाजी मोसले	2 500/1 400	हिंदुस्तान	सूरानी	—	सें. डां. झौं. 7 भां. 128, हातिम खाँ 16 प्र. I
161	शुजायत खाँ, उफ गाद खाँ, मुगल खाँ	2 500/1 200	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता भां. 193, मां. भां. 97, 153 I
162	रस्तम राव	2 500/1 200	हिंदुस्तान	भारतीय	—	भां. 47 I
163	सयद शेर जमाँ वारदा, मुजफ्फर खाँ	2 500/1 200	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता भां. 54 291, मां. उं. II, 465 I
164	मीर मामूम, मामूम खाँ	2 500/1 200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता भां. 13 रमजान, 13वाँ रां. वय मां. उं. II 676 प्र. मां. तै. 128 प्र. I
165	बेग मुहम्मद हवेगो, दीनदार खाँ	2 500/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—
166	काजी निजाम कल्दाजी मुलसिस खाँ	2,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—
167	मुहम्मद मुनीम, मुनीम खाँ	2 500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	भां. 48 195 294 860, मां. उं. III, 566-68 I
168	महदी कुली खाँ	2 500/1 000	—	—	—	पिता भां. 45 454 मां. उं. III, 589 I भां. 304 I

1	2	3	4	5	6	7	8
169	सफ बीजापुरी	2,500/1 000	हिंदुस्तान	—	दखनी	—	श्रा० 440, मा० श्रा० 496।
170	मुहम्मद कामगार खा पुत्र आफर खा	2 500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	श्रा० 856 मा० श्रा० 140।
171	सबलसिंह सिसौदिया	2 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	सं० डा० श्री० 108, मा० उ० II, 468 69।
172	त्रिम्बकजी भोसल	2 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	श्रा० 48 पत्तर ए-बीवानी, 19 खिलहिज्ज 6वां रा० वष।
173	मीर भस्करी आकिल खाँ राजी	2 500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	श्रा० 981, अख० 15 सचाल, 10वा रा० वष, मा० उ० II, 821 रियाज उश शीरा 196 श।
174	मार मुहम्मद महदी अरदिस्तानी, हकीम उल मुल्क	2 500/500	ईरान	ईरानी	—	—	श्रा० 960, मा० श्रा० 70, मा० उ० I, 599 600।
175	मुहम्मद आकिल वरलास तहचुर खाँ	2 500/500	—	तूरानी	—	—	श्रा० 447।
176	अहमद बेग, जुल्दार खा	2 500/500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	श्रा० 448, श्र० मा० त० 126 व।
177	बजीर बेग इरादत खाँ	2 500/400	—	—	—	—	श्रा० 232 566, श्र० मा० त० 126 व।

178 सय्यद हिताममुल्लाह

2500/200

हिंदुस्तान  
भारतीय

—

पिता

क्र० 473, मा० उ० II 456  
571

179 चित्रमसिह, गुलेर  
(पजाव) का राजा

2500/

हिंदुस्तान  
भारतीय

राजपूत-  
खमीदार

पिता

एम० अश्वर, द पजाव अडर  
द मुगल 2231

180 मुहम्मद कुली मुलकान खाँ

2000/2000

हिंदुस्तान

तूरानी

—

पिता

क्र० 80, मा० 964 मा०  
उ० II, 870 711

181 सुवारक खाँ निपाजी

2000/2000

हिंदुस्तान

भारतीय

अफ  
गान

पितामह

क्र० 454, 475, मा० उ० III  
511 131

182 सुल्तान बेग, शाह कुली खाँ

(1000 X  
23 अस्था)

2000/2000

(1000 X  
23 अस्था)

2000/2000

(500 X 23  
अस्था)

2000/2,000

(500 X 23  
अस्था)

2000/2,000

हिंदुस्तान

भारतीय

—

पिता

क्र० 347 634 मा० उ० I  
215 16, क्र० मा० त० 128  
व। अख० 13 रमजान 13वाँ रा०  
वप।

183 हुसन बेग खाँ

184 सय्यद हसन वारहा इकराम खाँ

185 मीर मुहम्मद हादी, हादी खाँ,  
पुत्र रफीउद्दीन सद्र ए इरान



1	2	3	4	5	6	7	8
186	मुजाहिद बीजापुरी	2,000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दखनी	—	आ० 140 ।
187	श्र दुल्लाह बेग सराई श्र दुल्लाह खाँ	2 000/2 000	हिंदुस्तान	तुरानी	—	—	आ० 47 874 ।
188	राजा नरसिंह गौड	2 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	आ० 268 865 ।
189	मुहम्मद सालेह मकरमत खाँ	2 000/2 000	—	—	—	—	आ० 294, 960 अख० 13 जिकदा, 9वाँ रा० वष ।
190	राजा टोडरमल	2 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 874 885, मा० उ० II, 286-87 ।
191	मुहम्मद अली बेग अली कुली खाँ पुन अली मर्दान खा	2 000/2 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 885, मा० आ० 109 110, बामबार 255 अ, अ० मा० त० 128 अ ।
192	सयद अश्रुल नबी	2,000/1,500 (700 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 960, बामबार 249 अ, मा० उ० II, 448 ।
193	बजान बेग, बलदार खाँ	2 000/1 500 (500 × 2 3 अस्था)	—	—	—	—	आ० 194, 885 ।

194	जगतसिंह हाडा पुत्र मुक-रसिंह हाडा	2 000/1 500 (500 × 2.3 घरणा)	हि-दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	घा० 221 1034 79 व मा० उ० III 510 I	दिल-पुगा
195	नारुजी दखनी	2 000/1 600	हि-दुस्तान	भारतीय	मराठा	---	घर० 13 रमजान, 13वां रा० वप I	
196	असलान कुली, असलान खां	2 000/800 (2.3 घरणा)	हि-दुस्तान	ईरानी	---	पिता	घा० 817, 1067, मा० उ० I 277 I	
197	मिर्जा मुहम्मद, खजर खां	2,000/1,500	हि-दुस्तान	तूरानी	---	---	घा० 817, 870, टी० यू० (एस० बी०) I	
198	मुल्ता याहिया, मुखलिस खां	2,000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	---	घा० 871, मा० उ० III, 565 I	
199	सयद अली, पुत्र अफजल खां	2,000/1,500	हि-दुस्तान	---	दखनी	---	घा० 834 I	
200	पूरनमल बुदेला	2,000/1,500	हि-दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	---	घा० 986 I	
201	फतह उरलाह खां, पुत्र सईद खां तरखान	2,000/1,500	हि-दुस्तान	तूरानी	---	पिता	घा० 339, 400, ता० मु० 1069 हि० I	
202	सयद हसन खां वारहा, पुत्र सयद दिलेर खां	2,000/1,500	हि-दुस्तान	भारतीय	---	पिता	टी० यू० (एस० बी०), मा० उ० II 414 15 I	
203	स्वाजा उयदुल्लाह खा	2,000/1,200	---	---	---	---	घा० 473 मा० घा० 88 I	
204	व्यासराव या बियासराव	2 000/1,200	हि-दुस्तान	भारतीय	मराठा	---	घा० 48 I	
025	अली कुली बग, अली कुली खां	2 000/1 000	---	---	---	---	घा० 291 घ० मा० त० 131 घा I	

1	2	3	4	5	6	7	8
206	बली महलदार	2 000/1 000	—	—	—	—	आ० 451
207	दादाजी	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 481
208	खुवाहाल वेग ककशाळ मुलीज खाँ, सम्राटत खाँ	2,000/1 000	—	तूरानी	—	—	आ० 471, 9141
209	मीर इम्राहीम हुसन, मुलतफत खाँ	2 000/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 25 खी उस सानी, 19वा रा० वप, आ० 880 मा० उ० III, 611 131
210	सयद मुनस्वर खाँ वारहा	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 1034 मा० उ० II 465 681
211	शेख मद्रुल करीम धानस्वरी	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 2201
212	सयद फिरोज खाँ वारहा, इलिनसास खाँ	2,500/1 500 (500 × 23 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	चाचा	आ० 440 1034 मा० उ० II 473 75 फतिहा इब्रिया 158 व1
213	मेदनीसिह श्रीनगर निवासी पृथ्वीसिह का पुत्र	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	आ० 604, कामवार 236 व1
214	तानूजी	2 000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 471
215	पृथीसिंह पुत्र राजा जसवन्तसिंह राठौर	2,000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आ० 917 ता० मु० 1077 हि०1
216	मुहम्मद अली खाँ	2 000/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 964 मा० उ० III 625- 271

धमीरा की सूची

217	नुसरत खाँ, कतदार खाँ	2,000/1,000	—	—	—	मां 981	मखं 19	खब,
218	धनीराय बाहून	2,000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	9वीं रां वष 1	—	—
219	मरहमत खाँ	2,000/900	—	—	—	एम० मरहमत, उमरा-ए हुनूद 641	—	—
220	जहाँगीर कुली खाँ	2,000/900	—	—	—	मां 972 1	—	—
221	मुहम्मद इस्माइल ऐतबाद खाँ	2,000/1,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	मखं 9 रमजान, 13वीं रां	—	—
222	इस्माइल खिसमी हुसेनजई जांबाज खाँ	2,000/500 (2 3 घरसा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	वष, मं मां तं 132 म 1	—	—
223	याकूत खाँ	2,000/700 (100 × 2.3 घरसा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दखनी	मां मां 156, 158 1	—	—
224	बजलबाय खाँ	2,000/800	—	ईरानी	—	मां 45, 464, 635, टी० यू०	—	—
225	मरहुल्लाह बेग, ग्रस्टर खाँ नग्मसानी	2,000/750	हिंदुस्तान	ईरानी	—	(एस० बी०), मां उ० III, 777 78 1	—	—
226	ऐतिबार खाँ	2,000/700	—	—	—	से० डा० मो० 10 1	—	—
227	सयद मुस्तान करबलाई	2,000/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	—	—
228	दियानत खाँ, हुकीम जमलाई कागी	2,000/700	—	ईरानी	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
229	यलिंगतास खान बहादुर	2 000/700	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	मा० झा० 156, मन्ची II, 43, मा० उ० III 971 72 ।
230	कमाल लोदी हरबुज खा	2 000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	झा० 77, 875 ।
231	मीर इमामुद्दीन रहमन खा	2 000/600	ईरान	ईरानी	—	—	झा० 140 855 56, ता० मु० 1076 हि०, मा० उ० III, 111 121
232	रह उल्लाह खा पुत्र खलीलुल्लाह खा	2 000/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	झा० 870, मा० उ० II 309-151
233	यकताब खा	2 000/600	—	—	—	—	झा० 1062, मा० झा० 104 ।
234	मुहम्मद अली पुत्र तकरब खा	2,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	झा० 856, मा० झा० 140 ।
235	मीर मुराद मजनदानी गरत खा	2 000/400	ईरान	ईरानी	—	—	झा० 54 ।
236	जियाउद्दीन, रहमत खा	2 000/300	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 283 86 ।
237	सयद मामूद बारहा	2 000/300	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	झा० 268 ।
238	मुहम्मद बग तोरअ-दाज खा	2 000/300	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० झी० 198, झ० मा० त० 127 अ ।
239	सयद मुजफ्फर बारहा युजाअत खा	2 000/250	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	झा० 129, ता० मु० 1069 हि० ।
240	मुल्ता अब्दुल सलाम लाहोरी, दारा शिवाह के गुरु	2 000/-	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	करहूत 197 अ ।

241	रिमायत खाँ	1,500/1,500 (23 अरसा)	—	—	—	—	मा० 400 ।
242	पहाडसिंह शोड, इ दरखी का	1,500/1,000 (23 अरसा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	ईसरदास 94 अ ।
243	मुराद कुली मुल्तान धक्कर	1,500/1,500 (500 × 23 अरसा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 219, 635 ।
244	मीर फतह, फतह खाँ	1,500/1,000 (23 अरसा)	—	—	—	—	मा० 342 880, 917 ।
245	दिलर खाँ, पुत्र बहादुर खेला	1,500/1,000 (800 × 23 अरसा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	मादाब 279 अ, मा० 965 ।
246	गहवाब खाँ अफगान	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 197 475, 625 ।
247	मीर मुहम्मद मुराद अयद मुहम्मद खाँ	1,500/1,500	—	—	—	—	सं० डा० मो० 74 ।
248	हयान अफगान, जबरदस्त खाँ	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 291 ।
249	फौजदार खाँ	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 342, 625 ।
250	स्वाजा इनायतुल्लाह	1,000/700	—	—	—	—	मा० 339 885 ।
251	गोपालसिंह, पुत्र राजसरप	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० 1056 ।
					जमीदार		

1	2	3	4	5	6	7	8
252	कामिल खाँ	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 1044 अख० 20 रबी-उस-सानी, 12वाँ रा० वय ।
253	बागूजी दक्खनी	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 22 शवान, चौथा रा० वय ।
254	सयद अ-दुरहमान, दिलावर खाँ	1,500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	दफ्तर ए-दीवानी, सख्या 2986, 7, हात्तिम खाँ 14 अ ।
255	सारगधर जम्भू का जमीदार	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमीदार	—	आ० 286-87 ।
256	हसन, पुन दिलावर खाँ दक्खनी	1 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० प्रो० 37 ।
257	जगतसिंह	1,500/1 400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	दफ्तर ए-दीवानी, सख्या 2986 ।
258	केसरीसिंह भरतिया	1,500/1 400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	आ० 1047 ।
259	मीदी फौलाद खान	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 250 व, मा० उ० I, 503, ता० मु० 1092 हि० ।
260	रम्भाजी दक्खनी	1,500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 293 ।
261	सिक्कर रहेला	1,500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 291 ।
262	मसूद मगली, मगली खाँ	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 1039 ।

(200 × 2 3  
अस्था)

263	कलंदर बेग, कलंदर खाँ	1,500/1,000 (200 × 23 घरिया)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	से. डा. सी. 74, मा. उ. I, 192 94 I
264	राय मकरन्द	1,500/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	घा. 885 I
265	भोजराज कछवाहा	1,500/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	सलेक्टड वायफा प्रॉफिट डबल 52, घा. 917 I
266	मिन्नसेन बुदेला	1,500/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	घा. 302 1062, घा. मा. तै. 132 व I
267	दिलदार बेग, दिलदार खाँ	1,500/1,000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	घा. 140 I
268	कामगार खाँ, पुत्र कामयाब खाँ	1,500/1,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा. 141, 457, 1061 I
269	मुहम्मद इस्माइल, इस्माइल खाँ, पुत्र नजाबत खाँ	1,500/1,000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	घा. 755, मा. उ. II, 781 I
270	दाबूजी	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	घा. 48 I
271	मुहम्मद गरीफ पोतकजी	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	घा. 54 I
272	मिसरी अफगान	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	घा. 454 55 I
273	हमीद काकर, काकर खाँ	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अत. 19 एजब, 9वाँ रा. वप, घा. 77, 218, हातिम खाँ 20 घ, 24 घ I
274	मानसिंह, गुलेर (पंजाब)	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	घा. 199 287 I
— का राजा					जमींदार		



1	2	3	4	5	6	7	8
275	हरजस गौड	1 500/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	आ० 270 982, टी० मू० (एस० बी०) ।
276	चतरभुज चौहान, प्रजौन बा जमीदार	1 500/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	आ० 270, ता० मु० 1079 हि० ।
277	घाबा युसुफ	1 500/1,000	—	—	—	—	आ० 270, 448 ।
278	मीर रस्तम खवाफी	1,500/1 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 399 ।
279	मीर इब्राहीम, मीर तुजुक	1 500/1 000	—	—	—	—	आ० 448, बामबार 260 अ ।
280	अबुन बका	1 500/1 000	—	—	—	—	आ० 197 ।
281	राजा अमरसिंह नारोरी	1,500/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	आ० 447, 1056, अ० मा० त० 131 ब, मा० उ० II, 227- 28 ।
282	याजदानी हमन घली खाँ आलमगौर शाही का सम्भ्राता	1 500/1 000	हि दुस्तान	तूरानी	—	चाचा	हातिम खाँ 54 ब, आ० 240 ।
283	राजा किशनसिंह ठवर	1 500/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	आ० 304 428 ।
284	मीर इब्राहीम मोहताशम खाँ, पुत्र शेख मीर	1,500/1,000	हि दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 856, मा० घा० 130, मा० उ० III, 646 50 ।
285	उदयमान राठौर	1 500/1,000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	आ० 334 ।

286	सयद इब्राहीम दार शकोही, मुस्ताफा खीं	1,500/1,000	—	—	—	—	—	—	क्रा० 964।
287	मुहम्मद सादह तरखान	1,500/1,000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	—	—	क्रा० 447, मा० उ० III, 560 62।
288	अली कुली तथरीफ खीं, मुपतखार खीं	1,500/1,000	—	इरानी	—	पिता	—	—	क्रा० 565।
289	फिरोज मेवाती, फिरोज खीं	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	—	—	क्रा० 440, ता० मु० 1075 हि०।
290	मानसिंह पुत्र स्पसिंह राठौर	1,500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	—	—	क्रादाब 315 व, क्रो० 158, 447, मा० उ० II, 270।
291	जगराम कछवाहा	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	—	—	क्रा० 1056।
292	असदुल्लाह इकराम खीं पुत्र मुल्ला महमद तथा फरहद बेला	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	—	—	क्रा० 957, टी० यू० (एस० वी), मा० उ० III, 564 65।
293	फरहद बेला	1,500/1,000	—	—	—	—	—	—	क्रा० 24 शावान 11वीं रा० वप।
294	रघूजी, पुत्र मानाजी भोसले	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	—	—	सं० डा० प्रो० 7।
295	मीर गयासुद्दीन	1,500/900	—	—	जमींदार	—	—	—	दफतर ए दीवानी सख्या 2986।
296	शरजाराब कावा	1,500/900	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	—	—	सं० डा० प्रो० 7।
297	मुस्ताफा खीं काशी	1,500/900	ईरान	ईरानी	—	—	—	—	ग्रह० 30 खिलहिज्ज 13वीं रा० वप, मा० उ० III 637 41।

1	2	3	4	5	6	7	8
298	मिर्जा नियामतुल्लाह सोहराब खाँ	1,500/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 885, सं० डा० श्री० 74, मा० उ० I, 586 87 ।
299	जलाल अफगान	1,500/800	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	आ० 972 ।
300	रघुनाथसिंह मरतिया	1 500/900	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत खमीदार	—	आ० 1061 62 ।
301	बुजुग उम्मेद खाँ	1 500/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 140, 856, 956, मा० उ० I, 453 54 ।
302	मीर राजीउद्दीन	1 500/800	—	—	—	—	आ० 862 ।
303	सलाबत दक्खनी	1,500/700 (100 × 2 3 अस्था)	—	—	दक्खनी	—	से० डा० श्री० 5 ।
304	रघुनाथसिंह भेरठा	1 500/800	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत खमीदार	—	अख० 29 रवी-उस-सानी, 8वाँ रा० वष, 20 जियदा, 10वाँ रा० वष, अ० मा० त० 130 अ ।
305	याहया पाशा	1,500/700	तुर्की	तुरानी	—	—	मा० आ० 110, कामवार 255 अ ।

306	रजो पुत्र अफजल खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	—	दक्कनी	—	मा० 834 घ० मा० तं० 131 घ।
307	सरदार कियाम खाँ अलफ खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	घा० 290।
308	मसूद खाँ	1,500/700	—	—	—	—	से० डा० घो० 74।
309	हिज्जर खा पुत्र अल्लाहखदी खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घा० 145, मा० घा० III, 496।
310	मीर मुहम्मद मुफर्रजम सियादत खाँ, मुफर्रजम खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 210, 334, मा० उ० II, 676, घ० मा० तं० 127 घ।
311	अदुल फतह पुत्र शायस्ता खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 140।
312	सफुदीन सफवी कामयाब खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 870, मा० उ० III, 479।
313	नेख अदुल मजीज अदुल अजीज खाँ नियावर खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	न० डा० घो० 74, घा० 141, मा० घा० 132, मा० उ० II, 686 88।
314	खाजा नूर मुतामाद खाँ (हिजडा)	1,500/600	—	—	—	—	घा० 294 448, 960।
315	महेगदाम राठौर	1,500/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	घा० 163।
316	मीर फख्रुल्ला फख्रुल्ला खाँ	1,500/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 158 1061।
317	रघुनाथसिंह राठौर, पुत्र सुन्दराम राठौर	1,500/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	घा० 635।
318	सुफु बीजापुरी, सुफु खाँ	1,500/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	घा० 742, 880।

1	2	3	4	5	6	7	8
345	हकीम सालेह गिराबो सालेह खाँ	1 500/250	ईरानी	ईरानी	—	—	क्रा० 1061 62।
346	गाहवेग खाँ काशगरी, शाही खा	1 500/500	तूरान	तूरानी	—	—	क्रा० 401, मा० क्र० 158, कामवार 263 व, 265 व।
347	सयद फिरोज रस्तम खानो	1 500/200	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	क्रा० 161।
348	शेख निजाम कुरेसी	1 500/100	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	क्रा० 1034।
349	हकीम मुहम्मद अमीन शीराजी	1 500/50	ईरान	ईरानी	—	—	क्रा० 399।
350	सरदार वग ऐहतिमाम खाँ	1,500/	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	ग्र० मा० त० 131 अ।
351	मिर्जा मुहम्मद ताहिर इनायत खाँ	1,500/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 3० II 762।
352	नेव अली बीजापुरी	1 500/	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	दिल्लुशा 26 व।
353	अहमद खा, पुत्र सीदी मिक्ताह	1 500/	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमीदार	पिता	मा० उ० I 582।
354	मुहम्मद वग तुकमान बरतलव खाँ	1,500/	ईरान	ईरानी	—	—	मा० 3० II, 706 308, टी० यू० (एस० बी०) क्र० 326, 343।
355	शेरसिंह राठौर	1 000/1,000 (23 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	क्रा० 441।

356	जसवंतसिंह, डगरपुर का महाराज	1,000/1,000 (800 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मूल० 16 जिल्लाहिंग, 38वां रा० वय श्रोत्रा III भाग I, 115 1
357	इन्दरसिंह, पुत्र राय रायसिंह	1,000/1,000 (700 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ने० डा० श्रो० 121, मा० उ० II, 236 1
358	बहराम, पुत्र कजलबास खां	1,000/1,700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 486, 1039 1
359	राजा महामिह भदौरिया	1,000/1,000 (500 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	घा० 1044, मा० उ० II, 229 30 1
360	शेष शकुल हामिद, पुत्र शेख मसूर बीजापुरी	1,000/1,000 (100 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दकननी	पिता	से० डा० श्रो० 47 1
361	रामसिंह, पुत्र रतन राठौर	1,000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	घा० 486 1
362	सरबाबू ८	1,000/800 (600 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मकान	—	घाब० 5 जमादि उस सानी 12वां रा० वय 1
363	कादिर दाद खां	1,000/800 (400 × 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	शानिम खां 164 घ, घा० 1030, घ० मा० त० 132 घ 1

1	2	3	4	5	6	7	8
364	उमर तारी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	प्रपगान	—	प्रा० 270 287 88 ।
365	अदुल हमीद बीजापुरी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	प्रा० 163 291 ।
366	बतरजी दक्कनी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	प्रा० 206 ।
367	मीर वाकर खाँ	1 000/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्रा० 206 573 प्रा० मा० तं० 131 व ।
368	महमूद दिनजाक	1,000/1 000	—	तूरानी	—	—	प्रा० 487 मीरात प्रल प्रालम 160 प्र व ।
369	इमाम अरदो	1 000/1 000	—	—	—	—	प्रा० 635 ।
370	मानघाता	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	प्रा० 647-48 ।
371	मुराण खाँ, तिवत वा जमादार	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमादार	—	प्रा० 860 ।
372	राजा जयसिंह	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	प्रा० 964 ।
373	राजा बहुरज	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमीदार	—	प्रा० 340, ता० सु० 1076
374	रस्तम खाँ, पुत्र बजलबाग खाँ	1 000/900	हिंदुस्तान	ईरानी	जमीदार	पिता	हि०, मा० उ० II, 219 ।
375	गरत बेग, गुजा खाँ	1 000/900	—	—	—	पिता	म० डा० प्रो० 74, प्रस० 17 रबी-उत्स-मानी, 12वाँ रा० वष ।
							प्रा० 232 856 ।

376	सयद ... वर	1 000/900	—	—	—	मां 862 63 ।
377	सरकार खाँ बेग	1 000/900	—	—	—	मां 290, टी० यू० (एस० वी०) ।
378	सयद दर बाऊदजर्ह, कलक्टर खाँ	1 000/900	भारतीय	प्रपगान	—	मां 308, 960 ।
379	कुदानी दखनी (इस्लाम स्वीकार कर लिया)	1,000/800	भारतीय	दखनी	—	मां 1062, मां उ० III, 580 ।
380	सयद बहादुर बाखा	1,000/800	भारतीय	—	—	मां 293 ।
381	इमाम कुली कराबल, प्रगहर खाँ	1,000/800	भारतीय	—	—	मां 216, टी० यू० (एस० वी०), स्वकाल सख्या 5/10, पू० 11, फतिहा इन्निमा 158 व ।
382	सयद नामिरहीन खाँ दखनी	1 000/800	भारतीय	दखनी	—	मां 45 ।
383	मिर्जा रहूला, पुत्र मुसुफ खाँ तागबन्दी	1 000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता	मां उ० III, 966-67 ।
384	मीर बुरहानी	1,000/800	—	—	—	मां 1050 ।
385	मफुस्ता भख	1 000/800	—	—	—	मां 45 ।
386	मूरजमल गौड	1 000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता	मां 192 ।
387	इन्दरमन बुदेन	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता	दयनर ए नीवानी, सख्या 2983, से० डा० क्रो० 112, मां 989 ।
388	स्वाजा गाह, गरीफ खाँ	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	मां 140 ।



1	2	3	4	5	6	7	8
389	गुलाम मुहम्मद अफगान	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 475 ।
390	हसन बेग	1 000/700	—	—	—	—	आ० 163 ।
391	दरवाना बेग ककशाज	1 000/700	—	तूरानी	—	—	आ० 303 ।
392	मानाजी, पुत्र वारयजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफतर ए दीवानी सख्या 2986 ।
393	तानाजी, कच्छ का जमानार	1,000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	आ० 625 ।
394	हाजी अहमद सईद, पुत्र मौलाना मुहम्मद सईद	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	फरहत 198 व 199 अ आ० 885 ।
395	कमालुद्दीन पुत्र दिलेर खाँ	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	मा० आ० 140 ।
396	सयद मुकनदार	1 000/600	—	—	—	—	आ० 217 ।
397	अबुल फकारिम, पुत्र इफ्तखार खा	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 334 ।
398	सयद हामिद बुखारी मुजाहिद खाँ	1 000/600	—	तूरानी	—	पिता	आ० 249, 918, मा० उ० III, 598 ।
399	मिर्जा अली अरब, कन्दर खा	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० अ० 74, आ० 565, मा० उ० III 115 20 ।
400	दारन खाँ	1 000/600	—	—	—	—	आ० 856 ।
401	मुहम्मद अब्दुद फजुल्ला खाँ का माई	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	भाई	आ० 140, 843 ।

402	मीर्मासिंह श्रीनगर का	1,000/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	क्रा० 960 ।
					जमींदार		क्रा० 964, मा० क्रा० 105 ।
403	सयद महमद खौ खट्टव	1,000/600	—	—	—	—	दक्तर-ए दीवानी, सख्या 2986 ।
404	गरखुजी पुत्र बान्कर राव	1,000/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० क्रा० 149, क्रा० 216,
405	नूरी देव, तुफताज गी	1,000/600	—	—	—	—	मा० 908 ।
							क्रा० 55, हातिम खां 16 ब ।
406	सावनसिंह, काली भेट का	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	क्रा० 78 ।
					जमींदार	—	क्रा० 78, 487 ।
407	दोस्त भक्षण	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	भक्षण	पिता	क्रा० 268 ।
408	मुहम्मद मुहीम, मुकीम खौ	1,000/500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	क्रा० 271 ।
409	इनायत भक्षण	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	भक्षण	—	क्रा० 270 ।
410	मीर अरब बख्तरी	1,000/500	—	ईरानी	—	—	क्रा० 215 ।
411	अत्रास भक्षण	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	भक्षण	—	क्रा० 221 ।
412	रत्नार्णसिंह, बांधू का	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	क्रा० 291 ।
					जमींदार	—	क्रा० 635 ।
413	दरवेण मुहम्मद	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	दक्तर ए-दीवानी, सख्या 2986,
424	अब्दुल यारी असादी	1,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	क्रा० 404, 565 ।
415	कान्ठि दान असादी	1,000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	
416	असद वासी, असद खौ	1,000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
417	दाऊद	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	क्रा० 291।
418	मार अना मकबर	1 000/500	—	—	—	—	दफ्तर ए-दीवानी सख्या 2986।
419	मीर बाकी बाकी खा	1 000/500	ईरान	ईरानी	—	पिता	क्रा० 966।
420	तातार बग उजबक खा	1 000/500	—	तुरानी	—	—	क्रा० 52 53 हासिम खां 15 प, 28 ब, 565।
421	भारमिह मुरो खां	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमीदार	पिता	क्रा० 981, मा० उ० II, 281।
422	हामिद खा पुत्र शेख मीर	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	क्रा० 856।
423	सीदी इब्राहीम	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	दखनी जमीदार	—	क्रा० 626।
424	सयद सुजाप्रत या बहादुर मकरी	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० उ० II, 460 61।
425	मीर बहादुर दिल जाँ मियर खां	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० प्रो० 29 मा० उ० I, 535 37।
426	रघुजी घोपरे	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० प्रो० 107।
427	नुरज हसन	1 000/500	—	—	—	—	क्रा० 565।
428	प्रमसिंह श्रीनगर बा जमीदार	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	क्रा० 872।
429	पित्तार मुफ्तीर खां, पुत्र फकोर खां	1 000/450	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	क्रा० 401 635 832, मा० उ० III 27 28।

प्रमोरी की स्त्री

430	मुन्गार बेग, नकाबिच ली	दुर्ग	तूरानी	—	पिता	मा० प्रा० 152 मा० उ० I
		1,000/400				247 I
		1,000/400	ईरानी	—	माई	मा० प्रा० 109, 113, बामबार
431	मीर महमूद, प्रसीदत ली	ईरान	ईरानी	—	पिता	255 ब, मा० उ० I, 224 25 I
		1,000/400	भारतीय	प्रफगान		प्रा० 147 I
		1,000/400	भारतीय	राजपूत		प्रा० 140 I
		1,000/400	भारतीय	—		प्रा० 45 I
		1,000/400	—	—		प्रा० 9 रमजान, 13वीं रा०
		1,000/400	—	—		वय, प्रा० 876 I
432	जमात ली	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० 196, प्रा० 8वीं रा० वय I
433	मनोहरगम सिसौदिया	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० 399, हातिम ली 38 ब,
434	मुदाबद हब्बी, हुग ली	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० उ० I, 222 I
435	बनी बेग कलाली	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० 742, ता० मु० 1076 हि० I
		1,000/400	भारतीय	—		
		1,000/400	भारतीय	—		
436	मुहम्मद मसीम	हिन्दुस्तान	भारतीय	प्रफगान		माई प्रा० 885 I
437	दोख निजाम पुत्र ग़ल करीद	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमीदार		पिता प्रा० 215, मा० उ० III, 498 I
		1,000/400				प्रा० 870 I
438	मलिक जीवन, बल्लियार ली	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० 843 I
		1,000/400	ईरानी	—		
439	घरमन बेग नजमसानी	हिन्दुस्तान	ईरानी	—		
440	प्रनी बेग, ऐहतिमाम ली	हिन्दुस्तान	—	राजपूत		
441	गदा बेग	—	भारतीय	जमीदार		
442	राजा तेरसिंह बन्वा का जमीदार	हिन्दुस्तान	भारतीय	—		प्रा० 977 I
		1,000/400	तूरान	—		
		1,000/400	तूरान	—		
443	स्वाजा तादिक बटली					

1	2	3	4	5	6	7	8
444	सयद यादगार हुसन बारहा	1 500/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	श्रा० 1062, हातिम खाँ 56 व, अख० 17 खिलहिज्ज, 20वाँ रा० वष ।
445	बनबालीदास भरतिया	1 000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	श्रा० 1047, अ० मा० तं० 132 अ ।
446	बादल बख्तियार	1 000/350	हिन्दुस्तान	भारतीय	मफगान	—	श्रा० 1034 ।
447	सयद अबुल खादिदीन बुसारी	1 000/300	—	तूरानी	—	—	हातिम खाँ 13 व, अ० 45 ।
448	अबु मुस्लिम	1 000/300	—	—	—	—	अ० 206 ।
449	सयद मिर्जा स अबारी	1 000/300	ईरान	ईरानी	—	—	अ० 346 ।
450	सयद अली	1 000/300	—	—	—	—	अ० 918 ।
451	दरबार खाँ, हवाजासरा	1 000/300	—	—	—	—	अ० 960 ।
452	पहला विजाई	1 000/300	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 13 रमजान, 13वाँ रा० वष ।
453	हाजी मुहम्मद शफी शफी खाँ	1,000/300	—	—	—	—	अख० 22 सफर 20वाँ रा० वष, अ० 870 ।
454	मुहम्मद गुजा, गुजाअत खा, पुत्र किवामुद्दीन खाँ	1,000/300	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० अ० 153, कामवार 263 अ, मा० उ० III, 114 15 ।
455	बस्तावर खाँ	1 000/250	—	—	—	—	अ० 960, मा० अ० 140, टी० यू० (एस० वी०) ।

456	बबीर की ब्याजगारा	1 000/250	—	—	—	प्रा० 742 ।
457	बबूर नामिर की बन्गुला का भाई, बामगर का राजा	1 000/250	—	—	—	प्रा० 762 ।
458	मुहम्मद बरकिस बानी मर्दान गानी	1 000/250	—	—	पिता	प्रा० 268 ।
459	मीर महदी यस्नी	1,000/200	—	—	—	प्रा० 163 ।
460	नियामतुल्ला, पुत्र हिमायुदीन खाँ	1,000/200	—	—	पिता	प्रा० 52 ।
461	ब्याजा बत्ती, बिकायत खाँ	1,000/200	—	—	—	प्रा० 77 ।
462	ईसा खाँ	1,000/200	—	—	—	प्रा० 13 रमजान, 13वाँ रा० वष ।
463	बबुब बानी	1,000/200	—	—	—	प्रा० 268 ।
464	मीर मयुन हसन गार्ह गुजाई	1,000/200	—	—	—	प्रा० 161 ।
465	समानुल्लाह	1 000/200	—	—	पिता	प्रा० 197, मा० उ० I, 232 ।
466	मुहम्मद हुसैन सिन्धोब	1,000/200	—	—	—	प्रा० 210 ।
467	नेर बरगान	1,000/200	—	—	—	प्रा० 287 ।
468	बरसंगान खाँ	1,000/200	—	—	—	प्रा० 861 ।
469	मुल्ला ईयाज बाजेह	1,000/200	—	—	—	प्रा० 392, मा० प्रा० 150, 156 ।
470	मीर बबीब	1,000/200	—	—	—	प्रा० 861 ।
471	समानत की मोरक मुहमुदीन	1 000/200	—	—	पिता	मा० प्रा० 110, मा० उ० I, 258 68 ।

1	2	3	4	5	6	7	8
472	मीर याकूब, शमशेर खाँ	1,000/150	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 195, मा० उ० II, 670, ता० मु० 1086 हि० I
473	ख्वाजा इस्माइल बेग किरमानी	1,000/150	—	ईरानी	—	—	आ० 218, 487 I
474	इस्लाम कुली	1,000/100	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 76, कामवार 249 अ I
475	महदी, कागगर के शासक अबदुल्ला का सम्भ्राता	1,000/100	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 565 66 I
476	इनायत खाँ	2,000/2,000	ईरान	ईरानी	—	—	मा० उ० II, 813 18, द इग सिरा फक्ट्रीज, 1661 64, 203, 205 I
477	मीर अदुल माकूँ (भक्करी)	1,000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	सेलेक्टेड वाक्या आफ द डकन 68 I
478	चाँद खाँ, पुत्र मीर मुतजा	1,000/	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मागूरी 149 अ, अ० मा० त० 132 अ I
479	मयबन्त	1,000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	स० डा० ग्री० 104 I
480	इब्राम खाँ मद्र	1,000/	—	—	—	—	अ० मा० त० 131 ब I
481	राजा जसवन्तसिंह बुंदेला	1,000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० आ० 169, मा० उ० II, 293 94 I
482	मनीराम	1,000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	से० डा० ग्री० 40 I

ममीरो की मूनी

483	रात्रा एमरसिंह, बन्वा (पञ्जाब) का रात्रा नेम प्रभुप कन्ह, क्राविस ली	1 000/ 1 000/	द्वि-दुम्नाल द्वि-दुम्नाल	भारतीय भारतीय	राजपूत —	जमीदार —	पिता —	एम० प्रबकर पञ्जाब प्रबकर द मुगल, 226। घ० मा० ल० 132 घ, मा० घा० 190, घादाव 1 व। मा० उ० II 147-48।
484	रात्र मोहरसिंह, पुन प्रमरसिंह उच्च मनसर।		द्वि-दुम्नाल	भारतीय	राजपूत	जमीदार	पिता	मीरात घल घालम 281 व।
485	पञ्जाब ममीर		ईरान	ईरानी	—	—	—	
486	महमद वय क्राविस, पुन मीरा की क्राविस		ईरान	ईरानी	—	—	—	

1 मोहरसिंह का मतसब नहीं दिया गया है—यद्यपि अब उसके पिता प्रमरसिंह को रात्र की उपाधि दी गयी तो उसकी पदोन्नति पतक मतसब 1 000/900 पर कर दी गयी। इसके पञ्जाब प्रमरसिंह की पदोन्नति 1,500/900 के मतसब पर कर दी गयी। प्रमरसिंह को मुगल के बाद मोहरसिंह को टीका प्रदान किया गया तथा उसे 'रात्र' की पदक उपाधि प्रदान की गयी (मा० उ० III 147-48)।



ब-1679-1707 के वे मन्सबदार जो 1,000 यात और उससे अधिक के मन्सब पर पहुँचे

क्रम संख्या	नाम व उपाधि	उत्तकाल में सर्वोच्च मन्सब	जन्मभूमि	वग	उप वग	सेवा में (राजपूत, मराठा या अफगान अथवा जमींदार निकटतम आदि) सम्बन्धी	6	7	8
----------------	-------------	----------------------------------	----------	----	-------	---	---	---	---

5 000 और उससे अधिक के मन्सबदार

- |   |  |                                       |             |       |   |      |   |
|---|--|---------------------------------------|-------------|-------|---|------|---|
| 1 | मिर्जा अबु तालिब, शायस्ता खाँ,<br>अमीर उल उमरा         | 7,000/7,000<br>(23 अस्था)             | हिन्दुस्तान | ईरानी | — | पिता | ता० मु० 5, अ० मा० त० 121  |
| 2 | मीर मलिक हुसैन, खान ए<br>जहाँ बरादुर अफरजग<br>बोक्लशाश | 7,500/7,000<br>(6 000 × 2.3<br>अस्था) | हिन्दुस्तान | ईरानी | — | पिता | अ० मा० उ० II, 690-706 I<br>मा० आ० 142, ता० मु० 9,<br>आ० मा० तै० 121 अ० मा० उ०<br>I, 798 813 I |

क्र. सं.	नाम	सुराही	पिता	असल
3	मीर गद्दुद्दीन गाजोउद्दीन खानबहादुर फिराजजंग	7 000/7 000 (3 000 × 2 3 अस्था)	—	असल 6 जमादि जल-स्तानी 46वाँ रा० वप, ज० आ० 165 अ, मा० आ० 302 481 ता० मु० 27 मा० 3० II 872 79 I
4	भीदी मसूद, मसूद खाँ	7 000/7,000 (2 000 × 2 3 अस्था)	दखनी जमीदार	ईसरदास 126 अ, 144 अ, से० डा० श्री० 222, कामवार 281 ब, व० स० 767, मा० आ० 315 16 I
5	जमनेद खाँ धीकापुरी	7 000/7 000 (1,200 × 2 3 अस्था)	दखनी	असल 20 सावान, 37वाँ रा० वप, ज० आ० 164 ब, कामवार 301, ता० मु० 17 I
6	अबुल रऊफ मियाणा, दिलर खाँ	7,000/7 000	अफगान- दखनी	ज० आ० 164 अ, मा० आ० 280, ब० स० 756, मा० उ० II, 56 59, टी० यू० (एस० वी०) I
7	राजा शाह	7,000/7 000	भराठा	से० डा० श्री० 21९, मा० आ० 332, रकाम एकरायम 23 ब, अ० मा० तै० 121 ब, कामवार 281 ब, मा० उ० II, 342 58 I

1	2	3	4	5	6	7	8
8	शख निजाम जुनदी हैदराबादी, मुकरब खाँ खान ए जमा, फतहजग	7 000/7 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दखनी	—	ज० झा० 131 व ता० मु० 8, मा० झा० 324, मा० उ० I 794 98 I
9	सयद मखदूम, गरजा खाँ रस्तम खाँ	7 000/7 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दखनी	—	न० डा० झा० 199, ज० झा० 164 थ०, मा० झा० 176, 280, 480 मा० उ० II, 502 504, बदरमान ब्राह्मन गुलदस्ता, 4 व 5 थ I
10	सयद अदुल कानिर खा	7,000/7 000	—	—	दखनी	—	अथ० 23 रजब, 39वा रा० वप स० डा० झा० 222 I
11	मुहम्मद इब्राहीम अमद खा	7 000/7 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० झा० 169 ज० झा० 164 व, मा० झा० 392, मा० उ० I 310 21 I
12	अजीजुद्दीन बहरमन् खा	7 000/7 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	दफ्तर ए दीवानी (हैदराबाद), 25 जमादि उस सानी 23वा रा० वप ता० मु० 16, मा० झा० 369 374, मा० उ० I 454 57 I

13	अलाउद्दीन नायक (फिदिया नायक का भूतपूर्व बरूनी)	7 000/7 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	कामवार 301 व 309 व ।
14	हवश खाँ	7 000/7 000	—	—	दक्कनी	—	दफ्तर ए दीवानी सख्या 784 18 जमादि उस-सानी 33वाँ रा० वप ।
15	मुम्मद इब्राहीम, खलीलुल्लाहा महाबत खाँ	7,000/6 000 (1 000 X 2 3 अस्था)	ईरान	ईरानी	दक्कनी	—	से० डा० घौ० 170, उ० घा० 165 घ, मा० घा० 269, मा० उ० III, 627 32 ।
16	चगता खानबहादुर फतेहजग काशगरी	7 000/	तूरान	तूरानी	—	—	टी० यू० (एस० वी०) ।
17	सयद मुजफ्फर हैदराबादी	7 000/	—	—	दक्कनी	—	ता० मु० 1097 हि०, कामवार 272 व, मा० घा० 227 ।
18	इहलास खाँ, खान ए आलम	6,000/5,000 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	उ० घा० 131 व 132 घ, मा० घा० 324, 384, मा० उ० I, 816-17, घ० मा० तै० 121 व ।
19	मीर मीरान अमीर खाँ	6 000/5 000 (3,000 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अन० 25 गल्वाल, 25वाँ रा० वप, मा० उ० I 277 87 ।

[ डा० युसुफ हुसन खाँ ने गलती से इस नाम को हलल खाँ पढ़ा है (से० डा० घौ० 222) ।

1	2	3	4	5	6	7	8
48	नेक निहाद खा	5 000/5 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	अखं 13 शवाल, 38वां रां वप ।
49	ग्रहसान खां	5 000/5 000	—	—	दक्कनी	—	जं अं 164 व ।
50	परया नायक, या पिदिया नायक	5 000/5 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	दिनकुशा 95 व मां अं 513, खाफी खां II, 370 ।
51	मालजू	5 000/5 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सें डां अं 187 206 ।
52	माइनुल्ला	5 000/5 000	—	—	—	—	सं डां अं 203 ।
53	जगन नायक	5 000/5 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	सें डां अं 205, मामूरी 205 व ।
54	पादगाह कुली खां	5 000/5 000	—	—	दक्कनी	—	सं डां अं 222 ।
55	खाजा रहमतुल्लाह सरबुलद खां	5 000/4 000	हिंदुस्तान	सूरानी	—	—	तां मुं 1090 हिं, मां उं II, 477 79, मां 976, अं मां तं 124 व ।
56	भाकू वजारा	5 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मां अं 393, अं मां तं 122 व ।
57	श्रीर मुहम्मद खलीन मिपट्टार खां खान ए जमी मुस्तखर खां	5 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां अं 209, तां मुं 1095 हिं, मां उं I 785 92, अं मां तं 122 व ।

58	नागोजी माने या नाकोजी	5 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अप्र० 8 मुहूरत 44वीं रा० वर्ष, दिनांक 122 म।
59	सोदी सलीम खाँ	5 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	खमीदार- दखतनी	—	सं० डा० प्रो० 207 उ० प्रा० 164 व।
60	महाराज खाँ	5 000/4 000	—	—	—	—	से० डा० प्रो० 219।
61	सय्यद मुहम्मद कलदार, बगलोर का	5 000/4 000	—	—	दखतनी	—	ईसरदास 131 म-व।
62	मुहम्मद हुसैन सिपहदार खाँ, नसोरी खाँ	5 000/3 500 (500 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० प्रा० 481 496, रामवार 286 व, मा० उ० II, 949 51 मीरात-ए-माफतायनुमा 583।
63	बहराजी बांधरे	5 000/3,000 (500 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अप्र० 1 जमाति उम तानी, 38वीं रा० वष।
64	सम्राटमद खाँ	5,000/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	—	—	—	—	सं० डा० प्रो० 20।
65	शेर बाज खाँ	5 000/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अप्र० 8 जमादि-उन अख्त, 44वीं रा० वष।
66	सुमेसावर	5,000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा- जमीदार	—	ईसरदास 165 व, मामूरी 206 म, खाफी खी II, 532।

1	2	3	4	5	6	7	8
67	परसराम	5 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मामूरी 156 व ।
68	सीदी खाँ मुहम्मद पुन सीदी मसू	5 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी जमीदार	पिता	ईसरदास 126 अ ।
69	खेवजी	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	वाकिया पेस जयपुर, 17 खिकदा 47वाँ रा० वप ।
70	हसन अली खानबहादुर आलमगीरशाही	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 189, ता० मु० 1097 हि०, मा० उ० II 593 99 ।
71	नल मीरान मुनवर खाँ, या मन्नु खा	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	मा० आ० 324, 364 384, ता० मु० 22, मा० उ० III, 654 55 कामवार 279 अ ।
72	सुजानराव या शिवभान राव	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० आ० 421, कामवार 291 अ अ० मा० त० 123 अ ।
73	राजा भीमसिंह	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	ता० मु० 6, स० डा० आ० 170, ज आ० 166 अ, मा० आ० 212, 369 ।
74	सयद शाह	5 000/2,000	—	—	दखनी	—	अख० 24 शवाल 45वाँ रा० वप ।
75	राजाजी जनादन	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफ्तर ए-दीवानी सख्या 2978 ।
76	जनकूजी	1 500/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 26 रजब 37वाँ रा० वप ।

77	जगजू खाँ दक्खनी	5 000/-	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	टी० यू० (एस० बी०) ।
78	नाथजी दक्खनी	5 000/-	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	श० मा० त० 123 अ ।
79	पाम नायक, पिदिया नायक का चाचा	5 000/-	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमीदार	—	दिलकुगा 95 व व० स० 750, ता० मु० 1099 हि० ।
3 000 से 4,500 तक के मतसबवार							
80	नासिम खा किरमानी	4 500/2,500 (1 000 X 2 3 अस्था)	ईरान	ईरानी	—	—	अख० 15 सफर, 36वाँ रा० वप, खाफी खाँ II 284, ता० मु० 7, मा० उ० III, 123 26 ।
81	मीर शम्सुद्दीन, मुल्तार खाँ	4 000/2,500 (2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 26 रजब, 45वाँ रा० वप, ता० मु० 1095 हि०, मा० आ० 460, मा० उ० III, 620 23 ।
82.	गाबी बीजापुरी, रदौला खाँ	4,000/4 000 (1 000 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० उ० II, 309, अ० मा० त० 124 अ ।
83	मुहम्मद शमीर, शाह कुली खाँ	4 000/4 000	—	—	दक्खनी	—	से० डा० प्री० 222, मा० आ० 194 ।
84	यसवन्तराव, या बसवन्तराव दक्खनी	4 000/4,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० आ० 219, कामवार 271 अ, अ० मा० त० 123 व ।



1	2	3	4	5	6	7	8
85	श्रीरंगबन्धुवासी, इन्दौरवासी	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	पति 4 रबी उल प्रबल 42 रबी वप, मां घां 324।
86	श्रीरंगबन्धुवासी हैदराबाद के प्रमुख हसन का दत्तक पुत्र	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	मां घां 303 घं मां तं 124 घ।
87	तरबियात खां बरलास गफुना	4 000/4 000	तूरान	तूरानी	—	—	तां मुं 1096 हिं मां उं 1, 493 98।
88	श्रीरंगबन्धुवासी हमी	4 000/4 000	—	—	—	—	सं डां घीं 124।
89	माहजगी नायक	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	सं डां घीं 134।
90	मीरान नेकनियत खां का भाई	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	भाई	घणं 25 जमानि उम-सानी, 4-4 रबी वप, सं डां घीं 203।
91	गालिव खां	4 000/3 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	मां घां 473, घं मां तं 124 घ।
92	मुहम्मद मनील, जबरदस्त खां	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घणं 22 रमजान, 40 रबी वप 28 मुहरम, 43 रबी वप, मां घां 497, मां उं 1, 300, शमवार 299 घ।
93	इब्राहीम गौरी	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	प्रपणन	—	नें डां घीं 219।
94	मुहम्मद मुराद खां, सोलत जगहादुर	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मासूरी 200 घं, शमवार 292 घ।

95	मीर सद्दीन सफाबख्त खाँ	4,000/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	ख० घा० 160 व कामवार 273 घ मा० उ० II 746-471
96	इरबत खाँ, सफाबख्त खाँ	4 000/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मा० घा० 150, मामूरी 174 घ, मा० घा० 855 I कामवार 265 घ, घा० 855 I मा० घा० 262, 280, घ० मा० त० 124 घ I
97	सिकंदर व खाँ, प्रसकंदर खाँ	4,000/3 000	तूरान	तूरानी	—	—	खाफी खाँ II, 246, कामवार 268 व, ईसरवास 164 व, मा० उ० I, 274 77 I
98	वीर मुहम्मद मगहर खाँ	4 000/3 000	ईरान	ईरानी	—	दस्तली	ते० डा० मो० 195, मा० घा० 347, मा० उ० II, 818 21 I मा० घा० 442 516, कामवार 294 व, मा० उ० I, 292 93, घ० मा० त० 124 घ I
99	मं दुर्ज्जाक लारी	4,000/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 267, घ० मा० त० 123 व, गहलोत 'राजपूताने का इतिहास 74, कामवार 272 व I
100	मुहम्मद रमखानी, शत्रु नासर गायस्ता खाँ द्वितीय	4 000/2,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत खमीवार	पिता	मा० घा० 210, मा० उ० III, 26 30 ता० मु० 1092 हि० घ० मा० त० 124 घ I
101	राव भार्वासिंह हाढा	4,000/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	—
102	फज उल्लाह खाँ						

1	2	3	4	5	6	7	8
103	नामदार खाँ	4 000/2,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां उं III 830-33 1
104	मीर मुहम्मद इशाक, मुकरम खाँ	4 000/1 500 (600 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अबलं 11 रबी उस सानी 37वां रां वप, मां उं III, 695 701, तां मुं 36 1
105	मीर मुहम्मद इब्राहीम, मोह्तशाम खाँ	4 000/1 500 (500 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अबलं 19 रसजान, 25वां रां वप, 18 शायान 24वां रां वप 1
106	मीर मोहम्मद खलील तरवियात खाँ, पुत्र दोराब खाँ	4 000/2 200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां मां 381, 485, 505, तां मुं 22, अं मां तं 123 व मां उं I, 498 503 1
107	मुहम्मद अमीन खाँ चिनवहादुर	4 000/1 500	तूरान	तूरानी	—	चाचा	नामदार 279 व, मां मां 481 506 518, मां उं I, 346 50 1
108	मीर मुहम्मद अस्कारी, आकिल खा राजी	4 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	ता मुं 8, मां उं II, 821 23, अं मां तं 174 व, रियाज उस भोरा 196, मोरात उल खियाल 360-62 1
109	अशरफ खाँ ऐतिमाद खाँ	4,000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अं मां तं 124 व, मां उं I 272-74, टीं यूं (एसं बीं) 1

संशोधन के प्रश्न

110	मीर मुहम्मद हादी, हकीम-उस मुल्क	4,000/500	ईरान	ईरानी	—	—	उ० मा० 161 प मा० मा० 362 कामवार 284 व मा० उ० I 599 600 I मा० मा० 297 कामवार 279 प I
111	शेख सादु	4,000/	हिंदुस्तान	तूरानी	दक्कनी	—	दिलकुशा 157 कामवार 291, उ० II, 510 व, 158 प, मा० उ० II, 510 12 I
112	राजा छत्रसाल कुंदेला	4,000/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	अलबारात, सरकारद्वारा उद्धरित, हिस्ट्री ऑफ घोरगजेव, भाग 5, 209 I
113	बाजी बहान इरले, पुत्र सत्वाजी इफने	4,000/	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० श्री० 128, शर्मा, द रिलीजस पालिसी आफ द मुगल एम्परास 178 I
114	सियाजी	4,000/	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	मा० मा० 188 प० मा० उ० I, 447 53, 123 व, मा० उ० I, 447 53, ता० मु० 1092 हि० I
115	तदखुर खां, पादाहाह कुली खां	4,000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	दिलकुशा 95 प, कामवार 286 व, मा० मा० 369 प्रोसीडिंग्स ऑफ डवन हिस्ट्री ऑफ फॉरेन, 1945, पृ० 30, डाक्यूमेंट सख्या 20, प० मा० त० 126 प I
116	मुहिय ए प्रली, मस्वर खां हेरबागो	4,000/	हिंदुस्तान	—	दक्कनी	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
117	मीर शम्सुद्दीन, उफ मुसनिम खा	3 500/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 374 405, ता० मु० 13, ज० आ० 165 ब, कामवार 289 अ, मा० उ० III, 641 441
118	जान सिपर खाँ, दोराब खाँ बानी मुस्तार का भाई	3,500/2 500 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 6 जिलहिलज्ज, 39वा रा० वष 1, रमजान 43वाँ रा० वष, अ० मा० त० 127 अ 1
119	इल्हामुल्लाह, रशीद खा	3 500/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	त० डा० श्री० 181 मा० उ० II 303 305, कामवार 274 ब, अ० मा० त० 124 ब 1
120	मीर कमरुद्दीन मुस्तार खाँ	3 500/3 000 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 5 जमादि उल अखल, 38वाँ रा० वष मा० आ० 220 370, कामवार 275 अ मा० उ० III 655 60 1
121	मुगल खाँ, अख शेख	3 500/3 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 170, मा० मा० 246, मा० उ० III 623 25 1
122	मुहम्मद थार खाँ	3 500/3,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 8 रबी उस-सानी, 39वाँ रा० वष, मा० आ० 384, 462 कामवार 296 अ मा० उ० III, 706 11 मीरात ए आफताव नुमा 592 1

123	मुहम्मद सईद फिरोज खां	3 500/3 000	—	—	स 164 प्र 1
124	मियान हाजि, हैबत खां	3 500/3 000	—	—	ईसरास 164 प्र 1
125	अनिन्द हाडा, बूदी बा	3 500/3,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	ईसरास 95 प्र कामवार 273
			हिन्दुस्तान	राजपूत	प्र, प्र० मा० तं० 127 प्र 1
			हिन्दुस्तान	जमीदार	प्र० 26 रमजान, 45वीं रा०
			हिन्दुस्तान	—	प्र० मा० 485, 505, मा०
			हिन्दुस्तान	तूरानी	वप मा० 605 11 1
			हिन्दुस्तान	ईरानी	उ० I 605 11 1
			हिन्दुस्तान	—	मा० प्र० 433 439, 505,
			हिन्दुस्तान	—	कामवार 292 प्र, प्र० मा० तं०
			हिन्दुस्तान	—	124 व, ता० म० 30, मा०
			हिन्दुस्तान	—	उ० III 692 94 1
127	मिर्जा सदरुद्दीन मुहम्मद खां सफवी, साह नवाज खां	3,500/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	प्र० 28 शब्वाल, 38वीं रा०
			हिन्दुस्तान	—	वप ता० मु० 5 1
			हिन्दुस्तान	—	कामवार 277 व, मा० उ० II,
			हिन्दुस्तान	—	289 91 प्र० मा० तं० 124 व 1
128	साफा खां	3 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता
			हिन्दुस्तान	राजपूत	289 91 प्र० मा० तं० 124 व 1
			हिन्दुस्तान	जमीदार	मा० 200 प्र, मा० प्र० 513,
			हिन्दुस्तान	—	कामवार 302 प्र 1
129	अनूपसिंह, पुत्र राव बरन भारतिया	3 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	पिता
			हिन्दुस्तान	जमीदार	मा० प्र० 282, ता० मु० 7,
130	जबिया देसमुख	3,500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	मा० उ० III, 949 51 1
131	मुहम्मद हसन, हिम्मत खां	3,500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—

1	2	3	4	5	6	7	8
117	मीर शम्सुद्दीन, उफ मुखनिस खाँ	3 500/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० झा० 374, 405, ता० मु० 13, ज० झा० 165 व, कामवार 289 अ, मा० उ० III 641 44।
118	जान तिमर खाँ, दोरान खाँ बानी मुल्तार का भाई	3 500/2 500 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 6 खिलहिज्ज, 39वा रा० वप, 1। रमजान, 43वाँ रा० वप, अ० मा० त० 127 अ।
119	इल्हामुल्लाह रशीद खाँ	3 500/3 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	म० डा० श्री० 181, मा० उ० II 303 305, कामवार 274 व अ० मा० त० 124 व।
120	मीर कमरुद्दीन मुल्तार खाँ	3 500/3 000 (1 000 × 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 5 जमादि उल अख्तल 38वा रा० वप, मा० झा० 220, 370, कामवार 275 अ, मा० उ० III 655 60।
121	मुगल खाँ अख्ब शेख	3 500/3 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 170 मा० झा० 246 मा० उ० III 623 25।
122	मुहम्मद यार खा	3 500/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 8 रबी उस सानी, 39वाँ रा० वप, मा० झा० 384, 462, कामवार 296 अ मा० उ० III 706 11, मीरात ए अफताव जुमा 592।

ममीतः श्री श्री

123	मुहम्मद सईद फिरोज खाँ	3,500/3,000	—	—	—	—	ईसरदास 164 प्र।
124	मियाज हाजि हैबत खाँ	3,500/3,000	—	—	—	—	ईसरदास 164 प्र।
125	प्रनिम्द हाडा, बूंदी का	3,500/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	ईसरदास 95 प्र, कामवार 273 प्र, प्र. मा. तं. 127 प्र।
126	हमीदुदीन खाँ बहादुर पुत्र सरदार खाँ	3,500/2,800	हिंदुस्तान	सूरानी	—	पिता	प्र. मा. तं. 26 रमजान, 45वीं रा. प्राय. मा. मा. 485, 505, मा. वय, मा. मा. 605 11।
127	मिर्जा सवरहीन मुहम्मद खाँ सफवी, शाह नवाज खाँ	3,500/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा. प्रा. 433, 439, 505, कामवार 292 प्र, प्र. मा. तं. 124 व, ता. मु. 30, मा. उ. III, 692 94।
128	साफी खाँ	3,500/2,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्र. मा. तं. 28 घवाल, 38वाँ रा. वय, ता. मु. 5।
129	अनूपसिंह, पुत्र राव बरन भरतिया	3,500/2,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 277 व, मा. उ. II, 289 91, प्र. मा. तं. 124 व।
130	जदिया देशमुल	3,500/2,000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमीदार	—	मापूरी 200 प्र मा. प्रा. 513, कामवार 302 प्र।
131	मुहम्मद हुसन, हिम्मत खाँ	3,500/2,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा. प्रा. 282, ता. मु. 7 मा. उ. III, 949 51।



1	2	3	4	5	6	7	8
132	इदरसिंह, पुत्र रायसिंह	3,500/2,000 (100 × 2.3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	शिवकुशा 76 अ, मां अं० 175 मां उं० II 236 तं० उं० (द्वीवगज कलकशन) 206 अ I
133	उदतसिंह बुदेला, झोरछा का राजा	3 500/1 600	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	अखं० 25 खी उत्र अवाल 38वां रां वष मां अं० 350, कामवार 282 अ 297 व, अं० मां तं० 124 व I
134	क्यामुदीन खाँ, इस्कहान का	3,500/1 500 <sup>1</sup>	इरान	ईरानी	—	—	मां अं० 139, मां उं० III 109 15, तां मुं० 1091 हिं० I
135	उर्यासिंह बुदेला	3 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मां उं० II 294, मां अं० 473 I
136	मीर मुहम्मद हसन, खानाबाद खाँ, रहुल्लाह खा द्वितीय	3,500/1,200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां अं० 340 349 386, 404, तां मुं० 16, मां उं० II 315 17, अं० मां तं० 126 व I
137	सयद अयूब	3 500/700	—	—	—	—	अखं० 19 गवाल 45वां रां वष I

1 मामूरी (149 व) के अनुसार, क्यामदीन खाँ का मतलब 5 000/3 000 था परन्तु मध्य खोत मामूरी के इस कथन की सन्निधि नहीं करते।

138	सयद भोगवान सियादत खाँ	3 500/500	तूरान	तूरानी	—	—	कामवार 272 घ 275 घ मा० उ० II 494 96 I
139	तरसूजी या परसूजी	3 500/ 3,500/	हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान	भारतीय भारतीय	मराठा राजपूत जमीनार	पिता	घ० मा० त० 125 व I जे० एम० गहनोत, राजपूताना का इतिहास 558 I
140	भरतसिंह, शाहपुर का राजा	3,500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 6, मा० उ० I, 453 54 घ० मा० त० 127 घ I
141	बुयुग उम्मेद खाँ	3,500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	ता० मु० 3 त० उ० घ' I
142	इमाम कुली अगहर खाँ	3 500/ 3,500/	हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान	तूरानी ईरानी	— —	पिता	मा० उ० I, 403, कामवार 296 घ, घ० मा० त० 124 व I
143	मुहम्मद ईगाक तरबियात खाँ	3 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 1092 हि०, मा० उ० I, 252-55 I
144	सुल्तान हुसन उफ इफितवार खाँ पुत्र अब्दुल हादी, असादत खाँ	3 000/3,000 (2 500 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	कामवार 268 व, ता० मु० 1098 हि०, मा० उ० II, 422 23 I
145	दिलदोस्त, सरदार खाँ पुत्र सरफराज खाँ चागता	3 000/3 000 (500 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	घा० 1050, कामवार 277 व I
146	मीर अहमद, सम्राटत खाँ, पुत्र समादत खाँ	3 000/3 000 (500 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	घस्र० 10 खिबदा, 38वाँ रा० वप (1694 म मुगल नोबरी छोड दी) I
147	ताफूजी	3 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
148	दत्तपतराव बुदना	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	दिल्लुंगा 157 घ, तां मुं 23 मां घां 392, मां उं II 317 23 I
149	वासदेव, छतरान बारा का जमींदार	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	मां घां 495, घं मां तं 125 व I
150	अबुल खर	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मां घां 515 मां उं II, 687 मामूरी 181 व, ग्राफी या II 392 I
151	नेताजी पुत्र जानराव	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं डां घों 175 I
152	धौजूजी पुत्र सम्भाजी	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं डां घों 176 I
153	आनंदराव	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	घरलं 10 जिखदा 38वां रां वप I
154	सफुद्दीन महमूद, उफ फकीरल्लाह, सफ लां	3 000/2 500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	कागवार 265 घ, घान 5 रमजान 10वां रां वप, घां 966 मां उं II 479 85 घं मां तं 125 व I
155	शेव मीर, तटचुर लां फिनाई लां	3 000/2 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मां घां 432, 493, मां उं II, 745-46 I

156	बहू मुहम्मद खाँ बीजापुरी	3 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	मा० झा० 351 व० मा० सं० 125 म०
157	सालेह खाँ, पिन्गई खाँ	3,000/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	सख० 5 जमादि-उल मख्तल, 38वीं रा० वष, मा० झा० 368, मा० उ० III, 33 34।
158	दुर्गानस राठोर	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	मा० झा० 395, कामवार 286 व, 299 व, ईसरदास 168 व व, म० मा० सं० 125 व।
159	आन पुरोहित	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा-जमींदार	—	सं० डा० श्री० 187, (सम्पादक ने गलती से इस नाम को सं० डा० श्री० 187 से मियाँ पवत पठा है)।
160	वुतपुन्नाह खाँ	3,000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अब० 3 सफर, 36वीं रा० वष, 27 जिनहिज्ज, 43वीं रा० वष, मा० झा० 412 441, मा० उ० III, 171 77।
161	दबीबुल्लाह खाँ, पुन सम्राततुल्लाह खाँ	3 000/2,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० झा० 407, 432, ता० मु० 13, मा० उ० II, 520।
162	इन्सरसिंह, पुत्र राणा राजसिंह	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० झा० 405 481, कामवार 286 व, 289 म०

1	2	3	4	5	6	7	8
163	विदनाजी	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 117 अ.व।
164	सयद कासिम बारहा शहामत खा	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 268 व मा० उ० II 681 83।
165	इरज खा कजलवाग	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	दियफुगा 77 व अ० मा० त० 126 व मा० उ० I 268 72।
166	शरीफुल मुल्क हैन्दाबाद के अबुल हसन का भतीजा	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	—	दखनी	—	कामवार 276 व मा० अ० 209 अ० मा० त० 125 व, मा० उ० II 688 907।
167	लक्ष्कर खा मुनवर खा बारहा	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० श्रो० 171 अ० अ० 165 व, मा० उ० II 465 68, मा० अ० 314।
168	मुहम्मद परागी	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	स० डा० श्रो० 187।
169	मीर पुत्र मीरान	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० ग० श्रो० 203।
170	मुहम्मद अली	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	—	—	—	स० डा० श्रो० 208।
171	राजा उदतसिंह भनौरिया	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 272 अ, 272 व, सईद अहमद, उमराय हुनूद पृ० 65, अ० मा० त० 131 व।
172.	सोहराब	3 000/2 000	—	—	दखनी	—	दफ्तर ए दीवानी सख्या 2978।
173	सूफे नायक	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 299 व, 300 व।

471	पद्मगराम	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	याकिया वेपल जयपुर 13 बिल- हिज्ज, 25वाँ रा० वष, शौ० सतीस चन्द्र द्वारा दिया गया सदम ।
175	जन्नावत	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफ्तर ए-दीवानी, सख्या 2980, झौरगञ्ज का 31वाँ रा० वष ।
176	जीवजी पंडित	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 161 अ-ब ।
177	मानसिंह, पुत्र हर्यसिंह राठोर	3,000/1,800	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अल० 4 तथा 24 राधान, 24वाँ रा० वष, मा० श्रा० 405, मा० उ० II 270, कामवार 286 व, 289 व ।
178	स्वाजा हामि, हामिद खा बहादुर, पुत्र याबान खा	3,000/1,700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा श्रा० 481, अ० मा० तै० 125 व, मा० उ० III, 765- 69 ।
179	राव रामसिंह हाडा	3 000/1,500 (200 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अब० 25 रबी उस-यानी, 44वाँ रा० वष, मा० श्रा० 505, ता० मु० 23, मा० उ० II 323 24 ।
180	गैयद शेर खा	3,000/1,500 (200 X 2 3 अस्था)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अब० 14 जितहिज्ज 25वाँ रा० वष, ता० मु० 1095 हि० ।

1	2	3	4	5	6	7	8
181	मुहम्मद तबी एतिवार खाँ उफ वाफिर हैदराबादी	3 000/1 500	हिंदुस्तान	—	दक्कनी	—	सं. डा० प्री० 170, ख० प्री० 165 व मा० प्री० 269, सं० उ० ए० 1
182	अली कुली खाँ	3 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	सं० डा० प्री० 188, कामवार 288 प्र० 1
183	अहुन कादिर पुत्र अहुन खजाक लारी	3 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	दक्कनी	—	प्रथ० 27 गज्वाल 38वाँ रा० वष, मा० प्री० 271, कामवार 276 व० 1
184	अलीज खाँ बहादुर चगता पुत्र बहादुर र्हेला	3 000/1 500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	ता० मु० 48, मा० प्री० 518, प्रथ० 4 जिलहिज्ज, 38वाँ रा० वष, कामवार 302 व० 1
185	सयद हासिम खाँ, मुजाहिद खाँ, पुत्र मुतजा खाँ	3 000/1 500	—	तूरानी	—	पिता	कामवार 268 व 284 प्र, मा० उ० III 598 1
186	बदरजी या पादाजी	3,000/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० प्री० 480, प्र० मा० सं० 125 व० 1
187	कलिया तजमुन, तिब्बत का जमीदार	3 000/1 000 (500 × 2 3 प्रस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	जमीदार	पिता	प्रथ० 12 रबी उल मज्बल, 43वाँ रा० वर्ष 1

188 मोर ईता हिम्मत ली	3 000/1 000 (500 X 2 3 घरणा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	तां मुं 1092 हिं मां उं III 946-48 1
189 बुरहातुदीन, ऐतिमाद ली, फाजिल ली	3 000/1,400	ईरान	ईरानी	—	बाबा	तां मुं 14, घळं, 32 मुहरम, 44वां रां वप, मां उं III, 34-38, मां घां 317, 369, 424 1
190 मुहम्मद सादिक, फतह उस्ताह मानबहादुर मालमगीरसाही	3 000/1,400	तूरान	तूरानी	—	—	मां घां 384, 443, 472, 496, मां उं III, 40 47, कामवार 273 अ 1
191 मुषरउम ली, सियादत ली	3,000/1,200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	तां मुं 10, सें डां श्री 170, मां घां 246, कामवार 274 अ 1
192 गुदाबन्द ली	3 000/1,200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	तां मुं 22, मां उं I 814 11, मां घां 432 514 1
193 बामगार ली	3,000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	तां मुं 27, सें डां श्री 170, मां घां 405, मां उं III 159-60 कामवार 289



1	2	3	4	5	6	7	8
275	लोदी खां	2 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अखं 13 रजब, 24वां रां वप ।
276	अन्दुरसूल खां विलग्रामी	2 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	सें डां श्रीं 191, अखं 16 जिकदा, 40वां रां वप, मां उं II, 836 37 ।
277	यासीन खां	2,000/1,500	—	—	—	—	अखं जमादि उल अख्वल, 44वां रां वप ।
278	रामसिंह पुत्र रतन राठोर	2 000/1,400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	मामूरी 163 व 164 अ, आं 486 ।
279	हसन अली खां, अहुला खां वारहा (बाद में कुतुब उल- मुल्क)	2 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अखं 26 रजब, 45वां रां वप, मां उं III 130 40 ।
280	निवसिंह	2 000/1,300	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	सं डां श्रीं 171 ।
281	असदुल्लाह इकराम खां त्वखनी	2 000/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	पिता	सं डां श्रीं 172, मां उं III 564 60 ।
282	मुहम्मद इब्राहीम, सलावत खां	2 000/1 200	—	—	—	—	सं डां श्रीं 170 ।
283	जाफर खां मुर्गीद कुली खां बरतख खां	2 000/1 100	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मां आं 483, मां उं III 751 50 ।
284	तीमाजी	2,000/1 000 (100 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं डां श्रीं 209 ।

285	अफगाणिस्तान का	2 000/1 000	सुर्ख	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	कामवार 270 अ मा० उ० I 244-46 अ० मा० त० 131 अ। कामवार 279 अ मई अ महमद उमरा अ हुन्द 373 I मा० अ० 258 I
286	ईसूजी दखनी	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	—	अ० अ० 258 I
287	अरबूजी, पुत्र राम्माजी	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	—	अ० अ० 25 रमजान, 47वीं रा० अ० अ० 470, फरहत
288	सरमंगज खाँ पनी बीजापुरी	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	—	उल गाउरीन, 173 अ। मा० अ० 459 I
289	श्रीवदुल्लाह खाँ हवाजा तुलपुल्ला खाँ का माई	2 000/1 000	—	—	—	—	—	अ० अ० 5 रजब 24वीं रा० अ० अ० राफी ना II 473 I
290	तुषतान खाँ	2 000/1 000	तूरान	भारतीय	राजपूत	पिता	—	मा० अ० 3० III 510, अ० मा० त० 128 अ।
291	जगतसिंह हाडा	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	—	मा० अ० 3० III 510, अ० मा० त० 128 अ।
292	मीरद, पुत्र तकनीयत खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	—	मा० अ० 3० III 510, अ० मा० त० 128 अ।
293	सीदी याकूत	2 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	पिता	—	मा० अ० 3० III 510, अ० मा० त० 128 अ।
294	मुतजा पुत्र मसूद खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	पिता	—	मा० अ० 3० III 510, अ० मा० त० 128 अ।

1	2	3	4	5	6	7	8
295	खलीलुल्ला खाँ, भ्रमानुल्ला खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 22, कामवार 275 व, टी० यू० ए, भ्र० मा० त० 128 व।
296	अबू मसूर, इरादत खाँ, ऐतिकाद खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० श्री० 170 ता० मु० 14, मा० भा० 25। 35।
297	मिर्जा इनायतुल्ला, सफ खाँ पुत्र पकीरुल्लाह	2 000/1,000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	ता० मु० 25 भ्र० मा० त० 127 व।
298	अ दुरहमान बीजापुरी, शारजा खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	—	दखनी	—	स० डा० श्री० 70 टी० यू० व।
299	माकूजी	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वष।
300	हाजी भली	2 000/1,000	—	—	—	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वष।
301	सुजानसिंह, पुत्र अनूपसिंह	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आजम अल हव 168, अख० खिबदा, 44वाँ रा० वष।
302	गाबी	2 000/1 000	—	—	—	—	से० डा० श्री० 207।
303	अनीराय ब्राह्मण, दीवान ए-तन	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	एस० अहमद, उमरा ए हुनूद 64।

304	जहाँगीर कुंजी खाँ	2,000/900	—	—	—	—	मल० 9 रमजान 13वाँ रा० वर्ष शमवार 277 घ० मा० तै० 132 घ०। मल० 2 रजब 43वाँ रा० वर्ष, मा० मा० 381, घ० मा० त० 128 घ०।
305	सयद अहमदगुलाह खाँ	2,000/900	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	हालात-ए मुमालिक महरूसा ए मालमगोरी, 179 घ०, रवायम- ए करायम 6 घ०।
306	सतीफ खाँ, गुसलखाने का दरोगा	2,000/700	—	—	—	पिता	मा० मा० 341, मा० उ० I, 537-40, दिलकुजा 126 घ०, शमवार 283 घ०।
307	मदुल मकारिम, जॉ निसार खाँ	2,000/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	मा० मा० 402, 505, ता० मु० 22, मा० उ० III, 650 53।
308	मिर्जा मलब, मतलब खाँ, मुतबा खाँ	2,000/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घ० 194।
309	नजर बेग, मोरल खाँ	2,000/600	तूरान	तूरानी	—	—	मा० मा० 439, शमवार 292 घ०।
310	कुलवारिस खाँ	2,000/700	तूरान	तूरानी	—	—	घल० 8 डिक्दा, 39वाँ रा० वष।
311	मौली मालम हैदराबादी	2,000/500	—	—	दक्कनी	—	घल० 25 जमादि उत्त-मानी, 44वाँ रा० वष।
312	रावजी	2,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
313	बहार नबी	2 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० श्री० 199।
314	नेर अ दाज खौ या तीर अ दाज खौ	2 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 198, ता० मु० 20 कामवार 297 अ।
315	ताऊजी (1694 मे मुगला की नौबरा छाड दी)	2,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अब० 10 जिकदा 38वा रा० वष।
316	ताऊजी	2 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अब० 20 रमजान 40वा रा० वष।
317	मिर्जा मुइयुज फिखरत मौमवी खौ	2 000/400	ईरान	ईरानी	—	—	मा० आ० 312, ता० मु० 2 बामवार मा० उ० III, 633 36 रियाज उस शारा पना 337 मिरत उल खयाल पृ० 338।
318	मुहम्मद गुजा गुजाअत खौ सफनिन सा	2 000/ 00	इरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 153, मा० उ० III, 114 15, रामवार 263 व 273 अ व, अ० मा० त० 128 अ। ता० मु० 1096 हि०, आ० 960।
319	दरबार ता र्याजासरा	2 000/300	—	—	—	—	ता० मु० 14, मा० उ० I 167, बामवार 289 व।
320	अदुरहमान खौ पुत्र एराम खौ मगहदी	2 000/200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	—



1	2	3	4	5	6	7	8
331	अब्दुल अजीज मियाना	2,000/-	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान दखनी	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वष ।
332	रस्तम प्रती उफ इनायत खाँ	2,000/	—	—	—	—	ता० मु० 1093 हि० ।
333	मिर्जा अस्करी वजीर खाँ	2 000/	हि दुस्तान	इरानी	—	पितामह	मीरात ए आपतावतुमा, 594, सेनडिसयाना, डिप्लोमटिक करेसपो-डेन्स आफ धौरगञ्ज, ब, पृ० अर्धित नही ।
334	मीर खाँ बहमनी, मुल्तफात खाँ	1 500/1,500 (1 200 × 2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	—	—	अख० 24 रजब, 24वाँ रा० वष, से० डा० प्री० 173, कामवार 289 ब ।
335	राजा दुरगासिंह	1 500/1 200 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	से० डा० प्री० 171 ।
336	सीदी कासिम फोलाद खा	1 500/1 200 (1,100 × 2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	अख० 18 शवान, 24वाँ रा० वष ।
337	खुदादाद खाँ खेसगी	1 500/1 000 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	से० डा० प्री० 188, अख० 20 रजब 24वाँ रा० वष ।
338	इनायत खाँ	1 500/1 000 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	इरानी	—	पिता	अख० 6 शबवाल 25वाँ रा० वष कामवार 270 ब, 280 घ ।

339	मुहम्मद बका मुजफ्फर खाँ पुत्र खान-ए जहाँ कोकलताश	1,500/1,000 (2.3 अरब)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से. डा. श्री. 140 कामवार 273 अ।
340	मनोहरदास, सोलापुर का जिलेदार	1,500/1,500 (500 × 2.3 अरब)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख 14 खिलहिज्ज, 25वीं रा. वष।
341	राजा जसवन्तसिंह बुदेला	1,500/1,000 (2.3 अरब)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमींदार	पिता	सं. डा. श्री. 150-51, सामूरी 165 अ, सा. श्री. 273, सा. उ. II, 293 94। ईस्वदास 94 अ।
342	पहाडसिंह गौड, इट्टेरी का जमींदार	1,500/1,000 (2.3 अरब)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमींदार	—	सा. श्री. 266 341, कामवार 283 अ।
343	नूरुलदहर बरहो, सयद सफ खाँ	1,500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख 20 शाबान, 37वीं रा. वष, कामवार 270 अ, ता. मु. 8।
344	शुकरल्लाह खाँ खवाफी	1,500/1,000 (500 × 2-3 अरब)	—	ईरानी	—	—	अ. सा. त. 131 व, श्री. 1056।
345	गोपालसिंह, पुत्र राजा सरूपसिंह	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	से. डा. श्री. 177।
346	शिवजी, पुत्र भारजी	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख. 12 शबाल, 40वीं रा. वष।
—347	नूरसिंह	1,500/1,400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	



1	2	3	4	5	6	7	8
331	शत्रु प्रजीव मियाणा	2000/ 2000/	हिंदुस्तान	भारतीय	प्रक्रमान दक्कनी	—	प्र० 20 रमजान 40वाँ रा० वय ।
332	रस्तम प्रली उफ इनायत खाँ	2000/	—	—	—	—	ता० मु० 1093 हि० ।
333	मिर्जा प्रस्को वजीर खाँ	2000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मीरात ए प्रापनाबनुमा, 594, लेनडिमयाता, डिप्लोमेटिक करेसपाडेन्स आफ् श्रीरगञ्जेव पृ० अंकित नहीं ।
334	मीर खाँ बहमनी, मुल्तफात खाँ	1500/1,500 (1,200 X 23 ग्रस्या)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	प्र० 24 रजब 24वाँ रा० वय, से० डा० प्री० 173, कामवार 289 व ।
335	राजा दुरणासिंह	1,500/1,200 (23 ग्रस्या)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	से० डा० प्री० 171 ।
336	सीनी नासिम, फोलाट खाँ	1500/1,200 (1,100 X 23 ग्रस्या)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	प्र० 18 गावान, 24वाँ रा० वय ।
337	खुदानद खाँ ख्वरगी	1500/1,000 (23 ग्रस्या)	हिंदुस्तान	भारतीय	प्रक्रमान	पिता	से० डा० प्री० 188, प्र० 20 रजब, 24वाँ रा० वय ।
338	इनायत खाँ	1,500/1,000 (23 ग्रस्या)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्र० 6 राब्याल 25वाँ रा० वय, कामवार 270 ब, 280 प्र ।

339	मुहम्मद बका, मुजफ्फर खां, पुत्र खान-ए जहाँ कोकलताश	1,500/1,000 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 140, कामवार 273 अ।
340	मनीहरदास, सोलापुर का क़िलेदार	1,500/1 500 (500 X 2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख 14 खिलहिज्ज, 25वाँ रा० वष।
341	राजा असवतसिंह बु देला	1,500/1 000 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	से० डा० श्री० 150-51, मामूरी 165 अ, मा० झा० 273, मा० उ० II, 293 94। ईसरदास 94 अ।
342	पहाडसिंह गोड, इ द्रेधी का जमींदार	1,500/1 000 (2 3 अस्था)	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमींदार	—	मा० झा० 266 341, कामवार 283 अ।
343	नूरुलदहर बख्श, सयद सफ खां	1,500/700	हि दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख 20 शाबान, 37वाँ रा० वष, कामवार 270 अ, ता० मु० 8।
344	शुकरल्लाह खां खवाफी	1,500/1,000 (500 X 2-3 अस्था)	—	ईरानी	—	—	अ० मा० त० 131 व, झा० 1056।
345	गोपालसिंह, पुत्र राजा सरूपसिंह	1,500/1,500	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	स० डा० श्री० 177।
346	दिवजी, पुत्र मारुजी	1,500/1,500	हि दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 12 गवाल, 40वाँ रा० वष।
—347	नूरसिंह	1,500/1,400	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
348	अहुल मलाम पुत्र अष्टुरहीम मियाना	1,500/1,300	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	से० डा० श्री० 126।
349	बफादार खाँ जबरदस्त खाँ, पौत्र मईट खाँ	1,500/900 (400 × 23 अस्था)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पितामह	कामवार 275 अ मा० आ० 255, हातिम खा 164 अ।
350	याकून खा	1 500/1 300	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	उ० आ० 163 व, मा० आ० 495, मा० उ० I 300।
351	बबदार वग बलान्तर खाँ	1 500/1 000 (200 × 23 अस्था)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 74, मा० उ० II 192.94।
352	बाजर खा	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 8 जिवन्त, 35वाँ रा० वष, मा० आ० 350, अ० मा० त० 131 व।
353	सीदी फौलाद, फौलाखा	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 250 व 270 व, ता० मु० 1092 हि०।
354	नुसरत खा, सिफहदार खा पुत्र सान ए जहा कोकलताश	1 500/1 000 (200 × 23 अस्था)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० श्री० 140 मा० आ० 241 कामवार 273 अ।
355	विजयसिंह	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	निलबुशा 167 व, मा० आ० 424, मा० उ० II, 81।

356	अजीजुल्लाह खाँ, पुत्र खलीजुल्लाह खाँ	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 284 अ, मा० अ० 349, 461, मा० उ० II 823 241
357	मोहरमसिंह	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमीदार	पिता	मा० उ० II, 147।
358	दिलेर खाँ या दिलावर खाँ, पुत्र बहादुर खाँ महेला-	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	अर० 28 जिकन 38वाँ अ० वप।
359	गुकरला खाँ नज्जसानी, अरवर खाँ	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० अ० 242, कामवार 273 व।
360	नेर अफगान	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अ० मा० त० 131 अ मा० अ० ३८१।
361	शेन नुम्ल्लाह कादिर दाद खाँ अगरी	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० डा० अ० 136 ता० मु० 4, मा० उ० III 140।
362	मुहम्मद मसूर मकरमत खाँ	1 500/1 000	ईरान	ईरानी	—	पितामह	मा० अ० 303 मा० उ० III, 632 फ़रवान 133 व।
363	दौनीराब, या बनवीरराव	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० उ० I, 498 मा० अ० 382, अ० मा० त० 131 अ।
364	फरदुन खाँ	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० अ० 506, अ० मा० त० 131 व।
365	कनराव (या बिलनराव), पुत्र काबूजी	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० अ० 177, अर० जमादि उस सानी, 44वाँ अ० वप।

1	2	3	4	5	6	7	8
366	राणाजी	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ग्रन्थ० 5 खिकदा 38वां रा० वप ।
367	सयद इब्राहीम	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	ग्रन्थ० 1 शवान 24वां रा० वप ।
368	बिहारीचन्द पुत्र दत्तपत बुदेला	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	ग्रन्थम अल-हब 168 फरहत उल-नाखरीन, 206 व ।
369	अब्दुल समद खाँ	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	ग्रन्थ० 19 खब 43वां रा० वप, मीरत-ए आफताबनुमा, 586 ।
370	साधुजी, पुत्र शिवजी नेल्कर	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	से० डा० प्रो० 177 ।
371	शिर्वासिंह, पुत्र नूरसिंह	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 297 अ, ग्रन्थ० 12 सब्याल, 40वां रा० वप ।
372	राव रतार्नसिंह, इस्लाम खाँ	1 500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमीदार	पिता	म० उ० II 147, लेनडिसि याना, डिप्लोमेटिक करते पॉडेन्स प्रॉफ शौरगखंब, टी० यू०, (एस० बी०) ।
373	मुहम्मद जान करतलब खाँ	1,500/1 000	—	—	—	—	ता० मु० 28 ग्रन्थ० 45वां रा० वप ।

374	मीर हुसन, रहीम खाँ का माई	1,500/1 000	—	—	माई	मल० 30 मुहरम, 43बी रा० वष ।
375	हिरदागह दुदेला	1,500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता
376	प्रमानुल्लाह खाँ	1,500/700 (200 × 23 प्रस्ता)	हिंदुस्तान	इरानी	राजपूत	पिता
377	परदेव, पुन केसरीसिंह	1,500/900	हिंदुस्तान	इरानी	जमींदार	पिता
378	सितोदिया मीर मुहम्मद हुसन, प्रमानत खाँ द्वितीय	1,500/900	हिंदुस्तान	इरानी	—	मा० प्र० 347, ता० मु० 11, मा० उ० 1 287 90 ।
379	मुस्ताफा खाँ कासी	1,500/900	हिंदुस्तान	इरानी	—	मा० उ० 286 प्र. मा० उ० कामवार 286 प्र. मा० उ० III, 637-41, गाफी खाँ II, 441 ।
380	राबीर पत्नी	1,500/850	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	माई
381	छत्रसाल रावोर	1,500/850	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	माई
						जमादि उस-सानी, 45बी मल० 171, फरहूत से० डा० घौ० उल-नाजरीन 206 व, मल० खाँ उल मब्वल 45बी रा० वष ।

1	2	3	4	5	6	7	8
382	हमन	1 500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	सं डा० प्रो० 208 ।
383	शाख राजीउद्दीन खाँ	1 500/800	—	—	—	—	आ० 832 मा० आ० 187 ।
384	गधुना मसिह मराठा	1 500/800	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	कामवार 266 व अ० मा० त० 132 ।
385	सफहीन खा सफवी कामयाव खाँ	1 500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख्त० 11 तिसहिज्ज 25वा रा० वष मा० 3० III 479 ।
386	असानन खा पुत्र मुजफ्फर हैरानादी	1 500/700	हिंदुस्तान	—	—	पिता	मा या 494 कामवार 272 व अ० मा० त० 128 व ।
387	जाफर अली यामीतुल मुल्की	1 500/600 (100 < 2 3 अम्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	अन० 29 मु रम 43वाँ रा० वष ।
388	नर सायब	1,500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	ग० डा० प्रो० 205 ।
389	अबदुल्ला खाँ	1 500/700	—	—	—	—	स० डा० प्रो० 170 ।
390	तकूजी पुत्र वहरजी	1 500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	स० ग० प्रो० 176 ।
391	धौछी शौहराव पुत्र करनजी	1 500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० प्रो० 181 ।
392	सोहराव वग भिर्जी नियामतुल्ला	1 500/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 25 । मा० उ० 1, 586 87 ।





1	2	3	4	5	6	7	8
402	शेख अदुल अजीज, अदुन अजीज खाँ, खिदमत तलब खानबहादुर	1 500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मा० उ० II, 686-88, ता० मु० 1096 हि० ।
403	सरफसिंह पुत्र राजा उदतसिंह	1,500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	मा० आ० 386, दिलगुगा 117 व ।
404	अयमान खाँ	1 500/500	—	—	—	—	अब 5 गावान 24वाँ रा० वष ।
405	मीर अब्दुल फल बल्खी असाद खाँ	1,500/500	बख	तूरानी	—	—	अब 10 रबी उल प्रब्वल, 45वाँ रा० वष, ता० मु० 14 ।
406	जाजूजी पुत्र सरजी	1 500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० प्रो० 174 ।
407	आबूजी पुत्र मालूजी	1 500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	स० डा० प्रो० 206 ।
408	पदमसिंह बुदेला	1 500/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	अब १ जनवरी, 1707 ई०, बी० डी० गुप्ता द्वारा उदघृत, छत्रमाल बुदेला, पृ० 63 ।
409	सयद निमाज खाँ	1,500/500	—	तूरानी	—	—	मा० उ० II 832 ।
410	तालिब श्वाजसरा, खिदमतगार खाँ	1,500/350	—	—	—	—	मा० आ० 341, 350, ता० मु० 16 ।
411	हैदर कुली	1 500/400	—	—	—	—	अब 29 मुहम्म, 43वाँ रा० वष ।

412. मन्डुखीम खाँ, फिरोज जग का भाई	1,500/300	तूरान	तूरानी	—	भाई	मल० 23 खिबदा, 43वाँ रा० बर्ष, मा० प्रा० 405।
413. रहीमुद्दीन खाँ	1,500/600	तूरान	तूरानी	—	पिता	मा० प्रा० 481, घ० मा० तै० 131 प्र।
414. वामदार खाँ	1,500/300	—	—	—	—	मुमालिक-ए-महरस्ता ए मालम- गीरी 201 प्र।
415. शफवतुल्ला, सजावर खाँ	1,500/250	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	मा० प्रा० 255, मा० उ० II, 440-41, घ० मा० तै० 131 ब।
416. हकीम साहिद शीराजी, सातह खाँ	1,500/250	ईरान	ईरानी	—	—	वामदार 271 ब, प्रा० 1061 62।
417. हकीम सादिक खाँ, हकीम उल- मुल्क पुत्र मोहसिन खाँ शीराजी	1,500/200	—	ईरानी	—	पिता	वामदार 301 ब।
418. शाही खाँ या शाह बेग काशगरी (मन्डुल्लाह खाँ)	1,500/200	तूरान	तूरानी	—	—	मा० प्रा० 175, वामदार 265 ब।
419. रहमान खाँ	1,500/200	—	—	—	—	उ० प्रा० 107 प्र, मुमालिक ए महरस्ता ए मालमगीरी 179 प्र।

1	2	3	4	5	6	7	8
420	बलतावर खा एवाजामर	1 500/	—	—	—	—	ना० मु० 1095 हि०, टी० पू०, (एम० पी०) घ० मा० त० 131 ब।
421	शत्रुघ्नीम खा पुत्र इस्ताम खा मगह्नी	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० म० 1093 हि० मा० उ० II 812 13 घ० मा० त० 131 घ।
422	दब अफगान मुलमाद खा	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घा० 196 ता० मु० 1101 हि० रामनार 268 ब।
423	वपिउरखमा भटावत खानी रगोद खा	1 500/	हिन्दुस्तान	—	—	—	मा० घा० 06 ता० मु० 7, रामनार 267 ब।
424	गजी गजी खा	1 500/	—	—	—	—	टी थ० (एम० बी०), राम वार 274 घ।
425	सयद अमानत खा द्वितीय	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	टी० पू० (एस० बी०)।
426	हुगन अजी खा वाग्हा	1 500/	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	गामी खा II 575 मा० उ० I 521 18।
427	अमगान खा	1 500/	तूरान	तूरानी	—	—	मा० घा० 381, टी० पू० (एम० पी०)।
428	इलयान खा	1 500/	—	—	—	—	टी० पू० (एम० बी०)।

429	प्रसन्न वेणु, पणवन ली	1 500/-	ईरान	ईरानी	---	---	कामवार 302 अ, टी० मु०, (एस० वी०) ।
430	परराष्ट्र वार ली ऐट्लियाम ली, इयताम ली	1,500/	---	---	---	---	ता० मु० 12 ।
431	स्वाजा मुहम्मद प्रमानत ली	1,500/-	तूरान	तूरानी	---	---	मा० उ० III, 729 46, टी० मु०, (एस० वी०) ।
432	मीर मुहम्मद उफ विषायत ली	1,500/	हिंदुस्तान	ईरानी	---	---	ता० मु० 9 ।
433	रवाजा अशुल्हाह	1 500/	हिंदुस्तान	तूरानी	---	---	ता० मु० 9 ।
434	गहमवार ली	1,500/	---	---	---	---	अ० मा० तै० 131 अ ।
435	शाहा वहराम, शवामुद्दीन ली अस्पहानी	1 400/1,000	ईरान	ईरानी	---	---	अप्र० 9 रजब, 24वीं रा० वष, ता० मु० 1091 हि० ।
436	भालीराव पुत्र मन्जी	1 200/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	से० डा० सी० 175 ।
437	अमरपट्टियार, गहवादा अरवर का पात्रय	1,100/1,000	---	---	---	---	कामवार 306 अ, फल० 45वीं रा० वष ।
438	मोहम्माम ली	1,000/1,200 (1 000 X 2-3 अक्षा)	---	---	---	---	अप्र० 15 जमाति-उस सानी 46वीं रा० वष, 16 रजब 24वीं रा० वष ।
439	अयद मुहम्मद पुत्र पुजा उल मुल्क	1,000/2 000	---	---	---	---	अप्र० 25 जमादि उम सानी, 44वीं रा० वष, से० डा० प्रो० 173 ।

1	2	3	4	5	6	7	8
440	मुहम्मद बेग खा	1 000/1 000 (2 3 अस्था)	—	तूरानी	—	—	अब० 1 रबी उम-मानी, 38वां रा० वष 1
441	जसवतसिंह डोंगरपुर का रावल	1 000/900 (800 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	अब० 16 जिलहिज्ज, 38वां रा० वष 1
442	खुमानसिंह या गुमानसिंह	1 000/900 (800 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	अब० 16 जिलहिज्ज, 38वां रा० वष, प्रोभा हिस्ट्री आफ राजपूताना' भाग III, खण्ड 1 1191
443	राजा सरूपसिंह पुत्र अनूपसिंह	1 000/750 (2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	अब 22 जिकदा 43वां रा० वष, मा० उ० II, 291, काम-वार 289 प्र 1
444	राजा महासिंह भन्नीरिया	1 000/1 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० उ० II, 229 30, प्र० मा० त० 132 प्र 1
445	इफितखार खाँ, मुफखीर खाँ, पुत्र फकीर खाँ	1 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अब 24 रजब, 45वां रा० वष, मा० उ० III, 28 1
446	कपूरसिंह हाडा	1 000/1 000 (500 × 2 3 अस्था)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	स० डा० प्रो० 171 1

-447 रहमान दान खा

-448 मासूर खा, मिनेर खा

-449 मम दर बेग, मसन्दर खा

-450 फाजिल बेग, महकुर खा

-451 मावूजी, पुन मरजी

-452 राजा मानपाला

-453 स्वामी यासूब नकाबानी  
शुबारी, सरखुन्द खा

-454 राजा बख्त बुख्त, बिनदार खा

1 000/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मल० 15 जमादि-उस-सानो, 46वां रा० वष ।
1 000/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मरगाज	पिता	मल० 4 जिकदा 46वां रा० वष, कामवार 273 घ, घ० मा० त० 132 घ ।
1,000/1 000	ईरान	ईरानी	—	भाई	मल० 1 मुहरम, 45वां रा० वष ।
1 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	कामवार 276 व, मा० घा० 273, मा० उ० 1, 425, घ० मा० त० 132 घ ।
1,000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत- जमींदार	पिता	से० डा० घौ० 175 ।
1 000/1,000	—	तुरानी	—	—	कामवार 270 घ, मा० घा० 207 एम० मक्बर, द पजाब मण्डर द मुगलस', 225 ।
1 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	ता० पु० 1096 हिं०, 266 घ ।
					मा० घा० 340, घ० मा० त० 132 घ ।

1 कामकया बही मासूर खा, कियता पोरगरेब के सन् 1089 हिं० के इरान म 1 000/1 000 (23 घसा) मतलब होने का उल्लेख है धनुवार  
जयाल सांक पु० पी० हिं० हिंदोकिम सोसायती, माग 16 (1943) पु० 148 में प्रकाशित ।

1	2	3	4	5	6	7	8
455	सयद वजीहुदीन शारहा	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अखं 10 रबी उन अ-वल, 45वीं रा० वप ।
456	इरावत खाँ पुत्र आजम खाँ काका	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मा० आ० 472, अ० मा० त० 131 व ।
457	मुहम्मद खाँ बीजापुरी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दखनी	—	अव 15 जमादि उस-सानी, 36वीं रा० वप ।
458	मुहम्मद मुराद खा	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 242 कासवार 273 व ।
459	रावल रामसिंह इगरपुर का पुत्र खुमानसिंह	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	ओला हिस्ट्री आफ राजपूताना, भाग III खण्ड 1 122 ।
460	अहमद खा	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० ओ० 170, मा० उ० I 274 अ० मा० त० 128 व ।
461	विजय पुत्र जानराव	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ओ० 175 ।
462	सिवजी पुत्र सारजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	स० डा० ओ० 175 ।
463	यसजी पुत्र बहालजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ओ० 175 ।
464	दबूजी, पुत्र बनारजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ओ० 175 ।
465	अबाजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ओ० 177 ।
466	नावजी, पुत्र राहूजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ओ० 178 ।

467 मयम अगुना अहमद	1 000/1 000	हि दुस्तान	मराठा	—	से० डा० श्री० 178 ।
468 मानाजी, पुत्र सभाजी	1 000/1,000	—	—	पिता	से० डा० श्री 179 ।
469 अशुत मजीद ली	1 000/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत	श्राव० 45वाँ रा० वष ।
470 वल्यानसिंह	1,000/1 000	हि दुस्तान	भारतीय	—	अख० 20 जिलहियज, 38वाँ रा० वष ।
471 वागी ली पुत्र जिकिया	1,000/600	हि दुस्तान	भारतीय	—	कामवार 289 व ।
472 जाकर ली	(300 × 2 3 अस्या)	हि दुस्तान	ईरानी	पिता	अख० 20 रजब, 24वाँ रा० वष ।
473 गोपालसिंह, पुत्र साहरमसिंह सिमोदिया (पुत्र पद)	1 000/900	हि दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता मा० उ० II, 147 ।
474 भ्राजी, पुत्र सभाजी	1 000/500	हि दुस्तान	भारतीय	जमीदार	—
475 मुम्मद रफी	(300 × 2 3 अस्या)	हि दुस्तान	भारतीय	मराठा	से० डा० श्री० 209 ।
476 मपरनाह ली भीर बहुर	1 000/800	ईरान	ईरानी	—	चाचा अख० 38वाँ रा० वष खण्ड IV, पृ० 54 मा० उ० III, 801 806 । मा० उ० II, 486-89 आ० 45 ।



1	2	3	4	5	6	7	8
477	रामराव पुत्र गनपतराव	1 000/400 (300 × 2 3 अस्या)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं. डा० श्री० 204।
478	मानाजी पुत्र नागूजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	सं. डा० श्री० 179।
479	खांडूजी पुत्र जावजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० श्री० 178।
480	देवजी पुत्र मनकूजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	से० डा० श्री० 178।
481	मालोजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	कामवार 277 व, सं. डा० श्री० 176।
482	सिवजी पुत्र सम्भाजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	सं. डा० श्री० 177।
483	फिगई खां पुत्र इब्राहीम खां	1 000/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	शामवार 272 व, मा० शा० 236-37।
484	हयात खां	1 000/700	—	—	—	—	मुमालिक ए महरसा ए प्रालम गोरी 201 अ खाफी खां II, 332, 505।
485	इदरमन बुदेसा, पुत्र पहाडसिंह	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	दफ्तर ए-दीवानी, सस्या 2983, से० डा० श्री० 112, मा० 290, 302, 989।



1	2	3	4	5	6	7	8	
495	शकूर खा बीजापुरी	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दखनी	—	—	अख० 5 जिलहिज्ज, 47वाँ रा० वप ।
496	बरखुरदार बग, भीर अदुल सलाम खाँ	1 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 741-42 ।	
497	बहरजी	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वप ।
498	रद अ दाज खाँ	1 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 287 ब ।	
499	राजा भगवतसिंह पुत्र जमवतसिंह बुदला	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	दिलकुशा 96 अ, मा० उ० II, 294 ।	
500	मुस्तफा पुत्र मसूद खा	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	से० डा० श्री० 225 ।	
501	मिर्जा बेग खा	1 000/500	—	—	—	—	स० डा० श्री० 211 ।	
502	आगा खिरद	1 000/500	—	—	—	—	स० डा० श्री० 208 ।	
503	बीरमान	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० श्री० 205 ।	
504	वयाजिद पुत्र मूसा	1 000/500	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	से० डा० श्री० 205 ।	
505	वधाय, पुत्र मीरल	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० श्री० 203 ।	
506	अबुन फतह पुत्र दिलर खाँ बीजापुरी	1 000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख० 45वाँ रा० वप ।	

507	सयद मुहम्मद	1,000/400	हिंदुस्तान	इरानी	—	पिता	ग्रंथ० रबी उल अखल, 45वां रा० वप, जमादि उस सानी, 45वां रा० वप।
508	मियाना खाँ	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	ग्रंथ० 16 जिकदा, 40वां रा० वप।
509	राजा सूरजमल, पुत्र राजा भीम	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	ग्रंथ० 15 मुहरम, 38वां रा० वप।
510	बाजी अकरम अकरम खाँ	1,000/500	हिंदुस्तान	—	जमीदार	—	मा० आ० 506 प्रासि०, इंडियन हिस्ट्री काप्रेस 1950, 219-221।
511	मीर बहादुर दिल, जान सिर बा	1,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 13, मा० उ० I, 535 37।
512	अब्दुल वाहिद मीर खाँ	1,000/500	—	—	—	—	म० डा० श्रौ० 172, मा० आ० 192।
513	सीदी इब्राहीम	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	जमीदार	—	कामवार 277 व, आ० 626।
514	बहादुरसिंह	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 289 अ, मा० आ० 405, अ० मा० त० 132 अ।
515	मुहम्मद सामी, नुसरत बा, पुत्र खान ए जहाँ कोकलताश	1,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रंथ० 16 जमादि उस अखल, 45वां रा० वप, मा० आ० 241, 246, कामवार 273 अ।

मां उ० II 39 42, कामवार  
265 व, तां मु० 1090 हि० ।

मं डा० घो० 210 ।

सं डा० घो० 208 ।

मामूरी 188 व, घा० 140 ।

पछ० 15 रबी उल प्रखर,

44वीं रा० वप, जमादि उल

प्रखल 44वीं रा० वप ।

सं डा० घो० 187, प्रख० जमादि

उत्त प्रखर 44वीं रा० वप ।

मां घा० 406, घ० मा० त०

पिता 131 व ।

मां घ० 481 मां 3० III,

पिता 713 ।

मां उ० I, 503, तां मु० 1091

हि०, कामवार 267 घ, 288

घ ।

श्रीरंगदेववालीन गुणम समीर-श्री

	3	4	5	6	7
1	1,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता
516 दोराब खाँ	1,000/450	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता
517 नेतजी, पुत्र खाँडू राव	1,000/450	हिंदुस्तान	भारतीय	प्रफगान	पिता
518 फतह पुत्र हुसन रहला	1,000/400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता
519 राजा मनोहरदास	1,000/900	—	—	जमींदार	—
520 गेख मुलका	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—
521 बयाजी	1,000/400	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता
522 अबुलफतह, पुत्र खान-ए जहाँ कोकस्ताग	1,000/400	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता
523 श्रीर इबाहीम, मरहमत खाँ, पुत्र समीर खाँ	1,000/400	तूरान	तूरानी	—	—
524 यकताज खाँ					

मां मां 516, मां मां तं 132 म, मां उं II, 825 I कामवार 299 म I	पिता	मां मां 516, मां मां तं 132 म, मां उं II, 825 I कामवार 299 म I
हि दुस्तान	—	पिता
1,000/400	—	पिता
हि दुस्तान	ईरानी	पिता
1,000/400	—	पिता
हि दुस्तान	राजपूत	पिता
1,000/400	भारतीय	पिता
हि दुस्तान	जमीदार	पिता
1,000/500	भारतीय	पिता
हि दुस्तान	राजपूत	पिता
1,000/600	भारतीय	पिता
हि दुस्तान	जमीदार	पिता
1,000/500	भारतीय	पिता
हि दुस्तान	भारतीय	पिता
1,000/500	भारतीय	पिता
हि दुस्तान	भारतीय	पिता
1,000/900	भारतीय	पिता
(300 × 2.3 प्रस्ता)	भारतीय	पिता
525 मुहम्मद रजा	हि दुस्तान	पिता
526 मरहूमत खां, पुत्र ख्वाजा तालिब, शाहनवाज खां	हि दुस्तान	पिता
527 दिलसिंह	हि दुस्तान	पिता
528 चेतसिंह	हि दुस्तान	पिता
529 उदयसिंह, बम्बा का राजा पुत्र छतरसिंह	हि दुस्तान	पिता
530 मंगद करमुल्लाह बारहा	हि दुस्तान	पिता
531 चडूजी	हि दुस्तान	पिता
532 राव जोगहेट	हि दुस्तान	पिता
533 बिरमूजी	हि दुस्तान	पिता
534 राव मानसिंह, पुत्र जादवी राय	हि दुस्तान	पिता

559	नियामतु गह खां पुत्र रहुल्ला खां	1 000/ रहुल्ला खां	हिन्दुस्तान	इरानी	—	पिता	मीरात ए भापसाबनुमा 593 ।
560	हैबतुल्लाह शरब	1 000/	—	—	—	—	मां घां 397 ।
561	बगारत खां	1 000/	—	—	—	—	घं मां तं 131 घ ।
562	हाशिम	1 000/	—	—	दखनी	—	मासूरी 168 घ, सें डां घां 239 ।
563	नन्साव	घमीर (1 000) <sup>2</sup>	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	फरहत उल-नाखरीन 207 घ ।
564	जगदवराय, पुत्र दाताजी	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	मां उं I, 522, दिलतुगा 79 व, ईसरदास 138, सरकार, हिस्ट्री आफ् मोरखजेव, वड V, 212 ।
565	मुहम्मद असलम खां	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	इरानी	—	पिता	मां उं III, 666-67 ।
566	इजाद बहाग रसा अबबरावान का किलेदार	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	इरानी	—	पितामह	दिलतुगा 127 घ ।

1 उती खान मे छवताल राठोर को घमीर से रूप में उल्लेखित किया गया है परन्तु 'सेनेट्ट हॉस्पिटल ऑफ् मोरखजेव' में उल्लेख मन्सब 1 000/500 दिया गया है । इसीलिए मैंने नदवान को इरानी को रेणो में रखा है ।





1	2	3	4	5	6	7	8
573	जनुजी गम्भाजी का सनापति	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 155 अ ।
574	सुल्तान हुसैन अहसान खाँ मीर मलग	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	मा० उ० I, 301 303 ।
575	मल्हार राव	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	रकायम ए करायम 29 अ ।

## सदर्भिका

गोट मक्षिप्त रूप 'त्रि० म्यू० त्रिटिंग म्यूजियम का 'इण्ड० आ० इण्डियन प्रॉफिंग लाइब्रेरी को, तथा गार्ड०' बाइनिंगन लाइब्रेरी, आरम्भोड को संकेत करता है।

### (क) ऐतिहासिक ग्रंथ

- युआन चांग्रा पी गी, द सिपेट हिस्ट्री आफ द मंगोल डायनेस्टी, अनुवाद (भूमिका व व्याख्या व माथ) वइ क्वई मुन अनीगट, 1५57।  
वापर, बाबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद (तुर्की भाषा की मूल प्रति म) ए० एम० बवरिज, लन्दन, 1922।  
बायजीद ब्यात तजकिरा ए हुमायू व अकबर, सम्पादक एम० टियायत मुन विव० इण्डि० 1941।  
अनुप फजल, अकबरनामा, विव० इण्डि० कलकत्ता, 1६73 87।  
अनुप कादिर उदायूनी, मुतलाब उत-सवारीख, सम्पादक अहमद अनी तथा लीम विव० इण्डि०, कलकत्ता, 1865 68।  
असद बग बजवीनी, मेमायस पाण्डुलिपि त्रि० म्यू०, ओरि० 1996।  
अदुल बाकी निहावदी मासीर ए रहीमी, सम्पादक हिदायत हुसन त्रि० इण्डि० 1910 31।  
जहाँगीर तुजुक-ए-जहाँगीरी सम्पादक मयद अहमद खाँ गाजीपुर तथा अलीगट, 1863 64।  
मुनमाद खा इकबालनामा ए-जहाँगीरी लिथोग्राफ-मुद्रित, नवल विंगोर, 1870।  
मुहम्मद गरीफ नजफी मजलिस उस-सलातीन, पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० आरि० 1903।  
अनुप हामिद लाहौरी बादशाहनामा, सम्पादक मौलवी कबीरउद्दीन गौर मौलवी अदुरहीम, वि० इण्डि० कलकत्ता 1867 68।  
अमीन बजवीनी बादशाहनामा, पाण्डुलिपि, त्रि० म्यू० ओरि० 173, एड० 20734, मैन रजा पुस्तकालय (रामपुर) की पाण्डुलिपि जिसकी प्रति लिपि इतिहास विभाग (ए० एम० यू०) म उपलब्ध है का भी उपयोग किया है।  
मुहम्मद सालह कम्हा अमल ए मालेह, सम्पादक जी० यजदानी, त्रि० इण्डि० कलकत्ता, 1923 46।

मुहम्मद वारिस, बादशाहनामा (अबुल हामिद लाहौरी के बादशाहनामा का अग्र भाग) त्रि० म्यू० एड० 6556 क्रि० 1675। इतिहास विभाग, अलीगढ़ की प्रतिलिपि (यह पाण्डुलिपि अतः म कुछ दोषयुक्त है क्योंकि इसमें मनसबदारों की सूची नहीं दी गयी है)।

सिधारी लाल तुहफा ए-शाहजहानो, पाण्डुलिपि इण्ड० आ० 337।

मुहम्मद सादिक खां शाहजहानामा, पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० क्रि० 174, अोर० 1671। लेखक ने अपने वार म कुछ भी नहीं लिखा है और अपना वात्पनिव नाम दिया है। आत्मचरित्र की वृत्ति जा उसने दी है प्रत्यक्ष रूप म गलत है। तो भी लेखक समयानीन था—सम्भवत यह शाहजहाँ का एक उच्च अफसर था और उसकी वृत्ति इतिहासिक दृष्टिकोण म काफी महत्वपूर्ण है। यह हम बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ देता है जा कि राजकीय ऐतिहासिक अथवा म अनुपलब्ध ह।

शिहाबुद्दीन तालिश फतह ए इब्रिया, पाण्डुलिपि बोड० क्रि० 589। इस पुस्तक का प्रथम भाग तारोख ए मुसुब-ए आगाम के नाम म प्रकाशित हुआ था कलकत्ता 1848।

मुहम्मद काजिम आलमगोरनामा त्रि० एण्ड० कलकत्ता 1865-73।

हातिम खा आलमगोरनामा पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० एड० 26233। मुहम्मद काजिम के आलमगोरनामा का संक्षिप्त संस्करण परन्तु वसम कुछ अोर तथ्य भी लिय गये हैं जा मुहम्मद काजिम द्वारा नहीं लिय गये।

आकिल खां राजा वाक्यात ए आलमगोरी सम्पादक अफर इमन अलीगढ़ 1946। इसकी रचना आकिल खा राजा ने की है संस्करण नहीं है। यद्यपि इस छोटी पुस्तक के कुछ हिस्से रोचक सूचनाओं से परिपूर्ण हैं। लेकिन कुछ कथन ऐसे हैं विशेष रूप म प्रारम्भिक भाग के कुछ हिस्सों पर विश्वास करना कठिन है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके लेखक ने सुनी हुई बातों का आधार पर उसकी रचना की है।

शख मुहम्मद बका मीरात अल आलम, पाण्डुलिपि अजुत रालाम 84/314। आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़।

शेख मुहम्मद बका मीरात ए जहानुमा, (पूर्व उल्लिखित ग्रन्थ का पाठान्तर) पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० 1998।

अबुल फजल मामूरी तारोख ए शौरगजब, पाण्डुलिपि, त्रि० म्यू०, क्रि० 1671। सादिक खा व शाहजहानामा का अग्र भाग। सादिक खा की भाँति अबुल फजल मामूरी ने जो आत्म-कथा संभव थी कथन दिये हैं आशिक रूप से बनावटी प्रतीत होते हैं। इस नाम का कोई अधिकारी अथवा खातो से प्राप्त नहीं होता है।

अलताह यार प्लवी, असाफनामा ए अलमगीरी, पाण्डुलिपि कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय की लाइब्रेरी, आउन कर्णो 100 पणियन 477, औरगजेव की गण्य एव पद्य म प्रसमा ।

सात ए-नूहजात ए अलमगीर पादशाह, पाण्डुलिपि, ब्रिचिट, I 703, मप्पीमेट पणियन 477 ।

ईमरदास नागर, फतुहात ए अलमगीरा, पाण्डुलिपि, रि० म्यू० ए० 23884 । मुजानगाय भणारी खुलासात उत-तवारीख सम्पादक जफर इमन प्लवी 1918 ।

भीममन नुस्खा ए दिलकुता, पाण्डुलिपि, रि० म्यू० ओरि० 23 ।

मानी मुस्तद खा, माआसीर ए अलमगीरी वि० इण्डि० कनरत्ता 1871 । नियामत खान ए अली, वाकियात ए नियामत खान ए अली, त्रिवोप्राफ मुद्रित नवन किशोर लखनऊ 1928 ।

ऐनल्स ऑफ डेल्ही पादशाहत, अममी ऐतिहासिक खतान्त, अनु० एम० ए० भुयान, गौहाटी 1947 ।

अलकाबनामा, पाण्डुलिपि रि० म्यू०, आरि० 1913, इसम औरगजेव के गहजाता व अमीरा की उपाधिया निम्नी हैं ।

राय चतुमन सक्मेना चहार गुलशन, अब्दुम मनाम, 292/62 आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़ । इसके कुछ हिस्सा का सर जदुनाथ सरकार न अनु वाद एव व्याख्या की है इण्डिया ऑफ औरगजेव, 1901 ।

कामराज आजाद अल हब, पाण्डुलिपि रि० म्यू०, आरि० 1899 ।

मुहम्मद हाजिम खाफी खा मुतखब अल-नुबाब, सम्पादक के० डी० अहमद और हग, रि० इण्डि०, कलकत्ता 1860 74 । खाफी खा ने अधिकांशत मान्द खा और अतुल फजल मामूरी से नवल की है, परन्तु औरगजेव के शासनकाल के विषय में वह कुछ नवीन सूचनाए प्रदान करता है ।

अली मुहम्मद खा मीरात ए अहमदी, सम्पादक सयद नवाज अली बडौटा 1927 28 ।

कामवार खा तजकिरात उत-सलातीन-ए चग्रता, पाण्डुलिपि, रिटा, 40/2, मौनाना आजाद पुस्तकालय अलीगढ़ ।

मिर्जा मुहम्मद रिन रुस्तम उफ मुतमाद खा बिन कबल उफ दियानत खा तारीख ए मुहम्मदी, दा भाग, पाण्डुलिपि इण्डि० ऑ० 3890 । मैने प्रेम कापी के भाग 6 के चौथे खण्ड का भी प्रयोग किया है जो इमतियाज अली अरशी द्वारा सम्पादित है 1960, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है ।

गुलाम हुमन रिपाद उत-सलातीन, रि० इण्डि० 1890 ।

(स) प्रशासकीय साहित्य, सेवा विधि मन्त्रालय  
विषय-सुविधाएँ सादि

समुद्र प्रथम प्रकाशक-संस्करण 1957। मुद्रण  
श्री भी उद्योग विद्या मण्डल द्वारा (I) धोरण (II) व (III)  
के विभाग द्वारा भाग 1 धोरण 1957 धोरण 1958। धोरण 1958  
द्वारा भाग 2 धोरण 3 (क) धोरण 1958 व धोरण 1959 में विषय  
गया है।

समुद्र मीरक मजदूर-संसाधन 1958। धोरण 1958 धोरण 1958  
मुद्रण सादि 1 धोरण 1958 धोरण 2 धोरण 1958 धोरण 3 धोरण 1958  
धोरण का प्रशासनिक इतिहास विषय गया है।

समुद्र धन धर्म-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

समुद्र धन-धर्म-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

समुद्र धन धर्म-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

संसाधन-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

संसाधन उद्योग विभाग धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

संसाधन-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

संसाधन-संसाधन धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

समुद्र धन धर्म, धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

सुदी धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

समुद्र धन धर्म धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958  
धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958 धोरण 1958

### (ग) अभिलेख व सकलन सहित दस्तावेज

इलाहाबाद के द्वायी रिवाँड आफिम (उ० प्र०) म सुरक्षित अभिलेख । इस सग्रह म फरमा, उपहार पत्र, बयनामे, हिवानाम, निणय आदि और अय दूसरे दस्तावेज, जो अनुदान से सम्बन्धित हैं, संग्रहित हैं । कुछ दस्तावेज 16वीं शताब्दी से सम्बन्धित हैं परन्तु अक्बारासन 17वां तथा 18वीं शताब्दी से ।

जयपुर रेकाड स (सीनामऊ प्रतिलिपि)—सम्बोधित अखबारत ए दरवार ए मुअला—यह दिन प्रतिदिन के दरवारी समाचार और आम्वर के राजा के प्रतिनिधि द्वारा भेजे गये पत्रों का सग्रह है । अखबारत म हम मुख्यत दरवार म सावजनिक रूप से क्रिय गये कार्या का ब्यारा मिलता है उदाहरणार्थ—मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति व पदावनति, अफसरों की नियुक्ति, प्राप्ता से समाचारों की प्राप्ति व सनिक अभियान आश्रमण, सम्राट की किसी विशेष समस्या के प्रति प्रशासकीय आना इत्यादि ।

जयपुर मे सुरक्षित प्रपत्र (जा कि इस समय बीकानेर म हैं) । अलीगढ के इतिहास विभाग मे कुछ चुने हुए दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध हैं ।

सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आफ शाहजहास रेन, दफतर ए दीवानी, हैदराबाद 1950 ।  
सेलेक्टेड बाकिया आफ द डवेन (1660 71), सम्पादक यूसुफ हुसन खाँ, हैदराबाद, 1953 ।

सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आफ औरंगजेब रेन, सम्पादक यूसुफ हुसन खाँ, हैदराबाद, 1959 ।

बाकिया ए-अजमेर, 1678 80 ई० असफिया पुस्तकालय हैदराबाद, फन ए तारीख, 2242 अलीगढ के इतिहास विभाग म प्रतिलिपि संख्या 15 और 16 । इस पुस्तकालय म उस समाचारलेखक की रिपोर्ट संग्रहित है जिसने पहले रणथम्भौर म, तदुपरांत अजमेर और अन्तत राजकीय सना म पादशाह कुली खाँ के अन्तर्गत राजपूत युद्ध म भाग लिया । रिपोर्टें मुगल प्रशासन और राठौरा क 1679 80 के विद्रोह के बारे मे बहुत लाभदायक सूचनाएँ प्रदान करती हैं ।

अहमाम ए आलमगीरी, सम्पादक सर जदुनाथ सरकार । यह एनक्विरीटस आफ औरंगजेब का फारसी म मूल ग्रंथ है जिसका जे० एन० सरकार ही ने अनुवाद किया है ।

बलेकशन ऑफ फरमास आफ औरंगजेब एण्ड फरखसियर, पाण्डुलिपि, फेजर, 228 ।

इम्पीरियल फरमास (1577 1805 ई०) ग्राटेड टू द एनसेस्टस ऑफ द तिकायत महाराज, हिन्दी अंग्रेजी और गुजराती म के० एम० भवेरी द्वारा अनुवादित बम्बई 1928 ।

सम करमास, सनदस एण्ड परवानाद (1578 1802), के० न० दत्त द्वारा  
नमबद, पटना 1962 (विहार म सुरक्षित) ।

### (घ) पत्रो का संग्रह

खान ए जहाँ समय मुजफ्फर खाँ बाराहा, अजदत हा-ए मुजफ्फर, 1656 स  
पूव पाण्डुलिपि एड० 16859 । इस संग्रह म अजीज बारा द्वारा  
जहागीर को भेजे गय पत्रो का संग्रह भी है ।

बालकृष्ण ब्राह्मण—नेस जलान हिसारी तथा बालकृष्ण ग्राह्यन के पत्र जो  
गाहजहाँ के शासन के अन्तिम और औरगजेब के शासनकाल के प्रारम्भिक  
भाग म लिखे गये । पाण्डुलिपि त्रि० म्यू०, एड० 16859 ।

इशा ए जुबदत उल अरज, पाण्डुलिपि जो प्रो० नुसल हसन, अलागट के पास है ।  
यह के पत्र है जो औरगजेब ने गाहजहाँ को 1652 क नकार अभियान के  
सदम मे लिखे थे ।

औरगजेब आदाब ए आलमगोरी, पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम संग्रह 326/96,  
आजाद पुस्तकालय अलीगट—व पत्र जो काविल खाँ द्वारा औरगजेब की  
तरफ म औरगजेब के गद्दी पर घठन के पूव लिखे गये । यह पत्र गाहजहाँ,  
शहजादा मुहम्मद सुल्तान मुअज्जम खाँ मीर जुमला, नजाबत खाँ खान  
ए-दोराँ उसीरी खाँ आदि को सम्बाधित करके लिखे गये थे । इस संग्रह  
म मुहम्मद सादिक द्वारा शहजादा अकबर की तरफ स 1680 म राठीर  
विद्रोह के समय के लिखे गये पत्र भी प्राप्त है ।

खकाल ए आलमगोरी, सम्पादक सयद नजीब अशरफ नदवी, आजमगट 1930 ।  
दसम औरगजेब द्वारा गाहजहाँ जहाँनारा बगम दारा गिकोह, शाह गुजा  
मुराट बटा और अ व सजातो और अमीरा को लिखे गये पत्रो के संग्रह  
है, सम्पादक द्वारा अधिकांश असा आदाब-ए आलमगोरी स उद्धृत किया  
गया है ।

मुनी भागवट जामी अल इशा, पाण्डुलिपि एम० आरि० 1702, जयसिंह क  
पत्र और व पत्र जो मुगल दरबार स ईरानी दरबार म और ईरानी दरबार  
स मुगल दरबार म भेजे गये ।

ईजाद बरस रसा, रियाज उल बदाद, 1673 1695 इ० पाण्डुलिपि त्रि० म्यू०,  
आरि० 1725—इसम स्वय लेखक क पत्र है ।

भूपतराय इशा ए रोगन कलाम, पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम संग्रह 339/109  
मोलाला आजाद पुस्तकालय अलीगट । बसवाटा क फीजदार रदमदाज  
खा की तरफ स लिखे गये पत्र ।

- छुतूत ए शिवाजी, गयन एक्षिमाटिफ सासायटी, लदन, पाण्डुलिपि 173 ।
- श्रीरगजेव, रकायम ए करायम, पाण्डुलिपि, मर सुलमान सग्रह, 412/145  
मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ ।
- श्रीरगजेव, कलीमात ए-तयाबात, इनायतुल्ला खाँ द्वारा मग्रहित किये गये  
पत्र—पाण्डुलिपि अ-दुस मलाम, 322/92, मौलाना आजाद पुस्तकालय,  
अलीगढ ।
- श्रीरगजेव, दस्तूर अल अमल ए अगाही, राजा जहारमन द्वारा 1743 म सग्रहित  
किये गये पत्र पाण्डुलिपि, अ-दुस मलाम मग्रह 323/93 मौलाना आजाद  
पुस्तकालय, अलीगढ ।
- लखराज मणी, मातीन अल इशा या मुफीद अल इशा, कच विहार क फौजदार  
अनी कुली खा की अर स लिखे गये श्रीर चम्पतराय द्वारा 1700 ई० मे  
सग्रह किये गये पत्र—पाण्डुलिपि, वाड० 679 ।
- दुर उल उलुम, मुशी गापालराय मूरज स सम्बाधत पना श्रीर दस्तावेजो  
वा सग्रह, इसको साहिब राव सूरदज ने 1688 89 ई० म सग्रहीत एव  
त्रमवद्ध किया । बोड० पाण्डुलिपि बाबर 104 ।
- मलिकजाना, निगारनामा ए-मुशी, नवल किशोर, 1882 । अत्यधिक महत्त्वपूर्ण  
पत्रा श्रीर सरकारी दस्तावेजो का सग्रह ।
- पत्रा का मग्रह जिसे लिनडेसियाना सूची पत्र म 'रिपोटस फ्राम द डकेन' कहा  
गया है परंतु वास्तव मे इसम भेवाड श्रीर मुगल दरबार इत्यादि के बीच  
का पत्र-व्यवहार प्राप्त हाता है जान रिलण्ड पुस्तकालय पाण्डुलिपि  
353 ।
- शाह बली उल्लाह शाह बली-उल्लाह के सियासी भक्तुबात, के० ए०  
निजामी द्वारा उदू म अनुवाद के माथ सम्पादित, अलीगढ, 1950 ।

### (ड) जीवन-वृत्तांत एव तजकिये

- सूतसिंह, तजकिये ए-बीर हस्तु तेली—1057 हि० म लिखा गया । पाण्डुलिपि  
—(सम्भवन लेखक की हस्तलिखित) अलीगढ के इतिहास विभाग के  
पुस्तकालय म उपलब्ध है ।
- गेर खाँ लानी भीरात अल खयाब लिथाग्राफ, अ-दुस सलाम सग्रह 628/49,  
आजाद पुस्तकालय अलीगढ ।
- गुलाम अली आजाद खजाना ए अमीराह त्रिब० इण्डि० ।
- माआसीर अल करम लिथाग्राफ मुद्रित, हैदराबाद, 1913 ।
- शाहनवाज खाँ माआसीर उल उमरा, सम्पादन मौलवी अब्दुरहीम, त्रिब०  
इण्डि० 1888, 3 भाग म मुगल अमीरा की जीवनी का प्रसिद्ध कोप ।



नवलराम तदकिरात अल उमरा, पाण्डुलिपि त्रि० म्यू०, एड० 16703 ।

### (च) फुटकर ग्रन्थ

श्रीमनुद्दीन खाँ, मालूमत उल अफाक, नवल विशार सस्वरण, 1870 । मुख्यत इमम ससार के आदचर्यों का तथा अदभुत घटनाया का वणन है, साथ ही इमम विभिन्न मुगल अधिकारिया के कार्यों का भी वणन है । उन्हाहरणाय —बीवान ए आला, बहानी, दरोगा ए दाग ए-तासीर, सद्र उत-मुद्दूर व कानूनगो आदि तथा राजस्व तालिका । अन्त म मनसबदारो के वतन स सम्बन्धित तालिका है ।

तारीख ए अराकान ए-तभूरिया, पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० आरि० 1772 ।

चन्द्रभान ब्राह्मन, गुलदस्ता, पाण्डुलिपि सर सुतेमान सग्रह 666/44 आजाद पुस्तकालय अलीगढ ।

### (छ) कोश

अब्दुर रगद धट्टवी फरहग ए रशीदी 1653 54 ई०, सम्पादक अबु ताहिर जुलिफकार अली मुशीदावादी एशियाटिक सासाटी आफ बंगाल 1875 । मुन्गी टेक्निकल बटार, बहार ए-आजम 1739 40 ई० नवल विशोर 1916 । आनन्द राम मुखलिस भीरात अल इस्तिलाह टेक्निकल शब्दो का पारिभाषिक शब्कोश 1745 ई० अलीगढ के अजुमन तरकवी उदू पुस्तकालय म पाण्डुलिपि ।

### (ज) यूरोपीय स्रोत

अलि टेबेल्स इन इण्डिया (1583 1619) सम्पादक डब्लू० फाँस्टर लन्दन 1927 ।

जहाँगीर एण्ड व जेसुइटस, अनुवाद सी० एच० पनी लन्दन 1930 ।

परचाञ्च हिज पिलग्रिम्स भाग 3 व 4 जम्म मन्सिलिहोज एण्ड सस ग्लमगो ।

टामस रो द एम्बसी आफ सर टामस रो, 1615 19 सम्पादक डब्लू० फाँस्टर, लन्दन 1926 ।

द इम्पिन फबटीज इन इण्डिया, 1616 69 सम्पादक डब्लू० फाँस्टर 13 भाग । आक्सफोर्ड 1906-27 चूनि भागा की सम्प्या नहीं दी गयी है इसलिए न वर्षों के रूप म उदघत किये जाते है जो कि प्रत्येक भाग म हैं ।

पोटर मण्डा टबेल्स भाग 2 ट्रेबेल्स इन एशिया 1630 34, सम्पादक आर० सा० टेम्पिन हकन्यून सासाटी, द्वितीय सिरीज लन्दन, 1914 ।

डि लाएन् डिस्क्रिप्शन आफ इण्डिया, एण्ड प्रेगमेन्ट आफ इण्डियन हिस्ट्री,

सदस्यिका

- अनुवादक जे० एम० हॉयलण्ड, टिप्पणी एस० एन० वनर्जी, द एम्पायर  
 ग्राफ द ग्रेट मुगल, किताब महल बम्बई 1928 ।  
 जौन बापतिस्तो टैर्नियर, टेबेल्स इन इण्डिया, 1640 67, अनुवादक वी० बाल  
 लदन, 1889 ।  
 फ्रेन्कोइस बर्नियर, ट्रेबेल्स इन मुगल एम्पायर 1656 68 अनुवादक ए० कास  
 टेबुन, सम्पादक स्मिथ ।  
 जौन दे बेवेनाट द इण्डियन ट्रेबेल्स ग्राफ बेवेनाट एण्ड करेरो, पुराने अनुवाद,  
 सम्पादक एस० एन० सेन, नई दिल्ली, 1949 ।  
 इग्लिश फक्ट्रीज इन इण्डिया, (यू० सिरीज), सम्पादक सर चार्ल्स फीसेट  
 ग्रॉवमफोर्ड, 1936 ।  
 जान माशल, नोट्स एण्ड आब्जरवेशन आन ईस्ट इण्डिया सम्पादक एम० ए०  
 हाँ जान माशल इन इण्डिया, लदन 1927 ।  
 टामस बॉवले, ए जागरफिकल एकाउंट ऑफ कट्रीज राउण्ड द वे ग्राफ बगाल,  
 1669 79, सम्पादक ग्यार० वी० टेम्पल, वेम्ब्रिज, 1905 ।  
 जान फ्रेयर ए यू एवाउंट ऑफ ईस्ट इण्डिया एण्ड पशिया बीइंग नाइन इयस  
 ट्रेबेल्स 1627 81, सम्पादक विलियम थ्रुक्, हक्यूत मोसाइटी द्वितीय  
 सिरीज लदन, 1909, 1912 और 1915 ।  
 एशम मास्टर, द डायरीज ऑफ स्ट्राम मास्टर, 1675 80 सम्पादक ग्यार०  
 सी० टेम्पल, इण्डियन रिवाइज्ड सिरीज, लदन, 1911 ।  
 पेनसट जर्हानोस इण्डिया, अनुवादक गल व मोरलण्ड, वेम्ब्रिज 1925 ।  
 निकोलाआ मनुची, स्टोरिआ डो मोगोर, 1653 1708, अनुवादक डब्लू० इविन  
 इण्डियन टेबुल सिरीज, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, लदन, 1907 1908 ।
- (३) आधुनिक ग्रन्थ
- अब्दुल अजीज, द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी, लाहौर 1945 ।  
 एस० अहमद, उमरा ए-हनुद (उदू) ।  
 मुहम्मद अकबर, द पञ्जाब आडर द मुगल्स, लाहौर, 1948 ।  
 सनींग चन्द्र, द पार्टाज एण्ड पालिटिक्स एट द मुगल कोर्ट (1707 40),  
 अनीगढ़, 1959 ।  
 एम० एस० कामेसरियट, ए हिस्ट्री ऑफ गुजरात, भाग 2 (1573 स 1578)  
 थारिएण्ट लागमेस, 1957 ।  
 डब्लू थ्रुक् द ट्राइब्स एण्ड कास्टस ऑफ द नाथ-वेस्टन प्राविन्सेस एण्ड अरब, वलकत्ता, 1896 ।  
 एच० एस० दाम, द गोरिस इन्वेंसरी टू औरगजेन, वलकत्ता, 1959 ।

- एम० फार्सा, औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स बम्बई, 1935 ।
- ए० प्युरर द मानुमेटल एंटीक्विटीज एण्ड इंसक्रिप्शंस इन द नाय-वेस्टन प्राविंसेस एण्ड अरब, इलाहाबाद 1891 ।
- इरफान हबीब द अमेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया (1556-1707), बम्बई 1963 ।
- इब्न हसन द सेट्रल स्ट्रुक्चर आफ द मुगल एम्पायर एण्ड इटस प्रेडिकल वर्किंग ग्रुप टु द ईयर 1657 आक्सफोर्ड 1936 ।
- डी० इब्नटमन पजाब कास्टस, लाहौर 1916 ।
- विलियम र्विन, द आर्मी आफ द इण्डियन मुगल्स, लन्दन 1903 ।
- आर० पी० खासला द मुगल किंगशिप एण्ड द नोबिलिटी, इलाहाबाद 1934 ।
- लबी सोगल स्टक्चर आफ इस्लाम, बम्बई 1957 ।
- डॉ० एच० मारलण्ड इण्डिया एंड द डेथ आफ अक्बर, लन्दन 1920 ।
- अमेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया, बम्बई, 1929 ।
- अक्बर टू औरंगजेब, लन्दन, 1923 ।
- मौलाना गिबली नुमानी औरंगजेब आलमगौर पर एक मज्दर ।
- गौरीशंकर हीराचंद आभा राजस्थान का इतिहास, भाग 3 अजमेर 1937 ।
- बेनी प्रसाद हिस्ट्री आफ जहांगीर, दूसरा संस्करण इलाहाबाद 1930 ।
- के० काननगा दारा गिकोह कलकत्ता, 1952 ।
- विदेश्वर नाथ रिऊ मेवाड का इतिहास, भाग 1 1940 ।
- पी० सरन द प्रोवेन्सियल गवर्नमेन्ट आफ द मुगल्स, (1526-1658), इलाहाबाद 1941 ।
- जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री आफ औरंगजेब (मैनली ब्रिड आन परगियन सोसैज) 5 भाग कलकत्ता 1912 1916 और 1930 ।
- हाउस आफ शिवाजी 1960 ।
- शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, चौथा संस्करण 1948 ।
- स्टडीज इन औरंगजेब रेन, कलकत्ता 1933 ।
- मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, कलकत्ता 1920 ।
- जगदीश नारायण सरकार द लाइफ आफ मीर जुमला, कलकत्ता, 1951 ।
- बी० पी० सक्सना हिस्ट्री आफ ग्राहजर्हा आफ डेलही, इलाहाबाद 1958 ।
- एस० आर० गर्मा द रजिजस पालिसी आफ द मुगल एम्परास आक्सफोर्ड, 1940, द्वितीय संस्करण बम्बई 1962 ।
- कविराज श्यामलदास बीर त्रिनोद 4 भाग । हिंदी में यह मेवाड का इतिहास है जो मुख्य रूप से फारसी और राजस्थानी भाषा पर आधारित है और मुघल शासकों और राजकुमारों द्वारा उदयपुर के राणाओं को जा फरमान

मदाभिका

व निशान दिय गये थे उनका मूल प्राय पूण रूप से इमम दिया गया है ।  
 एस० एन० सेन द मिलेटी सिस्टम आफ द मराठाज, बम्बई, 1958 ।

बी० एस० स्मिथ, अक्रबर द ग्रेट मुगल (1542 1605), दूसरा संस्करण  
 मॉक्सफाड, 1919 ।

विलियस स्टुअर्ट गाडस आफ द इण्डियन मुगलस, लन्दन 1913 ।

थोन, मेमायस आफ द वार इन इण्डिया ।

जेम्स टॉड, ऐन्स एण्ड एटीक्विटीज आफ राजस्थान, पापुलर एडीशन, 2  
 भाग, लन्दन, 1914 ।

प्रार० पी० त्रिपाठी, सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद,  
 1936 ।

—राइज एण्ड फाल आफ द मुगल एम्पायर, इलाहाबाद, 1956 ।

एच० एच० विल्सन, ए ग्लासरी आफ जुडिशियल एण्ड रेवेन्यू टमस एण्ड सी०,  
 आफ ब्रिटिश इण्डिया, लन्दन, 1875 ।

1

पत्र  
नं  
१

१  
२  
३  
४  
५

६  
७  
८  
९  
१०

११  
१२

## अनुक्रमणिका

- अकबर 18, 20 21, 22, 27, 28  
 29 30, 35 60, 61, 66, 85  
 115, मुनह-मुल की नीति 29,  
 व राज्यवात म पुत्र/पौत्रो के प्रति  
 रिक्त मनसबदार 21,  
 के रायवाल म हिन्दू मनसबदार 46,  
 47,  
 व मनसबदारों की मर्यादा 54 पा०  
 टि० 6,  
 का वरोधी प्रयाग 113  
 अकबर (गहजांग) 37, 150  
 अकबरनगर 190  
 अकबरशाह 83 126, 153  
 अकरम खां बाजी अकरम 353  
 अकीदत खां, अबु तालिब 262  
 अकीदत खां मीर महमूद 287  
 अला बगी 202  
 अगहर् खां 236 पा० टि० 15  
 अगहर् खां पीर मुहम्मद 305  
 अफगाण 232  
 अचलाजी निम्नलकर लकवनी 299  
 अचिन 218  
 अछपट नायर 298  
 अजमर 99 पा० टि० 107 148 203  
 214 पा० टि० 87  
 अजीज कोना 29, 33  
 अजीज खां महादुर चगता 316  
 अजीजुद्दीन बहरमद खां 294  
 अजीजुल्लाह खां पुत्र खलीलुद्दाह खां  
 337  
 अजीतसिंह 149, 150  
 अजीतसिंह राठीर 359  
 अजीम-उंग शान, गहजांग 219  
 अकबर खां पुत्र इबीम अलीमुद्दीन 356  
 अनिरुद्ध गौड राजा 255  
 अनिरुद्ध हाडा, बूदी वा 309  
 अनीराय ग्राहान 269, 330  
 अनुबन्धित दरें 65  
 अनूपसिंह 262, 309  
 अन्वुजी 327  
 अताजी खंडवला 259  
 अन्वाजी 348  
 अयाजी, पुत्र मवाजी 349  
 अफगान 28, 29, 34 35 36 48  
 249, के बखीले 28, की सरपा 34,  
 दक्कन म तनात अफगान मनसब  
 दार 154  
 अफजल खां अफजल बग 93 पा० टि०  
 28 345  
 अफरासियाब खां 329  
 अफरासियाब खां, अफरासियाब बेग  
 263  
 अफरीनी 147  
 अबु नमर, मुहम्मद रमजानी 305  
 अबु मुहम्मद पीर इब्राहीम अखिलशाह  
 259  
 अबुल 105  
 अबुल सर 312  
 अबुन फजल (अल्लामी) 27, 72 73,  
 75 81, 85, 97 पा० टि० 78,

- 117 120, भुगन राय के नतिव  
 आधार की व्याख्या 201
- अबुन फखन मामूरी 34 39 42 44,  
 48, 74, 133 135 310 टि०
- अबुन फतह पुत्र खा ए जहा कोसल  
 ताश 354
- अबुन फतह पुत्र तिवर खा बीजापुरी  
 352
- अबुन वला 274
- अबुल मकारिम 284
- अबुन हुसन 152 163 पा० टि० 40
- अबु मुस्लिम 188 288
- अबू मुहम्मद 190
- अबू मुहम्मद खा बीजापुरी 313
- अबुनरी 208
- अबुल मजीज 16 61 77
- अबुल मजीज मियाना 334
- अबुल वरीम 153 154
- अबुल कादिर दिवानत खा 279 323
- अबुल कादिर पुत्र अबुल रज्जाक  
 नारी 316
- अबुल जलील 237 पा० टि० 35
- अबुल नबी 102 पा० टि० 146
- अबुल नबी तमन खा रहेना का भाई  
 324
- अबुल नबी खा 173
- अबुल फतह पुत्र शायस्ता खा 277
- अबुल वारी अ सारी 187 285
- अबुल मजीन खा 349
- अबुदुरज्जाक मिलानी 256
- अबुदुरज्जाक सारी 214 पा० टि० 92,  
 305
- अबुदुरमूल खा बिलशामी 328
- अबुदुरहमान पुत्र नजर मुहम्मद खा  
 189 249
- अबुदुरहमान खा पुत्र इस्लाम खा मग  
 हदी 332 344
- अबुदुरहीम पुत्र बुरहानुद्दीन 357
- अबुदुरहीम खा रहमत खा का दामाद  
 101 पा० टि० 135
- अबुदुरहीम खा पुत्र इनाम खा 279
- अबुदुरहीम खा किराज जग का भाई  
 343
- अबुन मशय बुखारी 202
- अबुन गफूर हैदराबादी 356
- अबुन गमल खा 104 338
- अबुन मनाम पुत्र अबुदुरहीम मियाना  
 336
- अबुल मनाम नाहोरी मुल्ला 270
- अबुल हमीद 304
- अबुन हमीद बीजापुरी 282
- अबुन हमीद नाहोरी 19
- अबुलना पुत्र नतौला खा 279
- अबुल्ला पुत्र रस्तम जमा बीजापुरी  
 327
- अबुल्ला खा अबुल्ला वग सराई 266
- अबुल्ला खा हैदराबाद के अबुल हुसन  
 का दत्तक पुत्र 304
- अबुल्ला खा वारहा हमन मली खा  
 328
- अबुल्लाह, वाजी 154
- अबास अफगान 174 285
- अबामी 100 पा० टि० 123
- अबामी खलीफा 94 85
- अमरसिंह चन्दावत 170 262 291  
 टि०
- अमरसिंह द्वितीय राणा 299
- अमरसिंह नरवर का जमीदार 183

- अमरसिंह नारोरी, राजा 274  
 अमानत खा 202 234  
 अमानत खा स्वाजा मुम्मद 345  
 अमानत खा, मीर मुइनुद्दीन 289, 333  
 अमानत खा द्वितीय मीर मुहम्मद हुमन 339  
 अमानुल्लाह 289  
 अमानुल्लाह खा 339  
 अमीन 122  
 अमीन खाँ 155, 202  
 'अमीर' उपाधि व अधिकारी 19  
 अमीर खाँ 102 पा० टि० 143 201  
 214 पा० टि० 83  
 अमीर खाँ, एक उपाधि 197  
 अमीर खा कायुल वा सूवदार 83 89  
 अमीर खा, मीर मीरान 252, 295  
 अमीर खाँ गिन्धी, मीर अबुन करीम 319  
 अमीर खाँ नया मीर स्वामी 246  
 अमीर वग शाह का अब 14 की  
 सम्पत्ता 24 26, रा भारतीयकरण  
 31, शाहजहाँ के अतगत गुटबंदी  
 म मुक्त 143, व दो प्रमुख गुट  
 158 का दरबार म गिफ्टाचार  
 194 195 का व्यवहार प्रशासन  
 म 205, एक दूरदर्शी वग 209  
 यूरोपीय अमीरवग की तरह अनु  
 वधित नहीं 217, की सम्भार  
 226 की सनिक टुरडियाँ 228  
 के समाज कल्याण वाय एक धमाय  
 231 32 व हरम 233 म वित्तीय  
 माट 235  
 अमानत खाँ 342  
 अरब 28, 237 पा० टि० 35  
 अरजूजी, पुत्र शम्भाजी 329  
 अरब खा 83  
 अरगन खा 102 पा० टि० 146  
 अरसल खाँ मीर अबुन अल बलवी 342  
 अरावान 218  
 अरजान गौड 170  
 असलान खाँ 344  
 असलात खाँ अमानत कुली 267 322  
 अलतून-तमगा (या अल तमगा ) 120  
 अरफ खा सरगन जियाम खा 277  
 अलम 198  
 अलाउद्दीन नायक 295  
 अनाहताद खाण्डा का यानदार 215  
 पा० टि० 102  
 अलाहदाद पुत्र इखलास खा 279  
 अलिफ खा 129  
 अली अनाम हैरावाती 331  
 अली कुली खा 316  
 अली कुली खाँ अली वग 267  
 अली कुली खा मुम्मद अली वग 266  
 अली वग खाँ 279  
 अला मदान खा 73 86  
 अली मर्दान खा हैरावाती, मीर हुमनी  
 वग 297  
 अलीयार खाँ 101 पा० टि० 135  
 अल्लाहदाद खा 103 164 पा० टि०  
 63  
 अल्लाहदाद खाँ हजगमी 327  
 अल्लाह यार खाँ 320  
 अल्लाह यार खाँ अल्लाह यार वग  
 261  
 अल्लाह यार वग बुयारी 183  
 अल्लाह वर्री खाँ अनामगीरावाती  
 238 पा० टि० 17



अबघ 83 123, 124 203  
 अशरफ खा 202  
 असकदर खाँ, सिकन्दर बे खाँ 305  
 असकर खा नज्मसानी अब्दुल्ला बेग  
 171 269  
 अस्कर खा गकरल्लाह खा नज्मसानी  
 337  
 अस्कर खा हैदराबादी मुन्विब ए अली  
 307  
 असद कागी असद खा 285  
 असद खा 89 137 पा० टि० 27  
 दखन का वायसराय नियुक्त 154  
 156 158, 159 198 207 215  
 पा० टि० 107 233  
 असालत खा पुत्र मुजफ्फर हैदराबादी  
 340  
 असमानत खा मिर्जा मुम्मद मशहदी  
 178 249  
 असफदियार 105 345  
 असफदियार बेग 172  
 अहनी 19 23 28 96 गान्जहाँ  
 धौर धौरगजेव के राज्य काल भ  
 सख्या 19  
 अहमद खा 348  
 अहमद खाँ पुत्र सीदी मिफताह 280  
 अहमदनगर 44 152  
 अहमद बेग कामिल 291  
 अहमद बग नज्मसानी 287  
 अहमद बग हवशगी इखवास खा 182  
 अहमद सर्दद खाँ 351  
 अहमदगान् 80 203  
 अहमदुल्लाह 325  
 अहलुल्लाह खा 340  
 अहगान खाँ 300

अहमान खाँ मीर मलग, मुन्तान हुसन  
 360  
 आईन (आईन ए अकबरी) 20 21  
 47 66 72 73 85 124  
 आका उन्नाम 214 पा० टि० 95  
 345  
 आका यूसूफ 274  
 आकित खाँ 97 पा० टि० 87 129  
 155  
 आकिल खा राजी, मीर अस्वरी 185,  
 238 पा० टि० 17 264 306  
 आकूजी पुत्र मालूजी 342  
 आगरा 37 209 पा० टि० 5 224  
 पा० टि० 18 237 पा० टि० 37  
 आगा कुली खाँ 105  
 आगा खिरा 352  
 आजम (शहजादा) 40 81 99 पा०  
 टि० 109 129 134 159  
 230  
 आजम पुत्र हिम्मत 106  
 आजम खा बीका 208  
 आजम खा मुल्लतात खा 178  
 आतिग खा मुम्मद जान 351  
 आदाब-ए आलमगोरी 117  
 आदिलशाह 153 154  
 आदिलशाही 155  
 आनन्दराम मुखलिम 135  
 आनन्दराव 312  
 आषा 116  
 आमिन 121 122  
 आयशा बाना 199  
 आलमगीरनामा 21 22 38

- प्रासफ खाँ 92 पा० टि० 18 100 'इजनास' 72 95 पा० टि० 62  
 पा० टि० 122 इजारा 123  
 प्रासफुद्दौला 40 इज्जत बग 130  
 प्रासाम 28 146 इनाम' 114  
 इकराम खाँ 83 इनायत अफगान 285  
 इकराम खाँ दक्कनी अगदुल्लाह खाँ इनायतउल्लाह खाँ 134 202 235  
 275 328 326  
 इकराम खा, सद्र 290 इनायत खा 99 पा० टि० 115 188  
 'इकना 113 290, 334  
 दमतिहास खाँ इखलास खाँ का छोटा इनायत खाँ, श्रीरामादा का शारिम  
 भाई 215 पा० टि० 98 129  
 इबलाम खाँ 101 पा० टि० 138 इनायत खाँ खवाफी 357  
 इमनास खाँ (नियाना), अबुल मुहम्मद इनायतुल्लाह खाँ बदमोरी 28 36 48  
 249 299 इदरखी 271  
 इखलास खाँ अहमद बग खेशगी इदरमन धंडेरा राजा 179, 252  
 182 260 इदरमन बुदेना पुत्र पहाडसिंह 283  
 इमनास खाँ इखलास बग, देवीनास इदरसिंह 39, 119 137 पा० टि०  
 324 39, 149 150  
 इखलास खाँ, ऐहतिमाम खाँ अल्लाह इदरसिंह पुत्र राणा राजसिंह 313  
 पार खाँ 345 इदरसिंह पुत्र राव रायसिंह 281  
 इमनास खाँ ऐहतिमाम खाँ शेख इफित्तार खाँ 104 214 पा० टि०  
 फरीद 252 86 व 87, 230  
 इमनास खाँ खान-ए अलाम 215 पा० इफित्तार खाँ पुत्र गरीफुन-मुल्क  
 टि० 98 295 हैदराबादी 318  
 इखलाम खाँ बानयानिगार 214 पा० इफित्तार खाँ मुल्तान हुमन 311  
 टि० 82 इबादुल्ला 321  
 इम्निसार खाँ गेम अटुल्ला 304 इम्न हुसन दारोगा ए-तोपखाना  
 म्लिसाम खाँ सलायत खाँ बारहा 190  
 मयद मुल्तान 255 इब्राहीम कारबगी 187  
 इम्निसाम खाँ मयदफीरोज खाँ बारहा इब्राहीम खाँ 86 152 167 191  
 268 इब्राहीम खाँ, पुत्र अली मदानि खाँ  
 इज्जतिमा खाँ 327 248 296

- इब्राहीम चौरी 304  
 इमाम अबरदी 282  
 इमाम कुली 172 283, 311  
 इरज खाँ कजलवाश 314  
 'इरमास' 72, 73  
 इरादत खाँ 157 169 348  
 इरादत खाँ बारहा 188  
 इरिज खाँ 232  
 इलयास खाँ 344  
 इनहामु लाह 183  
 इलाहाबाद फकी 72  
 इलाहाबाद 168 टि०, 203  
 इलिचपुर 232  
 इल्लिफात खा, मुराद खाँ 279  
 इल्लाहवर्दी खाँ 190 टि०  
 इल्हामुल्लाह, रशीद खाँ 257, 308  
 इशाक बेग 278  
 इस्माइल खाँ नियाजी 184  
 इस्माइल खाँ मुहम्मद इस्माइल 273  
 इस्माइल खाँ खैरगी, ज़ावाज खाँ  
 183 269  
 इस्माइल खाँ माखा 297  
 इस्माइल बेग 174  
 इस्लाम कुली 290  
 इस्लाम खा 93 पा० टि० 28 101  
 पा० टि० 130 238 पा० टि० 17  
 इस्लाम खाँ हकीम बसरा का 98 पा०  
 टि० 105  
 इस्लाम खा, मीर जियाउद्दीन हुमन  
 हिम्मत खाँ 178 249  
 इस्लाम खा हमी 101 पा० टि० 136  
 246
- ईजाद बरुदा रसा 123, 125, 237 पा०  
 टि० 37 358  
 ईनाम (इनाम) 114  
 ईरज खाँ 261  
 ईराक 28  
 ईराकी 30  
 ईरान 43, 211 पा० टि० 33  
 ईरानी 27 28 29 30 31, 32 33,  
 36 48, 81 129 158, की सख्या  
 33, भ्रमीरा पर सदेह 154  
 ईशाक बेग 174  
 ईसरदास 160  
 ईसा खाँ 289  
 ईसा बेग सजावर बेग 185  
 ईसूजी दखानी 329
- उज्जवेक खाँ, तातार बेग 286  
 उज्जवेक खाँ नौदरती 333  
 उज्जवेग (निवासी) 27  
 उज्जवेग (राज्य) 31 32  
 उज्जैन 101 पा० टि० 136  
 उडीसा 80 83, 117 202 214 पा०  
 टि० 92  
 उदतसिंह बुन्देला श्रीरछा का राजा  
 310  
 उदतसिंह भदौरिया 314  
 उदयपुर 78  
 उदयभान राठौर 274  
 उदयसिंह चम्बा का राजा 355  
 उदयसिंह बुन्देला 310  
 उदयसिंह राजा पुन महासिंह भदौरिया  
 351  
 उमर तारी 282

- 'उलूस' 126  
 'उल्मायान ए-ताही द्वारा' 147
- 'एक बटा चार नियम' 80, 81, 97  
 पा० टि० 87  
 'एक बटा तीन नियम' 75, 78  
 'एक बटा पाच नियम' 69 70, 76 77  
 78 97 पा० टि० 87
- ऐतमाद उद दीला 199  
 ऐनिकाद खा 237 पा० टि० 35  
 ऐतिकाद खा इराकत खा अबू मसूर  
 330  
 ऐतिकाद खा, बहमन यार मिर्जा 250  
 ऐतिवार खा 269  
 ऐतिवार खा ख्वाजासरा 188  
 ऐतिवार खा, मुहम्मद तकी 316  
 ऐतिमाद खा, अशरफ खा 306  
 ऐतिमाद खा, मुस्ला ताहिर 333  
 ऐहतिमाम खा, अली बेग 287  
 ऐहतिमाम खा, सरदार बेग 280 341
- शाबदुल्लाह खा 329  
 शोरछा 310
- श्रीछी श्रीहल राव 340  
 श्रीरग खा 92 पा० टि० 16  
 श्रीरग खा, नजर बेग 104 331  
 श्रीरगजेव 13, 14 16 17, 18 19  
 22, 23, 27, 29, 30, 31, 61, 62 66, 67, 80, 81, 87 126  
 127, 128, 129, 130 131 132  
 133, 134, 135, 151 206 207  
 220, 222 232 235,  
 के शासनकाल म जात और सवार  
 पद 22 23  
 के मनसबदारो म विन्धी और भार  
 तीय तत्व 30 31  
 के ईरानी समयक 33  
 के अफगान अमीर 34,  
 का बारहा के सयाने के प्रति खया  
 35 36,  
 का कश्मीरियो के प्रति खया 36,  
 के अतगत राजपूत 36-37 38 41,  
 तथा मारवाड के शासन का उत्तरा  
 धिकार 39 40, का विलय 149  
 के अतगत दखनी 42 43,  
 का मराठा अमीर बेग 45 46,  
 के हिन्दू अमीर 46-47,  
 के अमीर बेग की वर्गीय जातीय और  
 धार्मिक सरचना 49 53, 143,  
 के अतगत खालिसा' 114,  
 के मनसबदारो की सख्या 19 20,  
 के दो अस्था मेह अस्था मनसबदार  
 63,  
 द्वारा पुरानी राजसात प्रथा प्रवर्तित  
 88,  
 के उत्तराधिकार मुद्द म समयक 144  
 176-188,  
 की नयी धार्मिक एव राजपूत नीति  
 147 148,  
 के समय म अमीरो म गुटबन्दी 158-  
 159  
 शौरगावाद 202

- कछवाहा 28, 37, 150  
 कज नायक 246  
 कजल बाश खाँ 185 269  
 कजवीनी 54 पा० टि० 8  
 कटारी परगना 92 पा० टि० 16  
 कटौतियाँ, वेतन म स 71 73  
 कडक 129  
 कघार 97  
 कपूरसिंह हाडा 346  
 कबद खाँ मीर आखूर 252  
 कबाद खाँ 103, 170  
 कबाद बेग 278  
 कब्ज 123 131  
 कमरुद्दीन खा मीर मुहम्मद फाजिल 322  
 कमाल जालोरी 122  
 कमाल लोदी, हरबुज खाँ 182 270  
 कमालुद्दीन, पुत्र दिलेर खा 284  
 कमालुद्दीन खा 324  
 कम्बो 35  
 करतलब खा 104  
 करतलब खा बगाल का दीवान 91  
 करतलब खा, मुहम्मद जान 338  
 करतलब खा मुहम्मद बेग तुक्मान 280  
 करन काछी मालवा का जमीदार 184, 278  
 करन, बीकानेर का राजा 119  
 'करोडी 122  
 कर्नाटक 28 156 203 214 पा० टि० 91  
 कलदार खाँ नुसरत खा 269  
 कलदार खाँ बजान बेग 266  
 कलंदर खा कलंदर दाऊदखई 283  
 कलंदर खाँ, कलन्दर बेग 273, 336  
 कलंदर खाँ मुहम्मद शाह मुगल 183  
 कलाल खाँ 210 पा० टि० 10  
 कलिया तजम्मूल, तिब्बत का जमीदार 316  
 कल्यानसिंह 349  
 कल्यानसिंह बाधू का 285  
 कल्यानसिंह राजा भटावरका जमीदार 351  
 कषामुद्दीन खाँ, इस्फहान का 253, 310 345  
 कश्मीर 123 124, 202, 203, 214 पा० टि० 86  
 कश्मीरी 36, 57 पा० टि० 59 81, स्त्रियाँ 31  
 कहतानून 326  
 काबर खाँ 336  
 काकुर खाँ 104  
 काकेशियन 28  
 काजी' 128 148, 214 पा० टि० 81  
 काजी अदुदलाह 154  
 काजी निजाम करसरोदी 184  
 कादिर दाद अंसारी शेख नुस्ल्लाह 285, 337  
 कादिर दाद खा 281  
 कानूनगो 127  
 काननगो प्रोफेसर 36  
 काहूजी गिरके 297  
 काबिल खा 28 207 208  
 काबिल खा शेख अबुल फतह 291  
 काबुल 76 83 89, 203 214 पा० टि० 83  
 कामगार खाँ 317  
 कामगार खा पुत्र कामयाव खाँ 273

- कामगार खां, मुहम्मद कामगार, पुत्र  
 जाफर खां 264  
 कामगार खां, सिक्न्दरपुर का फौजदार  
 83  
 कामदार खां 343  
 कामयाब खां, गैफुद्दीन सफवी 277,  
 340  
 कामिल खां 272  
 कामस्य (जाति) 27  
 कारखाना 220, 221, 224 पा० टि०  
 17  
 कारबून 122  
 कारतब खां (मशवन्त राव) 177  
 काली भेट 285  
 कासिम खां 106, 214 पा० टि० 91  
 कासिम खां किरमानी 303  
 इासिम खां, सम्पत्ति अविगहीन 102  
 पा० टि० 146, 166  
 कासिम बाखार 221  
 काहनी, परगना 129  
 कियचक 28  
 कियफत खां, स्वाजा बर्ना 289  
 कियक़ायन खां, मीर मुहम्मद 345  
 'किलानीगे 216 पा० टि० 112  
 कियान राव (या कनराव) पुत्र बाबूजी  
 337  
 कियानसिह 326  
 कियानसिह तैबर 173, 274  
 कियौर, पुत्र रतनसिह 119  
 कियौरदाम 359  
 कियानीसिह हाडा 103 321  
 कियनाबर 28  
 कियनाजी 314  
 कौरसिह 172 258  
 कुतुबजागो 289  
 कुतुबुद्दीन पा 99 पा० टि० 115  
 कुतुबुद्दीन यां श्वशरी 191, 254  
 कुतुबुद्दीन यां, तूरान का राजदूत 356  
 कुतुबुगाह 152, 154  
 कुदाजी दक्कनी 283  
 कुमामू 28  
 कुरनिस्तान 28  
 कुल 28  
 कुलीज खां आबिद खां 204 298  
 कुलीज खां, खुशहान बेग दक्काल  
 268  
 कुच विहार 146  
 कुशवदाम 106  
 कुसरीसिह भरतिया 272  
 कुवुवाद 90 पा० टि० 1,  
 कौर अ-दंग खां कम्बो मरठो 319  
 कुटा 231  
 कुतवाल' 201  
 कुटाजी 325  
 'कुतानिस' 198  
 कुल्हापुर 204, 215 पा० टि० 98  
 कुजर खां, सिर्जा मुहम्मद 171, 267  
 कुजवाह 37, 168 टि०, 190 टि०  
 'कुजानदार 227  
 'कुजांची 122, 123, 227  
 कुरीक 117  
 कुलील उन्लाह खां 166, 245  
 कुलीलुन्लाह खां अमानुल्लाह खां  
 330  
 कुनील-भागर 232  
 कुवान-सातार' 227

- खत्री (जाति) 27  
 खाऊन 203, 214 पा० टि० 95  
 खांडूजी, पुत्र जावजी 350  
 खाण्डा 204 215 पा० टि० 102  
 खान (खाँ) 59 60, एक उपाधि 197  
 खानचंद बुंदेला 105  
 खानाजाद की परिभाषा 24, 54  
 पा० टि०, की संख्या 24-25,  
 का प्रतिशत 24 25, का असन्तोष  
 44 श्रीरंगजेव के भ्रमोरा मे खाना  
 जादा की संख्या 52, की दक्षिणी  
 भ्रमोरो से ईर्ष्या 164 पा० टि० 63  
 खानाजाद का मुल्तफात खाँ मुहम्मद  
 इब्राहीम 325  
 खानाजाद का, मुहम्मद मासिह मुरीद  
 का 325  
 खानाजाद का मह उल्लाह खाँ द्वितीय,  
 मीर मुहम्मद हसन 310  
 खानाजाद का हमीदुद्दीन खाँ 185,  
 279  
 खान ए अलम भरत खाँ मुहम्मद  
 इब्राहीम 299  
 खान ए खाना अब्दुरहीम 151 152  
 खान ए जमा सिपहदार खाँ, मीर  
 मुहम्मद खाँ 300  
 खान ए जहा वारहा 230  
 खान ए जहा लोदा 34 152  
 खान ए दौरा, संख्यद महमूद का 211  
 पा० टि० 25  
 खान ए-सामान 202, 227  
 खाफी का 44, 56 पा० टि० 45, 121  
 153 206  
 खालिसा (या खालिसा ए-गरीफा)  
 113
- खासह 65  
 खिदमतगार खाँ, तालिब म्बाजासरा  
 342  
 खिदमत तलब खाँ, गार्ह बेग 105  
 खिदमत तलब खान बहादुर, शेख  
 अब्दुल मजीज 342  
 'खलअने' 196-97, 211 पा० टि०  
 30  
 खुदाबंद खाँ 92 पा० टि० 17, 98  
 पा० टि० 102 164 पा० टि०  
 63, 317  
 खुदाबंद हशी 186  
 खुदा दाद खाँ ख्वेशगी 334  
 खुफिया-नवीस 208  
 खुमानसिंह 346  
 खुरासान 28, 56 पा० टि० 45  
 खुरासानी 29 32  
 खुलना 100 पा० टि० 118  
 खुलासात उस सियक 68, 70 76,  
 77 79 229  
 खुशहाल बेग ककाल कुलिज खाँ  
 182  
 खुशहाल बग वाशगरी 171  
 उसरो परबज ईरान का शासक  
 211 पा० टि० 33  
 खुराक ए आस्पान 122  
 खुराक ए द-बाब' 71 72  
 खुराक ए फीलान ए हलका 44  
 धेलूजी 359  
 खेवजी 302  
 खर प्रदेश का कम्बो 319  
 खाखर 28  
 खार जागीगढ़, परगना 138 पा०  
 टि० 47

अनुक्रमणिका

- खाजा अब्दुल बका, इफ्तखार खाँ 167  
 खाजा अब्दुल्लाह 345  
 खाजा आबिद खा 178  
 खाजा इनायतुल्लाह 271  
 खाजा इस्माइल बेग किरमानी 290  
 खाजा ऊवैदुल्लाह 186, 267  
 खाजा कलौ, किरफायत खाँ 186, 289  
 खाजा खाँ, सियादत खाँ भोगलान का दामाद 341  
 खाजा खुदायार खाँ 105  
 खाजा मुहम्मद मारिक, मुजाहिद खाँ 103, 321  
 खाजा मुहम्मद सादिक बदहशी 174  
 खाजा सादिक बदहशी 287  
 खाजा हामिद हामिद खाँ बहादुर 315  
 खाफ़ 33, 56 पा० टि० 45  
 खारिजम 28  
 खेशगी 28  
 गगाराम गुजराती 162 पा० टि० 26  
 गज झली खाँ, अब्दुल्लाह बेग 169, 258  
 'गऊ-चराई' 122  
 गऊ कर खाँ 172, 256  
 गऊनफर खाँ पुत्र क़वाद खाँ 326  
 गऊनी 83  
 गदा बेग 287  
 'गहन' 208  
 गरखुजी, पुत्र बाँकर राय 285  
 गरीबदास 106  
 गरीबिस्तान 28  
 गाजी 330  
 गाजी उद्दीन खाँ, फीरोजग 158, 159, 160, 243, 293,  
 का तोपखाना जन्त 209 पा० टि० 4, 232,  
 घोरगज़ेब के बाद स्वतंत्र होने का विचार 160  
 गालिब खाँ 304  
 गालिब खाँ बीजापुरी 251  
 गिरधरदास गौड़ 169, 258  
 गिलान 28  
 गुजरात 83, 87, 88, 118, 119, 129, 132, 146, 203, 206, 214 पा० टि० 92, 218, 222, 230 237 पा० टि० 17  
 गुज़बदार 129, 130  
 'गुमाश्ता' 120  
 गुलबर्गा 129  
 गुलाम मुहम्मद अफगान 186, 284  
 गुलालवार 194  
 गरत खाँ, मीर मुराद मज्जदनी 270  
 गरत खाँ, सयद इब्जत खाँ 258  
 गोकुल जाट 147  
 गोपामऊ मे मंदिर और तालाब का निर्माण 161 पा० टि० 3  
 गोपालसिंह, पुत्र मोहकमसिंह सिसौ दिया 349  
 गोपालसिंह, पुत्र राजसरूप 271, 335  
 गोपीनाथ 55 पा० टि० 19  
 गोरखपुर 83, 103 214 पा० टि० 92  
 गोधनदास राठौर 173  
 गोलकुण्डा 41, 43, 95 पा० टि० 49, 152, 154 155, 157, 163 पा० टि० 38



- धवसर 28  
 घुडसवारा का संगठन 59 60  
  
 चगजी 59  
 चकला इस्लामाबाद 126  
 चगताई 27, 29  
 चगता खान-बहादुर फतहजग काश  
 गरी 295  
 चटगाँव 146  
 चतरभुज चौहान 274  
 चतरुजी दक्खनी 282  
 चतुमुज 207, 208 216 पा० टि०  
 129  
 चदूजी 355  
 चद्रभान ब्राह्मण 28 212 पा० टि०  
 40  
 चद्रावत 28  
 चम्पत बुदेला 177 250  
 चम्बा 287  
 चाक बन्दीरी 36  
 चान गाँ 290  
 चारभौक 219 224 पा० टि० 5  
 चित्तौड़ 36  
 चिन किलिच खाँ 158, 159  
 चिन कुलीज खानबहादुर मीर कम  
 रुद्दान 299  
 चिम खाँ 208  
 'चुगी 121, की दर 161 पा० टि० 3  
 चतरसिंह 355  
 चेहरा 75  
 चौबी पहरा 195  
 चौधरी 127  
 चौहान 28  
  
 छतरसिंह चम्बा का राजा 291  
 छतराँन बरा 312  
 'छत्रताक' 198  
 छत्रसाल बुदेला, राजा 307  
 छत्रसाल राठीर 339 358 टि०  
  
 जगजू खाँ दक्खनी 303  
 जकिया दंगमुख 309  
 जगजीवन उत्पजी राम 259  
 जगतराय देशमुख नुसरतशाह का 320  
 जगतसिंह 99 पा० टि० 109, 272  
 जगतसिंह हाडा 119 267 329  
 जगदेव राय पुत्र दाताजी 358  
 जगन नायक 300  
 जगराम बछवाहा 275  
 जजिया 148  
 जद्रावत 315  
 जनकूजी 302  
 जनुजी 360  
 जबरदस्त खाँ मुहम्मद खलील 304  
 जबरदस्त खाँ शफादार खाँ 336  
 जबरदस्त खाँ हयात अफगान 184  
 271  
 जबरदस्त खाँ होशगाबाद का फौज  
 दार 83  
 'जब्न 85 86  
 जमरुत 204  
 जमशेद खाँ 129  
 जमशेद खाँ बीजापुरी 293  
 जमा' 67, 115 साम्राज्य तथा दक्खन  
 के प्रातो की 58 पा० टि० 87  
 जमा-दामी 66, की परिभाषा 115,  
 हासिल से बहुत कम 116, 132

शंभुशमणिका

'जमानत 82

जमाल खा 287

जमाल खाँ, पुत्र दिलेर खा 187

जमाल नौहानी बीजापुरी 187

जमीदार 16 17, 25, की परिभाषा

124, की घमीर वग मे कुल सख्या

26, औरगजेव के घमीरो म

जमीदार 52, खती और जोरतलत्र

125

जम्मू 99 पा० टि० 118

जयसिंह बछवाहा, मिजा राजा 31, 36

37, 54 पा० टि० 18, 136 पा०

टि० 12, 143, 146, 147, 154

155, 162 पा० टि० 32, 163 पा०

टि० 41, 224 पा० टि० 10, 244

जयसिंह, राजा 41, 58 पा० टि०

95, 100 पा० टि० 118, 282

जयसिंह, राणा 298

जयसिंह सवाई 236 पा० टि० 11

327

जलाल अफगान 276

जलालउद्दीन, मौलाना 238 पा० टि०

37

जलाल खाँ कक्कर 259

जलाल खाँ, दिलेर खाँ 247 298

जलानुद्दीन खाँ, पुत्र मीर मीरान 357

जवाबित ए आत्मगोरी 20, 23 68,

79, 195

जसवन्तसिंह 89, 143, 148, 149,

150, 152 153, 155, 162 पा०

टि० 32, 204 214 पा० टि० 84

जसवन्तसिंह, गुजरात का गवर्नर

नियुक्त 37, की हिसार म जागीर

119

जसवन्तसिंह, डूंगरपुर वा महारावल

281, 346

जसवन्तसिंह बुंदेला राजा 290

335

जसवन्तसिंह राठौर महाराजा 99 पा०

टि० 118, 165, 245

जहाश्रारा बेगम 136 पा० टि० 12,

202, 221

जहागीर 29, 33, 34, 61, 63 151,

152, 155, तूरानियो के प्रति

व्यथित विरोध 32, व अतगत

'खालिसा' का विस्तार 113,

'अलतून-ए-तमगा का प्रचलन 120

जहाँगीर बुली खाँ 130, 269, 331

जौनिसार खाँ अब्दुल मकारिम 331

जावाज, इस्माइल एवेशगी 183, 269

जासिपर खाँ, मीर बहादुर दिल 185,

286, 353

जाऊजी 332

जागीर', ब्याख्या 16, 26, की परि

भाषा 113, का विस्तार 113,

'मशरूत और 'इनाम' 114 115,

आवटन का सिद्धान्त 115-116,

का अंतरण 117, वतन जागीरें

118 120, का प्रशासन 122 123,

का अभाव 133 34

'जागीर-ए-तनहवाह 114

जागीरदार' 113, के वित्तीय अधि

कार 120 121, और जमीदार

124 125, पर शाही निययण

127 128, और कृषक 130

'जागीरदारी प्रथा, म सक्त 133-

134

जाट विद्रोह 147, 153

- फिलान ए-हल्का' से मुक्त 44,  
 जमानत मे मुक्त 43, 82, श्रीरगजैव  
 के अमीरा म दक्खनी 53, दक्खनी  
 अमीरा मे ईर्ष्या 164 पा० टि० 63  
 दनकतराव, धलबर कुण्डा का जमीदार  
 98 पा० टि० 107  
 'दफ्तर ए-तौजीह' 227  
 दफ्तरदारी-तन' 202  
 'दमहा' 119  
 दरबार खाँ ख्वाजासरा 288, 332  
 दरवेश वंग ककशाल 284  
 दरवेश मुहम्मद 285  
 दराब खाँ पुत्र मुस्तार खाँ 261  
 दलपतराव बुदेला 41 156, 158,  
 201 236 पा० टि० 11, 312  
 दन्जी पुत्र वहारजी 348  
 दशमलघ प्रणाली 59  
 दहवाशी' 91 पा० टि० 91  
 द्विपद सिद्धांत 61  
 दाऊजी 332  
 दाऊ 286  
 दाऊद खा कुराती 154 167, 201,  
 207 234 248  
 दाऊद खाँ पानी 157 158 160, 254  
 296  
 दाऊ खाँ सूबदार 225 पा० टि० 29  
 दाकूजी 183, 273  
 दाम 75, 80, से छूट 81, 96  
 पा० टि० 76  
 दाताजी दक्खनी 259  
 दादाजी 180, 268  
 दानिशमंद खा मुल्ता शफीक यज़्नी  
 27, 233 237 पा० टि० 37,  
 249
- 'दाम' 94 पा० टि० 32, 136 पा०  
 टि० 16  
 दामाजी दक्खनी 178, 254  
 दारन खा 284  
 दारा शिकोह 33, 36 37, 168  
 टि० 191 टि०, 202, वैवगानुसार  
 समयक मनसबदार 143, 144, के  
 समयक उत्तराधिकार के युद्ध मे  
 165 175  
 'दारोगा दाग 202  
 दिनदार खाँ, बख्त बुलद, राजा 347  
 दिवानत खाँ, अदुल कादिर 238 पा०  
 टि० 37  
 दिवानत खाँ, हकीम जमलाइ काशी  
 269  
 दिलदार खाँ दिलदार वंग 273  
 दिलदोज (दिलनास्त) 192, 256,  
 311  
 दिलसिंह 355  
 दिलावर खाँ 106  
 दिलावर खाँ पुत्र अल्लाह दाद खाँ  
 105  
 दिलावर खाँ, या दिलर खाँ, पुत्र बहा-  
 दुर खाँ ख्हेला 337  
 दिलावर खाँ, मुहम्मद सादिक 279  
 दिलावर खाँ, शेख अन्दुल मजोब 277  
 दिलावर खाँ, सयद अन्दुरहमान 186  
 272  
 दिलेर खा 102 पा० टि० 145, 152,  
 153, 162 पा० टि० 22, 163  
 पा० टि० 37, 201  
 दिलेर खाँ अन्दुर रऊफ मियाना 293  
 दिलेर खाँ, पुत्र बहादुर ख्हेला 103,  
 271

अनुक्रमणिका

- दिलेर खाँ, मामूर खाँ 347  
 दिल्ली 224 पा० टि० 18 232  
 दीनदार खाँ, उफ मरहमत खाँ 325  
 'दीवान', 82, पद 201, 204, 226  
 दीवानी 115  
 दुरगासिंह, राजा 334  
 दुर्गादास 359 टि०  
 दुर्गादास राठौर 313  
 देनाजी सलबी, राव (वेनाजी) 327  
 देवीसिंह बुन्देला, राजा 191, 261,  
 320  
 देवजी 359  
 देवजी, पुत्र मनकूजी 350  
 देव दुग 92 पा० टि० 16  
 देवराई 192 टि०  
 'देवामुख 127  
 'देसाई' 129  
 'दो ग्रस्था' 229  
 दो ग्रस्था सेहू ग्रस्था' 19, 61, 63,  
 को व्यवत करने का राजकीय ढग  
 63 64, का वेतन 93 पा० टि०  
 31, 237 पा० टि० 17, 65 66,  
 के कत्तय 76  
 'दो दामी 73  
 दोराव खाँ 354  
 दौदीराव 337  
 दीनत अफगान 188, 285  
 दीलतमद खाँ दक्खनी 184, 278
- घमत (घरमत) 37 192 टि०  
 घमऊ 202  
 घोटूजी 312
- 'नक्कारा', सम्मानपत्रक चिह्न 196,  
 के प्रदान करने की विधि 198  
 'नकदी' 113  
 नजफ बुनी 104  
 नजाबत खाँ, पुत्र सैयद मुजफ्फर हैदरा  
 वादी 323  
 नजाबत खाँ, भरवार खाँ पुत्र मिर्जा  
 गुजा नजाबत खाँ 323  
 नजाबत खाँ, मिर्जा गुजा, खान-ए  
 खाना 176, 244  
 नजाबत खाँ, मुहम्मद इशाक 319  
 नजीर खाँ ख्वाजासरा 289  
 'नञ्च 200  
 नन्द नायक 340  
 नन्दलाल 358  
 नरसिंह गौड, राजा 266  
 नवल वाई, पत्नी अंसद खाँ 233  
 नवाजिश खाँ, अब्दुल काफी 260  
 नवाजिश खाँ, मुहम्मद बेग 287, 320  
 नवाजिश खाँ, मुहम्मद आबिद 279  
 नवानगर (राज्य) 146  
 नवाब कासिम, पुत्र दीलत 126  
 नमीर खाँ, शमशेर खाँ, मुहम्मद यूसुफ  
 257  
 नसीरी खाँ 129  
 नमीरी खाँ मिर्हदार खाँ मुहम्मद  
 हुमन 301  
 नमीरी खाँ, सयद मटमूद खान ए दीरौ  
 179, 247  
 नस्त, लिपि 238 पा० टि० 37  
 नस्तालिक, लिपि 238 पा० टि० 37  
 नागोजी माने 215 पा० टि० 99, 301  
 'नाजिम' 203  
 नायूजी दक्खनी 303

- नाबाजी पुत्र साहूजी 348  
 नामदार खाँ 151, 252 306  
 नारनौत्र 232  
 नागजी दशवनी 267  
 नारोजी राघव 322  
 नासिर खानी 237 पा० टि० 35  
 नासिर खाँ ममूर 289  
 नाहर खाँ 318  
 नाहर खाँ सग्राम खाँ गौरी 341  
 निगारनामा ए मुगी 117  
 नियाज 200  
 नियाज खाँ 105  
 नियामत खली 163 पा० टि० 38  
 नियामत उल्लाह 187  
 नियामतुल्लाह पुत्र हिसामुद्दीन खाँ 289  
 नियामतुल्लाह खाँ पुत्र रुकुल्लाह खाँ 358  
 निमार 200  
 नीम आस्तीन 195  
 नुरल हसन 286  
 नुरल हसन बारहा 190  
 नुरल्लाह खाँ 217 320  
 नूर खाँ 106  
 नूरसिंह 335  
 नुसरत खाँ 210 पा० टि० 5 214  
 पा० टि० 95  
 नुसरत खा बखदार खाँ 269  
 नुसरत खाँ नुसरतुल्लाह 262  
 नुसरत खाँ मुहम्मद सामी 353  
 नुसरताबाद 320  
 नेकनाम खाँ बखशी 214 पा० टि० 82  
 नेकनिहाद खाँ 300  
 नेतजी पुत्र खाँडू राव 354  
 नेताजी, पुत्र जान राव 312
- ननाजी (मुम्मन् कृती खाँ) 250  
 नासिन्टो 14  
 नौनिघराय 161 पा० टि० 3  
 नीरोख' 197 200
- पजाय 227  
 पटना 219  
 पनगराव 315  
 पताशाए सम्मान-सूचक चिह्न 196  
 198  
 पदम ए मुरस्ता, एक उपहार 198,  
 212 पा० टि० 41  
 पन्मसिंह, पुत्र राव वरन 357  
 पन्मसिंह बुन्ला 342  
 पनवार 28  
 परनाला 92 पा० टि० 17  
 परमन्वेव पुत्र बेसरीसिंह मिमीदिया  
 339  
 परया नायक 300  
 परसराम 302  
 परसोजी 168 257  
 पहला बिजाई 288  
 पहाडसिंह गौड इन्दरखी का 271, 335  
 पहाडसिंह बुन्देता 350  
 पाटन (सरकार) 114  
 पादगाह कुनी खाँ 300  
 पान उपहार के रूप म 196  
 पाम नायक 303  
 पालमपुर 122  
 पालामऊ 137 146  
 पिपती 222  
 पुरदिल खा भेल (भील) अफगान  
 180, 261

पुरघर 100 पा० टि० 118, 154  
 पुरघर की सचि 146  
 पुरपोतमसिंह 357  
 पूरनमल बु देला 267  
 पेलसट (पलसरट) 90, 226, 238  
 पा० टि० 39  
 पेशवा 84, 199  
 पेगावर 147  
 'प-यात्रो', की परिभाषा 113 133,  
 की बमी 134  
 प्रताप 58 पा० टि० 95  
 प्रताप, पालामऊ का जमीदार 137  
 पा० टि० 38  
 प्रतापसिंह या प्रतापसिंह 98 पा० टि०  
 105  
 'प्रतिबिधत (मगस्त) पद' 62 63  
 प्रेमसिंह श्रीनगर का जमींदार 286  
 पृथीचन्द, राजा 278  
 पृथीराज खानी 174  
 पृथीसिंह 268  
 फजलुल्लाह खाँ, मीर फजलुल्ला 277  
 फतह उल्लाह 209 पा० टि० 4  
 फतह उल्लाह खाँ 100 पा० टि० 118,  
 157  
 फतह उरलाह खाँ पुत्र सईद खाँ तरखान  
 267  
 फतह उल्लाह खान बहादुर आलमगीर  
 घाही 194 317  
 फतह खाँ भीर फतह 271  
 फतह पुत्र हेरान रहेला 354  
 फतह रहेला फतहजग खाँ 179 255  
 फतह जालौरी 104

फतेह, नेवनीयत खाँ का भाई 323  
 फतेहपुर सीकरी 92 पा० टि० 17  
 'करारी' 73  
 फरह चला 275  
 फरहाद खाँ, फरह बेग 278  
 फरीनाबाद 231  
 फरेदुन खाँ 337  
 फरुगियर 118 135  
 फारिख खाँ नज्मगानी 172  
 फाजिल खाँ, ऐतिमाद खाँ, सुरहानुद्दीन  
 317  
 फाजिल खाँ, 'नायब ए मीर सामा' 88  
 202  
 फाजिल खाँ शेख मसदूम यदवी 319  
 फाजिल खाँ शेख मुलमान 341  
 फाजिल खाँ, हाकिम भला-उल मुल्क  
 तूनी 27, 250  
 फाजिलपुर 234  
 फाजिल बेग, तहब्बुर खाँ 347  
 फारस 28 33, 218 222, 237 पा०  
 टि० 35  
 फिदाई खाँ, भवध तथा गोरखपुर का  
 फौजदार 83, 214 पा० टि० 92  
 फिदाई खाँ पुत्र इब्राहीम खाँ 350  
 फिदाई खाँ, तहब्बुर खाँ शेख मीर 312  
 फिदाई खाँ मीर मुजफ्फर हुसन 246  
 फिरगी 81  
 फिरोजजग 164 पा० टि० 63  
 फिरोज जगबहादुर 81  
 फिरोज खाँ मुहम्मद सईद 309  
 फिरोज तुगलक 85 100 पा० टि०  
 124  
 फिरोज मेवाती, फिरोज खाँ 171, 275  
 फिरोजशाह 34

फिलीपीन 218  
 फज उल्लाह खाँ 170, 253 305  
 फौजदार 122  
 'फौजदार 62 128 201 203  
 'फौजदार ए अजमेर' 203  
 फौजदार खाँ 105 271  
 फौजदारी 203  
 फौजी 73  
 फौलाद खाँ, सीपी कामिम 334  
 फौलाद खाँ सीपी फौलाद 272, 336  
 फ्राम 140 पा० टि० 103  
 फ्रेयर (फ्रायर) 151, 230, 233  
 फ्रैक्वाणस मार्टिन 160  
 बगाल 28 80, 117 151 203  
 208 214 पा० टि० 85 219  
 221 222  
 बक बक, मलिक 61  
 बख्तावर खाँ हवाजासरा 344  
 बख्तावर खाँ 48 220 224 पा० टि०  
 18 231 232 288  
 बख्तावरनगर 231  
 बख्तावरपुर 231  
 बख्तियार खाँ, छवास खाँ 181 258  
 बख्तियार खाँ मलिक जीवन 287  
 बख्त खाँ सयद मुजीब 341  
 बख्शी बी जिम्मेवारी 81 82, प्रथम  
 एव द्वितीय 202 204, तृतीय 204  
 'बख्शी ए मरगा' 227 228  
 बगलान 32  
 बघला 28  
 बडगूजर 28  
 बख्शाँ 56 पा० टि० 50, 73, 76

बदनशी 32  
 बटरजी या पाणजी 316  
 बदायुनी 72 73  
 बदायू 61  
 बघाय पुत्र मीरन 352  
 बगम 218  
 बडूखची 80  
 बवालीदाम भरतिया 298  
 बयाजिद पुत्र मूसा 352  
 बयाजी 354  
 'बयूतात ए रिवाज' 202  
 बख्तुरदार खाँ, अफरफ खाँ हवाजा  
 बख्तुरदार 262  
 बख्तुरदार बेग भीर अजुल सला  
 खाँ 352  
 बरनी 59 61, 90 पा० टि० 1  
 बब्रननाज खा 289  
 बदवान 91 पा० टि० 13  
 बनियर 16 31 32 33 37 8  
 117 131 151 200 233, 23  
 235  
 भीर बग का बणन 30,  
 अधिग्रहण की निंदा 89 90,  
 मुगल साम्राज्य की अमफलता  
 कारणों का विश्लेषण 130  
 'यकिनगत सम्पत्ति की पवित्रता  
 विचार से प्रभावित 130  
 बलवन 61  
 बलीराम 208  
 बलोच (बलूच) 28  
 बल्ल 56 पा० टि० 50 63 76  
 बशारत खाँ 358  
 बशीर इमाम उल मुल्क 100 पा० टि०  
 124

अनुक्रमणिका

- बसरा 27, 98 पा० टि० 105 218  
 बहरजी 352  
 बहरमद खाँ 99 पा० टि० 108 130,  
 157, 202, 204 210 पा० टि०  
 5 व 11  
 बहराइच 83  
 बहराजी पाँधरे 301  
 बहराम 104, 188 250 291  
 बहराम खाँ 357  
 बहरन राजा 282  
 बहुरा 204 215 पा० टि० 99  
 बहमज्ज खाँ 321  
 बहादुर खाँ 56 पा० टि० 50, 129  
 बहादुर खाँ कोनलतापा, मीर मलिक  
 हुमन 150, 152 153, 154, 162  
 पा० टि० 14, 26 तथा 30 201  
 207 245 292, की सम्पत्ति  
 अधिगृहीत 102 पा० टि० 146  
 बहादुर खाँ बाकी बेग 167  
 बहादुर खाँ, मस्तम खाँ, रनमस्त प्रली  
 खाँ पत्नी 250 299  
 बाहुर भक्करी सरा गुजाप्रत खा  
 286  
 बहादुर गाह 135, 211 पा० टि० 26  
 बहादुरगिह 353  
 बहार नबी 332  
 बाग (जिमास) राव 181 267  
 बाकी खाँ साहजहानबाद का कोनवाल  
 श्रीर फौजदार 81  
 बाकी खाँ हयात बग खाँ 325  
 बागूजी दवलनी 272  
 बाकी चहान डफ्ते 307  
 बागीराव 318  
 बादिन (बादन) बरिनपार 187, 288  
 बांधू (बाधा) 28  
 बाबर 28 34  
 बाबाजी भागले 181, 262  
 बागी 44  
 बारात' 227  
 'बारावदी' 64  
 बानासार 222  
 बावेरी 208  
 बासनेव 312  
 बिजय पुत्र जान राव 348  
 विजयगिह (विजयगिह) 104 336  
 बिट्टलदास राजा 86  
 बिनकबी 96 पा० टि० 76  
 बियाम राव दणिय व्यास राव  
 विगमूजी 355  
 बिगमसिंह राजा 319  
 बिहार 146  
 बिहारी चंद, पुत्र दलपत कुन्नेला  
 338  
 बीवानर 119  
 बीजापुर 35, 41 43 48, 81 95  
 पा० टि० 49, 99 पा० टि० 118,  
 146 147 151 152 153 154,  
 155, 162 पा० टि० 22 व 32  
 163 पा० टि० 37, 202, 214  
 पा० टि० 91  
 बीजापुरी 28, 43, 95 पा० टि० 49  
 154  
 बीरभान 352  
 बुजारी 78  
 बुगरा खाँ 90 पा० टि० 1  
 बुजुग उम्मेद खाँ 276 311  
 बुद्धसिंह बूदी का राव 322  
 बुदेला 78



- बुरहानपुर 153, 224 पा० टि० 18,  
 234, 236 पा० टि० 6  
 बुलवारिस खाँ 331  
 'बूमी 149  
 बेग मुहम्मद खगामी, दीनदार खाँ  
 182, 263  
 बे-जागीरी 133  
 बेतूजी दखनी 181  
 बेदार बह्त (शाहजादा) 41, 99 पा०  
 टि० 107, 214 पा० टि० 82  
 बेनीशाह दरक उफ प्रकाशगढ 91 पा०  
 टि० 13  
 बेराम (ग्राम) 114  
 बरमखेव मिसीदिया 169 260  
 बसवाटा 124 203  
 ब्रज देश 147  
  
 भक्करी 28  
 भगवन्त 290  
 भगवतसिंह पुत्र छत्रसाल हाडा 262  
 भगवतसिंह राजा, पुत्र जसवतसिंह  
 बु देला 352  
 भगवतसिंह हाडा 186  
 भदौरिया 28  
 भरतसिंह शाहपुरा का राजा 311  
 भाकू बजारा 300  
 भाटी 150  
 भान पुरोहित 138 पा० टि० 47 313  
 भारतीय मुसलमान 35 36 42  
 भानोराव पुत्र करलोजी बंधारा 322  
 भाली राव पुत्र सरुजी 345  
 भावसिंह 356  
 भावसिंह हाडा राव 253 305  
  
 भीम पुत्र तिट्टलदास गौड 174  
 भीमसिंह 106  
 भीमसिंह, राजा 302  
 भीमसिंह श्रीनगर का 285  
 भीमसन 35, 44 55 पा० टि० 19,  
 131, 135 156, 157 208, 215  
 पा० टि० 112, 228, 234 235,  
 236, 237 पा० टि० 19, 243  
 भील ग्रफगान 261  
 भेखू साहू 99 पा० टि० 112  
 भीमराज बछवाहा 273  
  
 मगली खाँ मसूर मगनी 187, 272  
 मगोल 31 59  
 मगूर कागगर का राजा 289  
 मकरमत खाँ मुहम्मद सालह 266  
 मकरमत खाँ मुहम्मद मसूर 279 337  
 मावमूसवाण फौजदार 91 पा० टि० 13  
 मंगल खाँ खराफी 172  
 मज्दरान 28  
 मतलब खाँ बराबाल बेगी 210 पा०  
 टि० 5  
 मथुरा 102 पा० टि० 146 126 208  
 मन्द ए मास 128  
 मन्तसिंह पुत्र सम्भाजी 359  
 मनकूजी दखनी 322  
 मासब 59, का उदभव 60-61  
 'मनसब ए आलिया 359 टि०  
 मनसबदार 19, की सख्या 20 22,  
 का याग 26 के सनिक उत्तर  
 दायित्व 75 76, नकती 79, एव  
 सावजनिक सेवा 201 202, एव  
 मात्र शामक वग 205

- मनीराम 290  
 मनूची 35, 82, 88 127, 157, 158  
 196, 207, 208, 217, 227, 228,  
 229, 230, 233  
 मनोहरदास, राजा 354  
 मनोहरदास, शोलापुर का किलेदार  
 335  
 मनोहरदास सिमोदिया 287  
 मनकू विलाल दक्कनी 262  
 मसूर खा 210 पा० टि० 5  
 मरहमत खाँ 269  
 मरहमत खाँ दीनदार खा 325  
 मरहमत खा, पुन ख्वाजा तालिब,  
 शाहनवाज खाँ 355  
 मरहमत खा, मीर इब्राहीम 354  
 मराठे 40, 41 42 43, 45 47, की  
 सख्या 46 47 155  
 'मलजूस ए-खास 197  
 'मलिक' 59, 61  
 मलिक अम्बर 44  
 'मल्लाही 222 परिभाषा 225 पा०  
 टि० 31  
 मल्हारराव 360  
 मशाए खाँ रिया कोश' 147  
 'मसाएदात 73  
 मसूद खाँ 277  
 मसूद यादगार अहमद बेग खाँ 186  
 261  
 मसूद खाँ सीने मसूद 293  
 महदजी मान 323  
 महदी 290  
 महदी कुली खाँ 263  
 महमनजी 326  
 महमूद दिसजाव 282
- महमूद फौजदार 83  
 महरम खा, ख्वाजा याकूत खा 357  
 महराम खा 301  
 महानजी, पुत्र मनबूजी 322  
 महावत खा 63 92 पा० टि० 18 153  
 महावत खा एक उपाधि 197  
 महावत खा खलीलुल्लाह खा, मुहम्मद  
 इब्राहीम 295  
 महावत खाँ, मिर्जा लहरस्प, 210 11  
 पा० टि० 25 व 27, 214 पा० टि०  
 83, 246, औरगजेव को विरोध  
 पत्र 147 202  
 महाराष्ट 146  
 'महाल 136 पा० टि० 14  
 महार्सिंह भदौरिया 172  
 महार्सिंह मदौरिया, राजा 281, 346  
 महेशदास राठौर 173 277  
 माकूजी 330  
 माघाजी नारायण 333  
 मानघाता राजा 282, 347  
 मानसिंह 37 98 पा० टि० 105  
 मानसिंह कछवाहा 151  
 मानसिंह, भूलर का राजा 183, 273  
 मानसिंह पुत्र रूपसिंह राठौर 275  
 315  
 मानसिंह, पुत्र सम्भाजी 298  
 मानाजी, पुत्र अकूजी 327  
 मानाजी पुत्र नागूजी 350  
 मानाजी पुत्र वनरथजी 284  
 चानाजी पुत्र सम्भाजी 349  
 मानाजी भामले 180 263  
 मामूर खाँ 104  
 मामूर खाँ, मीर अबुल क़ासिम मामूरी  
 185, 278

- मारवाड 39 119, 149, 150  
 'माल ए बाजिवी' 120 126  
 मालवा 37, 41  
 मालूजी, पुत्र सरजी 347  
 मालाजी (मालूजी) 166 24b, 300  
 350  
 मासिक अनुपात या अनुमाप 61, 67  
 127  
 मासिक मान' 43  
 मासूम खा मीर मासूम 263  
 माहदाजी नायक 304  
 'माही 222, परिमापा 225 पा० टि०  
 31  
 'माही मरातिव' 198 211 पा० टि०  
 33 व 34  
 मित्रसेन बुदेला 273  
 मियान दोआब 83  
 मियाना खाँ 353  
 मिराज 216 पा० टि० 129  
 मिर्जा अली अरब कलदर खाँ 284  
 मिर्जा खाँ पौत्र अदुरहीम खाँ 257  
 मिर्जा खा मनुधिहर 257  
 मिर्जा जाफर अल्लाहखर्दी खाँ 252  
 मिर्जा नियामतुल्लाह, सोहराव खाँ 276  
 मिर्जा नियामतुल्लाह सोहराव वेग 340  
 मिर्जा वेग खा 352  
 मिर्जा मुइज्जफितरत मौसवी खाँ 332  
 मिर्जा मुहम्मद ताहिर 238 पा० टि०  
 17, 280  
 मिर्जा रहुल्ला पुत्र यूसुफ खा तागदी  
 283  
 मिर्जा सफवी खाँ 215 पा० टि० 107  
 मिर्जा सफवी खा, मीर अली नवी  
 सफवी 318  
 मिर्जा सुल्तान सफवी 178, 252  
 मिर्जा हकीम 29  
 मिस्र 28  
 मिर्ची अफगान 185 273  
 मीर अजीज 81 289  
 मीर अबुल मन्नाली 189 259  
 मीर अबुल हसन शाह बुजाइ 289  
 मीर अब्दुल मावूद (भक्करी) 290  
 मीर अरब बख्तखरी 285  
 मीर अली अकबर 286  
 मीर अहमद 184  
 मीर अहमद खवाफी मुस्तफा खा 256  
 मीर अहमद सभ्रादत खा 257  
 मीर इब्राहीम मीर तुजुक 274  
 मीर खलील 232 238 पा० टि० 17  
 मीर खाँ अब्दुल वाहिद 353  
 मीर खा, पुत्र अमीर खाँ 210 पा० टि०  
 25 351  
 मीर खाँ पुत्र खलीलुल्लाह खाँ 253  
 मीर गयासुद्दीन 275  
 मीर जियाउद्दीन हुसन हिम्मत खा  
 इस्लाम खा 178  
 मीर तकी 261  
 मीर नियामतुल्लाह 279  
 मीर पुत्र नकनीयत खा 329  
 मीर पुत्र मीरान 314  
 मीर फज उल्लाह 214 पा० टि० 94  
 मीर बक्षी 202 204  
 मीर बहादुर दिलजान सिपर खा 185  
 286 353  
 मीर बानूर खा 282  
 मीर बानी बाकी खाँ 286  
 मीर बुरहानी 283  
 मीर मलिक हुसन बहादुर खाँ 179

- मीर महदी यज्दी 289  
 मीर मासूम खाँ 182  
 भार मीरान 171  
 'मीर-मुशी' 207  
 मीर मुबारकुल्लाह 105  
 मीर मुराद मज्दानी, भरत खा 182  
 270  
 मीर मुहम्मद, अगहर खा 253, 305  
 मीर मुहम्मद अशरफ, अशरफ खा,  
 ऐतिमाद खा 260  
 मीर मुहम्मद इशाक, इरादत खाँ 256  
 मीर मुहम्मद इशाक, मुकरम खाँ 254,  
 306  
 मीर मुहम्मद महदी उरदिस्तानी 188  
 264  
 मीर मुहम्मद सतीफ 105  
 मीर मुहम्मद सईद मीर जुमला,  
 मुअज्जम खा 27 33 146 176,  
 212 पा० टि० 51, 214 पा० टि०  
 85, 217 218 219 221 224  
 पा० टि० 5 व 7, 225 पा० टि०  
 29, 232 245  
 मीर मुहम्मद सजी 106  
 मीर मुहम्मद हादी हकीम-उद मुल्क  
 307  
 मीर राजी उद्दीन 276  
 मीर रस्तम खवाफी 171, 274  
 मीर शमसुद्दीन मुस्तार खाँ, पुत्र मुस्तार  
 खाँ 181  
 मीर शहाबुद्दीन 293  
 मीर सालेह 184 278  
 मीर सुन्तान हुसन, इफ्तिसार खाँ 256  
 मीर हुसन रहीम खाँ का भाई 339  
 मीरात घल इस्तिखात् 62 113, 124  
 मीरात ए अहमदी 79, 118 121,  
 122, 222  
 मीरान 304  
 मुअज्जम (शहजादा) 57 पा० टि० 59  
 मुअज्जम खाँ 204  
 मुईन खा 279  
 'मुक्द्दम' 129  
 मुक्दसिंह हाडा 168  
 मुकरब खा, खान ए जमा, फतहजग  
 157, 294  
 मुकरम खाँ 137 पा० टि० 27  
 मुकरम खाँ, मीर मुहम्मद इशाक 306  
 मुकरम खा सफवी, मुराद खा 189,  
 249  
 'मुकररतलब 71, 115  
 मुकीम खाँ, मुहम्मद मुकीम 285  
 मुखलिस खाँ 170 215 पा० टि० 107  
 मुखलिस खाँ, काजी रिजाम करदाजी  
 263  
 मुखलिस खाँ, बहवी उल मुल्क 102  
 पा० टि० 146  
 मुखलिस खा, मीर शम्सुद्दीन 308  
 मुन्नलिस खा, मुल्ला याहिया 267  
 मुस्तार खाँ, गुजरात का नाजिम 88  
 मुस्तार खाँ, मीर कमरुद्दीन 308  
 मुस्तार खाँ, मीर शम्सुद्दीन 251, 303  
 मुगल 31, 32, 229  
 मुगल खाँ 168  
 मुगल खाँ, अरब दोल 259, 308  
 मुगल खाँ, मुहम्मद मुकीम 168, 173  
 मुगल खाँ शुजामत खाँ उफ शाद खाँ  
 263  
 मुजफ्फर पुत्र शेर बाबी 92 पा० टि०  
 16

- मारवाड 39 119, 149, 150  
 माल-ए-बाजिबी' 120, 126  
 मालवा 37 41  
 मालूजी, पुत्र सरजी 347  
 मालोजी (मालूजी) 166 248, 300  
 350  
 मासिक अनुपात या अनुमाप 61, 67  
 127  
 मासिक मान' 43  
 मासूम खाँ मीर मासूम 263  
 माहदाजी नायक 304  
 माही 222, परिभाषा 225 पा० टि०  
 31  
 'माही मरातिव 198 211 पा० टि०  
 33 व 34  
 मित्रसेन बुदेला 273  
 मियान दोघाब 83  
 मियाना खा 353  
 मिराज 216 पा० टि० 129  
 मिर्जा अली अरब कलंदर खा 284  
 मिर्जा खा पौत्र अब्दुरहीम खा 257  
 मिर्जा खाँ मनुचिहर 257  
 मिर्जा जाफर, अल्लाहवर्नी खाँ 252  
 मिर्जा नियामतुल्लाह साहराब खाँ 276  
 मिर्जा नियामतुल्लाह सोहराब बेग 340  
 मिर्जा बेग खा 352  
 मिर्जा मुइज्जफित्तरत मौसवी खाँ 332  
 मिर्जा मुहम्मद ताहिर 238 पा० टि०  
 17 280  
 मिर्जा खट्टला पुत्र यूसुफ खाँ तासकन्दी  
 283  
 मिर्जा सफवी खा 215 पा० टि० 107  
 मिर्जा सफवी खा, मीर अली नकी  
 सफवी 318  
 मिर्जा सुल्तान सफवी 178, 252  
 मिर्जा हसीम 29  
 मिस्र 28  
 मिस्री अफगान 185, 273  
 मीर अजीज 81 289  
 मीर अबुल मन्नाली 189, 259  
 मीर अबुल हसन शाह गुजाई 289  
 मीर अबुल मावूद (भवारी) 290  
 मीर अरब बख्शरी 285  
 मीर अली अकबर 286  
 मीर अहमद 184  
 मीर अहमद खवाफी मुस्ताफा खाँ 256  
 मीर अहमद सम्राटत खा 257  
 मीर इब्राहीम मीर तुजुक 274  
 मीर खलील 232 238 पा० टि० 17  
 मीर खाँ अबुल वाहिद 353  
 मीर खाँ पुत्र अमीर खा 210 पा० टि०  
 25 351  
 मीर खाँ पुत्र खलीलुल्लाह खा 253  
 मोर गयासुद्दीन 275  
 मोर जियाउद्दीन हुसन हिम्मत खाँ  
 इस्लाम खा 178  
 मीर तकी 261  
 मीर नियामतुल्लाह 279  
 मीरद, पुत्र नकनीयत खा 329  
 मीर पुत्र मीरान 314  
 मीर फज उल्लाह 214 पा० टि० 94  
 मीर बरशी 202 204  
 मीर बहादुर निलजान सिपर खा 185  
 286 353  
 मीर बाबर खा 282  
 मीर बाकी बाकी खाँ 286  
 मीर बुरहानी 283  
 मीर मलिक हुसन बहादुर खा 179

- मीर महदी यरुदी 289  
 मीर मासूम खा 182  
 मार मीरान 171  
 'मीर मुशी' 207  
 मीर मुबारकुल्लाह 105  
 मीर मुराद मजदानी, गरत खा 182  
 270  
 मीर मुहम्मद, अगहर खाँ 253 305  
 मीर मुहम्मद अशरफ, अशरफ खा,  
 ऐतिमाद खाँ 260  
 मीर मुहम्मद इशाक, इरान्त खा 256  
 मीर मुहम्मद इशाक, मुकरम खाँ 254,  
 306  
 मीर मुहम्मद महदी उरन्दिस्तानी 188  
 264  
 मीर मुहम्मद लतीफ 105  
 मीर मुहम्मद मईन, मीर जुमला,  
 मुअज्जम खाँ 27 33 146, 176,  
 212 पा० टि० 51, 214 पा० टि०  
 85, 217, 218 219 221, 224  
 पा० टि० 5 व 7, 225 पा० टि०  
 29 232, 245  
 मीर मुहम्मद सजी 106  
 मीर मुहम्मद हादी हकीम उल मुक  
 307  
 मीर राजी उद्दीन 276  
 मीर रस्तम खवाफी 171, 274  
 मीर राममुद्दीन मुस्तार खाँ पुत्र मुस्तार  
 खाँ 181  
 मीर राहाबुद्दीन 293  
 मीर सालेह 184, 278  
 मीर सुल्तान हुसन इफ्तखार खाँ 256  
 मीर हुसन, रहीम खाँ वा भाई 339  
 मीरात घल इस्तिताह 62 113, 124  
 मीरात ए अहमदी 79 118, 121,  
 122, 222  
 मीरान 304  
 मुअज्जम (शहजादा) 57 पा० टि० 59  
 मुअज्जम खाँ 204  
 मुईन खाँ 279  
 'मुकद्दम 129  
 मुकदसिह हाडा 168  
 मुकरव खा, खान ए जमा फतहजग  
 157, 294  
 मुकरम खा 137 पा० टि० 27  
 मुकरम खाँ मीर मुहम्मद इशाक 306  
 मुकरम खाँ सफवी मुराद खाँ 189,  
 249  
 'मुकररतलव 71, 115  
 मुकीम खाँ, मुहम्मद मुकीम 285  
 मुखलिस खाँ 170 215 पा० टि० 107  
 मुखलिस खाँ काजी निजाम करणजी  
 263  
 मुखलिस खाँ बन्शी उल मुल्क 102  
 पा० टि० 146  
 मुखलिस खाँ, मीर राममुद्दीन 308  
 मुखलिस खाँ, गुल्ला याहिमा 267  
 मुस्तार खाँ गुजरात वा नाजिम 88  
 मुस्तार खाँ मीर राममुद्दीन 308  
 मुस्तार खाँ मीर राममुद्दीन 251, 303  
 मुगल 31, 32, 229  
 मुगल खाँ 168  
 मुगल खाँ, अरव गेह 259 308  
 मुगल खाँ मुहम्मद मुकीम 168, 173  
 मुगल खाँ मुजाफत खाँ उफ साद खाँ  
 263  
 मुजफ्फर पुत्र दोर वाबी 92 पा० टि०  
 16

मुञ्जफर खाँ, मुहम्मद बन्दा 335  
 मुञ्जफर खाँ सयद शेरजमाँ वारहा  
 181, 263, 324  
 मुजाहिद खाँ स्वाजा मुहम्मद अरिफ  
 321  
 मुजाहिद खाँ, सयद हामिद खाँ 316  
 मुजाहिद खाँ सयद हामिद बुखारी  
 284  
 मुजाहिद बीजापुरी 266  
 मुतकाद खाँ मुहम्मद कुली 265 326  
 मुतवर खाँ अब्दुल कादिर 323  
 मुतमाद खाँ, कासिम खाँ मुहम्मद  
 कासिम 247  
 मुतमान् खाँ, स्वाजा नूर (हिजडा)  
 277 341  
 मुतमान् खाँ देव अफगान 344  
 'मुतसद्दी 121, 202  
 मुतालिबा 73, 235  
 मुनवर खाँ जमीनार 278  
 मुनवर खाँ वारहा, लखर खाँ 314  
 मुनवर खाँ गेख मीरान 302  
 मुनीम खाँ 210 पा० टि० 5 325  
 मुनीम खाँ मुहम्मद मुनीम 85  
 मुफस्वीर खाँ इफिनखार पुत्र फकीर  
 खाँ 286, 346  
 मुफ्तखार खाँ खान अजमाँ मीर  
 खलील 249 300  
 मुफ्तखार खाँ, तारीफ खा अली कुली  
 275  
 मुफ्तखार खा, सफुल्लाह खा 324  
 मुबारक खाँ नियाजी 265  
 मुबारिक खाँ, सयद मुराद अली 320  
 मुबारिज खाँ 255  
 मुरब्बी 135

मुराद कुली मुल्तान घक्तर 271  
 मुराद खाँ तिब्बत का जमीदार 282  
 मुराद घटा 143, 192 टि०, के समथव  
 उत्तराधिकार के युद्ध म 145 191  
 192  
 मुरीद खाँ भावसिंह 286  
 मुतजा पुत्र मसूद खाँ 329  
 मुनगा कुली खाँ 356  
 मुतजा खाँ पुत्र वावर खाँ 98 पा०  
 टि० 107  
 मुतजा खाँ, मिर्जा मतलब 331  
 मुतजा खाँ सयद इब्राहीम 168  
 मुतजा खाँ सयद मुबारक 261, 318  
 मुतजा खाँ सयद ग्राह मुहम्मद,  
 घुसारा का 182 248  
 मुर्गीद कुली खाँ, एक उपाधि 197  
 मुर्गीद कुली खाँ बरतलब खाँ, जाफर  
 खाँ 179 328  
 मुल्तफत खाँ मीर इब्राहीम हुसन 268  
 मुल्तफात खाँ आबम खाँ 178 238  
 पा० टि० 17, 253  
 मुल्तफात खाँ, मीर खाँ बहमनी 334  
 मुल्ला अहमद नथा 54 98 पा० टि०  
 107 246  
 मुल्ला इबाज वाजेह (वाजिह) 55  
 पा० टि० 20 122 289  
 मुवाजना ए दह साला 116  
 मुगरिफ ए तजाना 227  
 मुगरिफ ए मक्कार 227  
 मुमावी खाँ 238 पा० टि० 17  
 मुस्तफा, पुत्र मसूद खाँ 352  
 मुस्तफा खा काशी 275 339  
 मुस्तफा खाँ सयद इब्राहीम दारा  
 शिकोही 275

- मुहम्मद अमीन खाँ 88, 101 पा० टि० 142, 114 136 पा० टि० 13, 159, 202, 209 पा० टि० 1, 246 297  
 मुहम्मद अमीन खाँ चित बहादुर 306  
 मुहम्मद अली 314  
 मुहम्मद अली, पुत्र तकरुव खाँ 270  
 मुहम्मद अली खाँ 268  
 मुहम्मद अली खाँ, पुत्र हजीम दाऊ 324  
 मुहम्मद अशरफ 238 पा० टि० 17  
 मुहम्मद असलम खाँ 358  
 मुहम्मद आबिद 284  
 मुहम्मद इब्राहीम, असद खाँ 248, 294  
 मुहम्मद इस्माइल पुत्र नजावत खाँ 186 273  
 मुहम्मद इस्माइल, ऐतिवाद खाँ 210 पा० टि० 25 269  
 मुहम्मद इब्नाजिम 21, 38 54 पा० टि० 8  
 मुहम्मद कामयाब 105  
 मुहम्मद कासिम पुत्र शेख खाँ 106  
 मुहम्मद कामिम अली मर्तानखानी 289  
 मुहम्मद कुली खाँ 357  
 मुहम्मद खाँ वीजापुरी 348  
 मुहम्मद जमाँ खाँ लाहानी 356  
 मुहम्मद जान बेग 129  
 मुहम्मद जाफर पुत्र महरम खाँ 102 पा० टि० 146 351  
 मुहम्मद तकौ पुत्र दाराब खाँ वानी मुस्तार 327  
 मुहम्मद ताहिर, गुजरात का दीवान 88  
 मुहम्मद ताहिर मरहूदी वजीर खाँ 117  
 मुहम्मद दरब सा 278  
 मुहम्मद परामी 314  
 मुहम्मद बनी बल्खी 319  
 मुहम्मद बदी मुल्तान 260  
 मुहम्मद बाबुर 129  
 मुहम्मद बेग 83 92 पा० टि० 16, 171 178 278  
 मुहम्मद बेग खाँ 346  
 मुहम्मद मुमजजम, शाह आलम दखिये  
 मुहम्मद मुवीम 188, 208  
 मुहम्मद मुवीम मुगल खाँ 173  
 मुहम्मद मुनीम 129, 263  
 मुहम्मद मुनीम खाँ 184  
 मुहम्मद मुराद 106  
 मुहम्मद मुराद खाँ 104, 157, 348, 304  
 मुजाअत खाँ स विरोध 163 पा० टि० 57  
 मुहम्मद मुराद खाँ सोलत जगवहादुर 308  
 मुहम्मद यूसूफ गमशेर खाँ, नसीर खाँ 257  
 मुहम्मद रजा 355  
 मुहम्मद रफी 105 349  
 मुहम्मद लतीफ 88  
 मुहम्मद शरीफ 106  
 मुहम्मद शरीफ कुलीख खाँ 175  
 मुहम्मद शरीफ पालवजी 184, 273  
 मुहम्मद सईद 237 पा० टि० 35  
 मुहम्मद सरदार पुत्र दीनदार 106  
 मुहम्मद सलीम 287  
 मुहम्मद सादिक 187  
 मुहम्मद सादिक खाँ 215 पा० टि० 100  
 मुहम्मद सालेह 105 199



- मुहम्मद सालेह बम्बो 20 21, 38, 47,  
92 पा० टि० 17
- मुहम्मद सालेह तरखान 168, 275
- मुहम्मद सालेह वजोर खा 172
- मुहम्मद हाशिम 121, 132, 140 पा०  
टि० 105
- मुहम्मद हुसन पुत्र रशीद खाँ 101  
पा० टि० 136
- मुहम्मद हुसन बम्बो 129
- मुहम्मद हुसन सिलदोज 175, 289
- 'मृहासिवा 74
- मदनीपुर 91 पा० टि० 13
- मेदनीसिह 268
- मवाह 39, 57 पा० टि० 72 162  
पा० टि० 14
- मोइनुल्लाह 300
- मोमीन खाँ नज्मसानी 152
- मोरलण्ड डब्लू० एच० 16 30, 61  
66, 74, 90, 115, 120 132  
139 पा० टि० 72
- मोखा 218
- माहकमसिह, राव 29 , 337
- मोह्तशम खाँ मीर इब्राहीम 274,  
306
- मोह्तशाम खाँ 104, 345
- मोह्तसिह 215 पा० टि० 101
- मोसवी खा, मिर्जा मुइज्ज फितरत 332
- 'यक' अस्प 229, का वेतन 237 पा०  
टि० 17
- यकताज खा 270 354
- यकताज खाँ, मुखलिस खा, अब्दुल्लाह  
वंग 180, 258
- यलिंगतोग खान बहादुर 270, 320
- यशवतराय, करतलव खाँ 251
- यशवतराय दक्खनी 303
- यसजी पुत्र बहारजी 348
- याकूत खाँ 269
- याकूब खा 336
- याजदानी 274
- यादगार वेग 172
- यादू घोड 80
- यासीन खाँ 328
- याहया पागा 276
- यूरोप 14
- यूसुफ खाँ ताशकन्ती 283
- यूसुफ खाँ, यूसुफ बीजापुरी 277
- यूसुफजई 28, 147
- रघुजी घोपरे 286
- रघुनाथ, राजा 27 202
- रघुनाथ रामरायान 260
- रघुनार्थसिह 99 पा० टि० 115
- रघुनार्थसिह भरतिया 276
- रघुनार्थसिह मरठा 276, 340
- रघुनार्थसिह राठौर 277
- रघुनार्थसिह सिसौदिया च द्रावत 260
- रघुजी 275 323
- रजी पुत्र अफजल खाँ 277
- रजीउद्दीन मुहम्मद हैदराबादी 254
- रतन राठौर 170
- रतलाम 195
- रद अन्दाज खा 92 पा० टि० 16,  
124, 126 155, 352
- रद अन्दाज वंग (गुजायत वेग) 183,  
253

- गन्दोना खाँ ग्राजी बीजापुरी 177,  
 215 पा० टि० 99, 251, 303  
 रत्नमस्त खाँ पत्नी चहादुर खाँ 250,  
 299  
 रबी 117  
 रम्भाजी दक्कनी 272  
 रसोद खाँ 207  
 रशीम खाँ, बदीउरमाँ महावतखानी 344  
 'रसद-ए-खुराव' 72 73  
 रमिकनास करोडी 120, 121, 124,  
 132  
 रहमान खाँ 87, 171, 192  
 रहमत खाँ, खियाउद्दीन 270  
 रहमत खाँ, मोर इमामुद्दीन 270  
 रहमान खाँ 343  
 रहमान दाद खाँ 104 347  
 'रहलखा' 210 पा० टि० 11  
 रहीमउद्दीन खाँ 159 343  
 रहीम दाद खाँ 163 पा० टि० 56  
 'राग-पथ 238 पा० टि० 37  
 राजपूत 29, 36 37, 45, 47, 229,  
 की उप-जातिमाँ 28 के (सम्बोधित)  
 कुल 28 का भाग 38, का  
 1680-81 म विद्वाह 39, की  
 भानुपातिक मख्या 40 के प्रति  
 औरगजेय की नीति 148  
 राजपूताना 40  
 राजरूप बौहिस्तानी राजा 180  
 राजरूप, मुरपुर का राजा 254  
 राजसात (जब्त) धदा 84 88  
 राजसिंह, टोडा का फौजदार 58 पा०  
 टि० 95, 99 पा० टि० 107  
 राजा 28  
 राजाजी जनादन 302  
 राजाराम 156, 157, 159  
 राठौर 28, 40, 149 150, बीकानेर  
 के 150  
 राणा प्रमरसिंह 40  
 राणा गरीबदास सिसौदिया 192  
 राणाजी 338  
 राणा राजसिंह 36, 57 पा० टि० 72  
 143, 176, 212 पा० टि० 51,  
 246, 296  
 राना 28  
 रानी हाडो 149  
 रामचन्द्र 103  
 रामचन्द्र, बहुतातून का जमीदार और  
 मानेदार 326  
 रामचन्द्र, पुत्र दत्तपत बुदला 106  
 रामनगर 92 पा० टि० 16  
 रामराय, पुत्र मनपतराय 350  
 रामसिंह कछवाहा 247, 299  
 रामसिंह, कुवर 169, 210 पा० टि० 5  
 रामसिंह, पुत्र रतन राठौर 281,  
 328  
 रामसिंह राठौर 168  
 रामसिंह तिनौदिया राजा 322  
 रामसिंह हाडा 41, 158, 236 पा०  
 टि० 11, 315  
 रामाजा 350  
 राय भान 298  
 राय मवरन्द 273  
 रायसिंह राजा 98 पा० टि० 98  
 रायसिंह राठौर 251  
 रायसिंह सिसौदिया राजा 166 248  
 रायसन 203 214 पा० टि० 94  
 रायान 28  
 राव 28

- राव करन भरतिया 57 पा० टि० 61,  
 138 पा० टि० 45, 256  
 राव छत्रसाल हाडा 167  
 रावणी 331  
 राव जोगहट्ट 355  
 रावतभन भाला 91 पा० टि० 13 92  
 पा० टि० 17 105  
 राव दलपत 103, 159  
 राव भार्गसिंह हाडा 253 305  
 राव मानसिंह पुत्र जादौराय 355  
 राव रतनसिंह इस्लाम खा 338  
 राव रामचंद्र पुत्र दलपत बुंदेला 326  
 रावल रामसिंह डूंगरपुर का 348  
 राहदारी 121 222, की परि  
 भाषा 225 पा० टि० 31  
 राहैरी 203 214 पा० टि० 92  
 रिआमत खाँ 271  
 रिजवी खा सयद अली 260 319  
 रस्तम मुतमाद खा 357  
 रस्तम अली उफ इनायत खा 334  
 रस्तम खा पुत्र मजलवास्त खा 282  
 रस्तम खाँ फिरोजजग दक्खनी 165  
 रस्तम खाँ, सयद फीरोज 171, 280  
 रस्तम दिल खा 98 पा० टि० 107  
 321  
 रस्तम राव 181 263  
 रहुल्लाह खा 98 पा० टि० 107 136  
 पा० टि० 13 202 299  
 रहु-उल्लाह खा, पुत्र खलीलुल्लाह खा  
 270  
 रहुल्लाह नक्नाम खाँ पुत्र हिम्मत खाँ  
 मोर ईसा 351  
 रूपसिंह राठौर, राजा 167  
 रुम 28
- रुमी 81  
 रुसी 28  
 'रयती 125  
 रामन साम्राज्य 14  
 रोह 34  
 राहिला 28  
  
 लग नायब 356  
 लगाह 28  
 लछमन पाती 333  
 लतीफ खाँ 331  
 लश्कर खाँ 214 पा० टि० 86  
 लश्कर खाँ पुत्र समद खान ए-जहाँ  
 वारहा 157  
 लश्कर खा जानिसार खा यादगार  
 बेग 248  
 लश्कर खा, मुनवर खा वारहा 314  
 लारी 28  
 लाहौर 120 224 पा० टि० 18, 232  
 लाहौरी, अहुन हमीद 19 20 36  
 54 पा० टि० 8 76 69  
 लेतापाल जातिया 27  
 लोदी 28  
 लोदी खा 328  
 लोदी खा मुजफ्फर लोदी 179, 258  
 सादी साम्राज्य 34  
 लोनार फौजदारी 92 पा० टि० 16  
 लोहगढ 204, 215 पा० टि० 100  
  
 बनिनकेरा 159  
 बकील ए तिलसोज 135  
 'बजा ए गरहाजिरी' 231

- बजोर खाँ 204  
 बजोर खाँ, मिर्जा अस्वरी 334  
 बजोर खाँ, मुहम्मद ताहिर मरहदी  
 177, 247  
 बजोर खाँ, मुहम्मद सातेह 172  
 बजोर बग, इराकत खाँ 264  
 'बतन' 119  
 'बतन-जतगोर' 26, 40, का उद्भव  
 और परिभाषा 119  
 बलीदाद 105  
 बलीदाद खाँ 92 पा० टि० 16  
 बली बेग बलाली 287  
 बली मिहालदार (महलदार) 181,  
 268  
 बहीद खाँ, पुन जकिया 349  
 बाक्या ए अजमेर 40, 79, 124, 148  
 'बाकिया ए-नबीस' 128, 208  
 'बाज ए दाम ए बोवाई' 71  
 बाकरराव 285  
 बारिस 20 36  
 बिक्रमसिंह गुजर का राजा 265  
 बिक्रमसिंह कुबर 104, 336  
 बिदनूर, परगना 99 पा० टि० 112  
 बिलियम नौरिस 207  
 बिलियम स्टुअर्ट 238 पा० टि० 42  
 बस्य 28  
 ब्यकट 357  
 ब्यासराव, या बियासराव 267  
  
 बाबूर खाँ बीजापुरी 352  
 बाफी खाँ, हाजा मुहम्मद बाफी 288,  
 344  
 बाब्वीर पन्तो 339  
  
 बामसेर खाँ तारीन, हुसैन खाँ 319  
 बामसेर खाँ, मीर बाबूब 290  
 बामगेर खाँ, मुहम्मद इब्राहीम कुरंशी  
 327  
 बामसेर खाँ ह्यात तारीन 257  
 बाम्भाजी 150 152, 153, 246  
 बाम्मुद्दीन हनेसागी 179, 258  
 बाम्मुद्दीन खाँ, हकीम बाम्स 318  
 बारजा खाँ, अब्दुरहमान बीजापुरी  
 180, 255 330  
 बारजा खाँ, रुस्तम खाँ, सैयद मन्सूर  
 294  
 बारजा राव बावा 275  
 'बारियत' 205  
 बारीक 356  
 बारीक खाँ, राजा साह 283, 333  
 बारीफुन मुन्क हैन्द्रावादी 314  
 बार्मा एम० घाट० 40, 46 58 पा०  
 टि० 95  
 बाह्बाज खाँ अक़गान 271  
 बाहलवार खाँ 345  
 बाहामत खाँ सयद कासिम बारहा  
 314  
 बाकिर खाँ 106  
 बायस्ता खाँ मिर्जा अबु नानिन 33,  
 146 151, 153, 154, 177, 208,  
 209 पा० टि० 1, 214 पा० टि०  
 85, 219, 220, 222 224 पा०  
 टि० 14, 232 237 पा० टि०  
 34 245, 292, का सम्पत्ति अधि  
 गहीत 102 पा० टि० 146,  
 मराठा का विरोधी 155, खान-ए-  
 जहाँ की उपाधि छोड़ी 197  
 बाह् बालम, बाह्बादा 99 पा० टि०

- 109 व 118, 122 129 152  
 162 पा० टि० 22, दक्कन म  
 अग्रगामी नीति का विरोधी 152
- शाह कुली खाँ महरम 341
- शाह कुली खाँ मुहम्मद अमीर 303
- शाह कुली खाँ, सुल्तान बग 265
- शाहजहाँ 18 19, 20 22, 23 27  
 33 34 42 43 44 66 67,  
 86 128, के शासनकाल म जात/  
 सवार मनसबो मे छुड़ वृद्धि 22, 54  
 पा० टि० 4, राजपूत अमीरो की  
 सख्या म वृद्धि 36, के मराठे  
 मनसबदार 45, क हिंदू मनसब  
 दार 38, 46 47, मामिन अनुमाप  
 सम्बन्धी फरमान 68 69, 79 80,  
 के दो अस्था सह अस्था क मनसब  
 दार 63, क अतगत खालिसा का  
 विस्तार 113 114, द्वारा माहो  
 मरतिब' प्रचलित 198
- शाहजहानाबाद 81, 231
- शाहनवाज खाँ 44, 83
- शाहनवाज खाँ, मिर्जा सदरुद्दीन  
 मुहम्मद खाँ सफवी 309
- शाहनवाज खाँ सफवी 166 192 टि०,  
 214 पा० टि० 84, 245
- शाहपुर 311
- शाहवाज 191
- शाह बेग खाँ 211 पा० टि० 35  
 251
- शाहमात खाँ, गजनी का फौददार 83
- शाही खाँ शाह बग खा काशगरी  
 280 343
- शाहू 45, 159 293
- 'शिकदार 123
- शिकस्ता लिपि 238 पा० टि० 37
- शिया 29, 33, अधिकांश ईरानी शिया  
 33
- शिवजी पुत्र मारुजी 335
- शिवराम गौड 170
- शिवसिंह 328
- शिवसिंह पुत्र नूरसिंह 338
- शिवाजी 45 100 पा० टि० 118,  
 146 147, 155, 162 पा० टि०  
 26, 209 पा० टि० 1 व 5
- शुबरुल्लाह खाँ 105
- शुकरुल्लाह खाँ खवाफी 335
- शुजा 33, 37 168 पा० टि०, के  
 समयक 143 145, के समयक  
 उत्तराधिकार के युद्ध म 189 190
- शुजाअत खाँ 92 पा० टि० 16, 163  
 पा० टि० 57, 221
- शुजाअत खाँ, भरतलब खाँ, मुहम्मद  
 बेग 298
- शुजाअत खाँ, गुजरात का सूबेदार 87,  
 91
- शुजाअत खाँ, मुहम्मद शुजा 288 332
- शुजाअत खाँ, सयद मुजफ्फर बाराहा  
 271
- शुजाअत खाँ हैदराबादी 299
- शुजा खाँ, गरत बग 187, 282
- शुजात खाँ गरत खाँ, मुहम्मद इब्रा  
 हीम 180 248, 299
- शुभकरन बुदेला 188 262, 321
- शेख अनवर 92 पा० टि० 16
- शेख अब्दुल अजीज 185
- शेख अब्दुल करीम यानेश्वरी 268
- शेख अब्दुल काबी (ऐतिमाद खाँ)  
 55 पा० टि० 20, 185, 250

- दोस्र भन्दुल हामिद 281  
 दोस्र भन्दुल्लाह 323  
 दोस्र भली बीजापुरी 280  
 दोस्र इकरामउद्दीन, पुत्र दोस्र मुही  
 उद्दीन 87  
 दोस्र उल इस्लाम, मुख्य काजी 154,  
 202  
 दोस्र गुलाम मुस्तफा 238 पा० टि० 37  
 दोस्रजादे 28, 29, 31, 35, 229  
 दोस्र नासिरुद्दीन चिराग 232  
 दोस्र निजाम बुरेशी 280  
 दोस्र निजाम जुनवी हैदराबादी 294  
 दोस्र निजाम, पुत्र दोस्र फरीद 287  
 दोस्र फरीद, उक्त इखलास खां, ऐहति  
 नाम खां 252  
 दोस्र मोरव हाबी 260  
 दोस्र मीर खवाफी 177, 247  
 दोस्र मुषर्रजम 172  
 दोस्र मुस्तफा 354  
 दोस्र मुहीउद्दीन, सद्द' एव 'अमीन  
 87  
 दोस्र राजीउद्दीन खां 340  
 दोस्र लाडू 307  
 दोस्रवाघत 28  
 दोस्र घदाड खां, या तीर अन्दाज खां  
 332  
 दोस्र अफगन खा 87  
 दोस्र अफगान 103, 289, 337  
 दोस्र खां 129  
 दोस्र बाज खां 301  
 दोस्र बाबी 92 पा० टि० 16  
 दोस्रसिंह, राजा चन्वा का जमीदार  
 287  
 दोस्रसिंह राठौर 280  
 दोस्रहन 224 पा० टि० 5  
 दोस्र निजाम 175  
 दोस्र मीर 56 पा० टि० 45  
 दोस्रलापुर 101 पा० टि० 136, 359  
 श्रीनगर 28  
 श्रीरमा रायत, फर्नाटव का जमीदार  
 212 पा० टि० 51  
 सभ्रादत खां 80, 255  
 सभ्रादत खां, खलीफा मुल्तान का  
 दामाद 262  
 सभ्रादत खां, मीर अहमद 311  
 सभ्रादतमद खां 301  
 सईद खां, भन्दुल्लाह खां 170, 258  
 सईद खां, खानाजाद खां, असलान खां,  
 मुहम्मद रशीद 322  
 सक्त ए रिदवत 135  
 सजावर खां, ईसा बेग 185  
 सजावर खां, शफवतुल्लाह 278, 343  
 सजावल 72 129  
 सतनामी 147  
 सतवाद दफ्लया 297  
 सतीगचन्द्र, डॉ० 158  
 सद्द ए-नुल' 202  
 स'ताजी जादीन 58 पा० टि० 95  
 सफदर खां मिर्जा जमालुद्दीन हुसैन  
 333  
 सफवी 31, 32  
 सफवी खां, मिर्जा मीर अली नक्वी  
 सफवी 318  
 सफशिकन खां 106 129, 164 पा०  
 टि० 63  
 सफशिकन खां, इफ्तखर खां 305

- सफशिकन खाँ पुत्र क्रिबामुद्दीन खाँ 157
- सफशिकन खाँ, मोर सदुद्दीन 305
- सफशिकन खाँ मुहम्मद शुजा 332
- सफशिकन खाँ मुहम्मद ताहिर 182 257
- सफी खाँ 259, 309
- सबलसिंह सभ्री 99 पा० टि० 112
- सबलसिंह सिसौनिया 264
- समन्दर खाँ समन्दर बेग 104 347
- सम्भाजी 95 पा० टि० 49 155, 157, 359
- सम्भाजी बघारा, पुत्र लालजी बघारा 322
- 'सम्राट 59
- सम्यद बारहा बे 35, 36 48
- सरमदाज खा पत्नी बीजापुरी 329
- 'सर ए-खल 59
- 'सरकार (अमीरो की) परिभाषा 226
- सरकार, सर जदुनाथ 18
- सरदार खाँ 103
- सरदार खाँ, एहतिमाम खाँ, सरदार बेग 341
- सरदार खा दिलदोस्त 192, 256 311
- सरदारसिंह हाडा 98 पा० टि० 107
- सरपेच यामिनी 198
- सरफराज खाँ बेग 283
- सरफराज खा दक्खनी 177 249
- सरफराज खाँ दक्खनी, सयद सतीफ 296
- सरबाज खाँ 281
- सरबुलद खा, ख्वाजा मूसा 357
- सरबुलद खाँ ख्वाजा याकून तगवदी 347
- सरबुलद खाँ ख्वाजा रहमतुल्लाह 173, 253 300
- सरपसिंह पुत्र राजा जन्तसिंह 342
- सरूपसिंह राजा पुत्र धनूपसिंह 346
- सलावत खाँ, ख्वाजा मोर रावाफी 323
- सलावत खाँ, मुहम्मद इब्राहीम 328
- सलावत दक्खनी 276
- 'सवार परिभाषा 16, 60, 65, एक अश्व-सैनिक या सैनिक-पद 60-61, वा वेतन 65 71
- सहार, परगना 126
- सहारनपुर 202
- सादात खाँ 181
- सादिक खाँ 152
- सादिक खाँ (इतिहासकार) 124
- सादुल्लाह खाँ 27 74, 93 पा० टि० 28
- साधुजी पुत्र शिवजी नेल्कर 338
- साधुजा, पुत्र नागोजी 322
- साफी खाँ 259, 309
- साभर परगना 224 पा० टि० 10
- सामूगढ़ 33 34 37 168 टि०, 190 टि० 192 टि०
- सारहा 204 215 पा० टि० 101
- सारगधर, जम्मू का राजा 186 272
- सालह खाँ, फिदाई खाँ 313
- सालह खाँ, हकीम सालेह शीराजी 280, 343
- साधनसिंह, काली भेट का 285
- साहिब ए-तौजीह 82
- साचीर परगना 359 टि०
- सिकन्दरपुर 83

- सिक्न्दर रहला 272  
सिपह्तार खां, नुसरत खां 336  
सिपह्तार खां, मुफ्तखार खां खान ए  
 फ़ाजम 180  
सिपह्तारखान 59  
सिफ़ारिफ़ 82  
सिफ़नामा 125  
सियाजी 307  
सियादत खां 136 पा० टि० 13  
सियादत खां, पुत्र सयद अग़लान 325  
सियादत खां भीर जियाउद्दीन अली  
 मशहदी 255  
सियादत खा मुअज़्ज़म खां 277 317  
सिलहट 92 पा० टि० 17  
सिवजी पुत्र सरुजी 348  
सिवजी, पुत्र सम्भाजी 350  
सिवनिहनवीस 128  
सिसौदिया 28 150  
सीदी इब्राहीम 286 353  
सीदी खां मुहम्मद 302  
सीदी मिफ़्ताह 237 पा० टि० 35  
सीदी याक़ूत 329  
सीदी मलीम खा 301  
सीरिया 28  
सीस्तान 28  
सुजानराव 302  
सुजानसिंह, पुत्र अनूपसिंह 330  
सुजानसिंह कुदला, राजा 169, 255  
सुजानसिंह सिसौदिया 171  
सुन्दरदाम सिसौदिया 98 पा० टि०  
 105  
सुनी 29, 33, तूरानी साधारणत  
 सुनी 32 33  
सुमवरन कुदला 262  
सुमनवर 301  
'सुनह मन्सुल' 205  
सुल्तान यार 192  
सुल्तानसिंह 351  
सुल्तान हुसन 172  
सुनेमान गिरोज़ 37 202  
सुलमान खां 333  
'सूबदार' 203  
सूम नायक 314  
सूर (माझाज्य) 34  
सूरजमल गौड 283  
सूरजमल, राजा 353  
सूरत 136 पा० टि० 12, 202, 218  
सैह वदी 228, 230  
सफ़-उल्लाह अरब 186 283  
सफ़ खां पुत्र सफ़ुद्दीन महमूद 356  
सफ़ खां, फ़किरतनाह सफ़ुद्दीन महमूद  
 185, 258 312  
सफ़ खां मिर्जा इनायतुल्लाह 330  
सफ़ बीजापुरी 187, 264  
सफ़ुल्लाह खां भीर बहर 349  
सय्यद, एक वग 229  
सयद 28  
सयद अज़मतुल्लाह खां 330  
सयद अनवर 283  
सयद अज़ुल हसन हैदराबादी 319  
सयद अज़ुल नादिर खा 294  
सयद अज़ुल नबी 266  
सयद अज़ुल्लाह खां बारहा सयद  
 मिया 99 पा० टि० 107, 152  
 351  
सयद अयूब 310  
सयद अली 288  
सयद अली पुत्र अफ़जल खां 267



- सयद अली रिजवी खाँ 260 319  
 सयद असदुल्लाह पुत्र सयद अहमद  
 349  
 सतद असालत खा द्वितीय 344  
 सयद अहमद 173  
 मयद अहमद पुत्र सयद मलदूम  
 शरजा खा बीजापुरी 247  
 सयद अहमद खा खट्टब 285  
 सयद अमन बुखारी 175  
 मयद भालम बारहा 190  
 सयद इब्राहीम 338  
 सयद इब्राहीम मुतजा खाँ 168  
 सयद इब्राहीम दाराशिकोही 174,  
 286  
 सयद ओगलान सियादत खाँ 311  
 सयद करमुल्लाह बारहा 355  
 सयद कासिम बारहा 168 189, 259,  
 314  
 सयद कुली उज्जबक 190  
 सयद गरत खाँ बारहा या इज्जत खाँ  
 173  
 सयद जलाल खाँ बुखारी 202  
 सयद जनुल आबदीन बुखारी 187  
 288  
 सयद नजाबत बारहा 173  
 सयद नासिम्दीन खाँ दखनी 186  
 283  
 सयद नाहर खा बारहा 175  
 सयद नियाज खा 342  
 सयद नुरन आयेन बारहा 174  
 सयद फीरोज रस्तम खाँ 171 280  
 सयद बदन पुत्र सयद अदुल हसन  
 341  
 सयद बहादुर बारहा 283  
 सयद बहादुर भक्करी 173  
 सयद मकबूल भालम बारहा 174  
 सयद मन्मूर खाँ 184  
 सयद मन्मूर बारहा 192 259  
 सयद मसूद बारहा 171, 270  
 मयद महमूद 211 पा० टि० 25  
 सयद मिर्जा सज्जदारी 288  
 सयद मुतनार 284  
 सयद मुजफ्फर हैरावानी 295  
 मयद मुदस्सिर 105  
 सयद मुनवर बारहा 174, 268  
 सयद मुतजा खाँ 155  
 सयद मुहम्मद 353  
 सयद मुहम्मद, पुत्र शुजा उल मुल्क  
 345  
 सयद मुहम्मद कलदार बगलोर का  
 301  
 सयद मुहम्मद खाँ, मीर मुहम्मद मुराद  
 271  
 सयद यादगार हुसन बारहा 288  
 सयद यूसुफ 183  
 सयद यूसुफ खाँ बुखारी 341  
 सयद रहेला 183  
 सयद वजीहुद्दीन बारहा 348  
 सयद शरफ खाँ 356  
 सयद शाह 99 पा० टि० 107, 302  
 सयद शेखान बारहा 192  
 सयद शेर खाँ बारहा 169 259 315  
 सयद शेर जर्मा बारहा मुजफ्फर खाँ  
 181  
 सयद सलाबत खाँ बारहा 169  
 सयद सालार बारहा 171  
 सयद सुल्तान करबलाई 269  
 मयद सफ खा, नुरल दहर बारहा 335

- सयद हसन (बाद म, इकराम खाँ)  
181, 265
- सयद हसन खाँ बारहा 104, 267
- सयद हसन बारहा 192
- सयद हिनायतुल्लाह 265
- सागठ 203
- सोलकी 28
- सोहराब 314
- 'सौदा ए खाम' 219
- 'सौदा ए-खाम' 219
- सोर्नासिह 186
- हकीमत खाँ 356
- हकीम मुहम्मद अमीन शीराजी 188,  
280
- हकीम सादिक खा, हकीम उल मुल्क  
343
- हफीजुल्लाह खा 313
- हवश खाँ 295
- हब्श खाँ, खुदाबन्द हब्शी 287
- हब्शी 28, 36
- हमीद वाकर वाकर खा 187, 273
- हमीद खा 81
- हमीदुद्दीन खानबहादुर 309
- हमीदुद्दीन खाँ, खानाजाद खाँ 185
- हयात खा 350
- हरजम गौड 274
- हरनाथ कठवाहा 98 पा० टि० 98
- हरमुख 218
- हसन 340
- हसन पुत्र दिलावर खाँ दक्खनी 272
- हसन अब्दाल 147
- हसन अली खाँ, नवाब बहादुर 126
- हसन अली खाँ बहादुर खालमगीरसाही  
255, 302
- हसन खाँ दक्खनी 179, 258
- हसन खाँ रहेला 297
- हसन ख्वेगी 190
- हसन बरुग पाँ घाह मोहसिन 357
- हसन बेग 284
- हाकिम 117
- 'हाजिगी' 231
- हाजी अमी 330
- हाजी अहमद सईद 284
- हाडा 150
- हादी खाँ, भीर मुहम्मद हादी 103,  
265
- हादी खाँ, मुहम्मद हादी हैदरावादी  
326
- हादी दाद खा 180
- हाफिज खाँ 104
- हामिद खाँ 159
- हामिद खाँ पुत्र शेख भीर 286
- हारिस 202
- 'हाल ए हासिल' 116
- हासिम 358
- 'हासिल 67 126
- हिजवर खा, पुत्र अल्लाहवर्दी खा  
277
- हिदायत-उल-कवामद 125
- हिंदू 29 46-48 147 अक्बर,  
शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्य  
काल म हिंदू मनसबदारा की कुल  
संख्या 46 47, हिंदू व्यापारियों  
पर चुगी की दर बटी 161 पा०  
टि० 3 अमीरा को खिलअतें  
दगरा पर 197

- हिम्मत खाँ भीर ईसा 183 238  
 पा० टि० 37 260, 317
- हिम्मत खाँ, मुहम्मद हसन 309
- हिम्मत यार 92 पा० टि० 17 105
- हिरदशाह बुन्देला 339
- हिरात 30
- हिसामुद्दीन 238 पा० टि० 37 263
- हिसार 119
- हिस्ट्री आफ़ श्रीरगजेय 18
- हुकूम ए दीवानी 120 126
- हुण्डी' 228
- हुमायूँ 28 30
- हुसन बग़ खाँ जिग 171 279
- हुसन अली खाँ बारहा 211 पा० टि०  
 38, 237 पा० टि० 35 344
- हुसन खाँ फतहजग़ खाँ मियाना 297
- हुसन पाशा इस्लाम खाँ रूमो 246
- हुसन पाशा बमरा का अटोमन  
 गवनर 27
- हुसन बेग़ खाँ 187 265
- हैदर कुली 342
- हैदर खाँ, बाजी हैदर 333
- हैदराबाद 43 95 पा० टि० 49 100  
 पा० टि० 118 153 214 पा०  
 टि० 91 232
- हैदराबादी 43 95 पा० टि० 49  
 157
- हैबत खाँ मियान हाज़ि 309
- हैबतुल्लाह अरब 359
- होशदार खाँ, भीर होशदार, पुत्र मुलत  
 फात खाँ 251
- होशग़ाबाद 83



